ISSN: (P) 0976-5255
(e) 2454-339X
Impact Factor: 8.354 (SJIF)

शोध मंथन

हिन्दी शोध पत्रिका

A PEER REVIEWED & REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL IN HINDI

VOL - XII | SPECIAL ISSUE | OCT. 2021

सशक्त एवं सक्षम भारत – वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियाँ

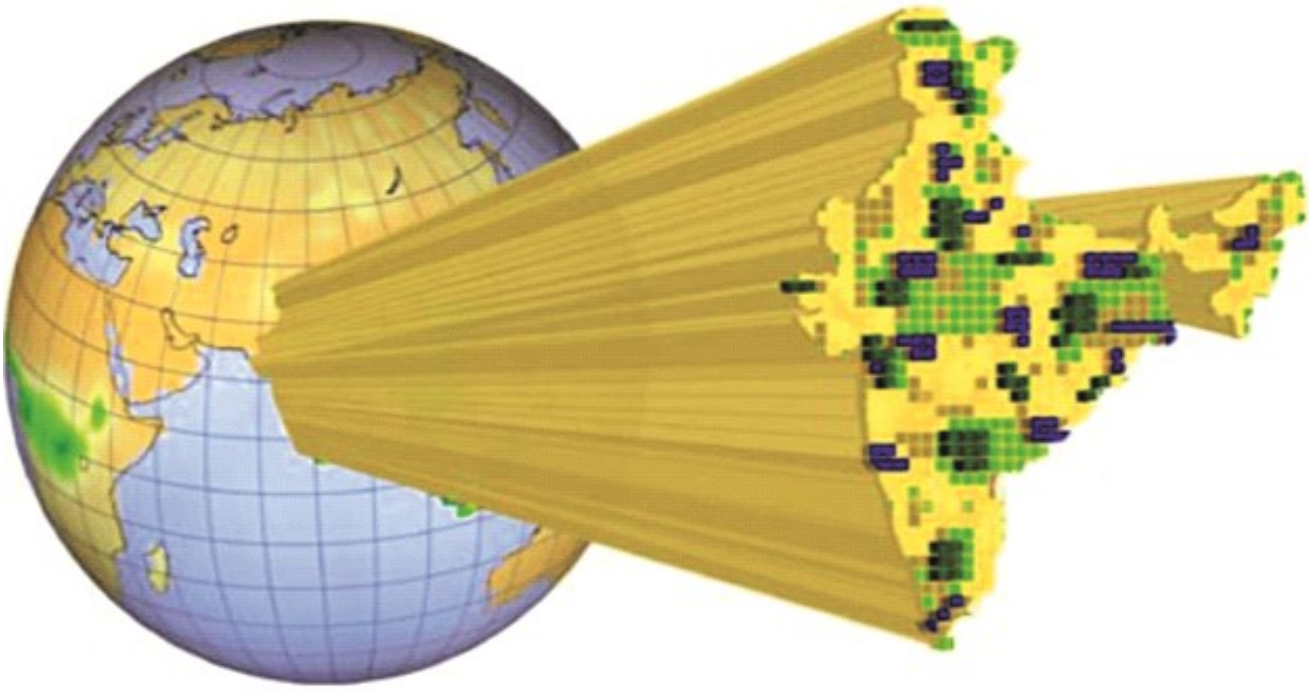

मुख्य संपादक
डॉ० अभय कुमार मीतल

संपादक
डॉ० संजय कुमार बंसल
डॉ० मनीष कुमार गुप्ता

ANU BOOKS

मुख्य संपादक

डॉ0 अभय कुमार मीतल

प्राचार्य

साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद (बिजनौर), उत्तर प्रदेश

संपादक

डॉ0 संजय कुमार बंसल

एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

एन.आर.ई.सी. कॉलेज, खुर्जा (बुलंदशहर), उत्तर प्रदेश।

डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता

एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद (बिजनौर), उत्तर प्रदेश।

सहकर्मी समीक्षा मंडल
(Peer Review Board)

वाणिज्य व प्रबंधन

- डॉ. आर. के. गुप्ता, कुलपति, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
- डॉ. एन. एल. शर्मा, पूर्व प्राचार्य, बरेली कॉलेज, बरेली, उत्तर प्रदेश।
- डॉ. एन. एल. गुप्ता, पूर्व विभागाध्यक्ष, डी. ए. वी. कॉलेज, देहरादून, उत्तराखंड।
- डॉ. के. के. बंसल, पूर्व विभागाध्यक्ष, श्याम लाल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- प्रोफेसर सुबोध कुमार, कैंपस बादशाही थौल, एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड।
- प्रोफेसर एम. सी. पांडे, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड।
- डॉ. जे. के. शर्मा, जी. जी. डी. एस. डी. कॉलेज, पलवल, हरियाणा।
- डॉ. वी. एन. गुप्ता, कैंपस ऋषिकेश, श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड।

विज्ञान

- प्रो. सी. पी. सिंह, पूर्व प्राचार्य, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, यू.पी.। (रसायन विज्ञान)
- डॉ. वीना गर्ग, पूर्व विभागाध्यक्ष, बनस्थली विद्यापीठ, जयपुर, राजस्थान। (जैव रसायन)
- डॉ. ओमवीर सिंह, विभागाध्यक्ष, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, यू.पी.। (जंतु विज्ञान)
- प्रो. मुकेश कुमार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड। (वनस्पति विज्ञान)

कला

- डॉ. सुशीला रानी गर्ग, पूर्व डीन, बनस्थली विद्यापीठ, जयपुर, राजस्थान। (हिंदी)
- डॉ. डी. सी. मीतल, पूर्व प्राचार्य, एस. डी. कॉलेज, मुजफ्फरनगर, यू.पी.। (अंग्रेजी)
- डॉ. कुसुम कुशवाहा, पूर्व विभागाध्यक्ष, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, यू.पी.। (राजनीति शास्त्र)
- डॉ. बलराम सिंह, विभागाध्यक्ष, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, यू.पी.। (समाजशास्त्र)

Managing Editor - Vishal Mithal

Published By :

ANU BOOKS

Delhi Meerut Glasgow (UK)

Visit us: www.anubooks.com

प्राक्कथन

आज का भारत एक नए रूप में वैश्विक पटल पर अपने आप को स्थापित करने हेतु सतत् रूप से प्रयासरत है। यह नया रूप एक 'सशक्त' एवं 'सक्षम' भारत का है। भारत अपने इस प्रयास में काफी हद तक सफल भी हो चुका है। विश्व के अनेक देशों की तरह भारत भी कोविड़–19 महामारी के दो भयानक चक्रों से गुजर चुका है। इन चक्रों को हिम्मत से सहना व इनके दुष्प्रभाव से आम जनता को यथासाध्य यथासंभव बचाना, समाज हित के कार्यों में सतत् रूप से लगे रहना एवं अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करना; ये सभी संकेतक भारत के सशक्त एवं सक्षम होने का संदेश दे रहे हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। लॉकडाउन लागू करके व इसके माध्यम से देश की जनता की जान बचाकर, अर्थव्यवस्था को बचाये रखने हेतु जरूरी उद्योगों व सेवाओं को जारी रखकर, प्रवासी मजदूरों और गरीब जनता को मौद्रिक व अमौद्रिक सहायता पहुंचा कर, कोविड़–19 वैक्सीन एवं अन्य चिकित्सीय साधन सुविधाओं का विकास करने के साथ ही साथ विदेशी बुरी नजरों से भारतीय सीमाओं की रक्षा करके; भारत ने सिद्ध कर दिया है कि भारत एक सशक्त और सक्षम राष्ट्र है।

यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय लोग पर्याप्त रूप से सशक्त एवं सक्षम हो चुके हैं, उन्हें कोई भी मानवीय या प्राकृतिक त्रासदी, बाधाएं, मुश्किलें; विकास के पथ पर अग्रसर होने से नहीं रोक सकतीं। परंतु यह भी सत्य है कि प्रत्येक सशक्त एवं सक्षम राष्ट्र के लिए सदैव कुछ चुनौतियां भी विद्यमान रहती हैं। भारत के संदर्भ में भी यह सर्वथा सत्य है। भारत में वर्तमान में बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की समस्या, क्षेत्रीय असंतुलन, महंगाई, आतंकवाद, सीमा पार से आ रही बाधाएं इत्यादि विभिन्न समस्याएं हैं जिनसे भारत लड़ रहा है। कोविड़–19 के परिणामस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी सरकार के भरसक प्रयासों के बावजूद भी सार्थक रूप से कम नहीं हो पा रही है। साथ ही लॉकडाउन के समय अपने घर लौटे प्रवासी मजदूर अभी भी अपने काम धंधे पर पूर्ण रूप से वापस नहीं आ पाए हैं। महंगाई व विकास में क्षेत्रीय असंतुलन, पड़ौसी देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, सीमा पर चीन एवं पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियां इत्यादि भारत की चुनौतियां हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप भी भारत की एक विकट समस्या और चुनौती है।

मुश्किल स्थिति में भी भारत अपने सीमित संसाधनों से संपूर्ण विश्व के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। भारत अपनी उदारवादी विदेश नीति, वैक्सीन मैत्री अभियान इत्यादि के माध्यम से वसुधैव कुटुम्बकम् की धारणा को साथ लेकर चल रहा है। विश्व के हर एक मंच पर आज भारत की सोच को गंभीरता से सुना व समझा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा विश्व के बड़े एवं शक्तिशाली देश भी आज भारत की सोच, इसके प्रजातंत्र, इसकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, इसकी प्राचीन व महान संस्कृति तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण; मुश्किलों से लड़ने के लिये इसके विभिन्न रणनीतिक प्रयासों की सहर्ष सराहना कर रहें हैं।

यह संतोषजनक है वर्तमान सरकार भारत के विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के संतुलित प्रयोग के माध्यम से देश को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं, बाधाओं, मुश्किलों से सकुशल निकाल पाने में व उबार पाने में सक्षम है। वर्तमान सरकार भारत की वर्तमान सशक्तता और सक्षमता को पहचानते हुए इसके माध्यम से इसके सामने खड़ी विभिन्न चुनौतियों का रणनीतिक रूप से सामना करने के विभिन्न प्रयासों में अथक रूप से संलग्न है।

आभार

'शोध मंथन' शोध पत्रिका का अक्टूबर 2021 विशेषांक 'सशक्त एवं सक्षम भारत – वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियाँ' पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। इस विशेषांक के लिए शोध पत्रों को आमंत्रित करना, उन्हें एकत्र करना तथा संपादन का कार्य करना संपादक मंडल के लिए एक बहुत ही अच्छा एवं ज्ञान–संवर्द्धनात्मक अनुभव रहा है। विषय की विस्तृतता, गहनता तथा बहुविषयक प्रकृति को देखते हुए संपादक मंडल ने उक्त शोध पत्रिका में योगदान हेतु विभिन्न उप शीर्षक भी निश्चित किए थे। ये उप शीर्षक हैं– एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत, भारत में आर्थिक स्थिरता– सरकार द्वारा उपाय, भारतीय प्रजातंत्र– संपूर्ण विश्व हेतु आदर्श, भारत में कोविड़–19 प्रबंधन– विशेषताएं एवं कमियां; भारत में रोजगार एवं श्रम कल्याण हेतु उपाय, महिला सशक्तिकरण हेतु भारत में किये जा रहे प्रयास, भारतीय अर्थव्यवस्था– नवीन प्रवृत्तियाँ, प्रतिस्पर्धी बाजार– ग्राहकों के लिये वरदान (भारत के परिप्रेक्ष्य में), भारतीय बाजारों में अनुचित व्यापार व्यवहार, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, भारतीय कृषि– नवीन प्रवृत्तियाँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की नवीनतम उपलब्धियाँ, भारतीय साहित्य एवं संगीत की वैश्विक उपस्थिति, भारत की विदेशी नीति– आलोचनात्मक व्याख्या; कृषि बिल– विचारधारायें एवं समाधान; नयी शिक्षा नीति 2020 का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मूल्यांकन, हिन्दी भाषा एवं साहित्य का उन्नयन, भारतीय कला के विभिन्न पहलू, भारतीय कला एवं पेंटिंग में नवोन्मेष, भारत में आपदा प्रबंधन तकनीक– आलोचनात्मक व्याख्या, योग व आयुर्वेद की वैश्विक सर्वग्राह्यता, अफगान संकट– समस्या, कारण एवं समाधान, भारत में आधारभूत ढाँचा– विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष पारंपरिक एवं गैर–पारंपरिक चुनौतियाँ; रक्षा, विकास एवं सुरक्षा तैयारियाँ; बैंकिंग, वित्त, बीमा एवं विपणन की नवीन प्रवृत्तियाँ; भारत की वैश्विक संगठनों में भूमिका का मूल्यांकन, भारत में आत्मनिर्भरता एवं कौशल विकास हेतु किये रहे सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन, भारत सरकार की विनिवेश नीति एवं संपत्ति मुद्रीकरण योजना, भारतीय समाज– नवीन प्रवृत्तियाँ, भारत में कोविड़–19 वैक्सीन निर्माण, भारतीय मानव संसाधन– आधुनिक प्रवृतियाँ इत्यादि।

विभिन्न लेखों, शोध पत्रों एवं केस स्टडी के माध्यम से एकत्र ज्ञान के इस अथाह सागर को हमने शोध पत्रिका के रूप में संकलित करा है। इस कार्य के लिए हम श्री विशाल मित्थल, अनु बुक्स, मेरठ का हार्दिक आभार करते हैं जिन्होंने हमारे संकलन को अपनी प्रतिष्ठित, अन्तर्राष्ट्रीय एवं सहकर्मी समीक्षित शोध पत्रिका 'शोध मंथन' के विशेषांक अक्टूबर 2021 के रूप में प्रकाशित करने की सहमति प्रदान की। हम श्री विशाल मित्थल एवं उनकी पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं।

साथ ही मैं अपने अनुभवी विद्वान साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे साथ संपादन के कार्य में जुड़े हुए हैं। मैं डॉ0 संजय कुमार बंसल, एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, एन. आर. ई. सी. कॉलेज, खुर्जा तथा डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता, एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद का अपने साथ संपादक के रूप में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता को इस विशेषांक के सम्पूर्ण कार्य के प्रबंधन एवं समन्वय के लिए विशिष्ट धन्यवाद देता हूँ। उनके सक्रिय व सकारात्मक सहयोग के बिना इस शोध पत्रिका का प्रकाशन निश्चित ही एक दुरुह कार्य होता।

साथ ही मैं अपने सहकर्मी समीक्षा मंडल के विभिन्न वरिष्ठ विद्वानों का उक्त शोध पत्रिका की विभिन्न सामग्री के गुणवत्ता प्रबंधन हेतु सामयिक सलाह एवं सुझावों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में, मैं इस शोध पत्रिका के लिए अपने लेखों, शोध पत्रों एवं केस स्टडीज के माध्यम से योगदान करने हेतु सभी विषय विशेषज्ञों, प्रोफेसर्स, शिक्षाशास्त्रियों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

यद्यपि इस शोध पत्रिका एवं इसके प्रकाशन को हर संभव प्रकार से त्रुटिरहित बनाने का भरकस प्रयास किया गया है, लेकिन कुछ अवांछित त्रुटियां संभावित हो सकती हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।

सधन्यवाद!

डॉ० अभय कुमार मीतल

मुख्य संपादक

विषय-सूची

1. सशक्त एवं सक्षम भारत : वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियाँ
डॉ0 अभय कुमार मीतल 1

2. भारत में पूंजी बाजार —— एक सैद्धान्तिक अध्ययन (अंशों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के विशेष संदर्भ में)
डॉ0 संजय कुमार बंसल 7

3. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका का एक मूल्यांकन —— प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों एवं प्रभुत्व के दुरुप्रयोग के विशेष संदर्भ में
डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता 11

4. एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत
डॉ0 अंकुर सिंह 17

5. एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत
डॉ0 सुरेश चंद 22

6. विश्व में भारतीय प्रजातन्त्र का स्थान
डॉ0 भूपेन्द्र सिंह 26

7. आज़ादी की नींव थीं जो वीरांगनाएं
डॉ0 रीता 29

8. गैर परम्परागत सुरक्षा चुनौती के रूप में ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज़्म (भारत के परिप्रेक्ष्य में)
डॉ0 आनन्द कुमार सिंह 34

9. भारत में बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान : एक अवलोकन
डॉ0 कमल सिंह 38

10. जनसंख्या वृद्धि और भारतीय समाज
डॉ0 बलराम सिंह 43

11. कृषि बिल —— विचारधारायें एवं समाधान
डॉ0 अनिता ए. पाण्डेय 48

12. बाल श्रम —— कारण, दुष्परिणाम एवं समाधान
डॉ0 सीमा मलिक 52

13. नये श्रम कानूनों की समीक्षा
डॉ0 कविता भटनागर 56

14. भारत की विदेश नीति
डॉ0 संजीव गौड़, *डॉ० अंकुर अग्रवाल* 60

15. भारत की विदेश नीति की आलोचनात्मक व्याख्या
मोहित बाबू, डॉ0 सुरेश चंद 65

16. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन
डॉ0 नज़ाकत हुसैन 69

17. भारत सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण योजना —– एक अवलोकन
डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता 75

18. योग एवं आयुर्वेद की वैश्विक सर्वग्राह्यता
डॉ0 अनिता ए० पाण्डेय 81

19. भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 : वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की संभावनाएं
डॉ0 मदन मोहन वार्ष्णेय 85

20. भारतीय उद्योग जगत संपदा अर्जन : एक विश्लेषण
डॉ0 अनूप कुमार 91

21. कोविड़–19 महामारी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था
डॉ0 मन्जू यादव, डॉ० बी०पी० सिंह 95

22. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तराखण्ड़ के गाँवों में वापस लौटते प्रवासी
डॉ0 राम चन्द्र सिंह 98

23. भारत में आपदा प्रबंधन —– आलोचनात्मक व्याख्या
डॉ0 सुमन मलिक 103

24. भारत में रासायनिक आपदा : कारण, प्रबंधन एवं चुनौती
डॉ0 सविता अग्रवाल 107

25. भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोरोना काल के दृष्टिगत समय उपयोगिता एवं तनाव प्रबंधन
प्रोफेसर सी. एम. जैन 111

26. कृत्रिम बीजों का उत्पादन और अनुप्रयोग
डॉ० रेनू शर्मा 117

27. कृषि विकास में नवीन प्रौद्योगिकी का महत्व एवं चुनौतियाँ
डॉ० श्रवण कुमार 120

28. भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण
डॉ० सुरेश चंद, श्याम सागर 123

29. भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण
डॉ० कमल सिंह 126

30. जनपद बागेश्वर में पर्यटन : विकास एवं संभावनाएं
चन्द्र प्रकाश सिंह 131

31. शिक्षा के वैश्वीकरण का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव
डॉ० बलराम सिंह 135

32. भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषणात्मक अध्ययन (अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20 के सन्दर्भ में)
डॉ० नज़ाकत हुसैन 139

33. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षा पर प्रभाव
डॉ० रश्मि सिंह 145

34. उत्तर प्रदेश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति 2020 की उपयोगिता
डॉ० नरेश कुमार 149

35. नई शिक्षा नीति 2020 का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक मूल्यांकन
डॉ० सीमा शर्मा 154

36. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं का स्थान (संस्कृत के विशेष संदर्भ में)
डॉ० अरविंद कुमार 158

37. भारत में डिजिटल पुस्तकालयों का विकास : एक अध्ययन
डॉ० कुलेश कुमार 162

38. पहचान की राजनीति के संदर्भ में भारतीय समाज में उभरती प्रवृत्तियां
मयंक शुक्ला, डॉ० सुरेश चंद 168

39. महिला सशक्तिकरण हेतु भारत में किये जा रहे प्रयास
डॉ० रत्नावली गर्ग, डॉ० अंकुर अग्रवाल 171

40. महिला सशक्तिकरण हेतु भारत में किये जा रहे प्रयास
डॉ० उर्मिला सिंह 175

41. महिला सशक्तिकरण हेतु भारत में किये जा रहे प्रयास
डॉ० पिंकी बिष्ट 179

42. महिला सशक्तिकरण
डॉ० प्रीति पांडे 184

43. महिला सशक्तिकरण हेतु भारत में किये जा रहे प्रयास
रवि कुमार, डॉ० सुरेश चंद 188

44. अफगान संकट – समस्या, कारण एवं समाधान
डॉ० धनंजय शरण 192

45. अफगान संकट – समस्या, कारण एवं समाधान
सचिन सिंह, डॉ० सुरेश चन्द 196

46. वैदिक कालीन संगीत
डॉ० शालिनी वर्मा 200

47. जीवन में संगीत का प्रभाव
डॉ० प्रतिभा सक्सेना 204

48. राष्ट्रभाषा हिन्दी की वैश्विक उपस्थिति
डॉ० परमजीत कौर 207

49. हिन्दी भाषा एवं साहित्य का उन्नयन : एक विमर्श
डॉ० कंचन सिंह 211

50. हिन्दी का नवजागरण काल और स्वतंत्रता
डॉ० अंजू बंसल 214

51. "ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं"
('जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ।')
डॉ० रंजना अग्रवाल 219

52. कविवर शिव कुमार 'चन्दन' का श्री कृष्ण भक्ति प्रेम (धनाक्षरी छंद के विशेष सन्दर्भ में)
डॉ० कैलाश चन्द्र दिवाकर 226

53. रणभूमि में अर्जुन की मनःस्थिति और श्रीमद्भगवद्गीता का प्राकट्य
डॉ० रंजना अग्रवाल 231

1

सशक्त एवं सक्षम भारत : वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियाँ

डॉ0 अभय कुमार मीतल
प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य संकाय)
साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद

सारांश

विकास की दृष्टि से यद्यपि भारत का वर्तमान परिदृश्य संतोषजनक कहा जा सकता है परंतु ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं, अभी भी संसाधनों के उचित उपयोग की समस्या है, अभी भी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को समाप्त करने में हम सफल नही हैं, अभी भी भाई–भतीजावाद एवं अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे विकास कार्यों और विकास गति में बाधक बन रहा है, अभी भी बेरोजगारी अपने चरम पर है, अभी भी सरकारी परियोजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप में लागू करने में समस्याएं हैं, अभी भी लालफीताशाही एवं अफसरशाही योग्य एवं पात्र तक उसका देय पहुंचने में बाधक बनी बनी हुई हैं। यदि हमें अपने देश को वास्तविक अर्थों में सशक्त एवं सक्षम रूप में समृद्ध करके विश्वगुरू के रूप में वैश्विक पटल पर स्थापित करना है तो हमें इन चुनौतियों का सामना करना होगा और सभी समस्याओं का निराकरण सार्थक दृष्टिकोण से तलाश करना होगा।

मुख्य शब्द

भ्रष्टाचार, आधारभूत संरचना, नवीन शिक्षा नीति, लालफीताशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप।

पृष्ठभूमि

पिछले कुछ दशकों में भारतीय परिदृश्य में अनेकों सुखद परिवर्तन हुए हैं, अनेकों क्षेत्रों में सकारात्मक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, आम जनमानस के जीवन स्तर में आशातीत सुधार हुआ है, संसाधनों की सरल उपलब्धता में वृद्धि हुई है, विभिन्न विकास परियोजनाओं को लागू किया गया है; तकनीक, अंतरिक्ष, उद्योग, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, कम्पयूटर आदि सभी क्षेत्रों में आधुनिकता एवं उन्नयन का परचम हमारे देश ने फहराया है। यही नहीं; हम अन्तर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर भी अपनी छवि को निखारने एवं प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम एवं सफल हुए हैं। विकास की दृष्टि से यद्यपि वर्तमान परिदृश्य संतोषजनक कहा जा सकता है परंतु ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं, अभी भी संसाधनों के उचित उपयोग की समस्या है, अभी भी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को समाप्त करने में हम सफल नही हैं, अभी भी भाई–भतीजावाद एवं अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे विकास कार्यों और विकास गति में बाधक बन रहा है, अभी भी बेरोजगारी अपने चरम पर है, अभी भी सरकारी परियोजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप में लागू करने में समस्याएं हैं, अभी भी लालफीताशाही एवं अफसरशाही योग्य एवं पात्र तक उसका देय पहुंचने में बाधक बनी बनी हुई हैं। जहां विकास है, प्रगति है, सम्भावनाएं हैं, वहीं अवरोध हैं, समस्याएं हैं, शंकाएं हैं। इसके साथ ही पिछले दो वर्षों में कोरोना की आकस्मिक भयावह महामारी ने न केवल सम्पूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया वरन् वैश्विक स्तर पर प्रत्येक राष्ट्र की विकास की गति को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी किया है। भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहा; विशेषकर इस महामारी की दूसरी लहर ने सम्पूर्ण जनमानस के जानमाल का ही नुकसान नहीं किया वरन् अर्थव्यवस्था की विकास गति को भी अवरूद्ध किया है। इस महामारी के चलते हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की विभिन्न कमियां एवं आधारभूत संरचना की कमियों का भी पता चला। आकस्मिकता की स्थिति में हमारा आपदा प्रबन्धन हर परिस्थिति के लिए सम्पूर्ण रूप से सक्षम होना चाहिए; यह सबक भी हमको इस भयावह कोरोना के बाद सीखने को मिला। यह सत्य है कि पिछले कुछ दशकों में हमारा देश हर प्रकार से सशक्त एवं सक्षम हुआ है परन्तु इस तथ्य को भी नहीं नकारा जा सकता कि चुनौतियाँ अभी समाप्त नहीं हुई हैं, हमें और भी बहुत कठिनाईयों एवं समस्याओं को दूर करना है, इन चुनौतियों का सामना करना है तभी विकास की गति, सशक्तता एवं सक्षमता का यह दौर जारी रह सकेगा और हम विश्व पटल पर अपने आपको स्थापित रखने में सफल रह सकेंगे।

वर्तमान परिदृश्य

वर्तमान परिदृश्य में हम सर्वप्रथम उन तथ्यों पर चर्चा, विचार एवं विश्लेषण करेंगे जिनके कारण हमारा भारतवर्ष आज समर्थ, सशक्त एवं सक्षम बना हुआ है। इस विषय पर मनन् एवं विश्लेषण कई आधारों पर किया जाना संभव है। अध्ययन की सुगमता एवं स्पष्टता की दृष्टि से हम अपनी विकास प्रक्रिया को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं–

1. सरकारी परियोजनाओं की दृष्टि से –

विभिन्न क्षेत्रों का समग्र विकास किए जाने की दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं एवं परियोजनाएं लागू की गयी हैं। परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत विकास भी हुआ है और सम्बन्धित क्षेत्रों में हम सक्षम एवं सशक्त भी हुए हैं। संक्षेप में इन योजनाओं/परियोजनाओं को निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है–

- **आयुष्मान भारत योजना–** यह योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जिसका उद्देश्य भारत में रहने वाले गरीब, वंचित एवं कमजोर श्रेणी के 10 करोड़ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को सरकारी स्तर से 5 लाख रूपये तक कैश–लैस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस हेतु 2000 करोड़ रूपये का बजट आबंटित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थी सम्पूर्ण भारत में कही भी राजकीय, सार्वजनिक अथवा निजी चिकित्सालय में इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना–** प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा सन् 2015 में बेघर लोगों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी। इस योजना में गृह ऋण के ब्याज पर सब्सिडी (Subsidy) प्रदान की जाती है। प्रारम्भ में यह योजना मात्र निर्धन वर्ग के लिए प्रारम्भ की गयी थी परंतु अब निम्न आर्थिक वर्ग के साथ–साथ अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के लिए भी बेघर लोगों को घर प्रदान करने की इस योजना का क्षेत्र विस्तार कर एक बड़े समूह को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। केन्द्र सरकार ने सन् 2022 तक सभी बेघरों को घर प्रदान का लक्ष्य इस योजना में निर्धारित किया है।

- **स्वच्छ भारत अभियान–** राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को प्रारम्भ किया गया तथा इसके लिए 5 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिससे बापू की 150वीं जयंती पर उनके स्वच्छता के स्वप्न को साकार कर देश द्वारा उन्हें सच्ची एवं सार्थक श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंड़िया मूवमेंट के अन्तर्गत जहां सम्पूर्ण देश में सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया वहीं भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए घर–घर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में घर में या घर के निकट शौचालय बनाने का अभियान भी प्रारम्भ किया गया। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए सरकार द्वारा लागत का 75 प्रतिशत तक राशि प्रदान करने का तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए 12000 रूपये की राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा गया। इस योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक वृक्षारोपण का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया जिससे पर्यावरण को शुद्ध करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा सकें।

- **कृषि योजनाएं–** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गयी जिसके अन्तर्गत फसल बोने, बीज खरीदने आदि के लिए छोटे किसानों को 2000 रूपये की तीन किस्तों में 6000 रूपये की राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। फसल बीमा योजना लागू करके सन् 2016 में किसानों को खराब मौसम, प्राकृतिक आपदा आदि से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया गया। 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर किसानों को 3000 रूपये मासिक पेंशन व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से किसान मानधन योजना लागू की गयी। दीनयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार प्रदान करने का कार्य किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बीज योजना, प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना, फसल की न्यूनतम मूल्य नीति, यंत्रीकरण मानक एवं सहायता योजना, चारा विकास योजना, कृषि विपणन योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, पशुधन बीमा योजना, पौध संरक्षण योजना, कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, सतत् कृषि योजना, कृषि क्लीनिक, कृषि कारोबार केन्द्र आदि अनेक योजनाओं को लागू कर भारतीय कृषि क्षेत्र एवं कृषकों को सशक्त बनाने के सार्थक प्रयास भारत में किए गए हैं।

- **स्वास्थ्य योजनाएं–** आयुष्मान भारत योजना के अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत एवं सशक्त बनाने के लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं। अब प्रत्येक शहर में सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त बड़े–बड़े नर्सिंग होम एवं अस्पताल उपलब्ध हैं और लगभग प्रत्येक व्याधि का निराकरण किसी न किसी रूप में भारत में उपलब्ध विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा ही कर दिया जाता है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के प्रति लोगों के जागरूक होने से अधिक चिकित्सा व्ययों हेतु बीमा कम्पनियां सहायता हेतु तत्पर हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी स्तर पर भी निम्न आय वर्ग के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, टीकाकरण के लिए अनेकों स्वास्थ्य योजनाएं जैसे एच.आई.वी./एड्स पर राष्ट्रीय नीति, सी.जी.एच.एस., जे.एस.एस.वाई., जे.एस.वाई., पी.एम.एस.एम.ए., मिशन इन्द्रधनुष, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय रक्त नीति, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम, आर.बी.एस.के., निम्न आय वर्ग के रोगियों के लिए सरकारी अनुदान योजना आदि अनेकों योजनाए संचालित की जाती हैं जिनके माध्यम से आज वर्तमान में हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अपेक्षाकृत काफी समृद्ध एवं सशक्त हुई हैं।

- **सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में समृद्धता–** पिछले कुछ दशकों में भारतवर्ष की सामाजिक परिस्थितियों में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन देखने को मिले हैं, सुखद यह है कि परिवर्तन सार्थक एवं सकारात्मक हैं। समाज विभिन्न कुरीतियों और कुप्रथाओं के विरूद्ध जागृत एवं जागरूक होकर एकजुट हुआ है। सामाजिक संस्थाओं ने भी इस और अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। सरकारी स्तर पर भी इस सामाजिक

सुदृढ़ता एवं सुरक्षा के लिए शासन जागरूक हुआ है तथा विभिन्न योजनाएं इस संदर्भ में शासन स्तर पर भी लागू की गयीं हैं जैसे विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना, दिव्यांग जन पेंशन, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, निराश्रित बालक वित्तीय सहायता योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ परियोजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना, असंगठित ग्रुप बीमा योजना आदि अनेकों योजनाएं हैं जो निर्बल, अशक्त, निर्धन एवं असहाय वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रही हैं।

2. उद्योग एवं व्यवसाय के दृष्टिकोण से –

यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो पिछले कुछ दशकों में न केवल भारत के व्यावसायिक ढांचे में वरन् औद्योगिक ढांचे में भी आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। व्यापार एवं उद्योग जगत अनेकों क्रांतिकारी परिवर्तनों का साक्षी रहा है। गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने के बाद भी व्यापार एवं उद्योग की प्रगति दर में उल्लेखनीय सुधार देखने को नहीं मिला परंतु पिछले कुछ दशकों में कंप्यूटरीकरण, नवोन्मेष प्रक्रियाएं, उदारीकरण, लाइसेंसीकरण की नीतियों में परिवर्तन, उदार ऋण नीति, सरकारी प्रोत्साहन आदि के परिप्रेक्ष्य में उन्नति एवं प्रगति की ऐसी बयार व्यापार एवं उद्योग में देखने को मिली जिसके कारण वर्तमान समय में उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से भारत आज अग्रपंक्ति में खड़ा दिखायी देता है और अन्तर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रत्येक स्तर पर प्रतिस्पर्धा देने में सक्षम है। भारत के आयातों की तुलना में निर्यातों की दशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वैश्विक स्तर पर भारत को उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। सरकारी स्तर पर व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेकों योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना, एम.एस.एम.ई., मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप योजना, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम, लघु उद्योग ऋण योजना, महिला उद्योग ऋण योजना आदि प्रारम्भ की गयीं जिन्होने व्यापार एवं उद्योगों के विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है और वर्तमान में भारत का परचम वैश्विक स्तर पर सफलतापूर्वक आरोहित करने में सहयोग प्रदान किया है। किसानों, प्रसंस्करण कर्त्ताओं और खुदरा व्यावसायियों को एक मंच पर एकत्र कर, कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए, कृषि उत्पादों की बर्बादी को न्यूनतम करने के उद्देश्य से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार सृजन के उद्देश्य से मेगा फूड पार्क योजना का संचालन एक मील का पत्थर साबित हुआ है। वर्तमान में दूध, केला, आम, मसाले, दालों, झींगा मछली, आदि के उत्पादन में विश्व में भारत सर्वोपरि है। इसके अतिरिक्त अनाजों, सब्जियों एवं चाय उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, एस्पायर, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, एग्रीबिजनेस, तकनीकी प्रशिक्षण रोजगार योजना आदि के सफल क्रियान्वयन से वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक तंत्र विश्व में शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

3. शिक्षा की दृष्टि से –

भारत में शिक्षा के प्रति पिछले कुछ दशकों से जागरूकता एवं परिवर्तन की एक नवीन बयार चल रही है। पिछले कुछ वर्षों में शैक्षिक उन्नयन के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निजी शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहन एवं स्व–वित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों को स्थापित किया जाना एक नवीन एवं क्रान्तिकारी प्रयास माना जा सकता है। यदि हम स्वतंत्रता के बाद से भारत में शैक्षिक परिदृश्य का अवलोकन करें तो सर्वप्रथम डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सन् 1948 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ। 1964–66 में कोठारी आयोग, नवीन शिक्षा नीति 1986 व उसके बाद 1992 में उसमें संशोधन; शिक्षा की एक क्रमिक अनवरत् यात्रा के रूप में चलते रहे। अब 29 जुलाई 2020 को नवीन शिक्षा नीति की घोषणा एवं वर्तमान सत्र से इसके लागू किए जाने से शैक्षिक जगत को परिवर्तन एवं प्रगति का एक नवीन आयाम प्राप्त हुआ है। यह अति आवश्यक भी था क्योंकि हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि सुधार एवं परिवर्तन अवश्यम्भावी होते हैं और शिक्षा में सम–सामयिक परिवर्तन होना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि वर्तमान युग गहन प्रतियोगिता का युग है और अपने देश को वैश्विक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर बनाए रखाना इस दृष्टि से परम आवश्यक है। परन्तु मात्र शिक्षा के स्वरूप में सैद्धान्तिक परिवर्तन यथार्थ स्थिति को बदल पाएगा; यह निश्चय ही एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा कर व आवश्यक सुधारों को स्वीकार कर परिवर्तन किए जाने चाहियें। हमारी शिक्षा में प्रारम्भ से ही व्यावहारिकता, व्यावसायिकता एवं रोजगारपरकता का अभाव दिखायी देता है। शिक्षा का वही स्वरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्रेष्ठ माना जा सकता है जो ज्ञान के साथ हमारी नयी पीढ़ी के रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त करे। नवीन शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष पहल की गयी है और छात्र–छात्राओं को रूचि के अनुसार शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है। नवीन शिक्षा नीति में रट्टाफिकेशन पद्धति को समाप्त करके व्यावहारिक ज्ञान एवं ज्ञान के अनुप्रयोग टेस्ट को लागू करके छात्र–छात्राओं को यथार्थ शिक्षा प्रदान की जाएगी। कक्षा 6 के पश्चात् ही छात्र–छात्राओं को अपनी रूचि के अनुसार विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चुनने की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। इस नीति में व्यावहारिक ज्ञान एवं रोजगार प्रधान शिक्षा प्रणाली लागू करने के प्रयास के साथ; विद्यार्थियों को व्यावसायिक, व्यावहारिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने के साथ प्रशिक्षण का भी प्रावधान जोड़ा गया है जिससे आवश्यक शिक्षा के उपरांत उन्हें शिक्षा के अनुरूप रोजगार प्राप्त हो सके अथवा वे निज–सामर्थ्य कोई रोजगार करके अपना जीवन–यापन कर सकें। नवीन प्रावधानों के अनुरूप शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था किए जाने का प्रावधान भी इस नीति में किया गया है। स्नातक स्तर पर छात्र–छात्राओं को मुख्य विषय के साथ सहायक विषय किसी भी संकाय से चयन करने की स्वतन्त्रता के साथ एक व्यावसायिक एवं एक व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी विषय लेने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के दौरान ही विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों में विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने की व्यवस्था भी हमारी नवीन शिक्षा नीति में की गयी है। सरकारी एवं निजी स्कूलों में फीस संरचना एक समान रूप से की जाएगी जिसका निर्धारण एवं नियंत्रण सरकारी स्तर पर किया

जाएगा। कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर अन्य शैक्षिक नियुक्तियों एवं व्यवस्थाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करके व्यवस्थाओं को केन्द्रीयकृत किया जाएगा तथा नियुक्तियों में पूर्णतः पारदर्शिता का प्रयास किया जाएगा। इन प्रमुख बातों के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे बिन्दु एवं अवयव हैं जिन्हें वर्तमान नवीन शिक्षा नीति में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जिससे सम्पूर्ण भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण परिमार्जन हो सके और हम वैश्विक स्तर पर अन्य विकासशील एवं विकसित देशों की व्यवस्थाओं के अनुरूप प्रतियोगिता में पूर्ण क्षमता के साथ अपने–आपको स्थापित कर सकें। स्कूली शिक्षा एवं कालेज शिक्षा समाप्त होते ही प्रत्येक के पास रूचि के अनुसार विशिष्ट कौशल भी हो जिससे वह सामर्थ्य के अनुसार नौकरी प्राप्त कर सके अथवा वह अपनी रूचि एवं सामर्थ्य के अनुसार अपना रोजगार स्थापित कर सके। प्रत्येक को उसकी शिक्षा एवं क्षमता के अनुरूप नौकरी अथवा रोजगार के माध्यम से उचित प्रतिफल प्राप्त हो जिससे वह आर्थिक एवं मानसिक रूप से सन्तुष्ट हो सके।

चुनौतियाँ

वैश्विक स्तर पर भारत अपने आपको एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर चुका है, यह एक निर्विवादित सत्य है। भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है तथा भारतीय अर्थनीतियों को वैश्विक स्तर पर न केवल स्वीकारा जा रहा है वरन् उनका अनुसरण भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय एवं उद्योगों के क्षेत्र में उत्तरोत्तर भारत उन्नति और प्रगति पथ पर अग्रसर है। परन्तु यह भी निर्विवादित सत्य है कि भारत के समक्ष अभी भी अनेकों समस्याएं एवं चुनौतियाँ हैं जिनका निराकरण किए बिना यह राह निष्कंटक नहीं रहने वाली। भारत अति विशाल जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला ऐसा देश है जहां पर थोड़ी सी ही दूरी पर भाषा, परिवेश एवं सांस्कृतिक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों की बड़ी जनसंख्या है, कृषि पर निर्भरता और कृषि की जलवायु पर निर्भरता अनिश्चितता उत्पन्न करती है। अशिक्षा, रूढ़िवादिता, अति धर्मभीरूता इत्यादि नवोन्मेष को स्वीकार करने में प्रमुख बाधायें हैं। भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, रिश्वतखोरी, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, भाई–भतीजा एवं परिवारवाद आदि अनेकों ऐसी बुराइयां हैं जिनकी जड़ें अत्यन्त गहराई तक भारतीय परिवेश में समायी हुई हैं। जब तक इन समस्याओं को न्यूनतम नहीं किया जाएगा, इन पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, इन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढा जाएगा तब तक प्रगति एवं उन्नति की राह के रोड़े बने रहेंगे, गति बाधित होती रहेगी। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाएं, अनपेक्षित बाधाएं जैसे कोरोना एवं उसके विभिन्न प्रारूप आदि समय–समय पर भारत में विकास क्रियाओं की बाधा बनते रहे हैं और उन्नति/प्रगति के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न करते रहे हैं। संक्षेप में सशक्त भारत की राह में प्रमुख रूप से निम्न चुनौतियाँ हैं जिनका सामना हमारा देश वर्तमान में कर रहा है और इनका समाधान किए बिना हम अपने आपको आर्थिक महाशक्ति के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित नहीं कर सकते –

सरकारी योजनाओं की दृष्टि से

प्रत्येक क्षेत्र में भारत की योजना निर्माण क्षमता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। यदि यह कहा जाए कि सम्पूर्ण विश्व में भारत की योजनाएं सर्वश्रेष्ठ हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आवास व्यवस्था, ऋण व्यवस्था, स्वच्छता मिशन, कृषि क्षेत्र, व्यापार एवं उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, संचार, कम्प्यूटर, बैंकिंग, सुरक्षा इत्यादि शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जहां हमने सर्वश्रेष्ठ योजनाएं घोषित न की हुई हों। परंतु मूल समस्या सरकारी तंत्र द्वारा इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की है। अनेकों योजनाएं कागजों में बनकर फाइलों में ही दम तोड़ देती हैं, कुछ अफसरशाही और लालफीताशाही के कुचक्र में उलझ कर रह जाती हैं। हमारे देश में इन योजनाओं को सफल, सार्थक एवं सकारात्मक रूप से लागू करना, सही लाभार्थी तक इनका पहुंचना, उचित क्षेत्रों में समय से उनका प्रचार–प्रसार शायद सबसे बड़ी चुनौती है। योजनाएं सरकारी स्तर से लागू की जाती हैं परन्तु उचित लाभार्थियों तक उनकी जानकारी नहीं पहुंच पाती और यदि जानकारी पहुंच भी जाती है तो अत्यधिक सरकारी औपचारिकताओं एवं उलझे हुए सरकारी तंत्र के कारण उनका वास्तविक लाभ वास्तविक पात्रों को प्राप्त नहीं हो पाता। अनेकों बार अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप एवं स्थानीय नेतागिरी भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है।

यदि हमें भारत को वास्तव में सशक्त एवं सक्षम बनाकर दीर्घकाल तक वैश्विक स्तर पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित रखना है तो हमें अपने सरकारी तंत्र को सुधार कर उपरोक्त वर्णित समस्याओं का समाधान खोजना होगा जोकि हमारे विकास क्रम और प्रगति यात्रा में अवरोध और चुनौती बनकर हमारे सम्मुख हैं। इन समस्याओं के समाधान और चुनौतियों का सामना किए बिना निश्चित ही सशक्त एवं सक्षम भारत की कल्पना एक दूर की कौड़ी और दुरूह यात्रा सिद्ध होगी।

उद्योग एवं व्यवसाय के दृष्टिकोण से

भारत वर्ष में व्यवसाय एवं उद्योग–धन्धों की समग्रता का अध्ययन करने के लिए पहले यह जानना अति आवश्यक है कि यें कितने प्रकार से वर्गीकृत होकर अपनी व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रियाओं को निष्पादित करते हैं। यदि हम व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो प्रथमतः फेरी वाले, गली/मौहल्ले/नुक्कड़ पर परचून, जनरल मर्चेंट, पान की दुकान, जूस की दुकान, मोबाइल रिचार्ज की दुकान करने वाले अति छोटे स्तर पर कार्य करने वाले व्यवसायी हैं जो कि काफी संख्या में हैं। द्वितीय श्रेणी में वो व्यापारी हैं जो कार्य तो खुदरा व्यापारी की भांति ही करते हैं परंतु उनका स्तर अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित, वृहद् एवं स्थायी होता है। इनके लेखे भी व्यवस्थित होते हैं, इनके आधीन कुछ कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

भी कार्य करते हैं। तृतीय श्रेणी में बड़े–बड़े थोक व्यापारी, आढ़ती और अति वृहद् स्तर पर कार्य करने वाले और भंडारण करने वाले व्यापारी आते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने औद्योगिक जगत का वर्गीकरण करें तो सबसे पहले हाथ से कार्य करने वाले कारीगर जो घरेलू स्तर पर कुटीर उद्योग चलाते हैं; आते हैं। इनके अतिरिक्त फिर लघु उद्योगों की श्रेणी आती है। वर्तमान में इन उद्योग–धन्धों के लिए MSME (Micro, Small & Medium Enterprises) शब्द काफी प्रचलन में है। सरकार भी इस ओर काफी जागरूक है और इनको पर्याप्त प्रश्रय एवं सहायता प्रदान करने की चेष्टाएं की जा रही हैं। अंतिम श्रेणी में वो उद्योग–धन्धे हैं जो अत्यन्त वृहद् स्तर पर निजी अथवा सार्वजनिक स्तर पर स्थापित हैं।

व्यवसाय एवं उद्योगों की दृष्टि से भारत एक समृद्धशाली देश बनने की अग्रपंक्ति में था, परन्तु पिछले दो वर्षों में 'कोविड़' (कोरोना) की महामारी ने कुटीर, लघु, मध्यम एवं वृहद् स्तर पर स्थापित सभी व्यापार एवं उद्योग धन्धों को भारी क्षति पहुंचाई और सभी की प्रगति एवं उन्नति नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। श्रमिकों का पलायन, लॉकडाउन, कोरोना के नित नए रूपों की अनिश्चितता ने सभी के मन में एक अनजाना सा डर उत्पन्न कर दिया जिससे व्यापार एवं उद्योगों की क्षमताएं प्रभावित हुई हैं। यद्यपि सरकारी स्तर पर सहायता भी प्रदान की गयी परन्तु वह अपर्याप्त सी प्रतीत हो रही हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी तंत्र द्वारा योजनाओं को घोषित करने के पश्चात् उन्हें समुचित रूप से लागू करने की समस्या यहां भी यथावत दिखायी देती है।

यदि हमें अपने व्यापार एवं उद्योग–धन्धों को सशक्त, सक्षम एवं समृद्ध बनाना है तो कराधान नीतियों एवं लाइसेंसिंग नीतियों के पुनरावलोकन पर ध्यान दिया जाना अतिआवश्यक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी औपचारिक अनुमतियों के सरलीकरण की ओर भी ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। व्यापारियों और उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जाना सशक्त एवं सक्षम भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती है। केन्द्र एवं राज्य स्तर पर नवीन उद्योग–धन्धों को स्थापित करने के लिए, नवीन तकनीकों को अंगीकृत किए जाने के लिए न केवल सार्थक प्रयास किए जाने आवश्यक हैं वरन् उनको यथार्थ रूप में उदारता के साथ लागू किया जाना भी एक अनिवार्यता है।

शिक्षा के दृष्टिकोण से

हमारी शिक्षा प्रणालियों में स्वतन्त्रता के बाद से ही निरन्तर सुधार के प्रयास जारी रहे हैं परन्तु आज भी हम शैक्षिक ढांचे की दृष्टि से अपने को उन्नत श्रेणी में सम्मिलित नहीं कर सकते। शिक्षा में व्यावसायिकता, व्यावहारिकता, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण का अभाव रहा है, नीतियों का उचित रूप से लागू न हो पाना, राज्य एवं केन्द्र में नीतिगत तालमेल का अभाव, निजी क्षेत्र के शिक्षकों को उचित प्रतिफल न मिल पाना, राजनीतिक हस्तक्षेप, संसाधनों का अभाव, शोध आदि के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, नियुक्तियों का न होना अथवा उनमें पारदर्शिता न होना इत्यादि अनेकों ऐसी चुनौतियाँ हैं जो हमारी शिक्षा की प्रगति की राह में रोड़ा बनी हुई हैं। वर्तमान शिक्षा नीति लागू करके सरकार ने यथासंभव इनको दूर करने का प्रयास किया है। स्व–वित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों एवं शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं परिमार्जन की दृष्टि से एक स्वागत योग्य कदम है और यह प्रक्रिया शैक्षिक जगत को नवीन ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है परन्तु अब तक के प्रयासों को सार्थक, स्वस्थ एवं निष्पक्षता से लागू न किया जाना इस व्यवस्था पर एक यक्ष प्रश्न खड़ा करता है। नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार द्वारा पर प्रत्येक स्तर पर निजी शिक्षा को वैधानिक स्तर पर नियंत्रित करने के प्रावधान किए गए हैं जिससे हमारा शैक्षिक उन्नयन नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा; ऐसा विश्वास किया जा सकता है। हमारे देश की एक बहुत गम्भीर समस्या रही है कि हमारे देश में सैद्धान्तिक स्तर पर अत्यन्त श्रेष्ठ कार्य होता है, नीतियां भी बनती हैं परन्तु उनके उचित क्रियान्वयन का अभाव, अफसरशाही, लालफीताशाही; उसके सार्थक प्रभाव को शून्य प्राय कर देती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नवीन शिक्षा नीति को जिस सजगता से लागू किया गया; सरकारी स्तर पर इसके प्रावधानों को लागू करने की निरन्तरता में यह सजगता पूर्णतः कायम रहेगी। यहां पर एक महत्वपूर्ण बिन्दु और भी है कि बिना जनसहयोग के कोई भी नीति योजना सफल नहीं हो सकती। आम जनमानस को भी अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को समझना होगा, सरकारी सार्थक प्रयासों को लागू करने में सहयोग प्रदान करना होगा; तभी नवीन शिक्षा नीति के शत–प्रतिशत सकारात्मक प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंच पायेंगें। कोई भी नीति या योजना तब तक सार्थक एवं सफल नहीं हो सकती जब तक उसे जन समर्थन न हो तथा स्वयं आम जनमानस उसे मन से स्वीकार न करें। नवीन शिक्षा नीति में यह प्रावधान किए गए हैं कि युवाओं को रोजगार और व्यवसाय शिक्षा के तत्काल बाद प्राप्त हो जाए। शिक्षा के साथ ज्ञान, व्यवसायिक कौशल, प्रशिक्षण आदि की भी व्यवस्था इस प्रकार की गयी है कि प्रत्येक युवा अपनी रूचि के क्षेत्र में सेवारत हो सके अथवा व्यवसाय कर सके। कुछ स्तरों पर नवीन शिक्षा नीति की आलोचना भी है, विरोध भी है परंतु यह सभी अधिकांश विरोध एवं आलोचनाएं मात्र व्यवस्था विरोध एवं राजनीतिक कारणों के लिए हैं जिन्हें न तो उचित ही माना जा सकता है और न ही स्वीकार किया जाना चाहिए। यह तो निश्चित ही स्वीकार करने योग्य बात है कि किसी भी नीति को बनाना अत्यन्त सुगम कार्य है परन्तु उसको यथार्थ रूप में लागू करने में अनेकों व्यावहारिक कठिनाइयां आनी स्वभाविक ही हैं। सरकार द्वारा नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से सम्पूर्ण शैक्षिक ढांचे में नवीन एवं सार्थक परिवर्तनों का प्रयास; प्रतियोगी वातावरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने के दृष्टिकोण से किया गया है जिसका सभी को खुले मन से स्वागत करना चाहिए। परन्तु हां, यदि कोई सार्थक परिवर्तन अथवा स्वस्थ सुझाव किसी भी स्तर से आते हैं तो उनको सम्मिलित कर इस नीति को त्रुटिहीन बनाने के प्रयास अवश्य किए जाने चाहियें। मेरी सम्मति में मात्र विरोध के लिए विरोध कदापि उचित नहीं होता, इससे देश की शिक्षा अथवा देश का कोई भला नहीं होने वाला है। हमें स्वस्थ मन एवं खुले विचारों से इसकी वास्तविक कमियों पर चर्चा करके सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए तभी हम वैश्विक परिदृश्य पर शैक्षिक दृष्टिकोण से भारत को पुनः विश्व गुरू के रूप में स्थापित करने में सफल हो पाएंगे; तभी भारत का सर्वशिक्षा का अभियान सम्पूर्ण हो सकेगा, हर युवा को रोजगार का सपना साकार हो सकेगा और इस नवीन शिक्षा नीति की उपयोगिता एवं सार्थकता भी सिद्ध हो सकेगी।

निष्कर्ष

विश्लेषण एवं अनुसंधान यह बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारतवर्ष ने प्रगति के अनेकों आयाम प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित किए हैं और अपनी योग्यता और सफलता को वैश्विक स्तर एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर स्थापित भी किया है। तकनीक, शिक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान, व्यवसाय, उद्योग, स्वास्थ्य, संचार, सुरक्षा, कृषि आदि प्रत्येक क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रत्येक दृष्टिकोण से सभी ने समवेत प्रयास भी किए हैं जिनके सार्थक परिणाम भी परिलक्षित हुए हैं परंतु संभावनाएं अपरिमित एवं असीमित हैं, समस्याओं एवं चुनौतियों की भी श्रृंखला है जो उन्नति की राह में बाधा बनकर खड़ी है। हमारे देश में दो समस्याएं सर्वाधिक बडी चुनौतियाँ हैं – प्रथमतः सरकारी घोषित योजनाओं का धरातल पर यथावत् लागू न होना, वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ उचित प्रचार–प्रसार के अभाव में न पहुंच पाना अर्थात् लालफीताशाही, अफसरशाही एवं सरकारी तंत्र की शिथिलता। दूसरी सबसे बड़ी समस्या और चुनौती अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप तथा राज्य एवं केन्द्र के मध्य समायोजन का न होना है। यद्यपि समस्यायें एवं चुनौतियाँ और भी बहुत हैं परंतु सभी समस्याओं के मूल में शायद ये दो समस्यायें ही चुनौती के रूप में समायी हुई हैं। यदि हमें अपने देश को वास्तविक अर्थों में सशक्त एवं सक्षम रूप में समृद्ध करके विश्वगुरू के रूप में वैश्विक पटल पर स्थापित करना है तो हमें इन चुनौतियों का सामना करना होगा और सभी समस्याओं का निराकरण सार्थक दृष्टिकोण से तलाश करना होगा।

संदर्भ

1. दैनिक जागरण – विभिन्न अंक
2. अमर उजाला – विभिन्न अंक
3. www.india.gov.in – भारत का राष्ट्रीय पोर्टल
4. www.education.gov.in
5. India 2021 - Rajiv Mehrishi, Mc Graw Hill Publications, New Delhi

2

भारत में पूंजी बाजार - एक सैद्धान्तिक अध्ययन (अंशों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के विशेष संदर्भ में)

डॉ0 संजय कुमार बंसल
एसोसिऐट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग)
एन०आर०ई०सी० कॉलेज, खुर्जा

सारांश

वित्तीय बाजार के अंतर्गत मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार आते हैं। पूंजी बाजार मुख्यतः दो प्रकार का होता है– प्राथमिक बाजार एवं द्वितीयक बाजार। प्राथमिक पूंजी बाजार वह है जब बाजार में पूंजी को प्रथम बार निर्गमित किया जाता है। इसके अंतर्गत नई प्रतिभूतियों जैसे समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश, ऋणपत्रों आदि का नया निर्गमन किया जाता है। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (Initial Public Offer) अर्थात् आई. पी.ओ. कंपनियों को प्राथमिक बाजार के माध्यम से अंशों (Shares) की पेशकश करके पूंजी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं।

मुख्य शब्द

समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश, ऋणपत्र, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, प्राथमिक पूंजी बाजार, द्वितीयक पूंजी बाजार।

परिचय

वित्तीय बाजार के अंतर्गत मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार आते हैं। अल्पावधि के लिए पूंजी की आवश्यकता हेतु मुद्रा बाजार तथा दीर्घकालीन अवधि की आवश्यकता हेतु पूंजी बाजार होता है। पूंजी बाजार से तात्पर्य एक ऐसा बाजार है जहां पर पूंजी देने वाले, पूंजी लेने वालों को दीर्घकालीन अवधि की आवश्यकता हेतु पूंजी उपलब्ध कराते हैं। पूंजी बाजार में पूंजी की मांग के अनुरूप ही ब्याज की दर निर्धारित होती है। यह एक ऐसा बाजार है, जहां पर व्यक्ति एवं फर्मों को पूंजी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रपत्र जैसे अंश (Shares) व ऋणपत्र (Debentures) आदि जारी किए जाते हैं।

पूंजी बाजार मुख्यतः दो प्रकार का होता है– प्राथमिक बाजार एवं द्वितीयक बाजार। पूंजी बाजार में बचत एवं निवेश के माध्यम से, पूंजी देने वाले पूंजी की मांग करने वालों को दीर्घकालीन अवधि की आवश्यकता हेतु पूंजी प्रदान करते हैं। इस स्थान पर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रपत्रों को जारी करती है। पूंजी बाजार में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पूंजी जुटाने की व्यवस्था की जाती है। इसमें ऋण (Debt) तथा समता (Equity) दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों को खरीदा एवं बेचा जाता है। पूंजी बाजार में लोग इसलिए निवेश करते हैं जिससे अधिक रिटर्न प्राप्त किया जा सके। परंतु रिटर्न अधिक होने के साथ–साथ जोखिम भी बहुत अधिक होता है।

शोधपत्र की अनुसंधान क्रियाविधि

इस शोधपत्र हेतु एकत्र किये गये समंक व सूचना द्वितीयक समंक हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और अन्य वित्तीय वेबसाइटों से एकत्र किया गया है। समंक व सूचना संस्थानों और जनता को शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बारे में हैं। शोधपत्र का उद्देश्य भारत में पूंजी बाजार का एक सैद्धान्तिक अध्ययन करना है तथा भारत में अंशों/प्रतिभूतियों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के विशेष संदर्भ में अध्ययन करना है।

पूंजी बाजार के घटक अथवा कारक

पूंजी बाजार के मुख्यतः तीन घटक या कारक माने जाते हैं–

1. **बीमा –** बीमा के अंतर्गत बीमा कंपनी एक निश्चित प्रीमियम के भुगतान के बदले में किसी विशेष घटना के घटित होने पर मुआवजे की गारंटी देती है। यह विशेष घटना जैसे बीमारी, मृत्यु, आपदा या विशिष्ट प्रकार के उद्देश्य का पूरा होना होता है।

2. **म्युचुअल फंड –** म्युचुअल फंड में एक म्युचुअल फंड प्रबंधन कंपनी के द्वारा विभिन्न प्रकार के निवेश को छोटी–छोटी राशियों में एकत्र करके शेयर बाजार में शेयर, बांड आदि खरीद लिये जाते हैं। इसके अंतर्गत म्युचुअल फंड प्रबंधन कंपनी के द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से जो लाभ प्राप्त किया जाता है, उसको निवेशकों के मध्य निवेश राशि के अनुपात में बांट दिया जाता है। बांटने से पूर्व विभिन्न प्रकार के जो खर्चे अधिकतम सीमा तक मान्य है, वह घटा दिए जाते हैं।

3. प्रतिभूति – प्रतिभूति एक ऐसा प्रपत्र है जिसका एक मौद्रिक मूल्य होता है। प्रतिभूति बाजार में इस मौद्रिक मूल्य पर ही लेनदेन होता है।

पूंजी बाजार का मुख्य उद्देश्य

पूंजी बाजार का मुख्य कार्य निवेशक तथा बचतकर्ता के धन को पूंजी मांगकर्ता तक दीर्घकालीन अवधि की आवश्यकता हेतु उपलब्ध कराना है। पूंजी बाजार के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1. आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना।
2. प्रतिभूतियों (Securities) को व्यापारिक लेन–देन हेतु उपलब्ध कराना।
3. सूचना एवं लेनदेन की लागत को न्यूनतम करना।
4. पूंजी को प्रभावी ढंग से उपयोग लाने हेतु।
5. पूंजी की लगातार उपलब्धता कराना।
6. प्रपत्र की मांग एवं पूर्ति के अनुसार बाजार मूल्य निर्धारित करना।

पूंजी बाजार के प्रकार

पूंजी बाजार मुख्यतः दो प्रकार का होता है–

1. प्राथमिक पूंजी बाजार
2. द्वितीयक पूंजी बाजार

प्राथमिक पूंजी बाजार में पूंजी को प्रथम बार निर्गमन किया जाता है। इसके अंतर्गत नई प्रतिभूतियों जैसे समता शेयर, पूर्वाधिकारी शेयर, ऋणपत्र आदि का नया निर्गमन किया जाता है। प्राथमिक पूंजी बाजार में सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से पूंजी निर्माण का कार्य कंपनियों, सरकार एवं वित्तीय संस्थानों के द्वारा किया जाता है।

प्राथमिक निर्गमन के अंतर्गत सर्वप्रथम एक प्रोजेक्ट को जांचा एवं मूल्यांकन कराया जाता है। इसके लिए वित्तीय संस्थानों या पेशेवरों की मदद ली जाती है। प्रोजेक्ट की आरंभिक लागत के अनुरूप पूंजीपतियों को निर्गमन किया जाता है। एक नए निर्गमन के लिए अंडरराइटर्स की मदद ली जाती है जिससे कि निर्गमन सफलतापूर्वक हो सके। ये अंडरराइटर्स कंपनी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम अभिदान को पूरा करने की गारंटी देते हैं। यदि नये निर्गमन को जनता का समर्थन ना मिले और ऐसी स्थिति में नए शेयरों के लिए प्रार्थना पत्र कम मात्रा में आए, तब ऐसी स्थिति में अंडरराइटर्स के द्वारा इस नए निर्गमन की प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है। यदि अभिदान पूरा या अधिक हो जाए, ऐसी अवस्था में अंडरराइटर्स का दायित्व समाप्त हो जाता है।

द्वितीयक बाजार से तात्पर्य ऐसे बाजार से है जहां पर पूर्व में जारी की गई प्रतिभूतियों का व्यापारिक लेन–देन बाजार भाव पर होता है। यह वह स्थान है जहां पर प्रतिभूतियों को खरीदा बेचा जाता है और इस स्थान को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। निवेशकों के द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए मांग और पूर्ति के अनुरूप ही बाजार भाव निर्धारित होता है। व्यापारिक लेन–देन में सूचना का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सूचना के आधार पर निवेशक निवेश करते हैं और शीघ्र तरलता के कारण भी लोगों की विशेष रूचि इस बाजार में है। इस बाजार के माध्यम से किसी कंपनी की प्रतिभूति की साख निर्धारित होती है।

प्राथमिक बाजार का महत्वपूर्ण योगदान

प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक बाजार का एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसमें पूंजी प्राप्त करने के लिए सीधे निवेशक से संपर्क साधा जाता है और अंश, बांड, ऋणपत्र आदि जारी किए जाते हैं अर्थात् जब निवेशक प्रतिभूति सीधे कंपनी से खरीदता है तो उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं।

प्राथमिक बाजार की प्रक्रिया अर्थात् आई.पी.ओ. की प्रक्रिया

1. आई.पी.ओ. लाने वाली कंपनी एक प्रविवरण (Prospectus) जारी करती है जिसमें समस्त प्रकार की जानकारी जैसे कंपनी का नाम, पता, वित्तीय एवं प्रशासनिक सूचना का समावेश किया जाता है। इसमें वर्तमान पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य को लिखा जाता है। एक निवेशक को सब जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि वह निवेश करने के लिए प्रेरित हो सके एवं अपना निर्णय ले सके। इस विवरण पत्रिका अर्थात् प्रविवरण को भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रसारित किया जाता है। प्रस्ताव जो विवरण पत्रिका के माध्यम से सार्वजनिक जनता को किया जाता है, उसके लिये विभिन्न संस्थानों की मदद ली जाती है जैसे बैंकर्स, अंडरराइटर्स एवं रजिस्ट्रार। इन सभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आजकल इनकी कंपनी अधिनियम अधिनियम के अनुसार आवश्यक रूप से नियुक्ति की जाती है। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक डीमैट अकाउंट में आबंटन किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंज में इनको सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन भी किया जाता है।

2. निजी आवंटन के अंतर्गत कंपनियां अपने शेयरों को खरीदने के लिये कुछ विशिष्ट चयनित व्यक्तियों को आमंत्रित करती हैं जिससे कि कम लागत में शीघ्र ही पूंजी प्राप्त की जा सके।

3. अधिकार अंशों के निर्गमन में कंपनी अपने वर्तमान शेयर धारकों को इस अधिकार को प्रदान करती है कि वे नए निर्गमन के शेयरों को एक निर्दिष्ट मूल्य पर और एक निर्दिष्ट संख्या में प्राप्त कर सकें।

भारत में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों की भूमिका

आई.पी.ओ. कंपनियों को प्राथमिक बाजार के माध्यम से शेयरों की पेशकश करके पूंजी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। एक आई. पी.ओ. को कंपनी के संस्थापकों और शुरुआती निवेशकों के लिए एक निकास रणनीति के रूप में देखा जा सकता है जो अपने निजी निवेश से पूर्ण लाभ का एहसास करते हैं। एक आई.पी.ओ. एक कंपनी को सार्वजनिक निवेशकों से पूंजी जुटाने की अनुमति देता है। निजी से सार्वजनिक कंपनी में अंतरण निजी निवेशकों के लिए अपने निवेश से पूरी तरह से लाभ प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण समय हो सकता है। इसमें आम तौर पर मौजूदा निजी निवेशकों के लिए शेयर प्रीमियम शामिल होता है। आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी अपने शेयरों को आम जनता को बेचकर सार्वजनिक बन सकती है। यह एक नई, युवा कंपनी या पुरानी कंपनी हो सकती है जो किसी एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का निर्णय लेती है और इसलिए सार्वजनिक हो जाती है। कंपनियां आई.पी.ओ. की मदद से जनता को नए शेयर जारी करके इक्विटी पूंजी जुटा सकती हैं।

वर्ष 2021 में कुल प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव

वर्ष 2021 में कुल प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों की संख्या 52 है। निम्न तालिका 2021 में माहवार प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों की संख्या दिखा रही है–

तालिका 1

2021 में माहवार प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों की संख्या

माह	संख्या	माह	संख्या	माह	संख्या
जनवरी	2	मई	1	सितंबर	4
फरवरी	5	जून	3	अक्टूबर	2
मार्च	9	जुलाई	6	नवंबर	9
अप्रैल	2	अगस्त	9	कुल	52

स्रोत– www.moneycontrol.com

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि अधिकतम प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव मार्च, अगस्त और नवंबर के महीने में हैं।

तालिका 2

2021 में शीर्ष 5 लाभ प्रदर्शित करने वाले प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव

कंपनी का नाम	निर्गम तिथि	निर्गम मूल्य रुपये में	वर्तमान मूल्य रुपये में	लाभ प्रतिशत
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	01 अक्टूबर 2021	175	730.7	317.54
एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	15 मार्च 2021	575	2264.5	293.83
न्यूरेका लिमिटेड	25 फरवरी 2021	400	1517.9	279.48
लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	25 मार्च 2021	130	420.95	223.81
लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड	23 नवंबर 2021	197	622.35	215.91

स्रोत– www.moneycontrol.com

तालिका 3

2021 में शीर्ष 5 हानि प्रदर्शित करने वाले प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव

कंपनी का नाम	निर्गम तिथि	निर्गम मूल्य रुपये में	वर्तमान मूल्य रुपये में	हानि प्रतिशत
सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड	26 मार्च 2021	305	149.20	51.08
कारट्रेड टेक लिमिटेड	20 अगस्त 2021	1618	892.40	44.85
विंडलास बायोटेक लिमिटेड	16 अगस्त 2021	460	281.80	38.74
फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	12 नवंबर 2021	577	399.95	30.68
वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड	18 नवंबर 2021	2150	1604.5	25.37

स्रोत– www.moneycontrol.com

उपरोक्त तालिका 2 व 3 में 2021 में शीर्ष 5 लाभ प्रदर्शित करने वाले प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों तथा शीर्ष 5 हानि प्रदर्शित करने वाले प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया गया है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मामले में निवेशकों को अधिकतम लाभ 317.54 प्रतिशत रहा। सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड के मामले में निवेशकों को अधिकतम हानि 51.08 प्रतिशत रही।

प्रत्येक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में हमेशा लाभ होना ही आवश्यक नहीं है। कभी–कभी किसी इश्यू से निवेशक नुकसान में होता है या कभी–कभी निवेशक को लाभ मिलता है। बड़ी संख्या में बाजार सूचनायें निवेशकों को किसी विशेष कंपनी के बारे में निर्णय लेने में मदद करती हैं। लेकिन कभी–कभी अफवाहों के कारण भी निवेशक नुकसान उठा जाते हैं। यह बाजार में बनाई गई धारणा के कारण हो सकता है।

निष्कर्ष

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी भी आई.पी.ओ. की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि इस आई.पी.ओ. का निर्गमन समय काल क्या है, उस समय काल के अंतर्गत उस कंपनी के द्वारा जारी की गई प्रतिभूति की मांग क्या है और बाजार में मांग व पूर्ति में अंतर क्या है। इसके अतिरिक्त उस कंपनी का व्यवसाय क्या है, उस कंपनी के व्यवसाय के अनुरूप उसकी लाभप्रदता पर कितना प्रभाव होने की संभावना है, देश में राजनीतिक वातावरण क्या है, देश में आर्थिक पहलुओं पर सरकार का नजरिया क्या है इत्यादि; इन विभिन्न प्रकार के पहलुओं के अनुसार ही किसी भी आई.पी.ओ. का भविष्य तय होता है। भारत में आई.पी.ओ. बाजार में पूंजी को एकत्र करने की अभी भी बहुत बड़ी संभावनाएं नजर आती हैं।

संदर्भ

1. द इकोनॉमिक टाइम्स अखबार – विभिन्न अंक
2. विभिन्न समाचार पत्रों की वेबसाइट
3. फाइनेंशियल एक्सप्रेस – विभिन्न अंक
4. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट – www.nseindia.com
5. www.moneycontrol.com
6. अन्य विभिन्न वित्तीय वेबसाइट।

3

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका का एक मूल्यांकन -- प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों एवं प्रभुत्व के दुरुप्रयोग के विशेष संदर्भ में

डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता

एसोसिऐट प्रोफेसर (वाणिज्य संकाय)

साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद, उ०प्र०

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा 'प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों' एवं 'प्रभुत्व का दुरुपयोग' संबंधी मामलों पर किए जाने वाले नियंत्रण एवं नियमन का अध्ययन किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना का उद्देश्य ग्राहक, उद्योग जगत, सरकार व विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निरंतर संपर्क एवं सहयोग के माध्यम से एक बौद्धिक सघन संगठन के रूप में विकसित होकर पेशेवर, पारदर्शी एवं सुगमित नियंत्रण एवं न्यायप्रियता के माध्यम से भारत में एक स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण विकसित करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जांच एवं अनुसंधान की प्रक्रिया का अनुसरण करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग स्वतः संज्ञान के आधार पर; व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, संस्थाओं के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अथवा किसी वैधानिक संस्था, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संदर्भित मामलों पर अपनी राय प्रदान करता है तथा जांच की व्यवस्था करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग देश में प्रतिस्पर्धा वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय जैसे जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सतत् रूप से क्रियान्वित करता रहता है।

मुख्य शब्द

प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते, प्रभुत्व का दुरुपयोग, अनुचित प्रतिस्पर्धा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002।

प्रतिस्पर्धा कुशलता को विकसित करती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पादकों, विक्रेताओं को निरंतर उत्पादन विकास, नवोन्मेष इत्यादि की प्रेरणा देकर अंततोगत्वा ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं का ही फायदा करती है।

अनुचित प्रतिस्पर्धा से आशय

अनुचित एवं गुप्त रूप से कीमत निर्धारण, जानबूझकर कीमत वृद्धि के उद्देश्य से उत्पादन में कमी, नए व्यवसायियों के प्रवेश पर अनुचित रूप से रोक या बाधाएं सृजित करना, बाजार का आवंटन करना, सशर्त विक्रय, अत्यधिक सस्ती कीमत पर उत्पाद को बेचना, मूल्य विभेद इत्यादि करना; यह सब अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) के द्वारा 'प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों' एवं 'प्रभुत्व का दुरुपयोग' संबंधी मामलों पर किए जाने वाले नियंत्रण एवं नियमन का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र की परिधि से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संक्षिप्त रुप में सी.सी.आई.) द्वारा 'व्यवसायिक संयोजनों पर नियंत्रण' को बाहर रखा गया है।

समंक संग्रहण

प्रस्तुत शोध पत्र में समंकों एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण करने हेतु द्वितीयक समंकों एवं सूचनाओं का प्रयोग किया गया है। इस हेतु मुख्य रूप से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अधिकृत वेबसाइट एवं अन्य सरकारी वेबसाईटों पर उपलब्ध सूचना को आधार बनाया गया है। प्रतिस्पर्धा आयोग के विगत कुछ वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदनों का अध्ययन भी इस शोध पत्र के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है। समंक विश्लेषण हेतु 5 साल की समयावधि 2015–16 से 2019–20 का प्रयोग किया गया है। विश्लेषण हेतु सारणीयन इत्यादि विधियों का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना,
- अनुचित प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते एवं प्रभुत्व का दुरुपयोग आदि का सैद्धांतिक अर्थ जानना,
- प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते एवं प्रभुत्व का दुरुपयोग के संदर्भ में की जाने वाली कार्यवाही का अध्ययन करना,

- प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते एवं प्रभुत्व का दुरुपयोग के संदर्भ में पिछले 5 वर्षों की गतिविधियों का आकलन करना।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002

भारतीय बाजार में एकाधिकारात्मक प्रवृत्तियों/शक्तियों को पनपने एवं इन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु 1969 में एकाधिकारात्मक एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act 1969) लागू किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि देश में आर्थिक सत्ता का केंद्रीयकरण ना हो व एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रवृत्तियां एवं अनुचित व्यापार व्यवहार नियंत्रित एवं नियमित रहें।

परन्तु 1991 में भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत के बाद से ही यह महसूस किया जाने लगा कि एम.आर.टी.पी. एक्ट 1969 ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। समय की मांग थी कि एक सशक्त एवं आधुनिक प्रतिस्पर्धा अधिनियम भारत में होना चाहिए।

1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने बजट भाषण में नए प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाने हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की। इस हेतु श्री राघवन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने 22 मई 2000 को अपनी रिपोर्ट पेश करी। इस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ही संसद में प्रतिस्पर्धा बिल 2001 पेश किया गया जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के रुप में हमारे सामने विद्यमान है।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

- प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों एवं समझौतों पर रोक,
- बाजारों में प्रतिस्पर्धा सृजित करने एवं विकसित करने हेतु आवश्यक उपाय करना,
- उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करना,
- स्वतंत्र व्यापार व्यवहार को प्रोत्साहित करना।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 3 में प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों का वर्णन किया गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 में प्रभुत्व का दुरुपयोग संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 7 के अंतर्गत की गई है। इसी अधीनियम की धारा 8 के अनुसार केंद्र सरकार प्रतिस्पर्धा आयोग का निर्माण करती है तथा इसके चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति करती है। नियुक्त सदस्यों की संख्या 2 से 6 तक हो सकती है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना का उद्देश्य ग्राहक, उद्योग जगत, सरकार व विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निरंतर संपर्क एवं सहयोग के माध्यम से एक बौद्धिक सघन संगठन के रूप में विकसित होकर पेशेवर, पारदर्शी एवं सुगमित नियंत्रण एवं न्यायप्रियता के माध्यम से भारत में एक स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण विकसित करना है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को केंद्र सरकार द्वारा की गई। इस आयोग की स्थापना भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं–

- प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों का नियमन करना,
- प्रभुत्व के दुरुपयोग पर रोक लगाना,
- संविलियनों का नियमितीकरण एवं नियंत्रीकरण करना।

उपरोक्त कार्यों हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जांच एवं अनुसंधान की प्रक्रिया का अनुसरण करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग स्वतः संज्ञान के आधार पर; व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, संस्थाओं के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अथवा किसी वैधानिक संस्था, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संदर्भित मामलों पर अपनी राय प्रदान करता है तथा जांच की व्यवस्था करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग देश में प्रतिस्पर्धा वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय जैसे जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सतत् रूप से क्रियान्वित करता रहता है।

केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत आयोग की सहायता के लिए की जाती है। धारा 26(1) के अनुसार यदि प्रतिस्पर्धा आयोग को प्रथम दृष्टया लगता है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन बनता है तो मामला डायरेक्टर जनरल को निर्देशित कर दिया जाता है। धारा 26(2) के अनुसार के अनुसार अगर प्रतिस्पर्धा आयोग को लगता है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता तो मामले को निरस्त कर दिया जाता है और यथोचित आदेश पारित कर दिया जाता है।

प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते

प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते ऐसे समझौते हैं जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं के बाज़ार में प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। प्रतिस्पर्धा रोगी समझौतों में निम्न को शामिल किया जा सकता है–

- उत्पादन एवं विक्रय को सीमित करने हेतु समझौता,
- बाजार आवंटन हेतु समझौता,
- कीमत निर्धारण हेतु ठहराव,
- बोली में हेराफेरी हेतु ठहराव,
- कपट पूर्ण बोली,
- सशर्त विक्रय,
- पूर्ति/वितरण हेतु विशेष अधिकार प्रदान कर देना,
- पुनः विक्रय कीमत निर्धारण,
- सौदा करने से इनकार हेतु अनुबंध इत्यादि।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जांच एवं अनुसंधान की प्रक्रिया के माध्यम से यह निश्चित करेगा कि अमुक समझौता प्रतिस्पर्धा रोधी है या नहीं।

प्रभुत्व का दुरुपयोग

प्रभुत्व से आशय किसी संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धी फर्मों या बाजार दशाओं को नकार कर स्वतंत्र रूप से उत्पादन/विक्रय करने की ताकत का सृजन कर अपने ही हित हेतु इसका प्रयोग करना है। प्रभुत्व का दुरुपयोग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बाधित करता है। प्रभुत्व के दुरुपयोग में निम्न को शामिल किया जा सकता है–

- कीमतों एवं विक्रय पर अनुचित शर्तें लगाना,
- अत्यंत सस्ते दर पर कीमत निर्धारण,
- उत्पादन/बाजार/उत्पादन तकनीकों को सीमित करना,
- नयी फर्मों के प्रवेश पर रोक लगाना,
- अनुचित शर्तें थोपना,
- बाजार पहुंच पर रोक लगाना,
- प्रभुत्व प्रयोग करके विभिन्न बाजारों के माध्यम से अनुचित लाभ कमाना इत्यादि।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जांच एवं अनुसंधान की प्रक्रिया के माध्यम से यह निश्चित करेगा कि अमुक समझौता प्रभुत्व का दुरुपयोग है या नहीं। कुछ समझौते प्रतिस्पर्धा रोधी एवं प्रभुत्व का दुरुपयोग दोनों ही प्रकार के माने जाते हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य विधि

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग स्वतः संज्ञान के आधार पर; व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, संस्थाओं के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अथवा किसी वैधानिक संस्था, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संदर्भित मामलों पर प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन लगने पर; अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त डायरेक्टर जनरल को इस मामले की जांच एवं विचार हेतु संदर्भित कर देता है।
- डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट आने तक संबंधित पक्षकारों की संशयपूर्ण प्रतिस्पर्धा रोधी/प्रभुत्व दुरुपयोग या संविलियन गतिविधि पर आयोग अंतरिम आदेश देकर रोक लगा सकता है।
- डायरेक्टर जनरल की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित पक्षकारों को यह रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाती है। अगर रिपोर्ट में कोई भी उल्लंघन नहीं पाया जाता है तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग संबंधित पक्षकारों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा।
- आपत्तियां प्राप्त होने पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आवश्यक जांच उपरांत डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट स्वीकार कर सकता है या उसको आगे जांच हेतु निर्देशित कर सकता है या खुद भी जांच कर सकता है।
- आवश्यक जांच उपरांत आयोग निश्चित करेगा कि यह प्रतिस्पर्धा रोधी समझौता है या प्रभुत्व दुरुप्रयोग है या दोनों है तथा वह आवश्यक आदेश पारित करेगा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दिए जाने वाले आदेश

- **अंतरिम आदेश–** आयोग डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट आने तक सम्बंधित पक्षकारों की संशयपूर्ण प्रतिस्पर्धा रोधी/प्रभुत्व दुरुपयोग या संविलियन गतिविधि पर अंतरिम आदेश देकर रोक लगा सकता है।
- **जुर्माना लगाना–** जांच उपरान्त दोषी पाए जाने पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जुर्माना लगा सकता है। यह जुर्माना दोषी फर्म पर पिछले 3 वित्तीय वर्षों की औसत बिक्री के 10 प्रतिशत तक हो सकता है। समूह या कार्टेल की दशा में कार्टेल के प्रत्येक सदस्य पर कार्टेल अवधि के लाभों के 3 गुना तक या कार्टेल अवधि के विक्रय का 10 प्रतिशत तक; जो भी अधिक हो; जुर्माना लगा सकता है।

- **चेतावनी जारी करना–** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अपराधी पाई गई फर्म को आगे प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते एवं प्रभुत्व का दुरुपयोग करने से मना कर सकता है व चेतावनी जारी कर सकता है। साथ ही प्रभावी प्रभुत्व को समाप्त करने हेतु क्रियाओं के विभाजन का आदेश भी पारित कर सकता है।

प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकार

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 27 के अनुसार प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते को खत्म कर देना, समझौते को दोबारा करने का आदेश देना, प्रभुत्व के दुरुपयोग संबंधी समझौते को खत्म कर देना, जुर्माना लगाना, किए गए समझौतों को संशोधित करने का आदेश देना, यथोचित आदेश देना इत्यादि।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 28 के अनुसार प्रभुत्व के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए संस्था के विभाजन करने का आदेश देना।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 42 के अनुसार आयोग के आदेशों का पालन करने में विफल रहने पर जुर्माने एवं सजा का आदेश देना।

प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते एवं प्रभुत्व का दुरुपयोग के संदर्भ में पिछले 5 वर्षों की गतिविधियां

प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते एवं प्रभुत्व का दुरुपयोग के संदर्भ में पिछले 5 वर्षों की गतिविधियों की जानकारी हेतु तालिका 1 से तालिका 5 शोध पत्र के अंत में प्रस्तुत की गयी हैं। इन तालिकाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

- तालिका एक में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा में बाधा के कुल मामलों से संबंधित विवरणों को दर्शाया गया है। यह तालिका वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक के सी.सी.आई. के संज्ञान में आए प्रतिस्पर्धा में बाधक कुल मामलों की संख्या, प्रथम दृष्टया पारित किये गए अंतरिम आदेशों की संख्या, डायरेक्टर जनरल द्वारा पूरी की गई जांच की संख्या, सी.सी.आई. द्वारा अंतिम रूप से पारित आदेशों की संख्या तथा लगाए गए जुर्माने की राशि को व्यक्त करती है। सी.सी.आई. की उत्तम कार्य प्रणाली के फलस्वरुप संज्ञान में आए मामलों की संख्या 2015–16 में 121 से निरंतर घटती हुई 2019–20 में 60 तक पहुंच गई है।

- तालिका दो सी.सी.आई. के समक्ष प्रतिस्पर्धा में बाधा के मामले अर्थात् प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते एवं प्रभुत्व के दुरुपयोग के संबंध में वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान संज्ञान में आए कुल मामलों की संख्या तथा वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल मामलों की संख्या तथा वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या व्यक्त करती है। वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या 2015–16 में 34 से घटकर 2019–20 में 26 तक पहुंच गई है।

- तालिका तीन सी.सी.आई. के संज्ञान में आये कुल मामलों का वर्गीकरण सी.सी.आई. द्वारा स्वतः संज्ञान, प्राप्त सूचनाओं व प्राप्त संदर्भित मामलों के आधार पर दर्शाती है। तालिका दर्शाती है कि सर्वाधिक मामले सी.सी.आई. को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मिले हैं। ये सूचनायें सी. सी.आई. को व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, संस्थाओं इत्यादि के द्वारा प्राप्त होती हैं।

- तालिका चार में वर्ष में निपटाए गए कुल मामलों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर दर्शाया गया है। प्रथम दृष्टया ही मामला खारिज कर देना व प्रथम दृष्टया जाँच हेतु डायरेक्टर जनरल को अग्रसारित कर देना; के आधार पर मामले वर्गीकृत किए गए हैं।

- तालिका 5 में जांच उपरांत दिए गए अंतिम आदेशों की संख्या को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करके दिखाया गया है। वर्गीकरण निम्न आधारों पर करा गया है– प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उल्लंघन पाया गया तथा अंतरिम राहत प्रदान की गयी।

निष्कर्ष

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अपने विभिन्न कार्यों द्वारा, गतिविधियों द्वारा 'प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों', 'प्रभुत्व का दुरुपयोग' एवं 'व्यवसायिक संयोजनों' पर नियंत्रण के द्वारा भारतीय बाजार को प्रतिस्पर्धी, नवोन्मेष–मुखी तथा उपभोक्ता बाजार बनाने हेतु पर्याप्त स्तर तक सफल रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के शिकंजे से विश्व विख्यात कंपनियां गूगल इत्यादि भी नहीं बच पाये हैं। आवश्यकता तो है इस बात की; कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों को मुख्यतया जुर्माने एवं सजा संबंधित प्रावधानों को और अधिक कड़ा किया जाना चाहिए ताकि दोषी व्यक्ति/फर्म या कंपनी पुनः भारत के प्रतिस्पर्धी बाजार को अपनी अनुचित गतिविधियों के द्वारा भंग अथवा दूषित करने की कोशिश ना कर पाएं।

संदर्भ

1. www.cci.gov.in – भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अधिकृत वेबसाइट
2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन– विभिन्न अंक
3. प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002
4. एकाधिकारात्मक एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969

तालिका 1

प्रतिस्पर्धा में बाधा के कुल मामलों के विभिन्न विवरण

वर्ष	प्रतिस्पर्धा में बाधा के मामले संज्ञान में आये	प्रथम दृष्टया अंतरिम आदेश पारित किये गए	डायरेक्टर जनरल द्वारा पूरी की गयी जांच	प्रतिस्पर्धा में बाधा के मामलों में अंतिम आदेश पारित किये गए	जुर्माना लगाया गया (करोड़ रूपए)
2015–16	121	119	32	127	1502
2016–17	161	167	23	78	288
2017–18	72	74	36	72	437
2018–19	68	65	51	90	358
2019–20	60	54	37	93	451

स्रोत– भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन – विभिन्न अंक

तालिका 2

प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते व प्रभुत्व के दुरुपयोग के मामले

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
वर्ष के प्रारंभ में लंबित	33	34	27	22	20
वर्ष के दौरान संज्ञान में आये कुल मामले	121	161	72	68	60
वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल मामले	120	168	77	70	54
वर्ष के अंत में लंबित	34	27	22	20	26

स्रोत– भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन – विभिन्न अंक

तालिका 3

वर्ष के दौरान संज्ञान में आये कुल मामलों के प्रकार

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
सी.सी.आई द्वारा स्वतः संज्ञान के आधार पर	01	73	03	05	04
प्राप्त सूचनाओं के आधार पर	117	84	67	55	51
प्राप्त संदर्भित मामले	03	04	02	08	05
कुल	121	161	72	68	60

स्रोत– भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन – विभिन्न अंक

तालिका 4

वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल मामलों के प्रकार

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
प्रथम दृष्टया आधार पर ही मामले खारिज़ कर दिए गए	97	68	54	48	34
प्रथम दृष्टया आधार पर जाँच हेतु डायरेक्टर जनरल को अग्रसारित	23	100	23	22	20
कुल	120	168	77	70	54

स्रोत– भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन – विभिन्न अंक

तालिका 5

जांच उपरांत मामलों के प्रकार

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया	17	04	06	24	49
प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उल्लंघन पाया गया	14	07	12	21	10
अंतरिम राहत प्रदान की गयी	03	01	01	03	01
कुल	34	12	19	48	60

स्रोत– भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन – विभिन्न अंक

4

एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत

डॉ0 अंकुर सिंह
असिस्टैंट प्रोफेसर (शिक्षक शिक्षा विभाग)
दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर

सारांश

हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में भारत को वैश्विक शक्ति का दर्जा दिया है। अमेरिका का मानना है कि भारत अब बदल रहा है और कई मंचों पर इसका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, इसलिये भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिये। विदेश नीति के मामले में भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल यह नहीं है कि अपने पड़ोसियों तथा आसियान एवं पश्चिम एशिया सहित अन्य देशों के साथ सामंजस्य किस प्रकार बनाए रखा जाए, बल्कि विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना भी एक चुनौती है। लेकिन बड़े भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक एवं सैन्य शक्ति, मानव संसाधन तथा रणनीतिक लाभ के चलते अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर चीन के विरोध के बावजूद भारत ऐसी भूमिका में आ गया है, जहाँ उसे वैश्विक महाशक्ति स्वीकार करने की औपचारिकता ही शेष रह गई है।

मुख्य शब्द

विदेश नीति, वैश्विक शक्ति, आसियान, मानव संसाधन, रणनीतिक लाभ।

भारत एक सशक्त नई उभरती हुई शक्ति

वर्तमान समय में समस्त भूमण्डल (देशों) के अर्थशास्त्री भारत को एक सशक्त नई उभरती हुई शक्ति तथा अर्थव्यवस्था मान रहें हैं। सदियों की गुलामी के उपरांत अपने आर्थिक ढांचे में मूलभूत सुधार कर विकसित देशों को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से टक्कर देते हुए एक महाशक्ति के रूप में उदयीमान भारत की यह राह बिलकुल भी आसान नहीं थी।

भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नीतियां अपनाईं, चाहे वो राष्ट्रीयकरण की हो, हरित क्रांति, उदारीकरण एवं निजीकरण के विषय हों या फिर शीतयुद्ध काल में गुटनिरपेक्षता के रूप में विश्व शांति व राष्ट्र प्रगति के विषय को केंद्रित करने की चाह ने आज वर्तमान भारत को एक तेजी से उभरती हुई सुपर पावर के रूप में स्थापित किया है।

यह बात अलग है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के निर्णयों को देरी से किया हो, मगर सोच समझकर उठाए गए इन कदमों की बदौलत ही आज भारत ने विश्व की दूसरी बड़ी आबादी के विकास के साथ–साथ इसे एक समस्या न समझकर विकास का हथियार बनाकर अधिक उत्पादन तथा कम लागत मजदूरी की नीति के चलते विकास के नए प्रतिमान एवं आयामों को स्थापित करने में सफलता अर्जित की है।

30 वर्ष पूर्व तक भारत सुरक्षा, तकनीक तथा कई अन्य विषयों पर विदेशी आर्थिक सहायता तथा आयात के लिए शोचनीय दशा में था। मगर वर्तमान भारत ने इसी समय पिछड़े व विकासशील देशों के नेता व ईमानदार हितैषी एवं परामर्शदाता की भूमिका का भलीभांति निर्वहन किया था। इसी के चलते भारत को इन देशों ने अपना प्रतिद्वंदी न समझते हुए परममित्र के रूप में समझा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों एवं शक्तिशाली अमेरिका के साथ भारत के सुदृढ़ रिश्ते बनाने को सार्थक पहल की है। इस कारण चीन सहित अन्य प्रतिद्वंदी राष्ट्र चिंतित हैं। भारत में विदेशी प्रतिष्ठानों को निवेश करने से किंचित मात्र भी भय नहीं रहता है, क्योंकि भारत वो महाशक्ति है, जहाँ विश्व के सभी राष्ट्र आर्थिक मंडी से गुजर रहे हैं। भारत अपनी विकास दर के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। इन्ही नीतियों के सकारात्मक परिणामों की बदौलत भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में उभर रहा है। वर्तमान में चीन ही भारत का प्रतिद्वंदी नजर आ रहा है। भविष्य में भारत को विकास, तकनीक, सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर चीनी लोगों से मुकाबला होना संभावित है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य के बतौर देखा जा रहा है। भारत में उदारीकरण अर्थात् विश्व के लिए ''ओपन डोर'' की नीति 1990 के दशक में अपनायी थी। चीन ने भारत से एक दशक पूर्व इसे अपनाया था, जिसका लाभ इन्हें मिल सका। शीर्ष विकासशील देशों की सूची में चीन की सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) विकास दर 6.7 प्रतिशत के साथ पन्द्रहवें स्थान पर हैं, जबकि भारत की जी0डी0पी0 विकास दर लगभग 7.5 प्रतिशत है। 2050 तक भारत इसी गति से चला तो आस–पास कोई भी देश नजर नही आएगा।

विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं

क्रम संख्या	देश का नाम	विकास दर
1	लीबिया	5.51
2	इथोपिया	8.5
3	वियतनाम	7.7
4	आइवरी कोस्ट	7.632
5	भारत	7.499
6	ईराक	7.234
7	मलेशिया	7.21
8	बांग्लादेश	7.1
9	जिबूती	7
10	कंबोडिया	6.947
11	लाओस	6.907
12	सेनेगल	6.801
13	नेपाल	6.8
14	मकाउ	6.765
15	चीन	6.7

स्रोत– विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी वेबसाइटें –कोरोना पूर्व ऑकड़े

अब दूसरी तरफ 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक राष्ट्र है। भारत ने वर्तमान में विकास दर के नवीनतम रिकार्ड स्थापित किये हैं। भारत विजन 2020 इस दिशा में अहम पहल है। वास्तव में वर्तमान में भारत ऐसे दौर से गुजर रहा है, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। निर्यात की क्षमता रखने वाले देशों में भारत अग्रणी राष्ट्र है। हाल ही के वर्षों में हमने सूचना प्रोद्यौगिकी, दूरसंचार और व्यापार आउटसोर्सिंग के क्षेत्र के एक बड़ी छलांग लगाई है। अब इसमें कोई शक की गुंजाईश नहीं कि भारत एक सशक्त नई उभरती हुई शक्ति के बतौर पहचाना जा रहा है।

रूस, अमेरिका एवं फ्रांस जैसे राष्ट्रों के साथ भारत के व्यापारिक समझौतों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है। आज के वैश्विक परिदृश्य में भारत बड़े राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होने वाला देश बन चुका है। आज कोई भी राष्ट्र चाहे वो दुश्मन हो या पडोसी या फिर अन्य द्वीपों के राष्ट्र; भारत की अवहेलना नहीं कर सकते।

वैश्विक शक्ति बनने की राह में भारत के समक्ष चुनौतियाँ

विदेश नीति की चुनौतियाँ

वैसे विदेश नीति के बारे में माना जाता है कि यह लगभग स्थायी होती है क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखकर तय किया जाता है। यह भी माना जाता है कि सरकारें बदलने के साथ विदेश नीति प्रायः नहीं बदलती, लेकिन वैश्विक भू–राजनीतिक परिस्थितियों तथा आंतरिक राजनीति में परिवर्तन होने के कारण विदेश नीतियों में आंशिक परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता ठीक नहीं

चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिये अमेरिका को एशिया–प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग की अपनी रणनीतिक योजना के अनुरूप भारत का सहयोग मिल रहा है। लेकिन अमेरिका कभी भी भारत का विश्वसनीय सहयोगी नहीं रहा है और आज भी इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि बदलती दुनिया में विशेष रूप से प्रमुख शक्तियों के बीच नए द्विपक्षीय समीकरण बन सकते हैं,

जिनका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार, वर्तमान में जारी संघर्षों या धीमे–धीमे सुलग रहे टकरावों पर प्रभाव सकारात्मक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। भारत को वैश्विक पटल पर प्रासंगिक बने रहने के लिये इन जोखिमों को समझ कर अपना रुख तय करना होगा।

पड़ोसी देशों के साथ विदेश नीति

भारत की विदेश नीति को सबसे बड़ी चुनौती उसके पडोसी देशों से ही मिलती रही है। अतः भारत को 'इंडिया फर्स्ट' और अपने 'पड़ोस' को केंद्र में रखकर अपनी विदेश नीति को आकार देना पड़ता है।

भारत के पड़ोस में अस्थिरता बहुत है। पाकिस्तान लगभग असफल राष्ट्र होने के कगार पर है और नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता हमारी चिंता का एक बड़ा कारण है। म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका से हमारे संबंध इन देशों में सरकारें बदलने के साथ बनते–बिगड़ते रहते हैं। चीन की अपनी अलग क्षेत्रीय दादागिरी है, जिसे भारत न चाहते हुए भी बर्दाश्त करने को विवश है। सार्क में भूटान एक मात्र ऐसा देश है, जिसके साथ हमारे संबंध मधुर बने रहते हैं।

चीन का बढ़ता प्रभाव

हमारे पास–पड़ोस में चीन का बढ़ता प्रभाव सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान का दोस्त बना रहा है और वैश्विक चिंताओं को नजरअंदाज कर हर परिस्थिति में उसका साथ निभाता रहा है। चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' रणनीति, चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना और बेल्ट; एंड रोड परियोजनाओं के लिये सटीक बैठती है। इससे चीन का प्रभाव और भी आगे तक चला जाता है, जो रणनीतिक रूप से भारत के लिये असहज हो सकता है। चीन ने नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंध और भी मजबूत किये हैं। इसका मुकाबला करने के लिये हमें क्षेत्र में हितधारकों को उसी प्रकार का, लेकिन और भी आकर्षक तथा व्यावहारिक प्रोत्साहन देना होगा।

भारत और चीन की तुलना

❖ भारत और चीन दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाएँ हैं, लेकिन दोनों ही देश अलग–अलग विकास पथ का अनुसरण कर रहे हैं।

❖ जहाँ चीन विनिर्मित वस्तुओं का एक बड़ा निर्यातक देश है, वहीं भारत ने सेवाओं के निर्यात में वैश्विक प्रतिष्ठा हासिल की है।

❖ भारत में 'उत्पादन वृद्धि' और 'रोजगार वृद्धि' में विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है।

❖ विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का अपेक्षाकृत बड़ा आकार इस बात का परिचायक है कि भारत और पश्चिमी देशों के आर्थिक विकास परिदृश्य में काफी समानताएँ हैं। लेकिन यह भी सच है कि भारत का आर्थिक विकास इसके स्थापित मानदंडों के सापेक्ष नहीं है।

❖ भारत को वैश्विक महाशक्ति बनना है तो विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों के समान विकास के लिये अवसर प्रदान करने होंगे।

पुरानी दोस्ती को बचाना और नए दोस्त बनाना

विभिन्न देशों की विदेश नीतियों के रणनीतिक उद्देश्य तथा भौगोलिक निर्देश किसी अन्य देश की विदेश नीति को मुख्यतः परिभाषित करते हैं। लेकिन फिर भी विदेश नीति में निरंतर छोटे–मोटे बदलाव होते रहते हैं और इसे घरेलू बाध्यताओं तथा वैश्विक संपर्क की संभावनाओं एवं क्षमताओं के अनुसार और भी दुरुस्त किया जाता है ताकि राष्ट्रीय हितों को तत्कालीन सरकार की धारणा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीके से साधा जा सके। ऐसे में विदेश नीति की एक बड़ी चुनौती पुराने मित्र देशों को साथ जोड़े रखना और तेजी से बदल रही इस दुनिया में नए देशों को अपने साथ जोड़ने की भी है।

रूस के साथ हमारे संबंध और चीन–पाकिस्तान की चुनौती

रूस हमारा पुराना मित्र देश है और उसने इस मित्रता को समय आने पर साबित भी किया है। कुछ समय पहले तक भारत में यह माना जाता था कि चीन और पाकिस्तान के साथ रूस की निकटता होना आसान नहीं है। लेकिन इधर कुछ समय से अमेरिका के साथ हमारी बढ़ती निकटता के कारण रूस हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। यह भारत के लिये एक चुनौती तो है ही, साथ ही चिंता का कारण भी है। चीन मौका पाते ही रूस जैसे भारत के पारंपरिक सहयोगी के साथ संबंध बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। इन दोनों देशों की सेंधमारी के बाद अब इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि भारत–रूस संबध केवल भावनाओं के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन रूस के साथ हमारे आर्थिक–सामरिक और रक्षा संबंध बेहद मजबूत हैं और भारत इसके लिये अब भी उसके सबसे बड़े बाजारों में से एक है। लेकिन हमें रूस के साथ अपने संबंधों की मजबूती बहाल करने के लिये नए सिरे से प्रयास करने होंगे। यदि रूस के साथ कहीं भी विश्वास की कमी और गलतफहमी है तो कूटनीतिक संकेतों के बजाय सीधे रूसी नेतृत्व से बात कर उसे दूर करना होगा।

वैश्विक महाशक्ति बनने की राह में अन्य प्रमुख चुनौतियाँ

वैश्विक मंचों पर बढ़ रही भारत की स्वीकार्यता महाशक्ति कहलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा भारत–अमेरिका–जापान त्रिपक्षीय संवाद के साथ संपर्क और भी बढ़ाना चाहिये और समान क्षेत्रीय उद्देश्यों वाले समूह में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर संपर्क को और

बढ़ाया जाए। इसके अलावा कुछ घरेलू चुनौतियाँ भी हैं, जिनसे पार पाए बिना वैश्विक महाशक्ति का दर्जा हासिल करना हमारे लिये आसान नहीं होगा। ऐसे में अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता और उसके सहयोग से वैश्विक पटल पर महाशक्ति कहलाने के भ्रम में न पड़ते हुए भारत को अपनी उन घरेलू कमजोरियों को दूर करना होगा, जो इस राह में प्रमुख बाधा बन सकती हैं।

घरेलू चुनौतियों से निपटना भी जरूरी

- ❖ अगर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है तो घरेलू चुनौतियों से हर हाल में पार पाना होगा।
- ❖ भारतीय उद्योगों, उद्यमियों और निवेशकों को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की बाधाओं को पहचानना होगा।
- ❖ दहाई अंकों में विकास दर हासिल करने के लिये विकास कार्यों को रफ्तार देनी होगी।
- ❖ बड़ी–छोटी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना होगा, जो सबसे बड़ी चुनौती है।
- ❖ आर्थिक भविष्य को सुदृढ़ करने और 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिये अगले 20 सालों तक जी0डी0पी0 की दर को नौ प्रतिशत बनाए रखना होगा।

वित्तीय उद्देश्यों में संतुलन और नीतियों का कार्यान्वयन

वैश्विक महाशक्ति कहलाने के लिये किसी भी देश को अपने वित्तीय उद्देश्यों में उचित संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। करों और जी0डी0पी0 के अनुपात को बढ़ाने के लिये वित्तीय घाटे को कम करना होगा ताकि राज्यों को अधिक मदद दी जा सके, लाभ को सीधे खाते में दिया जा सके और अवसंरचना पर पैसा खर्च किया जा सके। नीतियों के कार्यान्वयन तथा सहयोग और प्रतिद्वंदिता की प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल करना महत्त्वपूर्ण है। यदि राज्यों के बीच विदेशी निवेश को लेकर स्वस्थ प्रतिद्वंदिता हो, तो इससे कारोबारी माहौल बेहतर हो सकता है। जब विभिन्न मदों में किया गया धन आवंटन विकास में योगदान देता है तो चहुँमुखी प्रगति होती है, जो वैश्विक मंच पर मजबूत दिखने की पहली अनिवार्य शर्त मानी जाती है।

आर्थिक विकास की कमजोर सामाजिक पहुँच

आर्थिक उदारीकरण के लगभग 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुँच पाया है, जो तीव्र आर्थिक विकास के लिये बेहद आवश्यक है। अभी भी भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे आधारभूत सामाजिक परिणामों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। इन सभी परिणामों का समावेशी होना नागरिकों के पूर्ण विकास के साथ–साथ बेहतर जीवन यापन हेतु आवश्यक सभी प्रकार की बुनियादी जरूरतों के संदर्भ में बेहद आवश्यक है। पिछले कुछ समय से भारत के आर्थिक विकास में आई कमी का कारण वैश्विक आर्थिक संकट बताया जा रहा है, लेकिन विकास दर को बनाए रखने में विफलता का एक बड़ा कारण प्रतिभाओं का समुचित इस्तेमाल न होना और कुशल श्रम की कमी भी है। कोई भी देश अपनी विकास दर को तभी बनाए रख सकता है, जब आधारभूत उद्योगों के सभी मानकों पर उसके प्रदर्शन में निरंतरता बनी रहे।

शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियां

देश में शिक्षा व्यवस्था की पहली बड़ी चुनौती है, उसमें कौशल विकास का अभाव होना। उत्कृष्ट संस्थानों से हर साल निकलने वाले लाखों छात्रों में कौशल की बेहद कमी है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बेहद कमजोर माना जाता है। अगले दो दशकों तक कुशल श्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिये लगभग 70 लाख लोगों को विशिष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। पारंपरिक शिक्षा नीतियों के साथ ऐसा करना संभव नहीं होगा।

नवाचार को प्रोत्साहन

पारंपरिक व सीधे रास्ते से भारत की अर्थव्यवस्था उस तेजी से नहीं बढ़ सकती, जिसकी अपेक्षा और आवश्यकता वैश्विक महाशक्ति कहलाने के लिये आवश्यक मानी जाती है। इसके लिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को उत्पादकता और निवेश बढ़ाने के लिये नवाचार को अपनाना होगा और इसके लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवश्यक होगा, जो तकनीकी विकास और लगातार नवाचार को बढ़ावा देगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत नवाचार व शोध को मजबूती से आगे बढ़ाए बिना ऐसी जी0डी0पी0 दर को हासिल नहीं कर पाएगा। इसके लिये अगले दो दशक तक शोध एवं विकास में कुल जी0डी0पी0 के वर्तमान में खर्च हो रहे 0.8 प्रतिशत की तुलना में 2.4 प्रतिशत राशि खर्च करने की जरूरत होगी।

हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना जरूरी

भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, और यह भी उतना ही सत्य है कि हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हुए बिना कोई भी देश वैश्विक महाशक्ति होने का दावा नहीं कर सकता। अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी महाशक्ति हथियारों की अपनी तकनीक किसी भी देश से साझा नहीं करती। वैसे रक्षा अर्थशास्त्र का एक बुनियादी नियम यह है कि किसी हथियार या रक्षा उत्पाद को बनाना उसे खरीदने से ज्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए हथियार को विकसित करना तभी ठीक रहता है, जब वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आने से पहले आपकी सेना के पास आ जाए। देश की नई रक्षा नीति में सेना, डीआरडीओ, सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग के जरिये अनुसंधान एवं विकास में प्रयास करने की पहल की गयी है। लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलने वाला, ऐसे में भारत के लिये यह

बेहद जरूरी है कि इस मामले में आत्मनिर्भरता पाने के लिए डिजाइन तैयार करने की क्षमता के साथ–साथ उत्पादन करने की क्षमता को भी हासिल किया जाए।

निष्कर्ष

इधर कुछ वर्षों से भारत सरकार ने इंडिया फर्स्ट को सारगर्भित तरीके से विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य बना दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन ने अपनी वित्तीय एवं सैन्य ताकत के जरिये तथा भारी मात्रा में निवेश कर भारत के पड़ोस में अपना प्रभाव मजबूत किया है, जो वैश्विक महाशक्ति कहलाने और हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों की राह में बाधक बन सकता है। इसके बावजूद भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक एवं सैन्य शक्ति, मानव संसाधन तथा रणनीतिक लाभ के चलते अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर चीन के विरोध के बावजूद भारत ऐसी भूमिका में आ गया है, जहाँ उसे वैश्विक महाशक्ति स्वीकार करने की औपचारिकता ही शेष रह गई है।

संदर्भ

1. बीबीसी समाचार
2. विभिन्न लेख एवं शोध पत्र
3. विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी वेबसाइटें

5

एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत

डॉ0 सुरेश चंद
एसोसिऐट प्रोफेसर (इतिहास विभाग)
के०जी०के० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरादाबाद

सारांश

भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ–साथ दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र भी है। वर्तमान वैश्विक राजनीति में भारत का स्थान अहम है। ये सब संभव हो पाया है भारत की आजादी के महज 75 सालों में ही। भारत ने इन 75 सालों में एक उपनिवेश से एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने तक का सफर कैसे पूरा किया, इसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

मुख्य शब्द

वैश्विक महाशक्ति, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्र निर्माण।

उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिन्द महासागर तक, पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में थार मरुस्थल तक फैले भारत की रक्षा प्राकृतिक तौर से तीन ओर हिंद महासागर और उत्तर की ओर महान हिमालय करता है। परंतु पश्चिमोत्तर का भाग अपेक्षाकृत कम सुरक्षित रहा है जो विदेशी शक्तियों को सदैव भारत के धन–धान्य की ओर आकर्षित करता रहा है। यह एक विडंबना ही है कि सदैव वसुधैव कुटुम्बकम् की नीति का पालन करने वाला भारतवर्ष सदियों तक बाहरी आक्रमणकारियों यथा हिंद–यवन, कुषाणों से लेकर अरबी, तुर्की, मुगलों के हमले का शिकार होता रहा परंतु जितनी बर्बरता से भारत पर ये आक्रमण हुए उतनी ही स्फूर्ति से यह देश पुनः खड़ा हुआ और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहा। आज भारत 21वीं सदी का सबसे बड़ा लोकतंत्र, शक्तिशाली परंतु शांतिप्रिय देश ऐसे ही नहीं बन गया है। 1947 में आजादी मिलने के बाद से भारत निरंतर एक प्रगतिशील राष्ट्र के तौर पर खुद को स्थापित करने में कामयाब रहा, आज हम एक प्रमुख वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। भारत कैसे आजादी के महज 75 सालों में ही वैश्विक महाशक्ति बन गया है; इसका अध्ययन आवश्यक है।

प्राचीन काल से ही भारत विविधता में एकता वाला देश रहा है। अतः उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक के सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक खास विशेषता है। आर्यों को उत्तर में वैदिक एवं पौराणिक संस्कृति तथा आर्यों से पहले की संस्कृति को दक्षिण की द्रविड़ एव तमिल संस्कृति से जोड़ कर देखा जाता है।'1 किसी भी देश की प्रगति का संबंध उसके आर्थिक विकास से जुड़ा होता है इसीलिए प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का सम्बंध प्रायः सभ्यता के विकास से रहा है। सभ्यता का विकास प्रायः शहरों से जुड़ा रहता है और शहरों का मुख्य आधार होता है; अनुत्पादक वर्ग जो अतिरेक पर निर्भर होता है। अतिरेक के लिए उपकरण आवश्यक होते हैं जिनका प्रयोग आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है। '2 ये सब एक विकसित देश के लिये अति आवश्यक हैं। जैसा की हम जानते ही हैं कि भारत 21वीं सदी की एक महाशक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है। वर्तमान में हम 139 करोड़ की जनसंख्या के साथ चीन के बाद दूसरे नंबर पर आ पहुँचे हैं परंतु एक तरफ यदि ये जनसंख्या हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव है तो दूसरी तरफ हमारी राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में भी योगदान कर रही है। इन्हीं भारत के लोगों के दम पर आज हम सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के मामले में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। यद्यपि अंग्रेजों से आजाद होने के बाद भारत के पास वह संसाधन नहीं थे जो एक राष्ट्र के निर्माण हेतु अत्यंत आवश्यक होते हैं परंतु हमने आजादी के बाद धीरे–धीरे ही सही पर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का कार्य किया है और इसमें सबसे अहम है हमारा आत्मविश्वास।

1947 के बाद की हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और हमारे हर क्षेत्र के प्रयासों का आकलन हमारी पृष्ठभूमि के संदर्भ में करना पड़ेगा। 1857 के बाद से इस देश के बुद्धिजीवियों और धीरे–धीरे आम लोगों में राजनीतिक राष्ट्रवाद का संचार हुआ और वो इस बात पर गर्व करने लगे कि हम एक महान राष्ट्र हैं; पर क्या करें गुलाम हैं। 1947 में जब गुलामी खत्म हुई तो भारत ने पाया कि अब म्यांमार और पाकिस्तान भारत नामक इकाई के अंग नहीं हैं पर भारत अब भी इन सभी उप–महाद्वीपीय इकाइयों में सबसे बड़ा था। हम एक महाशक्ति बन सकते हैं; इसकी अनुभूति लोगों के दिलों में बहुत बाद में आनी शुरू हुई। हमारे पहले प्रधानमंत्री ने देश के वृहद् औद्योगीकरण का जो विचार किया और उसके लिए एक बड़ा ढांचा खड़ा किया; उसका भारत को महाशक्ति के रूप स्थापित करने में क्या योगदान हो सकता है? इसका प्रायः यहां के लोगों को अंदाजा इसलिये नहीं हुआ क्योंकि सदियों से हम अर्थ के आस–पास चलने वाले जीवन और अर्थ के कारणों से संस्कृति निर्माण

की धारणाओं को ही भूल चुके थे। हमारे महाशक्ति बनने में यह ढांचा कितना कारगर है; हमें तब समझ में आना शुरू हुआ जब तीन–तीन युद्धों के बाद भी हम डिगे नहीं और अमेरिका की आर्थिक धमकियों के बावजूद हम अड़िग रहे और इस विश्वास को कायम रख सके कि किसी भी बाहरी सहायता के बिना हमारा विकास हो सकता है। '3 वस्तुत स्वतंत्रता से पूर्व देश में अनेक नेताओं ने मजबूत और आधुनिक भारत का सपना देखा था। उनका मानना था कि मजबूत और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए कई अलग–अलग क्षेत्रों में निरंतर विकास की आवश्यकता है। महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, रवींद्रनाथ टैगोर, सी. वी. रमन, डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर और जे. आर. टाटा जैसे महापुरुषों–महिलाओं और ऐसे कई अन्य लोगों के विलक्षण जीवन से आज की पीढ़ी के लोग प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। भले ही इनका कार्य क्षेत्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से अलग हो परंतु इनका एकमात्र लक्ष्य देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करा कर दुनिया में सम्मान दिलाना था। '4

जहां बहुत से नव गठित राष्ट्रों में सत्ता को लेकर मारामारी रहती है, वहीं हमने अपने प्रथम आम चुनाव 1952 में शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये और एक लोकप्रिय सरकार का गठन किया। नेहरू जी के रूप में हमें देश का प्रथम प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने जहां एक तरफ भारत के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लागू की, 1954 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कर भारत को एटॉमिक पॉवर बनने हेतु अग्रसर किया। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण एवं 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर हमने अपने को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। चूंकि भारत गांव में बसता है, इसलिए गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं था इसलिए भारत ने अपनी प्रत्येक योजना में गांव पर मुख्य फोकस रखा, परंतु उद्योग और विज्ञान, सेवा के ऊपर भी बराबर ध्यान दिया। 1969 में इसरो की स्थापना कर भारत अपने सपनों को पंख लगाने लगा और अंतरिक्ष मिशन का सपना पूरा करने का प्रयास करना लगा। इसी का नतीजा है कि आज भारत का इसरो एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी के तौर पर उभरा है जिसके दम पर हम अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल तक जा पहुँचे और ऐसा करने वाले हम विश्व के प्रथम देश हैं। और फिर आया भारत के परमाणु शक्ति संपन्न होने का समय; जब हमने 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण में किये और विश्व को अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया में भारत एक अकेला देश है जो बिना सी.टी.बी.टी. और एन.पी.टी. अर्थात् परमाणु अप्रसार और समग्र परीक्षण संधि पर दस्तखत किए हर वह फायदा ले सकता है जो सिर्फ 6 बड़े देशों को प्राप्त है। भारत ने 34 साल की परमाणु गुलामी से मुक्ति पाई 1974 में, तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण करने के कारण भारत पर परमाणु पाबंदियां लगा दीं। इसके बाद विश्व के सारे देशों ने इन पाबंदियों का पालन किया। '5 भारत ने 1998 में दोबारा परमाणु परीक्षण कर अपनी परमाणु शक्ति को लेकर उत्पन्न संदेह को भी खत्म कर दिया। परन्तु भारत द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न होते हुए भी इसके प्रथम प्रयोग को मना करने एवं एक गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के प्रति इसके कभी न उपयोग करने की नीति बनाई जो भारत के एक जिम्मेदार राष्ट्र होने का अहसास कराती है। भारत ने तो अपने परीक्षण को भी स्माइल बुद्धा कोड दिया जो हमारी शांतिप्रिय विदेश नीति को सूचित करता है। इसी क्रम में भारत अपने पड़ोसी देशों से निरंतर प्रगति में आगे निकल रहा है परंतु महाशक्ति के महापथ पर बढ़ता हुआ भारत स्वयं को केवल पड़ोसी राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं कर सकता है। पड़ोसी राष्ट्र तो पहला व्रत है, दूसरा व्रत है मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया इत्यादि के राष्ट्र, और तीसरा व्रत है अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका की महाशक्तियां, चौथे व्रत में आयेंगीं उसकी परमाणु नीति, विश्व अर्थनीति, विश्व राजनीति का नवीनीकरण आदि। '6

परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हम अभी भी अपनी प्रगति के अंतिम बिंदु तक नहीं पहुँचे हैं। हम अभी भी एक विकासशील देश हैं जो वर्तमान में बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है। यथा चीन की साम्राज्यवादी नीति, पाकिस्तानी आतंकवाद, आर्थिक सुस्ती तथा कोरोना से धीमी हुई जी.डी.पी. की रफ्तार एवं बेरोजगारी आज भी भारत की चिंता का प्रमुख कारण है। इन सबमें सबसे बड़ी चिंता है चीन और पाक का गठजोड़ जो हमारे महाशक्ति बनने की राह में बड़ा रोड़ा है। सीमा पर भारी तैनाती और हिमालय क्षेत्र में शीत युद्ध की स्थिति पैदा करना चीन का पुराना खेल रहा है। बीजिंग सीमावर्ती क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करके धौंस जमाने की कोशिश करता आया है। पिछले एक दशक में चीन ने दक्षिण सागर को चीन की एक झील में बदल दिया है और वियतनाम व फिलीपींस जैसे समुद्री पड़ोसी को डराने के प्रयास में मानव निर्मित द्वीपों में हवाई पट्टियाँ तैयार की हैं और मिसाईल तैनात किये हैं। '7 साम्राज्यवादी चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में भारत से सीमा विवाद बनाये हुए है जो इस क्षेत्र की शान्ति के लिए बड़ा खतरा है।

इसी तरह भारत के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो जम्मू और कश्मीर में भारत की चिंता का बड़ा कारण है चूंकि भारत के महाशक्ति बनने के लिए ये आवश्यक शर्त है कि उसके प्रत्येक भाग में शांति रहे। परन्तु पाकिस्तान आतंकवाद की मदद से भारत को लगातार अशांत करने की असफल कोशिश करता रहता है जिसका समय–समय पर जवाब भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाता रहा है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक तथा उसे बढ़ावा देने वाला देश है; साथ ही पाकिस्तान खुद को इसका पीड़ित बताने का ढोंग करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन की काउंसलर एवं कानूनी सलाहकार डॉक्टर काजल भट्ट ने कहा कि सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम और सम्मेलनों में निहित अपने दावों को पूरा करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को

खत्म करने के तरीकों पर महासभा की छठी समिति की बैठक में भट्ट ने कहा कि मैं इस बात पर निराशा व्यक्त करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने एक बार फिर इस महत्वपूर्ण मंच का दुरूपयोग करते हुए अपने झूठ को दोहराना शुरू कर दिया है। '8

इसके अलावा भारत के महाशक्ति बनने में इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना वायरस ने भी बड़ा गतिरोध उत्पन्न कर दिया है। इस वायरस ने विश्व सहित भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। इस वायरस की विभीषिका को हम निम्न शब्दों से समझ सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर दो वर्ष से भी कम समय में कोविड़ संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या पचास लाख के पार हो गई। महामारी ने गरीब देशों को तबाह करने के साथ ही, प्रथम श्रेणी की स्वास्थ्य सुविधाओं वाले अमीर देशों को भी घुटनों पर ला दिया। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और ब्राजील जैसे उच्च–मध्यम या उच्च आय वाले देशों में दुनिया की आबादी का आठवां हिस्सा रहता है, लेकिन कोविड़ के कारण हुई कुल मौतों में से पचास फीसदी लोग इन्हीं देशों के थे। अकेले अमेरिका ने 7 लाख 40 हजार से अधिक लोगों की जान गंवाई है, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है। येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. अल्बर्ट के मुताबिक यह हमारे जीवन का एक निर्णायक क्षण है। हमें खुद को बचाने के लिए यह तय करना होगा कि आगे और पचास लाख मौत नहीं हों। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओस्लो के अनुमान के मुताबिक, यह 1950 के बाद से देशों के बीच हुई लड़ाई में मारे गए लोगों की संख्या को टक्कर देता है। सीमित परीक्षण के बिना घर पर मरने वाले लोगों के शामिल नहीं होने की वजह से यह आंकड़ा वास्तविक से काफी कम है। महामारी शुरू होने के 22 महीने बाद इसके हॉट स्पॉट बदल चुके हैं। अब वायरस रूस, यूक्रेन और पूर्वी यूरोप के अन्य हिस्सों में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। '9

भारत के सामने एक और महत्वपूर्ण समस्या जलवायु परिवर्तन की है जो आज सम्पूर्ण विश्व की भी बड़ी समस्या है। भारत के महाशक्ति बनने में जलवायु परिवर्तन बड़ी समस्या है क्योंकि भारत को अपने विकास करने के क्रम में बड़े उद्योग धंधों की आवश्यकता है जिससे उत्सर्जित हानिकारक गैसें जलवायु परिवर्तित करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग का कारण हैं। अतः भारत को अपने विकास कार्यक्रम को जलवायु के अनुकूल ढ़ालना होगा जिससे समावेशी विकास किया जा सके। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को हम इस रिपोर्ट के माध्यम से जान सकते हैं, "शहरी क्षेत्रों का प्रदूषण ब्लैक कार्बन के रुप में हिमालय के ग्लेशियरों तक पहुंच चुका है। पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाएं हिमालय के ग्लेशियरों तक प्रदूषण को पहुंचा रही हैं। हिमालय में ब्लैक कार्बन की मौजूदगी ग्लेशियरों के लिए खतरनाक है। यह वनस्पतियों पर भी दुष्प्रभाव डाल रहा है। ब्लैक कार्बन की मौजदूगी धीरे–धीरे वहां के इकोसिस्टम को दोहरे रूप में प्रभावित कर रही है।" '10

इसी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक पहल के क्रम में कई साल की देरी के बाद ग्लासगो में 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप–26) शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत ग्लासगो में कॉप–26 में जलवायु न्याय के लिए जोर दे रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती दो मोर्चों पर है– पहली बाहरी, भू–राजनीतिक क्षेत्र और दूसरी, देश के भीतर। जलवायु परिवर्तन अब दूर नहीं है, उसका असर हो रहा है। यदि जलवायु परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण संकेतक– तेजी से अनिश्चित एवं चरम मौसम; की रोकथाम के लिए हम विकास मॉडल में बदलाव नहीं लाते हैं, तो हम हार जाएंगें और इससे सबसे ज्यादा गरीब लोग प्रभावित होंगे। '11 और यह सब भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला है। भले ही हम सैकड़ों मील दूर हैं, फिर भी हम सबने उत्तराखंड़ में आई विनाशकारी बाढ़ और उससे हुई तबाही के भयावह दृश्य देखे हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी आज भारत की गिनती विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं एवं सैन्य दृष्टि से मजबूत राष्ट्र के तौर पर होती है। आज हम अपनी सेना पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट खर्च करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और कार्यशील जनसंख्या के मामले में हम विश्व के अग्रिम राष्ट्र हैं। हम विश्व के महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादक एव निर्यातक देश हैं। सेवा देने के मामले में हमारा विश्व में प्रथम स्थान है। हम जी–20, सार्क, शंघाई सहयोग परिषद, ब्रिक्स और क्वाड़ जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक समूहों के सदस्य हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव भी आज हमें ही प्राप्त है। बिना भारत के आज विश्व की कल्पना करना भी मुश्किल है। उपरोक्त बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज भारत तेजी से एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है जो विश्व की शांति, सुरक्षा एवं शक्ति संतुलन के लिए अति आवश्यक है।

संदर्भ

1. शर्मा, रामशरण – भारत का प्राचीन इतिहास, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दरियागंज, नई दिल्ली 2018, पृष्ठ –1
2. प्रसाद, ओमप्रकाश एवं गौरव, प्रशांत – प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, राजकमल प्रकाशन, पटना (बिहार), पृष्ठ –13
3. बाली, सूर्यकांत – भारत की राजनीति के महाप्रश्न, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 1995, पृष्ठ –25
4. डॉ0 कलाम, ए0 पी0 जे0 अब्दुल – महाशक्ति भारत, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली 2005, पृष्ठ–13

5. डॉ0 किशोर राघवेंद्र – भारत अमेरिका परमाणु समझौता, आकाश गंगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2009, पृष्ठ–7
6. डॉ0 वैदिक, वेदप्रताप – राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लि0, नई दिल्ली 2005, पृष्ठ–26
7. उनीथन, संदीप – "वास्तविक अनियंत्रण रेखा" इंडिया टुडे, नई दिल्ली 11 अगस्त 2021, पृष्ठ–45
8. हिंदुस्तान अखबार, मेरठ संस्करण, 8 अक्टूबर 2021, पृष्ठ–14
9. अमर उजाला, मेरठ संस्करण अंक 323, 2 नवंबर 2021, पृष्ठ–18
10. हिन्दुस्तान अखबार, मेरठ संस्करण 5 जून 2021, पृष्ठ 14
11. चटर्जी पत्रलेखा, संपादकीय "जलवायु परिवर्तन से उठते सवाल", अमर उजाला मेरठ संस्करण, 30 अक्टूबर 2021

6

विश्व में भारतीय प्रजातन्त्र का स्थान

डॉ0 भूपेन्द्र सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी (वाणिज्य विभाग)
बरेली कॉलेज, बरेली

सारांश

''समानों मन्त्रः समिति समानों
समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानम् मंत्राभिः मन्त्रये वः
समानेन वो हविषा जुहोनि।।''

''लोगों का लक्ष्य तथा मन समान हो, तथा वे समान मंत्र तथा समान यज्ञ पदार्थों से ईश्वर का मनन करें।'' ऋग्वेद के उक्त सूक्त से ही हम ऋग्वेद कालीन समाज में लोकतन्त्र का बीज देख सकते हैं। प्राचीन भारत में बौद्धकाल तथा महाजनपद काल में, वर्तमान संसदीय पद्धति की भॉति परिषदों का निर्माण किया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में लोकतन्त्र की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है लेकिन विडम्बना यह रही कि प्रजातन्त्र की जननी भारत ने सदियों की गुलामी झेली। लेकिन 15 अगस्त 1947 में अपनी पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त भारत एक श्रेष्ठ लोकतांत्रिक मूल्यों वाला राष्ट्र बन गया। वर्तमान में भारत विश्व–जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र होने के कारण विश्व का सबसे बड़ा तथा सफल लोकतन्त्र भी है। भारत में लोकतन्त्र का तात्पर्य केवल वोट देने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक–आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करना है। यद्यपि हमारे राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था को विश्वव्यापी प्रशंसा प्राप्त हुई है, परंतु अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिनमें हमारे लोकतन्त्र को सुधार की आवश्यकता है ताकि लोकतन्त्र को सही मायनों में पारिभाषित किया जा सके। सरकार को लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए निरक्षरता, दरिद्रता, साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद के साथ–साथ लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए भी काम करना चाहिए।

मुख्य शब्द

लोकतन्त्र, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता।

प्रजातन्त्र शब्द राजनीतिक शब्दावली के सर्वाधिक प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों में से एक है। 'प्रजातन्त्र' शब्द का आंग्ल पर्याय 'डेमोक्रेसी' (Democracy) है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द 'डेमोस' से हुई है। डेमोस का अभिप्राय है– 'जनसाधारण' तथा इस शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ दें तो अर्थ होता है 'शासन'। सरटोरी ने अपनी पुस्तक 'डेमोक्रेटिक थ्योरी' में लिखा है कि ''राजनीतिक लोकतन्त्र एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतियोगी संघर्ष से सत्ता प्राप्त की जाती है।''

लोकतन्त्र की सर्वाधिक प्रख्यात परिभाषा अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की है– ''लोकतन्त्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है।''

भारतीय संविधान निर्माता डॉ0 भीमराव अम्बेडकर' के अनुसार ''लोकतन्त्र का अर्थ है, एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतन्त्रता, समता तथा बंधुता समाज–जीवन के मूल सिद्धान्त होते हैं।''

''समानों मन्त्रः समिति समानों
समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानम् मंत्राभिः मन्त्रये वः
समानेन वो हविषा जुहोनि।।''

''लोगों का लक्ष्य तथा मन समान हो, तथा वे समान मन्त्र से, समान यज्ञों के पदार्थो से ईश्वर का मनन करें।'' ऋग्वेद के इस सूक्त में ही हम लोकतन्त्र के बीज देख सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करने पर विदित होता है कि ऋग्वेदकाल से ही भारत में लोकतन्त्र

के बीज विद्यमान थे। प्राचीनकाल में भारत में सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। विशेष रूप से बौद्ध काल तथा महाजनपदयुग में, वर्तमान संसदीय पद्धति की भॉति परिषदों का निर्माण किया गया था। गणराज्यों या संघ की नीतियों का संचालन इन्हीं परिषदों द्वारा होता था। इसके सदस्यों की संख्या विशाल थी। उस समय के वैशाली महाजनपद के लिच्छवी गणराज्य में लोकतांत्रिक रूप से चुने गये 7,707 सदस्य, केन्द्रीय परिषद में विद्यमान रहकर राष्ट्र सम्बन्धी निर्णय लेते थे। इसी प्रकार यौधेय गणराज्य की केन्द्रीय परिषद में 5,000 सदस्य थे। वर्तमान संसदीय सत्र की भॉति परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे।

प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था में वर्तमान की तरह ही शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली थी। योग्यता एवं गुणों के आधार पर इनके चुनाव की प्रक्रिया आज के दौर से थोड़ी भिन्न थी। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। यद्यपि ऋग्वेद तथा कौटिल्य साहित्य ने चुनाव पद्धति की पुष्टि की है, परन्तु उन्होंनें वोट देने के अधिकार पर प्रकाश नहीं ड़ाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में लोकतन्त्र की व्यवस्था सर्वाधिक प्राचीन है अर्थात् मूलतः भारत ही प्रजातन्त्र की जननी है। लेकिन विडम्बना यह भी रही कि भारत ने सदियों की गुलामी भी झेली लेकिन 15 अगस्त 1947 की स्वाधीनता उपरान्त यह एक लोकतांत्रिक राष्ट्र भी बना जिसकी नींव राष्ट्र के लोककल्याण एवं चहुॅमुखी विकास पर रखी गई थी।

भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सातवां सबसे बड़ा राष्ट्र तथा आबादी के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। इन्हीं कारणों से भारत को विश्व का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र कहा जाता है। 1947 में देश की स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त भारत की लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। हमारे देश में केन्द्र तथा राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए हर पाँच वर्ष में संसदीय और राज्य विधान सभा चुनाव आयोजित किये जाते हैं।

हम भारतवासियों का सौभाग्य रहा है कि स्वाधीनता की प्रभात बेला में हमें ऐसे राष्ट्रभक्त नेता मिले जो देश के लिए समर्पित थे। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र का संविधान लागू हुआ। यह संविधान विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। हमारे संवैधानिक लोकतन्त्र की कुछ मौलिक विशेषतायें तथा उद्देश्य निम्नवत् हैं–

1. जनता की सम्पूर्ण तथा सर्वोच्च भागीदारी
2. उत्तरदायी सरकार
3. जनता के मौलिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रता की रक्षा करना सरकार का प्रथम कर्तव्य
4. भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु समस्त नागरिकों को समानता, स्वतन्त्रता तथा न्याय का वादा।
5. निष्पक्ष चुनाव प्रणाली
6. व्यस्क मताधिकार की व्यवस्था
7. जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार
8. निष्पक्ष न्याय प्रणाली तथा न्याय पालिका
9. विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति
10. संवैधानिक सरकार के हाथ में राजनीतिक शक्ति जनता की अमानत के रूप में।

भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जिसकी अपनी बहुरंगी विविधता तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। स्वाधीनता प्राप्ति के पिछले वर्षो में भारत ने सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में बहुआयामी प्रगति की है। कृषि में पूर्ण आत्मनिर्भर राष्ट्र होने के साथ–साथ विश्व के श्रेष्ठ औद्योगिक राष्ट्रों में अब इसकी गणना होती है। स्वाधीनता के उपरान्त अपनी श्रेष्ठ जनतांत्रिक नीतियों के कारण हमने विश्व समुदाय में अपनी सशक्त उपस्थिति अंकित की है। हमारी आर्थिक प्रगति तथा विकास दर अनेक विकसित राष्ट्रों से भी अधिक है। भारत विश्व का प्रथम राष्ट्र है, जिसने प्रत्येक व्यस्क नागरिक को स्वाधीनता के प्रथम दिन से ही मतदान का अधिकार प्रदान किया है। अमेरिका जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोकतन्त्र है, उसने अपनी स्वाधीनता के 150 वर्ष के उपरान्त मतदान का अधिकार अपने नागरिकों को दिया था। विश्व के किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में भारत में सर्वाधिक भाषाऐं तथा बोलियां बोली जाती हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था के कारण भारत में सर्वाधिक निर्वाचित व्यक्तियों तथा निर्वाचित महिलाओं (पंचायतों आदि में) की संख्या है। स्वदेशी परमाणु तकनीक तथा सबसे कम लागत की परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला देश भी भारत ही है। थोरियम आधारित परमाणविक ऊर्जा विकसित करने वाला एकमात्र राष्ट्र भारत ही है। अन्तरिक्ष में वाणिज्यिक उपग्रह सबसे कम कीमत में लांच करने वाला देश भारत है। चॉद तथा मंगल पर मानवरहित मिशन भेजने वाले 5 देशों में से एक भारत ही है। एल्यूमीनियम, सीमेन्ट, उर्वरक एवं इस्पात के निर्माण में न्यूनतम लागत वाला राष्ट्र भारत है। विश्व में सर्वाधिक द्रुत गति से बढ़ने वाली भारत की ही दूरसंचार व्यवस्था तथा बाजार है। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक सुविधाऐं कम लागत में उपलब्ध कराने वाला राष्ट्र भारत ही है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, विश्व की सर्वाधिक बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था, दाल–चीनी–कपास का उत्पादक भारत ही है। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता भी भारत ही है। सामरिक क्षेत्र में भी भारत विश्व के चार प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक प्रमुख राष्ट्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाधीनता के उपरान्त लोकतांत्रिक भारत ने महती उन्नति की है।

भारतीय गणतन्त्र के लगभग 71 वर्ष पूर्ण होने तथा भारत की जनसंख्या एक अरब से भी अधिक होने पर भी कुछ बातें ऐसी हैं तथा अनेक यक्ष प्रश्न ऐसे भी हैं जो हमें विचलित कर देते हैं। यह सत्य है कि संविधान द्वारा स्थापित लोकतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था पर भारी दबाव है। संविधान निर्माताओं का स्वप्न भ्रष्टाचार, जातिगत–साम्प्रदायिक–क्षेत्रीयता–भाषावाद से मुक्त एक समाजवादी–लोककल्याणकारी– न्यायशील श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण का था लेकिन संविधान में निर्दिष्ट आधारभूत मूल्य और आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाईं। स्वाधीनता उपरान्त ही राजनीतिक व्यवस्था में अनेक विकृतियों का समावेश हुआ था। राजनीति के अपराधीकरण तथा अपराध के राजनीतिकरण, बाहुबल, धनबल, तथा माफिया शक्ति के बढते महत्व, राजनीतिक–सामाजिक जीवन में जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा भ्रष्टाचार के महत्व ने राष्ट्रीय परिदृश्य को विषाक्त किया है। स्वाधीनता के इतने वर्षोंपरांत भी अशिक्षा तथ दरिद्रता, राष्ट्र के लिए कलंक के समान है। जो पूर्वकाल में सांस्कृतिक–धार्मिक–भाषाई समूह थे, वे ही अब तथाकथित राजनीतिक अल्पसंख्यक वर्ग अथवा जातीय–राष्ट्रीय समूह का चोला ओढ़ चुके हैं। सामाजिक–आर्थिक भ्रष्टाचार के कारण राष्ट्र में दो देश निर्मित हो गये हैं एक 'भारत' दूसरा 'India' अर्थात् एक पक्ष अभी भी श्रेष्ठ सुविधाओं से वंचित है तो दूसरा निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है।

यदि हर स्तर पर कोशिश की जाये तो इन समस्याओं तथा चुनौतियों से मुक्ति पाई जा सकती है। भारत की खुशकिस्मती है कि भारत विश्व का सर्वाधिक युवा शक्ति वाला राष्ट्र है। ये युवाशक्ति ही भारत राष्ट्र की भविष्य है। इन्हें उचित मार्ग दर्शन देकर ही राष्ट्र का भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं। प्रथमतः इन्हें राष्ट्र की समस्याओं तथा चुनैतियों से रूबरू कराना पड़ेगा। यथा राजनैतिक भ्रष्टाचार में निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक से अधिक कालेधन के दुरुपयोग से राष्ट्रीय भ्रष्टाचार द्रुत गति से प्रसारित होता है, अतः इसको रोकने के उपाय निर्मित करने होंगें। सुधार का सर्वश्रेष्ठ विकल्प गॉधीवादी मॉडल है जो सादा जीवन उच्च विचार पर टिका है। इस मॉडल में राजनीति को जनता की सेवा का साधन माना जाता था। इस गॉधीवादी माडल में सत्ता का निम्न स्तर तक विकेन्द्रीकरण होता था। साधारण से साधारण व्यक्ति को शासन स्तर पर अपना योगदान देने की स्वतन्त्रता होती है। समूचा शासन पारदर्शी होता है। शासन की मूल इकाई गॉव का महत्व इस मॉडल में सर्वाधिक माना जाता है। राजनैतिक सत्ता की भागीदारी इस मॉडल में ऊपर से नीचे की ओर न होकर नीचे से ऊपर की ओर होती है। धनबल इसमें न्यून होता है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि अगर भारत में लोकतन्त्र को पूर्ण सफल बनाना है तो मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए। राजनैतिक भ्रष्टाचार से मुक्ति के कुछ उपाय ये भी हैं कि राज्यों की विधान सभाओं तथा लोकसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए, निर्वाचन अभियान की समय सीमा घटा देनी चाहिए, आचरण संहिता को विधि का रूप प्रदान करना चाहिए, खर्चे की अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए तथा साथ ही रसीदों के आधार पर लेखा परीक्षा आवश्यक कर देनी चाहिए।

निष्कर्ष

यद्यपि देश के समक्ष चारित्रिक संकट है। हमारे जीवन में पाए जाने वाले अधिकांश भ्रष्टाचार का कारण बाजार तथा धन केन्द्रित पश्चिमी उपभोक्तावादी मूल्य है। हमारा अतीत स्वर्णिम था। जो समाज अपनी संस्कृति, ज्ञान परम्परा, संचित विवेक सम्पदा तथा श्रेष्ठ जीवनमूल्य भावी पीढ़ी को नहीं सौंपता, वह काल के गर्त में समा जाता है। कोई भी साफ–सुथरा समाज पुरस्कार तथा दंड के सिद्धान्त पर चलता है। यदि भ्रष्ट लोगों को तुरन्त दंड मिले तथा लोगों को भ्रष्टाचार का लाभ नहीं मिले तो भ्रष्टाचार में कमी आ जायेगी। राष्ट्रभक्त नागरिकों, विशेषकर युवाओं को भ्रष्टाचार के विरूद्ध जाकर अपना विरोध जताना चाहिए। यदि हम प्रजातंत्रिक भारत की सफलता चाहते हैं तो स्वामी विवेकानन्द जैसे चिन्तकों द्वारा दिखाए गये मार्ग पर चलना होगा। उन्होनें राष्ट्रवासियों का आह्वान करते हुए कहा था–

''उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम्
पथस्तत्कवयों वदन्ति।। ''

संदर्भ

1. भारतीय लोकतन्त्र : चुनौतियॉ एवं सम्भावनाएं–पुनीत कुमार
2. भारतीय लोकतन्त्र : समस्याऐं और समाधान, पी0के0 खुराना
3. Challenges to Democracy : N.C.E. R.T. Class 10
4. 'राष्ट्र समर्थ और सशक्त कैसे बने?' लेखक– पं0 श्रीराम शर्मा आचार्य
5. भारतीय संविधान का निर्माण और उसके स्रोत–– www.lnmu.ac.in
6. संविधान – भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल

7

आज़ादी की नींव थीं जो वीरांगनाएं

डॉ0 रीता

असिस्टैंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान विभाग)

एन.के.बी.एम.जी. (पी.जी.) कॉलेज, चन्दौसी, सम्भल

सारांश

इस संक्षिप्त अध्ययन में भारत के अनेक राज्यों से कुछ ऐसी महिला क्रान्तिकारियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जिन्हें आज़ादी के दौरान भी पर्याप्त श्रेय नहीं मिला परंतु स्वतंत्रता के लिये उनका आत्मोत्सर्ग हम भारतीयों के लिये अमूल्य और अविस्मरणीय है। आज़ादी की हीरक जयन्ती के द्वार पर मुक्ति समर की ऐसी वीरांगनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर उनके बलिदानी व्यक्तित्व को स्मृत करने का प्रयास इस संक्षिप्त अध्ययन में किया गया है। यह उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और कर्तव्यबोध भी।

मुख्य शब्द

झलकारी बाई, नीरा आर्य, कनकलता बरुआ, मातंगिनी हाजरा, दक्षायिणी वेलायुदन, बीना दास, यमुनाबाई सावरकर, ऊदा देवी।

भारत की आज़ादी की नींव में गढ़ी अनमोल प्रस्तर बनी कुछ ऐसी अनाम वीरांगनाएँ भी रहीं जिन्होंने अपनी मातृभूमि भारतमाता के लिये अपना जीवन त्याग दिया। जिन्होंने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के सामने खड़े होने से पहले स्व अस्तित्व के विषय में एक बार भी नहीं विचारा और निःस्वार्थ संघर्ष किया। इस संक्षिप्त अध्ययन में भारत के अनेक राज्यों से कुछ ऐसी ही महिला क्रान्तिकारियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जिन्हें आज़ादी के दौरान भी पर्याप्त श्रेय नहीं मिला परंतु स्वतंत्रता के लिये उनका आत्मोत्सर्ग हम भारतीयों के लिये अमूल्य और अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रसिद्ध व नामचीन क्रान्तिकारियों की भाँति उनका भी लक्ष्य भारतमाता को गुलामी की बेडियों से आजाद कराना था, जिससे हर भारतीय स्वतंत्र राष्ट्र में आजादी की महक से सराबोर होकर अपनी अहमियत पहचाने और एक बार फिर भारत को सोने की चिडिया बनाने के लिये प्रयासरत हो जाये और देश को पुनः विश्व गुरु की पहचान दिलाए। आज़ादी की हीरक जयन्ती के द्वार पर मुक्ति समर की ऐसी वीराँगनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर उनके बलिदानी व्यक्तित्व को स्मृत करने का प्रयास किया गया है। यह उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और कर्तव्यबोध भी। प्रस्तुत है अदम्य साहस की प्रतीक ऐसी ही कुछ वीरांगनाओं का परिचय –

महान वीरांगना झलकारी बाई कोली

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में वीरांगना झलकारी बाई का महत्वपूर्ण प्रसंग हमें 1857 के उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जो इतिहास में भूले बिसरे हैं। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की प्रिय सहेलियों में से एक थीं जिन्होंने समर्पित रूप में न केवल रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, झाँसी की रक्षा में अंग्रेजों का सामना भी किया। (1)

झलकारी बाई झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में, महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। लक्ष्मीबाई की हमशक्ल होने के कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। उनका जन्म बुंदेलखंड के भोजला गांव में 22 नवंबर, 1830 को एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोवा (उर्फ मूलचंद कोली) और माता का नाम जमुनाबाई उर्फ धनिया था। झलकारी बाई बचपन से ही साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ लड़की थी। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थीं तब उनकी माँ की मृत्यु हो गयी थी और उसके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला था। उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया गया था।

झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसको मार डाला था। वह एक वीर साहसी महिला थी।

झलकारी का विवाह झांसी की सेना में सिपाही रहे पूरन कोली नामक युवक के साथ हुआ। पूरे गांव वालों ने झलकारी बाई के विवाह में भरपूर सहयोग दिया। विवाह पश्चात् वह पूरन के साथ झांसी आ गई। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गाँव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झाँसी के किले में गयीं, वहाँ रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देख कर अवाक् रह गयी क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखतीं थीं ।

अन्य औरतों से झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुईं। रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। वह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थीं, इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं।

सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से रानी लक्ष्मीबाई के घिर जाने पर झलकारी बाई ने बड़ी सूझबूझ परिचय दिया था। रानी के वेश में युद्ध करते हुए वे अपने अंतिम समय अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गईं और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। इसके बाद झलकारी बाई किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज़ के शिविर मे उससे मिलने पहुँची। ब्रिटिश शिविर में पहुँचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यूग रोज़ से मिलना चाहती है। रोज़ और उसके सैनिक प्रसन्न थे। उन्होने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? तो उसने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे फाँसी दो। जनरल ह्यूग रोज़ झलकारी का साहस और उसकी नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और झलकारी बाई को रिहा कर दिया गया। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी इस युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुई। एक बुंदेलखंड़ किंवदंती है कि झलकारी के इस उत्तर से जनरल ह्यूग रोज़ दंग रह गया और उसने कहा कि "यदि भारत की 1 प्रतिशत महिलायें भी उसके जैसी हो जायें तो ब्रिटिशों को जल्दी ही भारत छोड़ना होगा"। (2)

ऐसी महान वीरांगना थीं झलकारी बाई। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोकगाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। झलकारी बाई के सम्मान में सन् 2001 में डाक टिकट भी जारी किया गया। वीरांगना झलकारी बाई के बलिदान को शत–शत नमन।

नीरा आर्य

आजाद हिन्द फ़ौज की अमर सेनानी नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के खेकड़ा नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी सेठ छज्जूमल के घर हुआ था। वह आज़ाद हिन्द फौज में रानी झाँसी रेजिमेंट की सिपाही थीं, उन पर अंग्रेजी सरकार ने गुप्तचर होने का आरोप भी लगाया था। इन्हें नीरा नागिनी के नाम से भी जाना जाता है। इनके भाई बसंत कुमार भी आजाद हिन्द फौज में थे। इनके पिता सेठ छज्जूमल अपने समय के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिनका व्यापार देशभर में फैला हुआ था। खासकर कलकत्ता में इनके पिताजी के व्यापार का मुख्य केंद्र था, इसलिए इनकी शिक्षा–दीक्षा कलकत्ता में ही हुई। नीरा नागिन और इनके भाई बसंत कुमार के जीवन पर कई लोक गायकों ने काव्य संग्रह एवं भजन भी लिखे। 1998 में इनका निधन हैदराबाद में हुआ।

नीरा आर्य का विवाह ब्रिटिश भारत में सी.आई.डी. इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुआ था। नीरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना में अपने अफसर पति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या कर दी थी। आजाद हिन्द फौज के समर्पण के बाद जब लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई थी, जहां इन्हें घोर यातनाएं दी गईं। आजादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की।

नीरा आर्य ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है। इस आत्मकथा का एक हृदय–विदारक अंश प्रस्तुत है–

''मैं जब कोलकाता जेल से अंडमान पहुंची, तो हमारे रहने का स्थान वे ही कोठरियाँ थीं, जिनमें अन्य महिला राजनैतिक अपराधी रही थीं अथवा रहती थीं। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई, कंबल आदि का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। मन में चिंता होती थी कि इस गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, जहाँ अभी तो ओढ़ने बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है? जैसे–तैसे जमीन पर ही लोट लगाई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार दो कम्बल लेकर आया और बिना बोले–चाले ही ऊपर फेंककर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ ही गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह–रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था।''

''सूर्य निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया। हाथ की सांकल काटते समय थोड़ा–सा चमड़ा भी काटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय, केवल दो–तीन बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जाँचा कि कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार दुःखी होकर कहा, क्या अंधा है, जो पैर में मारता है?''

''पैर क्या हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी?'' उसने मुझे कहा था।

''बंधन में हूँ तुम्हारे साथ कर भी क्या सकती हूँ..'' फिर मैंने उनके ऊपर थूक दिया था, ''औरतों की इज्जत करना सीखो?''

जेलर भी साथ थे, तो उसने कड़क आवाज में कहा, ''तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं?''

''वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे,'' मैंने जवाब दिया, ''सारी दुनिया जानती है।''

''नेताजी जिंदा हैं..झूठ बोलती हो तुम कि वे हवाई दुर्घटना में मर गए?'' जेलर ने कहा।

''हाँ नेताजी जिंदा हैं।''

''तो कहाँ हैं..।''

''मेरे दिल में जिंदा हैं वे।'' जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया था और बोले, ''तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देंगे।''

और फिर उन्होंने मेरे आँचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी आँगी को फाड़ते हुए फिर लुहार की ओर संकेत किया...लुहार ने एक बड़ा सा जंबूड़ औजार जैसा फुलवारी में इधर–उधर बढ़ी हुई पत्तियाँ काटने के काम आता है, उस ब्रेस्ट रिपर को उठा लिया और मेरे दाएँ उरोज

को उसमें दबाकर काटने चला था, लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूँठा था और उरोजों (स्तनों) को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, ''अगर फिर जबान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएँगे...''

उसने फिर चिमटानुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, ''शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से नहीं तपाया, आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों उभार पूरी तरह उखड़ जाते।''

अपने प्राणों की आहुति देने वाली इस वीराँगना ने आजादी के बाद कोई भी सरकारी सहायता, पेंशन भत्ता स्वीकार नहीं किया और फूल बेच कर अपना जीवन यापन किया। (3)

कनकलता बरुआ (22 दिसम्बर 1924 – 20 सितम्बर 1942)

कनकलता बरुआ भारत की स्वतन्त्रता सेनानी थीं, जिनको अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के समय गोली मार दी। उन्हें बीरबाला भी कहते हैं। वे असम की निवासी थीं। (4)

कनकलता ने हमेशा देश की सेवा करने और स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के सपने को देखा। 17 साल की उम्र से वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना चाहती थीं लेकिन चूंकि वह नाबालिग थी इसलिये वह आजाद हिंद फौज में शामिल नहीं हो सकीं। कनकलता का दृढ़ संकल्प ही था कि उन्होंने हार नहीं मानी और मृत्यु वाहिनी में शामिल हो गई। असम में 1924 में पैदा हुई कनकलता असम के सबसे महान योद्धाओं में से एक थी। वह असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू की गई स्वतंत्रता पहल के लिए "करो या मरो" अभियान में शामिल हो गईं। यही नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में भारतीय झंडा फहराने के लिये आगे बढ़ते हुये उनकी मृत्यु हो गई । (5)

मातंगिनी हाज़रा

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला सदस्यों में से एक, मातंगिनी हाज़रा ने देश की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन आज के समय में उनका नाम अनसुना है। इतिहास की किताबों में जिसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं उसमें हम इस साहसी महिला का कोई जिक्र नहीं पाते हैं। वह एक कठोर गांधीवादी और असहयोग आंदोलन की समर्थक थीं। 73 वर्ष की उम्र में, वह भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदार थी और उन्होंने 6000 समर्थकों के जुलूस की अगुवाई की जिसमें अधिकतर महिलाएं थीं। उसी दौरान तमिलुक पुलिस स्टेशन के अधिहरण के वक़्त उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई जबकि वह पुलिस से अनुरोध करती रहीं कि भीड़ पर गोली न चलाई जाये। (6)

भोगेश्वरी फुकनानी

एक और शहीद का उदाहरण जिसकी शहादत नज़रअंदाज़ कर दी गई जिनका जन्म नौगांव में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से कई महिलाओं को प्रेरित किया और उनमें से एक बड़ा नाम भोगेश्वरी फुकनानी का था। जब क्रांतिकारियों ने बेरहमपुर में अपने कार्यालयों का नियंत्रण वापस ले लिया था, तब उस माहौल में पुलिस ने छापा मार कर आतंक फैला दिया था। उसी समय क्रांतिकारियों की भीड़ ने मार्च करते हुये "वंदेमातरम्" के नारे लगाये। उस भीड़ का नेतृत्व भोगेश्वरी ने किया था। उन्होंने उस वक़्त मौजूद कप्तान को मारा जो क्रांतिकारियों पर हमला करने आए थे। बाद में कप्तान ने उन्हें गोली मार दी और वह जख़्मी हालात में ही चल बसीं। (7)

अम्मू स्वामीनाथन

अम्मू स्वामीनाथन एक सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिज्ञ थीं। इनका जन्म 1894 में केरल के पल्लकड़ जिले में हुआ था। इनका विवाह बहुत कम उम्र में डॉक्टर सुब्रम्मा स्वामीनाथन के साथ हो गया। संविधान सभा में ये मद्रास की प्रतिनिधि थीं। वह महात्मा गांधी के नक्शेकदम पर चलना चाहती थीं, इसलिए आजादी की लड़ाई में भाग लिया। इनके मुताबिक संविधान ऐसा होना चाहिए था जो आम आदमी की जेब में आराम से समा सके। उन्हें आजाद हिंद फौज की सदस्य कैप्टन लक्ष्मी सहगल की मां के तौर पर भी जाना जाता है। (8)

दक्षायिणी वेलायुदन

इनका जन्म 1912 में कोचिन में हुआ। ये एक दलित समुदाय से आईं थीं जिन्हें लोग छूने में घिन महसूस करते थे। वह संविधान सभा की अकेली दलित महिला सदस्य थीं। वह विज्ञान में स्नातक करने वाली भारत की पहली दलित महिला थीं। वे 1946 से 1952 तक प्रोविजनल पार्लियामेंट की मेंबर रहीं। (9)

बीना दास

बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को कृष्णानगर, बंगाल प्रान्त में हुआ। वीणा दास बंगाल की भारतीय क्रान्तिकारी और राष्ट्रवादी महिला थीं। 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक दीक्षान्त समारोह में अंग्रेज़ क्रिकेट कप्तान और बंगाली गर्वनर स्टैनले जैकसन की हत्या का प्रयास किया था। वे सुप्रसिद्ध ब्रह्मसमाजी शिक्षक बेनी माधव दास और सामाजिक कार्यकर्त्ता सरला देवी की पुत्री थीं। वे सेंट जॉन डोसेसन गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल की छात्रा रहीं। बीना दास कोलकाता में महिलाओं के संचालित अर्द्ध–क्रान्तिकारी संगठन छात्री संघ की सदस्या थीं। इसके लिए उन्हें नौ वर्षों के लिए सख़्त कारावास की सजा दी गई। सन् 1932 में 6 फरवरी को कलकत्ता विश्वविद्यालय में समावर्तन

उत्सव मनाया जा रहा था। बंगाल के अंग्रेज गर्वनर सर स्टैनले जैकसन मुख्य अतिथि थे। उस अवसर पर कुमारी बीना दास जो उपाधि लेने आई थीं; ने गवर्नर पर गोली चला दी। गोली चूक गई, गवर्नर के कान के पास से निकल गई और वह मंच पर लेट गया। इतने में लेफ्टिनेन्ट कर्नल सुहरावर्दी ने दौड़कर बीना दास का गला एक हाथ से दबा लिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़ कर सीनेट हाल की छत की तरफ कर दी, फिर भी बीना दास गोली चलाती गई, लेकिन पांचों गोलियां चूक गईं। उन्होंने पिस्तौल फैंक दी। अदालत में बीना दास ने एक साहसपूर्ण बयान दिया। अखबारों पर रोक लगा दिये जाने के कारण वह बयान प्रकाशित न हो सका। बीना दास को दस साल कारावास का दण्ड मिला था।

1939 में जल्दी रिहा होने के बाद दास ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता प्राप्त की। सन् 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया और पुनः 1942 से 1945 तक के लिए कारवास की सजा प्राप्त की। 1946–47 में बंगाल प्रान्त विधान सभा और 1947 से 1951 तक पश्चिम बंगाल प्रान्त विधान सभा की सदस्या रहीं। सन् 1947 में उनका युगान्तर समूह के भारतीय स्वतन्त्रता कार्यकर्ता जतीश चन्द्र भौमिक से विवाह हो गया। उनके पति के देहान्त के बाद उन्होंने ऋषिकेश में एकान्त जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया और अज्ञातवास में ही 26 दिसम्बर 1986 में मृत्यु को प्राप्त किया ।

उन्होंने बंगाली में 'शृंखलझंकार' और 'पितृधन' नामक दो आत्मकथाएँ भी लिखीं। (10)

यमुनाबाई सावरकर

वीर सावरकर की पत्नी यमुनाबाई को माई के नाम से जाना जाता है। वीर सावरकर के जीवन में भी सफलता का मुख्य श्रेय यमुनाबाई को ही जाता था। यमुनाबाई एक बेहद अलग माहौल में पली बड़ी थीं, जोकि वीर सावरकर के पारिवारिक माहौल से बेहद अलग था। यमुना बाई एक बेहद संपन्न परिवार से थीं, और सावरकर जी एक मध्यमवर्गीय परिवार से थे लेकिन फिर भी यमुनाबाई ने अपने वैवाहिक जीवन को बखूबी निभाया। 1901 को नासिक में इनका विवाह हुआ। यमुनाबाई को संगीत का शौक था, ये एक अच्छी गायिका थीं, इन्होंने अपने पति को देश प्रेम के लिए जाग्रत किया। इन्होंने देशभक्ति कविताओं को एक आवाज दी। इन्होंने देश की महिलाओं में राष्ट्रीय भावना को जाग्रत किया। (11)

ऊदा देवी

ऊदा देवी एक अच्छी निशानेबाज़ और वीरांगना थीं। लखनऊ में हुई सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक नवंबर 1857 में सिकंदर बाग़ में हुई थी। सिकंदर बाग़ में विद्रोहियों ने डेरा डाल रखा था। यह बाग़ रेजिडेंसी में फ़ंसे हुए यूरोपियनों को बचाने निकले कमांडर कोलिन कैंपबेल के रास्ते में पड़ता था। यहां एक खूनी लड़ाई हुई जिसमें हज़ारों भारतीय सैनिक शहीद हुए। एक कथा के मुताबिक अंग्रेज़ों को आवाज़ से यह पता चला कि कोई पेड़ पर चढ़कर धड़ाधड़ गोलियां दाग रहा है। जब उन्होंने पेड़ को काट कर गिराया तब जाकर उन्हें पता चला कि फायरिंग करने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है, जिसकी पहचान बाद में ऊदा देवी के तौर पर की गयी। ऊदा देवी पासी समुदाय से ताल्लुक रखती थीं। उनकी मूर्ति आज लखनऊ के सिकंदर बाग़ के बाहर स्थित चौक की शोभा बढ़ा रही है।

फोर्ब्स–मिशेल ने 'रेमिनिसेंसेज़ ऑफ़ द ग्रेट म्यूटिनी' में ऊदा देवी के बारे में लिखा है, ''वह पुराने पैटर्न की दो भारी कैवलरी पिस्तौल से लैस थीं, इनमें से एक अंत तक उनकी बेल्ट में ही थी, जिसमें गोलियां भरी हुई थीं। उनकी थैली अब भी गोली–बारूद से आधी भरी हुई थी। हमले से पहले पेड़ पर सावधानी से बनाए गये अपने मचान पर से उन्होंने आधा दर्जन से ज़्यादा विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया था।'' (12)

निष्कर्ष

भारत की आज़ादी की नींव में समाहित उपरोक्त वर्णित सभी वीरांगनाओं को व अन्य वीरांगनाओं को आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर हर भारतवासी श्रद्धा से नतमस्तक हो सहस्रों बार नमन करता है। वंदेमातरम् का गान करते हुए भारत भूमि की हर बाला में ये वीरांगनाएं अमर होकर सदा साहस व शौर्य भरती रहेंगीं और अपने देश की रक्षा के लिए स्वयं को आहुत करने के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा देती रहेंगीं।

संदर्भ

1. वीरांगना झलकारी बाई : मोहनदास नैमिशराय, राधा कृष्ण प्रकाशन, प्रकाशित वर्ष – 2003
2. झलकारी बाई : कोली योद्धा – विकिपीडिया
3. आजाद हिन्द फौज के गुमनाम सैनिक : मन्मथनाथ गुप्त, हिन्द पॉकेट बुक्स, संस्करण 1968
4. गुप्तजीत पाठक (2008)– Assamese Women in Indian Independence Movement-With a Special Emphasis on Kanaklata Barua, Mittal Publications, New Delhi
5. www.youthkiawaz.com – 18 साल की उम्र में हाथ में तिरंगा लेकर शहीद होने वाली कनकलता बरुआ
6. www.chaltapurza.com – देश की अज़ादी के लिए जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हुई थीं, मातंगिनी हाज़रा

7. hindi.scoophoop.com
8. अम्मू की कहानी – अमर उजाला, 24 जनवरी, 2018
9. संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्या थीं दक्षायिणी वेलायुदन – www.prabhatkhabar.com
10. बीना दास – भारतकोश – ज्ञान का हिन्दी महासागर, amp.bharatdiscovry.org
11. यमुनाबाई सावरकर : यूनियनपीडिया, अर्थवेब विश्वकोश, hi.unionpedia.org
12. 1857 की वीरांगनाएँ जिन्हें भुला दिया गया – thewirehindi.com

8

गैर परम्परागत सुरक्षा चुनौती के रूप में ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज़्म (भारत के परिप्रेक्ष्य में)

डॉ0 आनन्द कुमार सिंह
एसोसिऐट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (रक्षा अध्ययन विभाग)
हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद

सारांश

वर्तमान परिवेश में हम भली–भाँति जानते हैं कि आज सुरक्षा को चुनौती देने वाले तत्व सैनिक की अपेक्षा असैनिक अधिक हैं जिन्हें हम गैर परम्परागत सुरक्षा चुनौतियों के रूप में जानते हैं। गैर परम्परागत सुरक्षा चुनौतियों की बात करें तो पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाएं, शरणार्थी समस्या, साइबर वॉर, वैश्विक जल संकट, मॉब लिंचिंग, ऊर्जा समस्या (एनर्जी क्राइसिस) और ड्रग ट्रैफिकिंग (मादक द्रव्यों की तस्करी) आदि प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जिनका सामना पूरा विश्व कर रहा है। मादक द्रव्यों की तस्करी में तस्करों का साधन और साध्य दोनों धन है। वही दूसरी तरफ आतंकवाद को पोषित करने वाले राष्ट्र आतंकी संगठन और तस्करों के बीच एक कड़ी के रूप में मौजूद रहते हैं जिसके कारण धन के लेन–देन में कोई समस्या नहीं आती। शीतयुद्ध तथा शीत युद्धोत्तर काल में नार्को टेररिज़्म युद्ध के गैर परम्परागत तरीके के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। नार्को टेररिज़्म के बढ़ते प्रभावों ने राष्ट्र–राज्यों की वाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। स्थिति बद से बदतर तब और हो जाती है, जब इसमें किसी शत्रु राष्ट्र की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी एजेण्डा बनाकर काम करने लगती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह बात एकदम स्पष्ट है कि भारत को सतर्क रहने की अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट का सीधा निशाना भारत ही है। ये बात अलग है कि भारत ने मादक द्रव्यों की आपूर्ति और मांग की कमी की रणनीति के माध्यम से इस समस्या से निपटने का प्रयास किया है।

मुख्य शब्द

ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज़्म, मादक द्रव्य, गैर परम्परागत सुरक्षा।

किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा का आशय मात्र सीमाओं की सुरक्षा से नहीं होता है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा एक व्यापक परिकल्पना है। एक राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले मूर्त एवं अमूर्त तत्वों की वाह्य एवं आंतरिक, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, सैनिक एवं असैनिक किसी भी प्रकार की चुनौतियों एवं खतरों से सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल आशय है। साथ ही यह बात भी शाश्वत सत्य है कि सुरक्षा की प्रकृति देश, काल, परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील है। परन्तु इसका पारम्परिक आधार भय की भू–राजनीति (Geo-Politics) पर ही टिका होता है, जिससे किसी राष्ट्र की शांति और सुरक्षा प्रभावित होती है।

वर्तमान परिवेश में हम भली–भाँति जानते हैं कि आज सुरक्षा को चुनौती देने वाले तत्व सैनिक की अपेक्षा असैनिक अधिक हैं जिन्हें हम गैर परम्परागत सुरक्षा चुनौतियों के रूप में जानते हैं। गैर परम्परागत सुरक्षा चुनौतियों की बात करें तो पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाएं, शरणार्थी समस्या, साइबर वॉर, वैश्विक जल संकट, मॉब लिंचिंग, ऊर्जा समस्या (एनर्जी क्राइसिस) और ड्रग ट्रैफिकिंग (मादक द्रव्यों की तस्करी) आदि प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जिनका सामना पूरा विश्व कर रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। प्रस्तुत शोध–लेख में उपर्युक्त उल्लिखित गैर परम्परागत सुरक्षा चुनौतियों में से एक चुनौती अर्थात् ड्रग ट्रैफिकिंग और उसके कारण होने वाले नार्को टेररिज़्म जैसे संवेदनशील बिन्दुओं का विश्लेषण किया गया है।

आइये सर्वप्रथम देखते हैं कि आखिर ड्रग ट्रैफिकिंग यानि मादक द्रव्यों की तस्करी के पीछे के क्या कारण हैं और कैसे इसका प्रसार इस हद तक हो रहा है कि इसे सुरक्षा हेतु गम्भीर चुनौती के रूप में देखा जाने लगा।

पृष्ठभूमि

समाज में मादक पदार्थों का सेवन कोई नई समस्या नहीं है। प्राचीन काल में भी मादक पदार्थों का चलन था। लोग मद्यपान, गांजा, सोमरस, देवबूटी आदि का सेवन किया करते थे। कालान्तर में मध्यकालीन भारत में विशेषकर मुगलकाल की बात करे तो अफीम और इससे बनने वाले अन्य पदार्थ प्रचलन में आये। पिछले कुछ दशकों में उत्तेजक और अवसादक संश्लेषित मादक पदार्थों (ड्रग्स) का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। युवा पीढ़ी का इन मादक द्रव्यों के प्रति रूझान बढ़ा तो इससे चिंता होना स्वाभाविक ही है।[1]

आधुनिक काल में बात करें तो मादक पदार्थ एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के मस्तिष्क एवं स्नायु मंडल को प्रभावित करता है, मादक पदार्थ अथवा ड्रग कहलाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो मादक द्रव्य इंसान को इसका आदी बना देता है। इसका उपयोग शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से हानिकारक है। नियमित रूप से प्रयोग करने से इंसान इस व्यसन की चपेट में आ जाता है। जो इसके व्यसन में है वह इसके अभाव में कुछ भी गलत–सही करने को तैयार हो जाता है। हशीश, कोकीन, एल0एस0डी0, हेरोइन, ब्राउन शुगर आदि वर्तमान दौर में बहुत चलन में हैं।[2]

मादक द्रव्यों की तस्करी (ड्रग ट्रैफिकिंग)

आज विश्व में मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार बढ़ने का प्रमुख कारण समाज में बढ़ती इसकी मांग है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जहॉ स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालयों में बच्चों और युवाओं में एक सोची समझी रणनीति के तहत इसकी लत डलवायी जाती है और फिर जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई का जरिया बनाया जाता है। चूँकि सरकारों ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है तो उसकी व्यापक पैमाने पर तस्करी की जाती है। यहाँ पर इस बात का जिक्र जरूरी है कि युनाइटेड नेशंस आफिस ऑन ड्रग्स एण्ड क्राइम (UNODC) के इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) की 2018 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के प्रमुख केन्द्रों में से एक है। इन द्रव्यों में कैनबिस से लेकर ट्रामाडोल जैसे नये सिंथेटिक ओपियोइड और मेथमफेटामाइन जैसे डिज़ाइनर ड्रग्स भी शामिल हैं।[3]

पूरे विश्व में अवैध मादक द्रव्यों का व्यापार 400 से 500 अरब डॉलर के ऊपर पहुँच गया है। इसका स्वरूप अत्यन्त संगठित और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का है। विश्व में हथियारों के व्यापार के बाद मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार ही सर्वाधिक हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जानकारी के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था का लगभग दो प्रतिशत इस अवैध व्यापार से जुड़ा है।[4] मादक द्रव्यों के दुरूप्रयोग से स्वास्थ्य सम्बन्धी जो समस्याएं होती हैं वो तो हैं ही परन्तु इससे जुड़ी हुई जो गम्भीरतम समस्यायें हैं वो हैं– अपराध, हिंसा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ। मादक द्रव्यों की तस्करी से जो भी आय होती है उसका एक बहुत बड़ा भाग आतंकवादी गतिविधियों में व्यय किया जा रहा है।[5]

इसमे कोई दो राय नहीं कि अगर कोई राष्ट्र अपनी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से घिरा रहे तो उस राष्ट्र के तमाम मामलों में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ने की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसा किसी दौर में विऐतनाम के साथ हुआ, जब अमेरिका ने वहॉ हस्तक्षेप किया। जिसके बाद विऐतनाम के आस–पास के राष्ट्रों यथा– थाईलैण्ड, म्याँमार, लाओस में अफीम की खेती शुरू हो गई। कालांतर में थाईलैण्ड, म्यॉमार और लाओस ही मादक द्रव्यों की तस्करी के कारण **स्वर्णिम त्रिकोण (गोल्डन ट्रायंगल)** के रूप में चर्चा में आये। यहॉ पर पैदा होने वाली अफीम म्यॉमार के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन के रूप में अवैध रूप से आई। ये वो समय था जबकि पूर्वोत्तर भारत के सातों राज्यों में किसी न किसी रूप में उग्रवाद जारी था। ये उग्रवादी भी आंतक के माध्यम से मादक द्रव्यों की तस्करी में लिप्त हो गये।[6]

भारत अपने पूर्वोत्तर में इस सुरक्षा समस्या से जूझ ही रहा था कि 1979 में अफगानिस्तान की अस्थिरता के मद्देनजर सोवियत संघ ने शीतयुद्ध में अपनी उपस्थिति बनाने रखने के लिए अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेज दिया। पाकिस्तान तब अमेरिका का करीबी था। उसने अफगानिस्तान में सोवियत सेना भेजे जाने का मुद्दा अमेरिका की शह पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। यहीं पर अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगान मुजाहिदों को तैयार किया जो कालान्तर में तालिबान के रूप में नज़र आये। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान में अफीम की खेती और उसकी पैदावार को प्रोत्साहित किया। इसकी तस्करी से होने वाली आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में सोवियत संघ के विरूद्ध तैयार किये गये मुजाहिदीनों पर किया गया। ये अफीम की खेती इस कदर बढ़ गई कि पाकिस्तान–अफगानिस्तान–ईरान इसके लिए पूरे विश्व में चर्चित हो गये। पाक–अफगानिस्तान–ईरान का यह अफीम खेती का गुट विश्व में **स्वर्णिम अर्द्धचन्द्राकार (गोल्डन क्रीसेंट)** के रूप में जाना जाता है।[7] **भारत की अवस्थिति एवं भू–स्त्रातजी इस प्रकार की है कि भारत गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट के मध्य स्थित है। परिणामतः भारत में मादक द्रव्यों की तस्करी सतत रूप से जारी है।**

मादक द्रव्य और आतंकवाद (नार्को टेररिज़्म)

''जब मादक द्रव्यों की तस्करी से होने वाली आय का उपयोग संगठित रूप से आतंकवादी संगठनों को इस आशय से दिया जाय कि वह आतंकी संगठन विशेष विचारों के मददेनजर क्षेत्र अथवा राष्ट्र विशेष में आतंकवादी गतिविधियों के संचालन के साथ–साथ आतंकी घटनाओं को अंजाम देगा तो ऐसा कृत्य नार्को टेररिज्म कहा जाता है।'' मादक द्रव्यों की तस्करी में तस्करों का साधन और साध्य दोनों धन है। वही दूसरी तरफ आतंकवाद को पोषित करने वाले राष्ट्र आतंकी संगठन और तस्करों के बीच एक कड़ी के रूप में मौजूद रहते है जिसके कारण धन के लेन–देन में कोई समस्या नहीं आती। शीतयुद्ध तथा शीत युद्धोत्तर काल में नार्को टेररिज़्म युद्ध के गैर परम्परागत तरीके के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। मादक द्रव्यों के तस्कर और आतंकवादी दोनों का उद्देश्य वर्तमान दौर में स्पष्ट है कि अपनी विचारधारा के पोषण के साथ–साथ धन लाभ कमाना है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि इनसे यह कार्य स्थापित सत्ताएं अपने शत्रु राष्ट्र में वहाँ की स्थापित सत्ता को हटाने के उद्देश्य से भी करती हैं।[8]

किसी भी आतंकवादी गतिविधि को प्रायोजित करना इतना आसान नहीं है। उसके लिये अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। यह अत्यधिक धन बगैर अवैध तरीकों को अपनाये प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आतंकवादी गतिविधियों के संचालन हेतु अपारम्परिक तरीके अपनाये

जाते हैं। इसमें सरकारी मशीनरी भी संलिप्त होती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान की भूमिका को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। पाकिस्तान की हेरोइन एवं हशीश की मांग साउथ एशिया से लेकर अमेरिका तक है। इन मादक द्रव्यों से प्राप्त धन का हिसाब लगाना कठिन है। चूंकि इन नशीले पदार्थों के व्यापार से अथाह दौलत प्राप्त होती है इसी कारणवश आतंकवादियों द्वारा असंगठित तस्करों से गठजोड़ कायम कर लिया जाता है।[9]

उल्लेखनीय है कि इस कृत्य की शुरूआत सबसे पहले अमेरिका में हुई जब नशीले द्रव्यों के तस्करों ने कोलम्बिया, पेरू, निकारागुआ और अमेरिकी महाद्वीप के देशों में संगठित रूप से तस्करी को एक व्यापार के रूप में अपनाकर वहॉ समानान्तर सरकारों की स्थापना कर दी। ये सभी राज्य कोकीन और केनीबीस के प्रमुख उत्पादक थे। वहाँ की अर्थव्यवस्था की निर्भरता मादक द्रव्यों पर ही आधारित है। अमेरिका और यूरोप में मादक द्रव्यों की खपत भारी मात्रा में होती है। परन्तु इसके दुष्परिणामों को देखते हुए अमेरिका के सामान्य नागरिकों ने 1980 के दशक में इसके विरूद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिया था। तब सरकार को भी इसको लेकर कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ा।[10]

अकादमिक जगत में यह बात अब जग जाहिर है कि मादक द्रव्यों की तस्करी से प्राप्त धन द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ तथ्य हैं जो इस प्रकार हैं :– [11]

➢ मादक द्रव्यों के उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था पूर्णतः हो या आंशिक हो, इन नशीले पदार्थों की तस्करी पर निर्भर है। यदि इन देशों में अन्य प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया तो कानून की सख्ती भी इसके व्यापार को रोक नहीं पायेगी।

➢ मादक द्रव्यों की तस्करी में लेन–देन नकद होता है। इसलिए इसका हिसाब रख पाना अथवा इसका अनुमान लगाना कि कितने धन का लेन–देन हुआ है, ये संभव नहीं है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं होती।

➢ मादक द्रव्यों की तस्करी में जो धन प्रयोग में लाया जाता है वह कोई टैक्स युक्त धन नहीं होता। इसमें ब्लैक मनी ही प्रयोग में लायी जाती है। तस्करों के माध्यम से इस व्यापार में ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील किया जाता है अर्थात् अवैध धन को मनी लांडरिंग के माध्यम से वैध बनाकर हवाला के माध्यम से इधर से उधर किया जाता है।

➢ यह बात भी जग जाहिर हो चुकी है कि कतिपय शासन सत्ता और राष्ट्र राज्य आतंकवाद को समर्थन देने में संलिप्त हैं। ऐसी परिस्थिति में तस्करों और आतंकवादियों के गठजोड़ से कुछ नकारात्मक व्यक्तित्व वैश्विक स्तर पर स्वयं को राजनेता के रूप स्थापित करना चाहते हैं। राजनीति के वैश्विक अपराधीकरण का एक प्रमुख कारण ये तस्कर, आतंकवादी तथा नेताओं का गठजोड़ भी है।

आइये, समझते हैं कि मनी लांडरिंग और हवाला किस प्रकार मादक द्रव्यों की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ते हैं।

मनी लांडरिंग को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं :– ''**अवैध प्रक्रिया से अर्जित धन में व्यक्ति विशेष की पहचान छिपाकर उस अर्जित धन को वैध स्रोत से अर्जित किया हुआ प्रदर्शित करने की प्रकिया ही मनी लांडरिंग कहलाती है।**'' [12]

सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो ब्लैक या डर्टी मनी को व्हाइट मनी में परिवर्तित करना मनी लांडरिंग है।[13] मादक द्रव्यों के केस में राष्ट्र के अन्दर आमदनी स्थानीय मुद्रा में होती है तथा लांडरिंग का कार्य समानान्तर अर्थव्यवस्था के तहत होता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आमदनी अमेरिकी डॉलर के रूप में होती है। इसमें चूँकि तस्कर अधिकतर वही होते हैं जो शस्त्रों का भी व्यापार/तस्करी करते हैं तो वे वस्तु विनिमय प्रक्रिया के तहत धन के स्थान पर शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। आतंकवादियों के लिए यह एक आसान रास्ता होता है शस्त्र प्राप्त करने का।[14]

हवाला एक ऐसी प्रक्रिया है **जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसों (धन) का लेन–देन नियमानुसार बैंकिंग की बजाय किसी अन्य माध्यम से होता है। यह एक प्राचीन प्रक्रिया है। ऐसा माना जाता है कि यही प्रक्रिया प्राचीन काल में रेशम व्यापारियों द्वारा रास्ते के चोर लुटेरों से अपने धन को बचाने के लिए अपनायी जाती थी।** [15] तमाम भारतीय नागरिक देश के बाहर मध्य एशिया अथवा अरब देशों में काम करते हैं। अपने घर, परिवार, रिश्तेदारों को धन पहुँचाने के लिए हवाला का सहारा लेते हैं। जो कोई अपने परिजन को पैसा भेजना चाहता है वह हवालादार को उतनी रकम डॉलर में देता है, वह हवालादार अपना कमीशन काट कर उसे अपने एजेन्ट के माध्यम से रूपये में परिवर्तित कराकर सम्बन्धित लाभार्थी तक पहुँचा देता है। इसमें सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। अन्तर्राष्ट्रीय हवाला के लेन–देन में धन सीमा पार नहीं करता। यह बहुत तेज गति से पहुंचता है। इसमें टैक्स का झंझट नहीं होता। कुल मिलाकर सरकार की आंखों में धूल झोंककर पैसों का लेन–देन होता है। आंतकवादियों और तस्करों ने इस हवाला प्रक्रिया के तहत करोड़ों–अरबों का लेन–देन किया। भारत सरकार द्वारा इस बात का खुलासा हो चुका है कि हवाला के माध्यम से कश्मीर में हुर्रियत और आई0एस0आई0 आतंकवादियों को धन मुहैया कराकर आंतकी गतिविधियों को अंजाम दिलवाते हैं।[16]

निष्कर्ष

मादक द्रव्यों के उत्पादन तथा तस्करी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा को भी प्रभावित किया है। युवाओं में नशे की लत ने उन्हें इस कदर अपाहिज बनाया है कि वे राष्ट्र के विकास में योगदान देने लायक नहीं बचते। इतना ही नहीं नशे का आदी व्यक्ति आसानी से अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है। वह मादक द्रव्यों की प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार के अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे युवा,

तस्करों तथा आंतकवादी गुटों के लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं।[17] इतना ही नहीं नार्को टेररिज़्म के बढ़ते प्रभावों ने राष्ट्र–राज्यों की वाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। स्थिति बद से बदतर तब और हो जाती है, जब इसमें किसी शत्रु राष्ट्र की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी एजेण्डा बनाकर काम करने लगती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह बात एकदम स्पष्ट है कि भारत को सतर्क रहने की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट का सीधा निशाना भारत ही है। ये बात अलग है कि भारत ने मादक द्रव्यों की आपूर्ति और मांग की कमी की रणनीति के माध्यम से इस समस्या से निपटने का प्रयास किया है। इस रणनीति में कानून बनाना, एन0जी0ओ0 के साथ सहयोग करना, निगरानी बढ़ाने के माध्यम से अपनी सीमाओं और तटों को सुरक्षित करना और साथ ही साथ अपने पड़ोसी देशों एवं अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से सक्रिय सहयोग की मांग करना शामिल हैं। इस ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या से निपटने के लिए जो भी धन व्यय होगा उसके लिए भारत सरकार ने एक अलग राष्ट्रीय कोष का निर्माण भी किया है।[18]

आज का भारत बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला युवाओं का देश है। ऐसे में मादक द्रव्यों के तस्कर और आतंकवादी गुटों का गठजोड़, पाकिस्तान की सरकार और खुफिया एजेंसी आई0एस0आई0 के साथ–साथ अफगानिस्तान में हुआ सत्ता परिवर्तन तथा तालिबान की चीन से नज़दीकी ये सब बातें भारत की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा बन चुकी हैं जिस पर गम्भीर चिंतन के साथ–साथ आवश्यक कदम उठाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

संदर्भ

1. डा0 सुरेश चन्द्र राजोरा, समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएं, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2006, पृष्ठ 212–13
2. कोफी अन्नान, द हिन्दुस्तान टाइम्स, न्यू देलही, जून 20, 2000 (editorial)
3. https://www.incb.org./documents/Publications/Annual Reports/AR2018/Annual.
4. नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली 5 जून 2015
5. वैश्विक परिदृश्य में आतंकवाद का बदलता स्वरूप https://www.ijsp.in/admin/ mvc/upload/60114.
6. उदय भानु सिंह, चैलेंजेस टू बार्डर मैनेजमेंट इन इंडिया, म्यॉंमार रिलेशंस, वर्ल्ड फोकस अगस्त 2006, पृ0 33
7. आउटलुक, 23 फरवरी 2001, पृ0 24
8. परवेज इकबाल चीमा ''मीनैक ऑफ ड्रग ट्रैफिंकिंग इन साउथ एशिया'', नैंसी जैटली ''रीजनल सिक्योरिटी इन साउथ एशिया'', लासर बुक्स, नई दिल्ली, 1999, पृ0 372
9. प्रभात क्षितिज, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, नार्को टेररिज़्म एण्ड इंडियाज सिक्योरिटी वाल्यूम -xxiv जनवरी 2001 पृ0 1878
10 वही।
11 डा0 संजय कुमार एवं अनुराग जायसवाल, ''भारत की आंतरिक सुरक्षा : मुददे और चुनौतियॉं, सनराइज पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2010, पृ0 229
12 रॉबट पावल्स ''द मनी लाउनर्डर, पॉबस पब्लिसिंग शिकागो, पृ0 192
13 वही।
14 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, वाल्यूम -xxiv जनवरी 2001 पृ0 1890
15 एन0एस0 जमवाल, ''हवाला, द इनविसीविल फिनासिंग सिस्टम ऑफ टेरोरिज्म, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, वाल्यूम -xxvi नं0–2, अप्रैल–जून 2002 पृष्ठ 182–83
16 वही
17 https://www.jagran_compeditorial/apnibat-drug-addiction-and-our-society-and-youth-20781239.html.
18 वही।

9

भारत में बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान : एक अवलोकन

डॉ0 कमल सिंह
एसोसिऐट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग)
हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरादाबाद, उ०प्र०

सारांश

वर्तमान समय में हमारे देश में अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं, जो देश की तरक्की में बाधा बनकर खड़ी हैं। उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या बेरोजगारी की है। भारत में विशाल जनसंख्या के कारण लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। भारत में बेरोजगारी ने देश के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न कर दी है, जिससे गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं एवं अन्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों के द्वारा बेरोजगारी दूर करने के उपाय किये जाते रहे हैं, फिर भी देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में हमने प्रस्तावना, भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ, भारत में रोजगार की संरचना एवं भारत में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन किया है, साथ ही साथ हमने भारत में बेरोजगारी के कारणों, भारत में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय एवं सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का अध्ययन किया है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में बेरोजगारी की समस्या एक गम्भीर समस्या है।

मुख्य शब्द

बेरोजगारी, रोजगार, रोजगार कार्यक्रम, बेरोजगारी दर, शिक्षित बेरोजगारी, रोजगार के अवसर, मशीनीकरण, जनसंख्या वृद्धि।

प्रस्तावना

आजादी के बाद देश में उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आयी है जिससे भारत में जनसंख्या विस्फोट का दौर शुरू हो गया है। भारत में शिक्षा के प्रसार और महिलाओं में रोजगार पाने की इच्छा के कारण श्रम की पूर्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिस कारण भारत में रोजगार की बढ़ती माँग को पूरा कर पाना सम्भव नहीं रह गया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि होने के कारण कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ी है। भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या दो प्रकार से बढ़ रही है। एक तो शहरों में स्थायी रूप से रहने वालों के लिए रोगजार के अवसरों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकी है, तथा दूसरे गाँवों में भूमि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के कारण लोग शहरों की ओर तेजी से भाग रहे हैं। इसलिए ग्रामीण लोगों के शहरों में आने के कारण शहरों में भी बेरोजगारी की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। भारत में पिछले दो सालों में कोरोना महामारी के कारण भी रोजगार की स्थिति चिन्ताजनक हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0एल0ओ0) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी ने पिछले 30 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है। सेण्टर फॉर मॉनीटरिंग इण्डियन इकोनॉमी (सी0एम0आई0ई0) के आँकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत के बजाय शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है। मई 2021 में जहाँ शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 13.90 प्रतिशत रही, वही ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 10.60 प्रतिशत रही। सी0एम0आई0ई0 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी राज्यों में हरियाणा बेरोजगारी के मामले में सबसे आगे है, यहाँ के 35.10 फीसदी लोग आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। दूसरे नम्बर पर राजस्थान है जहाँ यह दर 28 प्रतिशत एवं तीसरे स्थान पर दिल्ली है जहाँ बेरोजगारी दर 27.30 प्रतिशत है।

भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ

भारत में रोजगार प्रवृत्तियों की जानकारी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों से प्राप्त होती है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को रोजगार प्राप्त है, वे कार्यशक्ति का हिस्सा माने जाते हैं और जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, वे बेरोजगार की श्रेणी में शामिल किये जाते हैं। निम्न सारणी के माध्यम से श्रमशक्ति, कार्यशक्ति एवं बेरोजगारी की स्थिति को दर्शाया गया है –

सारणी –1

श्रमशक्ति, कार्यशक्ति तथा बेरोजगारी (UPSS)

विवरण	1993–94 (मिलियन में)	1999–2000 (मिलियन में)	2004–2005 (मिलियन में)	2009–2010 (मिलियन में)	2011–2012 (मिलियन में)	CAGR 1993–94 से 1999–2000	CAGR 1999–2000 से 2004–05	CAGR 2004–05 से 2009–10	CAGR 2009–10 से 2011–12
श्रमशक्ति	381.94	406.85	468.73	472.33	483.75	1.06	2.87	0.15	1.20
कार्यशक्ति	374.45	397.88	457.56	462.49	472.91	1.02	2.83	0.21	1.12
बेरोजगारी	7.49	8.97	11.17	9.84	10.84				
	श्रमशक्ति के अनुपात (प्रतिशत) के रूप में								
बेरोजगारी दर	2.0	2.2	2.4	2.1	2.2				

स्रोत : C. Rangarajan, Seema and E.M. Vibeesh, "Development in the Workforce between 2009-10 and 2011-12", Economic and Political Weekly, June 7, 2014, Table 2, P – 118.

टिप्पणी

1. कार्यशक्ति सम्बन्धी सभी ऑकड़े UPSS अर्थात् Usual Principal and Subsidiary Status (सामान्य मुख्य एवं गौण स्थिति) के ऑकड़े हैं।

2. CAGR का अर्थ है– Compound Annual Growth Rate या चक्रवृद्धि वृद्धि दर।

उपरोक्त सारणी को देखने से यह पता चलता है कि वर्ष 1993–94 में बेरोजगारी 7.49 मिलियन थी जो वर्ष 2011–12 में बढ़कर 10.84 मिलियन हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 1993–94 में जो बेरोजगारी दर 2.0 प्रतिशत थी वो वर्ष 2011–12 में बढ़कर 2.2 प्रतिशत हो गयी थी। इसी प्रकार जहाँ श्रमशक्ति की CAGR वर्ष 1993–94 में 1.06 थी, वो वर्ष 2011–12 में 1.20 हो गयी, तथा कार्यशक्ति की दर जो वर्ष 1993–94 में 1.02 थी वो वर्ष 2011–12 में 1.12 हो गयी थी।

भारत में रोजगार की संरचना

प्रस्तुत सारणी में रोजगार की संरचना का अध्ययन किया गया है जिसमें रोजगार का वितरण, संगठित क्षेत्र में रोजगार तथा शहरी व ग्रामीण रोजगार की संरचना का विस्तार से अध्ययन किया गया है–

सारणी – 2

विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का अनुपात (सामान्य मुख्य व गौण स्थिति अनुसार)

वर्ष 1972–73 से वर्ष 2011–12 तक (प्रतिशत के रूप में)

उद्योग	1972–73	1983	1993–94	2004–05	2011–12
1. कृषि व संबद्ध व्यवसाय	**73.9**	**68.6**	**64.8**	**58.5**	**48.9**
2. उद्योग	**11.3**	**13.8**	**14.7**	**18.1**	**24.4**
क. खनन तथा उत्खनन	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5
ख. विनिर्माण	8.9	10.6	10.5	11.7	12.8
ग. बिजली, गैस व जल आपूर्ति	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4
घ. निर्माण	1.8	2.3	3.1	5.6	10.7
3. सेवाऐं	**14.8**	**17.6**	**20.5**	**23.4**	**26.7**
क. व्यापार, होटल व रेस्तरां	5.1	6.3	7.4	10.2	11.4
ख. परिवहन भण्डारण एवं संचार	1.8	2.5	2.8	3.8	4.4
ग. वित्तीय वास्तविक सम्पदा, व्यवसायिक सेवायें	0.5	0.7	0.9	1.5	2.6
घ. सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएँ	7.4	8.1	9.4	7.9	8.3
कुल रोजगार	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : Institute of Human Development, India Labour and Employment Report 2014 (Delhi, 2014), Table 3.5, P – 208.

उपरोक्त सारणी को देखने से पता चलता है कि कृषि व संबद्ध व्यवसाय में वर्ष 1972–73 में जहाँ 73.9 प्रतिशत लोग लगे हुए थे, वो वर्ष 2011–12 में मात्र 48.9 प्रतिशत रह गये। इसी प्रकार वर्ष 1972–73 में जहाँ उद्योगों में 11.3 प्रतिशत लोग लगे हुये थे, वो वर्ष 2011–12 में बढ़कर 24.4 प्रतिशत हो गये। वर्ष 1972–73 में जहाँ सेवाओं में 14.8 प्रतिशत लोग लगे हुये थे, वो वर्ष 2011–12 में बढ़कर 26.7 प्रतिशत हो गये।

भारत में बेरोजगारी की समस्या

वर्ष 1951 से वर्ष 2011 तक की अवधि में भारत में जनसंख्या लगभग 2.10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की तेज गति से बढ़ती रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि श्रम बाजार में नौकरी की तलाश करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। सुविधा की दृष्टि से हम भारत में बेरोजगारी को दो श्रेणियों में बॉट सकते हैं –

1. **शहरी बेरोजगारी –** यह दो प्रकार की होती है– जब पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और दूसरी जब उद्योगों में काम करने वाले लोगों को काम नहीं मिलता है।

2. **ग्रामीण बेरोजगारी –** यह मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी एवं प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहलाती है।

निम्नलिखित सारणी के माध्यम से बेरोजगारी की स्थिति को लिंग, स्थान तथा स्थिति के अनुसार दर्शाया गया है –

सारणी – 3

लिंग, स्थान तथा स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दरें (प्रतिशत में)

वर्ष	बेरोजगारी दर					
	पुरूष			स्त्रियाँ		
	UPSS	**CWS**	**CDS**	**UPSS**	**CWS**	**CDS**
ग्रामीण						
1972–73	1.2	3.0	6.8	0.5	5.5	11.2
1977–78	1.3	3.6	7.1	2.0	4.1	9.2
1983	1.4	3.7	7.5	0.7	4.3	9.0
1987–88	1.8	4.2	4.6	2.4	4.4	6.7
1993–94	1.4	3.1	5.6	0.9	2.9	5.6
शहरी						
1972–73	4.8	6.0	8.0	9.0	9.2	13.7
1977–78	5.4	7.1	9.4	12.4	10.9	14.5
1983	5.1	6.7	9.2	4.9	7.5	11.0
1987–88	5.2	6.6	8.8	6.2	9.2	12.0
1993–94	4.1	5.2	6.7	6.1	7.9	10.4

स्रोत : Revised Report No. 406 (Key Results of 50th Round of NSSO) and Reports of successive Rounds of NSSO Survey on Employment and Unemployment.

टिप्पणी –

UPSS = सामान्य मूल तथा गौण स्थिति (Usual Principal and Secondary Status)

CWS = चालू साप्ताहिक स्थिति (Current Weekly Status)

CDS = चालू दैनिक स्थिति (Current Daily Status)

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के विभिन्न दौरों से सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा दैनिक स्थिति तथा बेरोजगारी के आंकड़े वर्ष 1972–73, 1977–78, 1983, 1987–88 एवं 1993–94 के लिए उपलब्ध हैं। वर्ष 1972–73 से 1993–94 के बीच की अवधि में कोई स्पष्ट प्रवृत्तियाँ नहीं प्रदर्शित होती हैं।

भारत में बेरोजगारी के कारण

भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं –

1. **जनसंख्या में तीव्र वृद्धि –** विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 11 प्रतिशत लोग बेरोजगार थे जिनकी संख्या वर्तमान में बहुत अधिक हो गयी है।

2. **अपर्याप्त रोजगार के अवसर –** तीव्रगति से जनसंख्या के बढने के कारण उस अनुपात में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो रही है।

3. **मशीनीकरण –** हाथ से जो काम एक व्यक्ति 10–12 दिनों में करता है, वह काम मशीन एक घण्टे में कर देती है।

4. **कृषि का पिछड़ापन –** भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग कृषि से ही आता है अर्थात् कृषि ही ग्रामीण भारत की जीविका का मुख्य साधन है, तकनीकी अभाव के कारण भारतीय कृषि लगातार पिछड़ती जा रही है, जो बेरोजगारी को जन्म दे रही है।

5. **पूँजी का अभाव –** देश में किसानों की आय कम होने के कारण उनके द्वारा बचत नहीं हो पाती, जिस कारण वह विनियोग नहीं कर पाते, और इसलिए रोजगार के अवसर कम रह जाते हैं।

6. **विकास की धीमी गति –** भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर लक्ष्य से काफी नीचे रही है, इस कारण भी भारत में रोजगार के अवसरों में अधिक वृद्धि नहीं हो पायी है।

7. **दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली –** भारत में बेरोजगारी की समस्या का एक प्रमुख कारण यहाँ दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का होना है। भारत में अधिकतर शिक्षण संस्थाओं में किताबी शिक्षा दी जाती है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में व्यवहारिक शिक्षा का काफी हद तक अभाव रहा है।

8. **उदारीकरण –** वर्ष 1991 में आर्थिक नीतियों को अपनाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कई बदलाव आये, जिससे विदेशी मुद्रा भण्डार तो बढा, लेकिन उद्योग धन्धों में लगे कामगारों के लिए कई प्रकार की समस्याएँ होने लगीं।

9. **बेरोजगारी के अन्य कारण –** बेरोजगारी का एक कारण भारत में दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन भी है। भारत में काफी हद तक रोजगार के लिए इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार के बारे में सूचना न मिलना भी एक कारण है। भारत में कुरीतियों, परम्पराओं व अंधविश्वासों का ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बोलबाला है, जिस कारण उनकी गतिशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

भारत में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय एवं भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम

भारत में निम्नलिखित उपायों द्वारा एवं सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगारी को काफी हद तक कम किया जा रहा है –

1. **जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण –** भारत में सरकार द्वारा कानून बनाकर जनसंख्या पर नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए। इससे श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आयेगी जिससे बेरोजगारी कम होगी।

2. **लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास –** भारत में ये उद्योग ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थापित हैं, तथा ये उद्योग देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इन उद्योगों में पूंजी काफी कम लगती है, और ये परिवार के सदस्यों द्वारा ही संचालित किये जाते हैं। सरकार को इनके विकास के लिए पूँजी उपलब्ध करानी चाहिए।

3. **विनियोग में वृद्धि –** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में बड़े पैमाने पर पूँजी का विनियोग कर बेरोजगारी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो कि श्रम प्रधान हों। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा तथा बेरोजगारी कम होगी।

4. **व्यावसायिक शिक्षा –** देश में शिक्षा पद्धति को बदलने की आवश्यकता है। हालॉकि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 देश में लागू कर दी है जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि यह लोगों को रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करके बेरोजगारी को कुछ कम करने में सहायक सिद्ध होगी।

5. **सहायक उद्योगों का विकास –** भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के सहायक उद्योगों जैसे मछली पालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, बागवानी, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन आदि का विकास करना चाहिए।

6. **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम –** यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करने के लिए प्रारम्भ किया था। इसका उद्देश्य कृषि श्रमिकों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों व अन्य गरीब व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

7. **ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम –** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, खेतिहर मजदूर रोजगार गारन्टी कार्यक्रम एवं ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना और जवाहर रोजगार योजना आदि का ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

8. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम – यह कार्यक्रम भारत में वर्ष 1978–79 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना है।

9. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना – यह योजना भारत में वर्ष 1999 से चल रही है, इसका नया नाम अब आजीविका है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार तथा कौशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम बनाकर गरीबी को हटाना है।

10. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना – भारत में यह योजना वर्ष 2001 में प्रारम्भ की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था करना है, जिससे ग्रामीणों को खाद्य सुरक्षा मिल सके।

11. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना – भारत में यह योजना वर्ष 1997 से चल रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व अल्परोजगार लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था कराना है।

12. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना – भारत में 2 फरवरी, 2006 को इस योजना को लागू किया गया तथा पूरे देश में धीरे–धीरे चरणबद्ध तरीके से इसका क्रियान्वन किया गया। इस योजना के अन्तर्गत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन काम की कानूनी गारन्टी देने की व्यवस्था की गयी है।

निष्कर्ष

भारत प्राचीन काल से ही विशाल देश रहा है, यहाँ की जनसंख्या पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरे नम्बर पर आती है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र भी है। वर्तमान समय में पूरा विश्व अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनसे भारत भी अछूता नहीं रहा है। भारत में अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं, जिनमें बेरोजगारी की समस्या प्रमुख है। यद्यपि अनेकों उपायों द्वारा एवं भारत सरकार द्वारा चलाये गये अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं द्वारा भारत में बेरोजगारी को रोकने या कम करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन फिर भी यह समस्या वर्तमान समय में विकराल रूप लेती जा रही है।

संदर्भ

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, वी0के0 पुरी एवं एस0के0 मिश्र
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, संजीव वर्मा
3. दैनिक जागरण – दैनिक समाचार पत्र
4. हिन्दुस्तान – दैनिक समाचार पत्र
5. https://www.nayadost.in>2020/12

10

जनसंख्या वृद्धि और भारतीय समाज

डॉ0 बलराम सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र विभाग)

साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद

सारांश

भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक लोकतान्त्रिक देश है। भारत में सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, धार्मिक मान्यताओं, परम्पराओं के प्रभाव में जनसंख्या नियन्त्रण के सभी प्रयास उल्लेखनीय स्तर तक सफल नहीं हो पायें हैं। देश में उपलब्ध संसाधनों से 135 करोड़ देशवासियों का गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर बनाना कठिन हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छ जल आदि मूलभूत सुविधाओं से कुछ लोग आज भी वंचित हैं। भविष्य की योजनाओं को बनाने से पहले जनसंख्यात्मक तत्वों यथा जनसंख्या का आकार, संरचना, प्रजनन दर, वृद्धि दर आदि का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है, साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जनसंख्या विशेष के आचार–व्यवहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यों को समझकर लोगों को प्रोत्साहित करके परिवार नियोजन कार्यक्रमों को जन सहभागी बनाना जरूरी है। चिकित्सा सुविधाओं के विकास के कारण मृत्यु दर कम हो गयी, जीवन प्रत्याशा बढ़ गयी, जन्म दर कम तो हुई लेकिन सामाजिक–धार्मिक मान्यताओं की वजह से अपेक्षित स्तर तक गिरावट नहीं आयी। भारत में पिछले दो दशकों से 18 करोड़ से अधिक लोग प्रति दशक जुड़ते जा रहे हैं। जनसंख्या नीति 2000 में दीर्घकालीन लक्ष्य, वर्ष 2045 में जनसंख्या के स्थिर करने का है। देश में उपलब्ध उत्पादन के संसाधनों और मानव संपदा के बीच उचित प्रबन्ध के लिये जनांकिकीय अध्ययनों की महती आवश्यकता है।

मुख्य शब्द

लोकतान्त्रिक, जनसंख्यात्मक तत्व, उत्पादन के संसाधन, मानव संपदा, जनांकिकीय।

भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला विकासशील लोकतांत्रिक देश है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1952 में जनसंख्या नियन्त्रण के प्रयास के रूप में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया। जीवन की गुणवत्ता और समाज के समग्र विकास के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास हेतु विशेष प्रावधान किये गये, ताकि सम्पूर्ण जनसंख्या की भोजन की व्यवस्था की जा सके और अनाजों का आयात ना करना पड़े। 1970 के दशक में हरित क्रान्ति के दौरान उच्च उपज के धान व गेहूँ के उत्पादन से आत्मनिर्भरता बढ़ी। आर्थिक विकास में वृद्धि हुई, परन्तु परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि की दर को नियन्त्रित करने में असफल रहा। आर्थिक विकास का प्रभाव तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण जीवन स्तर में गुणात्मक नये परिवर्तन नहीं ला पाया। आज भी भारत की लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म दर शहरी क्षेत्र से अधिक है। गांवों में परिवारों को सीमित करने की तत्काल आवश्यकता है। ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के लिये परिवार नियोजन क्लीनिक की प्रमुखता से पहुंच में होना आवश्यक है। गांव वालों की जन्म नियन्त्रण विधियों के विषय में अज्ञानता, बडे परिवार के पक्ष में परम्परात्मक भावनात्मक सामाजिक शक्ति और धार्मिक विश्वासों की प्रबलता जनसंख्या वृद्धि में सहायक हो रही है। लगभग 135 करोड़ लोगों का देश अपने नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण जीवन देने में संघर्ष कर रहा है। कोविड़–19 वैश्विक महामारी के समय भारत सरकार को 86 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को राशन वितरण व्यवस्था के द्वारा मुफ्त खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ी। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति 116 देशों में 101वें स्थान पर है जो पडोसी देश पाकिस्तान (92), बांग्लादेश (76) और नेपाल (76) से भी नीचे है। देश के पास उपलब्ध भरण–पोषण के संसाधनों पर इतनी बड़ी जनसंख्या का भारी दबाव है। जनसंख्या वृद्धि अनेक अन्य पहलुओं जैसे– निर्धनता, बेरोजगारी, स्तरीकरण, अलगाव, बचत, निवेश, शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी, पर्यावरण आदि से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। 1901 में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ 83 लाख थी, आज अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1901 की भारत की कुल जनसंख्या के बराबर है। यही कारण है कि अतीत में अनेक समाज वैज्ञानिकों ने अपने मानव सम्बन्धी चिन्तन में जनसंख्यात्मक तत्वों पर ध्यान दिया है। भारत में टिकाऊ आर्थिक वृद्धि, सतत् आजीविका तथा मानवीय विकास को समन्वित ढंग से आगे बढ़ाने के लिये एक समग्र योजना की आवश्यकता है। प्रस्तुत लेख इन्टरनेट के माध्यम से जनगणना 2011 और जनगणना आयुक्त नमूना पंजीकरण प्रणाली की साईट से प्राप्त तथ्यों के आधार पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है।

तालिका संख्या–01

भारत में जनसंख्या वृद्धि 1901–2011

जनगणना वर्ष	जनसंख्या	प्रति दशक वृद्धि	
		वास्तविक संख्या	प्रतिशत
1901	23,83,96,327	-	-
1911	25,20,93,390	1,36,97,063	5.75
1921	25,13,21,213	-7,72,177	-0.31
1931	27,89,77,238	2,76,56,025	11.00
1941	31,86,60,580	3,96,83,342	14.22
1951	36,10,88,090	4,24,27,510	13.31
1961	43,92,34,771	7,81,46,681	21.64
1971	54,81,59,652	10,89,24,881	24.80
1981	68,33,29,097	13,51,69,445	24.66
1991	84,64,21,039	16,30,91,942	23.87
2001	1,02,87,37,436	18,23,16,397	21.54
2011	1,21,01,93,422	18,14,55,986	17.64

स्रोत : भारत की जनगणना 2011 (https:censusindia.gov.in)

भारत में जनसंख्या वृद्धि 1901 से 2011 तक

तालिका संख्या–01 में प्रस्तुत विभिन्न जनगणना दशकों के आंकड़ों के आधार पर भारत में जनसंख्या वृद्धि को दिखाया गया है। जनगणना के अनुमानों के अनुसार 1921 से पूर्व के वर्षों में भारत की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हो रही थी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अपनी महत्तम स्थिति में थी, साथ ही स्थानान्तरण का देश की जनसंख्या पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं था। तालिका में भारत की जनसंख्या के आकार, दशक में वास्तविक वृद्धि और प्रतिशत वृद्धि को जनगणना वर्षों के अनुसार दर्शाया गया है। 1911–21 के दशक में तो जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर घट गई जिसका कारण 1918 में फैली महामारी थी। 1921 के बाद राज्य द्वारा संचालित आर्थिक व स्वास्थ्य सुधारों के फलस्वरूप मृत्यु दर में सुधार आने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के काल में मृत्यु दर में तीव्र व अप्रत्याशित सुधार के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष से ऊपर पहुंच गयी। परिणामस्वरूप यह 2001 में एक अरब को पार कर लगभग चार गुनी हो गयी। 1961 से 2001 तक वृद्धि दर 20 प्रतिशत प्रति दशक से ऊँची रही। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 21.54 प्रतिशत से घटकर 17.64 प्रतिशत हो गयी। दशकों से किये जा रहे सरकारी प्रयासों का जनसंख्या नियन्त्रण पर कुछ सकारात्मक परिणाम दिखायी दे रहा है। जनसंख्या नीति 2000 के एक लक्ष्य, 2045 तक 'जनसंख्या स्थिरता' की स्थिति प्राप्त करने की ओर एक आशा की किरण दिखायी देने लगी है। लगातार होते शहरीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, स्त्री शिक्षा में बढोत्तरी, विवाह करने की बढ़ती आयु, परिवार नियोजन के तरीकों की सुलभता और शिशु मृत्यु दर में निरन्तर गिरावट से जनांकिकीय बदलाव हो रहे हैं।

तालिका संख्या–02

आयु समूह के आधार पर भारत की जनसंख्या

आयु वर्षों में	जनसंख्या प्रतिशत में
0–14	34.4
15–59	58.7
60 व 60 से ऊपर	6.9

स्रोत : भारत की जनगणना 2011

भारत की जनसंख्या की आयु संरचना

किसी भी देश की जनसंख्या की आयु संरचना उसके जैविक शारीरिक स्वरूप को प्रकट करती है। मनुष्य की आयु उसकी आवश्यकताओं, कार्यक्षमताओं एवं विचारों को प्रभावित करती है। आयु मानव की क्षमता का सूचंकाक है। आयु संरचना के अध्ययन से किसी राष्ट्र की जनशक्ति, निर्भरता अनुपात, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों सम्बन्धी तथ्यों से योजना निर्माण में काफी सहायता मिलती है। 0–14 वर्ष का आयु समूह अनुत्पादक वर्ग है। यह वर्ग भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य आदि के लिये युवा व प्रौढ़ जनसंख्या पर निर्भर रहता है। तालिका संख्या–02 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 34.4 प्रतिशत भाग 14 वर्ष से कम आयु का है। जनसंख्या वृद्धि में हो रही गिरावट की वजह से इसकी संख्या घट रही है। भारत में सबसे बड़ा आयु समूह 15 से 59 वर्ष के बीच का है। सारणी संख्या 02 के अनुसार 58.7 प्रतिशत लोग युवा और प्रौढ़ वर्ग के हैं। यह आयु वर्ग सर्वाधिक क्रियाशील, सशक्त एवं आर्थिक रूप से उत्पादक होता है। जैविक शारीरिक दृष्टि से यह सर्वाधिक

पुनरूत्पादक वर्ग है। आर्थिक समीक्षा 2018–19 के अनुसार इस कामकाजी उम्र की जनसंख्या में वृद्धि 2021–31 के दशक में 9.7 मिलियन प्रति वर्ष और 2031–41 के दशक में 4.2 मिलियन प्रति वर्ष होने की सम्भावना है। यह जनांकिकीय लाभांश की स्थिति है, साथ ही सरकार के समक्ष रोजगार देने की चुनौती भी है। 60 व 60 वर्ष से ऊपर का वर्ग अनुत्पादक होता है और 15 से 59 आयु वर्ग पर निर्भरशील है। इस आयु वर्ग में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस वर्ग के स्वास्थ्य व सुविधाओं के लिये सरकार को प्रबन्ध करना पड़ेगा।

तालिका संख्या–03

क्षेत्र के आधार पर भारत और बीमारू राज्यों में सकल प्रजनन दर

विवरण	कुल	ग्रामीण क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र
भारत	2.2	2.4	1.7
बिहार	3.2	3.3	2.5
मध्य प्रदेश	2.7	3.0	2.1
राजस्थान	2.6	2.7	2.2
उत्तर प्रदेश	3.0	3.2	2.4

स्रोत : जनगणना आयुक्त, नमूना पंजीकरण प्रणाली, सांख्यिकी प्रतिवेदन 2016–18

भारत और प्रमुख राज्यों में सकल प्रजनन दर

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2016–18 के तालिका संख्या–03 में दिये गये आंकड़ों के अनुसार भारत में एक महिला अपने प्रजनन काल 15 से 49 वर्ष तक की आयु में औसतन 2.2 बच्चों को जन्म देती है। ग्रामीण क्षेत्र में कुल प्रजनन दर 2.4 तथा शहरी क्षेत्र में 1.7 है। देश की कुल जनसंख्या में बड़े भागीदार राज्यों में कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कुल प्रजनन दर बिहार में 3.2, उत्तर प्रदेश 3.0, राजस्थान 2.6 और मध्य प्रदेश 2.7 है। इन्हें बीमारू राज्य की संज्ञा दी गयी है। भारत के अधिकतर राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों में सकल प्रजनन दर राष्ट्रीय स्तर से कम है। भारत के सबसे अधिक लगभग 24 करोड जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश ने विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नीति 2021 का प्रस्ताव मंत्री परिषद में पास किया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 का लक्ष्य 2026 तक कुल प्रजनन दर 2.1 तथा 2030 तक 1.9 के स्तर पर लाना है। नीति को अभी लागू नहीं किया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुल गर्भधारण दर प्रतिस्थापन दर से अधिक है, हालांकि इसमें काफी कमी आती दिख रही है।

भारत और राज्यों की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि 2011 से 2041

आर्थिक समीक्षा 2018–19, खण्ड–1 के अध्याय–7, 'वर्ष 2040 में भारत की जनसंख्या 21वीं शताब्दी के लिये सरकारी प्रावधान की आयोजना' शीर्षक के अर्न्तगत 2011 से 2041 तक अनुमानित जनसंख्या के तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। तालिका संख्या–04 में 20 वर्षों की प्रक्षेपित जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में दिखायी गयी है। 2021 से 2041 के बीच प्रक्षेपित आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दो दशकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 12.1 प्रतिशत रहेगी। बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम व उत्तराखण्ड के अतिरिक्त सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय स्तर 12.1 प्रतिशत से नीचे रहेगी। दक्षिणी राज्यों, हिमाचल, पंजाब, महाराष्ट्र 2030 के दशक तक वृद्ध समाज की ओर बढ़ रहे होंगे।

तालिका संख्या–04

भारत और प्रमुख राज्यों की जनसंख्या (मिलियन में) 2011–41

राज्य	2011	2021	2031	2041	प्रक्षेपित वृद्धि दर 2021–41 (प्रतिशत में)
भारत	1210.6	1346.9	1443.2	1510.2	12.1
आन्ध्र प्रदेश	46.4	52.6	54.2	54.3	3.4
असम	31.2	33.5	36.1	37.9	12.9
बिहार	104.1	123.0	139.5	153.4	24.7
छत्तीसगढ़	25.5	28.5	30.7	32.4	13.8
दिल्ली	16.8	18.5	19.6	20.2	9.4
गुजरात	60.4	67.2	72.0	75.2	11.8
हरियाणा	25.4	28.1	30.0	31.4	11.7
हिमाचल प्रदेश	6.9	7.3	7.7	7.9	8.2

जम्मू व कश्मीर	12.5	13.6	14.8	15.5	13.4
झारखण्ड	33.0	37.6	41.2	44.6	18.8
कर्नाटक	61.1	65.7	68.1	68.7	4.7
केरल	33.4	35.6	37.2	37.9	6.4
मध्य प्रदेश	72.6	82.5	89.2	94.9	15.0
महाराष्ट्र	112.4	120.6	125.7	127.6	5.8
उड़ीसा	42.0	45.4	48.2	50.1	10.3
पंजाब	27.7	29.7	31.0	31.3	5.3
राजस्थान	68.5	78.6	86.1	92.6	17.8
तमिलनाडू	72.1	76.2	78.1	77.7	2.0
तेलंगाना	35.2	38.0	40.0	40.9	7.4
उत्तर प्रदेश	199.8	229.3	250.7	269.0	17.3
उत्तराखण्ड	10.1	11.4	12.2	12.8	12.3
प0 बंगाल	91.3	97.8	102.7	104.2	6.5

स्रोत : जनगणना आयुक्त, पंजीकरण नमूना प्रणाली, आई.आई.पी.एन. पूर्वानुमान

जनांकिकीय परिवर्तनों में पीछे रहने वाले राज्यों में 2021–41 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आयेगी, फिर भी इन दो दशकों में भारत की जनसंख्या की दो–तिहाई वृद्धि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड और बिहार में होगी। केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि का चालीस प्रतिशत इन दो राज्यों में होगा। क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण स्थानान्तरण में वृद्धि होगी। युवाओं के लिये रोजगार, वृद्धों के स्वास्थ्य व देखभाल की व्यवस्था पर योजनाबद्ध प्रयास करना होगा।

परिवार नियोजन की नीतियां और सामाजिक परिप्रेक्ष्य

जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव लाने के लिये योजनाकारों ने प्रारम्भ से ही जनसंख्या नियन्त्रण पर बल दिया है। भारत वह प्रथम देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया। अशिक्षा, धर्मान्धता, सामाजिक मूल्य व विश्वास, कृषि प्रधानता, गरीबी, महिलाओं की निम्न स्थिति, उच्च शिशु मृत्यु दर आदि कारणों से परिवार नियोजन कार्यक्रम में बाधाएं आयीं परन्तु 70 के दशक के आने तक जन्म दर में उल्लेखनीय कमी आने लगी। 80 और 90 के दशकों में जन्म दर की गिरावट अधिक त्वरित गति से हुई जिसके पीछे बदलता हुआ सामाजिक परिवेश व परिवार नियोजन कार्यक्रम थे। आज भारत में जनसंख्या की समस्या मुख्य रूप से एक क्षेत्रीय समस्या बन गयी है। सामान्य तौर पर यह समस्या चार प्रमुख राज्यों की है– उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जिनमें भारत की लगभग चालीस प्रतिशत जनसंख्या रहती है।

भारत में जनसंख्या नीति सर्वप्रथम 1976 में बनी। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री ने जनसंख्या नियन्त्रण की आवश्यकता पर बल देते हुए जो अनेक उपाय जन्म दर को कम करने के सुझाये, उनमें प्रमुख इस प्रकार हैं– बालिकाओं की शिक्षा में सुधार, विवाह की आयु बढ़ाना, परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के लिये व्यक्तिगत व सामूहिक प्रोत्साहन, जनसंचार प्रभावी बनाना, आवश्यक नसबन्दी पर विचार, गर्भपात की सुविधाओं में उदारीकरण, सभी सरकारी विभागों का सहयोग प्राप्त करना आदि। यह भी तय किया गया कि भविष्य में जब राज्यों को दिये जाने वाले वित्त का निर्धारण हो अथवा विधानसभा या लोकसभा की सीटों का निर्धारण हो तो 1981 व 1991 की जनगणना को आधार न बनाकर 1971 की जनगणना को ही आधार बनाया जाये। दुर्भाग्य से उस समय आपातकाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर उत्साह के अतिरेक का विपरीत प्रभाव हुआ। 1976–78 में नसबन्दियों की संख्या में तो वृद्धि हुई परन्तु परिवार नियोजन जन आन्दोलन नहीं बन पाया। लोकसभा में कांग्रेस की हार के बाद जनता पार्टी की सरकार आयी जिसने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की और इस बात पर बल दिया गया कि परिवार नियोजन को स्वेच्छा के आधार पर चलाया जाये।

सन् 2000 में तीसरी बार जनसंख्या नीति घोषित की गई, अन्य बातों के अलावा इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, लड़कियों की सुरक्षा और उत्तरजीविता, प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिये बेहतर सेवा तन्त्र की स्थापना, गर्भ निरोधकों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं पूरी करना, देर से विवाह करने और देर से माता बनने को प्रोत्साहित करना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 1971 की जनगणना के आधार को 2026 तक चलाना आदि को लक्ष्य बनाया गया। जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य जनसंख्या में वर्ष 2045 तक स्थायित्व प्राप्त करना है। इस नीति में जनसंख्यात्मक सम्बन्धी चिन्तन में पुनरूत्पादक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, लडकियों की सुरक्षा व उत्तरजीविता नये आयाम हैं। आज तक का जो जन्म दर के कारकों में विचार था वह समष्टि समाजशास्त्र के ढांचे में था, आज का विचार व्यष्टि समाजशास्त्र के ढांचे में है, समस्त विश्व में भी जो विचार चल रहा है वह निषेधात्मक न होकर स्वीकारात्मक है। ऐसा स्थापित हो चुका है कि राज्य को एक वस्तुगत वाह्य संस्था न होकर नागरिक समाज के प्रति अधिकाधिक प्रति संवेदी होकर चलना है। जनसंख्या की समस्या को आम जनता की सहायता से जन आन्दोलन चलाकर हल करना है। इसमें न किसी सांख्यिकीय गणनाओं के लिये स्थान है, न मिथ्या प्रतिवेदनों की आवश्यकता। जनसंख्यात्मक तत्वों को सही अर्थों में प्रजातान्त्रिक व मानवीय सन्दर्भों में देखकर व्यावहारिक योजनाएं बनाना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष

विश्व में भारत पहला देश है जहां 1952 में सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के द्वारा जनसंख्या नियन्त्रण का प्रयास किया। पिछले 69 वर्षों का परिणाम यह है कि 1951 में जहां जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, अब 2021 में लगभग 136 करोड़ हो गयी। भारत की सामाजिक विविधताओं और लोकतान्त्रिक प्रकृति ने जनसंख्या नियन्त्रण की योजनाओं को अपेक्षित लक्ष्यों तक पहुंचने ही नहीं दिया। 1901 की भारत की कुल जनसंख्या 23.86 करोड के बराबर आज उत्तर प्रदेश अकेले राज्य की जनसंख्या है। मानव जीवन की उच्च गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि देश की जनसंख्या के आकार, संरचना, वृद्धि आदि तत्वों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाये और जनसंख्या नियन्त्रण की योजनाओं को लागू करने में समाजशास्त्रीय अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर जन सहभागिता बढ़ाने में सहायता ली जाये।

संदर्भ

1. बोस, आशीष, 2011, ''डैमोग्राफिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया'', बी0आर0 पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, न्यू दिल्ली
2. बोस, आशीष, ''नार्थ–साउथ डिवाइड इन इण्डियाज डैमोग्राफिक सीन'', इकोनोमिक एण्ड पॉलीटिकल वीकली 2000, 35 (2)
3. शर्मा ए0के0, 1990, ''गान्धियन पर्सपेक्टिवस् ऑन पापुलेशन एण्ड डवलपमेन्ट'', कन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, न्यू दिल्ली
4. https://ensusindia.gov.in – भारत की जनगणना 2011
5. https://www.indiabudget.gov.in – भारत की आर्थिक समीक्षा 2018–19, खण्ड–1 अध्याय 07
6. मजुमदार, डी0एन0, 1960, ''सोशियल कन्टूर्स ऑफ एन इन्डस्ट्रियल सिटी'', बाम्बे
7. लोरिमट, एफ0 एट ओल, 1954, ''कलचर एण्ड ह्यूमन फर्टिलिटी'', यूनेस्को, पेरिस
8. मैन्डलबोम, डी0जी0, 1974, ''दी ह्यूमन फर्टिलिटी इन इंडिया'', यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, बर्कले

11

कृषि बिल -- विचारधारायें एवं समाधान

डॉ0 अनिता ए. पाण्डेय
एसोसिऐट प्रोफेसर (रसायन विज्ञान विभाग)
धर्म समाज कॉलेज, अलीगढ़

सारांश

भारत सरकार द्वारा देश के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किसान और किसान संगठनों की राय लिये बिना तीन कृषि कानून बनाए गये। कृषि कानूनों में दी गयी व्यवस्था को किसानों के हितों के विरूद्ध मानते हुए किसान एवं किसान संगठनों द्वारा कृषि कानूनों का विरोध करते हुए देशव्यापी धरना, प्रदर्शन आदि प्रारंभ कर दिया गया। किसान संगठनों द्वारा आशंका व्यक्त की गयी कि इन कानूनों से उनकी जमीन उनके हाथ से निकल जाएगी, कृषि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, कांट्रेक्ट फार्मिंग में अनुबंधकर्ताओं द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीद की जाएगी, आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन से व्यापारियों को असीमित भण्डारण के अधिकार मिल जाएंगें जिसका किसानों के हितों के विरूद्ध प्रयोग किया जाएगा। किसानों की आशंकाएं निर्मूल नहीं हैं। सरकार द्वारा कृषि कानून जल्दबाजी में पास कराया गया तथा किसान और किसान संगठनों से राय–मशवरा नहीं किया गया। भारत सरकार द्वारा किसानों से संवाद करके उन्हें आश्वस्त करना चाहिए। किसानों के हितों को संरक्षित करने हेतु सरकार को एम.एस.पी. से कम कीमत पर व्यापारी सहित किसी के भी द्वारा कृषि उपजों की खरीद प्रतिबंधित करने हेतु कानून लाना चाहिए, मंडियां और एम.एस.पी. बनीं रहेंगीं, इसका लिखित आश्वासन देना चाहिए, व्यापारियों द्वारा असीमित भंडारण का दुरूपयोग न किया जा सके, मंडियों और मंडियों के बाहर खरीद पर समान टैक्स की व्यवस्था हो, इसके लिये कृषि कानून में ही व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि भारत सरकार द्वारा ये संशोधन कृषि कानून में कर लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से नया कृषि कानून किसानों की आय बढाने और कृषि क्षेत्र में आमूल–चूल परिवर्तन करने में सहायक होगा।

मुख्य शब्द

कृषि कानून, किसान आन्दोलन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कांट्रेक्ट फार्मिंग, कृषि सुधार।

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। आजादी के इतने वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी भारत के किसान अभी आजाद नहीं हो पाए हैं। किसान का भाग्य सरकार की नीतियों, मौसम और बिचौलियों पर निर्भर है। खेत की तैयारी से लेकर फसल घर आने तक किसान को हजारों जोखिमों का सामना करना पड़ता है। फसल तैयार होने के बाद बाजार में उचित मूल्य न मिले तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। भारत में 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम भूमि है। 52 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो एक लाख तक के कर्जदार हैं। वर्ष 2019 में 10000 किसानों द्वारा आत्महत्या की गयी। एक अध्ययन के अनुसार बाजार में बिकने वाले अनाज के मूल्य का अधिकतम 23 प्रतिशत ही किसानों को मिल पाता है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था की जाती है परन्तु यह एक सच्चाई है कि इसका लाभ केवल 6 प्रतिशत किसान ही उठा पाते हैं। वर्तमान सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का संकल्प लिया है। इसीलिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के लिए तीन कृषि बिल लाकर सुधार की शुरूआत की। केन्द्र सरकार ने जून 2020 के पहले सप्ताह में तीन अध्यादेशों को प्रख्यापित किया जो कृषि उपज व उनकी बिक्री, जमाखोरी, कृषि विपणन और अनुबंध कृषि सुधारों के साथ अन्य चीजों से संबंधित हैं। इन अध्यादेशों को बिल के रूप में पेश किया गया और 15 और 18 सितम्बर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। राज्यसभा द्वारा भी 22 सितम्बर 2020 को तीनों कृषि कानूनों को पास कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति ने भी 28 सितम्बर 2020 को विधेयकों पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दे दी। कानून बनते ही विभिन्न किसान संगठनों एवं राजनीतिक पार्टियों द्वारा तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया जाने लगा।

किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून

1–कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम

इस बिल के माध्यम से केन्द्र सरकार ने किसानों को देश में कहीं भी फसल बेचने की स्वतंत्रता प्रदान की है, ताकि राज्यों के बीच कारोबार बढ़े, जिससे मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो।

2–कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार

इस बिल में सरकार ने किसानों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया है। यह बिल कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और एक्सपोटर्स के साथ किसानों को जुड़ने के लिए मजबूत करता है। यह बिल कांट्रेक्टेड किसानों को क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई करना, तकनीकी मदद और फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलियत और फसल बीमा की सहूलियत प्रदान करता है। किसानों द्वारा किये गये अनुबंध पर विवाद की स्थिति में तीन स्तरीय विवाद निपटान तंत्र की व्यवस्था है : सुलह बोर्ड, उपविभागीय मजिस्ट्रेट और अपीलीय प्राधिकरण।

3–आवश्यक वस्तु (संशोधन) 2020 अधिनियम

इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू–प्याज को जरूरी वस्तुओं की सूची से पृथक कर दिया गया है। केवल युद्ध या अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में कुछ खाद्य पदार्थों को विनियमित किये जाने की व्यवस्था है।

कृषि बिल के समर्थन में सरकार का पक्ष

1–सरकार का तर्क यह है कि नये कृषि कानून ने किसानों को आजाद कर दिया है। अब वह पूरे देश में कहीं भी किसी को भी जहां से उन्हें उचित मूल्य मिले, अपना उत्पाद बेच सकते हैं। इससे किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा।

2–इस बिल से बिचौलियों को समाप्त किया जा सकेगा तथा किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा। किसान चाहे तो किसी व्यापारी अथवा फर्म से फसल पैदा होने से पहले फसल की बिक्री का अनुबंध कर ले और भविष्य में उचित मूल्य न मिल पाने की आशंका को दूर कर सके। अनुबंधकर्ता अनुबंध की दर पर फसल को खरीदने के लिए बाध्य होगा।

3–यदि अनुबंधकर्ता और कृषक के बीच कोई विवाद की स्थिति आती है तो उसे कोर्ट कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं है, विवाद के निपटारे के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था रखी गयी है जिसमें शीघ्र विवाद के निपटारे की व्यवस्था है।

4–यदि किसान को बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलता है तो वह सरकारी खरीद केन्द्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच सकता है।

5–नये कृषि कानून से कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना की वृद्धि के लिए भारी निवेश होगा तथा आधुनिकतम तकनीकों के प्रयोग को बढावा मिलेगा जिसका लाभ देश के साथ ही किसानों को भी मिलेगा।

6–नये कृषि कानून से छोटे व सीमांत किसानों को फायदा होगा।

कृषि कानून पर कृषि विशेषज्ञों की राय

डॉ. आर. एस. परोदा, पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं चेयरमैन टास ने कहा कि किसानों को सक्षम बनाने वाले नए कृषि कानून सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओ की वकालत करते हैं। नये कृषि कानून को लेकर सरकार की साफ मंशा को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इससे लागत से अधिक लाभ कमाने की गुंजाइश बनी रहेगी।

प्रोफेसर पंजाब सिंह, पूर्व कुलपति, बी.एच.यू. ने नये कृषि कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि एक तरफ जहॉ नये कृषि कानून से किसानों के खेत अन्न व खाद्य प्रसंस्करण के हब बनेंगे, वहीं विविध फसलों को पूरे भारत का बाजार मिलेगा। उन्होंने कहा कि फसल कटाई उपरान्त अब किसानों को क्रय केन्द्रों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बाजार अब सीधे किसानों के खेत में पहुंचेगा।

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के बैनर तले आयोजित विचार–मंथन सत्र में कृषि विशेषज्ञों ने नये कृषि कानून का समर्थन करते हुए कहा कि एक तरफ वर्तमान सुधारों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी कृषि उपज मंडियों का निर्माण करना और किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है तो दूसरी तरफ उन्हें लाभकारी बाजारों और कृषि व्यवसाय से जोडना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने नये कृषि कानूनों को नई हरित क्रांति का वाहक बताते हुए इसका समर्थन किया तथा इसे किसानों व कृषि क्षेत्रों के हक में बताया।

किसान संगठनों की आशंकाएं एवं आपत्तियां

भारत सरकार द्वारा कृषि बिल पास करते ही विभिन्न किसान संगठनों द्वारा बिल का विरोध किया जाने लगा। किसान संगठनों द्वारा पूरे देश में तीनों कृषि कानूनों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन व बंद के माध्यम से अपना विरोध प्रकट किया गया।

किसानों की मूलतः बिल के संबंध में निम्नांकित आपत्तियां थीं–

1–कांट्रेक्ट फार्मिंग का विरोध– किसान संगठनों द्वारा नये कृषि कानून के अन्तर्गत प्रस्तावित कांट्रेक्ट फार्मिंग का विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि इससे धीरे धीरे कृषि भूमि पर अनुबंधकर्ताओं/बड़ी बड़ी कम्पनियों का कब्जा हो जाएगा।

2–यह कानून बड़ी–बड़ी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा।

3–कृषि कानून किसानों और किसान संगठनों से वार्ता करके नहीं बनाया गया है इसलिए इसमें किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है।

4–किसान कांट्रेक्ट फार्मिंग में अनुबंध का पालन न करने की स्थिति में निराकरण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। उनके अनुसार इस व्यवस्था में पूंजीपति न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर लेंगे तथा किसान न्याय से वंचित रह जाएंगे।

5–अनुबंध करने वाली फर्मों द्वारा कुछ दिन तो अनुबंध के अनुसार फसल उत्पादों का भुगतान किया जाएगा परन्तु उसके बाद उचित मूल्य न देकर कम मूल्य पर फसल बेचने के लिए बाध्य किया जाएगा जिससे बचने की कोई व्यवस्था कृषि कानून में नहीं है।

6–मंडियों में फसल खरीद पर टैक्स की व्यवस्था बरकरार रखी गयी है जबकि मंडी के बाहर बिक्री पर कोई टैक्स नहीं है। इससे मंडियों में फसल की आवक धीरे धीरे कम हो जाएगी तथा मंडियां बंद हो जाएंगीं। सरकार अपरोक्ष रूप से मंडियों को बंद करना चाहती है।

7– कृषि कानून आने से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खत्म हो जाएगा। किसानों की सबसे बड़ी आपत्ति थी कि नया कृषि कानून लाकर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करना चाहती है तथा किसानों को बाजार व्यवस्था पर छोड़ देगी और किसानों को नुकसान होगा।

8–किसानों को आपत्ति है कि सरकार द्वारा मुख्य फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है जिससे बड़े बड़े व्यापारी और फर्में उत्पादों का मनमाना भंडारण कर सकेंगें तथा बाजार के मूल्य को प्रभावित कर सकेंगें और जब किसानों की फसल तैयार होगी तब बाजार में मूल्य घटा देंगें और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा।

9–अनुबंध खेती की फसलों के मूल्य निर्धारण हेतु न्यूनतम मूल्य की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे किसानों के शोषण होने की संभावना है।

10–किसान संगठनों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कृषि क्षेत्र में निजीकरण से किसानों की खुशहाली के उदाहरण देश में देखने को नहीं मिलते। बिहार में 2006 से ही मंडी व्यवस्था समाप्त कर दी गयी परन्तु न तो निवेश मिला और न ही किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिला। बिहार के किसान आज भी एम.एस.पी. से कम दर पर अपनी फसल बेचने पर मजबूर हैं।

नये कृषि कानून पर सरकार का स्पष्टीकरण

सरकार ने किसान संगठनों से वार्ता में बार–बार स्पष्ट किया कि नये कृषि कानून किसानों के हित में हैं। मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी बल्कि सरकार द्वारा इसे और मजबूत किया जाएगा और इनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। किसानों के हितों को ध्यान मे रखा जाएगा। यदि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है तो वे पूर्व की भांति अपनी उपज सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। किसानों को और अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिससे उनको लाभकारी मूल्य मिल सके। सरकार का उद्देश्य बिचौलियों को समाप्त कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। सरकार ने सदन में और सदन से बाहर भी बार–बार स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया जाएगा। पी.डी.एस. सिस्टम लागू रहेगा तथा सभी नागरिकों को भोजन के अधिकार के अन्तर्गत भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए सरकार को अनाज खरीदना ही पड़ेगा। सरकार अनाज किसानों से ही खरीदेगी। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। नये कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा आधुनिक तकनीक कृषि क्षेत्र में भी अपनायी जाएगी जिसका लाभ किसानों को भी मिलेगा। किसानों का हक कोई छीन नहीं पाएगा। सरकार द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया कि यह अभी शुरूआत है यदि आगे सरकार को लगता है कि कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। कांट्रेक्ट फार्मिंग के संबंध में सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि इससे किसानों की जमीन नहीं जाएगी केवल फसल के उत्पाद को निश्चित मूल्य पर क्रय करने का ही अनुबंध किया जाना है। कानून में यह व्यवस्था की गयी है कि एक बार अनुबंध हो जाने के बाद अनुबंधकर्ता फर्म अनुबंध नहीं तोड़ सकती परन्तु यदि किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है तो वह अनुबंध तोड़ सकता है। किसान जब चाहे कांट्रेक्ट से बाहर हो सकता है। इस प्रकार किसान को कोई नुकसान नहीं होगा।

किसानों की आपत्तियां एवं शंकाएं निर्मूल नहीं हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी उनकी स्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं आया है। इतने वर्षों में सरकार के स्तर से कुछ सकारात्मक न हो पाने के कारण वे शंकालु हो गये हैं जो स्वाभाविक है। किसानों के पास भूमि बहुत कम रह गयी है तथा लागत अत्यधिक बढ़ गयी है। पेट्रोल, डीजल, रासायनिक खाद, कृषि उपकरण की लागत बढ़ती गयी। जलवायु परिवर्तन से अतिवृष्टि और सूखा आम बात हो गयी है। किसानों के परिवार में शिक्षा और चिकित्सा का खर्च अत्यधिक बढ़ गया है। उस अनुपात में किसानों की आय नहीं बढ़ पायी जिससे अधिक से अधिक किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं आम हो गयी हैं जिसमें किसानों को उचित मूल्य न मिल पाने के कारण अपने उत्पाद खेत में ही छोड़ देने पर मजबूर होना पड़ा है। अधिकतर किसान पारंपरिक ढंग से ही खेती करते हैं जिससे प्रति एकड़ अधिक लागत के बावजूद अधिक उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाते। इजराइल जैसी खेती की आधुनिक तकनीक अभी हमारे किसानों से मीलों दूर है। निश्चित रूप से सरकार को किसानों को भरोसे में लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

समाधान व निष्कर्ष

समाज का कोई भी सुधार तभी तेज गति से हो पाता है जब समाज का समर्थन और सहभागिता रहती है। तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं परन्तु लागू किये जाने से पूर्व किसानों या उनके प्रतिनिधि किसान संगठनों से राय नहीं ली गयी और उनको विश्वास में नहीं लिया गया। किसानों के विरोध का मूल कारण शायद यही था। सरकार को चाहिए कि कृषि कानूनों को लागू करने से पूर्व व्यापक स्तर पर प्रचार

प्रसार कर किसानों को विश्वास में लिया जाए। किसानों को यह भय है कि सरकार मंडी में टैक्स ले रही है और मंडी से बाहर टैक्स नहीं ले रही है, इससे मंडियों में बिक्री हतोत्साहित होगी तथा धीरे–धीरे मंडियां समाप्त हो जाएंगी। सरकार को लिखित में आश्वासन देना चाहिए कि मंडियों को समाप्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। सरकार द्वारा 23 फसलों को एम.एस.पी. कानून के अन्तर्गत लिया गया है। भारतीय खाद्य निगम की कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए बनाई गयी शांता कुमार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ अभी तक 6 प्रतिशत किसान ही एम.एस.पी. पर अपनी फसल बेच पा रहे हैं। इसमें भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की संख्या अधिक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि बाजार में किसी वजह से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता है तो सरकार उनकी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार रहेगी। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अनुबंधकर्ता फर्म न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद न कर सके और यदि ऐसा पाया जाये तो सजा का भी प्रावधान हो। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना होगा जिससे व्यवसायी एक सीमा से अधिक की जमाखोरी न कर सकें, बाजार में कृषि उपजों के मूल्य को प्रभावित न कर सकें। कृषि कानून में एक अंश यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष कृषि कानून की समीक्षा की जाएगी और सकारात्मक पाए जाने पर ही आगे के वर्षों में लागू रखने की अनुमति दी जाएगी तथा यदि किसी संशोधन की आवश्यकता होगी तो तत्काल किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा।

संदर्भ

1. टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 20/09/2020
2. दि हिंदू दिनांक 25/09/2020
3. इन्डियन एक्सप्रेस–उदित मिश्रा दिनांक 29/11/2020
4. इन्डियन एक्सप्रेस सिराज हुसैन दिनांक 19/01/2019
5. भारत सरकार की वेबसाइट www.niti.gov.in पर उपलब्ध सामग्री
6. विभिन्न समाचार चैनल यथा–एबीपी, आज तक, इंडिया टीवी, एनडीटीवी, न्यूज 18 आदि पर समाचार व टीवी डिबेट

12

बाल श्रम -- कारण, दुष्परिणाम एवं समाधान

डॉ0 सीमा मलिक

असिस्टैंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र विभाग)

गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद

सारांश

बाल श्रम की समस्या हर जगह पाई जाने वाली समस्या है। ये भारत के साथ–साथ सभी देशों में गैर कानूनी है। बाल श्रम वास्तव में ना केवल एक कलंक होता है बल्कि यह एक अभिशाप है जिसने पूरे देश में अपना जाल बिछा दिया है। प्रशासन की लाखों कोशिशों के बाद भी यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाल मजदूरी को बड़े लोगों और माफियाओं ने व्यापार बना लिया है। इससे बच्चों का भविष्य तो खराब होता ही है साथ में देश में गरीबी फैलती है और देश के विकास में बाधाएं आती हैं। बाल श्रम बच्चों से स्कूल जाने का अधिकार छीन लेता है और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देता। गैर जिम्मेदार माता–पिता की वजह से या कम लागत में निवेश पर अपने फायदे को बढ़ाने के लिए मालिकों द्वारा जबरदस्ती बनाए गए दबाव की वजह से जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी के चलते यह बच्चों द्वारा स्वतः किया जाता है। यह गैर–कानूनी कार्य बच्चों को बड़ों की तरह जीने पर मजबूर करता है। इसके कारण बच्चों के जीवन में कई जरूरी चीजों की कमी हो जाती है जैसे उचित शारीरिक वृद्धि और विकास न हो पाना, दिमाग का अधूरा विकास आदि। वास्तव में बाल मजदूरी से बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। यह एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो लंबे समय से चली आ रही है। अब समय आ गया है जब इस समस्या को दूर करने के लिए भागीरथ प्रयास किए जाएं। ईमानदारी और लगन से प्रयास करने पर इस समस्या से जड़ से छुटकारा पाया जा सकता है।

मुख्य शब्द

बाल श्रम, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, गैर–कानूनी।

बाल मजदूरी एक विश्वव्यापी समस्या है जो विकासशील देशों में बेहद आम है। आर्थिक तंगी के कारण माता–पिता या गरीबी रेखा से नीचे के लोग अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं और जीवन यापन के लिए जरूरी पैसा भी नहीं कमा पाते हैं, इसी कारण से वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय कठिन श्रम में शामिल कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना समय की बर्बादी है ।

बाल मजदूरी या बाल श्रम का अर्थ

किसी भी क्षेत्र में बच्चों द्वारा अपने बचपन में दी गई सेवा को बाल मजदूरी कहते हैं। यह सेवा भुगतान के साथ या बिना भुगतान के भी हो सकती है। बाल मजदूरी के अंतर्गत 5 से 14 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों को शामिल किया जाता है जो किसी उद्योग, कल–कारखानों, छोटे ढाबों, होटलों या किसी भी छोटी अथवा बड़ी दुकान में शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करते हैं। बाल मजदूरी के अंतर्गत एक बच्चा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पीड़ित होता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ है जिसमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां हैं। दुनिया भर में कुल मिलाकर 15.20 करोड़ बच्चे (6.4 करोड़ लड़कियां और 8.8 करोड़ लड़के) बाल श्रम होने का अनुमान लगाया गया है। दुनिया भर में प्रत्येक 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल मजदूर के रूप में काम कर रहा है। भारत में विभिन्न उद्योगों में बाल मजदूरों को काम करते हुए देखा जा सकता है जैसे ईट भट्टों पर काम करना, गलीचा बुनना, कपड़े तैयार करना, घरेलू कामकाज, कल–कारखानों में काम, खेती–बाड़ी, मछली पालन, खानों में काम करना आदि। दशकों से भारत बाल श्रम के नासूर को सह रहा है। देश का बचपन अपने सुनहरे सपनों की जगह कभी किसी के घर को चमका रहा है तो कहीं अपने नाजुक कंधों से बोझा ढ़ो कर अपने परिवार का पेट पाल रहा है। यद्यपि भारत सरकार ने बालश्रम की समस्या को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2016 में लिए गए डाटा से ज्ञात होता है कि भारत बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराने के मामले में अभी भी मीलों दूर है।

बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है। बचपन जीवन का सबसे यादगार क्षण होता है जिसे हर एक को जन्म से जीने का अधिकार है। बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलने का, स्कूल जाने का, माता पिता के प्यार और परवरिश के एहसास करने का तथा प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का पूरा अधिकार है। माता–पिता अपने बच्चों को परिवार के प्रति बचपन से ही जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। बच्चों से काम करवाने

वाले मां–बाप सोचते हैं कि बच्चे उनकी जागीर होते हैं और वह उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में हर माता–पिता को यह समझना चाहिए कि देश के प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारी है। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें अपने बच्चों को हर तरह से मजबूत बनाना चाहिए। माता–पिता को परिवार की जिम्मेदारी खुद से लेनी चाहिए तथा अपने बच्चों को उनका बचपन प्यार और अच्छी परवरिश के साथ जीने देना चाहिए।

बाल श्रम के कारण

विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को काम पर रखने के अनेकों कारण हैं। बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में गरीबी का होना है। गरीब परिवार के लोग अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में वे अपने बच्चों को मजदूरी करने भेज देते हैं। अशिक्षित होने के कारण माता–पिता यही समझते हैं कि जितना जल्दी बच्चे पैसा कमाना सीख जाए उतना ही अच्छा होगा। कुछ अभिभावक लालची प्रवृत्ति के होते हैं जो स्वयं कुछ ना करके बच्चों से काम करवाना पसंद करते हैं। बच्चों को काम करने के बदले में अगर कम भुगतान भी किया जाए तो वह विरोध नहीं कर पाते हैं। इस कारण भी बाल श्रम बढ़ रहा है। कई बार बच्चे परिवारिक मजबूरी एवं बड़े परिवार की जरूरतों के पूरा ना हो पाने के कारण भी बचपन में ही होटलों, ढ़ाबों, चाय की दुकान, कारखानों में मजदूरी करने जाने लगते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बढ़ती हुई महंगाई भी बाल श्रम के लिए उत्तरदायी है। भ्रष्टाचार के कारण भी बाल श्रम कम नहीं हो पा रहा है। पकड़े जाने पर मालिक घूस देकर छूट जाने का प्रयास करते हैं और उसमें काफी हद तक सफल भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए कानून नहीं बनाए हैं। सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं लेकिन उनका पालन उतनी सख्ती से हकीकत में नहीं हो रहा जितनी की जरूरत है। कम उम्र बच्चों का संगठन भी नहीं होता, ना ही उन्हें इसके बारे में पता होता है। इसी का लाभ उठाकर हर कोई उनका किसी ना किसी प्रकार से शोषण करने में लगा रहता है। समाज में इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए बेहतर तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है। बच्चे इस बात को समझने में अक्षम हैं कि उनके लिए क्या गलत एवं गैर–कानूनी है। वे तो अपने कामों के बदले छोटी कमाई को पाकर ही खुश रहते हैं। अनजाने में वह प्रतिदिन की अपनी छोटी कमाई में रुचि रखने लगते हैं और अपना पूरा जीवन इसी से चलाते हैं जो कि समाज व देश के लिए कभी भी हितकर नहीं हो सकता। बाल मजदूरी से बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। यह एक सामाजिक समस्या है जो लंबे समय से चली आ रही है और इसे जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। स्वस्थ बच्चे किसी भी देश के लिए उज्जवल भविष्य एवं शक्ति होते हैं। बाल मजदूरी खत्म करने से ना केवल बच्चों का भविष्य सुधरेगा बल्कि देश को भी समृद्धि और विकास के मार्ग पर ले जाने में मदद मिलेगी क्योंकि बच्चे ही देश का आने वाला कल होते हैं।

बाल श्रम के दुष्परिणाम

बाल श्रम एक बड़ी सामाजिक बुराई और एक बड़ी राष्ट्रीय बर्बादी है क्योंकि परिवार के जीवन यापन के लिए मजदूरी करने की आर्थिक जरूरत बच्चों को शिक्षा, खेलकूद एवं मनोरंजन के मौके नहीं मिलने देती है। उनके शारीरिक विकास को रोकती है। उनके व्यक्तित्व के सामान्य विकास में बाधा डालती है तथा व्यस्क जिम्मेदारी के लिए उसके तैयार होने में रोड़े अटकाती है। सेवायोजक अर्थात् मालिक की दृष्टि से बाल श्रम लाभदायक है क्योंकि बच्चों को दी जाने वाली मजदूरी कम होती है। साथ ही कुछ उद्योगों और व्यवसायों में वे एक व्यस्क के बराबर कार्य करते हैं। अतः सेवायोजक अपने हित में बच्चों का शोषण करने में संकोच नहीं करते हैं और उनके हितों के प्रति पूरी तरह उदासीन रहते हैं। इन बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास तो अवरूद्ध होता ही है। शिक्षा से वंचित हो जाने के कारण बच्चे जीवनपर्यन्त निम्न स्तर का जीवन ही व्यतीत करते हैं और अपने भविष्य को अच्छा बनाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। गलत लोगों के द्वारा उनका कई प्रकार से शोषण भी किया जाता है। घोर दरिद्रता एवं अर्धपोषण एक ऐसा कुचक्र बन जाता है जिससे वे पीड़ित रहते हैं, साथ ही कम मजदूरी मिलने पर भी बच्चे अधिक समय तक काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। मजदूरी करते समय बच्चों से अक्सर गलतियां होती रहती हैं। उनसे काम कराने वाले उनके मालिक उन्हें मानसिक प्रताड़ना देते हैं जो कि बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। गरीबी के कारण ही गरीब परिवार के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, इसी कारण वे अच्छी नौकरी नहीं कर पाते और ना ही देश के विकास में सहयोग ही कर पाते हैं। देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। इसके साथ ही गरीबी व बेरोजगारी और तेजी से बढ़ने लगती है। बच्चों का सर्वांगीण विकास होने में बाधा पहुंचती है।

देश में बढ़ती हुई बाल श्रमिकों की संख्या देश के सम्मुख एक गहरी चिंता का विशय बनी हुई है। यदि समय रहते इस को नियंत्रण में नहीं किया गया तो भविष्य में दूरगामी परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। सरकार ने बाल श्रम को अपराध घोषित कर दिया है परंतु समस्या की जड़ तक पहुंचे बिना इसका निदान नहीं हो सकता। इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपाय व सुझाव इस प्रकार हैं–

समाधानः–

सरकार द्वारा बाल श्रम की रोकथाम के लिए बनाए गए कुछ कानून

- The Child Labour (Prohibition and Regulation Act) 1986:– बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी सरकार द्वारा 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम करवाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
- The Juvenile Justice (Care and Protection) of Children Act of 2000:– इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चों से मजदूरी करवाता है या फिर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

- The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009:– यह कानून वर्ष 2009 में बनाया गया था जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, साथ ही प्राइवेट स्कूलों में भी गरीब और विकलांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

- बाल अधिकारों के लिए 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकार पर कनवेंशन (UNCRC) को लागू किया गया जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार का कार्य करना प्रतिबंधित है।

- 12 जून को हर वर्ष विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है जिसकी शुरुआत वर्ष 2002 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य बाल श्रम को विश्व से पूरी तरह समाप्त करना है।

- भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के समय 14 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली जिसका उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करना था।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी भी प्रकार का बलात् श्रम निषिद्ध है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में अनुच्छेद 39 के अनुसार पुरूष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।

- मनरेगा 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और मध्याह्न भोजन योजना जैसे प्रयासों ने ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटी शुदा मजदूरी व रोजगार के साथ–साथ बच्चों के स्कूलों में रहने का मार्ग प्रशस्त किया है।

- अनुच्छेद 45 में भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों की है। इसी क्रम में खदान अधिनियम 1952 भी 18 साल से कम आयु वाले बच्चों को खदानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन बिल 2016 सदन में पारित हुआ है।

सुझाव

इस प्रकार भारत में दशकों से विद्यमान बाल श्रम की समस्या के उन्मूलन के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश का संविधान भी बाल श्रम उन्मूलन की बात करता है। इस समस्या की समाप्ति के लिए केवल सरकार द्वारा प्रयास अथवा संवैधानिक प्रयास ही काफी नहीं है बल्कि इसके लिए प्रशासनिक, व्यक्तिगत व सामाजिक स्तर पर भी प्रयास किया जाना जरूरी है जिसके लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:–

- बाल श्रमिकों की समस्या मुख्य रूप से उनके कमजोर आर्थिक पक्ष से जुड़ी हुई है। यदि विशिष्ट योजनाएं बनाकर और उन्हें लागू करके लोगों का आर्थिक पक्ष मजबूत कर दिया जाए तो इससे उन्हें अपने बच्चों को श्रम करने के लिए विवश नहीं करना पड़ेगा।

- प्रशासनिक स्तर पर सख्त से सख्त निर्देशों के अनुपालन की जरूरत है जिससे बाल मजदूरी पर रोक लग सके। इसमें किसी भी तरह की ढ़िलाई नहीं बरती जानी चाहिए।

- व्यक्तिगत स्तर पर भी बाल मजदूरी की समस्या का निदान हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। बाल श्रम का अंत करने के लिए घरों या दफ्तरों में कहीं पर भी बच्चों को काम पर नहीं रखना चाहिए। हमें बाल श्रम करवाने वालों के विरुद्ध आवाज को बुलंद करना चाहिए।

- हमें गरीब एवं अशिक्षित माता–पिता को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देनी चाहिए ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा की ओर पूरा ध्यान दे सके क्योंकि आज सरकार मुफ्त शिक्षा, खाना, यूनिफॉर्म और कुछ स्कूलों में दवाइयां जैसी चीजों की सुविधाएं प्रदान कर रही है जिसकी माता–पिता को जानकारी नहीं होती।

- बाल श्रमिकों द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी भी बाल श्रमिक का पता लगता है तो उसके परिजनों से बात कर उन्हें बाल श्रम से होने वाले नुकसान एवं कानूनी जुर्म के बारे में बताना चाहिए जिससे वे बाल श्रम से होने वाले नुकसान व दंड की जानकारी प्राप्त कर सकें।

- हमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का भी प्रयास करना चाहिए जिससे बाल श्रम करवाने वाले अपराधी छूटे नहीं एवं उन्हें दंड मिले ताकि उन्हें देखकर उन जैसे दूसरे गलत लोगों को भी सबक मिल सके।

- हमें समाज में एक मुहिम चलानी चाहिए जिसमें समाज के संपन्न एवं धनी लोग कम से कम एक गरीब व असहाय बच्चे की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का प्रण लें। इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा एवं अन्य समर्थ लोग भी इस मुहिम से जुड़ते चले जाएंगे क्योंकि अकेले सरकार सब कुछ नहीं कर सकती।

- भारत में 80 प्रतिशत बालश्रम ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ग्राम पंचायतें बाल श्रम को कम करने में एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। उनके सहयोग से ईमानदारी से प्रयास करने पर बाल श्रम पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है।

निष्कर्ष

बाल श्रम एक अभिशाप है जिसने अपना जाल पूरे देश में बिछा दिया है। अगर इसे जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो यह हमारे

देश के विकास में बाधक सिद्ध होगा। हमें बाल श्रम के खिलाफ लगातार आवाज उठानी चाहिए। बाल श्रम को समाप्त करना सभी को अपना कर्तव्य बना लेना चाहिए। यह एक ऐसी समस्या है जो देश को दीमक की तरह खोखला कर देगी क्योंकि स्वस्थ बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। अगर हमें नए भारत का निर्माण करना है तो हमें बाल श्रम को जड़ से समाप्त करना होगा। यह सामूहिक प्रयास से ही संभव हो सकता है। ना केवल सरकार बल्कि जन समुदाय भी इस समस्या को दूर करने में ईमानदारी से अपना सहयोग दे। हमारा विश्वास है कि हमारे प्रयास सार्थक होंगे और बाल श्रमिकों की समस्या का उन्मूलन हो सकेगा।

संदर्भ

1. Dr. T.N. Bhagoliwala - Economics of Labour and Industrial Relations.
2. Dr. N. Hansa - Tackling the problem of Child Labour.
3. Dr. A.M. Khan - Child Labour : Causes and Remedy.
4. Urmil Sharma - Social Welfare Program for Women and Children in India.
5. S.K. Tripathi - Child Labour In India.
6. Mohd. Zeyaul Haque - Moradabad Brassware Industry fortnightly Nation and the World.
7. Newspaper- Like Dainik Jagran, Amar Ujala, Hindustan Times, Punjab Kesari etc.

13

नये श्रम कानूनों की समीक्षा

डॉ0 कविता भटनागर

एसोसिऐट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा (अर्थशास्त्र विभाग)

जी०डी०एच०जी० कॉलेज, मुरादाबाद

सारांश

औद्योगिक क्रांति के साथ ही श्रम विधान का क्रमिक विकास हुआ है। श्रम विधान श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं जैसे – श्रमिकों की भर्ती, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विवाद, श्रम कल्याण आदि को नियंत्रित करते हैं। भारत में श्रम कानून काफी जटिल और अनेक थे, इसलिए भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी और इसके लिए एक समन्वित कानून बनाया जाना आवश्यक था। इसीलिए सरकार ने तीन विधेयक औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2020 और आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता अधिनियम 2020 पारित किये। इन अधिनियमों से कर्मचारियों की भर्ती, छँटनी आसान हो सकेगी और सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकेगा। औद्योगिक विवादों का निपटारा भी आसान हो जाएगा जिससे औद्योगिक शांति की स्थापना होगी। कानून के दायरे में रहकर श्रमिक और मालिक अनुशासन संहिता का पालन कर सकेंगें। श्रमिकों और कर्मचारियों की समस्या समाधान के साथ ही यह तीनों विधान नियोक्ता के लिए भी नियमों को आसान और सुस्पष्ट बनाने का काम करते हैं।

मुख्य शब्द

नये श्रम कानून, औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2020, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता अधिनियम 2020, प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर।

उत्पत्ति के 5 साधन भूमि, पूंजी, प्रबंध, श्रम और साहस हैं। इन सभी साधनों में श्रम उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। श्रम साधन और साध्य दोनों ही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, उसमें श्रम शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। सभी आर्थिक क्रियाओं का आधार श्रम ही है, परंतु श्रमिकों की विशेषता है कि श्रमिक का श्रम नाशवान है और उसकी सौदा करने की शक्ति निर्बल है, इसीलिए श्रमिक गरीब है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी देश की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये ग्रामीण औद्योगिक नगरों में जीविका की तलाश में आते हैं, इसलिए भारत में अधिकांश श्रम प्रवासी प्रवृत्ति का होता है। प्रवासी प्रवृत्ति का तात्पर्य है कि श्रमिक गांवों से आकर शहरों और महानगरों में अस्थाई रूप से बस जाते हैं, वहां मिलों और कारखानों में काम करते हैं परंतु ये श्रमिक इन शहरों और महानगरों में स्थायी रूप से बसना नहीं चाहते हैं और अपना संबंध अपने मूल राज्य, शहर और गांव से बनाए रखते हैं। इसीलिए भारत के औद्योगिक नगरों में श्रम की पूर्ति स्थाई रूप से नहीं होती है। प्रवासी प्रवृत्ति और विभिन्न त्यौहारों, उत्सवों के कारण औद्योगिक श्रमिकों में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है जो उनकी कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। बहुत समय से यह महसूस किया जा रहा था कि प्रभावी श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों के अभाव में भारतीय श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति और कार्य से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति उनकी उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

औद्योगिक क्रांति के साथ ही श्रम विधान का विकास हुआ। यह विधान श्रम की विभिन्न समस्याओं भर्ती, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विवाद, श्रम कल्याण आदि को नियंत्रित करते हैं। श्रमिकों की समस्याओं के लिए भारत में कड़े, जटिल और अलग–अलग उद्यमों पर लागू अलग–अलग श्रम कानूनों को कसूरवार ठहराया जाता है, इसलिए भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता काफी लंबे समय से थी। इसके लिए एक समन्वित कानून बनाने की आवश्यकता थी। सरकार ने श्रम सुधारों के महत्व को समझ कर 23 सितंबर 2020 को औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक–2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता अधिनियम–2020 और आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता अधिनियम–2020 पारित किए हैं। ये तीनों विधेयक श्रम सुधारों की दिशा मे एक बडा कदम माने जा रहे हैं। इन कानूनों के लागू होने पर कर्मचारियों की भर्ती एवं छँटनी आसान हो सकेगी, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे मे लाया जा सकेगा, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के मध्य विवादों का आसान निपटारा हो सकेगा और सबसे प्रमुख बात; दशकों पुराने अनेक श्रम कानूनों से मुक्ति मिल जायेगी।

औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक–2020

औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक–2020 के अस्तित्व में आने के बाद श्रम संघ अधिनियम–1926 औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश)

अधिनियम–1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम–1947 के प्रावधान निरस्त हो गए हैं अर्थात् औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक–2020 ने इन सभी कानूनों का स्थान ले लिया है। यह एक बड़ा परिवर्तन है। एक समन्वित कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक–2020 इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इस संहिता में नियोक्ता और श्रमिक के सम्बंधों को नये प्रकार से परिभाषित किया है।

औद्योगिक संबंध संहिता के अनुसार किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में जिसमें एक सौ से ज्यादा श्रमिक कार्यरत हैं, एक कार्य समिति का गठन किया जाएगा जिसका उद्देश्य नियोक्ता और श्रमिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। यह कार्य समिति एक मध्यस्थ की तरह कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त जिन औद्योगिक इकाइयों में 20 से ज्यादा श्रमिक कार्यरत हैं, एक या एक से अधिक शिकायत निवारण समितियां होंगी। इन समितियों में नियोक्ता और श्रमिकों दोनों का समान प्रतिनिधित्व होगा। समितियों में महिलाओं की उचित भागीदारी का प्रावधान भी है। ट्रेड यूनियन समितियों के गठन के विषय में संहिता में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। छोटी–मोटी ट्रेड यूनियन बनाकर सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या सहकारी समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत और नियत सदस्यों से कम वाली यूनियन मान्य नहीं होंगी। अब ट्रेड यूनियनों को केंद्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्रदान करने के स्थायी प्रबंध किए गए हैं। जब भी किसी श्रमिक को कदाचार के आरोपों में निलंबित किया जाता है, तो श्रमिक के विरुद्ध जाँच और पूछताछ की कार्यवाही 90 दिनों के भीतर पूर्ण करना नियोक्ता का दायित्व होगा।

औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक–2020 के नियमों के अंतर्गत न्यायाधिकरण में अब दो सदस्य शामिल होंगे, जिसमें एक सदस्य के अनुपस्थित रहने की स्थिति में न्यायाधिकरण सुचारू रूप से कार्य कर सकेगा। इसके पूर्व न्यायाधिकरण में मात्र एक सदस्य होता था। ट्रेड यूनियनों के आपसी विवाद का समाधान भी न्यायाधिकरण के माध्यम से करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था की गई है इन विवादों के समाधान में कम से कम समय लगे।

श्रम संघों और श्रमिकों को हड़ताल पर जाने से पूर्व 14 दिन का नोटिस देना होगा। नोटिस की अवधि के समय का उपयोग आपसी बातचीत से सौहार्द पूर्ण समाधान के लिए किया जायेगा। हड़ताल पर जाने और हड़ताल करने के नियमों में सख्ती बरती गई है जिसमें श्रमिकों के कार्य दिवसों का नुकसान न हो सके। कोई भी कर्मचारी या श्रमिक न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित कार्यवाही के दौरान या कार्यवाही पूरी होने के 60 दिनों तक हडताल पर नहीं जा सकता है। इस संहिता के पूर्व इस तरह के प्रतिबंध सिर्फ सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में ही लागू होते थे। छँटनी के नियमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। कर्मचारियों और श्रमिकों को काम पर रखने और छँटनी करने दोनों के नियमों में स्पष्टता का विशेष ध्यान रखा गया है। औद्योगिक संबंध संहिता के अंतर्गत अब 300 या 300 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को छँटनी या यूनिट बंद करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस संहिता से पहले यह नियम 100 या 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता था। अब इस संहिता के लागू होने से अनेक बड़ी कंपनियों या प्रतिष्ठानों को छँटनी या यूनिट बंद करना आसान हो गया है। अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति और छँटनी के नियमों को भी इस प्रकार परिवर्तित किया गया है कि नियोक्ताओं के लिए पर्याप्त सुगमता हो सके। आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता के अंतर्गत भी अनुबंधित कर्मचारियों की सीमा 20 कर्मचारियों से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इससे विनिर्माण समेत अनेक क्षेत्रों में ठेके पर काम पर रखने में नियोक्ताओं को आसानी होगी। संविदा वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों, वेतन, अवकाश और सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता नियमित कर्मचारियों के समान ही होगी।

औद्योगिक संबंध संहिता में एक कौशल निधि का प्रावधान भी किया गया है। इस निधि का उपयोग छँटनी किए गए श्रमिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः कौशल प्रदान करना है, जिससे उन्हें दूसरा रोजगार शीघ्र मिल सके। श्रमिकों के खाते में 15 दिन का वेतन पुनः कौशल निधि से छँटनी के 45 दिन के भीतर वितरित करने का भी प्रावधान है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता–2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता–2020 को द्वितीय श्रम आयोग (2002) की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया है जिसमें उद्योगों, व्यवसायिक क्षेत्रों के लगभग 100 राज्य कानूनों और 40 केंद्रीय कानूनों को समेकित करने का प्रस्ताव किया गया था। सामाजिक सुरक्षा संहिता–2020 श्रमिकों के कल्याण और लाभों की अवधारणा को मजबूती प्रदान करती है और उद्योगों में प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए नियमों को आसान बनाती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता–2020 में जिन नौ केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रावधानों को समाप्त किया गया या परिवर्तित किया गया, वे निम्न हैं–

1. कर्मचारी क्षतिपूर्ति भुगतान अधिनियम–1923
2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम–1948
3. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम–1952
4. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम–1959
5. मातृत्व लाभ अधिनियम–1961
6. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम–1972
7. सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड अधिनियम–1961

8. भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकरण अधिनियम–1996

9. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम–2008

सामाजिक सुरक्षा संहिता–2020 में पहली बार प्लेटफॉर्म वर्कर और गिग वर्कर को परिभाषित किया गया है। प्लेटफार्म वर्कर के अंतर्गत वह कर्मचारी आते हैं जो ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हैं जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता के पारंपरिक संबंधों के विपरीत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य किया जाता है। यह विशिष्ट सेवाएं देने के लिए विशिष्ट प्लेटफार्म है। ऑनलाइन प्लेटफार्म वर्क का यह माध्यम एक रोजगार गहन क्षेत्र है जिसका सफलतापूर्वक प्रयोग कोविड–19 महामारी के दौरान आवश्यक सेवाओं को देने में किया गया था। गिग वर्कर वह कर्मचारी या श्रमिक है जो एक स्वतंत्र ठेकेदार या फ्रीलांसर के रूप में सेवा क्षेत्र में अक्सर अस्थायी श्रमिक के रूप में कार्य करता है। उसका सम्बंध नियोक्ता से नियोक्ता और कर्मचारी का नहीं होता है। गिग वर्कर्स में लचीलेपन, स्वायत्तता, कार्य विविधता और जटिलता के उच्च स्तर होते हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में इस समय 10 से 12 करोड़ गिग वर्कर हैं। भारत में अधिकांश गिग वर्कर ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म, ई–कॉमर्स कंपनियों, ड्राइविंग और सामान की डिलीवरी जैसे कार्यों से जुड़े हैं। इस संहिता में एग्रीगेटर या एकाउंट एग्रीगेटर की परिभाषा भी दी गयी है जिसका अर्थ है मध्यस्थ या डिजिटल मध्यस्थ। यह मध्यस्थ विक्रेता या सेवा प्रदाता के किसी खरीदार या सेवा उपयोगकर्ता के लिए बाजार की भूमिका निभाता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता केंद्र सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई0एस0आई0एस0) के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों, प्लेटफॉर्म वर्करों, और गिग वर्करों के साथ उनके परिवारों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने का अधिकार प्रदान करती है। प्रत्येक असंगठित श्रमिक प्लेटफॉर्म वर्कर और गिग वर्कर को श्रमिक के रूप में अपना पंजीकरण कराने की सुविधा प्राप्त है। इस संहिता का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया है कि देश की अधिकांश कामकाजी श्रम शक्ति को इसके दायरे में लाया जा सके। इसीलिए इसमें पंजीकरण सिर्फ स्व–घोषणा की प्रक्रिया से किया जाना निश्चित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाओं का विस्तार असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्रवासी श्रमिक तक किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो जोखिम से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में आएंगे और अगर उस प्रतिष्ठान में 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो उन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई0पी0एफ0ओ0) के प्रावधान भी लागू होंगे। इस संहिता मे पूर्व में प्रचलित पाँच साल की नियमित सेवा के विपरीत नियोक्ता को अनुमन्य कर्मचारियों को एक निश्चित अनुपात में ग्रैच्युटी का भुगतान करना होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता में घातक दुर्घटनाओं, गंभीर शारीरिक चोटों या पेशेगत रोगों के मामले में मुआवजे के लिए नियोक्ता के दायित्वों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है।

यह संहिता दंडात्मक कार्यवाही से पूर्व नियोक्ता को अधिनियम के अंतर्गत किसी भी नियम के भंग होने की स्थिति में गैर–अनुपालन को सही करने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि इसके उपरांत कठोर दंड का भी प्रावधान है ।

व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की दशायें संहिता–2020

इस संहिता में केंद्रीय सरकार के निम्न 13 कानूनों में समेकन या सरलीकरण किया गया है–

1. कारखाना अधिनियम–1948
2. वृक्षारोपण श्रम अधिनियम–1951
3. खान अधिनियम–1952
4. मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम–1961
5. भवन एवं भू अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम–1996
6. अंतर प्रवासी कामगार अधिनियम–1979
7. द वर्किंग जर्नलिस्ट अंडर न्यूज़पेपर अधिनियम–1958
8. बीड़ी और सिगरेट श्रमिक अधिनियम–1966
9. बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम–1976
10. द सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थियेटर वर्कर अधिनियम–1981
11. बंदरगाह गोदी वर्कर सुरक्षा अधिनियम–1986
12. अनुबंध श्रम अधिनियम–1970
13. द वर्किंग जर्नलिस्ट वेतन निर्धारण अधिनियम–1958

यह संहिता नियोक्ता और श्रमिकों के कर्तव्य को परिभाषित और नियंत्रित करती है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए सुरक्षा मानकों का निर्धारण किया गया जिसमें श्रमिकों के काम करने के घंटों, छुट्टियां आदि का भी प्रावधान है। यह संहिता उन औद्योगिक संस्थानों पर लागू होती है जहां 20 से अधिक श्रमिक हैं और निर्माण की प्रक्रिया विद्युत संचालित है या ऐसे संस्थान जहां पर 40 श्रमिक काम करते हैं और निर्माण की प्रक्रिया

विद्युत संचालित नहीं है। इस संहिता के अंतर्गत नियोक्ता पर विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया को समाप्त कर सिर्फ एक पंजीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ऐसे क्षेत्र जहां निर्माण की प्रक्रिया खतरनाक स्तर की होती है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दुर्घटना या संभावित दुर्घटना के लिए विशेष प्रावधान हैं।

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान हैं–

1. महिलाओं के लिए कार्य क्षेत्र में समानता का व्यवहार। महिलाएं रात्रि में कार्य कर सकती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का दायित्व नियोक्ता पर होगा। महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों के मुकाबले समान काम के लिए वेतन की समानता होगी।
2. नियोक्ताओं के द्वारा एक विशेष आयु प्राप्त श्रमिकों के लिए वर्ष में एक बार निशुल्क चिकित्सा जांच की सुविधा।
3. यह भी अनिवार्य किया गया है किसी भी श्रमिक को प्रतिष्ठान में अधिकतम प्रतिदिन 8 घंटे काम और सप्ताह में एक छुट्टी प्रदान की जाएगी। कर्मचारियों के लिए हफ्ते में अधकितम 48 घंटे तक ही काम करने की सीमा तय की जाएगी।
4. यह संहिता संविदा कर्मियों के अधिकार को मान्यता देती है।
5. यह संहिता ट्रांसजेंडर के काम के अधिकार को भी मान्यता प्रदान करती है।
6. व्यवसायिक सुरक्षा में अब आईटी और सेवा क्षेत्रों के कामगारों को भी शामिल किया गया है।
7. पहली बार श्रमिकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें उसका कार्य और दशाएं निश्चित हो सकेंगी।

यह संहिता श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को लाभ प्रदान करती है। एक और जहां श्रमिकों को सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, काम की दशाएं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं तो दूसरी और नियोक्ताओं पर अनेक पंजीकरण और अनिश्चित नियमों के पालनों का बोझ भी कम करती है। इसमें पहली बार नियमित और अनियमित दोनों प्रकार के श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की गई है।

निष्कर्ष

श्रमिक मजदूरी अधिनियम–2019 इन अधिनियमों से पूर्व पारित किया जा चुका है जिसके प्रावधान इन तीनों संहिताओं के साथ लागू होंगे। श्रम मंत्रालय अगले कुछ महीनों में इन श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर सकता है और उनके कियान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है क्योंकि उस समय तक 15 से अधिक राज्य अपने क्षेत्र में नियमों के साथ तैयार हो जाएंगे। पहले इन कानूनों के कियान्वयन के लिए 1 अक्तूबर 2021 की तिथि तय की गयी थी, लेकिन राज्य स्तर पर तैयारी न होने के कारण कुछ विलम्ब की सम्भावनाएँ हैं। हालाँकि इसका कियान्वयन आंशिक हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के न्यूनतम वेतन और ग्रेच्युटी भुगतान जैसे कुछ प्रावधान बाद में लागू हो सकते हैं, जिससे नियोक्ताओं को कोविड महामारी के कारण वित्तीय भार से निपटने के लिए राहत मिल सकती है। इन कानूनों को कर्मचारी के रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिससे उनकी मासिक सैलरी में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन उसके सामाजिक सुरक्षा मद में वृद्धि हो जायेगी। पी0एफ0 और कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई0एस0आई0एस0) में नियोक्ता के द्वारा राशि जमा कर देने के कारण उसकी कुल प्राप्ति में वृद्धि ही होगी। श्रमिकों के पंजीकरण को आसान बना देने से श्रमिकों का एक भारतीय डाटा–बेस तैयार हो सकेगा, जिससे सरकार को उनके लिए योजनाएं बनाना आसान हो सके। अगर इन संहिताओं को एक वाक्य में परिभाषित किया जाए तो कहा जा सकता है कि ये श्रम कानून श्रमिकों के हित से ज्यादा ईज ऑफ बिजनेस को समर्थन देते हैं जिससे व्यापारिक नियमों को आसान बनाया जा सके।

संदर्भ

1. औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक–2020
2. सामाजिक सुरक्षा संहिता–2020
3. व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की दशाएं संहिता–2020
4. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की अधिकारिक वेबसाइट
5. नए भारत का नया लेबर कोड़
6. विभिन्न समाचार पत्रों के सम्बंधित लेख।

14

भारत की विदेश नीति

डॉ0 संजीव गौड़
प्राचार्य एवं असिस्टैंट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग)
नहटौर डिग्री कॉलेज, नहटौर (बिजनौर)

डॉ० अंकुर अग्रवाल
असिस्टैंट प्रौफेसर (वाणिज्य विभाग)
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद (बिजनौर)

सारांश

किसी भी देश की विदेश नीति इतिहास से गहरा सम्बन्ध रखती है। भारत की विदेश नीति भी इतिहास और स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बन्ध रखती है। ऐतिहासिक विरासत के रूप में भारत की विदेश नीति आज उन अनेक तथ्यों को समेटे हुए है जो कभी भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन से उपजे थे। 1950 में संसद में बोलते हुए नेहरु जी ने कहा था– ''आज यह नहीं समझना चाहिए कि हम विदेश–नीति के सर्वथा नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि हमारी विदेश नीति ऐसी है जो अतीत के सुन्दर इतिहास और राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित है। इसका विकास उन सिद्वान्तों के आधार पर हुआ है जिनकी घोषणा हम अतीत में कर चुके हैं।'' इसका तात्पर्य यही है कि भारत की विदेश नीति के निर्माण में परम्परा और स्वतंत्रता संग्राम की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व व विश्व शान्ति का विचार हजारों वर्ष पुराने उस चिन्तन का परिणाम है जिसे महात्मा बुद्ध व महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने प्रस्तुत किया था। इसी तरह भारत की विदेशी नीति में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद व रंगभेद की नीति का विरोध महान राष्ट्रीय आन्दोलन की उपज है। भारत के अधिकतर देशों के साथ औपचारिक राजनयिक सम्बन्ध है। जनंसख्या की दृष्टि से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश भी है और इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

मुख्य शब्द

विदेश–नीति, विरासत, इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन, विश्व शान्ति।

प्राचीनकाल में भी भारत के समस्त विश्व से व्यापारिक, सांस्कृतिक व धार्मिक सम्बन्ध रहे हैं। समय के साथ साथ भारत के कई भागों में कई अलग–अलग राजा रहे, भारत का स्वरूप भी बदलता रहा किन्तु वैश्विक तौर पर भारत के सम्बन्ध सदा बने रहे। सामरिक सम्बन्धों की बात की जाए तो भारत की विशेषता यही है कि वह कभी भी आक्रामक नहीं रहा। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने अधिकांश देशों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखा है। वैश्विक मंचों पर भारत सदा सक्रिय रहा है। 1990 के बाद आर्थिक तौर पर भी भारत ने विश्व को प्रभावित किया है। सामरिक तौर पर भारत ने अपनी शक्ति को बनाए रखा है और विश्वशान्ति में यथासंभव योगदान करता रहा है।

विगत कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। दिल्ली में हुए रायसीना डायलॉग में विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा था, ''भारत गुट निरपक्षेता के अतीत से बाहर निकल चुका है। भारत आज अपने हितों को देखते हुए दुनिया के दूसरे देशों के साथ रिश्ते बना रहा है।'' अंतर्राष्ट्रीय मंचों और एजेंसियों के द्वारा दुनिया के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं, उसमें भारत की भूमिका बढ़ाने का समय आ गया है। गोखले ने इस पर जोर देते हुए कहा कि मल्टीलेटरल संस्थानों में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। उन्होने यह भी कहा कि भारत का भविष्य खासतौर पर इस बात पर निर्भर करेगा कि वह जी–20 और भारत प्रशांत क्षेत्र में कैसी भूमिका निभाता है? पिछले 5 सालों में मोदी ने वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को बदलने की कोशिश की है। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राथमिकताओं को परिभाषित करने की इच्छा और योग्यता रखता है। वह अपनी सभ्यता की सॉफ्टपावर की दावेदारी के लिए तैयार है। इसके साथ योग और अध्यात्म जैसी सॉफ्टपावर और प्रवासी भारतीयों पर भी जोर दिया गया। यह बदलाव भारत के बढ़ते आत्म विश्वास का ही प्रतीक नहीं है बल्कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए नियम तय करने की भूमिका हासिल करने की महत्त्वाकांक्षा भी है। वह खुद को दूसरे देशों के बनाए नियम पर चलने वाले राष्ट्र के रूप में सीमित नहीं रखना चाहता। पहले भारत विदेश नीति को लेकर किसी भी तरह के जोखिम से बचता आया था। लेकिन अब वह अपनी नई भूमिका हासिल करने के लिए जोखिम उठाने को भी तैयार है। दशकों से हम एक सतर्क विदेश नीति पर चलते आए थे। लेकिन ग्रेटपावर गेम में भारत तेजी से कदम बढ़ाने और बड़ी भूमिका पाने के लिए तैयार है। जहाँ तक देश के सामरिक हितों का सवाल है, सरकार ने अपना अलग रास्ता बनाया है। वह दूसरे देशों के साथ साझेदारी बढ़ाकर इसे मज़बूत कर रही है न कि पीछे हट रही है। इस मामले में सरकार को ख्याल रखना होगा कि यह पहल गुटनिरपेक्ष नीति का जुड़वां न साबित हो क्योंकि तब और आज की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है।

भारत संपर्क बढ़ाने के साथ चीन के मामले में अपने लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा है। इसके साथ जब भारत रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता कर रहा है तो वह ट्रंप सरकार के मामले में रणनीतिक स्वायत्तता को स्पष्ट कर रहा है। भारत ने यह रणनीति ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के स्तंभों को चुनौती देने के लिए अपनाई है। पिछले पांच साल में भारत की विदेश नीति बहुआयामी रही है। दुनिया के बारे में सरकार की सोच पुरानी बेड़ियों से आज़ाद है। इसमें विदेश मामलों में प्रैक्टिकल अप्रोच पर फोकस बढ़ा है। सरकार की विदेश नीति की राह में कई चुनौतियां भी है। यह बात खासतौर पर तब और अहम हो जाती है, जब सरकार को स्ट्रक्चरल, संस्थागत और विचारों के स्तर पर कई सवालों के जवाब तलाशने हैं। वैश्विक व्यवस्था में जिस तेजी बदलाव हो रहे हैं, उसमें इन चुनौतियों को हल करना और मुश्किल होगा। कई देशों के साथ साझेदारी बनाने में उसकी राजनयिक क्षमताओं का इम्तिहान होगा। इसके साथ भारत को अपनी बढ़ती वैश्विक ताकत को भी बनाए रखना होगा।

भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य

- किसी भी अन्य देश के समान ही भारत की विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है।
- सभी देशों के लिए राष्ट्रीय हित का दायरा अलग अलग होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि शामिल हैं।
- अपनी विकास गति को बढ़ाने के लिए भारत को पर्याप्त विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। विभिन्न परियोजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया आदि को सफल बनोन के लिए भारत को विदेशी सहयोगियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वित्तीय सहायता और टेक्नोलोजी की जरूरत है।
- भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को संलग्न कर वहाँ उनकी उपस्थिति का अधिकतम लाभ उठाना है, इसी के साथ उनके हितों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक होता है।
- **अन्य उद्देश्य–**

○ भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना।

○ ऐसा वातावरण बनाना जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो, जिससे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँच सके।

○ वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ सुनी जाए और विभिन्न वैश्विक आयामों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण और वैश्विक शासन के मुद्दों को भारत प्रभावित कर सके।

○ विदेश में भारतीय प्रवासियों को जोड़ना और उनके हितों की रक्षा करना।

भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेशताएं

- भारत किसी विशेष देश के विरूद्ध किसी अन्य देश या देशों के समूह द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन नहीं करता है जब तक कि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति के साथ न अधिरोपित किया जाए।
- भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी करने में विश्वास नहीं रखता, परन्तु यदि कोई देश अनजाने में या जानबूझकर भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है तो भारत बिना समय बर्बाद किए ये हस्तक्षेप करने में नहीं झिझकेगा।
- भारत आक्रामकता के स्थान पर निर्माणात्मकता पर जोर देता है। भारत का मानना है कि युद्ध समस्या का हल नहीं बल्कि एक नई समस्या की शुरूआत होता है। परन्तु धैर्य की नीति को भारत की कमज़ोरी नहीं माना जा सकता।

भारत की विदेश नीति के सिद्धान्त

- **गुट निरपेक्षता का सिद्धान्त–** गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त भारत की विदेश नीति का केन्द्र बिन्दु है। विश्व शान्ति, मैत्रीपूर्ण सहयोग तथा एकता के सिद्धान्तों की पूर्ति इसी सिद्धान्त से की जाती है। भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धान्त होने के नाते कई बार राजनीतिक विश्लेषक भारत की विदेश नीति को गुट निरपेक्षता की नीति तक कह देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के वातावरण से उत्पन्न यह गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक महत्वपूर्ण सच्चाई तथा भारतीय विदेश नीति की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। सिद्धान्त का सार यह है कि यह सिद्धान्त हमेशा ही सैनिक गुटबन्दियों से दूर रहकर जागरूक मानसिकता के रूप में विश्वशान्ति को चुनौती देने वाली ताकतों का प्रबल विरोध करता रहा है। इस सिद्धान्त का सीधा अर्थ है–अमेरिकी तथा रूसी गुटों से अलग रहकर विश्व शान्ति के लिए प्रयास करना। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता को अपनी विदेशी नीति का सिद्धान्त बनाने के पीछे अपना आर्थिक विकास, राजनीतिक स्वतन्त्रता व अक्षुण्ण सम्प्रभुता, विश्व शान्ति कायम रखना आदि उद्देश्य हो सकते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति के रूप में भारत की विदेश नीति को अवसरवादी, अलगाववाद, तटस्थता आदि कहकर भी आलोचना की गई, लेकिन भारत अपने आदर्श पर अड़िग रहा है। शीतयुद्ध के भयावह वातावरण, महाशक्तियों के दबाव जैसी परिस्थितियों में भी भारत ने इस नीति का त्याग नहीं किया है।

- **पंचशील व शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व का सिद्धान्त–** भारत की राजनीतिक संस्कृति सभी बाहरी राष्ट्रीयताओं को आत्मसात करने की प्रतीति रखती है। भारत की राजनीतिक संस्कृति में अहिंसावाद का गुण पाया जाता है। भारत 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त में विश्वास करता है। इसका स्पष्ट प्रभाव भारत की विदेश नीति पर देखा जा सकता है। भारत ने अहिंसा के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने के लिए अपनी विदेश नीति में पंचशील और शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व के सिद्धान्त को प्रमुखता दी है। नेहरु जी ने 1954 में पंचशील सिद्धान्त को भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धान्त घोषित किया था। भारत आज भी उसी सिद्धान्त का पालन करता है। ये पांच सिद्धान्त हैं: 1. एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता व स्वतंत्रता का सम्मान करना, 2. एक–दूसरे पर आक्रमण न करना, 3. एक–दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, 4. समानता के आधार पर एक–दूसरे को लाभ पहुंचाना तथा 5. शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व। इस पंचशील के आवश्यक पहलू के रूप में भारत शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास रखता है। इसके पीछे अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को शान्तिमय बनाए रखने का मूल कारण ही निहित है। भारत ने अपनी सुरक्षा, आर्थिक विकास, उपनिवेशवाद व रंगभेद के विरोध, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था, मैत्रीपूर्ण विदेशी सम्बन्ध आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पंचशील सिद्धान्त को ही अपनी विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धान्त के रुप में अपनाया है।

- **उपनिवेशवाद तथा रंगभेद की नीति के विरोध का सिद्धान्त–** भारत स्वयं भी उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति का दंश झेल चुका है। इसी कारण उसने अपनी विदेश नीति के सिद्धान्त के रूप में उपनिवेशवाद व रंगभंग की नीति के विरोध को प्रमुखता दी है। स्वतंत्रता के बाद सभी एशियाई व अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता का भारत ने जोरदार समर्थन किया है। भारत ने लीबिया, इन्डोनेशिया, मलाया, चीन, घाना आदि देशों की स्वतंत्रता की जोरदार अपील UNO में की थी। भारत आज भी यूरोपीय व अमेरिकी देशों द्वारा फैलाये जा रहे नव–साम्राज्यवाद का विरोध करता है। भारत ने समय–समय पर विदेशों में भारतीय व एशियाई–अफ्रीकी मूल की जनता पर हो रहे जातीय अत्याचारों का प्रबल विरोध किया है। भारत आज भी आर्थिक साम्राज्यवाद और रंगभेद की नीति के विरोध के रूप में अपनी विदेश नीति में इस सिद्धान्त को महत्व देता है।

- **विश्व शान्ति का सिद्धान्त–** भारत की विदेश नीति विश्व–शान्ति के सिद्धान्त की प्रबल समर्थक है। भारत हमेशा ही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कायम रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने का समर्थन करता रहा है। भारत के संविधान में भी नीति निर्देशक सिद्धान्तों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है– ''भारत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और क्षेत्र की उन्नति, राष्ट्रों के बीच न्याय और न्यायपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता व पंच–निर्णय द्वारा निपटाने के लिए प्रयत्न करेगा।'' भारत ने विश्व शान्ति को खतरा उत्पन्न होने की हर हालत में सराहनीय कार्य किया है। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को भी हल करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वेज नहर संकट, कोरिया संकट, कश्मीर समस्या, अफगानिस्तान संकट, खाड़ी संकट आदि के समय भारत ने विश्व के सामने मध्यस्थता व पंच निर्णय जैसे शान्तिपूर्ण विकल्प पेश किए। इसके लिए भारत ने निःशस्त्रीकरण तथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किये गए प्रयासों को विश्व शान्ति की दिशा में महत्वपूर्ण माना है। विश्व शान्ति का आदर्श आज भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है।

- **आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद का सिद्धान्त–** भारत की विदेश नीति शान्ति, अहिंसा जैसे आदर्शों से युक्त रही है। आज भी भारत की विदेश नीति पर नेहरु, गांधी, महात्मा बुद्ध जैसे अहिंसावादी व शान्ति के पुजारी विचारकों का स्पष्ट प्रभाव है। नेहरु का पंचशील सिद्धान्त आज भारत की विदेश नीति को आदर्शवाद के सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भारत का विश्व शान्ति के प्रति अपनाया गया दृष्टिकोण भारत की विदेश नीति को आदर्शवाद की नीति घोषित करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत की विदेश नीति कोरी आदर्शवादी है। सत्य तो यह है कि आवश्यकता पड़ने पर भारत ने आदर्शवाद का रास्ता छोड़कर यथार्थवाद का मार्ग भी ग्रहण किया है। इससे स्पष्ट है कि आवश्यकतानुसार भारत की विदेश नीति आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों को बराबर महत्व देती रही है।

- **गुजराल सिद्धान्त–** 1996 में केन्द्र में 13 राजनीतिक दलों की सरकार बनने के बाद 1997 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्द्र कुमार गुजराल ने शपथ ली। गुजराल जी ने पड़ौसी देशों के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जो प्रयास किये उन्हें गुजराल सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धान्त के तहत 1997 में भारत ने बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया। इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने के लिए गुजराल सरकार ने अपने पड़ौसी देशों की जनता को वीजा सम्बन्धी रियायतें प्रदान कीं। इस सिद्धान्त के तहत भारत ने अमेरिका के साथ भी सम्बन्धों को मधुर बनाने के प्रयास किए।

भारत की विदेश नीति व आधुनिक समय में हुये परिवर्तन

- **जागरुकता और आशावाद–**

भारत की विदेश नीति के बड़े मुद्दों को लेकर भारतीय युवाओं में जागरुकता का स्तर अच्छा है। ये रुझान विदेश नीति के मुद्दों को लेकर आम नागरिकों की काफी हद तक सीमित पहुंच की पुरानी धारणा से विदाई का संकेत देता है। युवा न सिर्फ मौजूदा सरकार की विदेश नीति से जुड़े फैसलों के बारे में जागरूक है बल्कि उन नीतियों का समर्थन भी करते हैं। सरकार की विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसलों जैसे चीन के ऐप पर प्रतिबंध, बालाकोट एयरस्ट्राइक और अवैध रूप से दूसरे देश के लोगों के आने पर नियंत्रण को सर्वे में शामिल युवाओं ने सकारात्मक रूप से देखा।

- **सोच में बदलाव–**

वैश्विक महामारी को भारत के लिए विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर पहचान किया गया है। इससे पता चलता है कि कोविड–19 की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां भारत के युवाओं की आशंका वाली सोच में दबदबा रखती है। साथ ही आतंकवाद का जोर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर युवाओं की बढ़ती चिंता की वजह बन रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक और अवैध तरीके से लोगों के भारत में आने पर नियंत्रण के लिए कदम की तारीफ के जरिए मजबूत दृष्टिकोण की ओर युवाओं की तरजीह को समझा जा सकता है। सुरक्षा को परंपरागत खतरे के अलावा साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर युवा आबादी की बढ़ती चिंता बताती है कि इन गैर परम्परागत लेकिन तेजी से बढ़ती महत्वपूर्ण चुनौतियों से भारत ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ मुकाबला कर सकता है।

- **व्यावहारिक दृष्टिकोण–**

भारत अपनी विदेश नीति की महत्वाकांक्षा को व्यावहारिक तरीके से आगे बढ़ाए न कि अतीत के परम्परागत दृष्टिकोण से चिपका रहे। सर्वे में शामिल युवाओं ने अमेरिका के साथ सम्बन्धों को नई ऊँचाई देने को लेकर काफी उत्साह दिखाया। ये हाल के दशकों में अमेरिका के साथ भारत के मजबूत सामरिक संबंधों के मुताबिक है। युवाओं ने सर्वे में ये संकेत भी दिया है कि अमेरिका–चीन संघर्ष में बढ़ोतरी की स्थिति में वो साफ तौर पर भारत के द्वारा अमेरिका का पक्ष लेने को प्राथमिकता देंगे। ये राय चीन से बढ़ते खतरे के कारण भारत के हितों को देखते हुए है। इस तरह की व्यावहारिक सोच ऐतिहासिक रूप से महाशक्तियों की दुश्मनी के दौरान काफी हद तक गुट निरपेक्ष बने रहने के परंपरागत रुख से हट कर है। सर्वे में शामिल युवाओं के एक बड़े हिस्से को भारत के गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानकारी ही नहीं थी। रूस के साथ भारत के मजबूत ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद अमेरिका के लिए युवाओं की ज्यादा प्राथमिकता से भारत अमेरिका रिश्तों के विकसित होने की तरह आशावादी संकेत मिलता है।

- **अंतर्विरोध–**

भारत की भागीदारी को लेकर उम्मीद है लेकिन पड़ोसियों के साथ भारत की भागीदारी के उतार चढ़ाव को लेकर उनकी समझ भी अपर्याप्त पाई गई। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इस बात की और छानबीन की जाए कि किस हद तक युवा ऐसे मुद्दों के बारे में पर्याप्त समझ के आधार पर जागरुक राय बना रहे हैं। ये जानना भी दिलचस्प होगा किस हद तक परम्परागत मीडिया और सोशल मीडिया विदेश नीति को लेकर युवाओं का इस तरह का जनमत बनाते हैं। चूंकि ये सर्वे महामारी के दौरान किया गया, इसलिए कुछ वर्षों के बाद जब कोरोना वायरस का खतरा कम हो जायेगा तो इसी तरह का सर्वे कराने से ये समझने में मदद मिलेगी कि कोविड–19 की वजह से आई अनिश्चितता ने सर्वे में शामिल लोगों के विचार पर कितना असर डाला। साथ ही दूसरे मुद्दों से सम्बन्धित चिंताओं जैसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवादों और वैश्विक विकास के सहयोग की पहल को लेकर युवाओं की सोच का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण होगा। विदेश नीति पर भारत के जनमत की विकसित प्रवृत्ति के लगातार आकलन की इस तरह की कोशिश बेशक एक लोकतंत्र में विदेश नीति और लोगों की राय के बीच पारस्परिक क्रिया की समझ को बढ़ाएगी।

भारत और भारत की विदेश नीति के लिए चुनौतियां

भारत की विदेश नीति की आंतरिक और बाहरी चुनौतियां भी हैं। भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य देश को इन चुनौतियों का प्रभावशाली और सफलतापूर्वक निवारण करने में सफल बनाना है। इसके साथ–साथ, विदेश नीति निर्माताओं तथा राजनयिकता के वृत्तिकों, जो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिनके माध्यम से विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है, का यह दायित्व भी होता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय परिवेश की निगरानी करें, उस पर प्रतिक्रिया करें तथा जहां संभव हो, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश का निर्माण करें ताकि भारत के राष्ट्रीय हित एक प्रबुद्ध तरीके से साधे जा सकें। अन्य उपायों की आवश्यकता भी होती है तथा उन्हें तैनात भी किया जाता है जैसे सैन्य शक्ति, आर्थिक ताकत, प्रच्छन्न कार्यवाही, सॉफ्टपावर और सबसे ऊपर इन सभी का एक औचित्यपूर्ण संयोजन जो सब मिलकर स्मार्ट पावर बन जाती है। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक तेजी से बदलते गतिशील, जटिल और बहु–ध्रुवीय विश्व में नीति उपकरणों के सही मिश्रण को अवधारित करना है। इसके अलावा, एक राष्ट्र के रूप में हमें उस स्थिति में भी हमारे बाहरी संबंधों को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता पर विशेषज्ञता हासिल करना व इसे जारी रखना है। जब हमारा वैश्विक दृष्टिकोण विस्तारित हो रहा है, संतुलन की कला न केवल विदेश नीति प्रबंधन के लिए केन्द्रीय है, बल्कि सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भारत जैसे एक विशाल, वैविध्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण देश में एक त्वरित, व्यापक और अधिक साम्यपूर्ण आर्थिक विकास के लिये जो नौकरियां सृजित करता हो, कृषि, विनिर्माण और सेवा के तिहरे खंड़ों को विस्तारित करता हो, स्वच्छ हवा, जल और विद्युत की आपूर्ति सहित अवसंरचना को सुधारता हो। केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा सेवाओं के अधिक कार्यकुशल वितरण के माध्यम से बेहतर शासन, भ्रष्टाचार में कमी, आतंकवाद तथा आतंरिक सुरक्षा के लिए अन्य चुनौतियों का प्रभावशाली रूप से सामना, विभिन्न क्षेत्रों में सुस्पष्ट सुधार जैसे स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, पर्यावरण, महिला सुरक्षा और अधिकारिता, तथा आर्थिक सैन्य और राजनयिक शक्ति में दृष्टिगोचर संवृद्धि के लिये सफल विदेश नीति अनिवार्य है ताकि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर सके।

निष्कर्ष

मानव की भलाई के लिए आज भारत निःशस्त्रीकरण के विचार का प्रबल समर्थक है। भारत की विदेश नीति आज भी लगभग वही है जो 1947 में थी। यद्यपि समयानुसार इसका कुछ विकास भी हुआ है, लेकिन विदेश नीति के मूल उद्देश्य आज भी वही हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्धारित किये थे। सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन विदेश नीति का प्रवाह निरन्तर विकास की दिशा में रहा है। विदेश नीति की चुनौतियों का सामना करने की भारत की क्षमता सुदृढ़ होगी यदि हमारे राजनीतिक दल और नेता एक–दूसरे के साथ अधिक संगतता और एकता दर्शाते हैं तथा निजी हितों से ऊपर उठते हैं और राष्ट्रीय हित को संपोषित करते हैं; यदि सरकार स्मार्ट पावर का प्रयोग करने के लिए एक एकीकृत रणनीति का पालन करती है, और यदि नीति निर्माता हमारे गुंजायमान शैक्षणिक–रणनीतिक समुदाय से आने वाली सलाह के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं। इस सबसे ऊपर, युवा भारतीयों जैसे यहाँ विद्यमान छात्र समूह हैं; को ऐसे आधारभूत विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है कि विदेश नीति के परिणाम बाहरी नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने हितों से जुड़ें हैं और हमारे स्वप्नों, आशाओं और चिंताओं से सम्बन्धित हैं। अतः विदेश नीति के मुद्दों को समझने और अध्ययन करने का नियमित प्रयास तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के विषय में जागरूक रहना अब वैकल्पिक नहीं रह गया है। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करना ही भारत की विदेश नीति का ध्येय है।

संदर्भ

1. आर.एस. यादव, भारत की विदेश नीति
2. Surjit Man Singh, India's Search of Power : Indira Gandhi's Foreign Policy
3. Surendra Chopra ed., Studies in India Foreign Policy
4. V.P. Dutt, India's Foreign Policy
5. Appadorai, A., Rajan, M.S., India's Foreign Policy and Belations, New Delhi.
6. Beetham, David, Democracy and Human Rights.
7. Bhalla, V. K., Foreign Investment and New Economic Policy, New Delhi
8. Chaturvedi, Arun, Lodha, Sanjay (Eds.), India's Foreign Policy and the Emerging World Order, Jaipur.
9. https://www.foreignaffairs.com
10. https://foreignpolicy.com

15

भारत की विदेश नीति की आलोचनात्मक व्याख्या

मोहित बाबू
शोध छात्र (इतिहास)

डॉ0 सुरेश चंद
एसोसिऐट प्रोफेसर (इतिहास विभाग)
के०जी०के० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरादाबाद

सारांश

भारतीय विदेश नीति परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। भारत अपनी दशकों पुरानी सुरक्षात्मक नीति बदलते हुए आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रहा है किंतु इससे कुछ चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। भारत और अमेरिका के बीच गहरे होते संबंध भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित कर सकते हैं। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में उत्पन्न बाधाओं को दूर करना चाहिए। भारत को अपनी विदेश नीति से चीन को प्रति संतुलित करने के साथ–साथ अपने विकास पर अधिक देना ध्यान देना चाहिए जो कि भारतीय हितों के अधिक अनुकूल प्रतीत होता है।

मुख्य शब्द

भारतीय विदेश नीति, सुरक्षात्मक नीति, रणनीतिक स्वायत्तता।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश घोषित किया गया है अर्थात् भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा। भारत ने विदेश नीति में संविधान का अनुसरण करते हुए सदैव गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है एवं किसी भी देश के साथ सैन्य समझौते में सम्मिलित ना होते हुए भी भारत ने अपनी स्वतंत्रता एवं अखंड़ता की रक्षा की है किंतु वर्तमान में भारतीय विदेश नीति में कुछ नए तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। '1

विदेश नीति एक ढाँचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग–अलग स्वरूप यानि एकपक्षीय, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है। सभी देशों की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को साधना है, इसी प्रकार भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य भी राष्ट्रहित है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के तहत अपनी क्षेत्रीय अखंड़ता की रक्षा, अपनी सीमाओं की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि मुद्दों को समाहित करता है। '2

भारत की विदेश नीति का विकास

प्रथम चरण –

स्वतंत्रता के पश्चात् जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उन्होंने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ दोनों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करने का प्रयत्न किया क्योंकि भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अमेरिका की तकनीकी व आर्थिक सहायता की आवश्यकता के साथ सोवियत संघ की आर्थिक सहायता से सार्वजनिक उद्यमों का विकास किया गया। नेहरू ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए सैनिक संगठनों से जुड़ने से इंकार कर दिया जिसे लोकप्रिय रूप में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति कहा जाता है। '3

इस चरण में भारत ने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध निर्मित किए किंतु चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर भारत की क्षेत्रीय अखंड़ता को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। इस चरण में भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ के साथ समान व्यवहार किया किंतु जब 1965 में भारत पाक युद्ध प्रारंभ हुआ तो अमेरिका ने पूर्ण रूप से पाकिस्तान का साथ दिया। इन सभी घटनाओं के बाद भारतीय विदेश नीति में नए तत्व का समावेश होता है और विदेश नीति के द्वितीय चरण का विकास होता है। '4

द्वितीय चरण –

जवाहरलाल नेहरू के पश्चात इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनीं। उन्होंने तत्कालीन विश्व में हुए परिवर्तनों के अनुरूप विदेश नीति को विकसित किया। इंदिरा गाँधी के द्वारा पंडित नेहरू की नैतिकतावादी, आदर्शवादी विदेश नीति को यथार्थवादी बना दिया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा, शक्ति एवं सैन्य आधुनिकीकरण पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने सेनाओं का आकार कई गुना बढ़ा दिया एवं 1971 में चीन एवं पाकिस्तान के बीच निर्मित सामरिक त्रिकोण से भारतीय सुरक्षा का सामना करने के लिए भारत एवं सोवियत संघ के बीच ऐतिहासिक शांति एवं मित्रता की संधि

की गयी। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया एवं 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के द्वारा भारत ने यह प्रदर्शित किया कि वह परमाणु हथियार बना सकता है लेकिन वह इसका निर्माण नहीं करेगा । '5

इंदिरा गाँधी द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया तथा गुट निरपेक्ष नीति को बनाए रखा गया। भारत सोवियत संघ के बीच मित्रवत् संबंधों के कारण अमेरिका से दूरी बन गयी और अमेरिका भारत का विरोधी हो गया। हथियारों के आयात तथा व्यापार के लिए भी भारत रूस पर निर्भर हो गया।

तृतीय चरण –

सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में भारत ने आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करते हुए उदारीकरण, निजीकरण की नीति को अपना लिया। विदेश नीति में व्यापार विशेष एवं अर्थ का महत्व प्राथमिक हो गया। अतः अब संबंध विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि व्यापारिक आधार पर निर्मित हुए। साथ ही अफ्रीकी देशों के साथ संबंध उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित न होकर आर्थिक आधार पर निर्मित हुए। भारत में निवेश आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 'पूर्व की ओर देखो' की नीति को अपनाया गया। '6

2010 के बाद वर्तमान समय तक विभिन्न देशों के साथ संबंध–

भारत–नेपाल संबंध –

नेपाल; भारत एवं चीन के बीच स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। चीन के पड़ोस में स्थित होने के कारण भारत के लिए नेपाल का सामरिक महत्व बढ़ जाता है जबकि लैंडलॉक्ड होने के कारण नेपाल भौगोलिक रूप से भारत पर निर्भर हो जाता है इसलिए नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोलकाता पत्तन से संचालित होता है। नेपाली लोगों के भारत में वैवाहिक संबंध भी हैं इसीलिए भारत और नेपाल के संबंधों को रोटी एवं बेटी के संबंध के रूप में व्यक्त किया जाता है। भारत और नेपाल दोनों आर्थिक रूप से अंतर्निर्भर हैं। भारतीय सेना में गोरखा बटालियन में बड़ी संख्या में नेपाल के गोरखा सैनिक हैं। भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक नेपाल जाते हैं। भारत द्वारा जल विद्युत उत्पादन में सहयोग किया जाता है जिससे दोनों देशों को ऊर्जा संसाधन प्राप्त होते हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार है। '7

भारत–श्रीलंका संबंध –

हिंद महासागर में श्रीलंका भारत के दक्षिण में महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्ग पर स्थित है। वर्तमान उदारीकरण के युग में व्यापार, अर्थव्यवस्था पर बल देते हुए भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार का समझौता संपन्न हो चुका है। वर्तमान में भारतीय निजी कंपनियों ने श्रीलंका में निवेश किया है। बड़ी संख्या में पर्यटक भारत से श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका को प्राप्त होने वाली आर्थिक मदद में दूसरा स्थान भारत का है। श्रीलंका पड़ोसी के अलावा हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। यह भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा नहीं कर सकता परंतु श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। श्रीलंका के उत्तरी द्वीप पर तमिल जाति के लोग रहते हैं जो भारत से सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं।

भारत और अफगानिस्तान संबंध –

अफगानिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एकमात्र पड़ोसी देश है जो पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा हेतु खतरा मानता है। इसलिए भारत एवं अफगानिस्तान के सुरक्षा खतरे समान हैं। भारत के द्वारा अफगानिस्तान की सेना एवं पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। अफगानिस्तान का भू–राजनीतिक महत्व अत्यधिक है क्योंकि इसकी सीमाएं मध्य एशिया, पश्चिम एशिया व चीन के साथ लगती हैं।

भारत ने अफगानिस्तान के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं अफगानी छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान करना, अफगानी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने में भारत की अग्रणी भूमिका रही है। भारत ने अफगानिस्तान की आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के द्वारा लगभग 2 बिलियन डॉलर का निवेश, डेलाराम जरांज सड़क मार्ग का निर्माण, सलमा बांध का निर्माण करके काबुल के लिए बिजली की आपूर्ति बहाल की गई। अतः भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध अत्यधिक मधुर एवं मित्रतापूर्ण हैं। '8

भारत एवं बांग्लादेश संबंध –

1971 में भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारत और बांग्लादेश के बीच आज भी मधुर संबंध बने हुए हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य भूमिआबद्ध क्षेत्र हैं इसीलिए भारत के लिए बांग्लादेश का निर्णायक महत्व हो जाता है। कोलकाता–ढाका के बीच रेल सेवा, कोलकाता–खुलना के बीच रेल सेवा प्रारंभ की गई है। अगरतला–अखुरा के बीच रेल संपर्क का समझौता भी किया गया है जो भारत की सिलीगुड़ी गलियारे पर निर्भरता को कम करेगा और कोलकाता से पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश आसान हो जाएगा। भारत–बांग्लादेश के बीच लगभग 6 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत की अनेक निजी कंपनियां बांग्लादेश में निवेश कर रही हैं। '9

भारत पाकिस्तान संबंध –

पाकिस्तान का निर्माण भारत से अलग धार्मिक आधार पर किया गया था। विभाजन के बाद से भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेकर, आतंकवाद, सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद बना रहा है लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में इनके द्वारा आपस में सहयोग भी होता

रहा। जैसे– भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जलसंधि। भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य हैं जो दक्षिण एशिया में शांति व व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित संगठन हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर की स्थापना की गई जो भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने में सहायक है। '10

भारत चीन संबंध –

1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध अत्यधिक तनावपूर्ण रहे किंतु 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा के दौरान सीमा विवाद के मुद्दे पर परिवर्तित दृष्टिकोण अपनाया गया और सीमा विवाद एवं अन्य संबंधों में अलगाव किया गया। चीन के साथ व्यापारिक संबंध एवं आर्थिक संबंधों पर बल दिया गया जबकि सीमा विवाद को हल करने के लिए पृथक प्रयास भी किए जाते रहे। चीन और भारत दोनों शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स के सदस्य हैं। हालांकि भारत चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा नहीं है। भारत और चीन के बीच हाल ही में डोकलाम विवाद एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर विवाद भी बना रहा है तथापि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है एवं सबसे बड़ा निर्यातक भी है। '11

भारत अमेरिका संबंध –

वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच संबंध अत्यधिक मजबूत है। भारत और अमेरिका क्वाड़ समूह के सदस्य हैं। साथ ही अमेरिका भारत को दक्षिण एशिया में चीन का महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी मानता है। भारत को चीन के विरुद्ध सहायता प्रदान करने हेतु अमेरिका तत्पर मालूम होता है। भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू सम्मिट का आयोजन होता है। दोनों देशों के बीच कई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझौते संपन्न हुए हैं। जैसे– परमाणु समझौता, बेका, सीआईएसएमओए आदि। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस सहयोगी का दर्जा दिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच लगभग साठ बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। '12

भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां

वर्तमान में वैश्विक राजनीति में हुए परिवर्तन व पड़ोसी देशों में सत्ता परिवर्तन ने भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने में असफल रहा है। इसके उदाहरण निम्न हैं–

- हाल ही में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में होने वाला तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और 45 वर्ष बाद ऐसा हुआ कि गलवान घाटी की हिंसा में हमारे कई जवान शहीद हुए। भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ–साथ सहयोग भी बना रहता था जिससे भारत और चीन की सीमा विवादों में हिंसा जैसी घटनाएं नहीं होती थी किंतु वर्तमान में भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा है।
- भारत और नेपाल के बीच मित्रवत संबंध बने हुए हैं किंतु हाल ही में नेपाल द्वारा जारी मानचित्र में भारत के उत्तराखंड के कुछ हिस्से को नेपाल का हिस्सा बताया गया। नेपाल चीन के साथ रोड कनेक्टिविटी पर जोर दे रहा है जिसका परिणाम होगा कि नेपाल की भारत पर से निर्भरता में कमी आएगी और नेपाल का झुकाव चीन की ओर बढ़ेगा। नेपाल में होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों में भी चीन का हस्तक्षेप साफ तौर से देखा जा सकता है। वहां साम्यवादी झुकाव रखने वाली सरकारों का गठन हो रहा है जो कि भारत के पक्ष में नहीं है।
- भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में सामान्यता मछुआरों के मुद्दे पर तनाव रहता है। श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले तमिल लोगों पर होने वाली हिंसा के कारण भी संबंध तनावपूर्ण बने रहते हैं। वर्तमान में श्रीलंका चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा बन गया है जिस कारण चीन की श्रीलंका में उपस्थिति बढ़ती जा रही है जो भारत के लिए अप्रत्यक्ष सुरक्षा खतरा उत्पन्न करती है। चीन द्वारा श्रीलंका को बड़ी मात्रा में कर्ज दिया जा रहा है और कर्ज जाल में फंसा कर अपने सामरिक हितों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है जोकि भारतीय हितों के विरुद्ध है। भारत की स्थिति श्रीलंका में कमजोर हो रही है क्योंकि हाल ही में श्रीलंका ने हंबनटोटा पोर्ट चीन को 100 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया है जो पहले भारत को विकास हेतु दिया जाना था। '13
- बांग्लादेश और भारत के बीच होने वाला अवैध प्रवास एक मुख्य समस्या है। इस कारण दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिलता है। हाल ही में भारत द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को छोड़कर अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों को भारत में नागरिकता प्रदान करता है; इसका बांग्लादेश द्वारा विरोध किया जाता रहा है।
- ईरान में भारत द्वारा चावहार बंदरगाह का विकास किया गया। इसका विकास भारत द्वारा ईरान होते हुए अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु किया गया था परंतु हाल ही में ईरान में चाहवार बंदरगाह रेल लिंक प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर दिया गया। ईरान में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों का लाभ उठाते हुए चीन ईरान के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना रहा है। ये परिस्थितियां भारत के पक्ष में नहीं हैं।

भारतीय संविधान भारत को संप्रभुता संपन्न घोषित करता है '13 अर्थात् भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र रूप से व्यवहार करेगा किंतु वर्तमान में हम ईरान के संदर्भ में भारत की विदेश नीति को देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका के ईरान के साथ संबंधों में उतार–चढ़ाव के अनुसार बदल रही है। उदाहरण के रूप में देखें तो 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील साइन होने के बाद भारत और ईरान संबंध मजबूत हुए। अमेरिका के न्यूक्लियर डील से हटने के बाद पुनः भारत के ईरान के साथ संबंधों में गिरावट देखी जा सकती है।

भारत ने अफगानिस्तान में एक बड़ा निवेश कर रखा है किंतु हाल ही में अफगानिस्तान में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अफगानिस्तान की स्थिति पर हुई बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया जो भारत की कमजोर विदेश नीति को दर्शाता है। '14

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति असफल हो गई बल्कि इसमें समय के साथ कुछ परिवर्तन अब आवश्यक हो गए हैं। भारत ने वर्तमान विश्व राजनीति में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के प्रयासों को तीव्र किया है। इस दिशा में भारत ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जैसे– भारत द्वारा तालिबान के साथ बैक चैनल से बातचीत ताकि भारत अफगानिस्तान में अपने हितों को संरक्षित कर सके, भारत ने चीन से डोकलाम हो या गलवान घाटी; में अपना अडिग रुख अपनाते हुए भारत की एकता–अखंड़ता एवं संप्रभुता की रक्षा की है। भारत ने कोविड–19 के दौरान आवश्यक दवाइयों एवं वस्तुओं की आपूर्ति कर अपने पड़ोसी देशों में अपने प्रति इस विश्वास को मजबूत किया है कि भारत कठिन परिस्थितियों में भी अपने मित्र देशों का साथ नहीं छोड़ता है। '15

सन्दर्भ

1. बसु, दुर्गादास, "भारत का संविधान एक परिचय" प्रस्तावना, लादना एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1968
2. एचटीटीपीएस इएन डॉट विकी पीडिया डॉट ओआरजी, विकी फारेन रिलेशंस ऑफ इंडिया
3. पण्डे, एस. के. "आधुनिक भारत", प्रयाग एकेडमी पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद
4. ठट्टी अब्राहम, "फ्रॉम बांडुंग टू एनएएमरू नॉन–एलाइनमेंट एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, 1947–65।" राष्ट्रमंडल और तुलनात्मक राजनीति 46.2 (2008)।
5. इंडिया फॉरेन रिलेशंस, कंट्री स्टडीज, यू एस. रेट्रिव्ड 12 नवंबर 2011
6. "संग्रहीत प्रति", मूल से 17 जून 2018 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 30 अप्रैल 2018
7. एचटीटीपीएस एमओएफए डॉट एनपी नेपाल इंडिया रिलेशंस
8. एचटीटीपीएस डब्लू डब्लू डब्लू डॉट एमईए डॉट जीओवी डॉट इन फारेन रिलेशंस डॉट एचटीएम
9. एमईए डॉट जीओवी डॉट इन बिम्सटेक शेयर्ड विजन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन
10. एचटीटीपीएस इएन डॉट एम डॉट विकीपीडिया डॉट ओआरजी विकी करतारपुर कॉरिडोर
11. एचटीटीपीएस इएन डॉट विकी पीडिया डॉट ओआरजी विकी चीन इंडिया रिलेशेंस
12. एचटीटीपीएस डब्लू डब्लू डब्लू डॉट इंडियन एंबेसी यूएसए डॉट जीओवी डॉट इन पेजेज एमजेडएम
13. जैकब, हैपीमैन, "इंडियाज बिग फॉरेन पॉलिसी शेकअप" द हिन्दू न्यूज पेपर पब्लिश फ्रॉम नई दिल्ली, 26 अक्टूबर 2019
14. जॅनी, स्टर्ली, "नीडेड ए मैप फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी" द हिन्दू न्यूज पेपर पब्लिश फ्रॉम नई दिल्ली, 28 जुलाई 2020
15. एचटीटीपीएस डब्लू डब्लू डब्लू डॉट एमईए डॉट गोव डॉट इन

16

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 नज़ाकत हुसैन
एसोसिऐट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग)
राजकीय महाविद्यालय, भोजपुर, मुरादाबाद

सारांश

विदेशी पूंजी निवेश अर्थव्यवस्था के सभी अवयवों को गतिशील बनाने में अत्यन्त लाभकारी होता है। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के द्वारा रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का निर्माण करने में विशेष सहायता प्राप्त होती है जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ जन सामान्य के जीवन स्तर में वृद्धि का अवसर भी प्राप्त होता है। इससे प्रोद्यौगिकी उन्नयन में भी सहयोग प्राप्त होता है। इसके द्वारा व्यापारिक जगत में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा की भावना को विकसित करने में भी सहायता प्राप्त होती है। सही शब्दों मे कहा जाये तो वैश्वीकरण एवं भूमण्डलीकरण के इस युग में कोई देश भी विदेशी पूंजी के अधिकाधिक उपयोग करने से स्वयं को नहीं रोक सकता है। हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश बड़े बड़े उपक्रमों में ही अधिकांशतः किया गया है जिससे छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योंगों को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। हम देखते हैं कि अधिकांश विदेशी पूंजी का निवेश सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, टेलीकम्यूनिकेशन्स और कम्पयूटर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में ही किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति से इसके लाभ मूल रूप से बड़े बड़े महानगरों तक ही सीमित होकर रह गये हैं। वर्तमान युग में विदेशी पूंजी का उपयोग नितान्त अपरिहार्य है परन्तु हमें इसके दुष्प्रभावों को सीमित करने का प्रयास करना होगा। हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे विदेशी पूंजी का प्रवाह विज्ञान एवं तकनीक के साथ साथ भारत की आधारभूत संरचना निर्माण की योजनाओं में अधिक से अधिक किया जा सके। हमें यह भी प्रयास करने होंगें कि विदेशी पूंजी जनकल्याण के क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि के विकास में भी महती भूमिका का निर्वहन कर सके। हमें भारत के पिछड़े राज्यों की और भी विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के प्रयास करने होंगें। भारत मे विदेशी पूंजी के अधिकाधिक उपयोग की वृहद सम्भावनाएं हैं। यदि हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सम्बन्ध में उपरोक्त इंगित सीमाओं और कमियों का निराकरण करने में सफल हो जाते हैं तथा विदेशी पूंजी को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सड़क निर्माण, कृषि व अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की और आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था को समावेशी विकास के मार्ग पर ले जाकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का स्वप्न साकार कर सकेंगें।

मुख्य शब्द

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, समावेशी विकास।

आर्थिक नियोजन के प्रारम्भिक काल में राष्ट्रीय नीति में विदेशी पूंजी के महत्व को तो स्वीकार किया गया परन्तु इसे प्रभावी स्थान नहीं दिया गया। विदेशी पूंजी को कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में अधिकतम 49 प्रतिशत तक ही निवेश करने की अनुमति दी गयी। सर्वप्रथम विदेशी पूंजी को ऐसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुमति दी गयी थी जिनमें देशी पूंजी पर्याप्त भूमिका अदा नहीं कर पा रही थी। वास्त्व में विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में हमारी प्रारम्भिक नीति प्रतिबन्धात्मक एवं चयनात्मक रही। इस नीति का अनुसरण करते हुए 1961–70 में 2475, 1971–80 के दौरान 3041 और 1981–90 के दौरान 7436 विदेशी सहयोगी फर्मों को स्वीकृति दी गयी। सर्वप्रथम भारत सरकार ने तेल निर्यातक विकासशील देशों के सम्बन्ध में विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया। जनवरी 1983 में 26 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योंगों को लाइसेंस प्राप्त करने में छूट दी गयी। विदेशी कम्पनियों को इलेक्ट्रानिक उपकरण के निर्माण में भाग लेने के साथ साथ टेली संचार के उपकरणों का निर्माण करने की अनुमति दी गयी। 1991 की औद्योगिक नीति में 34 उद्योगों में 51 प्रतिशत तक इक्विटी के विदेशी निवेश की स्वतः स्वीकृतियों के लिये विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया गया। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड स्थापित किया गया ताकि स्वतः स्वीकृति के अधीन ना आने वाले आवेदनों की स्वीकृति को तीव्र किया जा सके। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 1995 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुर्नगठन किया गया तथा इसे प्रधानमन्त्री कार्यालय के स्थान पर उद्योग मन्त्रालय के अधीन किया गया। वर्ष 2000 में इस बोर्ड का एक अन्य विभाग में मर्जर करते हुए इसका नाम औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग (Department of Industrial Policy and Promotion-DIPP) कर दिया गया। वर्ष 2019 में इसका नाम बदलकर बदलकर आन्तरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग (Department of Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT) कर दिया गया। इस विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड एवं विभाग के तहत आर्थिक सुधारों एवं उदारीकरण की प्रक्रिया

के अर्न्तगत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश व अनिवासी भारतीयों के द्वारा निवेश को प्रोत्साहित किये जाने हेतु अनेकों उपाय किये गये। नई आर्थिक नीति के अर्न्तगत विदेशी निवेश नीति में लायी गयी उदारता के कारण विदेशी निवेश पूंजी के अन्तर्प्रवाह में काफी तेजी आयी।

वर्तमान समय में भारत के नीति नियन्ता 1991 में अंगीकार की गयी आर्थिक नीतियों को ही नवीन कलेवर के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अधिकाधिक विदेशी पूंजी निवेश को अधिकाधिक पूंजी निर्माण के साथ साथ अधिकतम रोजगार के अवसरों के सृजन के मूल कारक के तौर पर देखा जा रहा है। वर्तमान समय में यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संसाधनों की उपस्थिति और उनके अधिकतम विदोहन के मध्य पाये जाने वाली खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशी निवेश के सहयोग के द्वारा हम अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हुए हैं जिससे समग्र रूप में अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में सहायता प्राप्त हुई है।

प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का वर्षवार प्रवाह

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की राशि जोकि वर्ष 2000–01 में 4,029 करोड़ अमेरीकी डॉलर थी वह वर्ष 2020–21 में बढ़कर 81,722 करोड़ अमेरीकी डॉलर हो गयी है। विगत 20 वर्षों के विदेशी पूंजी के प्रवाह का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वर्ष 2002–03 व 2003–04 में विदेशी पूंजी निवेश की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। इसके पश्चात् लगातार पांच वर्षो 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09 तक विदेशी पूंजी निवेश की वृद्धि दर धनात्मक रही है। इसके अनुवर्ती दो वित्तीय वर्षो 2009–10 तथा 2010–11 में विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी के चलते वृद्धि दर धनात्मक ना रह सकी और ऋणात्मक हो गयी। वित्तीय वर्ष 2011–12 में आशातीत वृद्धि हुई परन्तु वित्तीय वर्ष 2012–13 में विदेश पूंजी निवेश की वृद्धि दर पुनः ऋणात्मक हो गयी। इसके पश्चात् से वित्तीय वर्ष 2017–18 व 2018–19 को छोड़कर हम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। विदेशी पूंजी निवेश के द्वारा जुटाई गयी राशि से अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगो में गतिशीलता उत्पन्न करने में विशेष सहायता प्राप्त हुई है जिससे आर्थिक विकास की दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

तालिका 1

प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का वर्षवार प्रवाह

(राशि मिलियन अमेरीकी डालर में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	कुल प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि
1.	2000–01	4,029	––
2.	2001–02	6,130	52
3.	2002–03	5,035	–18
4.	2003–04	4,322	–14
5.	2004–05	6,051	40
6.	2005–06	8,961	48
7.	2006–07	22,826	155
8.	2007–08	34,843	53
9.	2008–09	41,873	20
10.	2009–10	37,745	–10
11.	2010–11	34,847	–08
12.	2011–12	46,556	34
13.	2012–13	34,298	–26
14.	2013–14	36,046	05
15.	2014–15	45,148	25
16.	2015–16	55,559	23
17.	2016–17	60,220	08
18.	2017–18	60,974	01
19.	2018–19	62,001	02
20.	2019–20(अनंतिम)	74,390	20
21.	2020–21(अनंतिम)	81,722	10
कुल संचयी योग अप्रैल 2000 से मार्च 2021 तक		763,536	

स्रोत– रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया का मासिक बुलेटिन, 17.05.2021 व www.dpiit.gov.in

प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का राष्ट्रवार प्रवाह

भारत में किये जा रहे प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का यदि हम राष्ट्रवार विश्लेषण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि विगत बीस वर्षो से मॉरीशस के द्वारा भारत में सर्वाधिक विदेशी पूंजी का निवेश किया जाता है। कर कानूनों की सरलता के दृष्टिगत दूसरे देशों के निवेशक भी भारत में निवेश करने के लिये मॉरीशस का उपयोग करते हैं। विगत बीस वर्षों के संचयी विदेशी निवेश का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि मॉरीशस के अलावा भारत में सर्वाधिक विदेशी पूंजी का निवेश क्रमशः सिंगापुर, यू.एस.ए., नीदरलैण्ड, जापान, युनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यू.ए.ई., साइप्रस और कैमन आइसलैण्ड के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2018 में शीर्ष पांच देशों में से सिंगापुर के द्वारा सर्वाधिक 1,086,273 करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश भारत में किया गया। इसके बाद मॉरीशस 593,461 करोड़ रूपये के निवेश के साथ दूसरे स्थान पर रहा तथा नीदरलैण्ड 232,331 करोड़ रूपये के निवेश के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चतुर्थ और पांचवे स्थान पर क्रमशः यू.एस.ए. और जापान रहे। वर्ष 2019 में भी शीर्ष पांच देशों में सिंगापुर के द्वारा सर्वाधिक 1,047,585 करोड़ रूपये का निवेश किया गया। इसके बाद मॉरीशस 666,260 करोड़ रूपये के निवेश के साथ दूसरे स्थान पर रहा तथा नीदरलैण्ड 312,007 करोड़ रूपये के निवेश के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चतुर्थ और पांचवे स्थान पर पुनः क्रमशः यू.एस.ए. और जापान रहे। वर्ष 2020 में भी सर्वाधिक विदेशी निवेश 1,385,531 करोड़ रूपये सिंगापुर के द्वारा किया गया। इसके बाद यु.एस.ए. 1,055,011 करोड़ रूपये के निवेश के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर 396,093 करोड़ रूपये के निवेश के साथ नीदरलैण्ड कायम रहा। चतुर्थ और पांचवे स्थान पर क्रमशः मॉरीशस और जापान रहे। वर्ष 2017 तक भारत में सर्वाधिक विदेशी पूंजी का निवेश मॉरीशस के माध्यम से किया गया। इसके बाद इस प्रवृत्ति में बदलाव आया। अब भारत में सर्वाधिक विदेशी पूंजी का निवेश सिंगापुर के माध्यम से किया जा रहा है।

तालिका 2

राष्ट्रवार वर्षवार विदेशी पूंजी निवेश का भारत में प्रवाह

(जनवरी 2000 से मार्च 2021 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	देश	2000–2016 तक जन.–दिस.	2017 जन. –दिस.	2018 जन. –दिस.	2019 जन. –दिस.	2020 जन. –दिस.	2021 जन. –मार्च	संचयी योग जन. 2000 से मार्च 2021 तक	
		रूपये में	रूपये में	रूपये में	रूपये में	रूपये में	रूपये में	रूपये में	अमरीकी डॉलर में
1.	मॉरीशस	5,597,773	1,053,377	593,461	666,260	315,631	157,525	8,384,079	148,537
2.	सिंगापुर	3,043,301	701,090	1,086,273	1,047,585	1,386,531	124,156	7,387,937	115,090
3.	यू.एस.ए.	1,081,867	141,886	189,911	252,021	1,055,011	72,530	2,793,227	43,745
4.	नीदरलैण्ड	1,113,686	212,469	232,331	312,007	396,093	25,795	2,292,380	36,661
5.	जपान	1,395,377	113,515	174,716	250,533	107,348	67,414	2,108,904	35,529
6.	यू.के.	1,241,292	61,273	80,781	101,608	156,587	15,403	1,656,944	30,268
7.	जर्मनी	510,068	74,600	50,247	46,042	45,108	12,929	738,994	12,873
8.	यू.ए.ई.	257,784	44,671	48,115	61,144	296,826	20,929	729,469	11,194
9.	साइप्रस	464,338	24,392	26,169	17,414	64,307	11,716	608,335	11,134
10.	कैमन आइसलैण्ड	83,641	63,245	60,271	191,338	288,399	19,378	706,272	10,335

स्रोतः– www.dpiit.gov.in

सर्वोच्च दस सेक्टर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह

भारत में किया जा रहा प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी के निवेश का अधिकांश भाग प्रारम्भ से ही सेवा क्षेत्र में अधिक किया जा रहा है। विदेशी पूंजी के निवेशकों के लिये सेवा क्षेत्र के उपरान्त कम्पयूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के साथ साथ टेलीकम्यूनिकेशन्स के क्षेत्र में सर्वाधिक विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है। उपरोक्त तीन क्षेत्रों के अलावा विदेशी निवेशकों के द्वारा ट्रेडिंग, विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, निर्माण (इन्फ्रा.), व कैमिकल्स के क्षेत्र में अधिक रूचि का प्रदर्शन किया है। जनवरी 2000 से लेकर मार्च 2021 तक के विदेशी निवेश का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक 5,093,631.44 करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है। दूसरे स्थान पर कम्पयूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के क्षेत्र में 4,704,025.04 करोड़ रूपये का विदेशी निवेश किया गया है। इसके पश्चात् टेलीकम्यूनिकेशन्स और ट्रेडिंग के क्षेत्र में क्रमशः 2,22,833.64 व 1,954,563.05 करोड़ रूपये का विदेशी निवेश किया गया है।

तालिका 3

सर्वोच्च दस सेक्टर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वर्षवार प्रवाह

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सेक्टर का नाम	2000–2016 तक जन.–दिस.	2017 जन.–दिस.	2018 जन.–दिस.	2019 जन.–दिस.	2020 जन.–दिस.	2021 जन.–मार्च	संचयी योग जन. 2000 से मार्च 2021 तक
		रूपये में	रूपये में	रूपये में	रूपये में	रूपये में	रूपये में	रूपये में
1.	सेवा क्षेत्र	3,016,406.32	374,124.60	591,992.35	639,572.02	383,908.08	87,673.07	5,093,631.44
2.	कम्पयूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	1,244,380.43	457,018.44	417,331.86	546,170.83	1,910,912. 50	128,210. 98	4,704,025.04
3.	टेलीकम्यूनिकेशन	1,300,087.84	394,292.84	162,112.61	324,084.08	37,688.95	2,567.32	2,220,833.64
4.	ट्रेडिंग	823,818,24	169,280,80	343,735.40	348,458,26	235,190.29	34,080.06	1,954,563.05
5.	विनिर्माण (टाउनशिप, हाउसिंग आदि)	1,145,957.71	24,964.16	15,616.59	32,347.86	41,015.16	10,904.46	1,270,805.84
6.	ऑटोमोबाइल	918,452.64	122,505.56	167,626.91	212,533.95	111,159.84	33,036.89	1,565,315.79
7.	निर्माण (इन्फ्रा.)	573,074.23	194,124.14	140,883.23	125,808.02	579,476.90	52,857.87	1,666,224.39
8.	कैमिकल्स	648,529.59	114,734.13	136,260.99	72,299.89	69,301.81	7,894.08	1,049,020.50
9.	ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स	748,586.48	68,004.52	23,427.17	32,423.50	99,816.33	17,813.62	990,071.62
10.	होटल एवं टूरिज्म	544,480.31	62,525.75	75,192.03	171,686.61	88,356.91	3,154.16	945,395.76
	कुल योग	**17,311,528.54**	**2,827,679.54**	**2,906,952.31**	**3,346,125.86**	**4,786,038.81**	**595,139.53**	**31,773,464.59**

स्रोतः– www.dpiit.gov.in

राज्यवार प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का प्रवाह

प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के राज्यवार आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक विदेशी पूंजी का निवेश केवल कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, और दिल्ली में ही किये जाने की प्रवृत्ति चली आ रही है। अक्टूबर 2019 से जून 2021 तक किये गये प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी के निवेश का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक विदेशी निवेश महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र में इस अवधि में भारत में किये गये कुल निवेश का 27 प्रतिशत निवेश किया गया है। इसके पश्चात् गुजरात में पूरे भारत में किये गये निवेश का 25 प्रतिशत निवेश किया गया है। कर्नाटक में भी पूरे भारत में किये गये निवेश का 20 प्रतिशत भाग का निवेश विदेशी निवेशकों के द्वारा किया गया है। दिल्ली में पूरे भारत में किये गये निवेश का 11 प्रतिशत निवेश विदेशी निवेशकों के द्वारा किया गया है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडू, हरियाणा, झारखण्ड, तेलंगाना, पंजाब और पश्चिम बंगाल का नम्बर आता है। इसमें भी मुख्य रूप से विदेशी निवेशकों के द्वारा तमिलनाडू, हरियाणा और झारखण्ड में ही विशेष रूचि का प्रदर्शन किया गया है। शेष राज्यों में विदेशी निवेशकों ने किसी विशेष रूचि का प्रदर्शन नहीं किया है।

तालिका 4

राज्यवार प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का वर्षवार प्रवाह

राशि करोड़ रूपये में (राशि करोड़ अमेरीकी डॉलर में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	2019–20 अक्टूबर से मार्च	2020–21 अप्रैल से मार्च	2021–22 अप्रैल से जून 2021	संचयी योग अक्टूबर 2019 से जून 2021	कूल प्रवाह में प्रतिशत भाग
1.	महाराष्ट्र	52,073 (7,263)	1,19,734 (16,170)	30,141 (4,098)	2,01,948 (27,530)	27%
2.	गुजरात	18,964 (2,591)	1,62,780 (21,890)	5,676 (765)	1,87,470 (25,247)	25%
3.	कर्नाटक	30,746 (4,289)	56,884 (7,670)	62,085 (8,448)	1,49,715 (20,407)	20%
4.	दिल्ली	28,487 (3,973)	40,464 (5,471)	14,373 (1,949)	83,325 (11,392)	11%
5.	तमिलनाडू	7,230 (1,006)	17,208 (2,323)	5,640 (762)	30,079 (4,091)	4%
6.	हरियाणा	5,198 (726)	12,559 (1,697)	2,580 (350)	20,338 (2,772)	3%
7.	झारखण्ड	13,208 (1,852)	5,993 (792)	0.71 (0.1)	19,201 (2,644)	3%
8.	तेलंगाना	4,865 (680)	8,618 (1,155)	4,226 (572)	17,709 (2,407)	2%
9.	पंजाब	698 (97)	4,719 (644)	126 (17)	5,544 (758)	1%
10.	पश्चिम बंगाल	1,363 (190)	3,115 (415)	1,049 (141)	5,527 (746)	1%

स्रोतः– www.dpiit.gov.in

निष्कर्ष एवं सुझाव

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सकारात्मक प्रभावों से इन्कार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः विदेशी पूंजी निवेश अर्थव्यवस्था के सभी अवयवों को गतिशील बनाने में अत्यन्त लाभकारी होता है। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेंश के द्वारा रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का निर्माण करने में विशेष सहायता प्राप्त होती है जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ जन सामान्य के जीवन स्तर में वृद्धि का अवसर भी प्राप्त होता है। इससे प्रोद्यौगिकी उन्नयन में भी सहयोग प्राप्त होता है। इसके द्वारा व्यापारिक जगत में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा की भावना को विकसित करने में भी सहायता प्राप्त होती है। सही शब्दों मे कहा जाये तो वैश्वीकरण एवं भूमण्डलीकरण के इस युग में कोई देश भी विदेशी पूंजी के अधिकाधिक उपयोग करने से स्वयं को नहीं रोक सकता है। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि विदेशी पूंजी के उपयोग की क्या क्या हानियां हमें दृष्टिगोचर हो रही हैं, हम उन्हें कैसे न्यूनतम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश बड़े बड़े उपक्रमों में ही अधिकांशतः किया गया है जिससे छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योंगों को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। कार्पोरेट भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला है। हम देखते हैं कि अधिकांश विदेशी पूंजी का निवेश सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, टेलीकम्यूनिकेशन्स और कम्पयूटर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में ही किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति से इसके लाभ मूल रूप से बड़े बड़े महानगरों तक ही सीमित होकर रह गये हैं। ऐसे क्षेत्रों की तरफ विदेशी निवेशक अपनी रूचि प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं जैसे कि कृषि व असंगठित क्षेत्र। विदेशी निवेश के राज्यवार आंकड़े यह बतलाते हैं कि विदेशी पूंजी केवल कुछ ही राज्यों की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा रही है जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली। शेष भारत के प्रदेशों और केन्द्र शासित प्रदेशों में विदेशी पूंजी के निवेशक अधिक रूचि नहीं ले रहे हैं, जिससे औद्योगिक असन्तुलन को शनैः शनैः बढ़ावा मिल रहा है।

वर्तमान युग में विदेशी पूंजी का उपयोग नितान्त अपरिहार्य है परन्तु हमें इसके दुष्प्रभावों को सीमित करने का प्रयास करना होगा। हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे विदेशी पूंजी का प्रवाह विज्ञान एवं तकनीक के साथ साथ भारत की आधारभूत संरचना निर्माण की योजनाओं में अधिक से अधिक किया जा सके। हमें यह भी प्रयास करने होंगें कि विदेशी पूंजी जनकल्याण के क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि के विकास

में भी महती भूमिका का निर्वहन कर सके। हमें भारत के पिछड़े राज्यों की और भी विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के प्रयास करने होंगें। भारत को विदेशी पूंजी के कुशलतम उपयोग को न्यूनतम समस्याओं और सीमाओं के साथ सम्भव बनाना होगा तभी हम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकेंगें। विदेशी निवेशकों के लिये भारत अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि भारत में सबसे अधिक युवा उपभेक्ता पाये जाते हैं। भारत क्रय शक्ति के दृष्टिकोण से दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत मे विदेशी पूंजी के अधिकाधिक उपयोग की वृहद सम्भावनाएं हैं। यदि हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सम्बन्ध में उपरोक्त इंगित सीमाओं और कमियों का निराकरण करने में सफल हो जाते हैं तथा विदेशी पूंजी को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सड़क निर्माण, कृषि व अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की और आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं तो हम भारत की अर्थव्यवस्था को समावेशी विकास के मार्ग पर ले जाकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का स्वप्न साकार कर सकेंगें।

संदर्भ

1. अनीथा, आर., (2012), ''फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एण्ड इकॉनोमिक ग्रोथ इन इण्डिया'' इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंसियल सर्विसेज एण्ड मेनेजमेंट रिसर्च, खण्ड–1, इश्यू–8, अगस्त 2012, पृष्ठ संख्या[108–125]
2. मल्होत्रा, बी., (2014), ''फॉरेन डायरक्ट इन्वेस्टमेंटः इम्पेक्ट ऑन इण्डियन इकोनोमी'' ग्लोबल जर्नल ऑफ बिज़नेस मेनेजमेंट एण्ड इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी, खण्ड–4, नम्बर–1, पृष्ठ संख्या[17–23]
3. अहलूवालिया, एम.एस., (2011), ''एफडीआई इन मल्टी ब्राण्ड रिटेल इज़ गुड, बेनेफिट फार्मस'' द टाइम्स ऑफ इण्डिया
4. अन्तरास, पी., मिहिर, ए.डी, व फोले, सी.एफ., (2007), ''मल्टीनेशनल फर्म्स, एफडीआई फ्लोस एण्ड इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केटस'' एनबीइआर वर्किंग पेपर नम्बर 12855
5. लिप्से, आर.इ., (2007), ''डिफाइनिंग एण्ड मिजरिंग द लोकेशन ऑफ एफडीआई आउटपुट'' एनबीइआर वर्किंग पेपर नम्बर 12966
6. महाजन, वी.एस. (2011), "इकॉनोमिक रिफार्म्स एण्ड लिबरेलाइजेशन" दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली
7. सिंह, जे., चड्ढा, एस. व शर्मा, ए. (2012), "रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इण्डियाः एन एनालायटिकरल स्टडी" इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड साइन्स, खण्ड–1, इश्यू–5, पृष्ठ संख्या[34–42]
8. बालियान, आर.के., "एफडीआई इन इण्डियन रिटेल बेनीफिसीयल ओर डिटरमेन्टल" एक शोध पत्र
9. दमयन्ती, कुमार, एस.पी., "एफडीआई इज़ द नीड आफ हावर" ए गूगल सर्च
10. बिसारिया, जी., (2012), "फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिटेल इन इण्डिया" इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इन्जिनियरिंग मेनेजमेंट रिसर्च, खण्ड–2, इश्यू–1, पृष्ठ संख्या[31–36]

वेबसाइट व समाचार पत्र

- www.rbi.org.in
- www.dpiit.gov.in
- इकोनिमिक टाइम्स, बिज़नेस स्टैण्डर्ड, टाइम्स ऑफ इण्डिया

17

भारत सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण योजना -- एक अवलोकन

डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता

एसोसिएट प्रोफेसर (वाणिज्य संकाय)

साहू जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नजीबाबाद, उ०प्र०

सारांश

समयावधि 2019–25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline) की स्थापना का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं को सुगठित तरीके से अमल में लाना तथा बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करना है। इसी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अन्तर्गत व इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में एक सहायक के रुप में संपत्ति मुद्रीकरण योजना भी बनायी गयी। इस मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत 2021–22 से 2024–25 तक अर्थात् 4 वर्षों में लगभग 6 लाख करोड रुपये की प्राप्ति का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों एवं मंत्रालयों की ब्राउनफील्ड संपत्तियों को बिना इन ब्राउनफील्ड संपत्तियों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र को दिये; एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए प्रयोग करने का तथा इनसे आगम प्राप्त करने का अधिकार निजी क्षेत्र को दे दिया जाएगा तथा अवधि समाप्त होने पर संपत्तियां एवं अधिकार सरकार के पास स्वतः ही वापस आ जाएंगे। मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य इन ब्राउनफील्ड संपत्तियों का अधिकतम संभव विदोहन तथा इन संपत्तियों को सार्थक रूप से उत्पादक बनाना है।

मुख्य शब्द

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, संपत्ति मुद्रीकरण योजना, ब्राउनफील्ड संपत्तियां, ग्रीनफील्ड संपत्तियां, आगम अधिकार, उत्पादक।

किसी भी देश के समुचित एवं तीव्र विकास के लिए इसकी संपत्तियों का विशेषकर स्थाई संपत्तियों का एवं आधारभूत अवसंरचना संबंधित संपत्तियों का समुचित विदोहन आवश्यक है। भारत के संदर्भ में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों एवं सरकारी मंत्रालयों की संपत्तियां विशेषकर स्थाई संपत्तियां एवं आधारभूत अवसंरचना से संबंधित विभिन्न संपत्तियां व परियोजनायें अल्प–प्रयुक्त अथवा अप्रयुक्त दशा में हैं जिससे उनका समुचित योगदान विकास कार्यों में नहीं हो पाता है। वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा भारत में आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों एवं सरकारी मंत्रालयों की संपत्तियों के समुचित विदोहन के लिये; जिससे कि इन विभिन्न संपत्तियों का देश हित, समाज हित के लिए अधिकतम विदोहन हो पाये; अथक गहन मनन चिंतन के उपरांत विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत संपत्तियों के अधिकतम विदोहन के लिए मुख्यतः स्थाई संपत्तियों तथा आधारभूत अवसंरचना से संबंधित संपत्तियों एवं दीर्घकालीन व विशाल निवेश वाली परियोजनाओं के लिये एक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन बनाई गयी है। इसके अंतर्गत आधारभूत अवसंरचना से संबंधित क्षेत्रों की पहचान कर उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि इनसे संबंधित परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके एवं विभिन्न स्थाई संपत्तियों का अधिकतम व उत्पादक विदोहन हो सके। इसी क्रम में इस योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संपत्ति मुद्रीकरण योजना भी बनाई गई है जो कि सरकारी ब्राउनफील्ड संपत्तियों को निजी क्षेत्र को तय किये गये प्रतिफल के बदले एवं निश्चित अवधि के लिये केवल प्रयोग करने का अधिकार देती है ना कि स्वामित्व। प्रस्तुत शोधपत्र में हमने भारत सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण योजना एवं राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का संक्षिप्त अध्ययन कर इसके विभिन्न पहलुओं को समझाने का प्रयास किया है।

समंक संग्रहण

प्रस्तुत शोध पत्र में समंक एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण करने हेतु द्वितीयक समंकों एवं सूचनाओं का प्रयोग किया गया है। इस हेतु मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी वेबसाईटों पर उपलब्ध सूचना को आधार बनाया गया है। विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शोध पत्रों में दिए गए विभिन्न विद्वानों के विचारों का भी अध्ययन किया गया है। विश्लेषण हेतु सारणीयन एवं चित्रमय प्रदर्शन इत्यादि विधियों का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

- भारत सरकार की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन व इसके विभिन्न पहलुओं का संक्षिप्त अध्ययन करना,
- भारत सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण योजना व इसके विभिन्न पहलुओं का संक्षिप्त अध्ययन करना,
- आवश्यक सुझाव व निष्कर्ष देना।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन

समयावधि 2019–25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline) की स्थापना का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं को सुगठित तरीके से अमल में लाना तथा बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करना है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के निर्माण हेतु वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का निर्माण किया गया। 29 अप्रैल 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर अंतिम रिपोर्ट जारी की गयी। 100 करोड रुपये की परियोजना लागत से अधिक की सभी परियोजनाएं चाहे वे ग्रीनफील्ड संपत्तियां हों या ब्राउनफील्ड (किसी में स्थिति में चाहे कार्य शुरू से पहले की दशा हो, या क्रियान्वयन की या विकास की); को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का महत्व

- भारत में मजबूत बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना।
- प्राथमिकता क्षेत्र के विकास की बाधाओं को दूर करने हेतु।
- भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सह–कार्य को बढावा देना।
- संपत्तियों से अधिकतम उत्पादकता स्तर प्राप्त करने के लिए।
- 2025 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए।
- भारत के विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु।
- 'मेक इन इंडिया' को और सशक्त बनाने हेतु।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हेतु क्षेत्र

- **परिवहन**– सड़कें और पुल, रेल पटरी, शहरी सार्वजनिक परिवहन, हवाई अड्डे और विमानन अवसंरचना, बंदरगाह, रेलवे रोलिंग स्टॉक, रेलवे टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर, अंतर्देशीय जलमार्ग, शिपयार्ड इत्यादि।
- **माल वाहन**– थोक सामग्री परिवहन व्यवस्था, रसद अवसंरचना इत्यादि।
- **ऊर्जा**– विद्युत उत्पादन (नवीकरणीय), विद्युत संचरण व वितरण, तेल/गैस/एलएनजी भंडारण, विद्युत उत्पादन (अनवीकरणीय) इत्यादि।
- **जल एवं स्वच्छता–** सिंचाई, सीवेज संग्रह/उपचार/निस्तारण, जल उपचार संयंत्र, वर्षा जल निकासी प्रणाली, ठोस अवशिष्ट पदार्थ प्रबंधन इत्यादि।
- **सामाजिक अवसंरचना–** चिकित्सा अवसंरचना, शिक्षा अवसंरचना, खेल अवसंरचना, किफायती आवास इत्यादि।
- **आर्थिक अवसंरचना–** उद्योगों के लिए सामान्य बुनियादी ढांचा, बाजार अवसंरचना, पर्यटन अवसंरचना, फसलोपरांत भण्डारण अवसंरचना, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, शीतगृह अवसंरचना इत्यादि।
- **संचार**– दूरसंचार (फिक्स्ड नेटवर्क), दूरसंचार और दूरसंचार सेवायें, दूरसंचार टावर इत्यादि।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

23 अगस्त 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा की। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में भारत में स्थाई आधारभूत संरचना के वित्तीयन हेतु सार्वजनिक उपक्रमों एवं मंत्रालयों की स्थाई आधारभूत परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना बनाई गई है। इस मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत 2021–22 से 2024–25 तक अर्थात् 4 वर्षों में लगभग 6 लाख करोड रुपये का प्राप्ति का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है।

मुद्रीकरण हेतु संपत्तियों की पहचान

मुद्रीकरण हेतु संपत्तियों की पहचान करने के लिए ब्राउनफील्ड श्रेणी की संपत्तियों को चुना गया है। ब्राउनफील्ड संपत्तियों से आशय सार्वजनिक उपक्रमों एवं मंत्रालयों की वर्तमान किन्ही कारणों से अप्रयुक्त अथवा अल्प–प्रयुक्त स्थाई आधारभूत संपत्तियों/अधिकारों से है। मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत बिना इन ब्राउनफील्ड संपत्तियों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र को दिये; एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए प्रयोग करने का तथा इनसे आगम प्राप्त करने का अधिकार निजी क्षेत्र को दे दिया जाएगा तथा अवधि समाप्त होने पर संपत्तियां एवं अधिकार सरकार के पास स्वतः ही वापस आ जाएंगे। मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य इन ब्राउनफील्ड संपत्तियों का अधिकतम संभव विदोहन तथा इन संपत्तियों को सार्थक रूप से उत्पादक बनाना है।

भारत सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण योजना के उद्देश्य

भारत सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य भारत में आधारभूत स्थाई संरचना के निर्माण हेतु एवं इसके वित्त पोषण हेतु सरकार

की ब्राउनफील्ड संपत्तियों/अधिकारों की पहचान एवं उनका मूल्यांकन कर इस क्षेत्र में निजी निवेश को स्वामित्व रहित एवं केवल पट्टे के रूप में प्रयोग करने एवं आगम प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना है। संपत्ति/अधिकार को बेचा नहीं जाएगा बल्कि एक पूर्व निश्चित अवधि हेतु केवल प्रयोग करने एवं आगम प्राप्त करने के अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इस योजना से सरकार के दो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं– सर्वप्रथम सरकार को विकास हेतु एवं विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु एक विशाल राशि प्राप्त हो जाएगी और साथ ही विभिन्न अपनी अप्रयुक्त अथवा अल्प–प्रयुक्त अर्थात् ब्राउनफील्ड संपत्तियों का भी अधिकतम एवं अनुकूलतम विदोहन संभव हो सकेगा।

विनिवेश एवं मुद्रीकरण में अंतर

विनिवेश के अंतर्गत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी अंशधारिता अर्थात् स्वामित्व को कम अथवा पूर्णतया समाप्त कर देती है। विनिवेश निजीकरण की ओर एक कदम है लेकिन वर्तमान में सरकार का नया कदम यथा संपत्ति मुद्रीकरण योजना वास्तव में अंशधारिता या स्वामित्व कम ना करते हुये केवल संपत्ति का प्रयोग करने व आगम प्राप्त करने का अधिकार एक प्रतिफल के बदले निजी क्षेत्र को अनुबंध के आधार पर निश्चित समय के लिए हस्तांतरित कर देना है। समयावधि पूरी होने के बाद यह अधिकार एवं संपत्ति सरकार के पास स्वतः वापस आ जाएंगें।

संपत्ति मुद्रीकरण योजना का संख्यात्मक निरुपण

- तालिका 1 एवं चित्र 1 प्रदर्शित करते हैं कि सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 से लेकर वर्ष 2024–25 तक 4 वर्षों में क्रमशः 88190 करोड रुपए, 162422 करोड रुपए, 179544 करोड रुपये तथा 167339 करोड रुपये का लक्ष्य संपत्ति मुद्रीकरण योजना से प्राप्त करने का रखा है। कुल मिलाकर यह राशि 597501 करोड़ रुपये होती है अर्थात् लगभग 600000 करोड रुपये।

- तालिका 2 एवं चित्र 2 प्रदर्शित करते हैं कि सरकार द्वारा मुद्रीकरण के कुल लक्ष्य को क्षेत्रवार किस प्रकार बांटा गया है। मुद्रीकरण हेतु चिन्हित विभिन्न क्षेत्र हैं–सडक परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, शक्ति, पाइपलाइन एवं प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, शिपिंग पोर्ट एवं जलमार्ग, टेली–कम्युनिकेशन, खाद्यान्न एवं सार्वजनिक वितरण, खनन एवं कोयला एवं गृह व शहरी मामले। सबसे ज्यादा प्राप्ति का लक्ष्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग से रखा गया है जो कि 160200 करोड रुपये का है एवं कुल मुद्रीकरण लक्ष्य का 26.81 प्रतिशत है। इसके पश्चात् रेलवे के मुद्रीकरण के माध्यम से 152496 करोड़ रुपये प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है जो कि कुल मुद्रीकरण लक्ष्य का 25.52 प्रतिशत है। शक्ति क्षेत्र से 85032 करोड रुपये का प्राप्ति लक्ष्य रखा गया है जो कि कुल मुद्रीकरण लक्ष्य का 14.23 प्रतिशत है।

तालिकायें एवं चित्र शोध पत्र के अंत में प्रदर्शित करे गये हैं।

संपत्ति मुद्रीकरण योजना में शामिल संपत्तियां

भारत सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण योजना में शामिल विभिन्न संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है–

- **सडक परिवहन, राजमार्ग एवं रेलवे**

26700 किलोमीटर सड़कें, विभिन्न चयनित 400 रेलवे स्टेशन, विभिन्न 1400 किमी. का रेलवे ट्रैक जिसमें 741 किमी. कोंकण रेलवे ट्रैक भी शामिल है, सरकारी निजी सहभागिता में विभिन्न 90 यात्री ट्रेनों का संचालन, 15 रेलवे स्टेडियम, विभिन्न चयनित रेलवे कॉलोनियां, 265 रेलवे के स्वामित्व वाले गोदाम, 4 पर्वतीय ट्रैक इत्यादि।

- **शक्ति**

28608 किलोमीटर विद्युत ट्रांसमिशन लाइनें, 6 गीगा वाट जल विद्युत एवं विभिन्न सौर ऊर्जा संपत्तियां।

- **पाइपलाइन एवं प्राकृतिक गैस**

8154 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, 3930 किलोमीटर पैट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन।

- **नागरिक उड्डयन**

एयरपोर्ट जिसमें वाराणसी, नागपुर, चेन्नई, भुवनेश्वर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलुरु, उदयपुर, देहरादून, इंदौर, रांची, कोयंबटूर, जोधपुर, वडोदरा, पटना, विजयवाड़ा, तिरुपति, अमृतसर, रायपुर, त्रिचि, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, गुवाहाटी, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मदुरई, अगरतला आदि शामिल हैं।

- **शिपिंग पोर्ट एवं जलमार्ग**

9 प्रमुख बंदरगाहों की 31 परियोजनाएँ।

- **टेली–कम्युनिकेशन**

2.86 लाख किलोमीटर फाइबर संपत्तियां/तार, 14917 मोबाइल टावर इत्यादि।

- **खाद्यान्न एवं सार्वजनिक वितरण**

210 लाख मीट्रिक टन क्षमता की वेयरहाउसिंग संपत्ति।

- **खनन एवं कोयला**

160 कोयला खनन परियोजनाएँ।

- **गृह एवं शहरी मामले**

2 राष्ट्रीय स्टेडियम तथा 2 क्षेत्रीय केंद्रों का मुद्रीकरण किया जाएगा। विभिन्न सरकारी कॉलोनियों के पुनर्विकास और आई.टी.डी.सी. होटलों सहित विभिन्न आतिथ्य संपत्तियां इत्यादि।

संपत्ति मुद्रीकरण योजना के बारे में भ्रम

यह कहना कि सरकार मुद्रीकरण के माध्यम से सरकारी संपत्तियों को बेच रही है; पूर्णतया गलत है। मुद्रीकरण के माध्यम से केवल प्रयोग करने एवं आगम प्राप्त करने का अधिकार कुछ समय के लिए निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। संपत्ति हमेशा सरकारी स्वामित्व में ही रहेगी। निजी क्षेत्र को देने से सरकार की अप्रयुक्त अथवा अल्प–प्रयुक्त संपत्तियां पूर्णतया अनुकूलतम सीमा तक विदोहित होने में सक्षम बनेंगी तथा साथ ही सरकार को प्राप्त मुद्रीकरण प्रतिफल उसकी विभिन्न आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीयन में काम आयेगा।

भारत सरकार की मुद्रीकरण योजना में आने वाली कठिनाइयां

- मुद्रीकरण योजना में सबसे पहले सैद्धांतिक समस्या तो यह आती है कि निजी क्षेत्र ब्राउनफील्ड संपत्तियों अर्थात् किन्हीं भी कारणों से अप्रयुक्त एवं अल्प–प्रयुक्त संपत्तियों में निवेश क्यों करेगा। वह इन संपत्तियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्राउनफील्ड श्रेणी में आने का कारण तथा भावी आगमों व जोखिम का मूल्यांकन करके ही इन संपत्तियों के अधिकार ग्रहण करेगा।

- निजी क्षेत्र मुद्रीकरण प्रक्रिया में निवेश करने से बच भी सकता है क्योंकि उसके पास संपत्तियों का स्वामित्व तो आएगा ही नहीं; केवल प्रयोग करने का अधिकार आएगा और वह भी सीमित अवधि के लिए। ब्राउनफील्ड संपत्तियों में निवेश करने से निजी क्षेत्र का जोखिम अपेक्षाकृत रूप से बढ़ जायेगा।

- भारतीय पृष्ठभूमि में विनिवेश व निजीकरण की प्रक्रिया में तथा पी.पी.पी. व्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों में देखी गई उत्साह–हीन प्रवृत्तियों से भी सरकार की मुद्रीकरण योजना का भविष्य बहुत अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है।

- सरकार के सामने निजी क्षेत्र को मुद्रीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली संपत्तियों की पहचान व मूल्यांकन; भावी आगमों के अनुमान की भी चुनौती है। इन्हीं सभी घटकों से मुद्रीकरण की जाने वाली संपत्ति के लिये प्रतिफल निर्धारित होगा।

- कुछ क्षेत्रों जैसे पेट्रोलियम, गैस, विद्युत, रेलवे व राजमार्गों इत्यादि में कीमतों एवं आगम पर सरकार का नियंत्रण है, ऐसे क्षेत्रों में मुद्रीकरण कैसे होगा। निजी क्षेत्र की नीतियां उपभोक्ता हितों, कर्मचारी हितों, समाज हितों एवं देश हितों के प्रतिकूल भी हो सकती हैं।

- मुद्रीकरण की जाने वाली संपत्तियों के मूल्यांकन की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार अपनी अनुत्पादक एवं अल्प–उत्पादक संपत्तियों का मूल्यांकन व इससे भावी आगम संभावनाएं अतिशय रूप से व्यक्त करेगी जबकि दूसरी तरफ निजी क्षेत्र जोकि पूर्णतया पेशेवर एवं व्यवसायिक तरीके से ही काम करेगा; वह इन संपत्तियों का कम मूल्य लगाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनावश्यक सौदेबाजी में सरकारी संपत्तियों/अधिकारों का मूल्य सरकार को पर्याप्त रूप से प्राप्त ना हो और मुद्रीकरण अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाए।

- मुद्रीकरण के लिये अनुबंध करते समय भ्रष्टाचार की भी संभावनायें हो सकती हैं।

निष्कर्ष

संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से ब्राउनफील्ड संपत्तियों का केवल प्रयोग करने एवं आगम प्राप्त करने का अधिकार कुछ समय के लिए निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। संपत्ति हमेशा सरकारी स्वामित्व में ही रहेगी। निजी क्षेत्र को देने से सरकार की अप्रयुक्त अथवा अल्प–प्रयुक्त संपत्तियां पूर्णतया अनुकूलतम सीमा तक विदोहित होने में सक्षम बनेंगी तथा साथ ही सरकार को मुद्रीकरण प्रतिफल अपनी विभिन्न आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीयन में काम आयेगा। परंतु मुद्रीकरण योजना एक सफल योजना तभी हो सकती है जबकि इसका समुचित रूप से भ्रष्टाचार रहित क्रियान्वयन हो। विवादों की दशा में एक सशक्त, सुगठित एवं सुपरिभाषित विवाद समाधान तंत्र भी होना चाहिए। संपत्ति मूल्यांकन हेतु तार्किक विधियां प्रयोग होनी चाहियें।

संदर्भ

1. www.india.gov.in- भारत का राष्ट्रीय पोर्टल
2. www.niti.gov.in- भारत सरकार के नीति आयोग की अधिकृत वेबसाइट
3. www.indiainvestmentgrid.gov.in- भारत सरकार की आधारभूत अवसंरचना संबंधी अधिकृत वेबसाइट
4. केंद्रीय बजट 2021 पी.डी.एफ. प्रति
5. विभिन्न अंग्रेजी एवं हिन्दी समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं

तालिका 1

संपत्ति मुद्रीकरण योजना का लक्ष्य

वित्तीय वर्ष	प्राप्ति लक्ष्य करोड़ रुपये
2021–2022	88190
2022–2023	162422
2023–2024	179544
2024–2025	167345
योग	597501

स्रोत – विभिन्न सरकारी वेबसाईटों पर उपलब्ध समंक

चित्र 1

संपत्ति मुद्रीकरण योजना का लक्ष्य

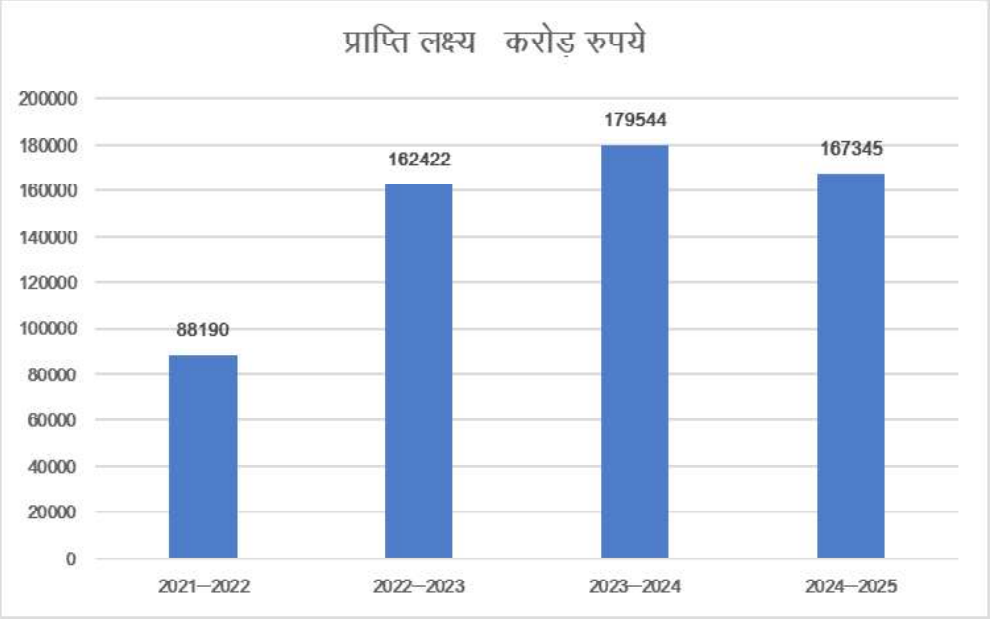

स्रोत – तालिका 1 में वर्णित समंक

तालिका 2

संपत्ति मुद्रीकरण योजना का लक्ष्य क्षेत्रवार

क्षेत्र	प्राप्ति लक्ष्य करोड़ रुपये	प्रतिशत
सडक परिवहन एवं राजमार्ग	160200	26.81
रेलवे	152496	25.52
शक्ति	85032	14.23
पाइपलाइन एवं प्राकृतिक गैस	46966	7.86
नागरिक उड्डयन	20782	3.48
शिपिंग पोर्ट एवं जलमार्ग	12828	2.15
टेली–कम्युनिकेशन	35100	5.87
खाद्यान्न एवं सार्वजनिक वितरण	28900	4.84
खनन एवं कोयला	28747	4.81
गृह एवं शहरी मामले	26450	4.43
योग	597501	100.00

स्रोत – विभिन्न सरकारी वेबसाईटों पर उपलब्ध समंक

चित्र 2

संपत्ति मुद्रीकरण योजना का लक्ष्य क्षेत्रवार

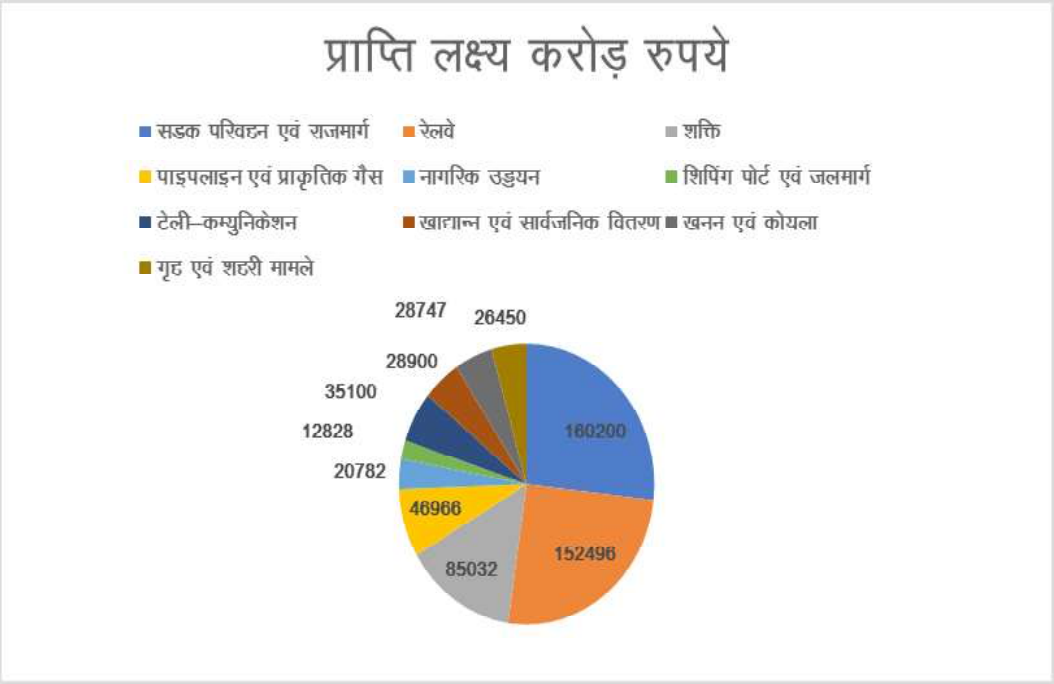

स्रोत – तालिका 2 में वर्णित समंक

18

योग एवं आयुर्वेद की वैश्विक सर्वग्राह्यता

डॉ0 अनिता ए० पाण्डेय
एसोसिऐट प्रोफेसर (रसायन विज्ञान विभाग)
धर्म समाज महाविद्यालय, अलीगढ़

सारांश

योग और आयुर्वेद विश्व को भारत की एक देन है। भारत में प्राचीन काल (3000 वर्ष पूर्व) से ही इसका प्रचलन रहा है तथा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सबको स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। महर्षि पतंजलि, चरक व सुश्रुत द्वारा इसे प्रतिष्ठापित किया गया। ऋषि परंपरा से ये दोनों विधाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। वर्तमान समय में योगऋषि रामदेवजी एवं आचार्य बालकृष्ण द्वारा योग और आयुर्वेद को जनसाधारण तक पहुंचा दिया गया। योग की प्रसिद्धि व महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2015 से प्रति वर्ष 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कोरोना काल में आयुर्वेद ने अपनी पहुंच घर–घर तक बना ली तथा लाखों–करोड़ों लोगों को कोरोना के चंगुल से बचाया। आज भारत के 98 प्रतिशत लोगों को इसकी जानकारी है तथा लगभग 12 प्रतिशत लोग योग तथा 90 प्रतिशत लोग आयुर्वेद का लाभ उठा रहे हैं। एलोपैथिक इलाज के महंगे होने एवं एलोपैथिक दवाओं के विभिन्न साइड़ इफेक्ट होने के कारण सस्ते व हानि रहित विकल्प के रूप में योग और आयुर्वेद का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। कोविड़ काल में इसकी उपयोगिता ने जन–जन के दिलों में अपनी जगह बना ली है। आने वाला समय योग और आयुर्वेद का ही है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भी इसकी वैश्विक महत्ता को देखते हुए इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है तथा आयुर्वेदिक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्य शब्द

योग, आयुर्वेद, सर्वग्राह्यता, चरक, सुश्रुत, पतंजलि, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, प्रिवेन्टिव मेडिसिन, त्रिदोष, हर्बल थेरेपी, शोधन (डिटाक्सिफिकेशन), स्नेहन, स्वेदन।

भारत में प्राचीनकाल से ही योग और आयुर्वेद की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। यह मानव शरीर के साथ ही मानव के मन और मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखने की वर्षो पुरानी आजमायी हुयी प्रचलित पद्धति है। योग और आयुर्वेद का विवरण हमारे वेदों और उपनिषदों में मिलता है। महर्षि पतंजलि द्वारा संपूर्ण पूर्व ज्ञान को अपने योग सूत्रों में संकलित किया गया। इसी क्रम में 'चरक संहिता', 'सुश्रुत संहिता' और अष्टांग हृदयम का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वर्तमान समय में भारत के बहुत सारे सरकारी और गैर–सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा योग और आयुर्वेद को मेडिकल साइंस की तरह प्रामाणिक आधार प्रदान करते हुए वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। आधुनिक युग में योग और आयुर्वेद को जन–जन तक पहुंचाने का कार्य योगऋषि बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्णजी ने किया। आप दोनों ने मिलकर भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में इस प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक स्वरूप में पहुंचाया तथा पूरे विश्व को इसके लाभों से परिचित कराया। कोविड–19 महामारी में भारत के साथ पूरे विश्व ने प्रिवेन्टिव मेडिसिन के रूप में और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग कर अपनी जान बचाई। घर–घर में आयुर्वेदिक काढ़ा पीना आम हो गया।

आयुर्वेद

यह विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो लगभग 3000 वर्ष पूर्व से प्रचलित है। इस चिकित्सा पद्धति के अनुसार मानव शरीर का स्वास्थ्य बुद्वि, शरीर और आत्मा के संतुलन पर निर्भर है। इनके असंतुलन से शरीर में त्रिदोष (वात, पित्त, कफ में असंतुलन) पैदा हो जाता है और व्यक्ति रोगी हो जाता है। यह चिकित्सा पद्वति मनुष्य का समग्रता में इलाज करती है। इसमें एलोपैथी की भांति रोग के लक्षणों का उपचार न करके रोग के मूल कारणों का उपचार किया जाता है। आचार्य चरक के अनुसार किसी भी वैद्य या डाक्टर के लिए जरूरी है कि वह शरीर से जुड़े सभी कारकों के बारे में समझे जिसमें वातावरण भी शामिल है। आचार्य चरक के अनुसार मनुष्य का स्वास्थ्य और बीमारी पहले से ही तय नहीं होते बल्कि हम अपनी जीवन पद्वति से इसे निर्धारित करते हैं। यदि मनुष्य कोशिश करे और जीवन पद्वति सही और संयमित रखे तो अच्छा स्वास्थ्य पाना आसान है। इसके विपरीत यदि जीवन पद्वति अस्त–व्यस्त और असंयमित है तो शरीर में बीमारी का आना अवश्यम्भावी है। आयुर्वेद में निवारक व उपचारात्मक दोनों प्रकार से उपचार किया जाता है।

निवारक उपचार

यह दृष्टिकोण व्यक्ति को स्वस्थ और दीर्घायु बनाये रखने का प्रयास करता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति को परिभाषित करके दैनिक तथा मौसमी आधार पर नियम निर्धारित किया जाता है। इसमें व्यक्ति के तीनों दोषों के संतुलन को समर्थन देने और उनको संतुलन में रखने, आहार और व्यायाम से लेकर हर्बल थेरेपी, मालिश, ध्यान, सामाजिक व्यवहार और सकारात्मक संबंधों तक सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है।

उपचारात्मक उपचार

इस पद्धति में बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का उपचार निम्नांकित में से एक अथवा अधिक उपचार विधियों का उपयोग करके किया जाता है–

1–आंतरिक उपाय– इसमें शोधन (डिटाक्सिफिकेशन) और शमन (दर्द निवारक उपचार के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयोग किये जाने वाले तरीके) शामिल हैं।

2–बाहरी उपाय– स्नेहन (तेल से उपचार), स्वेदन (हर्बल भाप से चिकित्सा), हर्बल पेस्ट का उपयोग आदि।

3–सर्जिकल तरीके– इसमें ऊतकों, अंगों और किसी भी हानिकारक शारीरिक वृद्धि को हटाना शामिल है।

4–मानसिक और आध्यात्मिक उपचार

5–हर्बल उपाय– इसमें रस शास्त्र (विभिन्न हर्बल और सूक्ष्म मात्रा में धातु के मिश्रण का उपयोग) शामिल है।

प्राचीन समय से ही यह पद्धति भारत में घर–घर में प्रचलित रही है। आस पास की वनस्पतियों एवं विविध प्रकार के मसालों का प्रयोग वर्षों से भारतीयों द्वारा उपचार के लिए किया जाता रहा है। रोगी हो जाने पर इलाज के साथ साथ उपवास और पथ्य–अपथ्य भी आयुर्वेद का हिस्सा रहा है। आयुर्वेद में भोजन भी औषधि के रूप में लिया जाता है तथा विरूद्व आहार के निषेध का बहुत महत्व है। ब्रिटिश शासनकाल से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रचलन बढ़ गया तथा आयुर्वेद की प्रगति धीमी पड़ गयी। ब्रिटिशकाल में भी ग्रामीण आबादी मुख्य रूप से आयुर्वेद से जुड़ी रही तथा सस्ते में इलाज का लाभ लेती रही। आजादी के बाद धीरे–धीरे भारत सरकार से प्रोत्साहन पाकर आयुर्वेदिक चिकित्सा एक बार फिर उठ खड़ी हुई तथा उत्तरोत्तर प्रगति करती गयी। आयुर्वेद में नाड़ी विशेषज्ञ की बहुत बड़ी भूमिका थी जिसमें नाड़ी देखकर ही वैद्य बीमारी का पता कर लेते थे। अब आधुनिक तकनीक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि तथा पैथोलाजी की प्रगति ने रोग की पहचान, उसकी स्थिति, रोग का कारण आदि के संबंध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराकर उपचार को आसान कर दिया है। रोग के उपचार के मध्य सुधार की प्रगति को भी इन आधुनिक तकनीकों से पता किया जा सकता है। इससे आयुर्वेद की विश्वसनीयता में सुधार हुआ है तथा आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने का अवसर प्रदान हुआ है। प्राकृतिक चिकित्सा भी आयुर्वेद का ही एक अंग है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में उपलब्ध प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से उपचार की व्यवस्था प्रचलित है। प्राकृतिक चिकित्सा के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए डॉ0 एच0 के0 बाखरू द्वारा 'प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से चिकित्सा' पर एक पुस्तक लिखी गयी जो नेचुरोपैथी से उपचार करने वालों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। डॉ0 बाखरू द्वारा विभिन्न रोगों में प्रयोग किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची प्रस्तुत की गयी है–

- **जीवाणुरोधी भोजन–** पत्तागोभी, गाजर, लौंग, नारियल, जीरा, दही, सहजन की फली, बैंगन की पत्तियां, लहसुन, अदरक, शहद, नींबू, आम, प्याज, अनानास, मूली, नीम, पालक और हल्दी।
- **प्रति स्कंदक भोजन (एंटी कोगुलेंट)–** पिसी मिर्च, लौंग, फल और सब्जियां, लहसुन, अदरक, अंगूर, काला मशरूम, जैतून का तेल और प्याज।
- **अवसाद रोधक भोजन–** सेब, सतावरी की जड़, इलायची, काजू, काली मिर्च, लहसुन, हरी सब्जियां, शहद, लेमन बाम, सेलेनियम युक्त भोजन, विटामिन बी युक्त भोजन।
- **मधुमेह रोधी भोजन–** चुकंदर, बंगाली चना, करेला, काला चना, ब्रोकली, बूटिया के पत्ते, दालचीनी, मेथी, रेशेयुक्त भोजन, लहसुन, अंगूर, आंवला, इसबगोल, जामुन, मूंग, सेम की फली, कम कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जियां, आम की पत्तियां, मारगोसा, प्याज, पोटैशियम की अधिकता वाला भोजन, शकरकंद की पत्तियां और सोयाबीन।
- **अतिसार (दस्त) रोधी भोजन–** सेब, बबूल, बेल का फल, केला, गाजर का सूप, हरण, दही, सौंफ, सहजन की पत्तियां, मेथीदाना, लहसुन, अदरक, कच्चा अमरूद, जामुन, नींबू, आम, पुदीना, जायफल, अनार, चावल, हल्दी और स्टार्चयुक्त द्रव पदार्थ।
- **सूजन रोधी भोज्य पदार्थ–** अल्फा–अल्फा, सेब, अरंडी का तेल, अजवायन, लहसुन, अदरक, अंगूर, हरी सब्जियों का रस, आंवला, नींबू, लेमन ग्रास, हरा नींबू, मिर्च, प्याज, अनानास, कच्चे आलू का रस, तिल, इमली, हल्दी और सब्जियां।
- **एंटीआक्सीडेंट भोजन–** एस्पेरेगस, ब्रोकली, अंकुरित ब्रेसेल्स, पत्तागोभी, गाजर, फल और सब्जियां, लहसुन, अदरक, अंगूर, आंवला, इन्डोल की अधिकता वाला भोजन, सलाद के पत्ते, मुलैठी, जई, प्याज, संतरा, मूंगफली, कद्दू, पालक, शकरकंद, टमाटर, विटामिन ए की प्रचुरता वाला भोजन और तरबूज।
- **विषाणुरोधी भोजन–** दालचीनी, दही, सौंफ, फालिक अम्ल की अधिकता वाले पदार्थ, लहसुन, अदरक, अंगूर, तुलसी, नींबू, द्रव खाद्य, लौंग, काली मिर्च, प्याज संतरा और हल्दी।

- **रक्तचाप कम करने वाले भोजन–** अल्फा–अल्फा, सेब, ब्लडवार्ट, कैल्शियम की बहुलता वाले पदार्थ, अजवाइन, खीरा, फल और सब्जियां, लहसुन, आंवला, जैतून का तेल, अजमोद, पोटैशियम की अधिकता वाले पदार्थ, आलू, सब्जियों का रस और तरबूज के बीज।
- **कैंसर से लड़ने वाले भोज्य पदार्थ–** चुकन्दर का रस, पत्ता गोभी और गोभी परिवार की अन्य सब्जियां, गाजर, खट्टे फल, दही, रेशायुक्त भोजन, फल और सब्जियां लहसुन और प्याज, अंगूर, हरी सब्जियां, आंवला, मुलेठी, नींम, दूध, जैतून का तेल, पपीते की पत्तियां, कच्चे भोजन, सोयाबीन, टमाटर, विटामिन सी और ए की अधिकता वाले भोजन, गेहूं के जवारे का रस।
- **कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले भोजन–** बादाम, सेब, आड़ू, सूखी हुई फलियां, गाजर, खड़ा धनिया, मेथी दाना, लहसुन, अंगूर, इसबगोल, जई, जैतून का तेल, प्याज, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन, अखरोट।
- **प्रतिरोधी शक्ति बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ–** गाजर, दही, फल और सब्जियां, लहसुन, कम वसा वाला भोजन, मशरूम और जिंक की अधिकता वाला भोजन।

कोरोना–19 महामारी का समय आयुर्वेद की परीक्षा का समय था। महामारी की एलोपैथिक दवाओं का पता नहीं था, वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया में थी, केवल इतना पता था कि जिनकी इम्युनिटी मजबूत होती है उन्हें कोरोना होने की संभावना कम होती है। आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढाने या रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने की दवा पूर्व से प्रचलित रही हैं तथा विभिन्न प्रकार के काढ़े का सेवन होता रहा है। कोविड–19 के कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गयी तथा घर में रहकर ही आयुर्वेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के काढ़े लेने और योग व प्राणायाम के माध्यम से इम्युनिटी बढ़ाने की सलाह दी गयी। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया तथा बड़ी मात्रा में जनहानि हुई। विकसित देश जहां मेडिकल सुविधाएं पर्याप्त थीं वो देश भी जनहानि को नहीं बचा पाए तथा सारी चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हो गयीं। अमेरिका की आबादी लगभग 33 करोड़ में से 4.66 करोड़ संक्रमित हुए तथा 7.55 लाख लोग मृत्यु के शिकार हुए। इसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम में जनसंख्या 6.80 करोड़ में से 93.3 लाख संक्रमित हुए तथा 1.42 लाख की मृत्यु हो गयी। भारत में जनसंख्या लगभग 138 करोड़ में से संक्रमित 3.44 करोड़ हुए तथा मृत्यु 4.60 लाख हुईं। इस प्रकार अमेरिका की 14.1, यूनाइटेड किंगडम की 13.72 और भारत की 2.49 प्रतिशत आबादी कोरोना वायरस से प्रभावित हुई। भारत में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के बाद भी कोरोना वायरस से प्रभावित होने वालों की संख्या कम होने के कारणों में से योग और आयुर्वेद का प्रचलन एक मुख्य कारण है। भारत आयुर्वेद के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। पंचकर्म कराने के लिए विदेशी पर्यटक भारत आते हैं। महंगा होता एलोपैथिक इलाज, एलोपैथिक दवाओं के साइड़ इफेक्ट ने वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की ओर सोचने को मजबूर कर दिया है और इसी समय पर आयुर्वेद ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जुड़कर प्रामाणिकता के साथ सस्ते और स्थायी इलाज का विकल्प प्रस्तुत किया जिसे जनमानस ने अंगीकार कर लिया। अब आयुर्वेद के बड़े–बड़े अस्पताल खुल गये हैं जिनमें गंभीर बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। ब्लड शुगर, बीपी, किडनी, लीवर, अस्थमा, स्किन की बीमारी के मरीज आयुर्वेदिक इलाज से पूर्णतया ठीक हो रहे हैं। पेट की बीमारी जैसे अपच आदि का आयुर्वेदिक इलाज भारत में घर–घर में प्रचलित है। आयुर्वेद को अब निर्धन का इलाज नहीं माना जाता। इसकी स्वीकार्यता हर आय वर्ग और हर आयु वर्ग में हो गयी है। पतंजलि के कोरोना की प्रामाणिक दवा कोरोनिल को जारी करने के अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना काल से पहले आयुर्वेदिक दवाओं का कारोबार 15 से 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रहा था जो कोरोना काल में बढ़कर 50 से 90 प्रतिशत हो गया। आयुर्वेदिक दवाओं की यह वृद्धि बताती है कि जनमानस द्वारा आयुर्वेद को इलाज की एक पद्धति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

योग

स्वास्थ्य एक वृहद संकल्पना है जिसमें मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य सम्मिलित है। भारत में प्राचीन काल से ही योग के माध्यम से इसी स्वास्थ्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता रहा है। वेदों एवं उपनिषदों में वर्णित योगशास्त्र की संपूर्ण परंपरा को महर्षि पतंजलि ने अपने योगसूत्रों (पातंजलि–योगदर्शनम्) में उपनिबद्ध किया है, जिसमें अष्टांग–योग की वैज्ञानिक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन दिया गया है। ऋषि परंपरा से यह विद्या सतत रूप से आगे बढ़ती रही। वर्तमान समय में योगऋषि स्वामी रामदेवजी द्वारा साधारण जनमानस को योग, योग की महत्ता एवं इसके लाभ विशेषकर रोगों से बचने और रोगों को दूर करने की जानकारी से परिचित कराया गया। इससे पूर्व ऋषियों तथा कुछ अत्यधिक जिज्ञासु लोगों तक ही योग का ज्ञान सीमित था, साधारण जनमानस को योग एवं इसके महत्व के विषय में जानकारी बहुत कम थी। आचार्य तुलसीदासजी ने जैसे अवधी जैसी जनमानस की भाषा में 'रामचरितमानस' लिखकर रामकथा को अभिजात्य वर्ग से मुक्त कर जन–जन तक पहुंचाया, उसी प्रकार योगऋषि बाबा रामदेवजी ने जनसाधारण की भाषा में योग एवं इसकी उपयोगिता को जन–जन तक पहुंचा दिया। जनसामान्य की समझ में यह बात आ गयी कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन है बल्कि इससे बहुत सारे रोगों को भी दूर किया जा सकता है। योगऋषि श्री रामदेवजी द्वारा पूरे देश में भ्रमण करते हुए विभिन्न शिविरों के माध्यम से योग के सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं को उद्घाटित करते हुए लाइव प्रदर्शन किया गया तथा आम जीवन में इससे होने वाले चमत्कारिक लाभों को भी बताया गया। टीवी चैनलों के माध्यम से इसकी पहुंच देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक आसानी से हो गयी। योग की विश्व व्यापकता इतनी हो गयी है कि टीवी के समाचार चैनल से लेकर मनोरंजन चैनल तक सुबह–सुबह योग का एक कार्यक्रम दिखाने को मजबूर हो गये हैं। समाज में योग की स्वीकार्यता इतनी अधिक बढ़ गयी है कि अब विद्यालयों और पार्कों में प्रतिदिन योग की कक्षाओं का लगना आम बात हो गयी है। सूर्य नमस्कार

जिसमें दस योगों का मिश्रण है, और जिसे योग का राजा भी कहते हैं, अब पूरे विश्व में प्रचलित हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समय–समय पर पूरे विश्व को स्वस्थ रखने हेतु विश्वव्यापी स्तर पर कदम उठाया जाता है। योग के विश्वव्यापी महत्व को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 21 जून 2015 को 'अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस' घोषित किया गया। योग की विश्वव्यापी सर्वग्राह्यता का यह प्रमाण है। अब प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। योग पूरे विश्व को भारत की एक देन है।

आज योग से पूरा विश्व परिचित है, इससे होने वाले लाभ को भी जानता है परन्तु वास्तविकता यह है कि जानने के बाद भी नियमित योग करने वालों की संख्या बहुत कम है। अमित एस. मिश्रा व अन्य द्वारा वर्ष 2017 मे एक सर्वे किया गया तथा 'Knowledge, Attitude and Practice of Yoga in Rural and Urban India" के नाम से प्रकाशित किया गया। सर्वे के अनुसार पूरे भारतवर्ष में लगभग 92.6 प्रतिशत लोग योग एवं इसके लाभ के बारे में जानते हैं परन्तु नियमित योग करने वालों की संख्या मात्र 11.8 प्रतिशत ही है। मध्य व पूर्व भारत में योग की जानकारी व नियमित योग करने वालों की संख्या कम है। निम्न, निम्न मध्यम, व मध्यम आयवर्ग की तुलना में उच्च आयवर्ग में योग जानने तथा नियमित योग करने वालों की संख्या कम है। पूरे देश में महिला व पुरूष लगभग समान रूप से योग की जानकारी रखते हैं। यह सर्वे उद्घाटित करता है कि योग के बारे मे लगभग पूरा भारत जानता है परन्तु विभिन्न कारणों से वह नियमित योग करने से वंचित रह जाता है। कोरोना काल के बाद निश्चित रूप से योग करने वालों की संख्या बढ़ गयी है। पूरे विश्व में योग की प्रतिष्ठा धीरे–धीरे बढ़ती जा रही है। अमेरिका की एक संस्था Pew Research Center द्वारा 29 जून 2021 को भारत में योग करने वालों की स्थिति का सर्वे करके एक पेपर प्रकाशित किया गया जिसमें यह बताया गया कि 35 प्रतिशत प्रौढ़ यह कहते हैं कि वो कभी–कभी योग करते हैं, 22 प्रतिशत द्वारा बताया गया कि वो माह में एक बार योग करते हैं, 07 प्रतिशत द्वारा बताया गया कि वो प्रतिदिन नियमित योग का अभ्यास करते हैं। सर्वे में यह भी तथ्य सामने आया कि जो लोग योग को अपनाते हैं उनमें अपेक्षाकृत युवकों और शिक्षितों की संख्या अधिक है। योग अपनाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

निष्कर्ष

योग व आयुर्वेद पृथक पृथक तो अपना महत्व रखते ही हैं परन्तु जब ये एक साथ अपनाए जाते हैं तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। बीमारी से पहले निवारक उपचार के रूप में एवं बीमारी के बाद उपचारात्मक उपचार के रूप में योग और आयुर्वेद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपनी उपयोगिता के कारण आज योग व आयुर्वेद भारत में तो घर–घर जगह बना चुका है, विश्व में भी सम्मानजनक स्थान बना चुका है। दैनिक जागरण में छपी 20 मई 2021 की एक खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया जिसमें यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गांव देवनाथपुर में गांव वालों के प्रयास से योग और आयुर्वेद का प्रयोग कर कोरोना को मात दी तथा पूरे गांव में एक भी जनहानि नहीं हुई। यह अकेला उदाहरण नहीं है, कोरोना काल में लाखों लाख लोगों ने योग व आयुर्वेद की मदद से अपने जीवन की रक्षा की। योग और आयुर्वेद की महत्ता व लोकप्रियता की स्थिति यह थी कि एलोपैथिक डॉक्टर द्वारा भी कोरोना से बचने के लिए काढ़ा पीने और योग करने की सलाह दी जाती थी। योग ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान पहले ही बना ली है। अब भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद को वैश्विक ब्रांड बनाने पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय के माध्यम से आयुर्वेद क्षेत्र के सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने हेतु, आयुर्वेद सेक्टर में उत्पादकता बढाने हेतु राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन 17 अक्टूबर को किया जाता है। योग और आयुर्वेद के उत्थान का यह सही समय है। योग और आयुर्वेद मिलकर विश्व को एक प्रामाणिक वैकल्पिक उपचार की पद्धति प्रदान कर रहे हैं। आने वाला कल योग और आयुर्वेद का ही है।

संदर्भ

1. प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से चिकित्सा–डॉ0 एच0 के0 बाखरू
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री।
3. आयुष मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री।
4. Exploring the Therapeutic effects of Yoga and its ability to increase quality of life-Catherine Woodyard, International Journal of Yoga
5. Effects of Yoga on Mental and Physical Health; A Short Summary of Reviews-Harvard Library
6. Knowledge, Attitude and Practice of Yoga in Rural and Urban India by Amit S. Mishra and 8 others (Published online)
7. विभिन्न समाचार पत्रों में मुद्रित लेख।

19

भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 : वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की संभावनाएं

डॉ0 मदन मोहन वार्ष्णेय
विभागाध्यक्ष (वाणिज्य संकाय)
द० राज आनन्द राज० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिसौली

सारांश

संविधान के अनुच्छेद 11 और अनुसूची सात के अन्तर्गत नागरिकता और शरणार्थियों के मामलों में कानून बनाने का हक सिर्फ भारतीय संसद को ही है। विदेशी लोगों को भारत में अनुच्छेद 20 और 21 के अन्तर्गत जीवन का अधिकार जरूर हासिल है लेकिन उन्हें अन्य कानूनों में बराबरी का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। भारत की नागरिकता हासिल करना किसी भी विदेशी घुसपैठिये का मानवाधिकार भले ही हो, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकता। विदेशों से कानूनी तौर पर भारत आने का वीजा चाहिये होता है, जिसके लिये अलग देशों के नागरिकों के लिये अलग–अलग कानून हैं। ऐसे ही नियम यूरोप और अमेरिका में भी बनाए गये हैं, जिन्हें कभी भी विभेदकारी नहीं माना जाता। भारतीय नागरिकता के लिये संसद द्वारा बनाए गये कानून पर अर्न्तराष्ट्रीय बहस और विरोध दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। नये कानून के विरोध में पूर्वोत्तर के राज्यों और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन, जनता का संवैधानिक अधिकार है लेकिन केरल, पंजाब, बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों द्वारा इस कानून को न मानने के बयान असंवैधानिक होने के साथ संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। दरअसल इस कानून के विरोध में वोट बैंक की राजनीति के साथ अवैध कामों को संवैधानिक रूप देने की गलत परम्परा छिपी हुई है, जो भारतीय गणतन्त्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

मुख्य शब्द

नागरिकता, विदेशी घुसपैठिये, संघीय व्यवस्था, राजधर्म, नागरिक धर्म, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019।

प्रस्तावना

भारत देश भारतीय संविधान के लागू होने की 70वीं जयन्ती मना रहा है। स्मरणीय है कि 26 नवम्बर 2019 को संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमन्त्री ने आह्वान किया था कि समस्त देशवासी संविधान के आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात करें और मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। संविधान के आदर्श और मूल्य क्या हैं? यह प्रश्न जटिल है, क्योंकि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और जो 104 बार संशोधित हो चुका है। संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों का निर्वहन एक बड़ी चुनौती है। नागरिकों और यहां तक कि गैर नागरिकों की सुरक्षा राजधर्म है, राज्य का परम दायित्व है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है जिसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। संविधान के मूल आदर्श संविधान की उद्देशिका में निहित हैं जो भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने तथा व्यक्तिगत गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये आश्वस्ति प्रदान करते हैं। 1975 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी एक नये अनुच्छेद 51(क) को संविधान में समाहित किया गया। संक्षेप में नागरिकों के मूल कर्तव्य है– संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को दिल से संजोना, भारत की एकता को अक्षुण्ण रखना, आह्वान करने पर देश की सेवा, भारत के सभी लोगों के प्रति समरसता और सद्भाव, संस्कृति और पर्यावरण का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना, इत्यादि।

राजधर्म बनाम नागरिक धर्म

नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों का निर्वहन समसामयिक परिस्थितियों में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जब दंगे आगजनी और हिंसा हो, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचे और नागरिकों का जीवन संकट में हो। ऐसी परिस्थिति में सभी नागरिकों का संविधान साक्षर होना और सभी हित धारकों द्वारा सांविधानिक आदर्शों और मूल्यों का अनुपालन नितान्त आवश्यक है।

वाक्स्वातंत्रय एवं शान्तिपूर्वक बिना अस्त्र–शस्त्र के एकत्रित होने का मौलिक अधिकार देश की एकता और अखंडता, शिष्टता और सदाचार की परिधि से परिसीमित है। अधिकारों के लिये शांतिपूर्वक प्रदर्शन या धरना करना मौलिक अधिकार है, परन्तु प्रदर्शनकारियों द्वारा अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण भी हमारे गणतन्त्र की आधार शिला पर कुठाराघात है।

उल्लेखनीय है कि 1975 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारतीय लोकतन्त्र के स्याह पक्ष आपात काल के दौरान संविधान में समाहित किए गये। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से उक्त प्रावधान लिया गया था। अब तो श्रीलंका और नेपाल के संविधानों में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण है, हालांकि वे इतने व्यापक नहीं हैं। दुनिया के कई अन्य देशों यथा जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया, इटली आदि के संविधान में भिन्न भिन्न प्रकार के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य समाविष्ट हैं। समाजवादी और सुल्तान शाही देशों के संविधानों में तो ये कर्तव्य सर्वत्र हैं। पाश्चात्य उदार लोकतान्त्रिक देशों में विशेषकर अमेरिका, इंग्लैड, फ्रांस, कनाडा आदि देशों के संविधानों में ऐसे प्रावधान नहीं हैं, परन्तु वहां भी कई कानून एवं उद्घोषणायें हैं जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की ओर समेत करते हैं जैसे परिवार एवं वृद्ध माता–पिता की सेवा सुश्रुषा। उन देशों में ऐसे कठोर कानून हैं, ताकि प्रदूषण फैलाने या ऐसे खतरनाक कृत्य जिससे नागरिकों को नुकसान हो, रोका जा सके। यही कारण है कि उन परिपक्व गणतान्त्रिक देशों में ''कानून का राज'' वास्तविक मायनों में है, क्योंकि नागरिक प्रबुद्ध है, अपने कर्तव्यों का बेहतर निर्वहन करते हैं, सरकारें राजधर्म बखूबी निभाती हैं ओर न्याय प्रशासन प्रणाली स्वतन्त्र एवं प्रभावी है।

भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉ0 अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने अन्तिम वक्तव्य में कहा था कि लोकतन्त्र भारतीय जमीन पर एक ऊपरी परत है, अतः आवश्यकता है संवैधानिक नैतिकता को समृद्ध करने की। जहां संविधान में निहित राज्य के नीति–निर्देश तत्व सरकार का राज धर्म सुस्पष्ट करते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य नागरिक धर्म के निर्वहन की कुंजी हैं। संविधान की उद्देशिका में व्यक्त प्रथम वाक्य 'हम भारत के लोग' स्पष्ट करता है कि यह संविधान भारत के लोगों द्वारा निर्मित और उन्हें ही आत्मर्पित है। अतः अधिकार और कर्तव्य राजधर्म सहचर है, एक दूसरे के प्रति पूरक हैं।

वर्तमान परिदृश्य

12 दिसम्बर 2019 को भारत में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा दी गई मंजूरी के साथ ही अब यह अधिनियम बन चुका है। इस विधेयक को लोकसभा ने 9 दिसम्बर और राज्यसभा ने 11 दिसम्बर को अपनी मंजूरी दे दी थी। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिक बनाने का प्रावधान है। इसमें उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि ऐसे शरणार्थियों जिन्होंने 31 दिसम्बर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, उन्हें अपनी नागरिकता संबंधी विषयों के लिये एक विशेष विधायी व्यवस्था की आवश्यकता है। अधिनियम में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन करने से वंचित न करने की बात कही गई है। अधिनियम में स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिकता प्रदान करने की सभी शर्तों को पूरा करता है, तब अधिनियम के अधीन निर्धारित किये जाने वाला सक्षम अधिकारी, अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के अधीन ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पर विचार करते समय उनके विरूद्ध ''अवैध प्रवासी'' के रूप में उनकी परिस्थिति या उनकी नागरिकता संबंधी विषय पर विचार नहीं करेगा। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 बनने से पहले भारतीय मूल के बहुत से व्यक्ति जिनमें अफगास्तिान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के उक्त अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति भी शामिल हैं, वे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन नागरिकता के लिये आवेदन करते थे किन्तु यदि वे अपने भारतीय मूल का सबूत देने में असमर्थ थे, तो उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत ''प्राकृतिकरण'' (Naturalization) द्वारा नागरिकता के लिये आवेदन करने को कहा जाता था। यह उनको बहुत से अवसरों एवं लाभों से वंचित करना था। नागरिकता अधिनियम 1955 की तीसरी अनुसूची का संशोधन कर इन देशों के उक्त समुदायों के आवेदकों को ''प्राकृतिकरण'' (Naturalization) द्वारा नागरिकता के लिये पात्र बनाया गया है। इसके लिये ऐसे लोगों को वर्तमान 11 वर्ष के स्थान पर पांच वर्षों के लिये अपनी निवास की अवधि को प्रमाणित करना होगा। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 में वर्तमान में भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के कार्ड को रद्द करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की स्थानीय आबादी को प्रदान की गई संवैधानिक गारंटी की संरक्षा और बंगाल पूर्वी सीमान्त विनियम 1973 की ''आंतरिक रेखा प्रणाली'' के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को प्रदान किये गये कानूनी संरक्षण को बरकरार रखा गया है।

दस वर्षों (2001–2011) में जनसंख्या में हुये परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। हिन्दू धर्म में 2001–2011 के दस वर्षों में जनसंख्या में 16.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। जबकि मुस्लिमों में इसी अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर 24.6 प्रतिशत रही है। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के मतावलंबियों की जनसंख्या में वृद्धि दर क्रमशः 15.5 प्रतिशत, 8.4 प्रतिशत, 6.1 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत रही। इस विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि 2001–2011 के दशक बीच मुस्लिम धर्म के अनुयायियों में जनसंख्या वृद्धि दर अन्य धर्मों की तुलना में अधिक तीव्र है।

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के मुख्य तथ्य

1. नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगास्तिान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिन्दू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जायेगी।

2. ऐसे शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसम्बर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, वे भारतीय नागरिकता के लिये सरकार के पास आवेदन कर सकेगें।

3. अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिये 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। नए अधिनियम में प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक अगर पांच साल भी भारत में रहे हों, तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है।

4. यह भी व्यवस्था की गई है कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिये उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी।

5. ओसीआई कार्ड धारक यदि शर्तों का उल्लघंन करते हैं तो उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार केन्द्र को है, पर उन्हें सुना भी जायेगा।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक में प्रावधान

1. धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारत में जो लोग आये हैं, उनको नागरिकता देने का सवाल है।

2. हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगारिस्तान, इन तीन देशों से आते हैं, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जायेगा। इससे उनको मुक्ति दे दी गई है।

3. यदि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गई शर्तों और प्रतिबंधों के तौर–तरीकों को अपना कर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनके माध्यम से वे भारत की नागरिकता ले पायेंगे।

4. ऐसे प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 या तीसरे शैड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरान्त नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो जिस तिथि से वे भारत में आए है, उसी तिथि से उनको नागरिकता दे दी जायेगी।

5. पश्चिमी बंगाल के अन्दर अवैध शरणार्थी आये हुए हैं, अगर वे 1955 में आए, 1960 में आए, 1970, 1980, 1990 में आए या 2014 की 31 दिसम्बर के पूर्व आए, उन सभी को उसी तिथि से नागरिकता दी जाएगी जिस तिथि से वे आए हैं। इससे उनको कोई Legal Consequence को नहीं सहना पड़ेगा।

6. अगर ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे में घुसपैठ या नागरिकता का कोई केस चल रहा है, तो वह केस इस बिल के विशेष प्रावधान से वहीं पर समाप्त हो जायेगा।

7. यदि आवेदक किसी भी प्रकार का अधिकार या Privilege ले रहा है, तो इस प्रावधान के तहत वह अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा।

8. शरणार्थी, जिन्होंने छोटी–मोटी दुकान खरीद ली है, वे अपना काम कर रहे हैं, कानून की दृष्टि से हो सकता है कि वह अवैध हो, गैर कानूनी हो। अगर यह बिल उनको सुरक्षा देता है कि उन्होंने भारत में अपने निवास के समय में जो कुछ भी किया है, उसको यह बिल नियमित कर देगा। उनको अस्तित्व को कहीं पर भी वंचित नहीं करेगा।

नागरिकता संशोधन विधेयक का उद्देश्य

केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री अमित शाह ने संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगारिस्तान इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान इस विधेयक में है जिसके निम्न उद्देश्य हैं–

1. यह विधेयक करोडों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा।

2. पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगारिस्तान से आये अल्पसंख्यकों को भी जीने का अधिकार है। इन तीन देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी में काफी कमी हुई है, वहॉ लोग या तो मार दिये गये, उनका जबरन धर्मान्तरण कराया गया या वे शरणार्थी बनकर भारत में आए।

3. तीन देशों में आए धर्म के आधार पर प्रताड़ित ऐसे लोगों को संरक्षित करना इस विधेयक का उद्देश्य है।

4. भारत के अल्पसंख्यकों का इस बिल में कोई अहित नहीं है।

5. इस बिल का उद्देश्य उन लोगों को सम्मान जनक जीवन देना है जो दशकों से पीड़ित थे।

6. यह उन निश्चित वर्गों के लिये है जिनके धर्म के अनुसरण के लिये इन तीन देशों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।

7. इसमें उन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है।

भारतीय नागरिकता की पात्रता

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगारिस्तान इन तीन देशों की जो सीमाऐं भारत को छूती हैं, उन तीन देशों में हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी वहां के लघुमत के लोग, जो भारत में आए हैं, वे किसी भी समय आए हो, उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान इस विधेयक में है। जो किसी भी तरह से भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान के खिलाफ नहीं जाते हैं ऐसे शरणार्थियों को उचित आधार पर नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान हैं।

विश्व की कुल जनसंख्या में मुसलमानों का हिस्सा 24 प्रतिशत है, जो लगभग 180 करोड़ के आसपास है। इस तरह दुनिया भर के कुल मुसलमानों की संख्या 12.65 प्रतिशत यानी लगभग 22.2 करोड़ लोग इंडोनेशिया में रहते हैं। दूसरे देशों की बात करें तो पाकिस्तान में 11 प्रतिशत के साथ 19.5 करोड़, भारत में 10.97 प्रतिशत आंकडे पर 18.32 करोड़, बांग्लादेश में 9.18 प्रतिशत यानि 15 करोड़, मिश्र में 4.94 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ 8 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। इन पांच देशों में करीब 48 प्रतिशत मुस्लिम रहते हैं।

इन सारी स्थितियों के बावजूद भी नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पर बोलते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि ''एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि यह बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, यह बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है।'' श्री अमित शाह ने कहा ''जो इस देश के मुसलमान हैं, उनके लिये इस देश के अन्दर किसी चिंता का सवाल ही नहीं है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के होते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, यह सरकार सभी को सुरक्षा और समान अधिकार देने के लिय प्रतिबद्ध है।'' श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के शासनकाल में पिछले 5 वर्षों में 566 से ज्यादा मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी गई। श्री शाह ने कहा कि यह बिल सिर्फ नागरिकता देने के लिये है, किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस बिल में नहीं है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार मानती है कि जिनकी प्रताड़ना हुई है, उन सबकी मदद सरकार को करनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि वे नागरिक हैं, नागरिक रहेगें, उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। यहां के अल्पसंख्यक और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

नागरिकता विधेयक 2019 की पृष्ठभूमि

भारतीय नागरिकता के विचार को समझने के लिए हमें संविधान सभा के दौर में जाना होगा। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थियों की भारी संख्या के बीच भारतीय संविधान निर्माताओं के लिये नागरिकता के प्रावधानों का मसौदा तैयार करना लगभग असंभव था। क्योंकि उस समय की स्थिति नागरिकता के प्रावधानों को अंतिम रूप देने के लिये अनुकूल नहीं थी, नागरिकता का मुद्दा संविधान के भाग–द्वितीय में अनुच्छेद 11 पर निर्भर था जो संसद को भारतीय नागरिकता के लिए एक विस्तृत रूप रेखा तैयार करने का विशेष अधिकार देता है। इसके कारण नागरिकता अधिनियम 1955 अस्तित्व में आया, इसलिये यह कहना गलत है कि संसद को नागरिकता के मानदंडों में कोई बदलाव लाने का कोई अधिकार नहीं है। यह तर्क संविधान निर्माताओं के इरादों के विपरीत है। सच्चाई यह है कि संविधान सभा ने कभी भी नागरिकता के मानदंडों को अंतिम रूप नहीं दिया, बल्कि संसद को संविधान ने भारतीय नागरिकता के मानदंड को अन्तिम रूप देने का अधिकार दिया है। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान (मुस्लिम बहुल वाले राज्यों) में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को शुरू से ही धर्म के आधार पर लगातार वहां उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। विभाजन के दौरान भारत ने इन अल्पसंख्यकों को आश्वासन देते हुए कहा था कि यदि उनके मूल देश नेहरू–लियाकत संधि के तहत उन्हें दायित्व के अनुसार सुरक्षा देने में विफल रहते हैं तो भारत उनके जीवन और स्वतन्त्रता की रक्षा करेगा। इसलिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगास्तिान के इन उत्पीड़ित वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिये यह विधेयक आवश्यक था और उन्हें भारत में नागरिकता का अधिकार दिया जा रहा है, जहां वे दशकों से अवैध प्रवासियों के रूप में रह रहे हैं। – स्रोत विकिपीडिया

अब बात करते हैं, किस देश में वहां की कुल आबादी में हिन्दुओं की कितनी हिस्सेदारी है। इस क्रम में नेपाल की कुल जनसंख्या में लगभग 81 प्रतिशत हिन्दू है जबकि भारत में 80 प्रतिशत, मॉरीशस में 13, फीजी में 34, गुआयना में 28, भूटान में 28, सूरीनाम में 22, श्रीलंका में 13, कुवैत में 12 और बांग्लादेश में करीब 10 प्रतिशत हिन्दू आबादी है।

विश्व में कुल जनसंख्या में हिन्दूओं की संख्या 15 प्रतिशत है जो लगभग 115 करोड़ हैं। उनमें सबसे ज्यादा हिन्दू भारत में निवास करते हैं। भारत में 97.38 करोड़ हिन्दू रहते हैं, जो दुनिया की कुल हिन्दू आबादी का 94.3 प्रतिशत हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर नेपाल है, जहां करीब 2.40 करोड़ हिन्दू हैं, यह आंकड़ा विश्व की हिन्दू संख्या का 2.3 प्रतिशत है। इसी तरह बांग्लादेश में हिन्दूओं की संख्या लगभग 1.27 करोड़ है और विश्व भर के हिन्दूओं का 1.2 प्रतिशत है। इसी तरह इंडोनेशिया में 40 लाख, पाकिस्तान में 33 लाख, श्रीलंका में 28 लाख, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 18 लाख, मलेशिया में 17 लाख, यूनाइइटेड किंगडम में 8.90 लाख और बर्मा में 8.20 लाख हिन्दू निवास करते हैं। दुनिया भर में 99.4 प्रतिशत हिन्दू इन्हीं 10 देशों में रहते हैं।

नागरिकता संशोधन कानून– भविष्य की सम्भावनाएं

1955 अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देने के लिये जन्म, वंश, प्राकृतिकरण, पंजीकरण और भारत द्वारा किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण जैसी पांच श्रेणियां हैं। नागरिकता अधिनियम में यह संशोधन मुख्य रूप से प्राकृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा नागरिकता देने के प्रस्ताव को संशोधित करता है–

1. विधेयक खंड 2 में नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि अब कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से सम्बन्धित है, जिन्होंने 31 दिसम्बर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था और जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के उपखंड (सी) के तहत या विदेशी अधिनियम 1945 या इसके तहत बनाए गये किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों की छूट दी गई है, उनको नागरिकता अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जायेगा।

2. विधेयक का खंड 3 नागरिकता अधिनियम 1955 में एक नई धारा 6 बी सम्मिलित करता है, यह विधेयक के खंड 2 तहत धारा 6 बी (2) के तहत संरक्षित व्यक्तियों के लिये प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने प्रावधान करता है, ऐसे व्यक्तियों को भारतीय क्षेत्र में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिकता माना जायेगा।

3. संशोधित अधिनियम की नई धारा 6 बी (4) में यह प्रावधान है कि विधेयक के उपर्युक्त खंड 2 असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है। इसके अतिरिक्त बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिनियम 'द इनर लाइन' क्षेत्रों में भी यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

4. विधेयक का खंड 6 अधिनियम की तीसरी अनुसूची में संशोधन करता है जो अधिनियम की धारा 1(6) के तहत प्राकृतिकरण के लिये योग्यता प्रदान करता है। यह तीन मुस्लिम बहुल देशों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिये प्राकृतिकरण द्वारा और वर्तमान मामले में नागरिकता के लिये नये आवेदन से संबंधित है। यह खंड अफगास्तिान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिये भारत में निवास या भारत सरकार के अन्तर्गत सेवा शर्त को कम से कम पांच वर्ष करता है जो पूर्व में ''कम से कम ग्यारह वर्ष'' थी।

5. अतः तीन मुस्लिम देशों के सताए हुए अल्पसंख्यक अब अधिनियम की धारा 6 बी के तहत नागरिकता के हकदार है, जिन्होंने 31 दिसम्बर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है और उन्हें इस अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जायेगा और भारत में उनके इस तिथि के पूर्व आगमन पर उन्हें आगमन पर उन्हें नागरिकता दी जायेगी। हालांकि, यदि 31 दिसम्बर 2014 के बाद उक्त व्यक्तियों का भारत में प्रवेश हुआ, तो वे अधिनियम की तीसरी अनुसूची के साथ अधिनियम की धारा 6 के तहत नागरिकता के लिये किये पात्र होंगे, जो भारत में कम से कम 5 वर्षों के लिए उनके निवास का प्रावधान करता है जो पहले 11 साल था, जैसा कि प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता पाने के लिये अन्य देशों के लोगों पर लागू होता है।

6. नागरिकता संशोधन विधेयक देशों का वर्गीकरण अर्थात अफगास्तिान, पाकिस्तान, और बांग्लादेश बनाम शेष देशों, लोगों का वर्गीकरण अर्थात हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई बनाम अन्य लोग, इस भिन्नता का आधार राज्य धर्म अल्पसंख्यक है। चूंकि ये तीनों देश एक रूप में इस्लाम को अपना राज्य धर्म मानते हैं इसलिये यहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले सामने आते हैं।

7. किसी भी देश या किसी भी धर्म का कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन कर सकता है यदि वह नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के अनुसार ऐसा करने के लिए पात्र है।

निष्कर्ष

नागरिकता संशोधन के खिलाफ तीखा विरोध भारत में कानून के शासन की बदहाली को दर्शाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के विरोध व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघ की प्रतिकूल टिप्पणियों से भारतीय संसद की सार्वभौमिकता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। संविधान की कसौटी पर देखा जाये, तो नये कानून में कुछ भी गलत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 11 और अनुसूची सात के अन्तर्गत नागरिकता और शरणार्थियों के मामलों में कानून बनाने का हक सिर्फ भारतीय संसद को ही है। विदेशी लोगों को भारत में अनुच्छेद 20 और 21 के अन्तर्गत जीवन का अधिकार जरूर हासिल है लेकिन उन्हें अन्य कानूनों में बराबरी का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। भारत की नागरिकता हासिल करना किसी भी विदेशी घुसपैठिये का मानवाधिकार भले ही हो, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकता। विदेशों से कानूनी तौर पर भारत आने का वीजा चाहिये होता है, जिसके लिये अलग देशों के नागरिकों के लिये अलग–अलग कानून हैं। ऐसे ही नियम यूरोप और अमेरिका में भी बनाए गये हैं, जिन्हें कभी भी विभेदकारी नहीं माना जाता। भारतीय नागरिकता के लिये संसद द्वारा बनाए गये कानून पर अर्न्तराष्ट्रीय बहस और विरोध दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है।

इस मामले की तह तक जाने पर पिछले 70 सालों के राजकाज की बदहाली ही सामने आती है। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना के बाद नियमों के अनुसार जनसंख्या (एनपीआर) और नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) बनना चाहिए था। नियमों की अनदेखी, प्रशासन के निकेम्मपन और सरकारों की वोट बैंक की राजनीति की वजह से इन नियमों पर कभी अमल ही नहीं हुआ। इन रजिस्टरों के न बनने से जनकल्याण योजनाओं में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार को जारी रखने में भी आसानी बनी रही। आधार कार्ड में नागरिकता की जांच का कोई नियम न होने से हजारों करोड़ की रकम स्वाहा हो गई। 70 सालों में अवैध घुसपैठिये देश की चुनावी राजनीति का अभिन्न अंग बन गये हैं, जिनकी वजह से अब संवैधानिक व्यवस्था को लागू करना टेढ़ी खीर हो रहा है।

नये कानून के विरोध में पूर्वोत्तर के राज्यों और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन, जनता का संवैधानिक अधिकार है लेकिन केरल, पंजाब, बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों द्वारा इस कानून को न मानने के बयान असंवैधानिक होने के साथ संघीय व्यवस्था के खिलाफ है।

दरअसल इस कानून के विरोध में वोट बैंक की राजनीति के साथ अवैध कामों को संवैधानिक रूप देने की गलत परम्परा छिपी हुई है, जो भारतीय गणतन्त्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली समेत अनेक महानगरों में सरकारी और रेलवे की जमीन पर करोड़ों लोगों ने अवैध कब्जे करके झुग्गी झोपड़ी बना ली है। ऐसे लोगों के पीछे छिपे हुये माफिया तन्त्र को दण्डित करने के बजाय वोट बैंक हासिल करने के लिये, अवैध कालोनियों को कानूनी अनुमोदन देने की रणनीति अब राष्ट्रीय अपसंस्कृति बन गई है।

संघीय व्यवस्था में एनआरसी लागू करने के लिये केन्द्र को राज्य सरकारों को विश्वास में लेने के साथ उनका सहयोग भी लेना होगा। देश में अवैध तौर पर बसे तीन लाख से ज्यादा रोहिंग्या में से एक भी भारत से बाहर नहीं भेजा जा सका है। अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिये हमें बांग्लादेश जैसे पड़ोसी के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध रखने की मजबूरी है। नये नागरिकता कानून से असम सहित अन्य क्षेत्रों में रहने वाले हिन्दुओं, बौद्ध, सिख, जैनों को भारतीय नागरिकता मिल ही जायेगी। परन्तु अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर कैसे निकाला जायेगा? इसका जबाव संविधान की किताब के बजाय राजनेताओं के चुनावी वोट बैंक की पोटली से निकलेगा।

संदर्भ

1. ''नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 – मुख्य विशेषताएं और सारांश'' – पी.आर.एस. लेजिसलेटिव रिसर्च
2. मलिक, शाहनवाज अहमद (21 जुलाई 2020) – ''असम में एनआरसी के कार्यान्वयन के विशेष संदर्भ में भारत में नागरिकता कानूनों का भविष्य'', जनरल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च
3. ''नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिकता'' – भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के अंश, 16 अप्रैल 2020
4. ''भारत में शरणार्थी आबादी की रिपोर्ट''– मानवाधिकार कानून नेटवर्क
5. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना, भारत का राजपत्र, 10 जनवरी 2020
6. www.indianexpress.com
7. www.indiatoday.in
8. www.economictimes.com
9. www.insightsonindia.com

20

भारतीय उद्योग जगत संपदा अर्जन : एक विश्लेषण

डॉ0 अनूप कुमार
एसोसिऐट प्रोफेसर (वाणिज्य संकाय)
बरेली कॉलेज, बरेली

सारांश

भारतीय उद्योगपतियों की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। लम्बे समय से चली आ रही गलत सरकारी नीतियों एवं प्रशासनिक तन्त्र में व्याप्त लालफीताशाही ने उनके पैरों में बेड़ियाँ डाल रखी थीं। आजादी के बाद के चार दशकों में बड़े उद्योगपतियों की आर्थिक शक्ति को पूरी ताकत के साथ कुचला गया। खस्ताहाल आर्थिक स्थिति के कारण माननीय चन्द्रशेखर सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत सरकार को अपना 60 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा। तत्पश्चात् वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने विश्व बैंक और अमेरिका के दबाव में खुलेपन की व्यापार नीति को अपनाया जिसका उद्देश्य विदेशी कम्पनियों के लिए भारतीय बाजार उपलब्ध कराना था। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस, परमिट की बंदिशों को कम किया, उत्पादन कर को कम किया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आयात कर कम किए। चाहे अनचाहे इस छूट का फायदा भारतीय कम्पनियों को भी मिला। नए उद्योगपतियों को बाजार में आने का अवसर मिला, लेकिन देशज् उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना भी करना पड़ा। यह भारतीय उद्योगों के लिए एक संक्रमण काल था। एक तरफ नियमों से छूट तो दूसरी तरफ भारत की छोटी कम्पनियों को विश्व की विशालकाय कम्पनियों से प्रतियोगिता करनी थी जिसमें भारत की बहुत सारी पुरानी कम्पनियाँ धराशायी हुईं तो कुछ नई कम्पनियों ने बहुत तीव्र प्रगति भी की। नए–नए क्षेत्रों में नवीन उद्यमियों ने अपना स्थान बनाया। आज भारतीय पूँजी बाजार 3.55 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूँजीकरण के साथ विश्व रैंकिंग में छठवें स्थान पर है। इस अध्ययन में मोतीलाल ओसवाल वैल्थ क्रियेशन रिपोर्ट 2020 का गहन विश्लेषण किया गया है जिसमें भारत की सर्वश्रेष्ठ 500 कम्पनियों का अध्ययन किया गया। अन्ततः विभिन्न मानदण्डों पर चुनकर सबसे तेज, सबसे बड़ी व सतत् प्रगति करने वाली 10 शीर्ष कम्पनियों को चुना गया। इनफोसिस, रिलायन्स, हिन्दुस्तान यूनीलिवर, पिडीलाइट, बर्जर, एशियन पेन्ट्स, एच.डी.एफ.सी., बजाज फाइनेंस जैसी कम्पनियों ने महत्वपूर्ण संपदा अर्जक की भूमिका निभाई है। अगर भारत सरकार सही औद्योगिक नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करती है, समस्या समाधान के प्रति त्वरित एवं सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण रखती है तो आने वाला समय भारतीय उद्योग का स्वर्गकाल होगा।

मुख्य शब्द

भूमंडलीकरण, उदारीकरण, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, सेवा क्षेत्र, बाजार पूँजीकरण, संपदा अर्जन।

भारतीय उद्योगपतियों की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। लम्बे समय से चली आ रही गलत सरकारी नीतियों एवं प्रशासनिक तन्त्र में व्याप्त लालफीताशाही ने उनके पैरों में बेड़ियाँ डाल रखी थीं। स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के समाजवादी दर्शन से प्रभावित भारतीय सरकारें यही समझती रहीं कि आर्थिक विकास का सम्पूर्ण जिम्मा उनका है। आजादी के बाद चार दशकों में बड़े उद्योगपतियों की आर्थिक शक्ति को पूरी ताकत के साथ कुचला गया। उन पर एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक कानून लागू किया गया। लाइसेन्स राज के नाम पर उनको अपनी मर्जी के उद्योग लगाने से रोका गया। एक किसान अपनी फसल को अपनी मर्जी से किसी दूसरे प्रदेश में ले जाकर नहीं बेच सकता था। सरकारी मशीनरी विकास की दुश्मन थी। किसी समय में 97.75 प्रतिशत तक का आयकर और 39 प्रतिशत तक का कारपोरेट टैक्स वसूलने वाली सरकारें जब यह सूचना पाती थीं कि कोई उद्योग तेजी से प्रगति कर रहा है तो सर्च एवं सीजर के नाम पर ऐसी सख्त निरोधात्मक कार्यवाही करती थीं, जैसे किसी माफिया, ड्रग्स तस्कर या आतंकवादी को पकड़ लिया हो।

नई औद्योगिक नीति

माननीय चन्द्रशेखर सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत सरकार के पास पैट्रोलियम पदार्थों के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं थी। सरकार की साख इतना गिर चुकी थी कि कोई भी विदेशी सरकार भारत को उधार देने को तैयार नहीं थी। मजबूर होकर तत्कालीन भारत सरकार को अपना 60 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैड के पास गिरवी रखना पड़ा, ताकि आयात बिलों का भुगतान किया जा सके।

इसके पश्चात् नब्बे के दशक में सोवियत रूस के विभाजन के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बदलीं। अमेरिका की दादागिरी और विश्व बैंक के दबावों के आगे भारत सहित सभी विकासशील देशों को अपने बाजार विकसित देशों के लिए खोलने पड़े। वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने विश्व बैंक और अमेरिका के दबाव में खुलेपन की नीति को अपनाया। विदेशियों के लिए अपने बाजार खोले। उद्योगों पर से लाइसेंस, परमिट की बंदिशों को कम किया। उत्पादन कर को कम किया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आयात कर कम किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य तो विश्व बैंक के दबाव में विदेशी कम्पनियों के लिए भारतीय बाजार उपलब्ध कराना था, परन्तु बताया यह गया कि हम भारतीय कम्पनियों को छूट और आजादी प्रदान कर रहे हैं। नई परिस्थितियों को आत्मसात करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति बनाई गई जो कहलाई 'नई औद्योगिक नीति 1991'। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के नाम पर भारतीय कम्पनियों को मजबूर किया गया– उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से इन भारतीय कम्पनियों से सौ–सौ गुना बड़ी हैं यानि कि एक बिना वर्जिश के पहलवान को एक डब्लू.डब्लू.एफ. के ईनामी पहलवान से लड़ना होगा। इसे सरकारों की मूर्खता कहें या मजबूरी कि पहले तो इन भारतीय कम्पनियों पर शिकंजा कसे रखा कि वह विकसित न हो जाएं। जब छूट दी तो भारत सरकार की जी0डी0पी0 से भी बड़ी ताकत वाली विदेशी कम्पनियों को प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ा कर दिया।

यह भारतीय उद्योग जगत के लिए एक संक्रमण काल था। लाइसेन्स राज में जहाँ येन केन प्रकारेण लाइसेन्स, कोटा प्राप्त करना, मन्त्रियों और नौकरशाहों से आन्तरिक सम्बन्ध बनाए रखना, प्राथमिक योग्यताएं थीं, वहीं आज उत्पादन की गुणवत्ता, अनुसंधान, तकनीक के नवीनीकरण और प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान देना होगा। नई परिस्थितियों में कुछ कम्पनियाँ और अधिक विकास करेंगी और कुछ को अपना सामान समेटना भी पड़ सकता है।

दौड़ में पीछे

थम्सअप के रमेश चौहान को अपने उत्पादों की गुणवत्ता व ब्रान्ड स्वीकार्यता के बाजूद अपना कारोबार बेचना पड़ा। उनकी लड़ाई कोका–कोला और पेप्सी जैसे उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अन्तर्राष्ट्रीय ब्राँन्डों से थी, जिनके आर्थिक संसाधन अत्यन्त विशाल हैं। इसी प्रकार प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, डी.सी.एम. और सेन्चुरी जैसी कम्पनियाँ वर्तमान परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाईं। बी.एस.एन.एल, एम.टी.एन.एल., सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वोड़ाफोन–आइडिया जैसे कारपोरेट जॉयन्ट कारपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान उठाते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

वर्तमान परिदृश्य

जहाँ कुछ कम्पनियों के लिए इतना संघर्ष है, वहीं कुछ स्टार्ट अप्स तकनीक के सहयोग से नवोन्मेष कर रहे हैं। आई.पी.ओ. ला रहे हैं और अरबों रूपयों की संपदा बना रहे हैं।

जोमेटो, पेटीएम, नायका, पारस डिफेंस, ग्लेनमार्क लाइफ, तत्व चिन्तन, इंडिया पेस्टीसाईड, बार्बीक्यू नेशन, कल्यान ज्वैलर्स, लक्ष्मी आर्गेनिक, रेल टेल, इंडिगो पेन्टस, बर्गर किंग्स, आई.आर.सी.टी.सी., बन्धन बैंक जैसे IPOs की एक अन्तहीन सूची है जिन्होंने न केवल पूँजी का निर्माण किया, शेयर धारकों के भविष्य को उज्जवल किया बल्कि भविष्य की नई आशाओं का भी निर्माण किया है। नई औद्योगिक नीति के बाद नए–नए क्षेत्रों में उद्यमियों को कार्य करने का अवसर मिला। फलस्वरूप सूचना तकनीक, वित्तीय क्षेत्र, विनिर्माण, फार्मा, एवं अन्य सेवा क्षेत्रों एवं तकनीकी क्षेत्र की कम्पनियों ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया जिसको निम्न आंकड़ों से समझा जा सकता है–

सर्वश्रेष्ठ 10 संपदा अर्जक (1995–2020)

Fastest		Biggest		Consistent			All-Round		
Company	25 years' Price CAGR	Company	NWC (Rs. in Billion)	Company	Consistency Count	25 years' Price CAGR	Company	Total of Ranks	25 years' Price CAGR
Infosys	30%	Reliance Industries	6,307	Kotak Mahindra	21	21%	Kotak Mahindra	20	21%
Pidilite Inds.	25%	Hind. Unilever	4,893	Berger Paints	20	24%	Pidilite Inds.	21	25%
Eicher Motors	25%	Infosys	2,700	HDFC	20	19%	Asian Paints	26	22%
Shree Cement	25%	HDFC	2,475	Pidilite Inds.	19	25%	Shree Cement	28	25%
Berger Paints	24%	Kotak Mahindra	2,293	Shree Cement	19	25%	Berger Paints	28	24%
Honeywell Auto	24%	ITC	1,945	Honeywell Auto	19	24%	Sun Pharma	29	23%
Sun Pharma	23%	Asian Paints	1,586	Motherson Sumi	19	23%	HDFC	29	19%

Bajaj Finance	23%	Nestle India	1,549	Asian Paints	19	20%	Bajaj Finance	32	23%
Motherson Sumi	23%	Bajaj Finance	1,162	Dabur India	19	20%	Dabur India	43	20%
Britannia Inds.	22%	Larsen & Toubro	998	Sun Pharma	18	23%	Eicher Motors	44	25%

Source : Moti Lal Oswal Wealth Creation Report 2020

उपरोक्त सारणी भारतीय उद्योग जगत की 500 सर्वश्रेष्ठ कम्पनियों के अध्ययन पर आधारित है। इस सारणी में इन 500 सर्वश्रेष्ठ कम्पनियों के गहन अध्ययन के बाद भारत की सर्वश्रेष्ठ दस कम्पनियों को निकाला गया है। कम्पनियों को चार मापदण्डों पर आँका गया है। सारणी के प्रथम कॉलम में उन कम्पनियों को दर्शाया गया है जो अध्ययन वर्ष 2020 के पूर्व के 25 वर्षों में सबसे तेज गति से बढ़ी हैं। सारणी के दूसरे कॉलम में गत पच्चीस वर्षों में उनके विकास की दर को CAGR (Compound Annual Growth Rate) के रूप में दिखाया गया है। सबसे ऊपर सबसे अधिक तीव्र गति से बढ़ने वाली कम्पनी को दिखाया गया है। उसके बाद; उससे कम दर से बढ़ने वाली कम्पनी को दर्शाया गया है। अन्तिम कम्पनी तक इसी प्रकार घटते क्रम में कम्पनियों को दिखाया गया है। आज भारतीय पूँजी बाजार 3.55 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूँजीकरण के साथ विश्व रैंकिंग में छठवें स्थान पर है।

सारणी के तीसरे कॉलम में उन कम्पनियों को दिखाया गया है जो निवल संपदा (Net worth) के आधार पर भारत में बड़ी कम्पनियाँ हैं। चौथे कॉलम में इन कम्पनियों की निवल संपदा को दर्शाया गया है। इस संपदा को सर्वश्रेष्ठ से घटते हुए क्रम में दर्शाया गया है। संपदा राशि अरब रूपयों में दर्शायी गयी है।

पाँचवे कॉलम में कम्पनियों को सतत् एवं स्थाई विकास के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ से घटते हुए क्रम में दर्शाया गया है। छठे कॉलम में सतत् विकास सूचक को सर्वोत्तम से घटते हुए क्रम में दिखाया गया है। सातवें कॉलम में इस केटेगिरी में पड़ने वाली कम्पनियों की गत पच्चीस वर्षों की वृद्धि को CAGR के रूप में दिखाया गया है।

आठवें कॉलम में उन कम्पनियों को दर्शाया गया है जो पूर्व में दिए गए तीनों आधारों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं। नवें कालम में कम्पनियों के पूर्व में तीनों आधारों में दिये गए रैंक के योग को दर्शाया गया है। अन्तिम कॉलम में उनके गत 25 वर्षों के CAGR को दर्शाया गया है।

मोतीलाल ओसवाल वैल्थ क्रियेशन रिपोर्ट 2020 की संकल्पना एवं क्रिया विधि

संपदा अर्जन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक कम्पनी अपने पूँजी निवेश के बाजार मूल्य को बढ़ा देती है। किसी व्यावसायिक संस्थान के विकास और सफलता को आंकने का यह एक मूलभूत आधार है। इस अध्ययन में EPS CAGR के स्थान पर PAT CAGR का प्रयोग किया गया है।

वर्ष 1995 से 2020 की अवधि में बी.एस.ई. सूचकांक मार्च 1995 के 3200 के स्तर से मार्च 2020 में 29500 पर पहुँचा। इस वृद्धि की CAGR 9.2 प्रतिशत थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वश्रेष्ठ 100 कम्पनियों ने 9.2% CAGR से अधिक का प्रत्याय प्रदान किया। अध्ययन की गयी इन कम्पनियों को 100 सबसे तेज संपदा अर्जक (Fastest Wealth Creators) कम्पनियों के रूप में पहचाना गया है। तत्पश्चात् कम्पनियों को निरपेक्ष रूप से उनके द्वारा अर्जित संपदा के आधार पर चिन्हित किया गया और उन्हें सर्वाधिक संपदा अर्जक के घटते हुए क्रम में दर्शाया गया है। इन कम्पनियों को सबसे बड़ी संपदा अर्जक (Biggest Wealth Creators) के रूप में दर्शाया गया है।

तीसरी श्रेणी में उन कम्पनियों को रखा गया है जो सतत् संपदा अर्जन कर रही हैं। उन्हें सतत् संपदा अर्जक (Consistent Wealth Creators) के रूप में पहचाना गया है। अध्ययन अवधि वर्ष 1995 से 2020 में 23 त्रिवर्षीय रोलिंग पीरियड्स जो कि 1995–98, 1997–2000 से बढ़ते हुए वर्ष 2017–2020 तक आए हैं, का प्रयोग किया गया है।

अन्ततः तीनों श्रेणियों सबसे तीव्र, सबसे बड़ी, तथा सतत् संपदा अर्जक के रैंक के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आलराउंड संपदा अर्जक कम्पनियों का आकलन किया गया है।

इस अध्ययन का उद्देश्य भारतीय उद्योग जगत के विकास, विस्तार, और संपदा अर्जन का विशद अध्ययन करना है। ऐसा करके हम भविष्य की अपनी विकास संभावनाओं का आकलन कर सकते हैं। विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से अपना तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। पूँजी निवेश की नवीन संभावनाओं का पता लगा सकते हैं। नवीन उद्योगों, व्यापार क्षेत्रों एवं और भविष्य की संभावनाओं का आकलन कर सकते हैं।

मोतीलाल ओसवाल वैल्थ क्रियेशन रिपोर्ट 2020 के निष्कर्ष

- वर्ष 1995 से 2020 के बीच सेवा क्षेत्र का उद्योग जगत में अभ्युदय हुआ। इनफोसिस 30% CAGR के साथ भारत की सबसे तीव्र गति से संपदा अर्जन करने वाली कम्पनी सिद्ध हुई।

- सर्वश्रेष्ठ 25 सबसे तेज गति से संपदा अर्जन करने वाली कम्पनियों का बाजार पूँजीकरण औसत रूप में 4 अरब रूपये था।
- सर्वाधिक तीव्र संपदा अर्जन इन 25 कम्पनियों में निवेशित वर्ष 1995 के 10 लाख रूपये बढ़कर वर्ष 2020 में 1620 लाख रूपये हो गए। यह गत 25 वर्षों में 23% CAGR प्रदान करता है।
- वर्ष 1995 से वर्ष 2020 के बीच रिलायंस इन्डस्ट्रीज 6.3 ट्रिलियन रूपये की संपदा अर्जन के साथ भारत की सर्वश्रेष्ठ मूल्य अर्जक कम्पनी बन गई। दूसरे स्थान पर 4.9 ट्रिलियन रूपये संपदा अर्जन के साथ हिन्दुस्तान यूनिलीवर का प्रदर्शन है।
- इनफोसिस तथा बजाज फाइनेन्स का मूल्य संवर्द्धन बहुत ही प्रभावित करने वाला है। यह दोनों कम्पनियाँ सर्वाधित तीव्रगति संपदा अर्जक (Fastest Wealth Creators) तथा सबसे बड़ी संपदा अर्जक (Biggest Wealth Creators) की सर्वश्रेष्ठ 10 कम्पनियों की सूची में स्थान पा रही हैं।
- इस अवधि में कोटक महिन्द्रा बैंक सबसे अधिक अवधि तक सतत् संपदा अर्जक के रूप में सामने आया है। कोटक महिन्द्रा बैंक अध्ययन अवधि के 23 क्रमिक चक्रों (Rolling Periods) में से 21 क्रमिक चक्रों में सूची की अन्य कम्पनियों की तुलना में आगे रहा है।
- इसके बाद बर्जर पेन्टस और एच.डी.एफ.सी. 20 क्रमिक चक्रों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्थान पाती है। सर्वश्रेष्ठ 10 सतत् संपदा अर्जक कम्पनियों (Consistent Wealth Creators) में से 6 कम्पनियाँ ऐसी हैं जो तीव्र गति से संपदा अर्जक कम्पनियों (Fastest Wealth Creators) की सूची में भी शामिल हैं। ये कम्पनियाँ हैं– बर्जर पेन्ट्स, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, श्री सीमेन्ट्स, हनीवैल ऑटोमेशन, मदरसन सूमी, एवं सन फार्मा।
- कोटक महिन्द्रा बैंक ने सतत् संपदा अर्जक के साथ सर्वश्रेष्ठ संपदा अर्जक (All-round Wealth Creator) के रूप में स्थान पाया है।
- अध्ययन में सम्मिलित कम्पनियों के बाजार पूँजीकरण (Market Capitalisation) तथा कर पश्चात् लाभों (PAT) का 50% वर्ष 1995 के बाद पूँजी बाजार में सूचित (Listed) होने वाली कम्पनियों से आता है। यह आंकड़ा हमारी कम्पनियों के सुनहरे भविष्य की ओर इंगित करता है।

सुझाव व निष्कर्ष

मोतीलाल ओसवाल वैल्थ क्रियेशन रिपोर्ट 2020 अध्ययन के निष्कर्ष बहुत ही उत्साह प्रदान करने वाले हैं। यह विश्व व्यापार के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक कर्मचारी किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए हजारों मील दूर स्थित किसी दूसरे देश या महाद्वीप में स्थित ग्राहक को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तकनीक के माध्यम से आज यह सब संभव है। आज सेवा क्षेत्र की कम्पनियाँ भारत में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को सुदूर अमरीका, यूरोप या विश्व के अन्य किसी भी स्थान पर अपने ग्राहकों को प्रदान कर रही हैं। भारत में स्थित हजारों बी.पी.ओ. (Business Process Outsourcing), के.पी.ओ. (Knowlewdge Process Outsourcing), डेटा ट्रांसमिटिंग, डेटा ऐनालिसिस, कन्टेन्ट राइटिंग, और न जाने कितने सेवा क्षेत्र हैं जिनमें काम करने वाली कम्पनियाँ भारत में रहते हुए अपने कर्मचारियों की सेवाएं अपने विदेशी ग्राहकों को प्रदान करते हुए लाखों डालर कमा रही हैं। लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है। आज उपभोक्ता वस्तुओं तथा पूँजीगत सामानों को भी बहुत कम लागत पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है।

सेवा क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों ने बहुत सफलता पाई है। आज तीस वर्षों के अन्तराल में सेवा क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इन कम्पनियों के विकास का अनुमान आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि तीस वर्ष पहले भारत सरकार के बजट में सेवा क्षेत्र से प्राप्त होने वाला राजस्व लगभग नगण्य था जो अब बढ़कर 53.89% हो गया है।

उपभोक्ता वस्तुओं एवं पूँजीगत उद्योग के क्षेत्र में भी विकास की अपार संभावनाएं हैं। बस आवश्यकता है कि सरकार भारतीय उद्योगपतियों के लिए नियमों को उदार बनाए। एकीकृत विकास एवं समाधान प्रणालियों को विकसित करे। नीतियां सतत् एवं सरल हों, समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया जाए, लालफीताशाही समाप्त हो, सरकारी अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। करों की लागतें कम की जाएं; ऊर्जा, परिवहन एवं अन्य लागतों को कम करने पर ध्यान दिया जाए। सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए। उद्योग जगत से सतत् विचार विमर्श करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। यदि सरकार ऐसा करती है तो आने वाला समय भारतीय उद्योग का स्वर्णकाल होगा।

संदर्भ

1. भारत 2020
2. मोतीलाल ओसवाल वैल्थ क्रियेशन रिपोर्ट 2020
3. इकोनॉमिक टाइम्स – विभिन्न अंक
4. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2020
5. बिजनेस स्टैंडर्ड डॉट कॉम
6. भारत की क्षेत्रवार जी.डी.पी.– statisticstimes.com

21

कोविड़-19 महामारी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था

डॉ0 मन्जू यादव
एसोसिऐट प्रोफेसर (बी०एड० विभाग)
श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़, उ०प्र०

डॉ० बी० पी० सिंह
एसोसिऐट प्रोफेसर (भूगोल विभाग)
एस०वी० कॉलेज, अलीगढ़, उ०प्र०

सारांश

वर्तमान में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऑकड़े और रूझान; अर्थव्यवस्था और लोगों के मिजाज में तेजी का संकेत दे रहे हैं। लोगों को कोविड़–19 संबंधी पाबंदियों और निराशा से बाहर आने पर राहत मिली है। त्यौहारों के मौसम ने खुशियों के लिए जरूरी बहाना और माहौल बना दिया है। कई बड़ी अर्थव्यवस्थायें जहाँ अपनी समस्याओं से जूझ रहीं हैं; वहीं भारत फिर से अपनी बड़ी आबादी का लाभ देख रहा है; जिसमें उन समस्याओं से निपटने के लिए खपत की प्रवृत्ति अंतर्निहित है। उम्मीद की जा रही है; कि अर्थव्यवस्था और लोगों पर पड़े कोविड–19 की मार से हम बाहर निकल आए हैं; और अब जीवन व आजीविका पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए इससे मुक्त हैं। अब हम उन उपायों पर ध्यान केन्द्रित करें; जो अर्थव्यवस्था में बहुत जरूरी पुनरूद्धार और उत्साह लाऐंगें; छोटे उद्यमों के लिये व्यवसाय को फिर से शुरू करेंगें और सकारात्मक बदलाव के लिए माहौल तैयार करेंगें।

मुख्य शब्द

अर्थव्यवस्था, कोविड़–19, पुनरूद्धार, उत्साह, छोटे उद्यम, सकारात्मक बदलाव।

प्रस्तावना

कोविड–19 महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। निवेशकों एवं उद्योग जगत के आशावाद के साथ सरकारी खर्चे के चलते भारत वित्त वर्ष 2021–2022 में 8.5–10 फीसदी की वृद्धि दर्ज कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भारत के विकास लक्ष्यों को इसी दायरे में रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने में अर्थव्यवस्था 50 खरब डालर तक और अगले दशक में सौ खरब डालर के रास्ते पर बढ़ सकती है।

वित्त वर्ष 2021–2022 के लिए नवीनतम सकल मूल्य वर्धित अनुमान बताते हैं कि इसकी पहली तिमाही में नॉमिनल जी0वी0ए0 26.8 फीसदी था; जबकि वित्त वर्ष 2020–2021 की पहली तिमाही में यह –20.2 फीसदी था। वित्त वर्ष 2020–2021 निश्चित रूप से कोविड़ महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते याद रहेगा। हालांकि वित्त वर्ष 2020–2021 की पहली तिमाही की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बढ़त के बावजूद देश की नॉमिनल जी0डी0पी0 पूर्णतः कोविड पूर्व की स्थिति में नहीं लौट पाई है। यह आंशिक रूप से दूसरी लहर के लॉकडाउन के असर के कारण है। क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चलता है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में कृषि में 11.3 फीसदी की वृद्धि हुई। यह इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करती है; जिस पर देश के कार्यबल का 43 फीसदी हिस्सा निर्भर है। इस अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र पिछले वर्ष के –38.2 फीसदी की तुलना में 67.1 फीसदी की दर से बढ़ा। भारत के प्रमुख विकास वाहक सेवा क्षेत्र में पिछले वर्ष के 19 फीसदी की तुलना में इस दौरान 17.8 फीसदी की वृद्धि हुई। इस साल विकास के बड़े ऑकड़े अगर अचंभित करते हैं; तो ऐसा पिछले साल की भारी गिरावट के कारण है। सेवा क्षेत्र के तहत व्यापार, होटल, परिवहन और संचार से संबंधित उप–क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। इसमें महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले कुछ क्षेत्र शामिल हैं; जैसे हवाई–यात्रा, आतिथ्य और होटल, रेस्तरां और भोजनालय। इस साल दूसरी लहर के दौरान इस क्षेत्र को फिर झटका लगा, पर अब यह पटरी पर लौट रहा है। बैंकिंग उप–क्षेत्र आशाजनक वृद्धि का प्रदर्शन कर रहा है। सितम्बर 2021 तक जमाराशियों में 9.13 फीसदी की वृद्धि हुई है; जबकि उधार 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। ये दरें उत्साहजनक हैं; पर भारत जिस तेज गति से विकास पथ पर लौटना चाहता है; उस लिहाज से कमजोर है। सकल गैर–निष्पादित संपत्ति (एन.पी.ए.) मार्च 2018 के 12 फीसदी से घटकर मार्च 2021 में 8 फीसदी रह गई। अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में मदद करने वाली रणनीतियाँ जारी हैं; मसलन, महामारी से पूर्व जो ब्याज दरें थीं; उनमें 1.5–2 फीसदी की कमी आई है। इसी तरह, आवास ऋण पर ब्याज दर महामारी से पहले के 8.5 फीसदी के औसत से 6.5 फीसदी के सर्वकालिक निचले स्तर पर है।

भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक संकेतक भी उल्लेखनीय हैं। अगस्त में मुद्रास्फीति 5.3 फीसदी थी, जो कम हो रही है; उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी0पी0आई0) सितम्बर में घटकर 4.35 फीसदी रह गया। अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई0पी0आई0) बढ़कर 11.8 फीसदी पर पहुँच गया। विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब डालर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। पिछले वित्त वर्ष में 82 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी एक रिकॉर्ड रहा। कॉरपोरेट सेक्टर भी मजबूती से उबर रहा है। अधिकांश कंपनियों ने फिर रिकॉर्ड गति से कर्ज का भुगतान किया है; और कॉरपोरेट उधारी भी कम हुई है।

कोविड–19 महामारी के बाद उभरती अर्थव्यवस्था

ऑकड़े बताते हैं; कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है; कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 25 फीसदी करने से उत्साह का माहौल है; और उद्योग जगत क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाने की बात कर रहा है। विदेशी व्यापार भी बढ़ रहा है। सितम्बर तक हमारा निर्यात 198 अरब डॉलर का था जो पिछले साल की इसी अवधि में 125 अरब डॉलर का था; यानी इसमें 58 फीसदी की वृद्धि हुई। हालांकि इसी अवधि में आयात 151 अरब डॉलर की तुलना में बढ़कर 276 अरब डॉलर हो गया है। व्यापार घाटा पिछले साल के 26 अरब डॉलर के मुकाबले बढ़कर 78 अरब डॉलर हो गया। बढ़ते व्यापार घाटे का मतलब यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार पहले की तरह नहीं बढ़ेगा और न ही बैंकिंग प्रणाली में तरलता पहले की तरह उच्च स्तर पर पहुँचेगी। इस समय तरलता 10–11 लाख करोड़ रूपये है। अंततः आर्थिक विकास को बढ़े हुए कर संग्रह में बदलना चाहिए। कर संग्रह वास्तव में पटरी पर लौट आया है; इस साल अप्रैल से अगस्त तक सकल कर संग्रह पिछले साल के 5.04 लाख करोड़ के मुकाबले 8.59 लाख करोड़ रूपये हो गया; जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 70 फीसदी की बढ़ोतरी है जो तेजी का संकेत है। अप्रैल–अगस्त में राजकोषीय घाटा पिछले साल के 8.7 लाख करोड़ से घटकर 4.68 लाख करोड़ रूपये रह गया है। सरकारी खर्च के कारण पूंजीगत व्यय में 28 फीसदी की वृद्धि हुई है। राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति निश्चित रूप से; सरकारी खर्च पर निर्भर करेगी। सरकार ज्यादा खर्च कर सकती है; जिसके परिणामस्वरूप समग्र खर्च, खपत और विकास में वृद्धि होगी; जिससे अंततः आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। उच्च उधारी की आशा से भारी तरलता के बावजूद सरकारी प्रतिभूति की दरों में वृद्धि हुई है। हालांकि, संकेत है; कि भारी व्यय के बावजूद सरकारी उधारी बजट से कम हो सकती है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि चिंताजनक है; जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यापक असुविधा हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कई संकेतक हैं। व्यापक आशावाद के साथ शेयर बाजार का मूल्यांकन 260 लाख करोड़ रूपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है; जो वर्तमान जी0डी0पी0 210 लाख करोड़ रूपये से बहुत ज्यादा है। भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण इस साल शीर्ष चौथे स्थान पर पहुँचने की संभावना है। इस साल सरकारी स्तर पर बड़े सुधार देखे गये; कोविड़ की बाधा के बावजूद बड़े स्तर पर खर्च बढ़ा है। यह आशावाद पूंजीगत व्यय में प्रवाहित होगा और उम्मीद है कि हम आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी देखेंगें।

आज हम जेनेरिक दवाइयों और वैक्सीन के दुनिया के सबसे बड़े निर्माता हैं। जेनेरिक दवाइयां बनाने वाली दुनिया की पाँच में से दो सबसे बड़ी कम्पनियाँ भारतीय हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता बन गया है। आज यदि हम कोविड–19 पर ठीक से काबू पा सके हैं तो उसकी यही वजह है।

पहला बड़ा निजी बैंक भी 1991 के बाद लॉच किया गया और आज इनमें से कई दुनिया के सबसे कीमती व कुशल बैंकों में शुमार हैं। अगले एक दशक में लगभग सभी बैंक पूरी तरह डिजिटल हो जाऐगें और पेटीएम, एयरटेल और इनके जैसे दूसरे डिजिटल बैंक को काफी उछाल मिलेगा। 1991 में आए आर्थिक सुधारों ने देश में टेलीकॉम क्रांति को जन्म दिया; लेकिन नीलामी के दौरान लगाई गई ऊँची बोली की वजह से उपभोक्ता को महंगी सेवाएं मिलीं; और कम्पनियों की विकास दर भी कम रही। लेकिन मा0 प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी के कार्यकाल में इस मामले को भी हल कर दिया गया और उसके बाद ही देश में टेलीफोन क्रांति आ पाई। आज हमारे देश में 118 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं; और शहरों में प्रति व्यक्ति 1.3 टेलीफोन कनेक्शन हैं। आज विकास की ज्यादा संभावना ग्रामीण क्षेत्रों में है जहाँ टेली घनत्व अब भी एक से कम है।

अतैव वह क्षेत्र, जहाँ चीन के बाद भारत बहुत लंबी छलांग लगा रहा है; वह है डिजिटलाइजेशन। विमुद्रीकरण यानी डिमॉनेटाइजेशन के बाद व्यापार का औपचारिकीकरण करने का दबाव बढ़ गया है और भारत के पास आज दुनिया क सबसे प्रगतिशील डिजिटल वित्तीय ऑर्किटेक्चर है। पिछले वर्ष जब अमेरिका कोविड़–19 से लोगों को हुए आर्थिक नुकसान से पार पाने के लिए अपने नागरिकों को चैक भेज रहा था; तो भारत ने करोड़ों लोगों को केवल एक बटन दबाकर 500 रूपये महीना उनके जनधन खातों में डिजिटल ट्रांसफर के जरिये पहुँचा दिए।

अतः तीन और बड़ी उपलब्धियाँ– जिनमें से दो मा0 प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के जमाने की और एक मा0 प्रधामंत्री श्री मनमोहन सिंह के शासनकाल की हैं। गरीबी में तेजी से कमी आयी, जो यू0पी0ए0 के समय शुरू हुआ। यू0पी0ए0 के शासनकाल के दौरान विकास में आई तेजी सडक परिवहन की सुदृढ़ संरचना के बिना संभव नहीं होती। यू0पी0ए0 के 10 वर्षों के शासनकाल में 27.1 करोड़ भारतीय गरीबी की रेखा से ऊपर आ गये। भारत के इतिहास में गरीबी इतनी तेजी से कभी नहीं घटी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कई संकेतक हैं। व्यापक आशावाद के साथ शेयर बाजार का मूल्यांकन 260 लाख करोड़ रूपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, जो वर्तमान जी0डी0पी0 210 लाख करोड़ रूपये से बहुत ज्यादा हैं। भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण इस साल शीर्ष चौथे स्थान पर पहुँचने की संभावना है। इस साल सरकारी स्तर पर बड़े सुधार देखे गये और कोविड़ की बाधा के बावजूद बड़े स्तर पर खर्च भी बढ़ा है। यह आशावाद पूँजीगत व्यय में प्रवाहित होगा, और उम्मीद है कि हम आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी देखेंगें।

आर्थिक गतिविधियों में सुधार घरेलू और व्यावसायिक अचल संपत्तियों की खरीद से जुड़ा है। जैसे–जैसे चीजें बेहतर होगी वें अभी, जिन्होंने कार्यालय बंद कर दिया था; अपने कार्यालय स्थापित करेगें और ऐसा ही शहरी क्षेत्रों में प्रवासी आबादी के साथ होता है; जो बेहतर आर्थिक संभावनाओं के लिए शहरों में वापस आते हैं। इससे निर्माण, सीमेंट, टाइल्स, पेंट, और सेनेटरी वेयर कम्पनियों को काफी फायदा होगा। साथ ही, रियल स्टेट डेवलपर्स, श्रम और सुरक्षाकर्मियों के लिए संभावनाऐं बढेंगीं।

स्वास्थ्य सेवा ही ऐसा क्षेत्र था, जिस पर कोविड़–19 का अधिकतम प्रभाव पड़ा; उसमें और बेहतर संभावनाऐं दिखाई देंगीं क्योंकि गैर–कोविड़ नियमित स्वास्थ्य सेवा पुनः पटरी पर लौटेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा पर कई राज्य और केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के शुरू होने के साथ–साथ नर्सों, तकनीशियनों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अन्य रोजगार की संभावनाओं में भी वृद्धि होगी, जो एक सुचारू ढंग से संचालित अस्पताल नेटवर्क के लिए जरूरी है।

शेयर बाजार बढ़त पर है और बचत वाले लोग शेयर बाजारों में निवेश कर रहे हैं। विशेष रूप से हाल के महीनों में बाजार में आई0पी0ओ0 की बाढ़ आ गई है। इस बीच, होमलोन की कम ब्याज दरों के साथ, घर खरीदारों के बीच त्यौहारी सीजन में घर खरीदने के लिए कर्ज लेने में दिलचस्पी बढ़ी है। जैसे, कई ऑनलाइन प्लेटफर्म के साथ बी0एन0पी0एल0 ट्रेंड लोगों को अभी खरीदारी करने और बाद में अपनी खरीदारी का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है; वित्तीय सेवा उद्योग ने हाल के वर्षों में इससे अधिक आकर्षक ऑफर नहीं देखा।

निष्कर्ष

अतः कुल मिलाकर ऑकड़े और रूझान; अर्थव्यवस्था और लोगों के मिजाज में तेजी का संकेत दे रहे हैं। लोगों को कोविड़–19 संबंधी पाबंदियों और निराशा से बाहर आने पर राहत मिली है। त्यौहारों के मौसम ने खुशियों के लिए जरूरी बहाना और माहौल बना दिया है। कई बड़ी अर्थव्यवस्थायें जहाँ अपनी समस्याओं से जूझ रहीं हैं; वहीं भारत फिर से अपनी बड़ी आबादी का लाभ देख रहा है; जिसमें उन समस्याओं से निपटने के लिए खपत की प्रवृत्ति अंतर्निहित है। उम्मीद की जा रही है; कि अर्थव्यवस्था और लोगों पर पड़े कोविड–19 की मार से हम बाहर निकल आए हैं; और अब जीवन व आजीविका पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए इससे मुक्त हैं।

हमारे त्यौहारी मौसम, दुकानदारों के लिए खास मायने रखते हैं क्योंकि इस दौरान आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। उत्सव अपने तरीके में आर्थिक प्रगति में योगदान करते हैं। वास्तव में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में काम करने वाले लोगों ने वर्ष 2020 में बहुत कुछ खोया। लेकिन इस साल चीजें उत्साहजनक हैं। सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए बकाया राशि जारी करके, उनके हाथों में अधिक नकदी डालकर जिसे खर्च किया जा सकता है; उत्साह बढ़ाया है। आवश्यकता है कि अब हम उन उपायों पर ध्यान केन्द्रित करें; जो अर्थव्यवस्था में बहुत जरूरी पुनरूद्धार और उत्साह लाऐंगें; छोटे उद्यमों के लिये व्यवसाय को फिर से शुरू करेंगें और सकारात्मक बदलाव के लिए माहौल तैयार करेंगें।

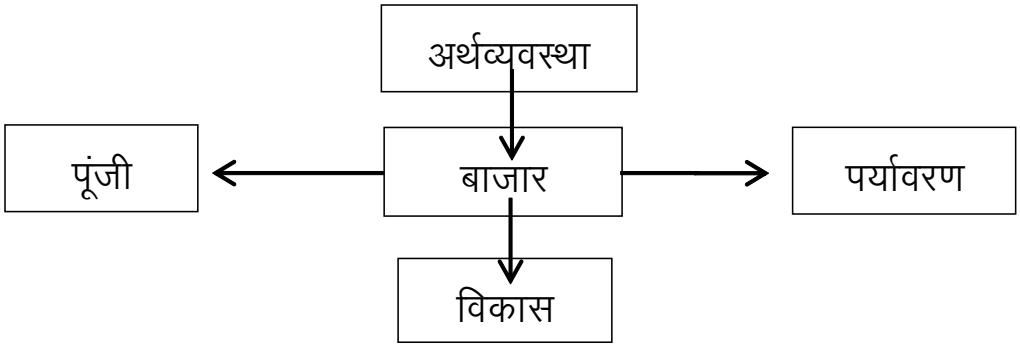

संदर्भ

1. एस0 के0 जैन – ''भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास'' (2017)
2. टी0 वी0 मोहनदास एवं निशा होटा – ''महामारी से निकलती अर्थव्यवस्था'' (2021)
3. नटराज कृष्णमूर्ति – ''अर्थव्यवस्था एवं विकास'' (2021)

22

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तराखण्ड़ के गाँवों में वापस लौटते प्रवासी

डॉ0 राम चन्द्र सिंह
असिस्टैंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र विभाग)
राजकीय महाविद्यालय गैरसैंण, चमोली, उत्तराखण्ड़

सारांश

उत्तराखण्ड़ में अपार प्राकृतिक संपदाएं (वन, जल, खनिज) हमें विरासत के रूप में मिली हैं, किन्तु इन संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। प्रकृति के साथ लगातार छेड़–छाड़, सड़कों के निर्माण में विस्फोटकों का प्रयोग, सुरंग निर्माण, पहाड़ी जनपदों के लिए लगातार भूस्खलन, बादलों का फटना आदि विनाशकारी सिद्ध हुआ है। विगत कई वर्षों से पर्यावरण असन्तुलन पर्वतीय जनपदों में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। आपदा की निरन्तर मार को झेल रहे उत्तराखण्ड़ में पलायन चरम पर था। रोजगार, शिक्षा तथा बेहतर चिकित्सा सुविधा के अभाव में गॉव के गॉव लगातार खाली होते जा रहे थे। ये ग्रामीण क्षेत्र देश की सुरक्षा के लिहाज से अद्वितीय रक्षा कवच का काम करते हैं, किन्तु सुविधाओं के अभाव में ये ग्रामीण क्षेत्रवासी, मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे थे। शिक्षा को लेकर एक गंभीर बिडम्बना यह है कि शिक्षित होकर युवा वर्ग मैदानों की ओर पलायन कर रहे हैं। जो युवा बाहरी राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, वे भी पुनः अपने मूल स्थानों को वापस आने को तैयार नहीं थे। उत्तराखण्ड़ राज्य से पलायन को रोकना सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। कोरोना महामारी ने जहां सम्पूर्ण विश्व को हैरान किया है, वहीं विश्व के आर्थिक जगत को भी इस महामारी ने गर्त में पहुॅचा दिया है। चारों तरफ महामारी के आतंक से विश्व समुदाय डरा हुआ है। वहीं आर्थिक उन्नति में विश्व के सभी देश पिछड़ गये हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली जैसे विकसित देश भी इस महामारी की चपेट से बच नहीं पाये हैं। सभी देशों में आर्थिक हानि के साथ साथ मानवीय हानि भी बहुत हुई है। महामारी के कारण सभी देशों में बेरोजगारी चरम पर है। उद्योगों में श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोने के लिए कोरोना ने मजबूर किया है जिससे औद्योगिक क्षेत्र ठप पडे हैं, उत्पादक हतोत्साहित हो रहे हैं। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं जिससे आर्थिक जगत को भारी नुकसान पहुॅचा है, नतीजा यह हुआ कि प्रवासी लोग पुनः घरों को लौटने के लिए विवश हुए हैं। अब लोग समझने लगे हैं कि पलायन करना उनके लिए उचित नहीं है। गॉवों में शुद्ध वातावरण, शुद्ध जल, शान्त वादियां स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। यहॉ व्यक्ति आराम से जीवन यापन कर सकता है। यदि उत्तराखण्ड़ के श्रमिकों को अपने क्षेत्र में ही मूलभूत सुविधाएं, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं व बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाये तो पलायन पर निश्चित रूप से रोक लग सकती है।

मुख्य–शब्द

पलायन, रिवर्स–पलायन, मूलभूत सुविधाएं, व्यापारिक गतिविधियां।

वर्तमान पीढी अपने भविष्य को सुरक्षित तथा आत्म निर्भर बनाने के लिए अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य तथा रोजगार की तलाश में लगातार पलायन कर रही है। किन्तु कोरोना काल में इस पर रोक लग गयी। महामारी के कारण लोग अपने परम्परागत व्यवसायों को अपनाने लगे हैं। बाहरी राज्यों से लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। उत्तराखण्ड़ में रिवर्स पलायन राज्य के लिए एक अच्छा संकेत है, राज्य के खाली होते गॉवों में पुनः रौनक लौट आई है। बंजर पडे हुए खेत खलिहान अब आबाद होने लगे हैं जो राज्य के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही शुभ है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उदर पूर्ति के लिए यहां के निवासी लगातार अपने को समय के अनुसार परिवर्तित करते रहते हैं। आज वापस लौट चुके प्रवासियों के सम्मुख एक बड़ी चुनौती है कि वे कैसे अपने रोजगार को पुनः स्थापित करें। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। कैसे वापस लौटे प्रवासियों के लिये उसी स्थान पर रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जायें ताकि वे पलायन की आवश्यकता महसूस न कर सकें। कोरोना काल के दौरान व्यापारिक गतिविधियां अब पहले की तुलना में काफी बहुत बदल चुकी हैं। व्यावसाय का बदलता स्वरूप अब नवीन रूप धारण कर चुका है। लोग घरों में बैठ कर ही ऑनलाईन रोजगार प्राप्त कर ले रहे हैं। इन्टरनेट ने रोजगार को आसान बना दिया है, जो रिवर्स पलायन करने वाले लोगों के लिए और भी बेहतर विकल्प हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत एवं चीन सीमा से सटे इलाकों को बसाने के लिए सफल प्रयास एवं इसके महत्व को भांपते हुए गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है[1] ताकि सीमा क्षेत्रों से घुसपैठ न हो सके, क्योंकि उत्तराखण्ड़ राज्य की सीमा भी चीन से लगी हुई है। वहां सड़कों का जाल

बिछा कर सीमा क्षेत्रों के गॉवों को पूर्णतः तकनीकी रूप से विकसित किया जाय। शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करायें जायें। जो गॉवों में लौटे प्रवासी हैं, उनके लिए स्वयं उत्पादकता बढानी वाली योजनाओं का लाभ दिया जाये। राज्य में शिक्षा के स्तर को उच्च किया जाये, स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर स्थिति को बेहतर बनाया जाये जिससे वहां के जन समुदाय को इसका लाभ मिल सके। कोरोना महामारी ने यहां के जनमानस को यह सिखा दिया कि अपने गॉवों को छोड कर बाहरी राज्यों की ओर पलायन करना उनकी बहुत बडी भूल थी।

वर्तमान पीढ़ी अपने भविष्य को सुरक्षित तथा आत्म निर्भर बनाने के लिए अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य तथा रोजगार की तलाश में लगातार पलायन कर रही थी। पहाडी अंचलों के गरीब आज भी गरीब नजर आते हैं, जिनके पास आजीविका हेतु कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य आय के स्रोत नगण्य हैं। लघु उद्योगों, स्वरोजगार, उद्यमिता विकास, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार परक शिक्षा के लिए युवा आज भी उम्मीद लगाये हुए है। उत्तराखण्ड़ की सीमाएं सामरिक दृष्टि से अत्याधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि उत्तराखण्ड़ की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा चीन से लगी हुई है। इसकी अनदेखी भारत के लिए संसाधनों की दृष्टि से ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी घातक सिद्ध हो सकती है। उत्तराखण्ड़ में अपार प्राकृतिक संपदाएं (वन, जल, खनिज) हमें विरासत के रूप में मिली है, किन्तु इन संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। प्रकृति के साथ लगातार छेड़–छाड़, सड़कों के निर्माण में विस्फोटकों का प्रयोग, सुरंग निर्माण, पहाड़ी जनपदों के लिए भूस्खलन, बादलों का फटना आदि विनाशकारी सिद्ध हुआ है। विगत कई वर्षों से पर्यावरण असन्तुलन पर्वतीय जनपदों में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। आपदा की निरन्तर मार को झेल रहे उत्तराखण्ड में पलायन चरम पर था। रोजगार, शिक्षा तथा बेहतर चिकित्सा सुविधा के अभाव में गांव के गांव लगातार खाली होते जा रहे थे। ये ग्रामीण क्षेत्र देश की सुरक्षा के लिहाज से अद्वितीय रक्षा कवच का काम करते हैं, किन्तु सुविधाओं के अभाव में यहां के वासी लगातार अन्य राज्यों की ओर प्रवास के लिए मजबूर हो रहे थे।

यदि इन पर्वतीय जनपदों, कस्बों, गॉवों में बेहतर शिक्षा साधन, स्मार्ट हास्पिटल खोल दिये जायें तो अन्य राज्यों से वापस आने वाले व्यक्तियों को कुछ राहत मिल सकती है। प्रत्येक विकास खण्ड़ में सेन्टर स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा मेडिकल कॉलेज खोलना इस दिशा में नवीन प्रयोग होगा। प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाना चाहिए। लघु और कुटीर उद्योगों के साथ साथ उद्यमिता विकास, जन सम्पर्क सेवाओं, रेल सेवाओं का विकास तथा औद्योगिक बस्तियों की स्थापना इस राज्य में पलायन को रोकने के लिए अधिक कारगर होगी। मंडुवा, झंगोरा, कोणी, दालें आदि उपयोगी फसलें हैं, जो बीमारियों से व्यक्ति को मुक्त रखती हैं, किन्तु इनका उत्पादन ग्रामीणों द्वारा नहीं के बराबर हो रहा है। बाजारी वस्तुओं पर उनकी अधिक निर्भरता ने उन्हें अकर्मण्य बना दिया है। कोरोना काल से पूर्व शहरी चकाचौंध ने उन्हें शहरों की ओर पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। रोजगार की दृष्टि से उत्तराखण्ड़ काफी पिछड़ा हुआ है। रोजगार के नाम पर मात्र शिक्षा और सैन्य सेवाओं में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर शून्य ही कहे जा सकते हैं। शून्य औद्योगिक प्रदेश होने के नाते रोजगार के अवसर भी शून्य हैं। उत्तराखण्ड़ को यदि रोजगार प्रदेश बनाना है, तो उद्योगों का तीव्रता के साथ विकास किया जाना आवश्यक है जिससे यहां के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। उद्योगों के संरचनात्मक ढॉचे का तीव्रता के साथ विकास किया जाना आवश्यक है जिससे यहां के नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

कोरोना से पूर्व उत्तराखण्ड़ में पलायन की स्थिति

कोरोना से पूर्व राज्य में पलायन चरम पर था। लोग रोजगार की तलाश में गांवों को छोड़ कर शहरों की ओर प्रवास कर रहे थे, जो उनकी मजबूरी थी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं के अभाव में लोगों के पलायन को तालिका 01 से स्पष्ट समझा जा सकता है–

तालिका 01

उत्तराखण्ड़ राज्य के जनपदों में पलायन का कारण (प्रतिशत में)

जनपद	रोजगार	स्वास्थ्य	शिक्षा	मूलभूत सुविधाएं
उत्तरकाशी	14.77	6.04	17.44	2.29
चमोली	49.30	10.83	19.73	4.93
रूद्रप्रयाग	52.90	8.64	15.67	4.43
टिहरी	52.43	7.84	18.24	3.07
देहरादून	56.13	6.33	12.50	1.20
पौड़ी	52.58	11.26	15.78	3.03
पिथौरागढ़	42.81	10.13	19.52	4.97
बागेश्वर	41.39	9.09	14.49	4.32
अल्मोड़ा	47.78	8.61	11.75	3.81
चम्पावत	54.90	6.67	10.24	5.46
नैनीताल	53.70	7.79	10.37	4.96
ऊधमसिंह नगर	65.63	4.27	3.52	0.60
हरिद्वार	76.60	1.62	2.73	0.05

स्रोत– उत्तराखण्ड़ पलायन आयोग, मई 2018 में जारी आंकड़े।

तालिका 01 से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड़ राज्य में पलायन का मुख्य कारण रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। रोजगार के अभाव में जनपद ऊधमसिंह नगर में जहां 65.63 प्रतिशत लोगों द्वारा पलायन किया गया, वहीं रोजगार हेतु पलायन प्रतिशत 14.77 प्रतिशत सबसे कम उत्तरकाशी जनपद का रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण 11.26 प्रतिशत पलायन पौड़ी जनपद एवं सबसे कम 1.62 प्रतिशत हरिद्वार जनपद का रहा। शिक्षा सुविधाओं की कमी के कारण सर्वाधिक पलायन जनपद चमोली 19.73 प्रतिशत जबकि सबसे कम 2.73 प्रतिशत हरिद्वार का रहा। वहीं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सर्वाधिक पलायन करने वाला जनपद चम्पावत 5.46 प्रतिशत एवं सबसे कम हरिद्वार जनपद 0.05 प्रतिशत रहा है।

तालिका 02

कोराना काल में रिवर्स पलायन की स्थिति

क्रम सं0	जनपद	कोविड–19 महामारी के कारण राज्य के विकास खण्ड़ों में लौटे प्रवासियों की संख्या सितम्बर 2020	विकास खण्ड़ों में लौटे प्रवासियों में से माह सितम्बर 2020 अंत तक पुनः पलायन करने वाले प्रवासियों की संख्या
1	रूद्रप्रयाग	29497	4459
2	टिहरी	40420	12398
3	उत्तरकाशी	18767	4507
4	हरिद्वार	3952	1779
5	देहरादून	4129	2018
6	चमोली	20909	6900
7	पौड़ी	95079	15101
8	ऊधमसिंह नगर	22220	3538
9	चम्पावत	17830	5693
10	पिथौरागढ़	22792	5869
11	नैनीताल	22439	8673
12	अल्मोड़ा	35344	28861
13	बागेश्वर	24158	5053
	योग	357536	104849

स्रोत–ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, उत्तराखण्ड़, पौड़ी जून 2021।

तालिका 02 में कोविड–19 महामारी के कारण राज्य के विकास खण्ड़ों में लौटे प्रवासियों की संख्या सितम्बर 2020 के अनुसार दर्शायी गयी है। सबसे अधिक वापस लौटने वाले प्रवासी जनपद टिहरी में 40420 एवं सबसे कम वापस लौटने वाले प्रवासी जनपद हरिद्वार में 3952 हैं। जबकि माह सितम्बर 2020 में जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड़ों में लौटे प्रवासियों में से माह सितम्बर 2020 अंत तक पुनः पलायन करने वाले प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक जनपद अल्मोड़ा 28861 व्यक्ति एवं सबसे कम जनपद हरिद्वार में 1779 व्यक्ति रहें हैं।

तालिका 03

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण लौटे प्रवासियों के आंकड़े

क्रम सं0	जनपद	अन्य राज्यों से लौटे प्रवासियों की संख्या	देश के बाहर से लौटे प्रवासियों की संख्या
1	रूद्रप्रयाग	528	65
2	टिहरी	5411	69
3	उत्तरकाशी	415	0
4	हरिद्वार	27	0
5	देहरादून	112	3
6	चमोली	1419	26
7	पौड़ी	1949	0
8	ऊधमसिंह नगर	337	0

9	चम्पावत	2420	53
10	पिथौरागढ़	1620	7
11	नैनीताल	2742	3
12	अल्मोड़ा	10155	0
13	बागेश्वर	2007	1
	योग	34360	227

स्रोत–ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, उत्तराखण्ड़, पौड़ी जून 2021।

तालिका 03 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वापस लौटे प्रवासियों में से सबसे अधिक प्रवासी जनपद टिहरी में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासियों की संख्या 5411 लोग एवं 69 लोग विदेशों से थे जबकि सबसे कम जनपद हरिद्वार में 27 लोग बाहरी राज्यों से वापस अपने घरों को लौट कर आये हैं।

प्रतिभा का रिवर्स पलायन उस क्षेत्र के लिए बौद्धिक लाभ पैदा कर सकता है। उत्तराखण्ड़ राज्य के कई बुद्धि जीवी यह अनुभव करने लगे हैं कि उनके गॉवों से बेहतर कार्य करने के लिए स्वस्थ वातावरण और कहीं नहीं मिल सकता है। बुद्धिजीवी वर्ग का लाभ निश्चित रूप से राज्य के उन निवासियों को मिल सकता है, जो उचित मार्ग दर्शन के बिना स्व–रोजगार नहीं अपना पा रहे हैं। पलायन से वापस लौटे व्यक्तियों को स्व–रोजगार के लिए बैकों से सुलभ ऋण व्यवस्था के साथ साथ नये नये उद्यमिता विकास के तरीकों एवं बेरोजगारों को प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो एक उचित पहल है। कुछ अन्य पहल भी आवश्यक हैं जो निम्नवत हैं ––

कृषि विकास

उत्तराखण्ड़ के ग्रामीण अंचल में कृषि विकास हेतु नहर, नलकूपों के द्वारा सिंचाई सुविधाओं, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्र की व्यवस्था एवं इनको उचित मूल्यों पर किसानों को प्रदान किया जाना, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उचित प्रयास किये जा रहे हैं। खेतों की सुरक्षा हेतु दीवारें ऊंची की जा रही हैं, ताकि जंगली जानवर खेतों में प्रवेश न कर सकें। तिलहन, दलहन, सोयाबीन, गहत, सरसों, गन्ना आदि व्यापारिक फसलों के उत्पादन को बढावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में बैंकों द्वारा कृषकों के लिए सस्ती ऋण नीति एवं नवीन परिवर्तन के लिए हर स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। कृषि बागवानी, फलोत्पादन, फूलों की खेती, जड़ी–बूटी, ग्रीन बोनस के तहत ग्रामीणों को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है।

उद्यमिता विकास

उद्यमिता विकास प्रक्रिया को शुरू करने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल नवप्रवर्तन ही नहीं बल्कि संगठनात्मक ढॉचों, व्यापारिक गतिविधियों, कुशल श्रम तथा उचित मूल्यों, वृत्तियों और प्रेरणाओं जैसे अनेक साधनों का संयोग आवश्यक होता है।[2] उद्योगों के संगठनात्मक ढांचे का तीव्रता के साथ विकास किया जाना आवश्यक है जिससे यहां के नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। उद्यम स्थापना हेतु उद्यमियों को समय समय पर बैंको द्वारा ऋण सुविधा के साथ साथ मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, फलोत्पादन, फूलों की खेती, चाय बागवान, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, जडी–बूटी उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाय। जो लघु व कुटीर उद्योग मृत प्रायः हो चुके हैं, उन उद्योगों को पुनः विकसित किया जाय। लघु व कुटीर उद्योगों से निर्मित वस्तुओं जैसे रिंगाल के बर्तन, टोकरी, बॉस की कुर्सी, मेज, सोफा, मोड़ा, मिट्टी के घड़े, दिये, धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती, लकडी की कुर्सी, मेज, कम्बल, दन, चटाइयां, भेड़ की ऊन से निर्मित स्वेटर, मफलर, टोपी आदि की बिक्री को अनिवार्य कर दिया जाय, ताकि इन उद्योगों को पुनः आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जा सके।

रेल सेवा

उत्तराखण्ड़ के पर्वतीय जनपदों को रेल सेवा से जोड़कर डबल लाइन ट्रैक का निर्माण करना अपने आप में एक बडी उपलब्धि हो सकती है, इससे युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होगें और पलायन निश्चित रूप से रूकेगा। साथ ही रेल मार्ग को सभी पर्यटक स्थलों से जोड़ कर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी सुगम्य होगा। रेल यातायात विकसित होने से उद्योगों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जायेगा, जिसे औद्योगिक उन्नति के साथ ही उद्योगों में रोजगार के अवसर तेजी से बढेंगें। रेल यातायात से उत्तराखण्ड़ के कुटीर उद्योगों द्वारा तैयार पारम्परिक वस्तुओं को अन्य राज्यों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान में ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल मार्ग का कार्य अपने अन्तिम चरण में है। इससे चारधाम यात्रा मार्ग पर आवाजाही सुलभ होगी। रेल मार्ग पर स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्धा होगा, जो रिवर्स पलायन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। टनकपुर–बागेश्वर, रामनगर–चखुटिया रेलमार्ग का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। इन रेलमार्गों से कुमाऊॅ एवं गढ़वाल का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित होगा। इसका निर्माण कार्य अतिशीघ्र होने पर पर्यटन उद्योग को बढावा मिलेगा जो रिवर्स पलायन को मजबूती प्रदान करेगा।

विद्युत उत्पादन

अविरल बहती नदियों से ग्रामीण अंचल के खेत खलियानों को सिंचाई के लिए जलापूर्ति की उचित व्यवस्था करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। स्थल खण्ड में बहती हुई इन जल धाराओं का तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए उपयोग नहीं किया गया तो निश्चित ही आर्थिक हानि होगी।[3] ये नदियां विद्युत ऊर्जा के अपार स्रोत हैं, किन्तु इसके बावजूद भी ग्रामीण अंचल अभी भी अंधकार की चपेट में हैं। प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों में घण्टों बिजली गायब रहने की आम बात हो गयी है। अतः इस स्थिति से निपटने के लिए छोटे–छोटे डैम बनाये जायें, जिससे विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भता प्राप्त की जा सके।

रोजगार

रोजगार की दृष्टि से उत्तराखण्ड़ काफी पिछड़ा हुआ है। रोजगार के नाम पर मात्र शिक्षा और सैन्य सेवाओं में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर शून्य ही कहे जा सकते हैं। शून्य औद्योगिक प्रदेश होने के नाते रोजगार के अवसर भी शून्य हैं। उत्तराखण्ड को यदि रोजगार प्रदेश बनाना है, तो उद्योगों का तीव्रता के साथ विकास किया जाना आवश्यक है जिससे यहां के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। नवीन तकनीक द्वारा पर्यटकों के ठहरने हेतु होटलों, अतिथि आवास गृहों तथा विश्राम गृहों का निर्माण तीव्रता से किया जाय। स्मार्ट ग्रामों में ग्राम प्रहरी के रूप में रोजगार मुहैया कराना, प्राइमरी व माध्यमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों की तर्ज पर विकसित करना, चिकित्सा व्यवस्था में सुधार कर जिला स्तर पर मेडिकल कालेजों व ब्लाक स्तर पर इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना, आपदा प्रबंधन हेतु अलग से आपदा प्रबन्धन दलों को तैयार करना जो ग्राम, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर में प्रभावशाली कार्य करने के लिए तत्पर हों, और लौटे हुए प्रवासियों को भी रोजगार के लिए पुनः बाहरी राज्यों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

उत्तराखण्ड़ सरकार की बहुप्रत्याशित योजना होम–स्टे, एक ऐसी योजना है जिसमें गॉवों में पलायन के कारण खाली हो चुके उत्तराखण्ड़ शैली के नक्काशीदार भवनों का जीर्णोद्धार कर उन्हें पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ अपनी संस्कृति, सभ्यता, खानपान को संरक्षण प्रदान करने का एक अवसर देती है। यह योजना रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करती है, साथ ही पलायन कर चुके लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करती है।

निष्कर्ष

रिवर्स माइग्रेशन से राज्य में एक बार पुनः बंजर खेतों एवं घरों में रौनक लौट आई है। राज्य में कोरोना से पूर्व पलायन एक विकट समस्या थी, जो नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के जमावड़े को बढ़ा रही थी। पलायन से नगरों में यातायात प्रभावित हो रहा था। खाद्यान्नों की आपूर्ति मांग के अनुरूप समायोजित नहीं हो पा रही थी, जिससे वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में मिलावटखोरी को प्रोत्साहन मिल रहा था। मिलावटी वस्तुओं के सेवन से कैन्सर जैसी भयानक बीमारी दस्तक दे रही है। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण, महामारी, दुर्घटना, चोरी–डकैती, अपहरण, लूटमार जैसी समस्याएं दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। काम की तलाश में श्रमिक वर्ग पलायन के लिए मजबूर है। श्रमिक उत्पादन का एक अहम हिस्सा है जो अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर बाजार में अपनी मांग उत्पत्ति के अन्य साधनों के साथ समायोजित कर देश की उन्नति में लगातार अपना सहयोग जीवन निर्वाह मजदूरी के साथ करता है। यदि देश में मिलावटी वस्तुओं पर नियंत्रण नहीं किया गया तो लोगों को स्वस्थ भोजन उपभोग हेतु उपलब्ध नहीं हो पायेगा, जो निश्चित रूप से उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा। यद्यपि उत्पादन को तैयार करने में श्रमिकों का कठिन परिश्रम होता है, तथापि उसकी कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता से ही देश प्रगति करता है। यदि श्रमिक को अपने क्षेत्र में ही मूलभूत सुविधाएं, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा व बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाय तो रिवर्स पलायन करने वाले लोगों को सुखद अनुभव के साथ साथ यह वरदान सिद्ध होगा।

संदर्भ

1. मिश्रा राजेश, राजनीति विज्ञान, सातवां संस्करण, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड हिमायतनगर, हैदराबाद, 2020, पृ0– 424 ।
2. झिंगन एम0 एल0 – आर्थिक विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन, चतुर्दश संस्करण पुनः मुद्रित 2011 पृ0 111 ।
3. नेगी प्रीतम सिंह– भारत में ऊर्जा के स्रोत संरक्षण और विकास 1988 पृ0 85 ।
4. उत्तराखंड़ पलायन आयोग, मई 2018।
5. कुमार विमल 2005, ग्राम विकास और अप्रवासी भारतीय, भारतीय पक्ष 2005।
6. कुमार यशवंत 2013, अपने बूते गांव का विकास, आर्टिकल पत्रिका न्यूज मार्च 2013 ।
7. चौहान सुरेन्द्र सिंह 2009, ऐसे होगा गांव समग्र विकास, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आर्टिकल Panchjanya 2009 ।

23

भारत में आपदा प्रबंधन -- आलोचनात्मक व्याख्या

डॉ0 सुमन मलिक
असिस्टैंट प्रोफेसर (कंप्यूटर विज्ञान विभाग)
राजकीय कॉलेज, हंसी (हिसार), हरियाणा

सारांश

जब भी आपदाएं आती हैं तो विनाश का कारण बनती हैं। ज्यादातर आपदाएं प्राकृतिक होती हैं लेकिन कुछ मानव जनित भी होती हैं। आपदाओं के कारण प्रकृति में असंतुलन पैदा होता है जो विकास में बाधक होता है। प्राकृतिक आपदायें जैसे– भूस्खलन, भूकम्प, सुनामी, सूखा, बाढ़, ज्वालामुखी, चक्रवात, हिमखण्डों का पिघलना आदि हो सकती हैं। कुछ आपदाएं मानव द्वारा किए गए अविवेकपूर्ण कार्यों से आती हैं। उचित प्रबंधन व परस्पर सहयोग से ही इन आपदाओं से बाहर निकला जा सकता है। आपदा प्रबंधन को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है– 1. आपदा से पूर्व 2. आपदा के पश्चात्। इस पेपर में हम भारत में आपदा प्रबंधन पर चर्चा करेंगे।

मुख्य शब्द

आपदा, प्राकृतिक, बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, प्रबंधन।

परिचय

भारत एक विविधताओं से भरा देश है। इसकी प्राकृतिक संरचना में पहाड़ों, नदियों व समुद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। असंख्य लोग आजीविका के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जब प्रकृति में असंतुलन पनपता है, तब आपदायें आती हैं और इनकी वजह से प्रगति रुक जाती है और पहले से किए हुए विकास कार्य धराशाई हो जाते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं में भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, टिड्डी दल का हमला, समुद्री तूफान, महामारी, शीतलहर और गर्म हवाएँ आदि शामिल हैं। इनके अलावा कुछ मानव जनित आपदायें भी हो सकती हैं जैसे– आतंकवाद, साम्प्रदायिक दंगे, आगजनी, सड़क, वायु व रेल दुर्घटनाएँ आदि। इसके अतिरिक्त भी अनेकों प्रकार की आपदायें होती हैं जो मानव जीवन को तहस नहस कर देती हैं। भारत में 2000 से 2020 के बीच में भूकम्प 18 बार, भयंकर बाढ़ 14 बार और चक्रवात 11 बार आ चुके हैं जिनसे जन–जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और बड़े पैमाने पर आर्थिक और जन–जीवन की हानि हुई।

मनुष्य अपनी सुविधानुसार और सुरक्षा के लिए रोज नई नई खोज करता रहता है। सड़क पर बढ़ता हुआ यातायात और घर में बढ़ता हुआ सामान जैसे फ्रिज, माइक्रोवेव आदि से हानिकारक गैस निकलती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। मनुष्य की इन गतिविधियों से अनेक प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है।

बाढ़

किसी बड़े भूभाग का जलमग्न होना, बाढ़ कहलाता है। बाढ़ कई कारणों से आ सकती है जैसे बांध का टूटना, भूस्खलन, अतिवृष्टि आदि। केंद्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1953 से 1990 के मध्य औसत रुप से प्रतिवर्ष 7944 मि.ली. हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देश की 25 करोड़ आबादी उन क्षेत्रों में निवास करती है जिनमें बाढ़ की आपदा की संभावना अधिक रहती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम विशेष कार्यकारी दल के अनुमान के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 45.64 मिलियन हैक्टेयर था जिसमें से 16.475 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र मार्च 2004 के अंत तक संरक्षित था। इस प्रकार बाढ़ आपदा बहुत बड़ी आपदा है।

भूकम्प

भूकम्प का अर्थ है भूमि का हिलना अर्थात ''भूमि का कम्पन''। कुछ क्षेत्र, भूकम्प की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील होते हैं जिनमें भूकम्प आने की ज्यादा संभावना होती है। वैसे भूकम्प किसी भी क्षेत्र में आ सकता है। रिक्टर पैमाने पर तीन या उससे कम की तीव्रता का भूकंप सामान्य होता है तथा 7 या उससे ऊपर रिक्टर की तीव्रता का भूकंप बहुत खतरनाक होता है। भूकंप दिन या रात में कभी भी आ सकता है परन्तु रात के समय का भूकंप अधिक खतरनाक होता है क्योंकि सोते समय लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता है।

चक्रवात

तेज गति से घूमकर चलती हुई हवा को चक्रवात कहते हैं। केंद्र में वायुदाब कम और चारों ओर वायुदाब उच्च रहता है जिसके कारण हवा एक ही स्थान पर तेजी से घूमने लगती है। इस के साथ ही तूफान, आंधी और भारी वर्षा भी हो सकती है। चक्रवात भारी तबाही का कारण बनते हैं।

आपदा प्रबंधन

आपदाओं के पूर्वाभास होने पर या आने पर उनसे निपटने की तैयारी करने और प्रतिक्रिया करने को आपदा प्रबंधन कहते हैं। इनमें रणनीति के साथ, इन आपदाओं से बचाना व होने वाले नुकसान को कम करना भी शामिल है। आपदा प्रबंधन में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं–

1. जीवन बचाना और पीड़ा को कम करना,
2. संसाधनों की रक्षा करना और फिर से बहाल करना,
3. आपदा उपरांत प्रभावित समुदायों के जोखिम कम करना और ज्यादा से ज्यादा और अतिशीघ्र सहायता पहुँचाना।

भारत में आपदा प्रबंधन

भारत विभिन्नताओं से भरा देश है। यहाँ हर साल आपदाओं से सामना होता है। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी जैसी आपदायें देश में लगभग हर साल आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत आपदाएं हैं। मानव निर्मित घटनाएँ भी होती रहती हैं जैसे आग लगना, सड़क दुर्घटना होना आदि। मानव जीवन आपदाओं से भरा हुआ है। आपदा पूर्व प्रबन्धन के तीन अंग हैं– आपदा का पूर्वानुमान, होने वाले नुकसान में कमी और प्रभावितों का स्थानान्तरण। आपदा से पूर्व जोखिम की पहचान करना एक प्रभावकारी रणनीति होती है। पहले से अंदाजा लगाना; होने वाले नुकसान से बचाव के लिए एक उचित निर्णय लेने में मददगार होता है। इससे उचित स्थान व सही मात्रा में निवेश करने में मदद मिलती है। अतः आपदा प्रबन्धन से जुड़े पेशेवरों का मुख्य कार्य जोखिम क्षेत्रों का पुर्वानुमान लगाना, होने वाले खतरे का निर्धारण करना, जरूरत के अनुसार सावधानी बरतना और वित्तीय साधन व मानव संसाधन जुटाना है।

भारत में आपदा प्रबंधन निम्नलिखित स्तर पर किया जाता है :

1. राष्ट्रीय स्तर पर

भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की गई है जिसका नाम है – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)। औपचारिक रूप से, इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 3 (1) के अनुसार 27 सितंबर 2006 को की गई थी। NDMA का गठन, भारत में ओडिशा सुपर साइक्लोन (1999), गुजरात भूकंप (2001) और हिंद महासागर सुनामी (2004) की घटना के मद्देनजर किया गया था। इसका मुख्य काम आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों को लागू करना है ।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (डी) के अनुसार, ''आपदा का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से होने वाली दुर्घटना, घटना या लापरवाही से है जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति का विनाश, मानव जीवन का नुकसान या पर्यावरण का नुकसान होता है तथा जिस से उभर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे हो।''

केन्द्र सरकार में एक सर्वदलीय समिति आपदा प्रबन्धन का कार्य देखती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाहकार समिति भी योजना के संचालन में सहायता करती है। केन्द्र सरकार राज्यों को भौतिक एवं वित्तीय संसाधन प्रदान करती है।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC)

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत कार्यों के निष्पादन हेतु किया जाता है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होता है। इस समिति का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)

यह संस्थान आपदा प्रबंधन के लिये निर्धारित दिशा–निर्देशों और नीतियों के अधीन कार्य करता है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)

यह एक विशेषीकृत बल है जो आपदा मोचन के लिए NDMA के नियंत्रण में कार्य करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)

इस योजना की शुरुआत 1 जून, 2016 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है– आपदा जोखिमों में कमी लाना, आपदा रहित बनाना, आजीविका और संसाधनों के नुकसान को काम करना।

इसके पांच मुख्य कार्य हैं–

1) संभावित जोखिम को समझना,

2) एजेंसियों के बीच परस्पर सहयोग सुनिश्चित करना,

3) आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) में सहयोग करना– संरचनात्मक उपाय,

4) आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) में सहयोग करना– गैर–संरचनात्मक उपाय,

5) क्षमता का विकास करना।

2. राज्य स्तर पर

भारत में राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों की है। राज्य में राहत व पुनर्वास का कार्य देखने के लिए राहत आयुक्त होते हैं। मुख्य सचिव पूर्ण प्रभारी होता है तथा राहत आयुक्त उनके निर्देश से कार्य करते हैं। आपदा से प्रभावित लोगों तक मदद पहुँचाने के लिए राज्य सरकार अन्य राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों को आमन्त्रित करती है।

राज्य स्तर पर काम करने के लिए एक प्राधिकरण होता है जिसका विवरण इस प्रकार है–

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)

यह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करता है। इसका काम राज्य के लिए नीतियाँ और योजनाएँ बनाना है। यह राज्य के कार्यान्वयन में समन्वय, आपदा के समय सहायता के लिए तत्पर रहने के उपायों और राज्य में स्थित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करता है ताकि तैयारी और रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।

राज्य में एक राज्य कार्यकारी समिति (SEC) होती है जिसका नेतृत्व राज्य का मुख्य सचिव करता है। यह समिति आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यों में समन्वय और निगरानी के लिये जिम्मेदार है।

3. जिला स्तर पर

सभी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। जिलाधिकारी को राहत व बचाव कार्य कम से कम समय में चलाने के लिये पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। संभावित आपदाओं से निपटने के लिए आपात योजना बनाना जरूरी है और इन योजनाओं की निगरानी का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के पास है।

जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) नामक संस्था कार्य करती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर अध्यक्ष के रूप में इसका प्रमुख होता है। इसका सह–अध्यक्ष स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। इस जिला प्राधिकरण का कार्य आपदा प्रबंधन के लिये योजना बनाना, कार्यान्वयन करना और समन्वय स्थापित करना है। यह जिला प्राधिकरण जिले में किसी भी क्षेत्र में निर्माण की जाँच करने, सुरक्षा मानकों को लागू करने, राहत उपायों की व्यवस्था करने और जिला स्तर पर आपदा के प्रति प्रतिक्रिया करने का अधिकार रखता है।

आपदा प्रबन्धन के महत्वपूर्ण क्षेत्र

1. संचार

संचार का आपदा प्रबन्धन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। संचार साधनों के माध्यम से प्रचार–प्रसार, जागरुकता तथा आपदा प्रतिक्रिया के समय सूचना व्यवस्था को गति मिलती है और समय रहते जान और भौतिक सम्पदा की रक्षा की जा सकती है।

2. सुदूर संवेदन

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपदा के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है –

- पूर्व चेतावनी देना,
- विकास योजनाएँ लागू करने में,
- संचार और सुदूर चिकित्सा सेवाओं के लिए संसाधन जुटाने में,
- पुनर्वास व आपदा के पश्चात् पुनर्निर्माण में सहायता हेतु।

3. भौगोलिक सूचना प्रणाली

भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कम्प्यूटर द्वारा बनाए गए मानचित्रों का उपयोग करने, भण्डार के लिए स्थान आधारित सूचना देने और समन्वय एवं आकलन के लिये किया जा सकता है। इसका उपयोग संसाधन प्रबन्धन, वैज्ञानिक जाँच और आपदा व विकास योजना के लिए किया जा सकता है।

चुनौतियाँ

- आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना एक चुनौती भरा कार्य है।
- भारत एक विविधताओं से भरा देश है। हर स्थान के अनुसार क्षमताओं और कमजोरियों का विश्लेषण एक दुष्कर कार्य है।

- जलवायु जोखिमों और आपदा की व्यापक समझ विकसित करना।
- आपदा से संबंधित डेटा संकलित करना।
- क्षेत्र के आधार पर राजस्व उपलब्ध करवाना।
- आपदा से पूर्व और आपदा पश्चात् सरकारों और लोगों के बीच सहयोग स्थापित करना।
- शहरी विकास आपदा और नए बुनियादी ढांचे के बीच तालमेल स्थापित करना।
- निधियों का दुरुपयोग रोकना।

सुझाव

1. जागरूकता

समाज में जागरूकता का अभाव है। ये आम धारणा है कि सरकार की ही जिम्मेदारी है। आपदा आने के बाद ही आपदा प्रबंधन के बारे में सोचा जाता है। समाज आपदा के समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सरकार को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए कैम्प लगाने चाहिएं। उचित प्रशिक्षण समाज को प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध करवा सकता है। लोगों को भी इसमें बढ़–चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आपदा से पूर्व और आपदा जोखिम तक प्रबंधन को लेकर लोगों की धारणा बदलने की जरूरत है।

2. प्रबंध

कानूनों का सख्ती से पालन करना और भवन कोड़ लागू करना चाहिए। आपदा प्रबंधन के सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पूर्व–चेतावनी प्रणाली और प्रभावी प्रतिक्रिया के क्रियान्वयन के लिए योजनाएँ होनी चाहियें।

निष्कर्ष

प्राकृतिक आपदायें जलवायु असंतुलन के कारण होती हैं और इन्हें रोकना संभव नहीं है लेकिन हम चेतावनी प्रणाली विकसित करके इसके खतरे को कम कर सकते हैं। क्षमता बढ़ाकर नुकसान से बचा जा सकता है। इसके लिए सूचना प्रणाली को और ज्यादा चुस्त बनाना जरूरी है। आपदा प्रबंधन के सही क्रियान्वयन के लिए समुदायों, NGOs और मीडिया को सभी चरणों में शामिल किया जाना चाहिए। भारत को सर्वोत्तम वैश्विक प्रक्रियाओं से भी सीखना चाहिए। हांगकांग, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने टाइफून जैसी आपदाओं से निपटने के लिये मजबूत संरचना का निर्माण किया है। भारत के कई प्रमुख शहरों (जैसे कोलकाता और मुंबई) में समुद्र के स्तर में वृद्धि और बाढ़ की समस्या को देखते हुए विशेष योजनाएँ बनाई जानी चाहिएं।

संदर्भ

1. आपदा प्रबन्धन राष्ट्रीय नीति–2005, भारत सरकार।
2. नेगी, पी. एस. (2006–07) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण भूगोल।
3. चौहान, ज्ञानेन्द्र सिंह एवं पाहवा, एस. के. (2013) भारत में आपदा प्रबन्धन, रिसर्च जनरल ऑफ आर्टस, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज।
4. रामजी एवं शर्मा, शिवानाथ, प्राकृतिक आपदा–सूखा एवं बाढ़ की समस्या।
5. पाल, अजय कुमार, आपदा एवं आपदा प्रबन्धन।
6. बवेजा, दर्शन, आपदा प्रबन्धन।
7. अवस्थी, एन. एम., पर्यावरणीय अध्ययन।
8. प्रतियोगिता किरण (मासिक), किरण प्रकाशन, आर. यू. 67 पीतमपुरा, दिल्ली–34, 2018
9. एन. डी. सी. सी. बुलेटिन, 2018
10. प्रतियोगिता स्पेक्ट्रम (मासिक), विज्ञान कार्यालय, सी–3, 322–ए, जनकपुरी, नई दिल्ली, 2019

24

भारत में रासायनिक आपदा : कारण, प्रबंधन एवं चुनौती

डॉ0 सविता अग्रवाल
असिस्टैंट प्रोफेसर (रसायन विज्ञान विभाग)
गोकुल दास हिन्दू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद

सारांश

रासायनिक उद्योग विश्व भर में फैला हुआ है और इस उद्योग से जुड़े खतरे भी बहुत अधिक हैं क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में रसायनों का इस्तेमाल होता है। रासायनिक कारखानों में प्रयुक्त होने वाले विस्फोटक रसायनों के भंडारण एवं परिवहन में होने वाली जरा सी लापरवाही भी बड़ी आपदा को जन्म दे सकती है। अतः रासायनिक आपदा से बचने के लिए इसके प्रमुख कारकों एवं स्रोतों के विषय में जानकारी आवश्यक है। रासायनिक घटनाओं के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए इससे निपटने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा चिकित्सा प्रबंधन में व्यापक आपातकालीन योजना को तैयार करने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन में नोड़ल मंत्रालय, तकनीकी सहायता संगठन, आपातकालीन अधिकारी व अन्य सरकारी व गैर–सरकारी संगठन की सभी स्तरों पर एक बड़ी भूमिका होती है।

मुख्य शब्द

रासायनिक उद्योग, रसायन, प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन।

प्रस्तावना

आपदा अचानक होने वाली अनवरत्, तत्काल या देर तक चलने वाली ऐसी विपत्ति है जो मनुष्य व पशु संपदा एवं जीवन को नुकसान पहुंचाती है। प्राकृतिक जीवन, पारिस्थितिकी असंतुलन, मनुष्य जीवन एवं स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करने वाली घटना आपदा कहलाती है। इसके कारण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे मनुष्य एवं पशुओं की जीवन दिनचर्या प्रभावित होती है।

प्राचीन काल में आपदाओं का मुख्य कारण बुरे ग्रहों का प्रभाव माना जाता था, परन्तु आधुनिक युग में इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़कर देखा जाता है। आपदा का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है जो प्राकृतिक कारणों एवं मानव गतिविधि जैसे तेज शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने, तकनीकी का अनियोजित प्रयोग एवं जागरूकता न होने के कारण होता है।

आपदा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है– प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत मुख्य रूप से भूचाल, ज्वालामुखी फटना, बाढ़, सूखा, पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाला भूस्खलन, हिमस्खलन, सुनामी चक्रवात, जंगल की आग, बादल फटना आदि आते हैं। भारत देश की भौगोलिक स्थिति विषमताओं से ग्रस्त है। देश में उच्च पर्वत ऋंखला से लेकर नदियां, झरने, रेगिस्तान, समुद्र आदि उपस्थित हैं जिनकी संरचना में परिवर्तन होना प्राकृतिक आपदा का मुख्य कारण है। भारत का 40% भाग बाढ़ ग्रसित, 68% भाग सूखा पीड़ित एवं 7500 किलोमीटर लम्बी समुद्री सीमा का दो–तिहाई भाग चक्रवात से प्रभावित है। भारत देश की परिस्थितियों के आधार पर इसे बहुआपदीय देश कहा जाता है। भारत में सूखा, बाढ़, भूस्खलन, आकाशीय बिजली, बादल फटना आदि ऐसी आपदाएं है जो प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में जनसंख्या को अपना शिकार बनाती हैं और इससे होने वाले नुकसान का असर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त आतंकवाद, नक्सलवाद, दंगे एवं भगदड़ कुछ अन्य आपदाएं भी हैं जो मानव की क्षीण मानसिकता के कारण उत्पन्न होती हैं और मानवजनित आपदा कहलाती है। रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु संबंधी आपदाएं जिनसे रासायनिक गैस का रिसाव एवं परमाणु बम गिराने जैसी घटनाएं होती हैं; ये भी मानव जनित आपदायें कहलाती हैं।

रासायनिक आपदा

रसायनों के प्रभाव से उत्पन्न जहरीली गैस के रिसाव से होने वाली आपदाएं रासायनिक आपदा कहलाती है। रसायनों का निर्माण हजारों वर्षों से किया जा रहा है। नए रसायनों के निर्माण ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और इनसे बनने वाले उत्पादों ने हमारे रहन सहन के स्तर को उच्च बनाया है, लेकिन साथ ही रसायनों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, उपयोग और अवशेष से निपटने के अनेक खतरे जुड़े हुए हैं, साथ ही कुछ रसायन इतने विषैले होते हैं कि अज्ञानतावश या युद्ध के दौरान जानबूझकर किया जाने वाला इनका इस्तेमाल अत्यंत भयंकर रूप धारण कर सकता है। रासायनिक दुर्घटनाओं से न केवल मनुष्यों को बल्कि प्रकृति और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है।

अर्थात् "ऐसी घटना जिसमें रसायनों के कारण पर्यावरण, मानव, पशु–पक्षियों या जानवरों को किसी तरह की हानि पहुंचती है; रासायनिक आपदा कहलाती है।"

औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक रसायनों का भंडारण व परिवहन एवं मानवीय त्रुटियां, तकनीकी त्रुटियां एवं प्रबंधन संबंधी त्रुटियां पर्यावरण में रसायनों के रिसाव की आशंका को बढ़ाती हैं।

तालिका : 1

भारत में घटी प्रमुख रासायनिक आपदायें

इकाई का नाम	तिथि	कारण	क्षति
एल. जी. पॉलीमर उद्योग, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	7 मई 2020	जहरीली गैस स्टाइरीन का रिसाव	11 लोगों की मौत, 800 से अधिक बीमार
बालाजी केमिकल फैक्टरी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	जून 2019	बॉयलर फटना	3 लोगों की मौत
भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, छत्तीसगढ़	9 अक्टूबर 2018	गैस पाइपलाइन में विस्फोट	9 लोगों की मौत, 14 घायल
दिल्ली डिपो के सीमा शुल्क क्षेत्र, तुगलकाबाद, दिल्ली	2 मई 2017	रसायन परिवहन के समय रसायन रिसाव	400 से अधिक छात्राएं बीमार
कटियार कोल्ड स्टोरेज, शिवराजपुर, कानपुर	3 मार्च 2017	अमोनिया गैस रिसाव	4 लोगों की मौत, 15 घायल
गल्फ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कुकाटपल्ली, हैदराबाद	फरवरी 2015	रसायन के निपटान के समय विस्फोट	2 लोगों की मौत, 13 घायल
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	27 जून 2014	भूमिगत गैस पाइपलाइन में विस्फोट के कारण आग लगना	23 लोगों की मौत, 38 घायल
यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश	2 दिसम्बर 1984	जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव	4000 से ज्यादा की मौत, 558125 प्रभावित

रासायनिक दुर्घटना के इतिहास में विश्व की सबसे भयंकर दुर्घटना मध्यप्रदेश के भोपाल में 2 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी थी जिसमें यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कारखाने के एक कीटनाशक संयंत्र से 40 टन से अधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई, जिससे शहर में 4000 से अधिक लोगों की जान गई और हजारों की संख्या मे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 558125 लोग मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव से प्रभावित हुये। दुनिया के सबसे बड़े रासायनिक हादसों में शामिल भोपाल गैस त्रासदी को कई वर्ष हो चुके है परंतु जानलेवा मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस का प्रयोग अभी तक देश में प्रतिबंधित नहीं है। इतने बड़े औद्योगिक हादसे के बाद भी सरकारें जाग नहीं पाई हैं।

रसायनों का रिसाव कई बार भूकंप, चक्रवात, सुनामी और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी होता है। वर्ष 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात के कारण फॉस्फोरिक अम्ल का बहाव, कांडला पत्थर के निकट 2001 में आए भूकंप के कारण एक्राइलोनाइट्राइल का रिसाव प्रकृति–जनित रासायनिक आपदा हैं।

भारत में रसायन उत्पादन

भारत दुनिया में रसायन उत्पादन के मामले में छठवें स्थान पर और कृषि रसायनों के मामले में चौथे स्थान पर है। 2017–18 के दौरान देश में कुल 4.90 करोड़ टन रसायन और पेट्रो रसायन का उत्पादन किया गया है। एसोचौम इंडिया (ASSOCHAM) की रिपोर्ट 2015 के मुताबिक भारत में कुल 70 हजार रसायन बनाने वाली छोटी–बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं और 70 हजार से भी ज्यादा रसायन उत्पाद यहां बनाए जा रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा 69 फीसदी क्षारीय रसायन निर्मित किए जा रहे हैं जबकि पेट्रो रसायनों में 59 फीसदी बहुलक (पॉलीमर) का उत्पादन होता है। कुछ विषैले औद्योगिक रसायनों का वर्गीकरण निम्न है–

तालिका : 2

उच्च, मध्यम तथा कम जोखिम वाले रसायनों के रूप में विषैले औद्योगिक रसायनों का वर्गीकरण

उच्च	मध्यम	कम
अमोनिया	एसिटोन साइनोहाइट्रिन	एलील आईसोधिओसाइनेट
अरसाइन	एक्रोलीन	आर्सैनिक ट्राइक्लोराइड
बोरीन ट्राइक्लोराइड	एक्रौलो नाइट्राइल	ब्रेमाइन
बोरोन ट्राईफ्लोराइड	एलील एल्कोहल	ब्रोमाइन क्लोराइड
कार्बन डाईसल्फिड़	एलीलामाइन	ब्रोमाइन पेंटाफ्लोराइड
क्लोरीन	एलील क्लोरोकार्बोनेट	ब्रोमाइन ट्राफ्लोटाइड
डिबोरेन	बोरोन ट्राइब्रोमाइड	कार्बोनाइल फ्लोराइड
इथाइलिन आक्साइड	कार्बन मोनोआक्साइड	क्लोरीन पैंटाफ्लोराइड
फ्लोरिन	कार्बोनाइल सल्फाइड	क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड
फोरमलडिहाइड	क्लोरो एसिटोन	क्लोरोएसिटलडीहाइड
हाइड्रोलन ब्रोमाइड	क्लोरोसल्फोनिक एसिड	क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड
हाइड्रोजन क्लोराइड	क्लोरोसल्फोनिक एसिड	क्रोटोनलडीहाइड
हाइड्रोजन सायनाइड	डिकेटीन	साइनोजन क्लोराइड
हाइड्रोजन फ्लोराइड	1.2 डाइमिथाइलहाइड्राजिन	डिमिथाइल सल्फेट
हाइड्रोजन सल्फाइड	एथीलीन डिब्रोमाइड	डिफिनाइलमिथेन–4, 1–डाइआइसोसाइनेट
नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग	हाइड्रोजन सेलेनाइड	इथाइल क्लोरोफोरमेट
फोस्जीन	मिथेनसल्फोनाइल क्लोराइड	इथाइल क्लोरोथिओफोरमेट
फोस्जीन	मिथेनसल्फोनाइल क्लोराइड	इथाइल क्लोरोथिओफोरमेट
फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड	मिथइल ब्रोमाइड	इथाइल फोस्फौनोथिओक डिक्लेराइड
सल्फर डाईआक्साइड	मिथइल क्लोरोफोरमेट	इथाइल फोस्फोनिक डिक्लोराइड
सल्फ्यूरिक एसिड	मिथाइल क्लोरोसिलेन	इथाइल निमाइन
टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड	मिथाइल हाइड्राजिन	हेक्साक्लोरोसाइक्लीपेन्टाडाइने
	मिथाइल आइसोसाइनेट	हाइड्रोजन आयोडाइड
	मिथाइल मेरकेपटन	आयरन पेंटाकारबोनाइल
	नाइट्रोजन डाईआक्साइड	आइसोबुटाइल क्लोरोफोरमेट
	फोस्फिन	आइसोप्रोपाइल क्लोरोफोरमेट

स्रोत – http://www.nicjrsgov/pdffiles/nij18449.pdf (राष्ट्रीय न्याय संस्थान – सूची जून 2000)

रासायनिक आपदा प्रबंधन कानून

आपदा प्रबंधन सतत् एवं एकीकृत प्रक्रिया है, जिसमें आपदा आने की पूर्व चेतावनी से लेकर उसके पश्चात् किए जाने वाले पुनर्वास, पुनर्निर्माण, बचाव आदि कार्य शामिल हैं। इसमें कई संगठन जैसे–स्थानीय प्रशासन, एन.डी.आर.एफ. (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल), सामाजिक संगठन, एन.जी.ओ (गैर–सरकारी संगठन), एन.आई.डी.एम. (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान) आदि सभी की भूमिका होती है। इनमें से कुछ मुख्य भूमिका और कुछ सहायक के रूप में उपस्थित होते हैं। सशस्त्र सेना आपदा से निपटने में मुख्य भूमिका के रूप में अपना योगदान देती है, क्योंकि सशस्त्र सेना की प्रशिक्षित प्रबंधन प्रणाली प्रभावी राहत कार्यों के लिए अनुकूल होती है। सेना परिवहन, संचार, बचाव, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, भोजन आदि के लिए अमूल्य प्रयास कर पीड़ितों को सहायता प्रदान करती है, लेकिन इससे आर्थिक क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती।

रासायनिक सुरक्षा और रासायनिक आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, साथ ही इसके लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं जैसे– दवाओं के निर्माण, आयात–निर्यात और वितरण पर नियंत्रण के लिए "द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट" 1940 में बना था। "कारखाना अधिनियम कानून" 1948 में आया, जिसे 1987 में संशोधित किया गया। 1955 में भोजन में होने वाली मिलावट

रोकने के लिए "द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट" बना। 1962 में "कस्टम एक्ट" बना जो खतरनाक वस्तुओं के आयात–निर्यात के लिए था। 1968 में कीटनाशकों के नियंत्रित इस्तेमाल के लिए "कीटनाशक अधिनियम" आया। 1974 में "जल प्रदूषण से बचाव व नियंत्रण" कानून बना, जबकि 1981 में "वायु प्रदूषण से बचाव व नियंत्रण कानून'' आया। लेकिन फिर भी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई जिसे ध्यान में रखकर कुछ बड़े कानून बनाए गए जिसमें 1986 "पर्यावरण संरक्षण अधिनियम" महत्वपूर्ण है। 1995 में औद्योगिक विस्तार पर नियंत्रण के लिए "राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण अधिनियम आकलन" कानून बना। 2001 में बैटरी कानून (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स) बना। 2007 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई। 2016 में खतरनाक अवशिष्ट प्रबंधन नियम को संशोधित किया गया। इसके अलावा भारत; कीटनाशक, मर्करी और खतरनाक कचरे के चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता है। फरवरी 2006 में विश्व के 190 देशों ने मिलकर एस.ए.आई.सी.एम. (स्टैटिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट) समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें भारत भी शामिल था, जिसका उद्देश्य 2020 तक रसायनों के सुरक्षित प्रयोग के लक्ष्य को प्राप्त करना था।

इसके साथ ही रासायनिक आपदाओं से बचने के लिए एन.डी.एम.ए. (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान) राष्ट्रीय औद्योगिक आपदा प्रबंधन पर विशेष जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे किसी भी रासायनिक दुर्घटना में तत्काल राहत और बचाव कार्यों को प्रारंभ कर घटना के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके।

ऐसे प्रमुख कानून, नियम और गाइडलाइन बनते रहे लेकिन समस्या का निदान नहीं किया जा सका। आज भी खतरनाक रसायन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भारत की हवा, मिट्टी, पानी को बर्बाद कर रहे हैं। कानून, नियम और प्रतिबंध के बाद भी कुछ प्रतिबंधित रसायनों की पुष्टि यहां–वहां होती रहती है।

आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य

रासायनिक घटनाओं में परिशोधन के लिए तत्काल प्रभाव से पीड़ितों के शरीर से दूषित संदूषणों को हटाया जाना आवश्यक है, इसके बाद प्रतिउत्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण संख्या में हताहतों का इलाज किया जाता है। रासायनिक आपदाओं के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए इससे निपटने के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रतिक्रिया, प्रशिक्षण, अस्पताल सुरक्षा के लिए चिकित्सा प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। रासायनिक घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक मजबूत आपातकालीन योजना तैयार करने की आवश्यकता है और खतरे को ध्यान में रखते हुए क्षमताओं का निर्माण करना एवं अपनी प्रतिक्रिया तंत्र के स्तर को बढ़ाना आवश्यक है।

रासायनिक आपदा से जुड़े गुप्त हमलों के कारण बड़े पैमाने पर होने वाली घटनाओं का प्रबंधन एवं एक कुशल प्रतिक्रिया तंत्र के तहत विकास के सभी स्तरों पर समग्र तैयारी की एवं जोखिम में कमी की आवश्यकता है। इसके लिए आकस्मिक योजना, बुनियादी ढांचे में बदलाव, प्रशिक्षित मानव संसाधन, उपकरण एवं समन्वय और कार्यान्वयन तंत्र के विकास के संदर्भ में क्षमता विकास करने की आवश्यकता है। इसके लिए नोड़ल मंत्रालयों, तकनीकी सहायता संगठनों, आपातकालीन अधिकारियों व अन्य सरकारी व गैर–सरकारी संगठनों की सभी स्तरों पर एक बड़ी भूमिका है।

निष्कर्ष

आपदा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव होते हैं, अतः हमें आपदा के जोखिम को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर रणनीति बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक नेटवर्क और समर्थन प्रणालियों के उपयोग की भी आवश्यकता है। आपदाएं सभी को एक ही तरह से प्रभावित नहीं करती हैं, हालांकि आपदाएं विकसित, अविकसित, विकासशील देश या विशेष समुदाय से प्रभावित नहीं होती हैं। आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न संस्थाओं (सरकारी, निजी) की भूमिका पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही आपदा को विकास से जोड़कर देखने की आवश्यकता है। देश की आपदा स्वयंसेवक इकाई को आगे बढ़ाना होगा और उनसे संवाद करके उन्हें आपदा प्रबंधन में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करना होगा। शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाकर मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। इसके लिए आपदा जागरूकता के एक समुचित संगठन की शुरुआत विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में की जानी चाहिए।

संदर्भ

1. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मार्च 2009 की केमिकल डिजास्टर मैनेजमेंट वर्कशॉप की प्रोसीडिंग।
2. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अप्रैल 2007 में प्रकाशित केमिकल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन केमिकल डिजास्टर्स।
3. प्रकाश, इन्दु, 1994, डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्र प्रहरी प्रकाशन, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।
4. शर्मा विनोद कुय 1994, डिजास्टर मेनजमेंट, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली ।
5. सिंह, सविन्द्र, 2016, आपदा प्रबंधन, प्रवालिका पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
6. स्मिथ कीथ, 1996, एनवायरमेंटल हैजर्डस, एसेसिंग रिस्क एंड रिड्यूसिंग डिजास्टर, राटलेज, लंदन।

25

भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोरोना काल के दृष्टिगत समय उपयोगिता एवं तनाव प्रबंधन

प्रोफेसर सी. एम. जैन
प्राचार्य
वर्धमान कॉलेज, बिजनौर

सारांश

कोरोना वायरस जो एक महामारी बनकर सम्पूर्ण विश्व को प्रताड़ित कर रहा है, मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। साधारण आँखों से यह हमें दिखाई नहीं दे सकता। जनवरी 2020 में इसका पर्दापण भारत में हुआ। 21 मार्च 2020 को सम्पूर्ण भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू लगाया गया, इसके बाद आज तक ये कर्फ्यू कभी 7 दिन, कभी 15 दिन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। एक कर्फ्यू लगा मानव मस्तिष्क पर, प्रत्येक पल डरा–डरा, सहमा सहमा; घर के किसी कोने में छिप जाना चाहता है।

कोरोना काल में समय उपयोगिता और तनाव किस प्रकार आपस में एक दूसरे के पूरक बने, यह प्रदर्शित करने का प्रयास इस लेख में होगा।

प्रकृति भी हमें समय का मूल्य समझाती है। समय पर बीजारोपण, समय पर पानी, समय पर धूप ही समय पर फलों से लदे वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है और जीवन भर छाया देती है, परन्तु हम प्रकृति का विनाश कर औद्योगिक इमारतें खड़ी करते चले गये जिसके परिणामस्वरूप आज हम ऑक्सीजन के सिलेण्डरों के पीछे दौड़ रहे हैं। वरना समय ऐसी करवट ना लेता; अतः समय को समझो, समय हमें समझेगा।

इसके अतिरिक्त तनाव मानसिक पटल पर पैदा हुआ एक विकार है, व्यक्ति के मन की स्थिति का परिस्थितियों से तालमेल ना बैठा पाना ही तनाव उत्पन्न करता है। यह एक मानसिक बीमारी है। कोरोना काल में भारत में मानसिक रोगियों की संख्या डेढ़ गुना बढ़ गयी। इस समय सब ठीक होने पर भी एक 'डर' मानव मस्तिष्क पर छाया हुआ है। अतः नकारात्मक विचारों का बार–बार मन में आना, एकाग्रता में कमी होना, क्रोध, भय, चिंता आदि ने मनुष्य को घेर लिया। नौकरी करने वालों के हृदय में नौकरी छूटने का डर तथा नौकरी देने वाले लोगों को घर बैठकर अपने नौकरों की तनख्वाह देने का तनाव चारों तरफ व्याप्त था।

समय प्रबंधन ही तनाव मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है। अतः मनुष्य को समय के अनुशासन में रहना चाहिए तभी वह सुखद, स्वस्थ व तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सकता है।

मुख्य शब्द

वायरस, प्रलय, समय प्रबंधन, अनुशासन, मानसिक विकार, आत्मकल्याण, विश्व–कल्याण।

कोरोना वायरस का संक्रमण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा महामारी घोषित हो चुका है। महामारी से अभिप्राय है कि जो एक ही समय में दुनिया के अलग–अलग देशों में फैल रही है। इस स्थिति से उद्धार के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये कोरोना वायरस जो एक महामारी बनकर सम्पूर्ण विश्व को प्रताड़ित कर रहा है, मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। साधारण आँखों से यह हमें दिखाई नहीं दे सकता। जनवरी 2020 में इसका पर्दापण भारत में हुआ और ऐसा अशुभ पदार्पण कि मानव जाति की रूह काँप गयी और घर में कैद होने के बावजूद उसका पर्दापण ईश्वर के घर की ओर होने लगा अर्थात् अनगिनत लोग काल के ग्रास बनने लगे। 21 मार्च 2020 को सम्पूर्ण भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू लगाया गया। इसके बाद आज तक ये कर्फ्यू कभी 7 दिन, कभी 15 दिन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। एक कर्फ्यू लगा मानव मस्तिष्क में प्रत्येक पल डरा–डरा, सहमा–सहमा रहता है। मनुष्य घर के किसी कोने में छिप जाना चाहता है।

कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे पहली बार इंसान इंसान से डरने लगा। इसके संक्रमण से जुख़ाम से लेकर, साँस लेने में तकलीफ व फेफड़े तक मनुष्य के खराब होने लगे हैं। ऐसे खतरनाक संक्रमण के काल को रामधारी सिंह 'दिनकर' की वाणी में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं–

"प्रभु रथ रोको!
क्या प्रलय की तैयारी है
बिना शस्त्र का युद्ध है जो,
महाभारत से भी भारी है।
कितनी परिचित कितने अपने,
आखिर यूँ चले गए
जिन हाथों में धन–संबल,
सब काल से छले गए
हे राघव–माधव–मष्त्युंजय
पिघलो, ये विनती हमारी है
ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो
महाभारत से भी भारी है।"

वर्षों पहले लिखी यह कविता कोरोना वायरस के संग्राम की सटीक टिप्पणी दे रही है।

कोरोना काल में समय प्रबंधन व समय उपयोगिता

इस भूमण्डल पर समय सबसे कीमती वस्तु है, एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। इतिहास साक्षी है कि जिन व्यक्तियों ने समय का महत्व समझा वही व्यक्ति इतिहास के उदाहरण बने हैं। कोरोना काल समय परिवर्तन का काल है, ऐसा परिवर्तन कि मनुष्य को अपने व्यवसाय पर जाने के स्थान पर घर में बैठकर समय व्यतीत करना है। अब प्रत्येक मनुष्य जोड़ों का अपना प्रतिबिम्ब सम्मुख है। कुछ व्यक्तियों ने अपना समय सोच–सोचकर गँवाया और कुछ ने इसको भी उपयोगी बनाया। समय की कीमत पहचानने वाला व्यक्ति कभी तनाव में नहीं जा सकता। वह मरूस्थल में भी फूल खिलाने की सामर्थ्य रखता है–

"यदि हृदय से किया परिश्रम हो
मरूस्थल में फूल भी खिलता है,
समय चक्र जब चलता है,
फल करनी का मिलता है।
व्यर्थ बैठकर यूँ ही तुमको,
समय नहीं गँवाना है।
लक्ष्य ठान कर अपना तुमको,
आगे बढ़ते जाना है।
थमे नहीं राहों में कभी,
मिलती तभी सफलता है।
समय चक्र जब चलता है,
फल करनी का मिलता है।"

अतः समय की उपयोगिता को समझने के लिए समय प्रबंधन के सिद्धान्तों व सूत्रों को हृदयग्राही करना होगा। समय से बलवान कोई नहीं, जो समय को समझ लेता है, समय उसको बादशाह बना देता है। प्रकृति भी हमें समय का मूल्य समझाती है। समय पर बीजारोपण, समय पर पानी, समय पर धूप ही समय पर फलों से लदे वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है और जीवन भर छाया देती है, परन्तु हम प्रकृति का विनाश कर औद्योगिक इमारतें खड़ी करते चले गये। परिणामस्वरूप आज ऑक्सीजन के सिलेण्डरों के पीछे दौड़ रहे हैं वरना समय ऐसी करवट ना लेता। अतः समय को समझो, समय हमें समझेगा। घड़ी के माध्यम से समय को समझाने का प्रयास प्रस्तुत है–

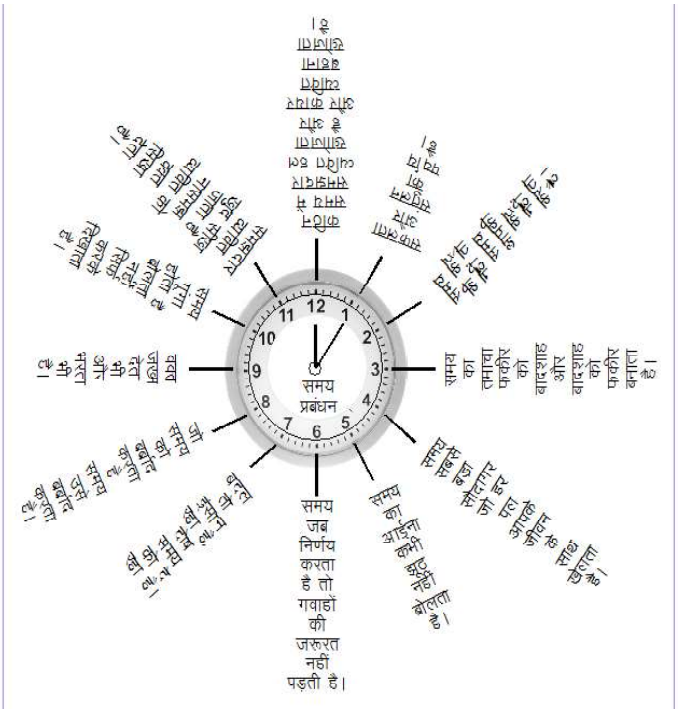

उपरोक्त वर्णित है समय का महत्व और गति। समय से तेज कोई नहीं, वह निर्बाध गति से दौड़ता है। इस कोरोना काल में समय प्रबंधन की हार ही लगातार मनुष्य को अस्पताल के चक्कर लगवा रही थी। ऐसे महामारी के दौर में सम्पन्न व्यक्ति को भी घर पर वक्त काटने में मुश्किल हो रही थी। अगर दूसरा पक्ष देखें तो अपने परिवार में घर पर रहकर खुश रहना कौन सी बड़ी बात थी, परन्तु इस कोरोना टाइम से घरेलू हिंसायें बढ़ी। ऐसे बहुत से मामले सामने आये जिसमें पति या पत्नी आपस में पीड़ित हुए तथा मानसिक तनाव में अपना समय व्यतीत करने को मजबूर हुए।

पहलू ये भी है जिन व्यक्तियों को रोज कमाकर ही खाना है वो बेचारे घर बैठकर कैसे भूखे मरें। यद्यपि कुछ व्यवस्थायें हुई थीं परन्तु बड़ी आबादी वाले देश में सब कुछ इतना आसान भी नहीं। अब आप समय का खेल देखियें कि जिनको –

"अहंकार था अपने बंगले, प्रोपर्टी पर, एक 4 ×6 वाले बेड के लिए तरस गये अपने ही शहर में।"

अब समय से बड़ा भगवान कोई नहीं। कभी प्राचीन भारत में लोग पेड़ के नीचे सोकर भी स्वस्थ रहते थे, आज बड़े मुलायम गद्दों पर भी नींद नसीब नहीं।

"कोई तो किश्त है जो शायद अदा नहीं है,
साँस बाकी है और हवा नहीं है,
नसीहतें, सलाहें, हिदायतें,
तमाम पर्चे पर हैं पर दवा नहीं है,
आँख भी ढक लीजिये संग मुँह के
मंज़र सचमुच अच्छा नहीं है,
रक्त बिका, पानी बिका, आज बिक रही है हवा
कुदरत का ये तमाचा बेवजह नहीं है।"

वास्तव में ये कोरोना वायरस कुदरत का तमाचा है जो मनुष्य ने स्वयं बोया है, एक वायरस का आगमन समय की लीला हो सकता है परन्तु ऑक्सीजन का न मिलना हवा का अमूल्य दामों पर बिकना मनुष्य की खुद की करनी का फल है।

स्कंद पुराण में एक सुंदर श्लोक है –

''अश्वत्थमेकम् पिचुमन्दमेकम्
न्यग्रोधमेकम् दश चिञ्चिणीकान्।
कपित्थबिल्वाऽऽमलकत्रयञ्ज्ज
पञ्चाऽऽमुम्त्वा नरकन्न पश्येत्।।''

अर्थात् मनुष्य यदि पीपल, नीम, वट वृक्ष, इमली, कविट, बेल, आँवला, आम आदि वृक्षों के पौधों का रोपण करेगा तो उसे नरक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। परंतु हमने तो इनका रोपण न करके इन्हें काट काटकर मंजिलें खड़ी की हैं अतः इस कोरोना काल में नरक काल के दर्शन कर रहे हैं। अतः समय प्रबंधन व समय की उपयोगिता को समझकर ही हम पृथ्वी पर स्वयं के लिए स्वर्ग के द्वार खोल सकते हैं। समय ही वो ताकत है जो हमें प्रत्येक परिस्थिति में जीना सिखाता है और समय का दुरूपयोग ही मनुष्य को कटघरे में खड़ा कर देता है जैसा कि हम कोरोना काल में देख रहे हैं।

तनाव प्रबंधन

तनाव मानसिक पटल पर पैदा हुआ एक विकार है। व्यक्ति के मन की स्थिति का परिस्थितियों से तालमेल ना बैठा पाना ही तनाव उत्पन्न करता है। यह एक मानसिक बीमारी है। वर्तमान में मनुष्य की भागती दौड़ती जिंदगी में दो पल सुकून के नहीं हैं, वह अपनों से भी प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता है। स्वार्थ की भावनायें पनप रहीं है, ऐसी स्थिति में तनाव मनुष्य को घेरता जा रहा है। इस कोरोना काल में तनाव मनुष्य के हृदय में गहराई तक पहुँचा है। डर, चिंता, उदासी मनुष्य को तनाव में घेरे में पहुँचा देती हैं –

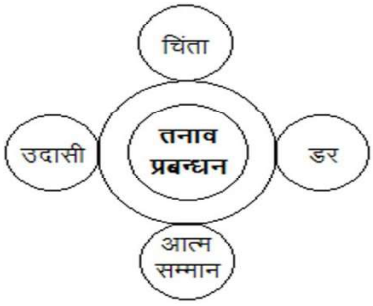

उपरोक्त चित्र तनाव की उत्पत्ति के कारणों को प्रदर्शित कर रहा है। इस कोरोना काल से पूर्व मनुष्य के पास अपनों के लिए वक्त नहीं था तब भी वह तनाव में रहता था। इस कोरोना में मनुष्य को जब अपनों के लिए वक्त मिला तब भी वह तनाव में ही रहा अर्थात् सब कुछ मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। मनुष्य यदि प्रसन्न रहे, सकारात्मक सोच रखे तो विपरीत परिस्थितियों में भी तनाव मुक्त रह सकता है। इस वायरस काल में मनुष्य को अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक वक्त बिताकर प्रसन्नतापूर्ण वातावरण का निर्माण करना था परन्तु वह घर में बन्द होकर निरन्तर तनाव के घेरे में घिरता चला गया।

ऐसे बहुत सारे मामले सामने आये जिसमें मानसिक तनाव के कारण वायरस ने अपनी जड़ें मनुष्य के शरीर में गहरी जमा ली। अभिप्राय यह है कि मानसिक रूप से मजबूत मनुष्य ही वायरस से लड़ सकता है। अतः सर्वप्रथम तनाव मुक्त जीवन ही आवश्यक है मनुष्य के विकास की सीढ़ी है।

तनाव एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। तनाव की अल्प मात्रा होने से आप बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं, यदि आपको कार्य करने का थोड़ा भी तनाव ना हो तो आप कार्य को समय पर नहीं कर पायेंगे अतः अल्प तनाव, समय प्रबंधन की मांग है।

घर में, कार्य स्थल पर जल्दी और समय पर पहुँचना एक तनाव ही है परन्तु यह तनाव आपके विकास की सीढ़ी है। यदि विद्यार्थी अपने अध्ययन का तनाव नहीं लेगा तो परीक्षा में सफल होना मुश्किल होगा। अतः तनाव एक सीमा तक आवश्यक है। यदि आप प्रसन्न नहीं रह पाते हैं तनाव ग्रसित हैं तो तनाव दूर करने के उपाय अग्रलिखित हैं–

1. अनुशासित दिनचर्या व्यतीत करें।
2. प्रातः जल्दी उठें।
3. प्रातः काल कुछ समय ध्यान साधना करें।
4. अनेक कार्य एक साथ करने से बचें।
5. नींद पूरी अवश्य लें।
6. भोजन के वक्त आनन्द में रहें।
7. भोजन की कमियों पर ध्यान न देकर भोजन देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करें।
8. ऊँ का उच्चारण करें। ऊँ ध्वनि उच्चारण से ऊँ उच्चरित करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। फलस्वरूप वे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं।

9. भारतीय समाज और संस्कृति रंगों के बिना अधूरी है। रंग मनुष्य के जीवन में प्रेम और खुशी का संचार करते हैं। अतः यदि आप कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला विभिन्न रंगों के वस्त्र धारण करते हैं तब आप हृदय में नवीन उर्जा ग्रहण करते और तनाव से मुक्त होते हैं।

10. 'महात्मा गाँधी' कहा करते थे कि यदि मेरा मन उदास होता है तो मैं हमेशा उस व्यक्ति की कल्पना करता हूँ जो दीन हीन है और समाज के अन्तिम छोर पर खड़ा है, ऐसा सोचने में मैं पुनः उस व्यक्ति के कल्याण में जुट जाता हूँ। अतः तनाव दूर करने के लिए अपने से ऊँचे व्यक्ति नहीं अपितु निम्न व्यक्ति को देखें। नकारात्मक चिंतन से बचें।

11. 'हरिवंश राय बच्चन' अपनी कविता के माध्यम से कहते हैं – "कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।" अतः महापुरुषों की ऐसी कविताओं से प्रेरणा ग्रहण करें तो निश्चित ही तनाव से राहत मिलेगी।

12. नियमित रूप से टहलना भी तनाव मुक्ति का साधन है तथा कभी–कभी समुद्री किनारा, पहाड़ी स्थल व धार्मिक स्थल भी तनाव से दूर रखते हैं।

भारत में कोरोना वायरस और मानसिक अवसाद

कोरोना काल में भारत में मानसिक रोगियों की संख्या डेढ़ गुना बढ़ गयी। इस समय सब ठीक होने पर भी एक 'डर' मानव मस्तिष्क पर छाया रहा। अतः नकारात्मक विचारों का बार–बार मन में आना, एकाग्रता में कमी होना, क्रोध, भय, चिंता आदि ने मनुष्य को घेर लिया। नौकरी करने वालों के हृदय में नौकरी छूटने का डर तथा नौकरी देने वाले लोगों को घर बैठकर अपने नौकरों की तनख्वाह देने का तनाव चारों तरफ व्याप्त था। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार तनाव ग्रसित था। **"2003 में एशिया में आई सार्स महामारी के दौरान ठीक हो चुके करीब 50 प्रतिशत मरीजों में अवसाद और उदासी के लक्षणों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, इसी प्रकार 2013 में अफ्रीका में इबोला वायरस के प्रकोप के समय भी हो चुके 47.2 फीसदी लोगों में अवसाद के संभावित लक्षण देखे गए थे।"** भारत में भी कोरोना वायरस महामारी की शुरूआत से ही ऐसे अनेक वैज्ञानिक साक्ष्य देखने को मिले हैं जिनसे पता चलता है कि मानवीय आबादी के सम्पूर्ण स्वास्थ्य पर इसका कैसा कुप्रभाव पड़ा है। इकॉनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक शोध अध्ययन के मुताबिक, भारत में कोरोना महामारी के पहले 45 दिनों में 338 गैर कोविड मृत्यु की खबरें आईं थीं, इन मौतों की मुख्य वजहों में एकाकीपन और कोरोना पॉजिटिव आने का डर शामिल है। इसके साथ ही बेहद थकावट, भूख और वित्तीय परेशानियों के चलते हुई मृत्यु भी इनमें शामिल है।

मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने वाली मनोवैज्ञानिक पारूल खन्ना पराशर कहती है– **"लोगों के लिए पूरा माहौल बदल गया है अचानक से स्कूल, ऑफिस, बिजनेस बंद हो गए, बाहर नहीं जाना है और दिन भर कोरोना वायरस की खबरें देखनी हैं। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ना स्वाभाविक है।"**

"लोगों को परेशान करने वाली तीन वजहें हैं, एक तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर, दूसरा नौकरी और कारोबार को लेकर अनिश्चितता और तीसरा लॉकडाउन के कारण आया तनाव।" पाराशर आगे बताती है कि इन स्थितियों का असर ये होता है कि स्ट्रेस बढ़ने लगता है। सामान्य स्ट्रेस तो हमारे लिए अच्छा होता है इससे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है लेकिन ज्यादा स्ट्रेस, डिस्ट्रेस बन जाता है, ये तब होता है जब हमें आगे कोई रास्ता नहीं दिखता, घबराहट होती है, ऊर्जाहीन महसूस होता है। फिलहाल महामारी को लेकर इतनी अनिश्चितता और उलझन कि कब तक सब ठीक होगा, पता नहीं, ऐसे में सभी के तनाव में आने का खतरा बना हुआ है।"

इसके अतिरिक्त भारत की जनसंख्या पर किए गए एक सर्वेक्षण में 66% महिलाओं ने ये स्वीकार किया है कि कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान उन्हें पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हालात झेलने पड़े हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि भारत में कोरोना वायरस काल मानसिक अवसाद काल भी है।

निष्कर्ष

भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोरोना काल के दृष्टिगत समय उपयोगिता एवं तनाव प्रबंधन पर विचार मंथन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि कोरोना काल में तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा और आत्महत्या की प्रवृत्ति जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में बढ़ोतरी हुई है तथा समय प्रबंधन ही तनाव मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है। यदि व्यक्ति स्वयं अनुशासित होकर समय का सुदपयोग करे तो वह तनाव के घेरे से बच सकता है। एक बार मानव मस्तिष्क में तनाव प्रवेश कर जाता है तो सकारात्मक ऊर्जा, ऊँ का उच्चारण, प्राणायाम, नियमित दिनचर्या के द्वारा मनुष्य इससे मुक्त होता है। अस्पताल के बाहर लोगों की चीख पुकार, ऑक्सीजन की कमी, रोते परिजन और जलती लाशें, अस्पतालों में बैड की कमी का डर, मानव मन को उद्वेलित कर रहा था और उसकी भावनाओं का विस्फोट तनाव के रूप में हुआ। अतः इस समय भारतीय मानव, तनावमय जीवन व्यतीत करने को मजबूर हुआ।

मनुष्य को समय के अनुशासन में रहना चाहिए तभी वह सुखद, स्वस्थ व तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सकता है।

"जीवन मिला है जो भी हमको,
उसको पूजा मानें,
समय प्रबंधन जड़ है जीवन,
तनाव मुक्त आनन्द को पायें।"

संदर्भ

1. चिंता छोड़ो सदा खुश रहो–स्वेट मार्डेन द्वितीय संस्करण, 2006
2. लैजरस आर. एस. एण्ड फोक मैन, एस. (1985)
3. तनाव मूल्यांकन और मुकाबला, न्यूयार्क, स्प्रिंगर
4. डब्लू. एच. ओ. कोविड–19 वैक्सीन (इन्टरनेट), विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
5. कोविड–19 विनियामक पैकेज (संशोधित), आर. बी. आई. मार्च, 2021
6. द हिन्दू–विभिन्न अंक
7. दैनिक भास्कर–विभिन्न अंक
8. www.india.gov.in
9. http://kavitakosh.org
10. http://www.who.iat

26

कृत्रिम बीजों का उत्पादन और अनुप्रयोग

डॉ० रेनू शर्मा
असिस्टैंट प्रोफेसर (वनस्पति विज्ञान विभाग)
गोकुल दास हिन्दू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद

सारांश

कृत्रिम बीज आमतौर पर एनकैप्सुलेटेड सोमेटिक भ्रूण हैं, इसमें सोमेटिक भ्रूण के अलावा पौधों के अन्य भागों जैसे शूट बड्स, एक्सिलरी बड्स व किसी अन्य माइक्रोप्रोपैग्यूल्स को एक्सप्लेंट के रूप में लिया जा सकता है। इन्हें इन विट्रो या विवो परिस्थितियों में एक पौधे में परिवर्तित किया जा सकता है। कृत्रिम बीज के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी में कई प्रकार के अनुप्रयोग होते हैं जैसे जर्मप्लाज्म संरक्षण, आनुवंशिक एकरूपता आदि। इनका आकार कम होने के कारण इनका भंडारण, हैंडलिंग और शिपिंग भी आसानी से हो जाता है। कृत्रिम बीजों का उत्पादन उन पौधों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है जो वायबल बीज उत्पन्न नही कर सकते हैं, उन्हें इस विधि के द्वारा प्रोपेगेट किया जा सकता है। इस शोधपत्र के माध्यम से कृत्रिम बीज का उत्पादन तथा उनके अनुप्रयोगों की समीक्षा की गई है।

मुख्य शब्द

कृत्रिम बीज, सोडियम, अल्जिनेट, एनकैप्सुलेशन, माइक्रोप्रोपैग्यूल्स।

प्रस्तावना

कृत्रिम बीज का विचार बिना सोमेटिक भ्रूण के उत्पादन के असंभव था। कृत्रिम बीज निर्माण की विचारधारा ने विभिन्न पौधों में इन विट्रो परिस्थितियों में सोमेटिक भ्रूण के उत्पादन के साथ ही जन्म लिया था। 1958 में गाजर में सोमेटिक एंब्रियोजेनेसिस की खोज लगभग एक साथ एफ.सी. स्टीवर्ड (यू.एस.ए.) और जे. रीनर्ट (जर्मनी) ने की थी। लेकिन 1970 तक सोमेटिक भ्रूण का प्रयोग प्रोपेगेशन के लिए नहीं हुआ। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के टी. मुराशिगे ने 6–9 सितंबर, 1977 में बेल्जियम में एक संगोष्ठी में कृत्रिम बीजों की अवधारणा दी थी (टी. मुराशिगे. , 1977)। कृत्रिम बीज एक सुरक्षात्मक जेल के साथ सोमेटिक भ्रूण हैं। ड्रयू (1979) ने कमर्शियल स्तर पर सोमेटिक भ्रूण से पौधों को प्रोपेगेट करने पर बहुत काम किया और वह कार्बोहाइड्रेट मुक्त मीडियम में गाजर भ्रूण से कुल तीन पौधे बनाने में सफल भी रहे थे। इन्हें मुख्य समस्या इस विधि में कल्चर से मिले भ्रूण से प्लांटलेट्स के धीमी गति से वृद्धि की थी (ड्रयू, 1979)। इन बीजों की तुलना असली बीजों से की जाती है। इन्हें सिंसीड्स के नाम से भी जाना जाता है। इन बीजों में, जेल बीज कोट और कृत्रिम भ्रूणपोष के रूप में कार्य करता है जो प्राकृतिक बीजों की तरह ही पोषक तत्व प्रदान करता है। ज्यादातर पानी में घुलनशील जेल का उपयोग सुरक्षात्मक जेल जैसे Na/Ca एल्जीनेट के रूप में किया जाता है क्योंकि यह भ्रूण को नुकसान नहीं पहुंचाता है और इसे संभालना आसान होता है। किट्टो और जेनिक (1985) ने सिट्रस भ्रूण को इन विट्रो परिस्थितियो में उत्पन्न किया तथा 8 यौगिकों का भ्रूण पर उनके सिंथेटिक कोटिंग गुणों के लिए परीक्षण किया और उनमें से पॉलीइथाइलइनियोक्साइड में सबसे अच्छे इनकैप्सुलेटिड गुण पाए। बाद में उन्होंने पॉलीइथाइलइनियोक्साइड से गाजर भ्रूण का इन विट्रो में उत्पादन में प्रयोग किया (किट्टो और जेनिक, 1985)। कृत्रिम बीजों की अवधारणा तब उन पौधों तक सीमित थी जिनमें सोमेटिक भ्रूण का उत्पादन संभव था। लेकिन बाद में कृत्रिम बीजों की अवधारणा में इन विट्रो परिस्थितियों में उत्पन्न प्रोपैग्यूल्स को इनकैप्सुलेशन तक विस्तारित कर दिया गया है (बापट वी. ए. एट अल 1987)। ग्रे एट अल. के अनुसार, कृत्रिम बीज सोमेटिक भ्रूण का व्यावसायिक स्तर पर पौधों के उत्पादन का प्रायोगिक उपयोग है (ग्रे एट अल.,1991)। कृत्रिम बीज का निर्माण सस्ता होता है तथा निर्जलीकरण और क्रायोप्रेजर्वेशन तकनीकों का उपयोग करके इन्हें काफी समय तक संग्रहित किया जा सकता है (वांग क्यू. एट अल 2002)।

कृत्रिम भ्रूणपोष

सोमेटिक भ्रूण में बीज कोट और भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है जो विकसित हो रहे बीज को पोषण देता है, इसके लिए एक कृत्रिम भ्रूणपोष विकसित किया जाता है जिसमे इनकैप्सुलेट सामग्री के साथ पोषक तत्व और वृद्धि नियामक मिलाए जाते हैं जो सोमेटिक भ्रूण को पोषण देने का कार्य करते हैं। यह कृत्रिम बीज लगभग 6 महीनों तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। इनको संग्रहित 4°C पर किया जाता है।

कृत्रिम बीज के प्रकार

कृत्रिम बीज आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं : डेसिकेटेड और हाइड्रेटेड

डेसिकेटेड कृत्रिम बीज

निर्जलित कृत्रिम बीज सोमेटिक भ्रूण से या तो नग्न या पॉलीऑक्सीएथिलीन ग्लाइकॉल में इनकैप्सुलेटेड करके प्राप्त किए जाते हैं जिसके बाद इनको सुखाना होता है। तेजी से सुखाने के लिए इनको या तो पेट्री डिश में रात भर के लिए छोड़ कर या फिर नियंत्रित अवधि में सुखाने के लिए सापेक्षिक आर्द्रता को धीरे धीरे कम किया जाता है (अरा एट. अल. 2000)।

हाइड्रेटेड कृत्रिम बीज

हाइड्रोजेल जैसे सोडियम एल्जीनेट, पोटेशियम एल्गिनेट, कैरेजेनन कैप्सूल में सोमेटिक भ्रूण को एनकैप्सुलेट करके हाइड्रेटेड कृत्रिम बीजों का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार के भ्रूण उन पौधों की प्रजातियों में बनते हैं जो डेसिकेशन के प्रति संवेदनशील होती हैं। इनकैप्सुलेशन को सुरक्षा प्रदान करने और इन विट्रो परिस्थितियों में माइक्रोप्रोपैग्यूल्स को 'कृत्रिम बीज' या 'सिनसीड्स' में बदलने का सबसे अच्छा उपाय माना जा सकता है (रिडेनबॉग के., 1993)। हाइड्रेटेड बीज चिपचिपे होते हैं और बड़े पैमाने पर इनको संभालना मुश्किल होता है, पर यह हवा में तेजी से सूखते हैं। इनकैप्सुलेटेड बीजों पर वैक्सी लेप लगाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

कृत्रिम बीज एनकैप्सुलेशन के प्रकार

ड्रॉपिंग विधि

सोमेटिक भ्रूणों को हाइड्रोजेल में डुबोया जाता है, जिससे सोमैटिक भ्रूण इनकैप्सुलेट हो जाता है। हाइड्रोजेल एल्जीनेट जैसे सोडियम अल्जीनेट, सी वीडस से अगर, सीड गमस जैसे गार गम, लाकस्ट गम आदि हो सकते हैं। सोडियम एल्गिनेट सॉल्यूशन (1–5%) एम.एस. बेसल मीडियम सॉल्यूशन में तैयार किया जाता है। सोमेटिक भ्रूण को सोडियम अल्जीनेट सॉल्यूशन में डुबाया जाता है। इन कोटेड भ्रूणों को एक चुंबकीय स्टिरर पर रखे एक कॉम्प्लेक्शन सॉल्यूशन (उदाहरण के लिए $Ca(NO_3)$ या $CaCl_2.2H_2O$ का सॉल्यूशन) फ्लास्क में एक–एक करके डालते हैं और लगभग 20–30 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही रखा जाता है जिसके कारण बहुत जल्दी आयन के एक्सचेंज ($Na+$ और $Ca+$) के कारण सतह पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। भ्रूण कैल्शियम एल्गिनेट से आच्छादित हो जाते हैं जो आयनिक बंधन के कारण एक स्थिर कॉम्प्लेक्स बनाता है, बीज जिससे हार्ड हो जाते हैं। अब बीजों को पानी या एम.एस. बेसल माध्यम से वाश किया जाता है। इसके साथ ही कृत्रिम बीज तैयार हो जाते हैं।

मोल्डिंग विधि

मोल्डिंग विधि में तापमान पर निर्भर जेल का प्रयोग किया जाता है, इसमें भ्रूण को इस प्रकार के जेल में रख देते हैं। तापमान कम होने पर भ्रूण जेल से इनकैप्सुलेटेड हो जाता है।

भ्रूण को सूखने और यांत्रिक चोट से बचाने जर्मप्लाज्म अस्तित्व को बनाए रखने के लिए (एंटोनाइट जी. एम. एट अल 1999), कई उपयोगी अकार्बनिक पोषक तत्व, कार्बन स्रोत, कवकनाशी, कीटनाशक, एंटीबायोटिक्स, सूक्ष्मजीव (जैसे राइजोबिया), और वृद्धि नियामक आदि इनकैप्सुलेशन सॉल्यूशन में डाले जाते हैं और इससे एक्सप्लैंट की वृद्धि भी अच्छी होती है(रिडेनबॉग के., 1993)।

एनकैप्सुलेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले जेलिंग एजेंटों के प्रकार

कृत्रिम बीज निर्माण के लिए जेलिंग एजेंटों के लिए बहुत से जेल प्रयोग किए जाते हैं जैसे अल्जीनेट, गार गम, सोडियम पेक्टेट, जेल राइट, पॉलिको 2133, कार्बाक्सी मीथाइल सेल्यूलोज, केरागीनन आदि, पर इनमें से सबसे अच्छा एजेंट अल्जीनेट को माना जाता है।

कृत्रिम बीजों के अनुप्रयोग

जाइगोटिक भ्रूण नर और मादा युग्मकों के पुनः संयोजन से बनते हैं। परंतु कुछ पौधों में यह विधि सुविधाजनक नहीं होती है, तो वहाँ वेजिटेटिव माध्यम के द्वारा प्रोपेगेशन होता है, पर उन्हें बहुत समय संरक्षित नहीं रखा जा सकता है। उन पौधों के लिए कृत्रिम बीज प्रोपेगेशन तथा भंडारण का एक अच्छा विकल्प है जिसमें एक निश्चित समय के लिए बीज को संरक्षित किया जा सकता है (रिहान एच. जेड. एट अल 2011)। कृत्रिम बीजों का उत्पादन उन पौधों के लिए बहुत प्रभावशाली है जिनमें बीजों की वायबिलिटी कम होती है, जिनमें बीज रहित फल या फिर जिनमें अंकुरण सही नहीं होता है। यह पौधों की प्रजातियों को लंबे समय तक संरक्षित रखने का बहुत अच्छा तरीका है। इससे जर्मप्लाज्म संरक्षित क्रायोप्रिजर्वेशन के द्वारा रखा जा सकता है। इससे जर्मप्लाज्म का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच लाने व ले जाने तथा विनिमय करना आसान हो जाता है। टिश्यू कल्चर से उत्पन्न कृत्रिम बीज रोगों से मुक्त होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने पर रोग मुक्त पौधे ही जाते हैं, इससे रोगों का प्रसार नहीं होता है।

कृत्रिम बीज जीनोटाइप चयन का भी बहुत उपयोगी माध्यम है। इससे विलुप्त हो रही प्रजातियों को हमेशा के लिए संरक्षित किया जा सकता है। सजावटी और औषधीय पौधों की माँग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। सोमेटिक एंब्रियो जेनेसिस प्रणाली का प्रयोग करके श्रम, लागत और

समय दोनो को कम किया जा सकता है (ची. आर. पी. और कैंटलिफ डी. जे., 1997)। कृत्रिम बीज का उत्पादन ट्रांसजेनिक पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। यहां एक जीन का सोमेटिक कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, फिर उस सोमेटिक कोशिका से बनने वाले सभी पौधों में वह जीन होता है। इससे ट्रांसजेनिक पौधों का कृत्रिम बीज के द्वारा प्रजनन किया जा सकता है (दाउद एम. एट अल., 2008)।

कनिफरस वन प्रजातियों को कृत्रिम बीज के माध्यम से कम खर्च करके प्रोपेगेट किया जा सकता है। यदि इन्हें पारंपरिक प्रजनन के द्वारा प्रोपेगेट करते हैं तो इसमें बहुत समय लगता है क्योंकि इनका जीवन चक्र बहुत लंबा होता हैं। कृत्रिम बीज में क्लोन करने की क्षमता भी है और समय भी कम लगता है (देसाई बी. बी. एट अल 1997)।

इस तकनीक का व्यावसायिक उपयोग शुरू हो जाने के बाद, यह बीज उत्पादन उद्योग के लिए वरदान साबित होगा। इस तकनीक से व्यावसायिक उपयोग के लिए कुछ फसलों में कृत्रिम बीजों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया है जैसे Apium graveolens (सेलरी), Daucus carota (जंगली गाजर), Dioscorea ftoribunda (याम), Gossypium hirsutum (मैक्सिकन कपास), Medicago sativa (अल्फा–अल्फा), Morus indica (सफेद शहतूत), Picorrhiza kurroa (कुटकी), Pogostemon patchouli (पचौली), Rheum emodi (रिवांड चीनी), Santalum album (चंदन), Azadirachta (नीम) और आर्किड़ की विभिन्न प्रजातियां।

चुनौतियाँ

यद्यपि विभिन्न पौधों की प्रजातियों में कृत्रिम बीज उत्पादन के लिए सोमेटिक भ्रूणों का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है (शर्मा एस. एट अल 2013), लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है जैसे कि सुप्तावस्था के न होने के कारण भंडारण में सीमाएँ, अनुचित परिपक्वता, वायेबल सोमेटिक भ्रूण के उत्पादन में सीमाएँ (रेड्डी, एम. सी. 2012), कम तापमान में संग्रहित करने के कारण पौधे की वायबिलिटी व अंकुरण में कमी आदि। कृत्रिम बीजों को सीधे मिट्टी में या वाणिज्यिक सब्सट्रेट जैसे खाद, वर्मीक्यूलाइट आदि परिस्थितियों में बोने की कठिनाइयों को मुख्य सीमाओं में से एक माना जाता है।

निष्कर्ष

विभिन्न पौधों की प्रजातियों में प्रोपेग्यूल्स को इनकैप्सुलेट करके सफलतापूर्वक कृत्रिम बीजों का उत्पादन किया जाता है। कृत्रिम बीजों का बड़े पैमाने पर पौधों के प्रसार में इस्तेमाल होता है। उन पौधों को इस माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसके अलावा इस प्रकार से क्लोनल ब्रीड तैयार कर आनुवंशिक एकरूपता बरकरार रख सकते हैं। सजावटी, औषधीय पौधों, कनिफरस और ट्रांसजेनिक पौधों को कम खर्च करके प्रोपेगेट किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो कृत्रिम बीज पादप जैव प्रौद्योगिकी का वो आविष्कार हैं जिनके द्वारा हम प्रत्येक तरह का पौधा निर्मित कर सकते हैं।

संदर्भ

1. Ara, H.; Jaiswal, U.; Jaiswal, V. Synthetic seed: Prospects and limitation. *Curr. Sci.* 2000, *78*, 1438–1444.
2. Daud, M.; Taha, M.Z.; Hasbullah, A.Z. Artificial seed production from encapsulated micro shoots of Sainpaulia ionantha Wendl. (African Violet). *J. Appl. Sci.* 2008, *8*, 4662–4667.
3. Reddy, M.C.; Murthy, K.S.R.; Pullaiah, T. Synthetic seeds: A review in agriculture and forestry. *Afr. J. Biotechnol.* 2012, *11*, 14254–14275.
4. Rihan, H.Z.; Al-Issawi, M.; Burchett, S.; Fuller, M.P. Encapsulation of cauliflower (Brassica oleracea var botrytis) microshoots as artificial seeds and their conversion and growth in commercial substrates. *Plant Cell Tissue Organ Cult.* 2011, *107*, 243–250.
5. Redenbaugh, K. *Synseeds: Applications of Synthetic Seeds to Crop Improvement*; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 1993; pp. 38–46.
6. Redenbaugh, K.; Fujii, J.A.; Slade, D. Hydrated coating for synthetic seeds. In *Synseeds: Application of the Synthetic Seeds to Crop Improvement*; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 1993; pp. 305–327.
7. Kitto, S and Jawck, J. 1985. Production of synthetic seeds by encapsulating asexual embryos of corrot James, SOC Hort. Sci. 110: 277.
8. Sharma, S.; Shahzad, A.; da Silva, J.A.T. Synseed technology—A complete synthesis. *Biotechnol. Adv.* 2013, *31*, 186–207.
9. Wang, Q.; Batuman, Ö.; Li, P.; Bar-Joseph, M.; Gafny, R. A simple and efficient cryopreservation of in vitro-grown shoot tips of "Troyer" citrange [*Poncirus trifoliata* (L.) Raf. × *Citrus sinensis* (L.) Osbeck.] by encapsulation-vitrification. *Euphytica* 2002, *128*, 135–142.

27

कृषि विकास में नवीन प्रौद्योगिकी का महत्व एवं चुनौतियाँ

डॉ० श्रवण कुमार
एसोसिऐट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र विभाग)
मुल्तानीमल मोदी कॉलेज, मोदीनगर, गाजियाबाद

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में कृषि के विकास में नवीन प्रौद्योगिकी के महत्व को उल्लेखित किया गया है। भारत में कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में देश के कुल कार्यबल का लगभग 60 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिक कार्यरत होने के बावजूद, कृषि क्षेत्र का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 19.9 प्रतिशत है। भारत आज न केवल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है बल्कि एक बड़ा निर्यातक भी है। यह अनाज के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। कृषि क्षेत्र देश का सबसे बडा उद्यम है। भारत को कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की गति अभी धीमी है। किसानों को नवीन कृषि प्रौद्योगिकी से होने वाले लाभों से अवगत कराने के लिए पथ प्रदर्शक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द

कृषि विकास, नवीन प्रौद्योगिकी, चुनौतियाँ।

प्रस्तावना

विश्व की जनसख्या 2050 तक लगभग 9 बिलियन तक बढ़ने की आशंका है। चुनौती यह है कि इस बढ़ती जनसख्या को खिलाना, किसानों के लिये आजीविका प्रदान करना और पर्यावरण की रक्षा करना; इसके साथ ही पर्याप्त उत्पादन करने के लिये नवीन तरीके और साधन खोजने होगें। कृषि में उत्पादक भूमि का कम होना, उत्पादन और वितरण में भोजन की बर्बादी का होना; पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। यदि हम सतत् प्रगति करना चाहते हैं तो हमें इन सभी चुनौतियों से एक साथ निपटना चाहिए। इन चुनौतियों के समाधान में कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही खाद्यान्न संरक्षण का एकमात्र रास्ता दिखता है। कृषि क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियां देशों के लिए कृषि में उत्पादकता बढ़ाने और किसान समुदायों के समग्र विकास के लिए काफी मददगार हैं। कृषि में तकनीकी परिवर्तन कई हजार साल पहले हुआ था जब काश्तकारों ने जंगली पौधों का चुनाव किया और विभिन्न प्रकार के वातावरण के साथ उनका प्रयोग किया। प्रारम्भ में प्राचीन सभ्यताओं में कृषि का तकनीकी प्रदर्शन 19वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग समान ही रहा। प्रमुखतः नई मशीनरी और विभिन्न स्रोतों की शुरूआत यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुई थी। तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरुप कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विकासशील देशों में यह प्रगति हरित क्रांति के दौरान देखने को मिली। भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहला संगठित प्रयास 1960–61 में 'गहन कृषि–जिला कार्यक्रम' के लिए चुने गए सात जिलों के लिए पाइलट परियोजना के रूप में किया गया था। कृषि तकनीक की नई नीति कई अन्य देशों में पहले सफल हो चुकी थी। वर्ष 1965 में मैक्सिको में गेहूँ की प्रति हैक्टेअर पैदावार 5 से 6 हजार किलोग्राम हो गई थी। इसी के साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों ने मक्का, ज्वार और बाजरा की संकर किस्में खोज निकालीं जिनके द्वारा इन फसलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विशेष रूप से गेहूँ उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई। आगे चलकर इसको ही हरित क्रांति कहा गया। विकासशील देशों में कृषि के विकास में हरित क्रांति एक प्राथमिक कारक रहा है। इसके बावजूद भी देशों में व्यापक खाद्यान्न असुरक्षा विद्यमान है। कृषि क्षेत्र में लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की क्षमता विद्यमान है परन्तु समस्या दुनिया के क्षेत्रों में से उप–सहारा अफ्रीका में कहीं अधिक विकट है जहाँ वर्षा आधारित कृषि पर निर्भरता होने के कारण नई प्रौद्योगिकियों का प्रभाव कम ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर नीचा बना हुआ है। यह स्थिति अन्य बाकी देशों में भी बनी हुई है। ऐसे विकट संकट में सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना अधिक मुश्किल होता जा रहा है।

कृषि क्षेत्र की बुनियादी समस्यायें

आधुनिक युग में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रौद्योगिकी के विकास के बिना अकल्पनीय लगता है यद्यपि प्रौद्योगिकी को अपनाने में

कृषि क्षेत्र में एवं उत्पादकों के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। भारत में कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में देश के कुल कार्यबल का लगभग 60 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिक कार्यरत होने के बावजूद कृषि क्षेत्र का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 19.9 प्रतिशत है। भारत आज न केवल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है बल्कि एक बड़ा निर्यातक भी है। विश्व स्तर पर यह सातवें स्थान पर है। यह अनाज के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। कृषि क्षेत्र देश का सबसे बड़ा उद्यम है। यह उद्यम तभी तक जीवित रह सकता है जब यह लगातार वृद्धि करता रहे। देश का इतना शक्तिशाली संपत्ति वर्ग धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। यह एक विरोधाभास है। यद्यपि यह वर्ग विभिन्न जोखिमों और अनिश्चितताओं की दोहरी समस्याओं का सामना करता है। कृषि बाजारों की अनिश्चिततायें तथा उत्पादन का माहौल अप्रत्याशित समस्यायें हैं जिनका तत्काल समाधान करना स्वाभाविक है। कृषि क्षेत्र में प्राचीनकाल से ही उत्पादन के कारकों में भूमि, पूंजी तथा श्रम को प्रमुख माना जाता है।

कृषि क्षेत्र के मुख्य निर्यातों का प्रतिशत हिस्सा

S.N.	कृषि उत्पाद	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	चाय	0.3	0.3	0.3	0.3
2	काफी	0.3	0.2	0.2	0.3
3	अनाज	2.7	2.5	2.1	3.5
4	अनिर्मित तम्बाकू	0.2	0.2	0.2	0.2
5	मसाले	1	1	1.2	1.5
6	काजू	0.3	0.2	0.2	0.1
7	आयल मील्स	0.4	0.5	0.3	0.4
8	फूल, सब्जियां और दालें	0.6	0.6	0.5	0.7
9	सामुद्रिक उत्पाद	2.4	2.1	2.1	2.2
10	अपरिष्कृत कपास	0.6	0.6	0.3	0.4
11	कुल कृषि एवं संबंधित उत्पाद	12.7	11.8	11.2	14.3

स्रोत– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण, 2018–19 तथा 2020–21

कोविड–19 महामारी के बचाव में सम्पूर्ण देश में लगाए गए लॉकडाउन के कारण जब सभी व्यवसायिक क्रियायें ठप हो गयी थीं तब एकमात्र कृषि ही ऐसा क्षेत्र था जिसने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। उपरोक्त तालिका में वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 में कृषि उत्पाद के निर्यातों का हिस्सा अधिक रहा है।

कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए इसमें वृद्धि करना आवष्यक है खासतौर पर वर्षा आश्रित कृषि क्षेत्रों में। सार्वजनिक निवेश का कृषि विकास तथा पर्यावरण पर दीर्घकालीन एवं अनुकूल प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इसी साल की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना की पेशकश की। इसके तहत गांवों में संपत्ति के मालिकों को बड़ी संख्या में अधिकार दिए जा रहे हैं। अब तक, 1241 गांवों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16. 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इसी प्रकार ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए आवंटन राशि 30000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40000 करोड़ रुपये कर दी गयी है। सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

कृषि क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी का महत्व

यह बात कई कारकों पर निर्भर करती है कि कृषि में नवीन तकनीकी अपनाने से कृषि के विकास में क्या परिवर्तन आएगा। इससे होने वाले प्रभावों में जो अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह है कि जो कृषि श्रमिक दूसरों के खेतों में काम करते हैं; उनके रोजगार एवं आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव कैसे हैं क्योंकि यह अल्प–आय वर्ग की आजीविका से जुड़ा है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ–साथ मजदूरों को अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता है। अन्यथा कृषि क्षेत्र में विद्यमान अदृश्य बेरोजगारी इससे कहीं अधिक विकराल रूप धारण करेगी। दक्षिण एशिया की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। आधुनिक फार्म एवं कृषि क्षेत्र; मुख्यतः सेंसर, उपकरण, मशीन और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण पहले की तुलना में आधुनिक तरीके से काम करने लगे हैं। प्रौद्योगिकी युग में कृषि क्षेत्र में नियमित रूप से परिष्कृत तकनीकों जैसे– रोबोटिक्स, तापमान और नमी सेंसर, हवाई चित्र और जीपीएस तकनीक का उपयोग प्रमुखतः किया जाने लगा है। यह नवीन तकनीकें सुरक्षित और अधिक पर्यावरणीय अनुकूल भी हैं। इस तकनीकी प्रगति से किसानों को अब पूरे खेतों में पानी, खाद और कीटनाशकों का एक समान प्रयोग नहीं करना पड़ेगा बल्कि आवश्यकतानुसार न्यूनतम मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अलग–अलग पौधों के साथ अलग व्यवहार कर सकते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से कृषि में उच्च उत्पादकता, पानी, उर्वरक और

कीटनाशकों का कम उपयोग कृषि पदार्थों की कीमतों को कम रखता है। रोबोटिक्स तकनीक का प्रयोग हवा और पानी की गुणवत्ता जैसे प्राकृतिक संसाधनों की अधिक निगरानी और प्रबंध व्यवस्था को सक्षम बनाता है।

भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान आधुनिक तरीकों जैसे बीजों की बेहतर गुणवत्ता, उचित सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की गयी। जैसे–जैसे समय बीतता गया, कृषि में और अधिक तकनीकी प्रगति होती गई। नए जुताई और कटाई, सिंचाई, बुआई आदि के उपकरण मार्केट में आए और सभी उच्च पैदावार और बेहतर गुणवत्ता के लिए अग्रणी थे। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? इसे कुछ उदाहरणों से समझना आसान होगा। जैसे स्मार्टफोन के माध्यम से किसान हर खेत में जाने के बजाय अपने फोन या कंप्यूटर से अपनी सिंचाई प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। सेंसर की मदद से मिट्टी की गहराई में जाकर मौजूद नमी के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अल्ट्रासाउंड तकनीक की सहायता से न केवल जानवरों के गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच की जा सकती है, बल्कि इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है कि बाजार में जाने से पहले किस जानवर में किस गुणवत्ता का मांस पाया जाता है। इस तकनीक की मदद से अच्छी वंशावली और अन्य मानवीय गुणों वाले जानवर की पहचान करने में मदद मिलती है। ऑप्टिकल सेंसर देखने में सक्षम है। इसकी सहायता से परावर्तित प्रकाश की मात्रा के आधार पर पौधे को कितने उर्वरक की आवश्यकता हो सकती है, यह भी पता लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से भारत को 1960 के दशक में अनाज सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता थी, उसी प्रकार की स्थिति आज दिखती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लाकचेन, इंटरनेट आफ थिंग्स आदि प्रौद्योगिकियां आज उद्योग में गहरी पैठ बनाती जा रही हैं। परंतु भारत इन सभी परिवर्तनों के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जिनमें नीति आयोग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत में किसानों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में और अधिक संभावनायें मौजूद हैं।

आधुनिक कृषि क्षेत्र में जैसे ही निकट भविष्य में वर्तमान प्रौद्योगिकियों को लागू किया जाता है तो इससे लाखों किसानों को समय से जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कृषि प्रौद्योगिकी से भविष्य की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है लेकिन इसमें संभावनाएँ बहुत अधिक हैं।

निष्कर्ष

हालांकि भारत ने उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, उत्पादन के इस सतत् स्तर को व्यवसायिक क्रियाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। परंतु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जलवायु परिवर्तन का खतरा हमारे पर्यावरण में चारों ओर मंडरा रहा है और इससे कृषि में फसलों की पैदावार पर बुरा असर होने की संभावना अधिक है। इसके प्रभाव को कम करने और इसके अनुकूल कार्यनीतियां बनाना वर्तमान समय की मांग है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए व्यापार नीतियों को संरचित करने एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से व्यापार व्यवस्था को फिर से देखने और पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत ने उत्पादकता में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, कृषि क्षेत्र में और अधिक प्रगति करने के लिए अप्रयुक्त अवसरों का लाभ लेना होगा। इसके लिए कृषि विपणन प्रणालियों को देश की घरेलू सीमाओं से परे विस्तारित करना होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि व्यापार नीतियों की आवश्यकता है। व्यापार नीतियां किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का समर्थन करती हैं। मृदा जैव कार्बन जो मिट्टी की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, संपूर्ण भारत में इसमें कमी देखी गई है। आने वाले वर्षों में भारतीय कृषि को कई चुनौतियों से निपटना होगा। पहली– कृषि उत्पादन के स्तर को बनाए रखना, दूसरी– खाद्य सुरक्षा हासिल करना, तीसरी– कृषि विपणन की समस्या। और यह सभी एक दूसरे से अन्तर्सम्बंधित हैं। इनकी परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नीतियां बनानी चाहिएं।

संदर्भ

1. मिश्र, स0के0 और पुरी, वी0के0, (2020) भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिकेशन्स हाऊस, 32वाँ संस्करण, पृ0 248–249.
2. पटेल निलम और नगाइच रणवीर, अगस्त 2021, भारत में कृषि : पुनरावलोकन और संभावनाएं, कुरूक्षेत्र पत्रिका, पृ0, 7–8
3. Mungarwal A.K. and Sharma Nidhi, (5 August, 2019), Applying Modern Tech to Agriculture, Down ToEarth.
4. Report of The Committee on Doubling Farmer's Income Volume XIII, (January 2018), Structural Reforms and Governance Framework, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, pp. 7-48.
5. Technology and Its Contribution to Pro-Poor Agricultural Developmen, Department for International Development, UK pp. 1-4.
6. Mahadevan R. (December2003), Productivity Growth in Indian Agriculture: The Role of Globalization and Economic Reform, Asia-Pacific Development Journal, Vol.10, No.2, pp 57-59.
7. https://downtoearth.org.in
8. https://www.fao.org.in
9. https://www.smsfoundation.org

28

भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण

डॉ० सुरेश चंद
एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास विभाग)
के०जी०के० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरादाबाद

श्याम सागर
शोध छात्र (इतिहास)

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि का जीडीपी में लगभग 18 प्रतिशत योगदान है जबकि भारतीय कृषि भारत की 49 प्रतिशत जनसंख्या को आजीविका उपलब्ध कराती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के दो दशकों तक कृषि उत्पादन में गिरावट देखने को मिलती है परंतु उसके पश्चात् नवीन वैज्ञानिक उपकरणों का प्रादुर्भाव हुआ जिसके परिणामस्वरुप कृषि उत्पादन में तीव्र उछाल देखने को मिलता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि अब भी सतत् रूप से बनी हुई है जिसके कारण भारत ना केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना बल्कि प्रमुख कृषि निर्यातक देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। इस प्रकार से भारत ने ना केवल एक नया कीर्तिमान स्थापित किया बल्कि स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित किया है।

मुख्य शब्द

कृषि, खाद्यान्न, कृषि आधुनिकीकरण, हरित क्रांति, परिष्कृत बीज, नवीन कृषि उपकरण।

भारत; एक समय में खाद्यान्न की कमी वाला देश होने से लेकर एक अतिरिक्त खाद्यान्न वाला देश बनने तक का लंबा सफर तय कर चुका है। आजादी के बाद के वर्षों में खाद्यान्न की कमी आम बात थी। उत्पादकता ऐसी समस्या थी जिससे भारत जूझ रहा था। अधिकांश फसली क्षेत्र के वर्षा क्षेत्र सिंचित क्षेत्र होने के कारण मानसून देश में उत्पादन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक था और उसके अनुसार देश में खाद्यान्न की जरूरतें घटती बढ़ती रहती थीं। उर्वरकों का प्रयोग लगभग ना के बराबर था। सुनिश्चित सिंचाई का अभाव और उर्वरकों तथा कीटनाशकों की अनुपलब्धता ने भारत की खाद्य उत्पादकता पर अंकुश लगा रखा था।'[2]

परंतु 1967–68 के अल्प काल में कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई और उसके पश्चात् कृषि उत्पादकता लगातार बनी रही। आधुनिक वैज्ञानिक प्रयासों से आज कृषि में अनेक नवीन तकनीकी एवं मशीनों का प्रादुर्भाव हुआ है। भारतीय कृषक अपनी सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, नलकूप, पशु आहार काटने वाली मशीन, स्प्रिंकलर आदि का प्रयोग करने लगा।'[4] संपन्न कृषक कृषि संसाधनों को खरीद लेते हैं परंतु वे कृषक जो कम साधन संपन्न होते हैं वह कृषि संसाधनों का प्रयोग किराए पर करते हैं। वैज्ञानिक प्रगति के कारण ही कृषि उपकरणों की खोज हुई है। इसके अलावा रासायनिक खाद व नवीन बीजों का आविष्कार हुआ। नवीन वैज्ञानिक यंत्रों के संचालन के लिए कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, विद्युत तथा ऊर्जा के अन्य स्रोतों की भी खोज हुई है। इन नवीन पद्धतियों ने कृषि में एक क्रांति सा ला दिया है।'[1] जब हम भारत में कृषि की बात करते हैं तो पाते हैं कि भारत में कृषि के आधुनिकीकरण का आरंभ 70 के दशक में होता है क्योंकि इसी समय से परंपरागत कृषि संसाधनों के स्थान पर नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा था। जैसे बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रैक्टर खेत में फसल काटने तथा फसलों को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फलस्वरुप पशुओं की जगह ट्रैक्टर के प्रयोग से कम समय में अधिक कार्य किया जाने लगा। इसके अलावा अन्य संयंत्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा जैसे ट्यूबवेल। ट्यूबवेल के प्रयोग से अब कृषि की मानसून पर निर्भरता में कमी आई क्योंकि अब उपयुक्त क्षेत्रों में ट्यूबवेल के लगने से सिंचाई के साधन उपलब्ध होने लगे और सिंचाई आसानी से की जाने लगी जिससे खाद उत्पादन में वृद्धि हुई।'[3] सिंचाई के साधन पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में कृषि के लिए जीवनदायिनी सिद्ध हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण से नवीन बदलाव आये हैं जो हरित क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। '[5]

70 के दशक में भारत में गेहूं की नवीन किस्में कल्याण सोना और सोनालिका विकसित की गईं जिन्होंने कृषि उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि इससे उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। जहां 1966 में गेहूं का उत्पादन केवल 11 मिलियन टन था वही 1968 में गेहूं का उत्पादन 17 मिलियन टन हो गया। अन्न उत्पादन में इसी उछाल को हरित क्रांति का नाम दिया गया। '4 भारतीय कृषि अनुसंधान की उपलब्धि की

देश विदेश में चर्चा हुई। भारत अब अन्न प्राप्तकर्ता से मुक्त होकर खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा। इसी प्रकार से धान के उपज को बढ़ाने के लिए उसके बीजों को भी परिष्कृत किया गया जिससे अब भारत विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा सबसे बड़ा निर्यातक है। 1980 में देश में चावल का उत्पादन 53.6 मिलियन था जो 2020 में बढ़कर 120 मिलियन पहुंच गया। इसके लिए धान के नवीन किस्मों में बासमती पूसा 1121, पूसा 1509, पूसा 1408 जैसी सुधरी किस्मों को बासमती उगाने वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनाया गया। पूसा 1121 विश्व की सबसे अधिक लंबे दाने वाली बासमती किस्म है। हाल ही में पूसा 1718 और पूसा 1637 नामक विकसित किस्में बैक्टीरियल और फफूंद रोग प्रतिरोधी हैं। 2018–19 के दौरान बासमती चावल के निर्यात से भारत को लगभग 33000 करोड रुपये मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा की आय हुई है।'[6] बासमती उगाने वाले लगभग 19.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 17 से 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर अनुसंधान द्वारा विकसित पूसा बासमती किस्में उगाई जाती हैं। खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता के उपरांत तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए, क्योंकि इनके आयात पर देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी। तिलहन उत्पादन में सतत् वृद्धि के लिए 1986 में बहुमुखी रणनीति पर आधारित एक राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किया गया जिसका कृषि उत्पादन के माध्यम से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना एक प्रमुख लक्ष्य था तथा जिसके अंतर्गत तिलहनी फसलों की नई व अधिक उपजशील किस्मों का विकास किया गया और अनुकूल कृषि–विधियां भी विकसित की गईं। परिणामस्वरूप अगले 10 वर्षों में खाद्य तेलों का उत्पादन 12 टन से बढ़कर 24 टन हो गया। तिलहन उत्पादन में यह उछाल पीली क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आई.ए.आर.आई. द्वारा विकसित तोरिया सरसों की उन्नत किस्मों, जैसे पूसा बोल्ड, पूसा जयकिशन, पूसा विजय, पूसा मस्टर्ड 25, 26, 27, 28, 29, 30 ने अहम भूमिका निभाई है। तोरिया सरसों के कुल कृषि क्षेत्र में से लगभग 25 प्रतिशत भाग पर उन्नत किस्में उगाई जा रही हैं। कृषि की नवीन विधियां विकसित करके खाद्य तेल फसल को भारत में लोकप्रिय बनाया गया है। इसी प्रकार सोयाबीन को मालवा के पठार क्षेत्र में प्रचलित किया गया है। इस प्रकार से भारत में 2020–21 में तिलहनो का 36.57 मिलियन टन उत्पादन कृषि के आधुनिकीकरण से ही संभव हुआ।

भारत में कृषि आधुनिकीकरण से दलहन उत्पादन में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 2020–21 में दलहन उत्पादन 24.42 मिलियन टन अनुमानित है जो अब तक सबसे उच्च स्तर उत्पादन को प्रदर्शित करता है। मुख्य फसलों के बीच दलहन की अंतर्वर्ती फसल उगाने की विधि प्रचलन करने से सार्थक लाभ हुआ है। मक्का में गुणवत्ता सुधार के लिए संकरण द्वारा क्वालिटी प्रोटीन मक्का के नौ संकर विकसित किए गए जिससे पोषण सुरक्षा के अभियान को मजबूती मिल रही है। आई.सी.ए.आर. के अनुसंधान संस्थान में विकसित गन्ने की श्रृंखला किस्में देश में मधुर क्रांति की सूत्रधार बनी हैं। बेहतर उपज और शर्करा प्राप्ति की उच्च दर के कारण देश के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर गन्ने की किस्में उगाई जाती हैं। उत्तरी भारत के 65 प्रतिशत भाग पर गन्ने की ही विभिन्न किस्में उगाई जाती हैं जिसकी शर्करा प्राप्ति दर लगभग 12 प्रतिशत है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में 86032 किस्म लोकप्रिय हैं। देश में आधुनिकीकरण का प्रभाव फलों और सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता पर भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। देश को पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए व्यापक अनुसंधान द्वारा फलों, सब्जियों, मसालों आदि की 1600 से अधिक किस्में विकसित की गई हैं।'[6] इनके प्रसार से केला, अंगूर, आलू, प्याज, इलायची, अदरक आदि की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सार्थक रूप से बढ़ गई है। अंगूर, केला, कसावा, मटर और पपीता आदि की उत्पादकता के संदर्भ में हम विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। भारतीय फल और सब्जियों की विदेशी बाजारों में बढ़ती मांग को देखते हुए निर्यात उपयुक्त तथा प्रसंस्करण उपयुक्त किस्मों का विकास किया गया है। बायो टेक्नोलॉजी के प्रयोग से बैंगन की ट्रांसजेनिक किस्में विकसित की गईं जो अनेक रोगों की प्रतिरोधी हैं और अधिक उपज भी देती हैं। फलों और सब्जियों की उत्तम गुणवत्ता वाली सामग्रियों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है जिसके समाधान के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक विकसित की गई है। इससे कम समय और कम लागत में बड़ी संख्या में पौधे तैयार करे जा रहें हैं। फलों के पुराने और लगभग अनुत्पादक बागों के जीर्णोद्धार की तकनीकी से पुराने बाग भी अब फलों से लदने लगें हैं। कुछ फलों में सघन बागवानी प्रणाली से उत्पादकता में सार्थक सुधार हुआ है। फलों, फूलों और अधिक मूल्य वाली सब्जियों की संरक्षित खेती की तकनीकों ने उपज की गुणवत्ता को सुधारा है और बेमौसमी उत्पादन की राह खोल दी है। बागवानी फसलों में प्रयोग हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल में भी कमी आई है। आई.सी.ए.आर. के संस्थान द्वारा विकसित अनार की भगवा किस्म ने अनार के उत्पादन और उत्पादकता को कई गुना बढ़ा कर इसे सर्वसुलभ बना दिया है। 2003–04 में विकसित इस किस्म के कारण 2016–17 तक अनार के कुल क्षेत्र में लगभग 123 प्रतिशत, उत्पादन में लगभग 280 प्रतिशत, उत्पादकता में लगभग 70 प्रतिशत और निर्यात में 382 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह बागवानी अनुसंधान की एक प्रमुख सफलता की कहानी है।'[7]

हरित क्रांति और बागवानी उत्पादन से लेकर श्वेत और नीली क्रांति तक को सफल बनाने में यंत्रों और उपकरणों ने अहम भूमिका निभाई है। अकेले आई.सी.ए.आर. ने 300 से अधिक प्रौद्योगिकी विकसित करके निर्माताओं को इनके निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान किए। इनसे कृषि कार्य अधिक तत्पर, कुशल और लागत प्रभावी बने तथा श्रम और मशक्कत में कमी आई। देश में यंत्रों–उपकरणों की मदद से बड़ी संख्या में कृषि प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए गए हैं। यंत्रो की सहायता से कटाई उपरांत उपज नुकसान को कम करने में भी सहायता मिली है। इसी प्रकार से विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में आई.टी. के उपयोग से कृषि का परिदृश्य बदल रहा है। अनेक फसलों की कृषि विधियों तथा कृषि सूचनाओं (मौसम बाजार सुविधाएं आदि) के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल तैयार किए गए हैं जो किसानों की मदद कर रहे हैं। कृषि पशुपालन और मत्स्यकी के क्षेत्र में ए.आई. का उपयोग किया जा रहा है जिससे संसाधनों का कुशल और सामयिक उपयोग संभव हो पाया। रोग नियंत्रण व निगरानी तथा अन्य उद्देश्यों के लिए ड्रोन्स का उपयोग भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।'[9]

इन सब का परिणाम यह हुआ कि उत्पादकता में वृद्धि हुई जिसके कारण खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 1951 में उपलब्धता 394.4 ग्राम प्रतिदिन थी जो 2020 में बढ़कर 512.6 ग्राम प्रतिदिन हो गयी। यह देखते हुए कि आजादी के बाद से हमारी आबादी लगभग चौगुनी हो गई यह एक प्रभावशाली उपलब्धि है।'[11] औपचारिक ऋण के प्रावधान ने उत्पादकता में वृद्धि को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऋण की उपलब्धता ने किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक सामानों की खरीद में समर्थ बनाया।'10 कृषि आधुनिकीकरण के अंतर्गत न केवल नवीन कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा बल्कि कृषि विपणन एवं सामाजिक वितरण के क्षेत्र में भी कड़े कदम उठाए गए। किसानों को अपने अतिरिक्त उत्पादों को बेचने के लिए बाजार तंत्र की आवश्यकता थी जिससे किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। कृषि राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों ने 60 और 70 के दशक में कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम बनाए। इन अधिनियमों के माध्यम से स्थापित कानूनी ढांचे का आशय था कि कृषि उपज केवल इन बाजारों से लाइसेंस प्राप्त और पंजीकृत व्यापारियों द्वारा ही खरीदी जा सकती थी। इनका आशय यह भी था कि कोई भी व्यक्ति जो लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत व्यापारी नहीं था, वह किसानों से कृषि उत्पाद खरीद नहीं सकता था और सभी लेनदेन निर्दिष्ट मार्केट यार्डों से किए जाएंगे। इन विनियमों का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना था कि कृषि बाजार पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से कार्य करें जिससे इन विनियमों के प्रमुख परिणाम के रूप में किसानों को पर्याप्त मेहनताना मिले। इसीलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित की गई।'[8] भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की स्थापना 1965 में मूल्य समर्थन गतिविधियों का संचालन करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरित करने और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य आयोग के माध्यम से निर्धारित किए जाते थे जिसे 1980 के दशक में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का नाम मिला।

निष्कर्ष

भारत में कृषि आधुनिकीकरण से अनेक लाभ हुए, इससे कृषि उत्पादन और कार्यक्षमता में वृद्धि हुई तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई। साथ ही साथ कृषि का व्यापारीकरण हुआ और कृषि व उद्योग धंधों में संतुलन भी स्थापित हुआ। इस प्रकार से भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण की खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार प्रदान करने में अग्रणी भूमिका रही है।

संदर्भ

1. सिंह, श्री नाथ, मॉर्डनाइजेशन आफ एग्रीकल्चर इन इस्टर्न उत्तर प्रदेश हेरिटेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1978, पी.पी.42,43
2. सिंह, जसवीर, एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी, हरियाणा विशाल पब्लिकेशंस दिल्ली, (1976), पी.पी.189,204,210
3. थामस, टी. एस., रीजनल पेटर्न आफ टेक्नोलॉजिकल चौंप इन अमेरिकन एग्रीकल्चर, जर्नल फॉर्म इकोनॉमिस्ट,(1958) नं 3 वॉल्यूम 9
4. कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास को समर्पित, पत्रिका, अगस्त, नई दिल्ली, 2021, पी. पी. 7
5. दैनिक जागरण, समाचार पत्र अप्रैल 4, 2018
6. कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास को समर्पित, पत्रिका अगस्त, नई दिल्ली, 2021, पी. पी. 8
7. कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास को समर्पित, पत्रिका, अगस्त, नई दिल्ली, 2021, पी. पी.15
8. सिंह, बृजभूषण, कृषि भूगोल, तारा पब्लिकेशन, वाराणसी, 1979, पी.पी. 35,36
9. कृषि विस्तार सूचना, कृषि एवं सूचना विभाग, जयपुर, 1996, पी.पी. 17,21
10. नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट 2014–15
11. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2020–2021

29

भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण

डॉ० कमल सिंह
एसोसिऐट प्रोफेसर (वाणिज्य संकाय)
हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरादाबाद, उ०प्र०

सारांश

भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसलिए भारत में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है। वर्तमान समय में भारत; देश की कुल जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर नहीं है। प्रत्येक वर्ष हजारों टन खाद्यान्न विदेशों से आयात किया जाता है। वर्तमान समय में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराये जाने चाहिएं। प्रस्तुत शोध पत्र में हमने प्रस्तावना, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, भूमण्ड़लीकरण और भारतीय कृषि की प्राथमिकताएँ, भारत में प्रमुख फसलों की प्रति हैक्टेअर उत्पादकता तथा भारत में कृषि उत्पादकता का निम्न स्तर आदि का अध्ययन किया है। साथ ही साथ हमने भारत में कृषि उत्पादकता कम होने के कारण एवं भारत में कृषि के आधुनिकीकरण का अध्ययन किया है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि भारत की विशाल जनसंख्या के भरण–पोषण के लिए भारतीय कृषि का आधुनिकरण करके प्रत्येक क्षेत्र में कृषि का विकास करना है।

मुख्य शब्द

उत्पादकता, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रमुख फसलें, जनसंख्या, रोजगार, आधुनिकीकरण, कृषि यन्त्र, औसत उत्पादन, उर्वरक, हरित क्रान्ति, मशीनीकरण।

प्रस्तावना

भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ कृषि लोगों की जीविका का मुख्य साधन है। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आस–पास है। सैंकड़ों वर्ष पहले भारत में कृषि की दशा एवं दिशा उतनी खराब नहीं थी, जितनी वर्तमान समय में है। क्योंकि उस समय देश में कृषि तथा उद्योग में काफी सन्तुलन था। भारत में ब्रिटिश शासकों की गलत नीति के कारण देश में कृषि का कोई विकास नहीं हो पाया। ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीय किसानों के खिलाफ जमींदारों का एक नया वर्ग खड़ा कर दिया गया, जिनका काम भारतीय किसानों का शोषण करना था।

भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस कारण खेती के लिए बहुत अधिक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता है, जिसे जोत के अन्तर्गत लाया जा रहा है। भारत में मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता के कारण कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ता रहता है। कृषि के लिए भूमि जोत बहुत छोटी एवं बिखरी हुई है। देश में नहरों की अनुपलब्धता के कारण विभिन्न भागों में कृषि मानसून पर निर्भर रहती हैं। भारत में कृषि की वर्तमान स्थिति को सुदृढ़ करने लिए कृषि का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। भारतीय किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराये जाने चाहिएं, ताकि कृषि को वैज्ञानिक आधार दिया जा सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका

भारत में कृषि जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। प्रथम विश्वयुद्ध के समय भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग दो–तिहाई हिस्सा कृषि से प्राप्त होता था। इसका प्रमुख कारण भारत में औद्योगिक विकास का न होना था। वर्ष 1950–51 में साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सहायक गतिविधियों का हिस्सा 53.1 प्रतिशत था, जो कम होते–होते वर्ष 1990–91 में 29.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2013–14 में 13.9 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2011–12 को आधार वर्ष मानकर तैयार की गयी नई श्रृंखला के अनुसार मूल कीमतों पर सकल वर्धित मूल्य में कृषि व सहायक गतिविधियों का हिस्सा 2015–16 में 15.4 प्रतिशत तथा वर्ष 2016–17 में 15.2 प्रतिशत था। वर्ष 1972–73 में कार्यकारी जनसंख्या का 73.9 प्रतिशत

कृषि एवं संबद्ध व्यवसायों में लगा हुआ था। यह वर्ष 1993–94 में गिरकर 64.8 प्रतिशत तथा वर्ष 2011–12 में 48.9 प्रतिशत हो गया। भारत जैसे श्रम आधिक्य वाले देशों में जनसंख्या के भारी दबाव के कारण, खाद्यान्नों की माँग में तेजी से वृद्धि हो रही है। यह सर्वविदित है कि, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूँजी निर्माण आवश्यक है। जब तक पूँजी निर्माण की दर बहुत अधिक नहीं हो जाती तब तक आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत में कृषि का बहुत महत्व है। भारत में बड़े–बड़े उद्योगों को जिनमें सूती वस्त्र, जूट तथा चीनी उद्योग उल्लेखनीय हैं; उन्हें कृषि से ही कच्चे पदार्थों की प्राप्ति होती है। वर्ष 1960–61 में कुल निर्यातों में कृषि निर्यातों का हिस्सा 44.3 प्रतिशत था जो गिरते–गिरते वर्ष 1980–81 में 30.7 प्रतिशत तथा वर्ष 2016–17 में 12.3 प्रतिशत रह गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा अब मात्र 15 प्रतिशत से भी कम रह गया है, परन्तु अभी भी लगभग आधी श्रमशक्ति कृषि क्षेत्र में कार्यरत है।

भूमण्ड़लीकरण और भारतीय कृषि की प्राथमिकताएँ

भारत को यह आशा थी कि विश्व व्यापार संगठन में किये गये अपने वायदों के अनुरूप विकसित देश घरेलू समर्थन का स्तर कम करेंगे तथा निर्यातों पर सहायता में कटौती करेंगे, जिससे भारत इन देशों को और अधिक कृषि वस्तुओं का निर्यात कर पाएगा। जो देश अपने कृषि क्षेत्र का भूमण्ड़लीकरण कर रहा है, वह उत्पादन में आत्म–निर्भरता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भूमण्ड़लीकरण के अधीन वह कृषि वस्तुओं में विशिष्टीकरण करेगा, जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो सके। राव तथा जैरोमी ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि भूमण्डलीकरण का कुछ विशिष्ट क्षेत्रों, विशिष्ट फसलों तथा कुछ विशिष्ट लोगों के विशिष्ट वर्गों पर बुरा असर पड़ सकता है। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहिए, ताकि ग्रीन बॉक्स की तरह ही फूड सिक्यूरिटी बॉक्स तथा डेवलेपमेंट बॉक्स बनाया जाये। अनेक वर्षों से भारत में पौधों व बीजों के लिए पेटेन्टों तथा पौधों की किस्मों के लिए संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसका कारण यह था कि भारत कृषि संसाधनों पर सारी मानव जाति के अधिकारों को स्वीकार करता रहा है। परन्तु विश्व व्यापार संगठन के अधीन अपनाए गये बौद्धिक सम्पदा पर अधिकार से सम्बन्धित समझौतों में यह व्यवस्था की गयी है कि सभी सदस्य देश पौधों की किस्मों के संरक्षण के लिए तथा बीजों के लिए पेटेन्ट प्रदान करेंगे। यदि भारतीय कृषि को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है, तो कृषि अनुसन्धान, कृषि प्रौद्योगिकी, बाजार विकास, भण्डारण व्यवस्था, सड़क विकास एवं आधारभूत संरचना आदि में काफी निवेश करना आवश्यक है।

भारत में प्रमुख फसलों की प्रति हैक्टेअर उत्पादकता

भारत में जितनी भी फसलें होती हैं, उनमें सबसे प्रमुख फसल गेहूँ है, उसके बाद चावल तथा खाद्य तेल आते हैं। भारत में कुल कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों का हिस्सा दो तिहाई से थोड़ा कम है। जहाँ तक खाद्यान्न उत्पादन का सम्बन्ध है, तो उसका कुल उत्पादन वर्ष 1950–51 में 508 लाख टन था जो आठवीं योजना में बढ़कर 1890 लाख टन तथा नौवीं योजना में बढ़कर 2029 लाख टन हो गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यानों का औसत उत्पादन 2020 लाख टन रहा, जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के वार्षिक औसत उत्पादन से कम था। ग्यारहवीं योजना में खाद्यान्नों का औसत उत्पादन 2374 लाख टन था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के औसत उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गयी, क्योंकि इस योजना में उत्पादन 2603 लाख टन हो गया। वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में भारत में वर्षा की कमी के कारण उत्पादन में कमी दर्ज की गयी। वर्ष 2016–17 में उत्पादन बढ़कर 2757 लाख टन हो गया, जो योजनाकाल में अब तक का सर्वाधिक है। तीसरी योजना के बाद की अवधि को "हरित क्रान्ति" का काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में गेहूँ के उत्पादन में काफी तेज वृद्धि हुई। वर्ष 1950–51 से वर्ष 2016–17 तक भारत में प्रमुख फसलों के उत्पादन स्तर को एक सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है और यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गयी है कि वर्ष 1950–51 के उत्पादन और वर्ष 2016–17 के उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गयी है –

सारणी – 1

प्रमुख फसलों की प्रति हैक्टेअर उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हैक्टेअर)

फसल	1950–51	1960–61	1980–81	1990–91	2000–01	2015–16	2016–17
1	2	3	4	5	6	7	8
चावल	668	1013	1336	1740	1901	2400	2550
गेहूँ	655	851	1630	2281	2708	3034	3216
ज्वार	353	533	660	814	764	697	889
बाजरा	288	286	458	658	688	1132	1311
मक्का	547	926	1159	1518	1822	2563	2664
दालें	441	539	473	578	544	656	779
सब खाद्यान्न	552	710	1023	1380	1626	2042	2153

तिलहन	481	507	532	771	810	968	1225
कपास	88	125	152	225	190	415	519
पटसन	1043	1049	1245	1833	2026	2457	2560

स्रोत : Govt of India, Economic Survey 1980-81 (Delhi, 1981), Statement 17, P-77 and Economic Survey, 2017-18 (Delhi, 2018), Vol. II, Statistical Appendix, Table 1.17, P. A37

उपरोक्त सारणी का गहन अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वर्ष 1950–51 से वर्ष 2016–17 के बीच की अवधि में चावल और गेहूँ के उत्पादन में लगभग चार गुना वृद्धि दर्ज की गयी है। ज्वार के उत्पादन में लगभग ढ़ाई गुना एवं बाजरे के उत्पादन में लगभग 4 गुना वृद्धि दर्ज की गयी है। मक्का के उत्पादन में लगभग पाँच गुना एवं दालों के उत्पादन में दो गुने से भी कम वृद्धि दर्ज की गयी है। इसके साथ ही साथ सब खाद्यान्न में लगभग चार गुना एवं तिलहन में लगभग तीन गुना तथा कपास में लगभग पाँच गुना एवं पटसन में लगभग ढाई गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत में कृषि उत्पादकता का निम्न स्तर

यद्यपि वर्ष 1950–51 से वर्ष 2016–17 के बीच की अवधि में भारत में प्रमुख फसलों के उत्पादन में बहुत वृद्धि दर्ज की गयी है किन्तु विश्व के अन्य देशों से तुलना करने पर पता चलता है कि भारत में प्रमुख फसलों का उत्पादकता स्तर कितना कम है।

सारणी – 2

विश्व के प्रमुख देशों में प्रति हैक्टेअर उत्पादकता, वर्ष 2014 (किलोग्राम प्रति हैक्टेअर)

देशों के नाम	फसल चावल/धान	देशों के नाम	फसल गेहूँ	देशों के नाम	फसल मक्का	देशों के नाम	फसल दालें	देशों के नाम	फसल गन्ना
इंडोनेशिया	5130	चीन	6515	अमेरिका	10744	चीन	1724	मैक्सिको	74426
भारत	3576	फ्रांस	7362	फ्रांस	10026	कनाड़ा	2031	ब्राजील	70769
जापान	6667	भारत	3144	भारत	2560	ब्राजील	1030	चीन	71573
म्यानमार	3888	पाकिस्तान	3070	अर्जेन्टाईना	6844	भारत	659	भारत	70231
चीन	6832	जर्मनी	8634	कनाड़ा	9376	अमेरिका	1941	कोलंबिया	90992
ब्राजील	5212	कनाड़ा	3095	चीन	5822	म्यानमार	1422	थाईलैण्ड़	76865
विश्व	**4546**	**विश्व**	**3314**	**विश्व**	**5622**	**विश्व**	**909**	**विश्व**	**69373**

स्रोत : Govt of India, Agriculture Statistics at a Glance 2016 (Delhi, 2017), Table 7.1, PP. 252-3.

उपरोक्त सारणी का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की मुख्य फसलों जैसे चावल, गेहूँ, मक्का आदि की उत्पादकता की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है जबकि दालों के उत्पादन में भारत की स्थिति बहुत बुरी है। गन्ने के उत्पादन की उत्पादकता में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। विश्व के समस्त देशों का यदि औसत देखा जाये तो गन्ने को छोडकर समस्त फसलों के उत्पादन की उत्पादकता स्थिति अच्छी नहीं है।

भारत में कृषि उत्पादकता कम होने के कारण

भारत में यद्यपि योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है, फिर भी अन्य देशों की तुलना में भारत में कृषि का उत्पादकता स्तर काफी कम है। भारत में कृषि उत्पादकता कम होने के निम्न कारण हैं –

1. **सामान्य कारण :–** भारतीय गाँवों का सामाजिक वातावरण कृषि विकास में बाधक समझा जाता है, क्योंकि यहाँ अन्धविश्वास एवं भाग्यवाद पर ज्यादा निर्भरता है। भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है। वर्ष 1992 में किये गये एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया था कि जल कटाव के कारण भारत के कुछ प्रदेशों में मिट्टी की उत्पादकता में 20 प्रतिशत से भी अधिक ह्रास हुआ है।

2. **संस्थागत कारण :–** भारत में लम्बे समय से जमींदारी प्रथा रही है, जिस कारण भारत की कृषि भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा मात्र कुछ लोगों के हाथ में रहा। भारत में कृषि के लिए साख का अभाव रहा है तथा यहाँ पर विपणन सम्बन्धी समस्याऐं भी रहीं हैं। भारत में कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा है।

3. तकनीकी कारण :– भारत में आज भी अनेक किसानों द्वारा हल एवं बैलों के द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। भारत में आज भी केवल 48 प्रतिशत क्षेत्र पर ही सिंचाई की व्यवस्था है एवं लगभग 52 प्रतिशत कृषि भूमि आज भी पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है।

भारत में कृषि का आधुनिकीकरण

भारत में कृषि का आधुनिकीकरण करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने कृषि को प्रमुखता से लिया है। वर्तमान समय में देश की बहुत बड़ी जनसंख्या का भरण–पोषण करने के लिए कृषि का इस प्रकार से आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, जिससे कृषि का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ सके। भारतीय कृषि में निम्नलिखित प्रवृत्तियों का प्रयोग करके उसका आधुनिकीकरण किया जा सकता है –

1. उर्वरक (Fertilisers) – भारत में भूमि की उपादकता बहुत कम है और इस दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में नीचे के देशों में है। परन्तु भारत में बहुत कम समय में ही उर्वरकों के प्रयोग द्वारा उत्पादकता को दुगुना एवं तिगुना कर पाना सम्भव है। सरकार की नई नीति में उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है।

2. उन्नत किस्म के बीज – भारत में कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए मूल आगत बीज हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है, कि बीज की क्वालिटी का उत्पादकता में 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक का योगदान होता है। इसलिए भारत में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के अन्य आगतों के साथ–साथ उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग आवश्यक है। उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत बीज उत्पादकों के खेतों को चुना गया। साथ ही भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, उ0प्र0 के जी0बी0 पन्त कृषि विश्वविद्यालय तथा अन्य भारतीय शोध संस्थाओं को उन्नत किस्म के बीजों को तैयार करने के लिए कहा गया है।

3. कीटनाशक दवाएँ – भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10 प्रतिशत फसल की हानि पौध संरक्षण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण हो जाती है। कृषि में नवीन तकनीकों के प्रयोग से पौध संरक्षण का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। वर्ष 1970–71 में भारत में 24.3 हजार टन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया तथा वर्ष 2015–16 में 50.4 हजार टन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया।

4. खेती का मशीनीकरण – वर्ष 1966 के बाद से भारत में खेती में मशीनीकरण की गति में तेजी आयी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नई कृषि युक्तियां अपनाई गयीं एवं मशीनीकरण को काफी बढ़ावा मिला। इन क्षेत्रों में सम्पन्न किसानों के वर्ग ने बड़े पैमाने पर ट्रैक्टरों, पम्पसैटों, थ्रेशर मशीनों आदि का प्रयोग आरम्भ किया। वर्ष 2015–16 के Economic Survey के अनुसार भारत में कृषि कार्यों में लगभग 50 प्रतिशत मशीनीकरण हो चुका था।

5. सिंचाई – यह स्पष्ट है कि पौधों को सही समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने पर काफी अच्छी फसल प्राप्त होती है। सही समय पर पानी मिलने पर उर्वरकों, अच्छे बीजों और नई कृषि विधियों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता को सहज ही बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान समय में देश का कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 48 प्रतिशत है तथापि वह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत प्रदान करता है।

6. नई कृषि युक्ति और हरित क्रान्ति – भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहला संगठित प्रयास वर्ष 1960–61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के लिए चुने गये जिलों के लिए पायलट परियोजना के रूप में किया गया था। भारतीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रों ने मक्का, बाजरा और ज्वार की संकर किस्में खोज निकालीं, जिनके द्वारा इन फसलों का उत्पादन बढ़ाना सम्भव हो सका। नई कृषि युक्ति को 1966 में एक पैकेज कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया और इसे अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की संज्ञा दी गयी। वर्ष 1960–61 में जहाँ गेहूँ की प्रति हैक्टेअर उत्पादकता 851 किलोग्राम थी, वह वर्ष 2016–17 में बढ़कर 3216 किलोग्राम तक पहुँच गयी। यही कारण है कि बहुत से लोगों का कहना है कि भारत में गेहूँ उत्पादन में वृद्धि ही हरित क्रान्ति का मुख्य आधार है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब 88 करोड़ है, और भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। व्यक्तियों को जिन्दा रहने के लिए खाद्य–पदार्थों की आवश्यकता होती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में कृषि भूमि का आकार लगातार कम होता जा रहा है, जो कि चिन्ता का विषय है। भारत में यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं, फिर भी जिस दर से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए थी, वह अब तक नहीं हो पा रही है। वर्ष 1950–51 से वर्ष 2016–17 तक के प्रमुख फसलों के उत्पादन को देखने से यह पता चलता है, कि अधिकतर फसलों के उत्पादन में लगभग चार–पॉच गुना वृद्धि दर्ज की गयी है, जो तेजी से बढ़ती जनसंख्या के भरण–पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। आने वाले समय में भारत में खाद्य–पदार्थों की उपलब्धता की स्थिति बहुत ज्यादा खराब न हो, इसलिए कृषि के आधुनिकीकरण के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराये जा रहे हैं। भारत में ज्यादा से ज्यादा कृषि यन्त्रों और मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करके, कृषि के उत्पादन को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि भविष्य में भारत में खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित समस्याओं का कम से कम सामना करना पड़े।

संदर्भ

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, वी0के0 पुरी एवं एस0के0 मिश्र
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, संजीव वर्मा
3. दैनिक जागरण – दैनिक समाचार पत्र
4. हिन्दुस्तान – दैनिक समाचार पत्र
5. https://translate.google./com

30

जनपद बागेश्वर में पर्यटन : विकास एवं संभावनाएं

चन्द्र प्रकाश सिंह
शोध छात्र (अर्थशास्त्र विभाग)
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
एस.एस.जे. परिसर, अल्मोड़ा, उत्तराखंड़

सारांश

देव भूमि नाम से विख्यात एवं आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे उत्तराखंड राज्य पौराणिक काल से ऋषि मुनियों की तप स्थली रही है। इस पर्वतीय राज्य में वर्तमान में 13 जनपद हैं, जो अपने सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विशेषताओं के लिए विख्यात रहे हैं। बागेश्वर को उत्तर का काशी भी कहा गया है। इस जनपद में पर्यटन व स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं जिसे पहचानने के उद्देश्य से इस शोध पत्र में कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों का वर्णन किया गया है। पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जिसके विकास से किसी क्षेत्र विशेष के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बड़ी आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। पर्वतीय राज्य के जनपद बागेश्वर में ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन का विकास हुआ है। जनपद में पूरे वर्षभर देश–विदेश से पर्यटक घूमने आते रहते हैं। किन्तु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण पर्यटकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय वैश्वीकरण का होने के कारण इस जनपद में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक परिवर्तन लाने में पर्यटन व्यवसाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि पर्यटन प्राचीन समय से ही संस्कृति का संवाहक रहा है।

मुख्य शब्द

पर्यटन, बागेश्वर, आर्थिक, सकारात्मक विकास ।

विश्व की अनेक अर्थव्यस्थाएँ पर्यटन पर आश्रित हैं। भारत जैसे देश में भी पर्यटन एक प्रमुख उद्योग रहा है। भारतीय राज्यों की बात करें तो हिमालयी राज्य अपनी सुन्दरता और संस्कृति से ओत–प्रोत हैं। लेकिन व्यापक प्रचार–प्रसार के अभाव के कारण इन राज्यों की नैसर्गिक छटा का अनुकूलतम प्रयोग नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ पर पर्यटकों को लुभाने वाली अवसंरचनाओं का अभाव होने के कारण इस राज्य की नैसर्गिक छटा एवं संस्कृति का अभी पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस पर्वतीय राज्य की संस्कृति, धर्म, दर्शन, रहन–सहन, रीति रिवाज, वास्तुकला, संगीत, नृत्य एवं त्यौहारों ने हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है।

उत्तराखंड में पर्यटन के प्रकार

- **धार्मिक पर्यटन (तीर्थाटन)** – जब यात्री अपनी यात्रा को धार्मिक उद्देश्य से करता है।
- **व्यवसायिक पर्यटन** – लोगों द्वारा अपने व्यवसाय क्षेत्र की खोज के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा।
- **सांस्कृतिक पर्यटन** – प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग संस्कृति होती है जो उसे दूसरों से भिन्न बनाती है। मानव एक जिज्ञासु प्राणी होने के कारण किसी क्षेत्र विशेष में जाकर वहां के क्रिया–कलाप, रहन–सहन, भाषा व रीति–रिवाजों के बारे में जानकारी लेता है।
- **अवकाश पर्यटन** – पर्यटक अवकाश के दिनों का पूरा आनंद लेना चाहते हैं जिसके लिए वे अवकाश के दिनों में यात्राओं पर निकलते हैं।
- **स्वास्थ्य पर्यटन** – पर्यटन का यह एक नया दृष्टिकोण है। यहाँ पर्यटक अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए शुद्ध हवा, पानी की तलाश में यात्रा पर निकलते हैं।
- **साहसिक पर्यटन** – युवाओं के यात्रा का मुख्य उद्देश्य साहसिक पर्यटन ही रहा है।

उत्तराखंड राज्य में पर्यटक सुविधाएँ वर्ष 2018–19

क्र. सं.	मद	विवरण
1.	पर्यटक स्थल	327
2.	पर्यटक आवास गृह	176
3.	रैन बसेरा	33
4.	पर्यटक आवास गृह में उपलब्ध शैय्यायें	6164
5.	रैन बसेरा में उपलब्ध शैय्यायें	1590
6.	निजी होटल तथा पेइंग गेस्ट हाउस	5619
7.	धर्मशालायें	895
8.	वीरचन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी	6233

स्रोत – उत्तराखंड विकास परिषद तथा वन विभाग, उत्तराखंड।

उत्तराखंड राज्य में पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018–19

क्र. सं .	विवरण	संख्या (लाखों में)
1	पर्यटकों की कुल संख्या (तीर्थ यात्राओं सहित)	368.53
1अ	भारतीय पर्यटक	366.98
1ब	विदेशी पर्यटक	1.55
2.	महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में आये कुल पर्यटक	486370
2अ	भारतीय पर्यटक	469069
2ब	विदेशी पर्यटक	17301

स्रोत – उत्तराखंड विकास परिषद तथा वन विभाग, उत्तराखंड।

उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक स्थिति होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है ।

अध्ययन क्षेत्र

बागेश्वर जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2246 वर्ग कि०मी० है जिसमें 659.3 वर्ग कि०मी० वन क्षेत्र भी शामिल है। जनपद बागेश्वर में तीन विकासखंड गरुड़, बागेश्वर व कपकोट हैं। यह जनपद पूर्व में पिथौरागढ़, दक्षिण में अल्मोड़ा, पश्चिम में चमोली जनपदों की सीमाओं को साझा करता है। यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 259898 है, जिसमें 135572 महिलाएं तथा 124326 पुरुष हैं। नैसर्गिक सुन्दरता की दृष्टि से जनपद में पर्वत, झरने, नदियाँ, बुग्याल, हिमाच्छादित पर्वत, ग्लेशियर एवं घाटियाँ आदि हैं। किन्तु उचित प्रचार–प्रसार एवं मूल अवसंरचना के अभाव में जनपद में इन स्थानों में पर्यटकों के पहुंचने में बाधा रही है।

बागेश्वर जनपद में प्रमुख पर्यटक स्थल

क्र0 सं0	प्रमुख पर्यटक स्थल	जिला मुख्यालय से दूरी	पर्यटन स्थल का महत्व
1.	बागेश्वर	00 कि०मी०	यह दो पवित्र नदियों सरयू और गोमती का संगम स्थल है तथा यहां वर्ष 1602 में राजा लक्ष्मी चंद द्वारा निर्मित बागनाथ मंदिर स्थित है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर यहाँ विश्व प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला लगता है।
2.	बैज़नाथ	19 कि०मी०	कत्युरी राजाओं की यह राजधानी धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है।
3.	काण्डा	25 कि०मी०	इस स्थल पर भद्रकाली मन्दिर नैसर्गिक सौंदर्य को बढ़ाता है।

4.	कोसानी	37 कि०मी०	सूर्योदय व सूर्यास्त के दृश्य के लिए प्रसिद्ध यह स्थल कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान है। इस स्थल की सुन्दरता को देखकर महात्मा गाँधी ने इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा, तथा इस स्थान पर गीता अनाशक्ति योग लिखी गई है।
5.	पांडु स्थल	27 कि०मी०	यह स्थान गरूर विकासखंड में स्थित है। मान्यता के अनुसार यह स्थान कौरवों और पांड़वों के युद्ध स्थान के रूप में माना जाता है।
6.	शिखर मन्दिर	60 कि०मी०	कपकोल विकासखंड में स्थित इस मूल नारायण मंदिर का धार्मिक एवं साहसिक रूप से विशेष महत्व है।
7 .	गौरी उडियार	08 कि०मी०	गौरी उडियार जनपद में सिथत एक नैसर्गिक गुफा है जो उन पवित्र मन्दिरों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस गुफा के अन्दर कई शिव की मूर्तियाँ हैं।
8.	अंग्यारी महादेव	100 कि०मी०	अंग्यारी महादेव मन्दिर चमोली और बागेश्वर जनपद की सीमा पर गोमती घाटी में स्थित है। इस पवित्र मन्दिर के मार्ग में तीर्थ यात्रियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सावन में यहाँ विशेष लोकप्रिय मेला लगता है। इस स्थान से गोमती नदी का प्रारंभ होता है।
9.	पिंडारी ग्लेशियर	60कि०मी०	कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित पिंडारी ग्लेशियर एक खूबसूरत बर्फीली चोटी है जिसकी ऊँचाई समुद्रतल से 3660 मी. है। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक कुमाऊँ हिमालय की सबसे लोकप्रिय ट्रैकों में से एक है।
10.	कफनी ग्लेशियर	90 कि०मी०	कफनी ग्लेशियर कुमाऊँ हिमालय के शीर्ष भाग में स्थित नंदा देवी पर्वत के दक्षिणपूर्व की ओर स्थित एक छोटा ग्लेशियर है जो पिंडर नदी की सहायक नदी कफनी के लिए पानी की आपूर्ति करता है ।
11.	सुन्दरढूंगा ग्लेशियर	90 कि०मी०	सुन्दरढूंगा ग्लेशियर पिंडर घाटी के पश्चिम की ओर स्थित है। सुन्दरढूंगा का अर्थ है, खुबसूरत पत्थरों की घाटी जो ग्लेशियर के टुकडों से निर्मित हुई है। सुन्दरढूंगा ग्लेशियर मार्ग रावती गाँव तक पिंडारी और कफनी ग्लेशियर के साथ है। यहाँ से इस ग्लेशियर का रास्ता अलग हो जाता है। इस ट्रैक पर फूलों, झरनों व खूबसूरत हिमालयी चोटियों द्वारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है।

कई मूलभूत अवसंरचना के अभाव के बाद भी इस जनपद में पर्यटन के क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है जो स्वरोजगार एवं आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक हो सकता है, जिससे एक ओर लोगों का पलायन रुकेगा, साथ ही क्षेत्रीय विकास को बढाया जा सकता है।

जनपद बागेश्वर में पर्यटक सुविधायें

क्र.सं.	मद	अवधि	संख्या
1.	मुख्य पर्यटक स्थल	2018–19	25
2.	पर्यटक आवास गृह	2018–19	09
3.	रैन बसेरा	2016–17	00
4.	पर्यटक आवास गृह में उपलब्ध शैय्यायें	2016–17	01
5.	रैन बसेरा में उपलब्ध शैय्यायें	2016–17	00
6.	निजी होटल तथा पेईंग गेस्ट हाउस	2016–17	65
7.	धर्मशालायें	2016–17	00

स्रोत – बागेश्वर जनपद एक दृष्टि में 2018–19, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, बागेश्वर।

जनपद बागेश्वर में पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018–19

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	पर्यटकों की संख्या (तीर्थ यात्रा सहित)	88241
1अ	भारतीय पर्यटक	87217
1ब	विदेशी पर्यटक	1024

स्रोत – बागेश्वर जनपद एक दृष्टि में 2018–19, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, बागेश्वर।

सरकार द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रकार के योजनायें चलाई जा रही हैं जिसमें इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार अपनाने के लिए सरकार द्वारा निम्न दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन योजनाओं में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना, होम स्टे, ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना आदि प्रमुख हैं।

वर्तमान समय में जनपद कुमाऊँ मंडल विकास निगम एवं पर्यटन विभाग उत्तराखंड के अलावा अनेक निजी क्षेत्र के उद्यमी इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। आजादी से इस क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही में सतत बढ़ोतरी हुई है। फिर भी यह वृद्धि यहाँ के पर्यटन को देखते हुए बहुत कम है। इसके अनेक कारण हैं। यहाँ पर पर्यटन विकास की प्रमुख समस्या आवागमन, संचार एवं आवास–भोजन की रही है।

पर्यटकों के आवागमन के लिए आवश्यक है कि दूरस्थ एवं दुर्गम पर्यटन स्थलों तक परिवहन संचार एवं उचित आवास गृहों का निर्माण कराया जाए जिसमें सभी श्रेणी के पर्यटक इसका लाभ उठा सकें। साथ ही साथ यह क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार का भी एक सक्षम साधन बन सकता है। इस क्षेत्र में पर्यटन का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक विरासत, लोकनृत्य, लोकगीत, रीति, परम्पराएं एवं व्यंजन हो सकते हैं।

अतः इनके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सरकार तथा निजी स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिएं। 21वीं सदी सूचना–क्रांति की सदी होने के कारण आई.सी.टी. (मीडिया) का माध्यम एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इसके साथ–साथ सरकार को इस प्रकार पर्यटन नीति बनानी चाहिए जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ यहाँ की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हो सके।

निष्कर्ष

एक पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड के अधिकांश भागों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिखता है। इस पर्वतीय राज्य की असल पूंजी वन सम्पदा है जो पूरे देश की पर्यावरणीय क्षति की पूर्ति करती है। इस पर्यावरणीय संपदा को बचाये रखते हुए हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ना होगा। पर्यटन उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें बिना किसी या न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति पहुंचाये हुए हम इसका विकास कर सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर उत्पादित उत्पादों, त्यौहारों, सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करके हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं जिससे एक ओर स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा साथ की इन क्षेत्रीय विशेषताओं को अखिल भारतीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

बागेश्वर जनपद अंग्रेजों के शासन काल से ही स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र रहा है, इसी स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों ने कुली बेगार प्रथा का अंत किया। वर्तमान में पर्यटन एक प्रमुख उद्योग बन गया है जो पूरे विश्व में एवं वर्ष भर चलता रहता है जिसने पूरे समाज को आपस में जोड़ा है तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधता को जानकर उसके विकास में पर्यटन एक मुख्य कड़ी बनकर उभरा है। अब हमें अपनी क्षेत्रीय पहचान को विश्वपटल पर लाने के लिए इस क्षेत्र में सरकार और जनता के सहयोग द्वारा उचित नियोजन बनाकर मूलभूत सुविधाओं का विकास करना होगा जिससे पूरे समाज का कल्याण एवं क्षेत्रीय संतुलन व विकास संभव होगा।

संदर्भ

1. जोशी, एस.सी., रावत गीता, कुमाऊँ में पर्यटन विकास एवं संभावनाएं।
2. परिहार, डी.एस., दीपक : पर्यटन में वैश्वीकरण के प्रयास व सकारात्मक प्रभाव।
3. रौतेला, सुखपाल सिंह, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं उत्तराखंड में पर्यटन।
4. सामाजिक–आर्थिक समीक्षा, जनपद–बागेश्वर, 2016–17।
5. बागेश्वर जनपद एक दृष्टि में 2018–19, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, बागेश्वर।
6. https://des.uk.gov.in
7. https://bageshwar.nic.in
8. https://chardhamtours.in
9. https://euttaranchal.in
10. https://uttarakhandtourism.gov.in

31

शिक्षा के वैश्वीकरण का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव

डॉ० बलराम सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र विभाग)

साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद

सारांश

शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दशकों में चलने वाली प्रक्रियाऐं बाजारवादी आर्थिक–सांस्कृतिक व्यवस्था से उत्पन्न हुई हैं और बाजारवादी, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने इनका पोषण किया है। विकासशील देशों की आर्थिक सीमाओं ने वैश्विक शिक्षा के नाम पर निजी क्षेत्र में निवेश करने का अवसर दिया है। शिक्षा का वाणिज्यीकरण जिस तरह शिक्षा को महंगा कर रहा है वह सामाजिक असमानता को बढावा देने का कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने हितों को साधने के लिये जिस तरह विकसित राष्ट्र शिक्षा में समरूपीकरण की बात कर रहे हैं, वे विकासशील देशों को अपना बौद्धिक उपनिवेश बना रहे हैं, जो सांस्कृतिक विसंयुक्तता को बढ़ावा दे रहा है। इस लेख में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जानकारी व आनुभाविक उपागम की सहायता से शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को आर्थिक–सांस्कृतिक सन्दर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द

बाजारवादी, उदारीकरण, वैश्वीकरण, सांस्कृतिक विसंयुक्तता, बौद्धिक उपनिवेश।

शिक्षा के क्षेत्र में 1990 के बाद जो प्रक्रियाएं और अवधारणाएं उत्पन्न हुई हैं उनमें शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का बाजारीकरण, शिक्षा का वाणिज्यीकरण, शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण, सीमा पार शिक्षा का आयात/निर्यात आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये प्रक्रियाएं ज्ञान को बौद्धिक सम्पदा के रूप में देखती हैं। इनका उद्‌भव बाजारवादी आर्थिक–सांस्कृतिक व्यवस्था से हुआ है और बाजारवाद, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने इनका पोषण किया है। अतः इन्हें इन आर्थिक प्रक्रियाओं के सन्दर्भ में समझा जा सकता है।

यद्यपि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को वर्तमान बाजारवाद और उदार अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में देखा जाता है लेकिन इतिहास साक्षी है कि यह प्रक्रिया काफी पुरानी है जो नए सन्दर्भ में नये रूप में सामने आ रही है। हजारों साल पहले भी विभिन्न देशों के बीच में आर्थिक–सांस्कृतिक आदान–प्रदान होता था। भारत के अन्य एशियाई तथा अरब देशों से व्यापारिक सम्बन्ध, विदेशों से विद्यार्थियों का आकर यहां के विश्वविद्यालयों में पढ़ना, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सुदूरपूर्व के देशों की यात्राएं आदि इसके कुछ सर्वज्ञात तथा प्रसिद्ध उदाहरण हैं।

शिक्षा के वैश्वीकरण का सामाजिक प्रभाव

वैश्वीकरण का वर्तमान दौर जिस बाजारवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है उसमें हर चीज 'वस्तु' (कमोडिटी) है, उत्पादन, विनिमय और उपभोग लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। शिक्षा भी इस मान्यता से प्रभावित हुई है। वर्तमान व्यवस्था में शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा भी वस्तु है जिसे लाभ के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। शिक्षा का उद्‌देश्य ज्ञान तो है पर यह ज्ञान, 'ज्ञान' के लिये नहीं बल्कि आर्थिक लाभ के लिये प्रयुक्त किया जाता है। इसलिये शिक्षा को निवेश और उपभोग के सन्दर्भ में देखा जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा का प्रकार, अंतर्वस्तु, गुणवत्ता और मूल्य बाजार की आवश्यकताओं से निर्धारित हो रहा है। समय प्रबंधन, व्यापार प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, पर्यावरण प्रबन्धन, मीडिया प्रबन्धन आदि कुछ ऐसे पाठयक्रम हैं जो कला और सामाजिक विज्ञानों के परम्परागत पाठ्यक्रमों से अधिक प्रचलित हो रहे हैं। निजी संगठनों, औद्योगिक घरानों आदि ने भी शिक्षा दाताओं के रूप में अपने को शिक्षा से जोड़ दिया है। ये निजी संस्थान व्यावसायिक दृष्टिकोण से बाजार की मांगों की पूर्ति के लिये रोजगारोन्मुख शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। रोजगार की शत–प्रतिशत गारन्टी रोजगारोच्छुक युवा वर्ग की भीड़ को इन संस्थानों की ओर खींच रही है। ये युवा, रोजगार की गारन्टी के आकर्षण से शिक्षा के लिये मुँह मांगा शुल्क देने को तैयार हैं। इन निजी शिक्षण संस्थानों का तर्क है कि लाभ कमाने वालों को उसकी कीमत देने के लिये तैयार रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में जिस शिक्षा से संभावित आमदनी जितनी अधिक होगी उस शिक्षा के लिए उतनी ही अधिक कीमत चुकाने के लिये विद्यार्थी तैयार रहेगा। शिक्षा का यह

वाणिज्यीकरण एक ओर उन उद्यमियों को शिक्षा में निवेश के लिए आकर्षित करता है जिनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना है, शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति उनमें कोई प्रतिबद्धता नहीं होती। दूसरी ओर इस प्रक्रिया से शिक्षा–शुल्क मध्यम आय वर्गीय परिवारों की पहुँच से कहीं ऊंचा रखा जाता है। यह सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कुछ हीन स्थिति वाले लोगों की सहभागिता को वर्जित कर देता है जो उच्च शिक्षा के सहारे सामाजिक संस्तरण में ऊपर उठना चाहते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों में संरचनात्मक व्यवस्थापन के कार्यक्रमों पर जो बल दिया जाता है उसमें शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा में निजी निवेश की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाता है। दूसरी ओर इन देशों में जनसंख्या वृद्धि, आधुनिकीकरण की आवश्यकता, मानव श्रम शक्ति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की उपलब्धि की तुलना में संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण निजी निवेश को अनुमति देने की विवशता भी है। यही कारण है कि भारत सहित अनेक विकासशील देशों में निजी क्षेत्र का प्रारम्भ हुआ है। इसने उच्च शिक्षा के आयात–निर्यात की नयी प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है। इसमें रूचि लेने वाली संस्थाऐं इन सम्भावनाओं का आकलन कर रही हैं कि किस प्रकार यह प्रक्रिया विदेशी मुद्रा भण्डार को समृद्ध करने का साधन बन सकती है। उच्च शिक्षा के निर्यात के लिए हमारी उच्च श्रेणी की शिक्षण संस्थाएं दूसरे देशों में शाखाएं खोलकर या उन देशों की शिक्षण संस्थाओं से जुड़कर अपना ज्ञान और कौशल विदेशों में प्रसारित कर सकती हैं। इसी तरह हमारे देश में विदेशी संस्थाएं अपनी शाखाएं खोलकर या यहां की शिक्षण संस्थाओं के साथ जुड़कर अपनी शिक्षा का भारत में प्रसार कर रही हैं। इस प्रकार शिक्षा के आयात–निर्यात की यह प्रक्रिया शिक्षा के सीमा पार विस्तार या शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया बन रही है। इस प्रक्रिया के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं को शिक्षा के उद्देश्यों और विकसित एवं विकासशील देशों के सन्दर्भ में समझा जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में सीमा पार शिक्षा या अधिक शब्दों में उच्च शिक्षा के आयात का स्वागत करने वाला वह अभिजात्य वर्ग है जो अपने बच्चों को विदेशों में या विदेशी शिक्षा दिलवाना अपनी उच्चता और विशिष्टता का प्रतीक मानता है और विदेशी डिग्री को देशी डिग्री से अधिक मूल्यवान समझता है। उनके लिये अपने ही देश में अपने बच्चों को कम व्यय में विदेशी शिक्षा और डिग्री दिलवाना निश्चय ही फायदे का सौदा है।

विकासशील देशों में उच्च शिक्षा के निर्यात के पैरोकार अपने देश के आर्थिक लाभ की दृष्टि से सोचते हैं और उच्च शिक्षा के निर्यात को विदेशी मुद्रा कमाने के तरीके के रूप में प्रस्तुत करते हैं लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि उन्हें शिक्षा का विदेशी बाजार अपने से कम विकसित देशों में ही मिल सकता है। यह कल्पना करना व्यर्थ है कि जिस तरह वे अपने आर्थिक लाभ के लिये शिक्षा का निर्यात करने के बारे में सोच रहे हैं उसी तरह विकसित देश नहीं सोचेंगे। जो विकसित देश अपने आर्थिक लाभ के लिये कृषि, चिकित्सा आदि से जुड़े उत्पादों और अनुसंधानों को पंजीकृत करवाने के लिये सतर्क रहते हैं, वे देश इतने उदार नहीं हो सकते कि विकासशील देशों में शिक्षा का निर्यात करके उनके शैक्षिक स्तर और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आयातक देश में उस स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे जो उनके स्वयं के देश में दी जाती है। न ही ये विकसित देश विकासशील देशों की उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं को अपने यहां शिक्षा का आयात करने के लिये पूरे अवसर और सुविधाएं देंगे। संक्षेप में विकासशील देशों में उच्च शिक्षा के आयात और निर्यात में आर्थिक असंतुलन बना रहेगा।

लैटिन अमेरिकन अर्थशास्त्री ए. जी. फ्रैंक के अल्प विकास के सिद्धान्त का यहां उल्लेख समीचीन होगा। उनके सिद्धान्त के अनुसार चूंकि अविकसित देश विकसित देशों की अधिक सहायता नहीं कर पाते, विकसित देश अविकसित देशों को अल्प विकास के लिए मदद करते हैं ताकि वे अच्छे सहायक बन सकें। फ्रैंक की मान्यता है कि अल्प विकास विकसित देश बनने की प्रक्रिया का स्तर नहीं है। इसके विपरीत अल्प विकास के स्तर की प्रवृत्ति इस तरह की होती है कि देश उसी स्तर पर रूका रहता है। दूसरे शब्दों में विकसित और अविकसित के बीच का अन्तर बना रहता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण ऐसी शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा जो उनकी शिक्षा और अनुसंधान को मदद करे। अधिक स्पष्ट शब्दों में विकासशील देशों में शिक्षित व्यक्ति विकिसत देशों की आयातित शिक्षा प्राप्त करके बौद्धिक नेतृत्व नहीं कर पायेंगे। वे विकसित देशों के बौद्धिक नेताओं के वैसे ही अनुगामी या सहायक बनेंगे जैसे डॉक्टर के साथ कम्पाउन्डर। इस आशंका की पुष्टि इन तथ्यों से होती है कि विकसित देशों में काम रहे किसी विकासशील देश के जिन लोगों की उपलब्धियों की चर्चा उनके अपने देश में होती है वह उपलब्धि उनकी अकेले की नहीं होती वह किसी और उच्चस्थ व्यक्ति या टीम की उपलब्धियों का हिस्सा होती है। यदि विकासशील देश के व्यक्ति को पुरूस्कृत किया भी जाता है तो दूसरे किसी के साथ संयुक्त रूप से। कई बार यह भी होता है कि यदि दो व्यक्तियों की उपलब्धियां एक समान हों तो विकसित देश के शोधकर्ता की तारीफ अधिक होती है।

शिक्षा का आयात विकासशील देशों में सामाजिक असामनता में वृद्धि का भी एक कारक बन जाता है। लाभ–प्रवृत्त एजेन्सियां स्वयं सीधे या किसी स्थानीय शैक्षिक संस्थान के माध्यम से महंगी शिक्षा की व्यवस्था करती हैं जो विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने की तुलना में कम महंगी होती है। चूंकि आर्थिक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धि के कारण इन शैक्षणिक संस्थानों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना आसान होता है, ये शैक्षिक संस्थानों के विद्यमान संस्तरण में ऊपर की ओर एक स्तर और जोड़ देते हैं, जैसे भारत में उच्च व तकनीकी शिक्षा के केन्द्रों केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी संस्थान, चिकित्सा संस्थान, राज्य या क्षेत्रीय विश्वविद्यालय सरकारी, अनुदानित व निजी विश्वविद्यालय आदि का स्पष्ट संस्तरण विद्यमान है। आधारभूत संसाधनों की दृष्टि से जो संस्थान जितना समृद्ध होता है वह उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था भी उतनी ही आसानी से कर सकता है जबकि अन्य संस्थान संसाधनों की कमी से पिछड़ते जाते हैं। इन संस्थानों में वे विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं

जो उच्च स्तरीय संस्थानों में प्रवेश पाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे विद्यार्थी उच्च स्तरीय संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से शिक्षा के स्तर, ज्ञान और रोजगार के अवसरों की दृष्टि से स्वतः ही पिछड़ते जाते हैं, इस प्रकार अवसरों का ध्रुवीकरण समताकारी सामाजिक विकास नहीं कर पाता।

शिक्षा के वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव

आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वैश्विक शिक्षा की बात करने वाले इसे श्रम बाजार के सन्दर्भ में देखते हैं। आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकताएं विशेष प्रकार की शिक्षा की मांग करती हैं और उन्हें ग्रहण करने वालों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करती हैं। इस दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य विशेष धन्धे या व्यवसाय के लिये कार्मिक तैयार करना होता है। उन कर्मियों की सामाजिक–सांस्कृतिक आवश्यकताओं की इस शिक्षा व्यवस्था में उपेक्षा की जाती है। इतना ही नहीं आवश्यकताएं बदलने के साथ मांग भी बदलती है और इसके साथ ही शिक्षा में भी बदलाव आता है। अभियांत्रिकी का क्षेत्र इसका एक छोटा सा उदाहरण है। प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में जब निर्माण पर बल था तब सिविल इंजीनियरों की मांग थी, अब सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों की है। दूसरे शब्दों में मांग बदलने के साथ तैयार कार्मिक असंगत होने लगते हैं और उनमें बेकारी की समस्या पैदा होने लगती है। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में वैश्विक शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक होती है। इसका कारण यह है कि कोई विशिष्ट व्यवसाय, धन्धा या नौकरी, दुनिया के चाहे किसी भी कोने में की जाए, उसे करने के लिये एक निश्चित स्तर की कुशलता, शिक्षा और दक्षता की आवश्यकता होती है लेकिन विकसित देश अपने यहां वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध प्रवाह को तो स्वीकार करते हैं पर मानव संसाधनों के निर्बाध प्रवाह को नहीं। यदि मानव संसाधनों का निर्बाध प्रवाह नहीं होगा तो यह दावा गलत हो जायेगा कि समान शिक्षा पाने वालों के सम्मुख नौकरी के अवसर समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था वैश्विक शिक्षा की तो बात करती है पर अवसरों की वैश्विक समानता प्रदान नहीं करती। विकसित देश बौद्धिक निकासी को उस सीमा तक स्वीकार करते हैं जब तक वह बौद्धिकता उनके यहां आयात हो रही है और उनकी अर्थव्यवस्था के लिये उत्पादक है। दूसरे शब्दों में विकसित देशों की आर्थिक आवश्यकताएं बौद्धिक प्रवाह के आगमन की गति और स्रोतों पर नियन्त्रण रखती हैं।

इसका एक पक्ष और भी है जो देश मानव संसाधनों के विकास की आर्थिक व्याख्या को स्वीकार करते हैं वे शिक्षा को पूंजी के रूप में देखते हैं और वैश्विक शिक्षा के महत्व पर बल देते हैं। यह आर्थिक व्याख्या व्यक्ति–केन्द्रित और प्रतियोगिता आधारित होती है जिसमें स्वहित की प्रधानता होती है। इसके विपरीत मानव विकास को बहुआयामी मानने वाले शिक्षा को सामाजिक–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। यह परिप्रेक्ष्य समुदाय–केन्द्रित होता है और सामाजिक तारतम्यता और सामुदायिक भावना को वैयक्तिक हितों से उच्च मानता है। यह परिप्रेक्ष्य सहयोग और परार्थवादिता पर बल देता है तथा राज्य नियन्त्रण को स्वीकार करता है। प्रतियोगिता–केन्द्रित व्यवस्था मुक्त बाजार और अहस्तक्षेप के दर्शन पर आधारित होती है। यह वैयक्तिक कार्य–कुशलता, प्रभावकारी लागत और उपयोगिता की बात करती है और उन सब तत्वों की उपेक्षा करती है जो गैर उत्पादक और अलाभकारी हैं। उसके लिये एक कुशल कामगार एक कवि या दार्शनिक से अधिक उपयोगी है। सामुदायिक सहकारिता केन्द्रित व्यवस्था मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग–अलग होती है और समूह के रूप में काम करने पर कम कुशल और अधिक कुशल व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। मनुष्य का मूल्य उसकी मनुष्यता से है, आर्थिक क्रिया का प्रभावशाली साधन होने से नहीं। वैश्विक शिक्षा प्रतियोगिता और वैयक्तिक क्षमता आधारित उपलब्धियों को प्रोत्साहित करती है और बौद्धिक निकासी को वैश्विक अवसरों के लिये सकारात्मक मानती है। इसके विपरीत राष्ट्रीय हितों के लिये सोचने वाले व्यक्ति स्वहित से ऊपर उठकर सामुदायिक हितों के लिये प्रतिबद्ध होते हैं। ऐसे लोगों के लिए बौद्धिक निकासी की प्रक्रिया सामुदायिक हितों के विपरीत होती है।

शिक्षा के वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव

प्रत्येक देश में शिक्षा सर्वांगीण विकास का साधन भी होती है। इस भूमिका में यह अपने नागरिकों को राष्ट्रीय हितों के प्रति निष्ठावान बनाती है और उन हितों को साधने के लिये तैयार करती है। शिक्षा के लक्ष्य प्रायः राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं। शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण इस भूमिका की उपेक्षा करता है। यदि वैश्विक शिक्षा के लक्ष्य राष्ट्रीय हितों से भिन्न होंगे तब राष्ट्रीय और शैक्षिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिये तानाशाही शासन वाले देश के लक्ष्य लोकतांत्रिक देश के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो सकते। इसी प्रकार सामुदायिकता के मूल्यों से परिचालित राष्ट्रीय हित मुक्त बाजार व्यवस्था आधारित राष्ट्रीय हितों के समान नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में किसी देश (प्रायः विकसित) के हितों और लक्ष्यों को दूसरे (प्रायः विकासशील) देश पर आरोपित करने का प्रयास उस देश में अव्यवस्था और मूल्यों का द्वन्द पैदा कर सकता है।

किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था उसके राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती ही है। उसकी जड़ें कहीं अधिक गहरी उसकी संस्कृति में स्थित होती हैं। प्रत्येक संस्कृति के मूल्य, आदर्श, नैतिक नियम आदि उसके अपने विशिष्ट तत्व होते हैं। इस दृष्टि से शिक्षा की भूमिका कई बार विरोधाभासी हो जाती है। एक ओर शिक्षा संस्कृति को हस्तान्तरित करती है। समाजीकरण के द्वारा नयी पीढ़ी को विद्यमान सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शो को अंतरीकृत कराया जाता है। इस प्रकार शिक्षा यथास्थिति बनाए रखने में मदद करती है। दूसरी ओर शिक्षा तर्क और विवेकयुक्त वैज्ञानिक तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। इस रूप में यह ऐसे मुखर व्यक्तित्व तैयार करती है जो समाज में परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। शिक्षा की भूमिका मुख्यतः यथास्थितिवादिता की होगी या गतिशीलतावादी की; यह समाज व्यवस्था के स्वरूप से निर्धारित होता है। खुले और गतिशील समाज शिक्षा के ऐसे स्वरूप अपनाते हैं जो परिवर्तन की समर्थक और परिचालक है। दूसरी ओर स्थिर और बंद समाज

यथास्थितिवादी शिक्षा को अपनाते हैं। वे परिवर्तन–पोषक आदर्श नियमों तथा समानता और उदारता के मूल्यों को आसानी से स्वीकार नहीं करते। जब पुरानी व्यवस्था में नए मूल्य संगत नहीं हो पाते हैं तब वहां के अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के सामने द्वन्दात्मक मूल्यों के बीच व्यवस्थापन का संकट आने लगता है।

शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीकरण की एक प्रक्रिया वैश्विक शिक्षा के नाम पर भाषा, पाठ्यक्रम, शैक्षिक स्तर आदि में समरूपीकरण से प्रारम्भ होती है। आगे चलकर इसके माध्यम से परिधान और भोजन सम्बन्धी आदतों का समरूपीकरण होने लगता है और तीसरे स्तर पर व्यावसायिक मूल्यों, व्यावसायिक व्यवहारों और व्यावसायिक संस्कृति का। यह समरूपीकरण अंततः विकासशील देशों को विकसित देशों का बौद्धिक उपनिवेश बनाने लगता है। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी की लोकप्रियता अंग्रेजी उन्मुख अभिजात्य वर्ग और स्वदेशी भाषा उन्मुख आम जन में प्रारम्भ होती है। प्रारम्भ में यह विभेद भाषाजन्य अधिक होती है जो धीरे धीरे सांस्कृतिक होने लगती है। विदेशी शिक्षण संस्थाएं विकासशील देशों में शिक्षा के साथ जिस मूल्य व्यवस्था, संस्कृति और चिन्तन परम्परा को लाती हैं वे एक ओर वैश्विक भाषायी भ्रातृत्व के साथ परसंस्कृतिग्रहण की प्रक्रिया को उद्दीप्त करती हैं और दूसरी ओर सांस्कृतिक विसंयुक्तता को। इससे परिवार, विवाह और धर्म जैसी मूलभूत सामाजिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं जो विकासशील देशों की समृद्व संस्कृतियों पर आघात करते हैं। इससे प्रति परसंस्कृतिग्रहण के रूप में धार्मिक–सांस्कृतिक कट्टरतावाद विकसित होने लगता है। सामान्यतया शिक्षा के और संस्कृति के इस घनिष्ठ सम्बन्ध की उपेक्षा कर दी जाती है।

निष्कर्ष

यह कटु सत्य है कि शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की बात करते हुए शिक्षा और संस्कृति के घनिष्ठ सम्बन्ध को अनदेखा कर दिया जाता है। वैश्विक शिक्षा के पैरोकार आर्थिक हितों का तो ध्यान रखते हैं, पर यह भूलने लगते हैं कि यदि वैश्विक शिक्षा संस्कृति के अनुरूप नहीं होगी तो वह उस देश या संस्कृति के लिये घातक होगी। अतः आवश्यकता इस बात की है कि समरूपीकृत शिक्षा को अनुमति देते समय दूरगामी सांस्कृतिक प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाये। यह तभी हो सकता है जब शिक्षा को केवल रोजगार के लिये प्रशिक्षण का साधन और विदेशी मुद्रा अर्जित करने का स्रोत नहीं माना जाए, इसकी अपेक्षा शिक्षा को समाज के व्यापक हितों के सन्दर्भ में ऐसे साधन के रूप में देखा जाए जो संस्कृति–सापेक्ष मूल्यों को विकसित करने का कार्य करती है और सामाजिक व्यवस्था के लिये वांछित और अपेक्षित है।

संदर्भ

1. आहूजा, राम, 2001, सोशियल प्राब्लम्स इन इंडिया, रावत पब्लिकेशनस, जयपुर
2. बेहर एस0सी0, 2004, ''इन्टरनेशनलाइजेशन ऑफ एजूकेशन थ्रू पर्सपैक्टिव्स'' यूनिवर्सिटी न्यूज, ग्रंथ–42, अंक–4
3. बोटोमोर, टी0वी0, 1970, ''सोशियोलॉजी, ए गाइड टू प्रोब्लम्स एण्ड लिटरेचर, अनवीन यूनिवर्सिटी बुक्स लंदन, यू0के0
4. देसाई ए.एस. 1996, ''पॉलिसीज इन हायर एजुकेशन इन इण्डिया'' प्रोफेशनल कॉम्पीटेन्सी इन हायर एजूकेशन (संपादन) एन0के0 ओबेरॉय
5. हर्स्ले, ए0एच0 और एफ0एम0 मार्टिन, 1956 सोशियल क्लास एण्ड एजुकेशनल अपोरच्युनिटी, लन्दन
6. हरलामबोस, एम. और आर. एम. हैल्ड, 2014, सोशियोलॉजी, थिम्स एण्ड पर्सपैक्टिव्स, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली
7. कबीर, एच0, 1956, एजुकेशन इन न्यू इंडिया, एलन एण्ड अनवीन प्रेस लन्दन
8. सिहं, निर्मल, 1989, प्राइवेट कन्ट्रोल ऑफ हायर एजुकेशन : ए स्टेडी इन आइडियोलॉजी, इट्स कन्ट्रीव्युसन एण्ड सोशियल कोन्सिक्युवेन्सिज, न्यू दिल्ली

32

भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषणात्मक अध्ययन (अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20 के सन्दर्भ में)

डॉ० नज़ाकत हुसैन
एसोसिऐट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग)
राजकीय महाविद्यालय, भोजपुर, मुरादाबाद

सारांश

समग्र शिक्षा में उच्च शिक्षा का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा सही मायनों में नागरिकों में समझ–बूझ के स्तर को बढ़ाने, कौशल विकास के साथ–साथ दूरदर्शी बनाने में भी महती भूमिका निभाती है, अतः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का अनुपात राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान का एक महत्वपूर्ण मापक होता है। जिस समाज में महिलाओं में उच्च शिक्षा का स्तर जितना अधिक होगा उस समाज में विकास के विभिन्न मानकों की स्थिति बेहतर अवस्था में होगी। उच्च शिक्षा में पंजीकृत कुल छात्र–छात्राओं में लगभग 51 प्रतिशत पुरूष तथा 49 प्रतिशत महिलाएं हैं। भारतीय उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य विगत एक दशक के पूर्व की स्थिति के सापेक्ष महिलाओं की भागीदारी के दृष्टिकोण से काफी हद तक सन्तोषजनक प्रतीत हो रहा है। वर्तमान समय में महिला वर्ग के शैक्षिक स्तर के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव की अनुभूति वर्तमान शैक्षिक स्थिति से हो रही है। अखिल भारतीय स्तर पर उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण की गति को गतिमान करने में मदद कर रही है। हम धीरे–धीरे एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में उभर रहे हैं। वर्तमान समय में उच्च शिक्षण संस्थानों में पुरूषों के सकल नामांकन की दर व महिलाओं के सकल नामांकन की दर में नगण्य सा अन्तर रह गया है। यदि भारत की जनसंख्या में कुल पुरूषों की संख्या व कुल महिलाओं की संख्या को ध्यान में रखा जाये तो यह अन्तर भी समाप्त हो जाता है बल्कि महिलाओं का उच्च शिक्षा अनुपात पुरूषों की तुलना में बढ़ा हुआ ही प्रतीत होता है। हमें चाहिये कि इस प्रवृत्ति को बनाये रखने का भरसक प्रयास करें। अभी भी समाज का एक वर्ग ऐसा है जहां पर महिलाओं की उच्च शिक्षा पर किये जाने वाले निवेश को निरर्थक निवेश समझा जाता है। अतः हमें अभी भी सामाजिक चेतना में उत्तरोत्तर सुधार के लिये प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। यदि हम अगले कुछ वर्षों तक महिलाओं व समाज में उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को सकारात्मक रखने में सफल हो जाते हैं तो हमारा देश निकट भविष्य में कुशल मानव संसाधन का अप्रतिम धनी देश कहलायेगा। भारत सरकार और केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के साथ साथ राज्यों के उच्च शिक्षा नियन्ताओं को मिलजुल कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को अभी और बढ़ाने के साथ–साथ सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों में महिला उच्च शिक्षा के प्रति पायी जाने वाली उदासीनता को समाप्त करने के लिये समेकित प्रयास करने होंगें।

मुख्य शब्द

महिला उच्च शिक्षा, मानव संसाधन, राष्ट्र निर्माण, उच्च शिक्षा निवेश।

प्रस्तावना

यह एक सर्वमान्य सत्य है कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक महिला को शिक्षित करने का अर्थ है एक परिवार को शिक्षित करना। एक शिक्षित महिला अपने बच्चों में स्वतन्त्र एवं विकासोन्मुख चिन्तन की प्रवृत्ति को आसानी से विकसित कर सकती है। समग्र शिक्षा में उच्च शिक्षा का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा सही मायनों में नागरिकों में समझ–बूझ के स्तर को बढ़ाने के साथ–साथ दूरदर्शी बनाने में भी महती भूमिका निभाती है, अतः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का अनुपात राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान का एक महत्वपूर्ण मापक होता है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था, "एक बालिका को शिक्षित करने का अर्थ गरीबी को कम करना है।" इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि महिला शिक्षा का स्तर किसी भी देश के विकास में अर्थपूर्ण महत्व रखता है। महिलाएं हमारे समाज का आधा हिस्सा होती हैं। समाज के आधे नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार आदि महत्वपूर्ण पक्षों

को नज़रअंदाज़ करके कोई भी देश समावेशी विकास के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। समाज की सबसे छोटी और प्रभावशाली इकाई परिवार होता है। एक महिला के अस्तित्व के बिना किसी सशक्त परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती। एक बच्चे का पहला स्कूल मॉ की गोद ही हुआ करता है। कुछ वर्षों पूर्व तक महिलाओं का आर्थिक योगदान नगण्य हुआ करता था परन्तु आज के युग में महिलाएं परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अर्थपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। चूंकि शिक्षा का स्तर अपने साथ आर्थिक समृद्धि लेकर आता है, अतः इस दृष्टिकोण से भी उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी अत्यन्त महत्वपर्ण हो जाती है।

महिलाओं में उच्च शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण स्तर से परिवार ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। जिस समाज में महिलाओं में उच्च शिक्षा का स्तर जितना अधिक होगा उस समाज में कन्या भ्रूण हत्या भी न्यूनतम होगी। महिलाओं में उच्च शिक्षा का स्तर जितना अधिक होगा जनसंख्या को नियंत्रित करने का लक्ष्य उतनी अधिक आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। स्वतन्त्रता के समय भारत में महिलाओं की साक्षरता का अनुपात पुरूषों की साक्षरता अनुपात के मुकाबले अत्यन्त कम था। बहुत कम महिलाएं उच्च शिक्षा केन्द्रों तक पहुंच पाती थीं। भारत के नीति नियन्ताओं नें स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के अनेकों उपाय किये हैं जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इस समय भारत में 17 महिला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में महती भूमिका निभा रहे हैं। यद्यपि उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के बहुत से प्रयास किये गये हैं परन्तु यह भागीदारी समस्त प्रकार के शैक्षिक अंगों में पुरूषों की भागीदारी के अनुरूप नहीं बढ़ सकी है।

भारत में अखिल भारतीय स्तर पर उच्च शिक्षा सम्बन्धी आंकड़ों को एकत्रित करने के लिये भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2011 से उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) प्रारम्भ किया गया है। यह उच्च शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा तभी से प्रत्येक वर्ष किया जाता रहा है। इस सर्वेक्षण के द्वारा भारतीय उच्च शिक्षा जगत के विभिन्न अंगों एंव पक्षों के आंकड़े इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है ताकि उन आंकड़ों के विश्लेषण एंव निर्वचन से उच्च शिक्षा सम्बन्धी नवीन नीतियों के निर्धारण में सहायता प्राप्त हो सके। यह सर्वेक्षण पूरे भारत की उच्च शिक्षा सम्बन्धी वर्तमान स्थिति का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। इस सर्वेक्षण में उच्च शिक्षा के सभी हितधारकों जैसे यू.जी.सी., आल इण्डिया टैक्निकल एजुकेशन, मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया, राज्य विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के उच्च शैक्षिक संस्थानों आदि के आंकड़े संग्रहित किये जाते हैं। प्रत्येक वर्ष किये जाने वाले इस सर्वेक्षण में शिक्षक छात्र अनपुात, सकल नामांकन अनुपात, शिक्षा के वित्तीय स्रोत, परीक्षाफल, आधारभूत सुविधाओं की स्थिति, संस्थाओं का राज्यवार घनत्व, लैंगिक अनुपात की स्थिति आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट में प्रस्तुत किये गये आंकड़े भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य का विहंगम चित्र प्रस्तुत करते हैं।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी

भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 के उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट को 10 जून 2021 को प्रकाशित कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किये गये आंकड़े भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य का नवीनतम चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह रिपोर्ट मानव संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्ष 2019–20 की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुल सूचीबद्ध 1043 विश्वविद्यालयों में से 993 विश्वविद्यालयों ने आंकड़े उपलब्ध कराये, सूचीबद्ध 42343 महाविद्यालयों में से 38012 महाविद्यालयों ने अपने आंकड़े उपलब्ध कराये तथा सूचीबद्ध 11779 स्टैण्ड एलोन संस्थानों में से 8631 ने आंकड़े उपलब्ध कराये। जबकि वर्ष 2018–19 की उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट में सूचीबद्ध 993 विश्वविद्यालयों में से 944 विश्वविद्यालयों ने अपने आंकड़े उपलब्ध कराये थे, सूचीबद्ध 39931 महाविद्यालयों में से 36308 महाविद्यालयों ने आंकड़े उपलब्ध कराये थे तथा 10725 स्टैण्ड एलोन संस्थानों में से 8534 संस्थानों ने स्वयं से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध कराये थे। इस समय भारत में स्थापित कुल उच्च शिक्षण संस्थानों में से 10.75 प्रतिशत संस्थान केवल महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

तालिका 1

वर्ष 2019–20 के उच्च शिक्षा सर्वेक्षण में प्रतिभाग करने वाले उच्च शैक्षिक संस्थान

	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	एकल संस्थान
अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20 हेतु लिस्टिड उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या	1043	42343	11779
अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20 हेतु लिस्टिड उच्च शिक्षण संस्थानों में से सूचनाएं प्रदान करने वाले उच्च शिक्षण संस्थान	993 (95.2%)	38102 (90%)	8631 (73.3%)

स्रोतः– वार्षिक रिपोर्ट अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20

उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019–20 से पता चलता है कि महिलाओं की उपस्थिति पाठ्यक्रमवार अधिकांश पाठ्यक्रमों में पुरूषों की तुलना में कम है। आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एम0फिल0, स्नातकोत्तर व सर्टिफिकेट कोर्स को छोड़कर शेष पाठ्यक्रमों में महिलाओं की उपस्थिति पुरूषों की तुलना में कम है। स्नातक स्तरीय पंजीकृत शिक्षार्थियों में पुरूषों का प्रतिशत 50.8 प्रतिशत है तथा महिलाओं का प्रतिशत 49.2 है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 65.1 प्रतिशत पुरूष छात्रों का पंजीकरण है जबकि महिलाओं का पंजीकरण प्रतिशत 34.9 है। पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में 55 प्रतिशत पुरूषों के सापेक्ष 45 प्रतिशत महिलाएं पंजीकृत हैं। एकीकृत कोर्स में 56.2 प्रतिशत पुरूषों के सापेक्ष पंजीकृत महिलाओं का प्रतिशत 43.8 है। पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 53.6 प्रतिशत पुरूषों के पंजीकरण के सापेक्ष महिलाओं का पंजीकरण 46.4 प्रतिशत है।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार सर्वाधिक नामांकन 96.55 लाख बी0ए0 पाठ्यक्रम में हुए हैं जिसमें पुरूषों का नामांकन 47.1 प्रतिशत है तथा महिलाओं का नामांकन 52.9 प्रतिशत है। कला संकाय के बाद सर्वाधिक नामांकन क्रमशः विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, इंजीनियरिंग एवं टेक्नॉलोजी संकाय में किये गये हैं। बी0एससी0 पाठ्यक्रम में 47.07 लाख विद्याार्थियों द्वारा नामांकन किया गया है जिसमें 47.7 प्रतिशत नामांकन पुरूष वर्ग द्वारा व 52.3 प्रतिशत नामांकन महिलाओं द्वारा किया गया है। बी0कॉम0 पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर 41.6 लाख विद्यार्थियों द्वारा नामांकन किया गया है जिसमें पुरूषों का नामांकन 51.2 प्रतिशत तथा महिलाओ का नामांकन 48.8 प्रतिशत है। बी0टेक0 पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर 21.48 लाख विद्यार्थियों का नामांकन हुआ जिसमें पुरूषों का नामांकन 71.5 प्रतिशत तथा महिलाओं का नामांकन 28.5 प्रतिशत है। बी0ई0 पाठ्यक्रम में 14.9 लाख विद्यार्थियों के द्वारा नामांकन किया गया जिसमें पुरूषों का नामांकन 71 प्रतिशत तथा महिलाओं का नामांकन 29 प्रतिशत है। एम0ए0 पाठ्यक्रम में कुल 16.02 लाख नामांकन किये गये जिसमें पुरूषों का नामांकन 37.7 प्रतिशत तथा महिलाओं का नामांकन 62.3 प्रतिशत है। बी0ए0 ऑनर्स पाठ्यक्रम में कुल 17.7 लाख नामांकन किये गये जिसमें पुरूषों का नामांकन 43.8 प्रतिशत तथा महिलाओं का नामांकन 56.2 प्रतिशत है। बी0एड0 पाठ्यक्रम में कुल 13.7 लाख नामांकन किये गये जिसमें पुरूषों का प्रतिशत 34 तथा महिलाओं का प्रतिशत 66 है। एम0एससी0 पाठ्यक्रम में कुल 7.84 लाख नामांकन किये गये जिसमें पुरूषों का नामांकन 37.5 प्रतिशत तथा महिलाओं का नामांकन 62.5 प्रतिशत है। एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम में कुल 6.09 लाख नामांकन किये गये जिसमें पुरूषों का नामांकन 57.4 प्रतिशत तथा महिलाओं का नामांकन 42.6 प्रतिशत है। बी0एससी0 ऑनर्स पाठ्यक्रम में 6.40 लाख नामांकन किये गये जिसमें पुरूषों का नामांकन 54.8 प्रतिशत तथा महिलाओं का नामांकन 45.2 प्रतिशत है।

तालिका 2

सर्वोच्च उच्च शिक्षा नामांकन वाले छः राज्यों में उच्च शिक्षा नामांकन की स्थिति

राज्य का नाम	सर्वेक्षण 2018–19			सर्वेक्षण 2019–20		
	पुरूष नामांकन	महिला नामांकन	कुल नामांकन	पुरूष नामांकन	महिला नामांकन	कुल नामांकन
उत्तर प्रदेश	31,89,520	32,79,847	64,69,367	31,36,650	32,51,564	63,88,214
महाराष्ट्र	23,24,424	19,05,920	42,30,326	23,13,862	19,51,610	42,65,472
तमिलनाडू	17,36,870	16,77,326	34,14,196	17,78,186	17,42,125	35,20,311
पश्चिम बंगाल	10,56,511	10,40,899	20,97,410			
राजस्थान	10,82,486	10,01,947	20,84,433	11,51,186	10,55,331	22,06,517
कर्नाटक	9,93,417	9,95,077	19,88,494	10,88,883	10,99,009	21,87,892
मध्य प्रदेश				11,44,576	10,37,578	21,82,154

स्रोतः– वार्षिक रिपोर्ट अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20

सर्वोच्च उच्च शिक्षा नामांकन वाले राज्यों के उच्च शिक्षा नामांकन सम्बन्धी आंकड़ों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2019–20 में उत्तर प्रदेश में महिला नामांकन कुल नामांकन का 50.90 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2018–19 में उत्तर प्रदेश में महिला नामांकन कुल नामांकन का 50.69 प्रतिशत था। महिला नामांकन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की स्थिति सन्तोषजनक है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019–20 में कुल नामांकन के आधार पर दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है परन्तु इस राज्य में कुल नामांकन के सापेक्ष महिला नामांकन की दर उत्तर प्रदेश से कम 45.75 प्रतिशत रही है। कुल नामांकन के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर तीसरे स्थान पर तमिलनाडू आता है, इस राज्य में कुल नामांकन के सापेक्ष महिला नामांकन की दर 49.49 प्रतिशत है जिसे सन्तोषजनक ही कहा जायेगा। कुल नामांकन के सापेक्ष महिला नामांकन की स्थिति राजस्थान, कर्नाटक व मध्य प्रदेश में क्रमशः 47.83, 50.23 व 47.54 प्रतिशत रही है। पाठ्यक्रमवार महिलाओं की प्रतिभागिता का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि सबसे कम महिला नामांकन कृषि, इंजीनियरिंग, विधि, एवं शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में दृष्टिगोचर हो रहा है।

उच्च शिक्षा में पंजीकृत कुल छात्र–छात्राओं की संख्या 3,85,36,359 है जिसमें लगभग 51 प्रतिशत पुरूष तथा 49 प्रतिशत महिलाएं हैं। सामाजिक आधार पर कुल उच्च शिक्षा पंजीकरण का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि ओ.बी.सी. वर्ग में कुल पंजीकरण 1,42,49,114 किये गये हैं जिसमें पुरूषों का पंजीकरण 72,02,109 (50.54 प्रतिशत) तथा महिलाओं का पंजीकरण 70,47,005 (49.46 प्रतिशत) है। अनुसूचित जाति वर्ग में कुल पंजीकरण 56,57,672 है जिसमें पुरूषों का पंजीकरण 28,54,313 (50.45 प्रतिशत) तथा महिलाओं का पंजीकरण 28,03,359 (49.55 प्रतिशत) है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल पंजीकरण 21,56,109 जिसमें पुरूषों का पंजीकरण 10,72,646 (49.75 प्रतिशत) तथा महिलाओं का पंजीकरण 10,83,463 (50.25 प्रतिशत) है। कुल उच्च शिक्षा पंजीकरण में ओ.बी.सी., एस.सी. और एस.टी. वर्ग का हिस्सा क्रमशः 36.98, 14.68 तथा 05.59 प्रतिशत है। कुल पंजीकरण में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का पंजीकरण 5.5 प्रतिशत तथा अन्य अल्पसंख्यकों का पंजीकरण 2.3 प्रतिशत है।

तालिका 3

दिव्यांग छात्र–छात्राओं का वर्गवार व लिंगवार पंजीकरण प्रतिशत

वर्ग	कुल दिव्यांग में पुरूष दिव्यांग प्रतिशत	कुल दिव्यांग में महिला दिव्यांग प्रतिशत	कुल दिव्यांग में वर्गवार दिव्यांग प्रतिशत	प्रति सौ पुरूष दिव्यांगों पर महिलाओं की संख्या
कुल	-	-	-	94
एस.सी.	9.5	9.3	9.4	78
एस.टी.	2.9	4.3	3.4	119
ओ.बी.सी.	33.4	30.3	31.6	74

स्रोतः– वार्षिक रिपोर्ट अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20

तालिका 4

दूरस्थ शिक्षा में पंजीकरण की स्थिति

स्तर	दूरस्थ शिक्षा		
	पुरूष	महिला	योग
पीएच0डी0	44	57	101
एम0फिल0	33	36	69
स्नातकोत्तर	5,04,711	6,16,735	11,21,446
स्नातक	17,45,438	11,72,409	29,17,847
पी.जी. डिप्लोमा	50,863	38,103	88,966
डिप्लोमा	58,916	61,144	1,20,060
सर्टिफिकेट	18,795	15,951	34,746
एकीकृत	774	2,913	3,687
योग	23,79,574	19,07,348	42,86,922

स्रोतः– वार्षिक रिपोर्ट अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20

तालिका 5

परम्परागत व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन

स्तर	प्रबन्धकीय स्थिति	एकेडेमिक			व्यावसायिक		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
स्नातक	शासकीय	52,30,007	53,05,832	1,05,35,839	9,43,885	6,48,451	15,92,336
	सहायता प्राप्त	21,30,852	25,22,181	46,53,033	3,16,463	2,67,341	5,83,804
	निजी	31,04,669	33,48,370	64,53,039	33,34,039	23,92,963	57,27,002
स्नातकोत्तर	शासकीय	7,67,162	11,68,799	19,35,961	2,57,039	1,91,849	4,48,888
	सहायता प्राप्त	1,55,677	3,21,627	4,77,304	32,855	34,845	67,700
	निजी	2,01,277	3,45,859	5,47,136	4,16,906	3,50,462	7,67,368

स्रोतः– वार्षिक रिपोर्ट अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20

उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार देश में विश्वविद्यालयों एंव समानान्तर संस्थाओं की संख्या 1043 हो गयी है जबकि वर्ष 2015–16 में यह संख्या 799 ही थी। उच्च शिक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 3,85,36,359 हो गयी है जबकि वर्ष 2015–16 में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 3,45,84,781 ही थी। इस प्रकार पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2016–17 में कुल पंजीकृत विद्याार्थियों की संख्या 3,57,05,905; वर्ष 2017–18 में 3,51,94,732; तथा वर्ष 2018–19 में 3,73,99,388 थी। इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष की अपेक्षा पंजीकरण की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है।

तालिका 6

विभिन्न वर्षों में उच्च शिक्षा में पंजीकरण की स्थिति

सत्र	पुरूष	महिला	योग
2015–16	1,85,94,723	1,59,90,058	3,45,84,781
2016–17	1,89,80,595	1,67,25,310	3,57,05,905
2017–18	1,92,04,674	1,59,90,058	3,51,94,732
2018–19	1,92,09,888	1,81,89,500	3,73,99,388
2019–20	1,96,43,747	1,88,92,612	3,85,36,359

स्रोतः– वार्षिक रिपोर्ट अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20

तालिका 7

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रति सौ पुरूषों पर महिलाओं की भागीदारी की स्थिति

पाठ्यक्रम	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
बी0ए0	118	121	124	126	127
बी0सी0ए0	65	75	73	70	73
बी0बी0ए0	76	66	67	67	68
बी0कॉम0	90	93	96	99	100
बी0एड0	197	203	200	207	215
बी0फार्मा0	85	83	82	79	93
बी0एससी0 (नर्सिंग)	445	384	379	358	385
बी0एससी0	93	94	100	106	113
बी0टेक0	38	39	38	40	42
एल0एल0बी0	44	47	47	49	53
एम0बी0बी0एस0	97	99	101	106	110
एम0ए0	165	169	173	180	190
एम0बी0ए0	61	62	70	75	76
एम0कॉम0	148	158	168	179	186
एम0एससी0	157	167	171	174	180
एम0टेक0	64	67	55	54	63

स्रोतः– वार्षिक रिपोर्ट अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20

निष्कर्ष एवं सुझाव

भारतीय उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य विगत एक दशक के पूर्व की स्थिति के सापेक्ष महिलाओं की भागीदारी के दृष्टिकोण से काफी हद तक सन्तोषजनक प्रतीत हो रहा है। वर्तमान समय में महिला वर्ग के शैक्षिक स्तर के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव की अनुभूति वर्तमान शैक्षिक स्थिति से हो रही है। अखिल भारतीय स्तर पर उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण की गति को तीव्र करने में मदद कर रही है। हम धीरे–धीरे एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में उभर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा समाज में चेतना और अनुशासन के स्तर की अभिवृद्धि का कारक होती है परन्तु उच्च शिक्षा समाज के नागरिकों में उच्च स्तरीय कौशल और नेतृत्व क्षमता एवं दूरदर्शिता उत्पन्न करती है। अतः समाज के आधे महत्वपूर्ण भाग अर्थात् महिलाओं के उच्च शिक्षा के स्तर को अधिकाधिक बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। स्वतन्त्रता के समय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति प्रति सौ पुरूषों

पर मात्र 13 थी जोकि नगण्य थी। बाद में इस स्थिति में धीरे–धीरे बदलाव आया और वर्ष 2010–11 में यह अनुपात बढ़कर प्रति सौ पुरूषों पर 78 हो गया। भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार प्रति सौ पुरूषों पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का अनुपात बढ़कर 96.17 हो गया है। इससे पता चलता है कि विगत दस वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की रूचि तेज़ी के साथ बढ़ी है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के कुल नामांकन 3,85,36,359 में महिलाओं का नामांकन 1,88,92,612 हो गया है अर्थात् कुल नामांकित शिक्षार्थियों में महिलाओं का प्रतिशत 49 है जबकि पुरूषों का प्रतिशत 51 है। दूरस्थ शिक्षा नामांकन में भी महिलाओं की भागीदारी में पूर्व की तुलना में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

भारतीय उच्च शिक्षा में 18 से 23 आयुवर्ग के युवाओं का सकल नामांकन (GER) अनुपात 27.1 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं का सकल नामांकन अनुपात 23.4 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं का सकल नामांकन अनुपात 18.0 प्रतिशत है। अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं का सकल नामांकल अनुपात 27.3 प्रतिशत है जोकि पुरूषों के अनुपात से थोड़ा अधिक है। अनुसूचित जाति वर्ग में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 24.1 प्रतिशत जबकि इस वर्ग के पुरूषों का सकल नामांकन अनुपात 22.8 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 17.7 प्रतिशत है जबकि इस वर्ग के पुरूषों का सकल नामांकन अनुपात 18.2 प्रतिशत है। सिक्किम राज्य में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक 67.6 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, चण्ड़ीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडू, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, तेलंगाना व उत्तराखण्ड में महिलाओं का सकल समस्त वर्गों में सकल नामांकन अनुपात 30 प्रतिशत या इससे अधिक है। समस्त वर्गों में लैंगिक तुलना अनुपात महिला : पुरूष 1.01 है। अनुसूचित जाति वर्ग में लैंगिक तुलना अनुपात 1.05 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में लैंगिक तुलना अनुपात 0.97 है। वर्ष 2014–15 में लैंगिक तुलना अनुपात 0.50 था, तबसे लेकर अब तक इस अनुपात में सन्तोषजनक वृद्धि हुई है। विगत पांच वर्षों में एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0 पाठ्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी तेज़ी के साथ बढ़ी है, जबकि बी0सी0ए0, बी0बी0ए0, बी0टेक0, बी0ई0, व विधि पाठ्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की रफ्तार धीमी रही है।

उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019–20 में प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के विश्लेषण करने के बाद हम कह सकते हैं कि पिछले दो दशकों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता के मामले में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षण संस्थानों में पुरूषों के सकल नामांकन की दर व महिलाओं के सकल नामांकन की दर में नगण्य सा अन्तर रह गया है। यदि भारत की जनसंख्या में कुल पुरूषों की संख्या व कुल महिलाओं की संख्या को ध्यान में रखा जाये तो यह अन्तर भी समाप्त हो जाता है बल्कि महिलाओं का उच्च शिक्षा अनुपात पुरूषों की तुलना में बढ़ा हुआ ही प्रतीत होता है। हमें चाहिये कि इस प्रवृत्ति को बनाये रखने के भरसक प्रयास करें। अभी भी समाज का एक वर्ग ऐसा है जहां पर महिलाओं की उच्च शिक्षा पर किये जाने वाले निवेश को निरर्थक निवेश समझा जाता है। अतः हमें अभी भी सामाजिक चेतना में उत्तरोत्तर सुधार के लिये प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। यदि हम अगले कुछ वर्षों तक महिलाओं व समाज में उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को सकारात्मक रखने में सफल हो जाते हैं तो हमारा देश निकट भविष्य में कुशल मानव संसाधन का अप्रतिम धनी देश कहलायेगा। भारत सरकार और केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के साथ साथ राज्यों के उच्च शिक्षा नियन्ताओं को मिलजुलकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को अभी और बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों में महिला उच्च शिक्षा के प्रति पायी जाने वाली उदासीनता को समाप्त करने के लिये समेकित प्रयास करने होंगें। ऐसा करके ही हम सही अर्थों में अपने देश के युवाओं को कौशल एवं नेतृत्व क्षमता से लैस करने में कामयाब हो सकेंगें।

सन्दर्भ

1. मिश्रा, एच.पी., (2012), ''हायर एजूकेशनः न्यू चैलेंजेज़ एण्ड एमरजिंग रोल्स'', उड़ीसा रिव्यू, पृष्ठ संख्या[39–40]
2. फातिमा बेगम, एम.एस., (2017), ''हायर एजूकेशन इन इण्डियाः मेजर, कन्टम्परेरी, इन्टरनेशलन चैलेन्जेज़'', शेनलैक्स इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ आर्टस, साइन्स एण्ड ह्यूमेनिटीज़, खण्ड–5, इश्यू–3, नवम्बर 2017, ISSN:2321-788X, पृष्ठ संख्या[21–28]
3. छेवी, ए.एस., (2014), ''ए स्टडी ऑन वूमेन्स एजुकेशन इन इण्डियाा'', इन्टरनेशलन जर्नल ऑफ साइन्स, टेक्नॉलोजी एण्ड ह्यूमेनिटीज़, पृष्ठ संख्या[105–110]
4. हसन, जेड. एण्ड नसबॉम, एम.सी. (2012), ''इक्यूलाइज़िंग एक्सेस अफरमेटिव एक्शन इन हायर एजुकेशन इन इण्डिया, युनाइटेड स्टेटस एण्ड साउथ अफ्रीका'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ प्रैस, पृष्ठ संख्या[273–274]
5. लाल, के. एण्ड अरोरा वी.पी.एस. (2016), ''एकज़िसटिंग ट्रैण्ड इन हायर एजूकेशन'', इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इन्टरप्राइजेज़ कम्पयूटिंग एण्ड बिज़नेस सिस्टम, ISSN(आनलाइन):2230-8849, खण्ड–6, इश्यू–2, जुलाई–दिसम्बर 2016
6. नसीम, ए.के. एण्ड आरिफ, आर. (2017), ''स्टेटिसटिकल सर्वे ऑफ वूमेन इन हायर एजूकेशन इन इण्डिया'', बायोस्टेटिक्स एण्ड बायोमैट्रिक्स ओपन ऐकसिस जर्नल, ISSN:2573-2633, खण्ड–4, इश्यू–1, पृष्ठ संख्या[1–7]
7. सतीश, डी. (2013), ''एकसक्लूसिव इनइक्यूलिटिज़, हायर एजूकेशन इन इण्डियाः इन सर्च ऑफ इक्यूलिटी, क्वालिटी एण्ड क्वानटिटी'', ब्लैक स्वान, भारत, पृष्ठ संख्या[78–79]
8. वार्षिक प्रतिवेदन–मानव संसाधन मन्त्रालय, भारत सरकार
9. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण प्रतिवेदन, विभिन्न संस्करण
10. यूनिवर्सिटी न्यूज़, साप्ताहिक जर्नल, विभिन्न संस्करण

33

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० का उच्च शिक्षा पर प्रभाव

डॉ० रश्मि सिंह
असिस्टैंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)
महिला महाविद्यालय, कानपुर

सारांश

शिक्षा किसी भी समाज को आर्थिक व सामाजिक प्रगति की ओर ले जाती है। वैश्वीकरण के इस दौर में तेजी से बदल रहे सामाजिक ढाँचे के अनुरूप ही भारत ने अपनी शिक्षा नीति में बदलाव किया है। नई शिक्षा नीति 2020 अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के साथ एक अभिनव प्रस्ताव है जिसे गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। स्वतन्त्रता के बाद से भारत में शिक्षा के ढांचे में हुआ यह तीसरा प्रमुख सुधार है। इसके पूर्व दो शिक्षा नीतियाँ वर्ष 1968 व 1986 में लाई गई थीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रमों के ऐसे प्रारूप और अध्यापन प्रणाली के विकास पर जोर दिया गया है जिसके तहत छात्रों में पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए 21वीं सदी के लिये योग्य कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा सके। प्रस्तुत शोध पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों के साथ साथ वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर इसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द

नई शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जी.ड़ी.पी., एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट।

प्रस्तावना

शिक्षा के सम्बन्ध में गाँधी जी का तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियाँ रह गई थीं जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह नई शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानन्द ने देखा था।

नई शिक्षा नीति–2020, 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। इसके निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ0 के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 की घोषणा की गई।

1968 और 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 स्वतन्त्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसके तहत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीड़ीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति – 2020 के तहत कैबिनेट द्वारा **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** का नाम बदलकर **शिक्षा मंत्रालय** करने को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। इसके साथ ही इसमें कानूनी और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराना था जिसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष आयु तक के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया था। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा के आधुनिकीकरण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसमें कम्प्यूटर व पुस्तकालय जैसे संसाधनों को जुटाने पर अधिक ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया ।

यह शिक्षा नीति प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परम्परा के आलोक में तैयार की गई है। साथ ही यह शिक्षा नीति 21वीं सदी में ज्ञान के क्षेत्र में तेजी से होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध कराने पर बल दे रही है।

साहित्य का अध्ययन

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किसी भी शोध के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। **कुरियन अजय** और **बी0 चन्द्रमना सुदीप** ने अपने शोधपत्र "Impact of New Education Policy 2020 on Higher Education" में स्पष्ट किया कि ''NEP 2020 कृषि से लेकर कृत्रिम बुद्विमत्ता तक विभिन्न क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों को तैयार करेगी। भारत को भविष्य के लिए तैयार रहना है और इसके लिए NEP 2020 बहुत से युवा विद्यार्थियों को विभिन्न कुशलताओं के साथ आने का मार्ग प्रशस्त करेगी।''

ऐथल पी0 एस0 और शुभ्रज्योत्सना ऐथल (Aug 2020) ने अपने शोधपत्र "Analysis of NEP 2020 towards Achieving its Objective" में पाया कि ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्र केन्द्रित शिक्षा नीति है। साथ ही इसमें शोध और नवाचार पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़े नेताओं को रोल मॉडल होना चाहिए।''

शोधपत्र के उद्देश्य

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 में उच्च शिक्षा से जुड़े प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 के उच्च शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन।

अध्ययन पद्वति

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में वर्णनात्मक शोध पद्वति का प्रयोग किया गया है। विभिन्न वेबसाइटों, पत्र–पत्रिकाओं शोध प्रपत्रों आदि के माध्यम से द्वितीयक ऑकड़ों का विश्लेषण करके निष्कर्षों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 में उच्च शिक्षा से जुड़े प्रावधान

उच्च शिक्षा मनुष्य और समाज के कल्याण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में उच्च शिक्षा की भूमिका उल्लेखनीय है। जैसे–जैसे हमारा देश ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता जा रहा है वैसे–वैसे और अधिक युवा उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में भारत में उच्च शिक्षा में अनेक समस्याएं आ गई हैं। जैसे– उच्च शिक्षण संस्थानों में नेतृत्व क्षमता का अभाव, शिक्षा की निम्न गुणवत्ता, एक ही विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनेक महाविद्यालय, सीमित शिक्षक व शोध पर कम बल आदि। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 में कई प्रावधान किये गये हैं जो कि निम्नलिखित हैं–

- उच्च शिक्षा में वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है, जोकि वर्तमान में 26.3 प्रतिशत है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है जिसके तहत 3 या 4 वर्षों के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। यदि एक वर्ष बाद पाठ्यक्रम छोड़ा जाय तो सर्टिफिकेट, 2 वर्षों बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक ''एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' स्थापित किया जाएगा जिससे अलग–अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत एम0 फिल0 कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया गया है।
- भारत उच्च शिक्षा आयोग को उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया गया है। इसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु निम्न चार निकाय कार्य करेंगे–

1. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद** – यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक का कार्य करेगा।

2- **सामान्य शिक्षा परिषद** – यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।

3- **राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद** – यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से आधारभूत मानदण्ड़ों, सार्वजनिक स्वप्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।

4. **उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद** – यह निकाय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्तपोषण का कार्य करेगा।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच' का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना, प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान–प्रदान किया जाएगा।

- ऐसे क्षेत्र जहॉ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाये जाते हैं उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए एक जैसी ही प्रवेश परीक्षा होगी जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कराएगी।
- भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को अपने परिसर अन्य देशों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही विश्व के कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों (शीर्ष 100 में से) को भारत में संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय व प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए एक समान नियम बनाए जाएगें।
- देश में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सही रूप में उत्प्रेरित और विकसित करने के लिए तथा सभी प्रकार के वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों पर नियन्त्रण रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउन्डेशन का गठन किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के उच्च शिक्षा पर प्रभावों का विश्लेषण

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश की संस्कृति और आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा नीति की आवश्यकता का अनुभव किया गया। इसके लिए सर्वप्रथम वर्ष 1968 व फिर 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गयी जिनमें समय–समय पर संशोधन भी हुए। वैश्वीकरण के इस समय में ज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण और नवीन परिवर्तन आए जिनके लिए पूर्व की शिक्षा नीतियाँ पर्याप्त नहीं थीं। अब एक नवीन शिक्षा नीति की आवश्यकता थी जो समय की इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके।

इसलिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की घोषणा की गई। यह शिक्षा नीति सम्पूर्ण राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति करती है। भारत का विश्व गुरू के रूप में प्रतिष्ठित होना अब केवल भावनात्मक विषय नहीं है अपितु अब यह एक मुख्य नीति निर्धारक तत्व के रूप में शिक्षा नीति के माध्यम से प्रकट हुआ है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के उच्च शिक्षा पर प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं–

1. अनुसंधान के क्षेत्र में हमारे देश में आवश्यकता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शोध नहीं हो पा रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित 'राष्ट्रीय अनुसंधान न्यास' की स्थापना इस दिशा में एक क्रांतिकारी संकल्पना है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले शोध एवं अनुसंधान को नई गति मिलेगी।

2. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक (एच.ई.सी.आई.) की परिकल्पना नई शिक्षा नीति में की गई है। इसके अन्तर्गत 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद' शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए सामान्य एकल बिन्दु नियामक के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त एक 'राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद' का भी गठन किया गया है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'हायर एजूकेशन ग्रांट काउंसिल' का शुभारम्भ किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों को फ्रेम करने के लिए जनरल एजूकेशन काउंसिल की स्थापना की गई। इन सभी प्रयासों द्वारा उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शोधपरक शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे हम नित्य बदलती परिस्थितियों के साथ सामन्जस्य बिठा सकेंगे।

3. नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के तहत ग्रेडेड अटॉनामी की बात की गई है जिससे विश्वविद्यालयों के ऊपर से बोझ को कम किया जाएगा और कालेज को भी अकादमिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्वायत्तता दी जाएगी। इसके अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में एक प्रशासनिक इकाई 'बोर्ड ऑफ गवर्नर' की बात की गई है जिसके अन्तर्गत सभी अकादमिक, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियाँ आएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षण संघों ने इस 'बोर्ड ऑफ गवर्नर' सिस्टम का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार स्वायत्तता के नाम पर 'बोर्ड ऑफ गवर्नर' के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों पर अपना अधिकार करना चाहती है।

4. नई शिक्षा नीति में 'मल्टीपल डिस्प्लनरी एजूकेशन' की बात कही गई है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी छात्र विज्ञान के साथ साथ कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी चुन सकता है। इसमें कोई एक स्ट्रीम मेजर और दूसरी माइनर होगी। यह उन छात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा जो विज्ञान के विषयों में रूचि के साथ–साथ संगीत या कला भी पढ़ना चाहते हैं।

5. सरकार ने नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को लचीला बनाने का भी प्रयास किया है जिसकी प्रमुख विशेषता मल्टीपल एंट्री–एक्ज़िट सिस्टम है अर्थात् यदि कोई छात्र स्नातक में प्रवेश लेकर केवल एक वर्ष का ही कोर्स पूरा करता है, तो उसे इसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी प्रकार दो वर्ष पूरा करने वालों को डिप्लोमा और तीन वर्ष पूरा करने वालों को स्नातक की डिग्री दी जाएगी। शोध हेतु इच्छुक छात्र चौथे साल का कोर्स करेंगे। एम.ए. को एक वर्ष का कर उसे वैकल्पिक बना दिया जा रहा है जबकि एम.फिल. को समाप्त कर सीधे पीएच.डी. की बात की जा रही है। इससे शोध की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पहले एम.ए. और एम.फिल. करने से छात्र स्वयं को शोध हेतु पूर्ण रूप से तैयार कर लेते थे, अब ऐसा सम्भव नहीं होगा।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 में कहा गया है कि सरकार उच्च शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्च करेगी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिये सरकार ने जी.ड़ी.पी. का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की बात की है। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है परन्तु जी.ड़ी.पी. को ही मानक मानना शिक्षा को केवल जी.ड़ी.पी. पर निर्भर कर देगा, अतः भविष्य में शिक्षण संस्थाओं को भी आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने की दिशा में विचार करना पड़ेगा।

उपरोक्त विवेचना से राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष स्पष्ट हुए हैं। यद्यपि नई शिक्षा नीति एक भविष्योन्मुखी शिक्षा नीति है, साथ ही इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो व्यवहारिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होते। इस सम्बन्ध में आम जनता, बुद्धिजीवियों एवं शिक्षा जगत में मिली–जुली प्रतिक्रियायें पायी गई हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 शिक्षा के प्रति अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की दिशा में एक प्रगतिशील परिवर्तन है। इस नीति की निर्धारित संरचना छात्रों की क्षमता को और अधिक बढ़ाकर उनके संज्ञानात्मक विकास में सहायता करेगी। यद्यपि इसे लागू करने के बाद अनेक चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं जैसे– इसमें विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है जिसके कारण भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की सम्भावना है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जी.ड़ी.पी. के प्रस्तावित 6 प्रतिशत खर्च करने की सरकार की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है। इन समस्याओं के बाद भी यदि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन सफल तरीके से हो पाता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। स्नातक शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, थ्री–डी मशीन, डेटा विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी जो कि हमारे देश को सामाजिक–आर्थिक प्रगति की ओर ले जाएगी।

संदर्भ

1. Kurien, Ajay, B.Chandramana. “Impact of New Education Policy 2020 on Higher Education”, Conference on “Atma Nirbhar Bharat” Nov, 2020.
2. Aithal, P.S., Shubhrajyotsana Aithal, “Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards Achieving its objectives”, IJMTS, V.5, No. 2, Aug 2020.
3. Naidu M. Venkaish 8 Aug 2020, “The New Education Policy 2020 is set to be a landmark in India”s history of Education”, Times of India Blog.
4. https:Static. pib.gov.in/write Read Data/Vserfiles/NEP Final English O. pdf.
5. ''नई शिक्षा नीति'', नवभारत टाइम्स 31 जुलाई 2020।
6. ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'', मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

34

उत्तर प्रदेश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति २०२० की उपयोगिता

डॉ० नरेश कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान विभाग)

राजकीय महाविद्यालय, भोजपुर, मुरादाबाद

सारांश

देश की आजादी के बाद संपूर्ण भारत की आवश्यकताओं के अनुसार आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत थी जो सस्ती, सुलभ एवं समावेशी हो और देश के सभी बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो। ऐसी शिक्षा नीति तैयार करने के लिए राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग एवं कोठारी आयोग बनाये गये, जिनके संकलित सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनाई गई, जिसके अनुसार भारतीय शिक्षा व्यवस्था में 1986 तक अध्ययन–अध्यापन कार्य चला। फिर वर्तमान शिक्षा प्रणाली आई। लगभग 33 वर्ष तक देश की शिक्षा व्यवस्था 10+2+3 पैटर्न पर चली, किंतु परिणाम संतोषजनक नहीं रहे, इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष का सर्वे कराकर नयी शिक्षा नीति बनाने के लिए सुझाव लिए गए। प्राप्त सुझावों के आधार पर नयी शिक्षा नीति 2020 बनाई गई, जिसे 29 जुलाई 2020 को जारी कर दिया गया। इसके चार भाग हैं। प्रथम भाग में स्कूली शिक्षा के बारे में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। दूसरे भाग में उच्चतर शिक्षा से संबंधित प्रावधान हैं। तीसरे भाग में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों पर विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं और चौथे भाग में क्रियान्वयन की रणनीति दी गई है। इस शिक्षा व्यवस्था के द्वारा बच्चों के कंधे से बस्ते का भार कम करने, तथ्यों को रटने की प्रवृत्ति को रोकने तथा 100 में 100 नंबर लाने की होड़ से बच्चों को मुक्त करने का प्रयास किया गया है। संकाय की कठोर सीमाओं को तोड़कर सभी बच्चों के लिए अंतर–अनुशासनात्मक शिक्षा के साथ–साथ व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। नयी शिक्षा नीति 2020 अपने उद्देश्यों को कितना पूरा कर पाएगी, यह अभी कह पाना कठिन है।

मुख्य शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान, व्यवसायिक शिक्षा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, समग्र बहुविषयक शिक्षा।

भूमिका

शिक्षा भविष्य के निर्माण का उत्तम साधन होती है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आने वाली पीढ़ी को देश एवं समाज की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जा सकता है। भारत के आजाद होने पर राष्ट्र निर्माताओं को महसूस हुआ कि देश की आवश्यकता के अनुसार लोगों को तैयार करने के लिए तत्समय प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करके आवश्यक सुझाव देने के लिए 1948–49 में राधा कृष्ण आयोग, 1953 में मुदालियर आयोग, 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग बनाया गया। सभी आयोगों की सिफारिशों को संकलित करते हुए 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। इस शिक्षा नीति पर अमल भी होना शुरू हो गया था तथा कई प्रान्तों ने अपने–अपने ढंग से 10+2+3 की शिक्षा व्यवस्था को संस्थानों में लागू भी कर दिया था। त्रिभाषा फार्मूला, प्रान्तों में कृषि, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों के लिये विशेष प्रावधान किये जाने लगे थे तथा शिक्षा में सुधार हेतु अन्य कार्य भी शुरू कर दिये गये थे।

तभी 1977 में केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनने पर 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना का विचार आया। जिसके परिणामस्वरूप कुछ शिक्षाविदों व सांसदों के सहयोग से तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चन्द्र ने एक नई शिक्षा नीति 1979 की घोषणा कर दी। इसे अभी लागू भी नहीं किया गया था कि 1980 में केन्द्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई और पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुपालन पर जोर दिया गया। परन्तु इसी बीच इन्दिरा गाँधी की हत्या के बाद राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री बनने पर हर क्षेत्र में आन्दोलनकारी कदम उठाने के प्रयास में शिक्षा के पुनर्निरीक्षण व पुनर्गठन प्रक्रिया में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराकर, इसे "Challenge of Education : Policy Prospective" नामक दस्तावेज के रुप में अगस्त 1985 में प्रकाशित कराया गया जिसमें भारतीय शिक्षा की 1951 से 1985 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हुए उसके गुण–दोषों का

सम्यक विवेचन किया गया। इस दस्तावेज पर विश्वव्यापी बहस शुरू हुई और सभी प्रान्तों के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुये। केन्द्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और इसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया जिसे संसद ने मई 1986 में पास कर दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 का उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित स्वरूप

यह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जिसमें नीति के साथ उसके कार्यान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई और साथ ही इसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाये गये।

इस नीति के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में प्रारंभिक स्तर पर 3 से 6 साल तक के बच्चों को सही पोषण और प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर शिशुओं को पौष्टिक आहार देने के साथ–साथ कविता आदि के माध्यम से खेल–खेल में प्रारम्भिक शिक्षा भी दी जाती है। दूसरी ओर मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए निजी प्ले स्कूल खुले हुए हैं, जहां पर शिशुओं को खेल–खेल में पढ़ना सिखाया जाता है तथा समाज में अच्छे से रहने के तौर–तरीके भी सिखाये जाते हैं जिसके लिए इन शिशुओं के माता–पिता प्ले स्कूल संचालकों को मोटी फीस का भुगतान करते हैं। 6 से 12 तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी समाज में दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, पहली– बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी शिक्षा, जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मामूली शुल्क पर संचालित है, जहां पर निम्न आय वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। इन स्कूलों में सरकार द्वारा संचालित मिड डे मील की भी व्यवस्था रहती है। बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम, मिड डे मील पर अधिक रहता है। इन विद्यालयों के शिक्षकों से सरकार तमाम तरह के दूसरे कार्य लेती रहती है जिस कारण शिक्षक छात्रों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरी व्यवस्था समाज के सम्पन्न लोगों ने, सम्पन्न एवं मध्यम वर्गीय लोगों के बच्चों के लिए कर रखी है जिसमें पूंजीपतियों ने निजी स्तर पर सी.बी.एस.सी. बोर्ड से मान्यता लेकर आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित विद्यालय खोले रखें हैं, जहां पर मोटी फीस लेकर बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाती है। यह व्यवस्था प्राथमिक स्तर तक ही नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था कक्षा–12 तक चल रही है। तीसरी व्यवस्था में, कुछ सरकारी संस्थान जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय जो कतई सरकारी और निशुल्क अथवा नाममात्र का शुल्क लेकर शिक्षा प्रदान करते हैं, उनमें प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से दिये जाते हैं। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को आंगनबाड़ी केंद्र के अथवा बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के शिशु, किसी भी दशा में पास नहीं कर पाते हैं। इन विद्यालयों में प्रवेश कुछ मध्यमवर्गीय एवं उच्चवर्गीय लोगों के बच्चे निजी कोचिंग सेंटरों से कोचिंग लेकर प्रवेश हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा पास करके पा जाते हैं। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर आश्रम पद्धति पर विद्यालयों और बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना भी की गई है। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए दोहरी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। एक जो सरकार द्वारा पूरी तरह से सहायता प्राप्त है, दूसरी जो पूरी तरह से निजी संसाधनों पर आधारित है, जिसमें समाज के मध्यमवर्गीय तथा उच्चवर्गीय पैसे वाले लोग अपने बच्चों को मोटा शुल्क देकर पढ़ाते हैं। माध्यमिक स्तर पर भी दोहरी शिक्षा व्यवस्था ही चल रही है। एक– उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था जोकि सरकार छात्रों से नाम–मात्र का शुल्क लेकर संचालित करती है। इन विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र प्रवेश लेते हैं और पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। जबकि उच्च एवं मध्यम वर्ग के लोगों के बच्चे आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित सी.बी.एस.ई. एवं आई.सी.एस.ई. बोर्ड के निजी विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों का ज्ञान का स्तर यू.पी. बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों से उच्च होता है।

व्यावसायिक और रोजगारपरक शिक्षा में भी दोहरी व्यवस्था चल रही है। एक तरफ तो प्रदेश सरकार ने आई.टी.आई. एवं पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित कर रखे हैं जिनमें प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होते हैं। उच्च मेरिट प्राप्त छात्रों से मामूली सा शुल्क लेकर सरकार इन संस्थानों में प्रवेश देती है। दूसरी ओर यह क्षेत्र सरकार ने पूंजीपतियों के लिए खोल दिया है। पूंजीपतियों ने सरकार से मान्यता लेकर अपने निजी आई.टी.आई. और पॉलीटेक्निक संस्थान स्थापित कर लिये हैं, जहां पर वे मनमानी फीस लेकर कम मेरिट पाने वाले छात्रों को प्रवेश दे देते हैं।

उच्च शिक्षा की स्थिति भी प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से भिन्न नहीं है। यहां पर भी दोहरी शिक्षा प्रणाली चल रही है। समाज के गरीब लोगों के बच्चों के लिए परम्परागत शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और सरकारी, शासकीय सहायता प्राप्त तथा वित्त–विहीन महाविद्यालय संचालित है जहां पर वे दो–तीन हजार रुपए शुल्क देकर सीधे प्रवेश पा जाते हैं और 3 वर्ष में स्नातक की और अगले 2 वर्ष में स्नातकोत्तर की उपाधि आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वास्तविक जीवन में ये उपाधियां साधारण से लिपिक की नौकरी भी नहीं दिला पाती हैं और ये गरीब वर्ग के नौजवान शिक्षित बेरोजगार बन जाते हैं। ये शिक्षित बेरोजगार अशिक्षित नौजवान के समान मजदूरी का कार्य भी नहीं कर पाते हैं। जबकि दूसरी ओर उच्च एवं मध्यम वर्ग के बच्चे जो निजी शिक्षण संस्थानों से पढ़े होते हैं, बड़े–बड़े कोचिंग सेंटरों से कोचिंग लेकर आधुनिक तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश देने हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षायें NEET, JEE Advanced, CLAT आदि पास करके तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं और क्रमशः डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और जज बनकर जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। इस शिक्षा नीति के लगभग 33 साल के क्रियान्वयन से समाज में दोहरी शिक्षा नीति का उदय हुआ है तथा देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है तथा भ्रष्टाचार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता चला गया। परंतु इस नीति की एक बड़ी उपलब्धि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का पारित होना भी रहा है, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध कराया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी, जिस कारण शिक्षा का निजीकरण हुआ और अच्छी शिक्षा गरीबों की पहुँच से दूर होती चली गई। इस शिक्षा नीति का दूसरा दोष, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत बनाये गए प्राथमिक स्कूलों के भवन बहुत ही घटिया थे, इसके अलावा जो फर्नीचर अन्य शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की गयी, वह भी बहुत निम्न किस्म की थी। तीसरे दोष के रूप में चिन्हित किया गया कि योग्य बच्चों को विकास के अवसर प्रदान करने के लिये नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने की बात कही गयी परन्तु ऐसा नहीं हो सका।

नयी शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता क्यों ?

बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की वैश्विक स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने हेतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी।

नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधान–

जो शिक्षा व्यक्तियों को समाज में एक साथ रहना सिखाती है, जो समाज के समस्त कार्यों में सहयोग करना सिखाती है, वही गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के चार निर्धारक तत्व होते हैं–1. पाठ्यक्रम 2. पर्यावरण 3. शिक्षक और 4. छात्र।

उक्त समस्त विशेशताओं का समावेश नयी शिक्षा नीति में किया गया है, साथ ही वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में दिख रही समस्त समस्याओं का भी समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। नयी शिक्षा नीति में प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं –

भाग–1 स्कूली शिक्षा

नयी शिक्षा नीति 2020 वर्तमान स्कूली व्यवस्था 10+2+3 के स्थान पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है जिसका अर्थ है 3 से 5 वर्ष तक 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी/प्री–स्कूल/बालवाटिका में रहेंगे। 6–8 वर्ष तक के बच्चे कक्षा 1–2 तक की पढ़ाई करके अपनी फाउंडेशन स्टेज पूरी करेंगे। 8–11 साल के बच्चे कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई पूरी करेंगे जिसे प्रीपेटरी स्टेज कहा जाएगा। 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा तथा 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई पूरी करेंगे, इसे माध्यमिक स्टेज कहा जाएगा। यह पूरी स्टेज स्कूली शिक्षा कहलाएगी। आगे के 4 वर्ष, 18–22 साल की आयु वाले विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–भाल और शिक्षा

3 से 5 वर्ष तक के बच्चों की बाल्यावस्था देखभाल वर्तमान आंगनबाड़ी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। 5 से 6 साल की उम्र में इन बच्चों को आंगनवाड़ी से स्कूली शिक्षा में खेल आधारित पाठ्यक्रम के माध्यम से शामिल किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार किया जाएगा। 3–5 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसके सतत् मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान

मूलभूत साक्षरता और मूल्य आधारित शिक्षा के साथ–साथ संख्या ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राथमिकता पर एक राष्ट्रीय साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन स्थापित किया जाएगा। कक्षा 1–3 में प्रारंभिक भाषा और गणित पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एन.ई.पी. 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 3 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करा लिया जाए।

पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र

मस्तिष्क विकास और अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए एक नई विकासोपयुक्त पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 डिजाइन पर विकसित की गई है। पाठ्यक्रम लचीलेपन पर आधारित होगा, ताकि विद्यार्थियों को अपने सीखने की गति और कार्यक्रमों को चुनने का अवसर हो, और इस तरह जीवन में अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार वे अपने रास्ते चुन सकेंगे। कला और विज्ञान, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच में कोई भेद नहीं होगा, ताकि सभी प्रकार के ज्ञान की महत्ता को सुनिश्चित किया जा सके, और सीखने के अलग–अलग क्षेत्रों के बीच के हानिकारक पदानुक्रमों और इनके बीच के परस्पर वर्गीकरण या खाई को समाप्त किया जा सके। इस तरह स्कूल में व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के एकीकरण के साथ सभी विषयों – विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, भाषा, खेल, गणित इत्यादि पर समान जोर दिया जाएगा।

बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर जोर

कम से कम कक्षा 5 तक, हो सके तो कक्षा आठ और उससे आगे तक, शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।

भाग–2 उच्चतर शिक्षा

उच्चतर शिक्षा में वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर कम से कम 50 फीसदी तक पहुंचाना लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

समग्र बहुविषयक शिक्षा

इस नीति में विज्ञान, कला, मानविकी, गणित और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए एकीकृत व श्रमसाध्य ज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर एक व्यापक व बहु–अनुशासनिक समग्र कला शिक्षा की परिकल्पना की गई है। इसमें कल्पनाशील और लचीली पाठ्य संरचना, अध्ययन का रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण के साथ कई प्रवेश/निकास हेतु अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। छात्र स्नातक का एक वर्ष उत्तीर्ण करके पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लेता है तो ऐसे छात्र को स्नातक प्रमाण–पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यदि छात्र स्नातक के 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे स्नातक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा और यदि वह 3 साल की स्नातक शिक्षा प्राप्त करके पढ़ाई छोड़ना चाहता है तो उसे स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही यदि वह स्नातक की 4 साल की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे स्नातक डिग्री विद रिसर्च प्रदान की जाएगी। यह शिक्षा उसे सेमेस्टर पद्धति में प्राप्त करनी होगी जिसमें सतत् मूल्यांकन की व्यवस्था होगी।

भाग–3 अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे

व्यावसायिक शिक्षा

सभी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी। एकल तकनीकी, स्वास्थ्य विज्ञान, विधि और कृषि विश्वविद्यालय अथवा अन्य–विषयों के विश्वविद्यालय, बहु–विषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे। वोकेशनल शिक्षा समस्त प्रकार की शिक्षा का एक अभिन्न अंग होगी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक 50 फीसदी छात्रों को वोकेशनल शिक्षा प्रदान करना है।

प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यन्त सीखना

जो व्यक्ति किन्ही कारणों से या तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं अथवा कम पढ़ पाए हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने इस नीति में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रोद्योगिकी–आधारित विकल्प जैसे– ऐप, ऑनलाइन कोर्स/मॉड्यूल, उपग्रह–आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें और आई.सी.टी. से सुसज्जित पुस्तकालय विकसित किए जाएंगे।

भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन

भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूली शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक प्रयास किए जाएंगे, ताकि हमारी भाषा, कला और संस्कृति कहीं खो न जाए। जो खो गई हैं अथवा मर गई हैं, उन्हें पुनः जीवित करने का प्रयास किया जाएगा।

ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा

इस शिक्षा नीति में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन, डिजिटल इन्फ्रॉस्ट्रक्चर, ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण, वर्चुअल लैब, ऑनलाइन परीक्षाएं और मूल्यांकन, सीखने के मिश्रित मॉडल, एवं डिजिटल कंटैंट सामग्री का निर्माण इत्यादि कार्यो की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा। इग्नू से ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रदान करने को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरह के और शिक्षण संस्थान भी खोले जाएंगे।

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन

अनुसंधान और नवाचार को उत्प्रेरित और विस्तारित करने के लिए देश भर में एक नई इकाई स्थापित की जाएगी। शिक्षा में प्रौद्योगिकी अधिगम, मूल्यांकन, योजना व प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग व विचारों के निशुल्क आदान–प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा। कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास का समर्थन, वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक योजना, प्रशासन तथा प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण किया जाएगा।

भाग–4 क्रियान्वयन की रणनीति

इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, संस्थागत और व्यक्तिगत सर्वत्र पर एक दीर्घकालिक विजन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। अधिगम और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है।

अभिशासन

प्रत्यायन के आधार पर संस्थागत शासन की शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता परिकल्पित हैं जिसमें प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में एक स्वतंत्र शासक बोर्ड होगा।

विनियमन

उच्चतर शिक्षा की प्रोन्नति हेतु एक व्यापक सर्वसमावेशी (अम्ब्रेला) निकाय होगा जिसके अंतर्गत मानक स्थापन, वित्तपोषण, प्रत्यायन, और विनियम के लिए स्वतंत्र इकाइयों की स्थापना की जाएगी। हित के टकराव को खत्म करने व वित्तीय सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक–प्रकटन सुनिश्चित करने हेतु विनिमयन होगा, जिसमें निरीक्षक शासन के बजाय पारदर्शी आत्म–प्रकटीकरण एक मानक होगा। विनियामक निकाय प्रौद्योगिकी के माध्यम से फैसले व विनियमन का कार्य करेगा और उसके पास मापदंड अथवा मानकों के विपरीत संचालित उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां उपलब्ध होंगी। सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर नियमन, प्रत्यायन, फंडिंग व शैक्षणिक मानकों संबंधी मानदंड समान रूप से लागू किए जाएंगे। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, जिसके माध्यम से सकल नामांकन अनुपात को 50 फीसदी तक बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। ऑनलाइन कोर्स एवं डिजिटल रिपॉजिटरी, अनुसंधान के लिए वित्तपोषण, बेहतर छात्र सेवाओं, MOOC की क्रेडिट–आधारित मान्यता आदि उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जायेगा कि यह भी उच्चतम गुणवत्ता वाले नियमित कक्षा आधारित कार्यक्रमों के समान हो। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण; संस्थागत सहयोग व छात्र और संकाय गतिशीलता के माध्यम से किया जाएगा। शीर्ष विश्व रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों को परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी।

निष्कर्ष

इस शिक्षा नीति ने प्रचलित शिक्षा व्यवस्था 10+2+3 पैटर्न के स्थान पर 5+3+3+4 का नया पैटर्न दिया है, जिसने स्कूली शिक्षा में फाउन्डेशन स्टेज 3–6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी/प्री–स्कूल/बालवाटिका के द्वारा बाल्यावस्था देखभाल एवं खेल–खेल में शिक्षा देकर स्कूल के लिए तैयार करना, प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा/स्थानीय भाषा में दिये जाने का प्रावधान करके बच्चों के लिए आसानी कर दी है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। स्कूली शिक्षा में सतत् मूल्यांकन पद्धति लागू करने से बच्चों के ऊपर से बस्ते का भार कम होगा, साथ ही बच्चों में सीखने एवं जानने की आदत पड़ने से विशय को रटने वाली प्रवृत्ति से मुक्ति मिलेगी, इतना ही नहीं 100 में 100 अंक लाने की जो होड़ लगी हुई थी, उससे भी नई शिक्षा नीति से मुक्ति मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या दोहरी शिक्षा प्रणाली की थी जिसकी नींव सरकार की शिक्षा का अधिकतम विस्तार करने की चाह में शिक्षा का निजीकरण करने से पड़ी। शिक्षा के निजीकरण को इस शिक्षा नीति में भी जारी रखा गया है, परंतु नई शिक्षा नीति 2020 का परिच्छेद 18(12) शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगाने की बात करता है। आशा की जानी चाहिए कि इस शिक्षा नीति के चलते शिक्षा का व्यवसायीकरण रुक जाएगा। तीसरी समस्या बेरोजगारी की है। इस शिक्षा नीति में मिडिल कक्षाओं से ही कोई ना कोई रोजगारपरक विषय पढ़ाए जाने की व्यवस्था की गई है जो उच्चतर शिक्षा तक अनिवार्य बनाई गई है। अब छात्र जब पढ़ाई छोड़ेगा, तो उसे कोई न कोई काम आता ही होगा। इसलिए इस शिक्षा नीति के लागू होने से समस्या के समाधान की आशा पूरी होती प्रतीत होती है, परंतु यह आशा नीति के अक्षरशः लागू होने पर निर्भर करेगी। इस नीति के अक्षरशः क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) के सशक्तिकरण की यह नीति अनुशंसा करती है। चौथी समस्या कक्षाओं में छात्रों की लगातार उपस्थिति में कमी आना है जिसे इस शिक्षा नीति ने सेमेस्टर पद्धति एवं सतत मूल्यांकन लागू करके समाप्त करने का प्रयास किया है। उच्च शिक्षा में वर्तमान में 3 वर्ष या 4 वर्ष का डिग्री कोर्स पूरा न करने की स्थिति में छात्र को कुछ नहीं मिलता था। वह इंटरमीडिएट ही रह जाता था भले ही उसने स्नातक का एक वर्ष पास किया हो या दूसरा पास किया हो; फाइनल वर्ष पास न करने की दशा में छात्र स्नातक डिग्री से वंचित रह जाता था। इस नीति में इस समस्या का भी समाधान कर दिया गया है। छात्र जितना करेगा उसे उतने क्रेडिट भी मिलेंगे और प्रमाण पत्र भी मिलेगा। आशा की जानी चाहिए कि यह शिक्षा नीति वर्तमान शिक्षा परिदृश्य में उपयोगी सिद्ध होगी।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020।
4. https://www.jansatta.com/national/highlights&of&the&new&education&policy&2020/1482343/
5. https://hindlogy.com/national&education&policy&1986&formulation&policy&merits&and&demerits/
6. डॉ. अमित कुमार का ऑनलाइन लेख "राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986"।
7. राम शंकर पाण्डेय– पाश्चात्य एवं भारतीय शिक्षा, पृष्ठ–400।
8. सुरेश भटनागर (2006)– भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, पृष्ठ 200।

35

नई शिक्षा नीति २०२० का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक मूल्यांकन

डॉ० सीमा शर्मा

असिस्टैंट प्रोफेसर (शिक्षक शिक्षा विभाग)

दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर

सारांश

नई शिक्षा नीति 2020 नए विचारों एवं बदलावों के साथ हम सबके समक्ष आ चुकी है जिसे सभी संबंधित पक्षकारों के परामर्श से तैयार किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिए केन्द्र सरकार ने NEP 2020 को मंजूरी दे दी है। इससे पूर्व 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। एक लम्बा वक्त बीत चुका है उम्मीद की जा रही है कि यह देश के शिक्षा क्षेत्र में नए और बेहतर परिवर्तन की शुरूआत करेगी। यह नीति पांच स्तम्भों पर आधारित है– पहुँच (Access), भागीदारी (Equity), गुणवत्ता (Quality), सामर्थ्य (Affordability), जवाबदेही (Accountability)। इस नीति द्वारा देश में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (GER), सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 50 प्रतिशत तक करना, मातृभाषा की महत्ता, समय के साथ बदलती शिक्षा के अनुरूप शिक्षण तकनीकी को अपनाने पर बल जैसे आदि विषयों को शामिल किया गया है।

मुख्य शब्द

नई शिक्षा नीति, परिवर्तनकारी सुधार, सकल नामांकन अनुपात, शिक्षण तकनीकी।

प्रस्तावना

जब हम भारतीय दर्शन और संस्कृति के संदर्भ में शिक्षा पर दृष्टिपात करते हैं तो यह शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन मात्र बनकर नहीं रह जाती है। भारतीय परम्परा में शिक्षा हमारे जीवन की समग्रता की ओर संकेत करती है जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरूषार्थों का समावेश है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन का बेहतर अवसर लेकर आई है जो हमारे जीवन को समग्रता की ओर ले जाने में मार्गदर्शन करेगी। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा मंत्रालय के रूप में एम0एच0आर0डी0 (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा पर देश के बदलते परिदृश्य का संकेत दिया है। इस नीति का उद्देश्य न केवल शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना है बल्कि उस शिक्षा को सुविधाजनक बनाने वाले लोगों के कौशल में सुधार करना है।

यदि हम नई शिक्षा नीति 2020 का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक मूल्यांकन करें तो क्या व्यावहारिक रूप से यह शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होगी जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। सैद्धान्तिक रूप में तो इस नीति में अपार सम्भावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं किन्तु व्यावहारिक रूप में अनेक चुनौतियाँ भी इसके मार्ग में है जैसे– भाषा के प्रयोग, बजट का प्रबंधन, डिजिटल प्लेटफार्म, शिक्षकों की गुणवत्ता, शिक्षकों की कमी, अनेक भाषाओं में विषय वस्तु, भौगोलिक परिस्थितियाँ, गरीबी, पारदर्शिता, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी आदि अवरोध हैं किन्तु इन चुनौतियों को भी अवसर में बदला जा सकता है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए केन्द्र, राज्य सरकारों, स्थानीय निकाय, समाज, शिक्षक–शिक्षार्थी एवं अभिभावकों के सफल योगदान एवं एकजुटता की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है।

नई शिक्षा नीति के प्रमुख सैद्धान्तिक बिन्दु

(1) स्कूली शिक्षा सम्बन्धी बदलाव–

चार स्तरीय स्कूली ढांचा 5 + 3 + 3 + 4 से कक्षा–6 से ही व्यावसायिक और कौशल विकास कोर्स की शुरूआत होगी, 10वीं व 12वीं की परीक्षा साल में दो बार होगी, सेमेस्टर प्रणाली होगी, कक्षा–8 तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी, कक्षा–6 से ही कोडिंग पढ़ाई जाएगी। एन0सी0ई0आर0टी0 (NCERT), एन0सी0टी0ई0 (NCTE), नैक (NAAC), डायट (DIET) की शिक्षा में नयी भूमिका होगी। नई शिक्षा व्यवस्था ज्ञान और कौशल पर आधारित होगी जो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, सीखने पर बल देती है।

(2) उच्च शिक्षा सम्बन्धी बदलाव–

उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री (Multiple Entry) और एक्जिट सिस्टम (Exit System) लागू किया गया, क्रेडिट (Credit) को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credit) स्थापित किया जाएगा, 3 साल के अनिवार्य बी0ए0 के स्थान पर अब छात्रों को प्रत्येक वर्ष के हिसाब से प्रमाण पत्र या डिग्री मिलेगी, 2030 तक हर जिले में एक बड़ी बहुविषयक (Multi Disciplinary) संस्था होगी, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना होगी, ग्लोबल रैकिंग रखने वाले विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी ब्रांच खोलने की अनुमति दी जाएगी। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है, एम0फिल0 (M.Phil.) को समाप्त कर दिया गया है।

(3) शिक्षण व्यवस्था से सम्बन्धी प्रावधान–

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST) का विकास किया जाएगा, शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावी एवं पारदर्शी होगी, अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा, 2030 तक अध्यापक शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी0एड0 डिग्री का होना अनिवार्य होगा, नेशनल मेंटरिंग योजना के अन्तर्गत (National Mentoring Plan) शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा।

(4) भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए बदलाव–

इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषा, कला और संस्कृति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है किन्तु इसे सभी के लिए आवश्यक नियम के रूप में लागू नहीं किया गया है। भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष संस्थान खोले जाएंगें, अनुवाद संस्थान की स्थापना की जाएगी, स्थानीय भाषाओं में किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

(5) डिजिटल प्लेटफार्म को बढ़ावा देने के लिए सुझाव–

शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ई–कंटैंट क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाएगा, ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब तैयार किये जाएंगें। जहाँ पर पारम्परिक, व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारी सुनिश्चित की जाएगी। स्कूलों, छात्रों एवं शिक्षकों को डिजिटल संसाधनों को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है। स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा।

(6) कुछ अन्य महत्वपूर्ण बदलाव –

भारतीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (HECI) के गठन की बात की गई है जो चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक सकल निकाय के रूप में कार्य करेगी। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी अनेकों सुधार किये गए हैं। विकलांग बच्चों हेतु सुध ाार, पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधानों और बदलावों को इसमें शामिल किया गया है।

नई शिक्षा नीति की व्यावहारिक चुनौतियाँ–

- **केन्द्र व राज्यों का सहयोग–**

शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण अधिकतर राज्यों के अपने शिक्षा बोर्ड हैं। इस शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु केन्द्र एवं राज्य के बीच आपसी तालमेल होना आवश्यक है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (HECI) के गठन संबंधी विचार का राज्य विरोध कर सकते हैं क्योंकि इससे विकेंद्रीकरण के स्थान पर केंद्रीकरण की संभावना अधिक है। केन्द्र–राज्य सरकारों की समस्याओं की अनदेखी कर सकती है। शिक्षा के केंद्रीकरण की आशंका स्वायत्तता की राह में रूकावट होगी।

- **मानव एवं भौतिक संसाधनों का अभाव–**

वर्तमान समय में शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षकों की कमी है और साथ ही कुशल शिक्षकों की भी। विश्वविद्यालयों को बहु–विषयक (Multi-Disciplinary) बनाने की बात कही गई है किन्तु इनमें आवश्यक बुनियादी ढांचें एवं संसाधनों की कमी है। साथ ही विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों के स्वरूप, व्यवस्थाएँ सभी अलग–अलग तरह से हैं। ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के सभी क्षेत्रों में की गई व्यवस्था का व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करना चुनौतीपूर्ण होगा।

- **फंडिंग की समस्या–**

जो विश्वविद्यालय फंडिंग के लिए राज्यों पर निर्भर करते हैं वे राज्य अपनी सोच के हिसाब से बजट निर्धारित करते हैं। भारत सरकार ने GDP का 2.7 प्रतिशत ही शिक्षा पर व्यय किया है। नई शिक्षा नीति के तहत 6 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है जिसे हासिल करना आसान नहीं है।

- **भाषा की समस्या–**

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होने से अलग–अलग राज्यों में कई समस्याएं आयेंगीं जैसे ट्रांसफर से आए छात्रों के लिए प्रादेशिक भाषा

की समस्या, कंटैंट की समस्या, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए कोई सुझाव नहीं इत्यादि। वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी भाषा को महत्व कम दिया गया है। शिक्षक व छात्र दोनों के लिए भाषा की समस्या होगी।

- **पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी–**

पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षकों एवं छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है जबकि व्यवहारिक रूप में बोर्ड ऑफ स्टडी यह अवसर नहीं देती है। कोर्स कोई बनाता है, पढ़ाता कोई है और मूल्यांकन कोई करता है। भाषा और सामाजिक विज्ञान जैसे अन्य विषयों की मांग न होने से इन पर संकट बढ़ेगा।

- **डिजिटल प्लेटफार्म–**

ई–एजूकेशन के लिए विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में संसाधनों की कमी है। दूर–दराज इलाकों में नेटवर्क नहीं होते हैं, और जहाँ होते भी हैं तो आर्थिक स्थिति के कारण छात्रों तक उनकी पहुँच नहीं है। भौगोलिक व आर्थिक स्थिति के कारण वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को व्यावहारिक रूप देना एक चुनौती है।

- **उच्च शिक्षा–**

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत पहुँचाने के लिए सरकार की योजना अभी तय नहीं है। पी0जी0 को एक साल का करके उसका महत्व कम होगा। एक वर्षीय बी0एड0 व द्विवर्षीय बी0एड0 का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है।

- **महंगी शिक्षा–**

शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षा व्यवस्था महंगी होगी जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना सरल नहीं होगा। इसके साथ ही स्वायत्तता से भी शिक्षा महंगी होगी। शिक्षण संस्थान मनमानी फीस वसूली करेंगे।

- **शिक्षा का संस्कृतिकरण–**

कुछ राज्यों का यह मानना है कि त्रि–भाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतीकरण करने का प्रयास कर रही है।

नई शिक्षा नीति 2020 की सफलता हेतु सुझाव–

– नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रबल राजनीतिक और सामाजिक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है।

– मौजूदा शिक्षा नीति–अनुसंधान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, विकास, खेल, संस्कृति, चिकित्सा आदि सुविधाओं में जोर दे रही है। ऐसे में इसके सफल क्रियान्वयन के लिए मौजूदा विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में आवश्यक बुनियादी ढांचे एवं संसाधनों की कमी को पूरा किया जाए।

– केन्द्र और राज्य सरकारों के संस्थानों को समान रूप से विशेष पैकेज एक बेहतर उपाय है।

– ब्यूरोक्रेट्स विश्वविद्यालयों को जो डिग्री बेच रहें हैं उन्हें बंद किया जाए।

– शिक्षक शिक्षा को प्राथमिकता में रखा जाए।

– शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार किया जाए। उनके सेवाकालीन प्रशिक्षण में वृद्धि की जाए।

– अध्यापकों को स्वयं को अपडेट करना होगा।

– मूल्यांकन स्तर में सुधार किया जाए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था परीक्षा के लक्ष्य की ओर जा रही है।

– नवाचार व विशेषज्ञता प्रतिभा में सुधार के लिए व इसे आगे बढ़ाने में भारत के टॉप विश्वविद्यालयों को अहम भूमिका निभानी होगी।

– शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालयों को पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपडेटेड कोर्स को ला सकें।

– नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को फास्ट ट्रैक बेसिस पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

– शिक्षा ऐसी हो जो एक मनुष्य का निर्माण करे। वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप हो, ज्ञानार्जन में सहायक हो, जिसमें परीक्षा का भय न हो, छात्रों में सीखने की ललक हो, शिक्षा भार स्वरूप न होकर रोचक हो।

निष्कर्ष–

नई शिक्षा नीति 2020 में मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। डॉ0 के0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु इसे मंजूरी दी है। यह शिक्षा नीति वैश्विक शैक्षिक प्रयोगों में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाली विश्व की एक ज्ञान महाशक्ति बनने की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने

के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। पुराना ही नए सृजन का आधार होता है। 34 वर्षों के पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को ऐसी शिक्षा देना है जो वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप हो। इस शिक्षा नीति को व्यावहारिक रूप मे क्रियान्वित करने में भले ही अनेक चुनौतियाँ है किन्तु हम सभी यदि सकारात्मक एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसे अपनाएं तो हम इन चुनौतियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने है जिसे हम सबने एक चुनौती और अवसर स्वरूप लिया, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा और एक नई दिशा मिली। ऐसे ही नई शिक्षा नीति यह सही दिशा में एक कदम है जो मौजूदा शैक्षिक वातावरण के मद्देनजर भारत में शिक्षा परिदृश्य के विकास के लिए एक स्वागत योग्य और प्रगतिशील बदलाव है। इसको सफल बनाने में हमारी जवाबदेही सबसे अहम होनी चाहिए।

संदर्भ

1. ड्राफ्ट NEP 2019
2. 2020 में भाग लिए गए वेबिनार
3. समाचार पत्र–पत्रिकाएं
4. मीडिया
5. योजना एवं प्रतियोगिता दर्पण
6. मेरे द्वारा किया गया मूल्यांकन।

36

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० में भारतीय भाषाओं का स्थान (संस्कृत के विशेष संदर्भ में)

डॉ० अरविंद कुमार
असिस्टैंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग)
जे.एस. हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरोहा

सारांश

शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं विशेषतः संस्कृत के पठन–पाठन पर विशेष अवधान देती है। प्राथमिक स्तर के शिक्षण में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रावधान है। आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं के लिए अकादमी की स्थापना, भाषा शिक्षकों की नियुक्तियां, अनुवाद एवं व्याख्या के हेतु राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना, पालि, प्राकृत फारसी के लिए पृथक संस्थान निर्माण तथा पांडुलिपियों का संरक्षण आदि प्रस्ताव उल्लेखनीय हैं। समीक्ष्य नीति के प्रस्ताव संस्कृत के उत्थान में विशेष सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा ही मातृभाषा में होगी। त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है कि इसमें दो भाषाएं भारतीय होंगी, यहां संस्कृत भी प्रमुख विकल्प होगी। उच्चतर कक्षाओं में भी छात्र एक विषय के रूप में संस्कृत ले सकते हैं। संस्कृत शिक्षण के संबंध में मुख्य बात यह है कि संस्कृत शिक्षण संस्कृत माध्यम में ही होगा। इससे प्राथमिक से उच्च कक्षा तक संस्कृत शिक्षकों की आवश्यकता होगी और संस्कृतज्ञों के रोजगार के द्वार भी खुलेंगें। इसमें विविध विधाओं में विस्तृत साहित्य और इसके सांस्कृतिक व वैज्ञानिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत को संस्कृत पाठशाला से बाहर लाकर मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तीन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों का निर्माण भी इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कहा जा सकता है। आधुनिक समय में प्रासंगिक विज्ञान, गणित, खगोल, दर्शन तथा योग आदि के साथ संस्कृत को जोड़ा जाएगा, ऐसी अंतरविषयी व्यवस्था बनने से विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य आदि संकायों के छात्र भी संस्कृत पढ़ सकते हैं और जब संस्कृत विश्वविद्यालय बहुविषयक होंगे तो संस्कृत के छात्र भी अन्य विषय में दक्ष हो सकेंगे और संस्कृत के विद्यार्थियों में व्याप्त होती अनावश्यक हीन भावना क्षीण हो जाएगी। इसके लिए संस्कृत शिक्षकों को तैयार करने हेतु चार वर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम के द्वारा व्यवसायिक शिक्षा देने का प्रस्ताव है। यह प्रशिक्षित शिक्षक अन्य विषयों को संस्कृत माध्यम में पढ़ा सकेंगे। शिक्षा नीति में प्रस्तावित राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना से संस्कृत के शोधार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी और शोध स्तर भी सुधरेगा। इसका प्रभावी तरीके से लागू किया जाना आवश्यक पहलू है। इस सम्बन्ध में सुखद है कि कई राज्य नई शिक्षा नीति के अनुरूप पठन–पाठन प्रारम्भ करा चुके हैं।

मुख्य शब्द

शिक्षा नीति, प्रस्ताव, बहुभाषिकता, त्रिभाषा सूत्र, मातृभाषा, संरक्षण–संवर्द्धन।

मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा से ही संभव है, अतः शिक्षा कल्याणकारी राज्य का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। प्राचीन काल से ही शैक्षिक रूप से उन्नत रहे भारत जैसे देश में जहां नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय विश्वभर के अध्येताओं के आकर्षण का केंद्र रहे हों और जो देश मानवमात्र को शिक्षा देता रहा हो[1], आधुनिक समय में भी उस देश के नीति नियंताओं द्वारा शिक्षा को केंद्र में रखकर विचार करना प्रशंसनीय है। 1933 ई0 में आए मैकाले के घोषणा पत्र द्वारा औपनिवेशिक शासन के हितों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था तैयार करने से गुरुकुल पद्धति और गुरु शिष्य परंपरा का दुर्ग ढहना शुरू हो गया। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बन गयी। विद्यार्थी सूचना के संकलनकर्ता मात्र रह गए तथा बाबू व कंपनी हेतु कर्मचारियों की भीड़ तैयार होने लगी। इसका प्रभाव भारतीय जनमानस में ऐसा बैठ गया कि स्वातन्त्र्योत्तर भारत में आज तक शिक्षा के माध्यम और भाषा के प्रश्न पर विमर्श होता चला आ रहा है। 1955 ई0 में बने राजभाषा आयोग ने भारतीय भाषाओं के ज्ञान और सीखने की सिफारिश कीं। कोठारी आयोग (1964–1966 ई0) शिक्षा के इतिहास में पहला कदम कहा जा सकता है। यह संस्कृत भाषा शिक्षण को प्रोत्साहित करने और त्रिभाषा सूत्र लागू करने की बात करता है। कोठारी आयोग की सिफारिशों पर ही आधारित 1968 ई0 के शिक्षा नीति के प्रस्ताव में भी मातृभाषा के शिक्षण की चर्चा है। 1986 ई0 में आयी शिक्षा नीति में भाषाओं के प्रश्न पर 1968 के प्रस्ताव की प्रासंगिकता बताते हुए यही कहा गया है कि मूल सिफारिशों में सुधार की गुंजाइश शायद ही हो किंतु देशभर में इस नीति का पालन एक समान नहीं हुआ, अब

इस नीति को अधिक सक्रियता और सोद्देश्यता से लागू किया जाएगा।[2] राममूर्ति समिति 1990 की रिपोर्ट मातृभाषा शिक्षण पर जोर देती है। स्वतंत्रता पूर्व कालखंड में हंटर आयोग (1882), वर्धा शिक्षा योजना (1937), डॉ0 जाकिर हुसैन की बेसिक शिक्षा रिपोर्ट (1938) आदि में भी देशी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर और देश को वैश्विक महाशक्ति बनाकर भारत को जीवन्त और न्यायसंगत ज्ञानयुक्त समाज में बदलना है।[3] 2030 तक सभी के लिए समावेशी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिष्चित करने और जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने के लक्ष्य पर केन्द्रित यह नीति भाषा के सन्दर्भ में विगत नीतियों से अधिक मुखर है। बहुभाषिकता और अध्ययन–अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना इसके मूलभूत सिद्धांतों में से एक है।[4] यह आवश्यक है क्योंकि एक स्कूल सच्चे अर्थों में संस्कृति का मंदिर तभी कहलाता है जब उसमें चार देवता प्रतिष्ठित हों– मातृभूमि, मनुष्य (शिक्षक और छात्र), पुस्तक और मातृभाषा। विद्यालय की अवधारणा में अधोसंरचना का महत्व कम है और मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा का अधिक।[5]

प्राथमिक कक्षा से ही मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षण माध्यम बनाने का प्रस्ताव करती समीक्ष्य शिक्षा नीति में सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की संस्थाओं को समान रूप से इसे लागू करने को कहा गया है। मातृभाषा में शिक्षण के संदर्भ में पापुआ न्यूगिनी का उदाहरण उल्लेखनीय है। यह दिल्ली से भी छोटा राष्ट्र है जहाँ लगभग 400 भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। यूनेस्को ने इसे भाषिक विविधता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना है।[6] महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानन्द तथा डॉ. अब्दुल कलाम मातृभाषा में शिक्षण की वकालत करते हैं। डॉ. कलाम कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिये बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की पढाई अपनी मातृभाषा में प्राप्त की।[7] अपनी प्राथमिक शिक्षा और गुजराती के विषय में गांधी जी लिखते हैं– ''12 वर्ष की उम्र तक मैंने जो भी शिक्षा पाई, वह अपनी मातृभाषा गुजराती में ही पाई। उस समय मुझे गणित, भूगोल, इतिहास आदि का थोडा थोडा ज्ञान था।.. हाई स्कूल में स्कूल मास्टर का काम विद्यार्थियों के दिमाग में ठूँस–ठूँसकर अंग्रेजी भरना था।.. जितना गणित, रेखागणित, बीजगणित, रसायनशास्त्र और ज्योतिष सीखने में मुझे चार साल लगे, अगर अंग्रेजी के बजाय गुजराती में पढ़ा होता तो उतना मैंने एक साल में ही आसानी से सीख लिया होता।कृहमें और हमारे बच्चों को अपनी ही विरासत बनानी चाहिये, अगर हम दूसरों की विरासत लेंगे तो हमारी अपनी नष्ट हो जायेगी।''[8]

देशभर से आये 2.25 लाख सुझावों पर विचार करने के पश्चात् तैयार की गयी शिक्षा नीति का प्रारुप ऐसा बनाया गया[9] जिसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रगौरव तथा परम्परा व मूल्यों पर ध्यान दिया गया है। भारत की भाषाई स्वतन्त्रता बनाये रखने और विद्यार्थियों पर अनावश्यक बोझ को कम करने वाली यह शिक्षा प्रणाली समान रूप से सभी भारतीय भाषाओं की चिन्ता करती है। भारत की सभ्यतामूलक दृष्टि अनेक भाषाओं और बोलियों में विद्यमान लोक साहित्य, लोक नृत्य, लोक कला, लोक संगीत, लोक कथा आदि से समृद्ध हुई है। हमारी दंतकथायें, लोकोक्तियां, पर्व, तीर्थ आदि सभी क्षेत्रीय बंधनों से परे देखने में हमेशा समर्थ रहे हैं। अपने से इतर भाषा भाषी सर्वदा हमारे कौतूहल, उत्कण्ठा और सहज सम्मान का पात्र बनता है।[10] इसीलिये हमारे सारे इतिहास व संस्कार में भारत एकात्म स्वरूप में विद्यमान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस विचार को अग्रसारित करती है। भाषाओं के प्रति संवेदनशील होना इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि विगत 50 वर्षों में ही देश 220 भाषाओं को खो चुका है, और 197 भारतीय भाषाओं को यूनेस्को लुप्तप्राय घोषित कर चुका है।[11] भाषा के साथ उससे सम्बन्धित पूरी संस्कृति ही विनष्ट हो जाती है। अतः इनका संरक्षण, संवर्द्धन राष्ट्रीय कर्तव्य हो जाता है। इन्हें जीवन्त बनाने हेतु शैक्षिक उपयोग अत्यन्त कारगर हो सकता है जिसका प्रावधान समीक्ष्य शिक्षा नीति करती है।

प्राथमिक, सैकेन्ड्री स्तर पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने, विज्ञान और गणित आदि विषयों की पाठ्य सामग्री को भारतीय भाषाओं अथवा स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के साथ ही त्रिभाषा सूत्र का भी प्रावधान नयी शिक्षा नीति में किया गया है जिसमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगे, पांचवी के बाद एक या अधिक भाषाओं को बदल सकते हैं।[12] यद्यपि यह फार्मूला नया नहीं है, इसकी सिफारिश कोठारी आयोग और शिक्षा नीति 1986 ने भी की थी। सबको भाषा के स्तर पर समान अवसर और एकता को बढ़ावा देने वाले इस फार्मूला का उद्देश्य विद्यार्थियों को मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की समझ विकसित करना था। भारतीय भाषाओं के लिए बनाये गये इस सूत्र की व्याख्या और क्रियान्वयन इस तरह से हुआ कि देश भर में भाषिक दृष्टि से दोहरी शिक्षा प्रणाली विकसित हो गई। यह संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा की स्वीकार्यता और अनिवार्यता का सूत्र बनकर रह गया।[13] समीक्ष्य शिक्षा नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि त्रिभाषा सूत्र में यद्यपि भारतीय भाषाएं रहेंगी किंतु किसी राज्य पर कोई अन्य भाषा थोपी नहीं जाएगी। इसमें प्रत्येक राज्य या क्षेत्र की भाषाओं का विकल्प खुला रहेगा। संस्कृत भी एक प्रमुख विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगी। भारत के अकादमिक समुदाय में संस्कृत भाषा के प्रति उपजे उपेक्षाभाव ने सांस्कृतिक परम्परा से अनभिज्ञता को बढावा दिया है। जबकि संस्कृत भारतीय परिवार की भाषाओं में प्रमुख एवं भाषाओं की जननी है। भारत का प्राचीन वांगमय संस्कृत में ही उपलब्ध है। अध्यात्म विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि का विपुल साहित्य संस्कृत भाषा में ही है। चरक, सुश्रुत का आयुर्वेद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य का गणित व खगोल विज्ञान, पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि की भाषा और व्याकरण, कपिल का तत्वज्ञान, कणाद का परमाणु विज्ञान, मनु, याज्ञवल्क्य और वशिष्ठ आदि ऋषियों की स्मृतियों एवं भारतीय इतिहास व पुरातात्विक सामग्री का ज्ञान संस्कृत के बिना असंभव है। भारत के अतीत का दर्शन संस्कृत के अभाव में नहीं हो सकता और ना केवल प्राचीन भारतीय ज्ञान अपितु आधुनिक युगीन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति भी संस्कृत से संभव है। जब इसे नासा ने अंतरिक्ष में संदेश प्रेषण हेतु तथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सर्वाधिक उपयोगी भाषा स्वीकार किया हो तब इसे जन–जन तक पहुंचाने में संस्कृतज्ञों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

केवल पौरस्त्य ही नहीं विलियम्स जोन्स के प्रयासों के बाद अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसका महत्व समझा व सराहा है। किंतु आज जनमानस का इसके प्रति रुझान अत्यंत सोचनीय है। 2011 की गणना के अनुसार संस्कृत भाषा 22वें पायदान पर रही है। यद्यपि दुनिया के लगभग 250 से अधिक और अकेले जर्मनी के 14 से अधिक विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पठन पाठन हो रहा है। भारत में तीन केन्द्रीय और 15 राज्यों के संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्णतया संस्कृत के विकास हेतु कृत–संकल्पित हैं। 120 अन्य विश्वविद्यालय, 1000 पारम्परिक संस्कृत विद्यालय, 10 संस्कृत अकादमी, 16 ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, लगभग पांच लाख से अधिक संस्कृत शिक्षक और शताधिक गैर सरकारी संस्थायें संस्कृत को समृद्ध करने में प्रयासरत हैं। फिर भी विश्वविद्यालयों में निरंतर संस्कृत विषय के छात्रों की घटती संख्या चिंतनीय है। हमें संस्कृत को कूप जल नहीं, बहता नीर बनाना होगा जिससे जनसामान्य लाभान्वित हो सके। समीक्ष्य शिक्षा नीति के प्रस्ताव इसमें अभूतपूर्व मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसमें संस्कृत को संस्कृत विश्वविद्यालयों, संस्कृत पाठशालाओं तक ही सीमित न रखते हुये मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाने का प्रावधान सराहनीय है।

नयी शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं विशेषतः संस्कृत के संरक्षण, संवर्द्धन हेतु अध्याय 4 तथा 22 में अनेक प्रावधान किये गये हैं जिनके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार हैं–

➢ सार्वजनिक तथा निजी संस्थान कम से कम ग्रेड 5 और यथासंभव ग्रेड 8 तक घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण करेंगे।

➢ राज्य एवं केंद्र दोनों सरकारें मिलकर क्षेत्रीय भाषा और विशेष रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं के भाषा शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति करेंगे।

➢ त्रिभाषा फार्मूला पहले की तरह जारी रहेगा, इसमें कम से कम 3 में से 2 भाषाएं भारतीय होंगी। इसमें संस्कृत प्रमुख विकल्प रहेगी। विशेष रूप से जो छात्र तीन में से एक या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं।

➢ बच्चों को प्रमुख भारतीय भाषाओं की साम्यता, संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं से इनकी शब्दावली के स्रोत आदि का ज्ञान 'द लैंग्वेज ऑफ इंडिया' जैसे प्रोजेक्ट कार्यों से कराया जायेगा।

➢ प्राथमिक और मिडिल स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों को संस्कृत माध्यम से ही अधिक प्रभावोत्पादक एवं प्रासंगिक तरीकों से पढ़ाया जाएगा। इसके लिए संस्कृत को सरल मानक रूप से लिखे जाने का प्रयास किया जाएगा।

➢ भाषाओं का शिक्षण अधिक प्रभावी अनुभवात्मक प्रविधियों से किया जायेगा। इसमें फिल्म, थिएटर, कथावाचन, काव्य, संगीत आदि के साथ साथ एप्स तथा आधुनिक इंटरनेट आदि उपयोगी होगें।

➢ बधिर विद्यार्थियों के लिए भारतीय साइन लैंग्वेज (आईएसएल) को देशभर में मानकीकृत कर पाठ्य सामग्री विकसित की जाएगी। स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का भी सम्मान किया जाएगा।

➢ भाषा, कला एवं संस्कृति से अन्तःसम्बद्ध है। इसलिए स्थानीय भाषाओं एवं स्थानीय कला व संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए विभिन्न संगीत, नाटक, लोकगीत, नृत्य, फिल्म, नाटक तथा बुजुर्गों की रिकार्डिंग आदि को विकीपीडिया आदि वेब प्लेटफार्म पर सुरक्षित किया जायेगा।

➢ संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं पर पृथक रूप से अकादमी स्थापित की जायेंगी। ये अकादमी सम्बन्धित भाषा के प्रामाणिक शब्दकोश निर्माण पर विशेष अवधान देंगी।

➢ भारतीय भाषाओं के साहित्य के अनुवाद एवं विवेचना करने तथा गुणवत्ता युक्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आई.आई.टी.आई.) की स्थापना होगी।

➢ भारत की शास्त्रीय भाषाओं में उपलब्ध हजारों पांडुलिपियों तथा अभिलेखों को एकत्रित करके उनका संरक्षण एवं अनुवाद किया जाएगा।

➢ संस्कृत को संस्कृत पाठशाला से विश्वविद्यालय तक सीमित ना रखकर इसे मुख्यधारा में लाया जाएगा, त्रिभाषा फार्मूला के तहत इसे उच्च शिक्षा तक प्रमुख विकल्प के रूप में रखा जाएगा। इसे रोचक और नवाचारी तरीकों से अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों से जोड़ते हुये पढ़ाया जाएगा।

➢ संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्थानों के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। भाषा विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार शिक्षा तथा भाषा की दोहरी बी.एड. की डिग्री प्रदान करेंगे।

➢ सभी विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों में शास्त्रीय भाषाओं का साहित्य पढ़ाया जाएगा तथा भाषा विश्वविद्यालयों को बहुविषयी बनाया जायेगा।

➢ देश के संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं के संस्थानों को मजबूत किया जाएगा। भाषाओं के लिये एक नया राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जायेगा।

➢ भारत में शास्त्रीय तमिल, तेलुगू, कन्नड, मलयालम, उडिया सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं के अत्यंत समृद्ध साहित्य को संरक्षित किया जायेगा। प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग करते हुये शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं का संरक्षण, संवर्द्धन किया जायेगा।

➢ पालि, प्राकृत और फारसी के साहित्य को भावी पीढ़ी हेतु संरक्षित करने तथा इन (पालि, फारसी, प्राकृत भाषा) के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

➢ उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं एवं कला संस्कृति के अध्ययनार्थ छात्रवृत्ति की तथा उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की जाएगी।[14]

निष्कर्ष

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए उपर्युक्त प्रावधान आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृत के उत्थान में विशेष सहायक सिद्ध हो सकते हैं। संस्कृत शिक्षकों को तैयार करने हेतु 4 वर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम के द्वारा व्यवसायिक शिक्षा देने का प्रस्ताव है। यह प्रशिक्षित शिक्षक अन्य विषयों को संस्कृत माध्यम में पढ़ा सकेंगे। शिक्षा नीति में प्रस्तावित राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना से संस्कृत के शोधार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी और शोध स्तर भी सुधरेगा। संस्कृत के अनेक अनालोचित विषय, ग्रन्थ और ग्रंथकार मनीषी लोक दृष्टि में आ सकेंगे। पांडुलिपि और अभिलेखों के संरक्षण का प्रयास भी सार्थक सिद्ध होगा। बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों की नियुक्ति इसके प्रभावी क्रियान्वयन को साकार रूप देगी। विज्ञान व गणित आदि विषयों की पाठ्य पुस्तकों को संबंधित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। नई शिक्षा नीति की स्वीकृति के एक वर्ष के अंदर ही आठ राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेजों में भारतीय भाषाओं के अध्यापन प्रारंभ होना भारतीय इतिहास की युगान्तकारी घटना है, जो सही सन्दर्भों में मैकाले को खारिज करते हुए भारत के लोगों के लिए देश की जुबान में शिक्षा हो इसको प्रदर्शित करती है।[15] हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश आदि राज्यों ने नई शिक्षा नीति लागू करने में प्रशंसनीय तत्परता दिखाई है।

शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन न केवल संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं का संरक्षण करेगा अपितु इससे हमारी प्राचीन धरोहर भी संरक्षित होगी। इस नीति में भारत की आर्थिक आवश्यकताओं के साथ–साथ वैविध्यपूर्ण संस्कृति, कलायें एवं भाषिक विविधता को सहेजने पर भी पर्याप्त अवधान दिया गया है। कोमलमति बालकों को मातृभाषा में शिक्षण से उनके बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अनावश्यक बोझ कम होगा। भाषा–शिक्षण के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख्य है कि शिक्षा में भाषा ही सबकुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना सब कुछ, कुछ भी नहीं है।

संदर्भ

1. एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। मनुस्मृति 2.17
2. भावना मासीवाल, लेख–नई शिक्षा नीति और हिन्दी, tv9hindi.com
3. डॉ. राजेन्द्र शर्मा, (सम्पादकीय) शैक्षिक मन्थन अंक 2
4. नई शिक्षा नीति 2020
5. वसीली सुप्वेम्लीन्स्की, यूक्रेन के शिक्षाविद्, प्रो. गोविन्दप्रसाद शर्मा, के लेख (सम्पादकीय) से उद्धृत। पुस्तक संस्कृति।
6. वही
7. कृष्णकान्त शर्मा, लेख– मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम क्यों ? प्राथमिक शिक्षक पत्रिका, पृ0 17
8. हरिजन सेवक, 9 जुलाई 1938
9. दुलीचन्द कालीरमन, का लेख–भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देती नई शिक्षा नीति, 02 सितम्बर 2020, swadeshionline.in
10. कुलपति महात्मा गांधी के0 वि0वि0 मोतिहारी, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय भाषायें', दैनिक जागरण, 24 सितम्बर 2020
11. नई शिक्षा नीति 2020
12. वही
13. amarujala.com रजनीश कुमार शुक्ल का लेख–'नई शिक्षा नीति–देश की भाषा में भारत की शिक्षा'
14. नई शिक्षा नीति 2020
15. वर्जीनिया वुल्फ, डॉ0 आरती स्मित के लेख–प्राथमिक शिक्षा में भाषा की महत्ता, पृ0 9, से उद्धृत।

37

भारत में डिजिटल पुस्तकालयों का विकास : एक अध्ययन

डॉ० कुलेश कुमार
एसोसिऐट प्रोफेसर (पुस्तकालय विज्ञान विभाग)
वीरांगना अवन्तीबाई राजकीय महाविद्यालय, अतरौली, अलीगढ़ (उ०प्र०)

सारांश

डिजिटल पुस्तकालय उपयोक्ताओं को इन्टरनेट पर दूर से ही और निर्बाध रूप से विभिन्न प्रकार की और विभिन्न प्रारूपों की सामग्री तक पहुँचने में सक्षम बनाते है। भारत में डिजिटल पुस्तकालयों की संख्या में लगातार वृद्धि देश के उज्जवल शैक्षणिक भविष्य और उपयोक्ताओं को कम से कम समय में त्वरित से त्वरित अभिगम प्रदान करने की अपार सम्भावनाओं की ओर इंगित करती है। यह शोध पत्र परम्परागत पुस्तकालयों के स्वरूप में परिवर्तन एवं डिजिटलाईजेशन के इस युग में डिजिटल पुस्तकालयों के विकास पर प्रकाश डालता है। साथ ही भारत में स्थापित विभिन्न डिजिटल पुस्तकालयों एवं रिपोजिटरीज के बारे में जानकारी प्रदान करता है तथा डिजिटल पुस्तकालयों के लाभ भी दर्शाता है।

मुख्य शब्द

परम्परागत पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय, रिपोजिटरीज, डिजिटलाईजेशन।

आधुनिक युग की 21वीं सदी के प्रारम्भ होते ही मनुष्य ने कम्प्यूटर एवं संचार क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ ही डिजिटल युग की ओर कदम रख दिया है। इसी विकास क्रम में हमारा देश भी डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है तथा डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। निजी क्षेत्र के उपक्रम एवं सरकारें इस दिशा में नित नए प्रयोग करके लोगों की सुविधा के लिए नए–नए उपकरण, मशीनें, तकनीकें, मोबाइल एप्स एवं योजनाएं लेकर आ रहे हैं जिससे लोगों की असुविधाएं एवं समस्याएं कम की जा सके एवं समय की बचत हो सके। डिजिटल डिवाइस, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल लॉकर, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल कार्ड एवं डिजिटल लाइब्रेरी जैसी चीजों का आविर्भाव इसी कड़ी के प्रयास हैं।

पुस्तकालयों के नए स्वरूपों का विकास

डिजिटल प्रौद्योगिकी और इन्टरनेट की खोज के बाद मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रान्तिकारी प्रौद्योगिकीय विकास के साथ–साथ पुस्तकालय परिदृश्य भी तेजी से बदल रहा है। एक समय था जब पुस्तकालय अपने परम्परागत रूप में ही स्थापित किए जाते थे जिनमें उपयोक्ताओं के उपयोग हेतु ग्रन्थों, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों आदि का भौतिक रूप से संग्रह किया जाता था जो इस प्रकार व्यवस्थित रहते थे कि कोई भी उपयोक्ता अपनी वांछित सामग्री की आसानी से खोज कर सकता था। लेकिन अब स्थितियाँ–परिस्थितियाँ पहले जैसी नहीं रही हैं। अब समय अत्यन्त प्रगतिशील एवं विकासशील हो चुका है। आज कम्प्यूटर, संचार प्रौद्योगिकी तथा नेटवर्किंग की सुविधाएं प्राप्त होने के कारण पुस्तकालयों के रूपों, आकारों, प्रकारों, कार्यों एवं सेवाओं में अत्यधिक परिवर्तन हो चुका है। इन नवीन प्रकार की आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग पुस्तकालयों में किए जाने के कारण पुस्तकालयों को अब अनेक अलग–अलग नाम दिए जा रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, इन्टरनेट लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी आदि। सामान्यतया इन सभी पुस्तकालयों को एक ही अर्थ में समझा जाता है और एक दूसरे के पर्याय के रूप में उपयोग किया जाता है।

पुस्तकालयों के स्वरूप में हुए विकास को निम्न रूप में देखा जा सकता है–

पुस्तकालयों का स्वरूप एवं प्रकार	विशेषताएं
परम्परागत पुस्तकालय (Traditional libraries)	इनमें प्रलेख मुद्रित रूप में होते हैं और सभी कार्य मानव श्रम विधि द्वारा (Manually) निष्पादित किए जाते हैं।
स्वचालित पुस्तकालय (Automated Libraries)	इनमें अधिकांश प्रलेख मुद्रित रूप में संग्रहित होते हैं लेकिन कुछ प्रलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी होते हैं। इस प्रकार के पुस्तकालय में अधिकांश कार्य स्वचालित रूप से किए जाते हैं जैसे– प्रसूचीकरण (Cataloguing), वर्गीकरण (Classification) एवं परिसंचरण (Circulation) कार्य आदि।

इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय (Electronic library/ E-Library)	इनमें अधिकांश प्रलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही होते हैं और सभी कार्य भी स्वचालित होते हैं।
डिजिटल पुस्तकालय (Digital Library)	इनमें सभी प्रलेख डिजिटल रूप में संग्रहित होते हैं तथा सभी कार्य स्वचालित रूप से सम्पन्न किए जाते हैं तथा LAN एवं WAN नेटवर्क द्वारा प्रलेखों को प्राप्त करने की सुविधा होती है।
साइबर लाइब्रेरी (Cyber Library)	इनमें सभी प्रलेख एक या अधिक वेबसाइटों पर उपलब्ध होते हैं जिन्हें इन्टरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर पर पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।

डिजिटल पुस्तकालय (Digital Library)

सामान्य अर्थों में एक डिजिटल पुस्तकालय ऐसा पुस्तकालय होता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर पठनीय प्रलेखों तथा अन्यत्र उपलब्ध डेटाबेसों से सूचना पुनर्प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध होती है। पुस्तकालय ज्ञान के भंडार होते हैं क्योंकि वहाँ पुस्तकें और ज्ञान के अन्य संसाधन प्रायः मुद्रित रूप में रखे जाते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी और इन्टरनेट की खोज के साथ पुस्तकालयों का स्वरूप एवं परिदृश्य भी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, इन्टरनेट कनेक्टिविटी और भौतिक रूप में उपलब्ध सूचना सामग्री के समन्वय से डिजिटल पुस्तकालय तैयार किए जा सकते हैं। भौतिक रूप में उपलब्ध सामग्री को डिजिटल पुस्तकालय में डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा सकता है। डिजिटल पुस्तकालय में सूचना और ज्ञान के अभिगम का विस्तार करने की क्षमता होती है। वे समय और स्थान की बाधाओं को भी दूर करते हैं। डिजिटल पुस्तकालय वह प्रणाली है जिसके द्वारा कोई भी उपयोक्ता एक साथ अत्यन्त वृहत् सूचना का अभिगम प्राप्त कर सकता है। डिजिटल पुस्तकालय जैसा कि इसका नाम है डिजिटल सूचना से सम्बंधित होता है जिसमें सूचना से सम्बंधित सभी कार्य जैसे सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करना, उसका संग्रहण करना, उसको व्यवस्थित करना तथा उपयोक्ता को उपलब्ध कराना आदि सम्पन्न किए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि डिजिटल पुस्तकालय में डिजिटल सूचना का व्यवहार किया जाता है। ऐसे पुस्तकालय में सूचना का कोई भी उपयोक्ता नेटवर्किंग व्यवस्था की सहायता से प्रलेखों का कभी भी त्वरित अभिगम प्राप्त कर सकता है। डिजिटल पुस्तकालय का आशय सम्पूर्ण विश्व में उपलब्ध सूचना संसाधनों की साझेदारी करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उपयोक्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराना होता है जिससे सही सूचना का सही समय पर सही उपयोक्ता को उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान समय में पूरा विश्व अत्यन्त ही लघु क्षेत्र (ग्लोबल विलेज) के रूप में संकुचित हो गया है और उपयोक्ता को अपना अमूल्य समय नष्ट किए बिना वांछित सूचना प्राप्त करना अत्यन्त आसान हो गया है। नवीन से नवीन प्रौद्योगिकियों जैसे मल्टीमीडिया, इन्टरनेट, अनेकों वेबसाइट्स, इन्फॉर्मेशन गेटवेज, रिपोजिटरीज आदि के प्रभाव के कारण परम्परागत पुस्तकालय धीरे–धीरे डिजिटल पुस्तकालय की ओर बढ़ रहे हैं।

डिजिटल पुस्तकालयों को भी परम्परागत पुस्तकालयों की तरह संसाधन रखने की आवश्यकता होती है। डिजिटल पुस्तकालय का मुख्य कार्य सूचना का संकलन करना, विश्लेषण करना, व्यवस्थापन तथा व्यवहार करना एवं उसे उपयोक्ता हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होता है। सूचना की प्रक्रिया के संदर्भ में पुस्तकालयाध्यक्षों की भूमिका भी पूर्ण रूप से बदल गयी है और उनकी भूमिका के आधार पर ये ई–लाइब्रेरियन, साइब्रेरियन, डिजिटल लाइब्रेरियन, इन्टरनेट लाइब्रेरियन तथा वेब लाइब्रेरियन आदि नामों से पुकारे जाने लगे हैं। डिजिटल पुस्तकालय के प्रबन्धक तथा उनके उपयोक्ता दोनों को ही सूचना उपलब्ध कराने तथा उपलब्ध सूचना का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है। डिजिटल सामग्री के संकलन एवं चयन में दो प्रक्रियाएं निहित होती हैं पहली, संकलन में सम्मिलित करने हेतु डिजिटल सामग्री का चयन करना तथा दूसरी, उस सामग्री का चयन करना जिसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। हम इस बात को पहले से ही जानते हैं कि अनेक समस्याओं के कारण विशेष रूप से कॉपीराइट एक्ट के कारण सभी मुद्रित प्रलेखों को डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। कोई भी डिजिटल पुस्तकालय उपयोक्ता मित्रवत् (यूजर फ्रेंडली) इन्टरफेस, इन्टरनेट का अभिगम, आवश्यकता पर आधारित सेवाएं तथा पूर्वव्यापी खोजें आदि की सुविधा प्रदान करते हैं। डिजिटल प्रलेखों की जीवन अवधि मुद्रित प्रलेखों से अधिक होती है लेकिन इस बात का अभी कोई प्रमाण नहीं है।

भारत में डिजिटल पुस्तकालयों का विकास

पुस्तकों को संरक्षित करना, जानकारी प्रदान करना और पढ़ने के लिए स्थान प्रदान करना सदियों से पुस्तकालयों का मूल उद्देश्य रहा है। शैक्षिक पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय शोधकर्ताओं और छात्रों को वांछित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने एवं अन्य उत्साही पाठकों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करने तथा उनको पढ़ने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई शोधकर्ता, छात्र और पाठक अभी भी नियमित रूप से पुस्तकालयों का दौरा करने के लिए मुद्रित प्रलेखों या पुस्तकों, सामग्रियों और संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला की हार्ड कॉपी तक पहुँचते हैं। लेकिन आज, ऐसे समय में जब सूचना डिजिटल मोड के माध्यम से चौबीसों घंटे उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध हो रही है, भारत में कई पुस्तकालयों ने पाम्परिक प्रिंट संसाधनों को डिजिटल संसाधनों में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। आजकल बहुत से लोग डिजिटल दुनिया में पारम्परिक पुस्तकालयों की प्रासंगिकता पर संदेह करते हैं। पारम्परिक पुस्तकालयों से ऑनलाइन या डिजिटल पुस्तकालयों में जाने

वाले पाठकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी तरह कई बड़े संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने पहले से ही डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए हैं जो उपयोक्ताओं को विभिन्न डिजिटल प्रारूपों में सामग्री और संसाधनों जैसे– ई बुक, पीडीएफ दस्तावेज, ऑनलाइन जर्नल्स, वीडियोज, फोटोग्राफ्स, ऑडियोबुक, इन्फोग्राफिक्स तक पहुँचने की अनुमति देते हैं ताकि छात्रों और पाठकों के लिए अतिरिक्त समय और प्रयास किए बिना वांछित सामग्री तक पहुँच को आसान बनाया जा सके।

यद्यपि विश्व के कई विकसित देशों ने डिजिटल पुस्तकालय का उपयोग करना बहुत पहले ही प्रारम्भ कर दिया गया था लेकिन भारत में डिजिटल पुस्तकालय का विकास लगभग तीन दशक पहले सन् 1990 के आसपास सम्भव हुआ था। भारत में डिजिटल पुस्तकालय से सम्बंधित सबसे पहला कदम; सूचना विज्ञान समिति, नई दिल्ली द्वारा 18–20 जनवरी, 1996 को बंगलुरू में आयोजित 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन में डिजिटल लाइब्रेरी विषय पर विचार विमर्श करना था जिसमें विभिन्न स्थानों से आए अनेक विद्वानों ने डिजिटल पुस्तकालय के विभिन्न पहलुओं पर 31 शोध पत्र प्रस्तुत किए थे। भारत में सबसे पहला डिजिटल पुस्तकालय बंगलुरू स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान ने प्रारम्भ किया। यह भारत का एक प्रमुख संस्थान है तथा जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 2000 शोध पत्र तैयार किए जाते हैं और लगभग 400 शोध प्रबन्ध प्रतिवर्ष मान्य एवं संस्तुत किए जाते हैं। इस डिजिटल पुस्तकालय में इन प्रलेखों को डिजिटल रूप में संरक्षित करके उपयोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है तथा अनेक सामयिक पत्रिकाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) की पुस्तकालय एवं सूचना इकाई ने भी अपने सभी प्रलेखों एवं पुनर्प्राप्ति सेवाओं के ओपैक ग्रन्थपरक (Bibliographic) डेटाबेसों का विकास किया है। आलेखों एवं अन्य प्रकाशनों के पूर्ण मूल पाठ (Full text), चित्र, नक्शे, रेखाचित्र आदि को मल्टीमीडिया पद्धति में परिवर्तित किया गया है। भारत में अहमदाबाद स्थित देश का प्रमुख सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क इनफ्लिबनेट सेंटर, नई दिल्ली स्थित डेलनेट (डवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क) एवं राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) आदि अन्य संस्थान डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना हेतु अनेक प्रयास कर रहे हैं। देश के अनेक विश्वविद्यालय एवं महत्वपूर्ण संस्थान अपने पुस्तकालयों को डिजिटल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। भारत सरकार द्वारा खड़गपुर (पश्चिमी बंगाल) में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (National Digital Library of India)

भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) की स्थापना शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पायलट परियोजना के रूप में मई 2016 में खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) में की गयी थी। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 19 जून, 2018 को इस डिजिटल पुस्तकालय को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अधीन कार्यरत है। इसका उद्देश्य कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों के साथ–साथ अन्य प्रासंगिक स्रोतों से मेटाडेटा एकत्र करना और उसका मिलान करना और पूर्ण पाठ अनुक्रमणिका प्रदान करना है। यह एक डिजिटल भण्डार है जिसमें असंख्य शोध प्रबन्ध, शोध पत्र, पाठ्य पुस्तकें, आलेख, व्याख्यान वीडियो, ऑडियो, अनुकरण कथा और अन्य सभी प्रकार के शिक्षण मीडिया शामिल हैं। एनडीएलआई अंग्रेजी एवं कई भारतीय भाषाओं में असंख्य पुस्तकों तक मुफ्त पहुँच प्रदान करता है। यहाँ अंग्रेजी भाषा में 1.5 लाख से अधिक एवं हिन्दी सहित अन्य 10 भाषाओं में 5 करोड़ से अधिक अभिलेख डिजिटल रूप में संग्रहित हैं। इसका पंजीकरण दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क खुला है यद्यपि लोकप्रिय स्रोतों की सामग्री केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध है।

भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की वेबसाईट है– https://ndl.iitkgp.ac.in

यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी (UDL)

यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी को मिलियन बुक प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं और छात्रों के कलात्मक, साहित्यिक और वैज्ञानिक कार्यों को डिजिटल प्रारूप में एकत्र करना और संरक्षित करना है। वर्तमान में शोधकर्ता और छात्र सूचीबद्ध लाखों डिजिटल प्रलेखों तक पहुँचने के लिए यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी पर ऑनलाइन अभिगम सकते हैं। उपयोक्ता चन्द सेकिन्डों में ही वांछित सूचना को खोजने के लिए वेबसाइट पर शामिल उन्नत खोज विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही उनके पास ई–बुक और अन्य डिजिटल संसाधनों के संग्रह को ब्राउज करने का भी विकल्प है। वे डिजिटल सामग्री के शीर्षक, लेखक, प्रकाशन का वर्ष, विषय और भाषा जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं।

यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी की वेबसाईट है– http://ulib.isri.cmu.edu

ओपन एक्सेस बुक्स की निर्देशिका (DOAB)

ओपन एक्सेस बुक्स की निर्देशिका को शोधकर्ताओं हेतु तुरन्त और निर्बाध रूप से अभिगम प्राप्त करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ओपन एक्सेस बिना किसी लागत या प्रतिबन्ध के शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए शोध सामग्री हेतु त्वरित अभिगम प्रदान करता है। एक शोधकर्ता उन्नत खोज विकल्प का उपयोग करके या शीर्षक, विषय और प्रकाशकों जैसे मापदंडों का उपयोग करके संसाधनों को ब्राउज करके वांछित सामग्री की खोज कर सकता है। लेकिन उसे किसी भी उद्देश्य के लिए सामग्री का पुनर्प्रयोग करने के लिए लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

ओपन एक्सेस बुक्स की निर्देशिका की वेबसाईट है– https://www.doabooks.org

दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली (DULS)

दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली अपने व्यापक शैक्षणिक समुदाय– शिक्षकों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए 37 से अधिक पुस्तकालयों को इन्टरनेट पर सुलभ बनाती है जो कैंपस नेटवर्क का उपयोग करके 64 उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसों में संग्रहित विभिन्न प्रकार की डिजिटल सामग्री का अभिगम प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, अन्य विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के पास अभी भी DULS तक पहुँचने और उसका लाभ उठाने का विकल्प नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले शोधकर्ता और छात्र ऑनलाइन सदस्यता का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की डिजिटल सामग्री का अभिगम प्राप्त कर सकते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली की वेबसाईट है– http://crl.du.ac.in

मिंटबुक डिजिटल लाइब्रेरी

मिंटबुक क्लाउड–आधारित डिजिटल लाइब्रेरी प्रमुख ई–लर्निंग समाधान प्रदाताओं में से एक है जो विशेष रूप से भारतीय शिक्षण प्रणालियों के अनुसार पाठकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह पाठकों को विभिन्न स्वरूपों में एक मिलियन से अधिक डिजिटल संसाधनों– ई–बुक्स, पीडीएफ दस्तावेज, ऑडियो, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, चित्र, क्विज और सिमुलेशन आदि तक पहुँचने की अनुमति देता है। इस डिजिटल पुस्तकालय को 10 से अधिक भाषाओं में 100 से अधिक प्रकाशकों की सामग्री को मिलाकर विकसित किया गया है। शिक्षार्थी/शोधार्थी कम्प्यूटर और मोबाइल दोनों उपकरणों पर इस डिजिटल पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं।

मिंटबुक क्लाउड–आधारित डिजिटल लाइब्रेरी की वेबसाईट है– https://mintbook.com

भारत में अन्य प्रमुख डिजिटल पुस्तकालय

क्रम सं0	डिजिटल पुस्तकालय का नाम	पैतृक संस्था/एजेन्सी	वेबसाइट
1.	Archives of Indian Labour	V.V. Giri National Labour Institute, Noida	http://www.indialabourarchives.org
2.	Cultural Heritage Digital Library in Hindi (CHDLH)	Cultural Informatics Laboratory, Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA), New Delhi	http://tdil.mit.gov.in/coilnet/ignca/welcome.html
3.	Digital e-Library (Dware Dware Gyan Sampada - Providing Books at your Doorsteps)	Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Noida	http://mobilelibrary.cdacnoida.in
4.	India Education Digital Library	Education Development Center (EDC), Bangalore	http://www.edudl.gov.in/
5.	Kalasampada : Digital Library Resources of Indian Cultural Heritage	Cultural Informatics Laboratory, Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi	http://www.ignca.nic.in/dlrich.html
6.	Muktabodha: Digital Library and Archiving Projects	Muktabodha Ideological Research Institute, New Delhi	http//www.muktabodhalib.org/digital_library.htm
7.	Traditional Knowledge Digital Library	National Institute of Science, Communication And Information Resources (NISCAIR), Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi	www.tkdl.res.in
8.	Vigyan Prasar Digital Library	Vigyan Prasar, Noida	http://www.vigyanprasar.gov.in/digil ib

भारत की कुछ प्रमुख संस्थागत ऑनलाइन रिपोजिटरी

देश के राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार की डिजिटल सामग्री के वृहत् भण्डार के रूप में ऑनलाइन रिपोजिटरीज (डिजिटल ज्ञान कोश) विकसित की गयी हैं जिनमें कोई भी उपयोक्ता निःशुल्क या निर्धारित पंजीकरण शुल्क अदा कर आसानी से उपयोग कर सकता है।

क्रम सं0	डिजिटल रिपोजिटरी का नाम	वेबसाइट
1.	Digital Knowledge Repository (Central Drug Research Institute, Lucknow	http://dkr.cdri.res.in:8080/dspace
2.	Dspace at CUSAT (Cochin University of Science and Technology, Kerala)	http://dspace.cusat.ac.in/dspace/
3.	Delhi College of Engineering Repository	http://dspace.mdi.ac.in/dspace
4.	Dspace at GGSIPU (Guru Govind Singh Indraprastha University, New Delhi)	http://dspace.ipu.ernet.in:8080/jspuis
5.	Dspace at NCRA (National Centre for Radio Astrophysics –TIFR, Pune)	http://ncralib.ncra.tifr.res.in:8080/dspace/

6.	Dspace at IITB (Indian Institute of Technology, Mumbai)	http://dspace.library.iitb.ac.in/dspace/
7.	Dspace at IIMK (Indian Institute of Management, Kozhikode)	http://dspace.iimk.ac.in
8.	ePrints at IISC (Indian Institute of Science, Bengaluru)	http://eprints.iisc.ernet.in/
9.	ePrints at IITD (Indian Institute of Technology, New Delhi	http://eprints.iitd.ac.in/dspace/
10.	Digital Library at ISI (Indian Statistical Institute, Bengaluru)	http://library.isibang.ac.in:8080/dspace
11.	Librarian's Digital Library (LDL)	http://drtc.isibang.ac.in
12.	Kautilya Digital Library	http://oii.igidr.ac.in:8080/dspace
13.	eGyankosh	http://www.egyankosh.ac.in
14.	Dspace at INFLIBNET	http://dspace.inflibnet.ac.in
15.	NAL Repository (National Aerospace Laboratories, Bengaluru)	http://nal-ir.nal.res.in
16.	NISCAIR (National Institute of Science, Communication And Information Resources, New Delhi) Online Periodical Repository	http://nopr.niscair.res.in
17.	Dspace at NITR (National Institute of Technology, Rourkela)	http://dspace.nitrkl.ac.in/dspace/
18.	RRI (Raman Research Institute, Bengaluru) Digital Repository	http://dspace.rri.res.in
19.	ePrints at SVNIT (Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat)	http://eprints.svnit.ac.in
20.	DU (Delhi University) ePrints Archive	http://eprints.du.ac.in

डिजिटल पुस्तकालयों के लाभ

दौड़ती भागती इस जिन्दगी में उपयोक्ताओं के पास समय की अत्यधिक कमी है। ऐसे में डिजिटल पुस्तकालयों की उपयोगिता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इसमें उपयोक्ताओं के पास यह सुविधा होती है कि वह ऑनलाइन ही पुस्तकों या अन्य सामग्री को पढ़ सकें। इन डिजिटल पुस्तकालयों में सिर्फ विषय की पुस्तकें ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार की सामग्री जैसे– शोध ग्रन्थ, जर्नल्स, पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि भी पढ़ने के लिए उपलब्ध होते हैं। डिजिटल पुस्तकालयों के विभिन्न लाभ निम्न प्रकार हैं–

1. डिजिटल पुस्तकालय एक विशेष स्थान तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए उपयोक्ताओं को भौतिक रूप से पुस्तकालय जाने की आवश्यकता नहीं होती। उपयोक्ता इन्टरनेट का उपयोग करके पूरे विश्व में कहीं भी बैठकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है।

2. किसी पुस्तकालय का एक निश्चित समय होता है लेकिन डिजिटल पुस्तकालय को कभी भी 24 घंटे और 365 दिन उपयोग किया जा सकता है।

3. एक डिजिटल अभिलेख का उपयोग एक ही समय में एक साथ कई उपयोक्ताओं द्वारा किया जा सकता है।

4. डिजिटल पुस्तकालय एक अधिक संचारित तरीके से सूचना सामग्री के बहुत समृद्ध एवं वृहत् संग्रह तक पहुँच प्रदान करता है अर्थात् हम कैटलॉग से किसी विषय पुस्तक तक और फिर एक विषय अध्याय तक पहुँच सकते हैं। साथ ही किसी विषय विशेष के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

5. अपने मनपसंद लेखक या विषय की कौन सी नई पाठ्य सामग्री डिजिटल पुस्तकालय में उपलब्ध हो गयी है या अपलोड कर दी गयी है, ऑनलाइन ही मैसेज प्राप्त होने पर तुरन्त पता चल जाता है।

6. उपयोक्ता पूरे संग्रह के वाक्यांश या शब्द के लिए किसी भी एक खोज शब्द का उपयोग करके अभिगम प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है।

7. आवश्यकता होने पर गुणवत्ता में मूल प्रति की भाँति ही एक अन्य सटीक कॉपी किसी भी समय आसानी से बनाई जा सकती है।

8. पारम्परिक पुस्तकालयों में संग्रहण क्षमता सीमित होती है किन्तु डिजिटल पुस्तकालय में बहुत अधिक ज्ञान सामग्री संग्रहित करने की क्षमता होती है क्योंकि डिजिटल सामग्री के संग्रह के लिए भौतिक रूप से बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है।

9. कई ऐसे ऑनलाइन डिजिटल पुस्तकालय हैं जिनमें आप प्रलेखों की समीक्षा देख सकते हैं। इससे आपको कौन सा प्रलेख पढ़ना उत्तम है, इसके बारे में अंदाजा लग सकता है।

10. कई ऑनलाइन डिजिटल पुस्तकालय आपको किसी विषय के बारे में सामग्री एकत्रित करने के लिए वेबसाइटों के सन्दर्भ प्रदान करते हैं। इन वेबसाइटों पर विषय और शीर्षक के अनुसार उस विषय के लेखक के प्रलेखों के नाम दिए जाते हैं जिससे आपको विभिन्न लोगों से इस बात की पुष्टि नहीं करनी पड़ती कि अमुक विषय के लिए कौन सा प्रलेख पढ़ा जाए।

11. एक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की लागत परम्परागत पुस्तकालय की तुलना में अत्यन्त कम है। एक परम्परागत पुस्तकालय में कर्मचारियों के वेतन, पुस्तकों के क्रय एवं उनका रखरखाव, भवन का किराया, विद्युत एवं जल आपूर्ति, फर्नीचर आदि पर एक अत्यधिक बड़ी धनराशि का व्यय होता है। डिजिटल पुस्तकालय इन अपार व्ययों से बचाता है।

निष्कर्ष

पूरे विश्व में फैली कोरोना महामारी के बाद तो अधिकांश पुस्तकालय अपने यहाँ संग्रहित सामग्री और संसाधनों को हार्ड कॉपी से डिजिटल कॉपी में लगातार परिवर्तित कर रहे हैं। इसी तरह, कई शैक्षणिक संस्थान भी डिजिटल लाइब्रेरी सॉल्यूशंस का उपयोग करके ऑनलाइन लाइब्रेरी स्थापित कर रहे हैं ताकि उनके उपयोक्ता अपनी मनपसंद पाठ्य सामग्री का घर बैठे ही उपयोग कर सके। इसीलिए भारत में डिजिटल पुस्तकालयों का नियमित रूप से विस्तार किया जा रहा है। डिजिटल पुस्तकालय उपयोक्ताओं को इन्टरनेट पर दूर से ही और निर्बाध रूप से विभिन्न प्रकार की और विभिन्न प्रारूपों की सामग्री तक पहुँचने में सक्षम बनाते है। भारत में डिजिटल पुस्तकालयों की संख्या में लगातार वृद्धि देश के उज्जवल शैक्षणिक भविष्य और उपयोक्ताओं को कम से कम समय में त्वरित से त्वरित अभिगम प्रदान करने की अपार सम्भावनाओं की ओर इंगित करती है।

संदर्भ

1. RATHORE (Rajesh Singh): Digital Libraries (Hindi), Granthalaya Vigyan, Vol. 35, p. 1-6 (2004).
2. VIJAY KUMAR (JK) AND VIJAY KUMAR (Manju) : Realizing the digital libraries. Published in the Essays in the memory of Late Dr. A. Tejomurthy. P. 365-373 (2002).
3. ARORA (J) : Building Digital libraries : An overview. INFLIBNET courseware, Ahmedabad Centre, IUC of UGC; 2003, p. 262-321
4. HULSER (RP): Digital library: Content preservation in digital world. DESIDOC, Bulletin of Information Technology, 1997, Vol.17(6).
5. लाल (सी) : डिजिटल ग्रन्थालय, ग्रन्थालय एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी (डा0 एस0 एम0 त्रिपाठी स्मृति ग्रन्थ), एस0 एस0 पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ0 36–45 (2009)
6. https://mintbook.com
7. https://ndl.iitkgp.ac.in
8. https://en.wikipedia.org
9. http://www.iscnagpur.ac.in
10. https://computerhindinotes.com

38

पहचान की राजनीति के संदर्भ में भारतीय समाज में उभरती प्रवृत्तियां

मयंक शुक्ला
शोध छात्र (इतिहास)

डॉ० सुरेश चंद
एसोसिऐट प्रोफेसर (इतिहास विभाग)
के०जी०के० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरादाबाद

सारांश

भारत की प्राचीनता एवं विविधता यहां के समाज को एक विशिष्ट चरित्र देती है। भारतीय समाज को विभिन्न तरीकों से वर्णित किया गया है। इसे विभिन्न पहचानों के सलाद का कटोरा भी कहा गया है और इन्हें पिघलाने वाला बर्तन भी कहा गया है। इसमें सामाजिक व्यवहार अक्सर पहचानों के इर्द–गिर्द घूमता है। किसी राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के प्रभाव से जमीनी स्तर पर होने वाली प्रतिक्रिया ने हाल ही में कुछ नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। कुछ नई पहचानें भी बनी हैं और कुछ पुनः परिभाषित भी हुई हैं। यह शोध पत्र स्वतंत्रता के पश्चात् और मुख्यतया बीते दो दशकों में उभरने वाली प्रवृत्तियों का संक्षेप में आकलन करने का उद्देश्य रखता है। भारतीय समाज की वर्तमान स्थिति में गहन दृष्टि के लिए इन प्रवृत्तियों को वस्तुनिष्ठ तरीके से समझना आवश्यक बन जाता है। इस शोधपत्र में तीन पहचानों का उल्लेख है – धर्म, जाति और लिंग।

मुख्य शब्द

पहचान की राजनीति, भारतीय समाज, धर्म, धर्मनिरपेक्षता, जाति, लिंगभेद, एल॰जी॰बी॰टी॰, दलित, महिला, पुरुष प्रधान समाज, पितृ–सत्ता।

भूमिका

बीसवीं शताब्दी में जन राजनीति और लोकतांत्रिक प्रणाली के आने के बाद विशेष पहचानों के इर्द–गिर्द कई संगठन और आंदोलन हुए हैं। परंतु हमें वर्तमान के चश्मे से इतिहास की पहचानों को देखने से बचना चाहिए। वही पहचानें भूतकाल में अलग तरीके से देखी जाती थीं। साथ ही बदलाव और निरंतरता के उदाहरणों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इतिहास के विभिन्न चरणों में इन पहचानों में भिन्न मात्रा में लचीलापन और गतिशीलता देखने को मिलती है। आमतौर पर एक समाज को प्रगतिशील माना जाता है अगर उसमें इन पहचानों को लेकर कट्टरता दिखाई ना दे। हालांकि भारतीय इतिहास के हर चरण में इन पहचानों को लेकर कहीं–कहीं लचीलापन और कहीं–कहीं कठोरता देखने को मिलती है। बदलते समय के साथ एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पहचानों से जाना जाने लगा है और बदलते संदर्भ में एक पहचान का महत्व दूसरी से ज्यादा हो सकता है। भारतीय समाज में अंतर्निहित विरोधाभासों की निरंतरता और नवीन चुनौतियों की वजह से सामाजिक और राजनीतिक जीवन के कई स्तरों और पहलुओं में संघर्ष दिखाई पड़ता है।

धर्म

भारतीय धर्मनिरपेक्षता विभिन्न विचारधाराओं की युद्ध–भूमि रहा है। यह पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बेहद अलग है। यह पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की भांति धर्म और राज्य के बीच की दीवार न होकर राज्य की सभी धर्मों से समान निकटता को दर्शाता है। इस दीवार की कमी की वजह से विभिन्न विचारधाराओं ने राज्य की धर्म से दूरी को अलग–अलग नाप दिया है। लेफ़्ट अथवा वामपंथी विचारधारा पूर्णतया निरीश्वरवाद और राइट अथवा दक्षिणपंथी विचारधारा हिंदू राष्ट्रीयता में विश्वास रखती है। हिंदू समाज के संगठन की शुरुआत को आर्य समाज के उद्भव के दौर से देखा जा सकता है परंतु हिंदुत्व को आकार दिया विनायक दामोदर सावरकर एवं आर०एस०एस० ने। आर०एस०एस० की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शिखर पर 80 के दशक में पहुंची एवं 2014 और 2019 के चुनावों में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में आई।

वर्तमान समय को हिंदुत्व का भारतीय राजनीति में अब तक का उच्चतम स्तर माना जा सकता है। समाज के जमीनी स्तर पर भारतीय समाज सहिष्णुता, बहुलवाद एवं समन्वयता के गुणों को दर्शाता है परन्तु इन गुणों को ठोकर तब लगती है जब कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं होती हैं जिनमें कुछ मात्रा में सांप्रदायिक रंग होता है।[1] भारतीय मुसलमानों के हिंदू इतिहास एवं संस्कृति को महत्व ना देने के कारण कुछ हिंदुत्व विचारक हिंदुओं और मुसलमानों के सांस्कृतिक अस्तित्वों की भिन्नता पर जोर देते हैं।[2] सत्तारूढ़ व्यवस्था को मीड़िया के द्वारा दिया

जाने वाला समर्थन और उनकी प्रत्यक्ष दक्षिणपंथी विचारधारा इन्हीं विचारों को जन–जन तक पहुंचाती है। जो हिंदू परिवार अब तक उस समन्वयी भारतीय परंपरा का पालन करते आए हैं जो सूफी और भक्ति आंदोलनों के मूल्यों से प्रभावित हैं; अब सामाजिक जीवन और निर्वाचन में हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करते हैं। अब हिंदू सांस्कृतिक मूल्यों का नए बल और वैभव के साथ महिमामंड़न किया जाता है। इसी के साथ मुस्लिम सामूहिक राजनैतिक चेतना हाशिए पर आती है। इसी की वजह से भेदभाव के उदाहरण भी समाज में देखने को मिलते हैं।[3] भारतीय समाज की पहचानों और सांस्कृतिक प्रतीकों के लिए मनोग्रस्तता इसकी दरारों को और गहरा बना देती हैं। हिंदू राष्ट्रीयता के नाम पर दूसरे धर्मों की एक मुखर तरीके से रूढ़ीबद्ध धारणा बनाई जाती है। सामाजिक और यहां तक कि राष्ट्रीय राजनीतिक वाद–विवादों में यह मुखरता एक नवीन प्रवृत्ति को जन्म देती है।

भारतीय मुस्लिमों में भी पहचान की राजनीति स्वतंत्रता से देखी जा सकती है। विभिन्न राजनैतिक गुटों ने समाज में अपने वोट बैंक स्थापित कर रखे हैं। हिंदुत्व विचारकों के अनुसार धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिमों के कट्टरपंथी तबकों का तुष्टिकरण किया जाता है। शाह बानो मामले में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्क को राजीव गांधी सरकार का मान लिया जाना सूडो सेक्युलरिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है।

जाति

जाति का अंग्रेजी समकक्ष शब्द 'कास्ट' पुर्तगाली अफसर के स्थानीय जाति–वर्ण व्यवस्था को दिए गए नाम 'कास्ता' से आता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर पालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऋग्वेद का पुरुषसूक्त जो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम साक्ष्य है उसके दसवें मंडल में मिलता है जो कि उत्तर–वैदिक काल में जोड़ा गया था। पुरुषसूक्त में श्रेणीगत पदानुक्रम में वर्णों की संकल्पना नहीं थी, बल्कि श्रम के विभाजन पर आधारित एक सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था बनाने की एक पहल थी। राज्य समाज के उद्भव के साथ धर्मशास्त्रियों एवं राजनीतिक चिंतकों ने वर्ण श्रेणियों को स्पष्ट रूप दिया। उन्होंने हर वर्ण के लिए विशिष्ट एवं पृथक भूमिकाएं परिभाषित कर दीं। सामान्य मानव व्यवहार कार्य की गुणवत्ता के आधार पर जीविका के माध्यमों में ऊंच–नीच देख ही लेता है। प्राचीन एवं मध्यकालीन राज्य व्यवस्थाएं कुलीन और सामान्य वर्ग के विभाजन पर ही टिकी होती थीं। वह आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों से एकदम भिन्न थीं। इसी कारण वर्ण व्यवस्था का कड़ा पालन पूर्व ऐतिहासिक काल एवं जातियों का प्रसार पूर्व मध्यकाल में शुरू हुआ। हालांकि बौद्ध धर्म एवं भक्ति परंपरा ने जातिवाद की ऊंच–नीच और स्वच्छता–प्रदूषण की संकल्पनाओं का पालन नहीं किया। सामाजिक ढांचे के तौर पर यह परंपरा मध्यकाल में अक्षीण रही। औपनिवेशिक शासकों ने जातिवाद की अपने तरीके से व्याख्या की। यह व्याख्या भारतीय समाज पर काफी लंबे समय तक छाप छोड़ने वाली थी। लोकतांत्रिक राजनीति एवं समानता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों ने निम्न जातियों को अपने आप में एक राजनैतिक ताकत बना दिया। सामाजिक सुधार आंदोलनों और अंबेडकर जैसे राजनीतिक नेताओं ने अछूतता को जड़ से उखाड़ने और निम्न जातियों की दास्यमुक्ति के लिए संघर्ष किया।[4]

हालांकि जाति की पहचान वर्तमान में अपने कर्मकांडी चरित्र से बाहर आ चुकी है और विद्वानों ने इसके धर्मनिरपेक्षीकरण को इंगित किया है, इसकी प्रासंगिकता भारतीय समाज में एक बदले हुए रूप में उभरी है। सामाजिक संचालनों में आज भी जाति की पहचान एक मुख्य भूमिका अदा करती है। 70 के दशक में जाति का 'मंड़लीकरण' और आधुनिक नौकरियों में जाति के आधार पर आरक्षण ने जाति समूहों के बीच एक स्पर्धा सी छेड़ दी है। जाति समूह आज पहले की तरह पदानुक्रम के अनुसार ना होकर एक हद तक समस्तरीय हो गए हैं।[5] भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र में इससे संबंधित वाद–विवाद आज भी जारी हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए कि हालांकि जाति ने अपना चरित्र जरूर बदल लिया है परंतु जैसा डॉ० अंबेडकर ने इसके विनाश की बात सोची थी वैसा अभी तक दूर–दूर तक नहीं हो पाया है। हालांकि अंतर्जातीय विवाह बढ़े हैं परंतु अब भी एक सवर्ण–दलित विवाह समाज के प्रगतिशील समझे जाने वाले शिक्षित एवं नगरीय वर्ग के लिए भी घृणा का पात्र बनता है।[6]

लिंग

भारतीय समाज में इस पहचान का महत्व उतना ही है जितना बाकी देशों में है। पुरुष प्रधान समाज की धारणाओं में कुछ बदलाव आए हैं, परंतु इसकी निरंतरता नारीवादी आंदोलनों के निशाने पर रहती है। ऋग्वेदकाल का अंत महिलाओं की स्वतंत्रता का अंत भी लाया। कुछ आदिवासी और किसान समाजों में यह स्वतंत्रता आज भी देखी जा सकती है। समाज के बढ़ते रूढ़िवादी रवैये के साथ महिलाओं की अधीनता पर जोर दिया गया। सामंतवादी विचारधारा के चलते तो महिलाओं का वस्तुकीकरण ही किया जाने लगा। आधुनिक भारत में होने वाले समाज सुधार आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति को थोड़ा बेहतर तो किया पर आज बहुत मुद्दे हैं जिनसे समाज ग्रसित है।

हालांकि महिलाएं पेशेवर पहलू में उच्चतम स्थानों पर हैं; उन्हें अभी भी पितृसत्तात्मक धारणाओं का सामना गृहस्थी के स्तर पर करना पड़ता है। निम्न–मध्यम वर्ग में स्थिति और खराब है। अध्ययन बताते हैं कि घरेलू हिंसा, शिक्षा में असमानता, विधवाओं की स्थिति जैसे विषय गरीब परिवारों में और गहन हो जाते हैं। सशस्त्र बलों में लड़ाकू भूमिका में महिलाओं को गृहस्थी से लेकर उच्चतम अधिकारी वर्ग के स्तर तक संघर्ष करना पड़ रहा है।[7] यौन शोषण के मुद्दे ने बीते दशक में समाज में एक तीव्र बहस छेड़ी है। 2012 में दिल्ली के निर्भया कांड के बाद हुए विरोध प्रदर्शन जन आक्रोश दर्शाते हैं। इन घटनाओं से समाज आत्ममंथन के लिए मजबूर होता है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे रहे हैं। रूढ़ीप्रिय पंथ के अनुसार प्राचीन काल में ऐसी घटनाएं नहीं होती थीं क्योंकि महिलाएं घरबार तक ही सीमित रहती थीं। उनके अनुसार बढ़ती आधुनिकता समाज के ढांचे को भी स्थिर बना रही है। स्त्रियों से अपेक्षा रखी जाने वाली भूमिकाओं को चुनौती मिल रही है। वहीं आधुनिक और उदार विचारधारा के अनुसार स्त्रियों को घरबार तक ही सीमित रखने की और स्त्रियों और पुरुषों के कार्य स्थलों को विभक्त रखने की प्रवृत्ति

ही पुरुष प्रधानता को सींचती है और एक मर्द के स्त्री के ऊपर प्रभुत्व को स्थापित करती है। 2012 के कांड के मुजरिमों ने बलात्कार का आरोप उन युवा लड़कियों पर डाला जो घर से बाहर मॉडर्न वस्त्र पहन कर निकलती हैं। कई राजनेताओं द्वारा भी लड़कियों के आधुनिक पहनाव को यौन शोषण का कारण माना गया है। कार्यस्थलों में यौन शोषण समाज के लिए एक चिंता का विषय है। इसके खिलाफ हाल ही में हुए 'मी टू' आंदोलन ने महिलाओं को ऐसी घटनाओं को उजागर करने के लिए प्रेरित किया है।[8]

लिंगभेद में नया मुद्दा ट्रांसजेंडर और समलैंगिक लोगों के अधिकारों के बारे में भी है, जिसे सामूहिक तौर पर एल॰जी॰बी॰टी॰ समाज कहा जाता है। इस समाज के अनुसार भारत में विषमलैंगिकता उनके मानवाधिकारों पर किसी ना किसी तरीके से बाधा डालती है। ऐसा आमतौर पर माना जाता है की एक युगल हमेशा स्त्री और पुरुष का ही होता है।[9] परंतु 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय दंड संहिता से अनुच्छेद 377 के हटाए जाने के बाद एल॰जी॰बी॰टी॰ समाज के अधिकारों का मुद्दा मीडिया और राष्ट्रीय स्तर पर आया। इस छोटे से तबके को उच्चतम न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय से सहारा मिला। अब व्यक्ति का समलैंगिक होना अपराध तो नहीं माना जाता पर आज भी समलैंगिक विवाह भारत में कोई कानूनी वैधता नहीं रखते। ट्रांसजेंडर लोगों को भी समाज में अपने उत्थान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। व्यक्ति का समलैंगिक होना न्यायालय की दृष्टि में तो नहीं, परंतु समाज की दृष्टि में एक अपराध ही है। हाल ही के कुछ वर्षों में समलैंगिकों ने न्यायिक और सोशल मीडिया के क्षेत्रों में अपनी पहचान को दृढ़ता से रखा है और काफी आत्मविश्वास देखने को मिला है। उच्चतम नौकरशाही और राजनीति में तो यह बहस का मुद्दा भी नहीं है, परंतु सोशल मीडिया नेटवर्क ऐसे बहिष्कृत तबकों के लिए अपने अधिकारों के हक और सम्मानजनक अस्तित्व के संघर्ष के लिए एक बेहतरीन मंच के रूप में उभरा है।[10]

निष्कर्ष

एक समाज का हिस्सा होने के नाते एक इंसान की पहचान ही उसका आधारभूत अस्तित्व व्यक्त करती है। यह प्राकृतिक है कि मनुष्य का व्यवहार दूसरे मनुष्य से काफी हद तक उसकी पहचान पर निर्भर करता है। भारत जैसी प्राचीन सभ्यता में तो पहचान का महत्व और अधिक हो जाता है। अनेक विविधताएं इस समाज की खासियत हैं। यहां की प्राचीनता एवं विविधता अलग–अलग समूहों के बीच के समीकरणों को और पेचीदा बना देती है। यह जटिलता कई बार राष्ट्र के प्रगतिशील होने में बाधा भी बनती है। पुराने घाव आज भी कई बार समाज की एकता को भंग करते हैं। किसी व्यक्ति के कर्म की बजाए उसकी पहचान के आधार पर भेदभाव एक समस्या है। इन समस्याओं के समाधानों को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। मुद्दों को उजागर करने के लिए कलात्मक और परिवर्तनात्मक तरीके अपनाए जा रहे हैं। मानवतावादी एवं लोकोपकारी मूल्यों पर आधारित संगठन सतह पर आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक नागरिकता का प्रचार करने वाली संस्थाएं कार्यरत हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय धाराओं का प्रभाव अब समाज के जमीनी स्तर पर भी स्पर्शनीय है।

संदर्भ

1. वैष्णव, मिलन, संपादक. द बीजेपी इन पावरः इंडियन डेमोक्रेसी एंड रिलीजियस नेशनलिज्म. कार्नेगी एंडाओमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, 2019
2. भार्गव, राजीव. "द कल्चरल नेशनलिज्म ऑफ़ द न्यू हिंदू." डिसेंट, वाल्यूम 50, न॰ 4, 2003, पृ॰ 11
3. हैनसेन, थॉमस ब्लॉम. "रिक्यूपरेटिंग मैस्कुलिनिटी : हिंदू नेशनलिज्म, वायलेंस एण्ड द एक्सोर्सिज्म ऑफ़ द मुस्लिम अदर'". क्रिटीक ऑफ़ एंथ्रोपोलॉजी, वाल्यूम– 16 (2), 1996, पृ॰137–172
4. वल्लभनेनी, मधुसूदन राव. "इंडियन कास्ट सिस्टमः हिस्टोरिकल एण्ड साइकोएनालिटिक व्यूज." द अमेरिकन जर्नल ऑफ़ साइकोएनालिसिस, वॉल्यूम– 75, 2015, पृ॰ 361–381
5. वैद, दिव्या. "कास्ट इन कंटेंपरेरी इंडियाः फ्लैक्सीबिलिटी एण्ड पर्सिस्टेंस." एनुअल रिव्यू ऑफ़ सोशियोलॉजी, वॉल्यूम– 40, 2014, पृ॰ 391–410
6. शेठ, डी॰ एल॰ "सेक्सुलराइजेशन ऑफ़ कास्ट एंड मेकिंग ऑफ न्यू मिडिल क्लास." इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वाल्यूम–34, न॰ 34/35, इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 1999, पृ॰ 2502–10
7. गौड़, निधि. "द केस फॉर वूमेन इन कॉम्बैट रोल्सः अ हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग." इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मूवमेंट (आईआईजेएम), वाल्यूम 5, इश्यू 8 2020, पृ॰ 1–4
8. शुक्ला, सीमा, पवित्र प्रकाश सिंह, एवं गरिमा. "मी टू मूवमेंटः इनफ्लुएंस ऑफ़ सोशल मीडिया एंगेजमेंट ऑन इंटेंशन टू कंट्रोल सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वूमेन." जर्नल ऑफ़ कंटेंट, कम्युनिटी एंड कम्युनिकेशन एमिटी स्कूल ऑफ़ कम्युनिकेशन, वाल्यूम–12, इयर 6, 2012, पृ॰ 57–65
9. भाटिया, किरन. "रीडेफाइनिंग इंडियन पब्लिक स्फीयर : अ स्टडी ऑफ़ द एलजीबीटी राइट्स मूवमेंट इन इंडिया ". मीडिया वॉच 7 (2), 2016
10. चौधरी, मधुरिमा. "एलजीबीटी, मार्जिनलाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स इन इंडिया." इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ करंट ह्यूमैनिटीज एण्ड सोशल साइंस रिसर्चेज (आईजेसीएसएसआर), वॉल्यूम –1, न॰ 4, 2017

39

महिला सशक्तिकरण हेतु भारत में किये जा रहे प्रयास

डॉ० रत्नावली गर्ग
असिस्टैंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद (बिजनौर)

डॉ० अंकुर अग्रवाल
असिस्टैंट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग)
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद (बिजनौर)

सारांश

महिला सशक्तिकरण से महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं। परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। इसमें ऐसी ताकत है कि वे समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। वे समाज में किसी समस्या को पुरूषों से बेहतर ढंग से निपट सकती हैं। महिला सशक्तिकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता हैं। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारम्परिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

मुख्य शब्द

महिला सशक्तिकरण, पितृसत्तात्मक, नारीवादी आन्दोलन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था।

भारत में महिला सशक्तिकरण

भारत की 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते हैं जबकि अधिकतर लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने की ज्यादा चिंता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की पहली बैठक में 10 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं का श्रम जनसंख्या में योगदान तेजी से कम हुआ है जोकि लगातार चिन्ता का विषय बना हुआ है। महिला रोजगार को अलग श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 2011–12 में महिला सहभागिता दर 25.51 प्रतिशत थी जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 24.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में मात्र 14.7 प्रतिशत थी। जब रोजगार की कमी है तो आप महिलाओं के लिए पुरूषों के समान कार्य अवसरों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक पुरूष ज्यादा समय तक काम कर सकता है। उसे मातृत्व अवकाश की जरूरत नहीं होती है और कहीं भी यात्रा करना उसके लिए आसान होता है। निर्माण कार्यों में महिलाओं के लिए पालना घर या शिशुओं के लिए पालन की सुविधा मुहैया कराना जरूरी होता है। ऐसे कई कारण हैं जिनसे भारत की महिला श्रमिक सहभागिता दर में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है और यह दर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद सबसे कम है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार महिला रोजगार ज्यादा है। इन क्षेत्रों के पुरूष काम करने के लिए भारत आते हैं और उनके पीछे महिलाएं अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए खेतों में काम करती हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाएं मात्र 17 प्रतिशत का योगदान दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्रिसटीन लगार्डे का कहना है कि ज्यादा महिलायें अगर श्रम में भागीदारी करे तो भारत की जीडीपी 27 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अन्तर्गत हमारे कानूनों, विकास सम्बन्धी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति को उद्देश्य बनाया गया है। हाल के वर्षों में, महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला सशक्तिकरण को प्रमुख मद्दे के रूप में माना गया है। महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और मानवाधिकार लिखतों की भी पुष्टि की है। इनमें से एक प्रमुख वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय की पुष्टि की गई है। महिला आंदोलन और गैर सरकारी संगठनों, जिनकी बुनियादी स्तर पर सशक्त उपस्थिति है एवं जिन्हें महिलाओं के सरोकारों की गहन समझ है, के व्यापक नेटवर्क ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहलों को शुरू करने में योगदान किया है। तथापि एक ओर संविधान, विधानों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और सम्बद्ध तंत्रों में प्रतिपादित लक्ष्यों तथा दूसरी ओर भारत में महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में परिस्थितिजन्य वास्तविकता के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट ''समानता की ओर'', में इसका विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, श्रम शक्ति रिपोर्ट और कार्रवाई के लिए मंच, आकलन के पश्चात् पांच वर्ष में रेखांकित किया गया है। महिलाओं और खासकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों की महिलाओं, जो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में और अनौपचारिक, संगठित क्षेत्र में हैं, की अन्यों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों तक पहुंच अपर्याप्त है। अतः वे ज्यादातर सीमांत, गरीब और सामाजिक रूप से वंचित रह जाती हैं।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति के उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण करना है। इस नीति का व्यापक प्रसार किया जाएगा ताकि इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित की जा सके। इस नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को साकार करने में समर्थ हो सकें।
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सिविल सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ साम्यता के आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की विधितः और वस्तुतः प्राप्ति।
- राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भागीदारी करने और निर्णय लेने में महिलाओं की समान पहुँच।
- स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, बराबर पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कार्यालय आदि में महिलाओं की समान पहुंच।
- महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति के लिए विधिक प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।
- महिलाओं और पुरूषों दोनों की सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता के माध्यम से सामाजिक सोच और सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन लाना।
- विकास की प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना।
- महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना।
- सभ्य समाज, विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करना और उसे सुदृढ़ बनाना।

महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए अधिकार

- **समान वेतन का अधिकार–** समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बाल वेतन या मजूदरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
- **कार्य–स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून–** यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको कार्य स्थल पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केन्द्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन की पैड लीव दी जाएगी।
- **कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार–** भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार 'जीने का अधिकार' का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक लिंग चयन पर रोक अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।
- **सम्पत्ति पर अधिकार–** हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी सम्पत्ति पर महिला और पुरूष दोनों का बराबर हक है।
- **गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार–** किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका

महिला सशक्तिकरण के लिए मूल सिद्वान्त है कि महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति और वे सारे अधिकार जो पुरूषों को प्राप्त है; मिलने चाहिए। महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकारों का आनंद मिलना चाहिए। सशक्त महिलाओं

का मतलब है कि महिलाओं को अपने व्यक्तिगत लाभों के साथ ही साथ समाज के लिए अपने स्वयं के निर्णय ले सकने में सक्षमता हो। महिला सशक्तिकरण पितृसत्ता का स्थान ले रहा है। केन्द्र सरकार ने महिला विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। भारत की महिलाएं राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सरकार उनके योगदान और क्षमता को पहचानती है। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकारण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें से कई सारी योजनाएं रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य जैसी चीजों से सम्बन्धित होती हैं। इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं की परिस्थिति को देखते हुए किया गया है ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएं मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना आदि हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ इस आशा के साथ चलाई जा रही है कि एक दिन भारतीय समाज में महिलाओं को पुरूषों की ही तरह प्रत्येक अवसर का लाभ प्राप्त होगा–

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना–** यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। इसके अन्तर्गत लड़कियों की बेहतरी के लिए योजना बनाकर और उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार में फैली भ्रांति लड़की एक बोझ है; की सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं और उनके दैनिक जीवन और उनकी दीर्घकालीन संभावनाओं को सुधारने के लिए कई पहल की गयी हैं। केन्द्र सरकार ने अपने कामकाज की बदौलत एक तरह से महिलाओं को एक साथ जोड़ दिया है। न केवल लिंग समानता की दिशा में यह परिवर्तनकारी पहल है बल्कि इसने जनता और सरकार के बीच विश्वास को मजबूत भी किया है। इस योजना का परिणाम हरियाणा में काफी हद तक दिखाई देने भी लगा है जहाँ हर 1000 पुरूषों के लिए लिंग अनुपात 950 महिलाओं तक पहुंच गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के बारे में जागरूकता लाकर समाज को बेहतर बनाना है।
- **महिला हेल्पलाइन योजना–** इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है। महिलाएं अपने विरूद्ध होने वाली किसी तरह की भी हिंसा या अपराध की शिकायत इस योजना के तहत निर्धारित नंबर पर कर सकती है। इस योजना के तहत पूरे देश में 181 नम्बर को डायल करके महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।
- **उज्जवला योजना–** यह योजना महिलाओं को तस्करी और यौन शोषण से बचाने के लिए शुरू की गई है। इसके साथ इसके अंतर्गत उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए भी कार्य किया जाता है। सरकार ने उन महिलाओं के साथ सहानुभूति व्यक्त की थी जो सुरक्षित और अस्वास्थ्यकर वातावरण में अपने परिवारों के लिए खाना पकाया करती थीं। लकड़ी से निकलने वाले धुएं और स्टोव के धुएं के खतरनाक प्रभाव से महिलाओं को मुक्त करने के लिए उज्जवला योजना शुरू की गई। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को बेहतर जीवन के लिए सरकार ने उन्हें बेहतर और स्वस्थ्य वातावरण प्रदान किया।
- **सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन (स्टेप)–** स्टेप योजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को निखारने का कार्य किया जाता है ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके या फिर वह स्वयं का रोजगार शुरू कर सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारे क्षेत्रों के कार्य जैसे कि कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई और मछली पालन आदि के विषयों में महिलाओं को शिक्षित किया जाता है। महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी गई है। कौशल विकास योजना में लगभग 375 व्यापारिक उद्यमियों में से करीब आधी महिलाएं हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने न केवल महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत किया है बल्कि उनके स्वास्थ्य और भलाई का भी ध्यान रखा गया है।
- **महिला शक्ति केन्द्र–** यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केन्द्रित है। इसके अन्तर्गत छात्रों और पेशेवर व्यक्तियों जैसे सामुदायिक स्वयंसेवक ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
- **पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण–** भारत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थानों में 50 फीसदी महिला आरक्षण की घोशणा की, सरकार के इस कार्य के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया जिसके द्वारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ ही दूसरे अन्य प्रदेशों में भी भारी मात्रा में महिलाएं ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं।
- **सुकन्या समृद्धि योजना व नई रोशनी योजना–** सरकार द्वारा लड़की की सुरक्षा और भविष्य के साथ साथ समाज में सकारात्मक मानसिकता बनाने के प्रयास के रूप में ही यह योजना शुरू करी गयी थी। इसके अलावा 'नई रोशनी योजना' अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए डिजाइन की गई है ताकि वे उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। सरकार की ये योजना 'सबका साथ सबका विकास' के विजन से जुड़ी हुई है।

महिला सशक्तिकरण के लिए पारित किए गये कुछ अधिनियम

- नैतिक व्यापार अधिनियम, 1956
- दहेज रोक अधिनियम, 1961

- एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976
- मेडिकल टर्मीनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987
- लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994
- बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013

महिलाओं ने गैर–पारम्परिक क्षेत्रों और व्यवसायों में भी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। पहली बार, 3 महिला लडाकू पायलटों को भारतीय वायु सेना में नियुक्त किया गया। देश में परिवर्तन और प्रगति की एक लहर चल पड़ी है और महिलाएं भी इस बदलाव का एक हिस्सा बन लैंगिक पूर्वाग्रह और समानता से आगे बढ़ रही हैं। हर रोज आसानी से कई भूमिकाओं को निभाने वाली महिलाएं निर्विवाद रूप से किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। पत्नी, बेटियां, माताओं, सक्षम सहकर्मियों और कई अन्य भूमिकाओं में वह हमारी चारों तरफ रहा करती हैं। महिलाएं बिना किसी दोष और कृपा के साथ अहम भूमिका निभाती हैं। राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए भी महिलाओं की सहायता और भागीदारी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है ताकि महिलाएं उद्यमिता प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनें, शिक्षित हों और घर परिवार की हर मोर्चे पर स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर वित्तीय पैमाने तक सहायता करें ताकि वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर न्यू इंडिया बनाने में बेहतर तरीके से सहभागी बनें।

निष्कर्ष

जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरूद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो समाज की पितृसत्तात्मक और पुरूष युक्त व्यवस्था है। यह बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं के विरूद्ध अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाएं।

भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हों, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा, और आजादीपूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी और सहयोग की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का यह कार्य काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सामाजिक–आर्थिक प्रगति उसकी महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक प्रगति पर ही निर्भर करती है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करता है, जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करता है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। 21वीं सदी नारी जीवन में सुखद संभावनाओं की सदी है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। आज की नारी अब जाग्रत और सक्रिय हो चुकी है। वर्तमान में नारी ने रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. Women's Empowerment से 12.05.2012 को पुरालेखित– अभिगमन तिथि 28.08.2017
2. Definition Women's Empowerment से 25.08.2017 को पुरालेखित– अभिगमन तिथि 28.08.2017
3. पी.डी.शर्मा, महिला सशक्तिकरण और नारीवाद, 2017
4. https://wcd.nic.in/hi/schemes-listing/2405
5. https://www.artofliving.org/in-hi/project/women-empowerment

40

महिला सशक्तिकरण हेतु भारत में किये जा रहे प्रयास

डॉ० उर्मिला सिंह
असिस्टैंट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग)
के.ई.एस.श्रॉफ कॉलेज, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई

सारांश

भारतीय समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एवं उन्हें पुरुषों के बराबर लाने के लिए सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों स्तर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक संरचना को समानता के स्तर पर गठित करने हेतु महिलाओं में साहस, त्याग, निर्भीकता लाना आवश्यक है। इसके लिए बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर से ही समान रुप से शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रशासन द्वारा समय–समय पर महिला आयोजन सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं को उनके सीमित दायरे से बाहर निकालकर उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास किया जाता है। बदली हुई सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर आसानी से मिलने लगे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कियान्वित किया जाता रहा है जिसके फलस्वरुप वर्तमान सामाजिक पृष्ठभूमि में महिलाएँ सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहीं हैं।

मुख्य शब्द

नारी, सशक्तिकरण, प्रशिक्षण, सरकारी, गैर–सरकारी।

भूमिका

महिला शब्द मह+इल+आ से बना है। 'मह' का अर्थ श्रेष्ठ या पूज्य होता है। इसका अर्थ है कि महिला पूज्य व श्रेष्ठ है। लौकिक संस्कृति में आदर देने के लिए स्त्रियों के लिए 'मान्या' शब्द का प्रयोग किया जाता है। महिला होने के नाते एक प्रश्न हमेशा मेरे मन में उठता है कि महिला का विकास अधिक आवश्यक है अथवा उसका सशक्तिकरण ? वास्तव में विकास और सशक्तिकरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है–महिलाओं को सशक्त बनाना। महिलाओं को वे सारे उपकरण उपलब्ध कराना जिनकी सहायता से आधी दुनिया की उन्नति हो सकती है, आधी दुनिया आगे बढ़ सकती है।

परिभाषा

विभिन्न विद्वानों ने महिला के संदर्भ में अनेक परिभाषाएँ दी हैं–

स्वामी विवेकानंद ने कहा था ''जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता।''

डॉ. बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ''मैं समाज की उन्नति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। महिला की उन्नति के बिना समाज एवं राष्ट्र की उन्नति असंभव है।''

गांधी जी ने कहा था कि ''महिलाओं के अधिकारों के विषय में समझौता नहीं कर सकता। शारीरिक बनावट और लिंग–भेद पुरुष और महिलाओं के कार्यों के अन्तर को दर्शाता है, उनके स्तर के अन्तर को नहीं। महिला पुरुष की पूरक है, उनसे कम नहीं।''

मुख्य विषय

गांधी जी की प्रेरणा स्वरुप ही अहमदाबाद में 1920 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (टी.एल.ए.) की स्थापना की गई। 1954 में टी.एल.ए. ने अपनी वीमेन्स विंग की भी स्थापना की। इस संगठन में ऐसी महिलाएँ शामिल हो सकती हैं जो छोटे–मोटे रोजगार करती हैं या मेहनत मजदूरी करती हैं। इन महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं जैसे– बैंक की सुविधा उपलब्ध करवाना, इनके छोटे बच्चों की देखभाल करना आदि। महिला अधिकारों का हनन रोकने, उन्हें सामाजिक न्याय तथा स्वाभाविक हक दिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है, जो महिलाओं को शोषण से मुक्त कराकर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरुक कराती हैं। महिलाओं एवं लड़कियों के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित की गई है।

समाज के सतत विकास के लिए यह जरुरी है कि समाज के सभी वर्ग एक साथ आगे बढ़ें और सभी वर्गों को प्रगति करने के समान अवसर प्राप्त हों। सरकार इस बात को समझती है। इसलिए सरकार की सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में महिला विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चाहे शिक्षा के कार्यक्रम हों चाहे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना हो, बात चाहे हम गरीबी निवारण की करें या फिर स्वरोजगार की, सभी सरकारी योजनाओं में महिलाओं को वरीयता दी जाती है।

सरकार का सबसे ज्यादा प्रयास बालिका शिक्षा पर है क्योंकि एक बालिका को शिक्षित बनाकर हम पूरे परिवार को शिक्षित बनाते हैं। देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है इसलिए सरकार गाँव में स्कूल और कॉलेज खोलने पर विशेष बल दे रही है। गाँव की लड़कियों को स्कूल आने के लिए अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। उन्हें निःशुल्क वर्दी और किताबें प्रदान की जाती हैं। उन्हें दोपहर का भोजन भी दिया जाता है जिससे वे नियमित स्कूल आएं। कुछ राज्यों में तो लड़कियों के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। लगभग ऐसा ही चिकित्सा सुविधाओं के मामलों में भी है। भारत के दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा की उचित व्यवस्था नहीं है। कहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाईयां नहीं हैं। अतः सरकार ने अपना पूरा बल अब ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी आधारभूत ढ़ाँचा विकसित करने पर लगाना आरम्भ किया है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में आज महिलाएँ आत्मनिर्भर होकर परिवार के साथ समाज के विकास में भी सहयोग प्रदान कर रही हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ महिलाएँ घर के सभी कार्य करने के पश्चात् खेतों में भी निराई, गुड़ाई आदि काम करती हैं। आज महिलाएँ घर से बाहर निकलकर नौकरी करती हैं, अपना व्यवसाय सम्भालती हैं। आज नारी घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक साथ दो कर्तव्य निभा रही है। आज भागीदारी की दृष्टि से कृषि, पशु, व्यवसाय, हैण्डलूम आदि में महिलाओं के अनुपात में काफी हद तक वृद्धि हुई है। यही नहीं पिछले दशकों में महिलाओं के कार्यों से संबंधित नए आयाम उभरकर सामने आए हैं। अब महिलाएं इलेक्ट्रोनिक्स, टेली कम्यूनिकेशन, उपभोक्ता उत्पादन, संगठित क्षेत्र के उद्योगों, विधि संबंधी, चिकित्सा संबंधी, प्रशासनिक तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायों में भाग ले रही हैं।

सरकारी स्तर पर महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। महिलाओं को प्रशिक्षण देने व रोजगार देने के कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और कर्नाटक में अनेक योजनाएं शुरु की गई हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जो 123 भागों में विभक्त हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है। महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान बनाने एवं उनके विकास की दशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

महिला आयोग की गतिविधियां

1. सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रचार प्रसार करना महिला आयोग का प्रमुख कार्य है। इसके लिए आयोग संभाग स्तर पर नेटवर्क स्थापित करता है, जिसमें 20 से 40 सदस्य होते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय समूह भी प्रचार में सहयोग करता है। आयोग द्वारा ब्लॉक स्तर पर महिला और बच्चों के लिए 'निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जागरुकता एवं सामाजिक चेतना' के शिविर लगाए जाते हैं।

2. महिलाओं के मानव अधिकार, नारी की गरिमा और महिला नीति निर्वाह के प्रति आयोग जिम्मेदार है। आयोग मीडिया, साहित्य और शासन के साथ संवाद आदि के जरिए यह काम करता है। महिला सरपंच तथा अन्य जन–प्रतिनिधि की गरिमा के लिए आयोग विशेष रुप से जागरुक रहता है।

3. कार्यस्थल पर प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न को भी आयोग गंभीरता से लेता है। वह शासन पर दबाव बनाता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन कर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का भी पूरा प्रयत्न किया जाता है। विशेष बेंच द्वारा ऐसे मामलों की जांच भी की जाती है और निष्कर्ष सहित अनुशंसा विभाग को भेजी जाती है।

4. महिला सहायता प्रणाली को मजबूत करना और प्रताड़ित महिला को प्रत्येक स्तर पर सहायता देने का कार्य आयोग करता है। उदाहरणतः एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी होने पर आयोग हस्तक्षेप कर सकता है । विवादित प्रकरणों में आयोग विशेष जाँच की अनुमति प्रदान कर सकता है।

5. किशोरी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के विशेष कार्यक्रम आयोजित करना, जिसमें पारिवारिक स्वास्थ्य के साथ एड्स एवं अन्य गंभीर बीमारियों की जानकारी भी शामिल है।

6. बेसहारा तथा पीड़ित महिलाओं के लिए आयोग संवेदनशील रहता है और उनके पुनर्वास तथा उद्धार के लिए कोशिश भी करता है।

इस प्रकार महिला आयोग महिलाओं की छोटी–बड़ी हर समस्याओं में मददगार होता है।

भारत के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने महिलाओं की उन्नति के लिए अनेक योजनाएँ आरंभ की हैं–

- सहकारी संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिलाओं को रखने के प्रशासकीय निर्देश।
- महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डारों, साख समितियों और औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं की भागीदारी।

- महिलाओं की नौकरी के लिए सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, पंचायत, स्थानीय और सहकारी संस्थाओं में 30 प्रतिशत स्थान सुरक्षित।
- सरकारी नौकरियों में आने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट।
- छोटे–छोटे काम धंधों में लगी महिलाओं को सरलता से ऋण दिलाने के लिए हर जिले में नागरिक सहकारी बैकों का गठन।

केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कियान्वित किया जाता रहा है जिसके फलस्वरुप वर्तमान सामाजिक पृष्ठभूमि में महिलाओं की भूमिका में विभिन्न बदलाव हुए हैं। आज शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ महिलाओं ने अपनी स्थिति दर्ज न कराई हो। महिलाएँ केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ उठाकर दिन प्रतिदिन सशक्त बन रही हैं। कुछ सरकारी योजनाएं निम्न हैं–

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना का शुभारंभ मई 2016 को किया गया था। इस योजना के द्वारा धुँआ रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना की गई। यह योजना स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन के नारे के साथ आरम्भ की गई जिसका लाभ विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को मिल रहा है। इस योजना में रियायती दर पर एल.पी.जी. गैस कनेक्शन उपलब्ध कराकर महिलाओं में धुएँ से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी विकारों को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई भी कम होगी।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

इस योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 में देश की बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं का अस्तित्व एवं सुरक्षा सुनिशिचित करना, पक्षपाती लिंग चुनाव प्रक्रिया का उन्मूलन करना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना एवं उन्हें सुरक्षित करना, बालिकाओं को शोषण से बचाना, शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रुप से सक्षम बनाना है। शिक्षा के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में बेटियों को आगे बढ़ाना एवं उनकी भागीदारी सुनिशिचित करना भी इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारम्भ जनवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा किया गया है। वे सभी माता–पिता, जो अपनी बेटी की पढ़ाई और विवाह के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 250 रुपए तथा अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए है। इस योजना के अन्तर्गत बेटी के माता पिता द्वारा बेटी का बैंक अकाउंट बेटी के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खुलवाया जा सकता है।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना

प्रसव के समय गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना शुरु की गई है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 महीने बाद तक और बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्स की निगरानी में प्रसव सुनिश्चित किया जाता है। प्रसव के समय होने वाला सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा और प्रसव के बाद 6 महीने तक माँ और बच्चे को निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातष्त्व की गारंटी दी जाती है।

निःशुल्क सिलाई मशीन योजना

इस योजना का लाभ देश के शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रुप से कमजोर महिलाओं को दिया जाता है। इसके अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में 50000 से अधिक महिलाएँ निःशुल्क सिलाई मशीन प्राप्त कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं। इस योजना का लाभ 20 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएँ ही उठा सकती हैं।

समर्थ योजना

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत जरुरतमंद महिलाओं को अलग–अलग प्रकार के वस्त्र उत्पादन के गुण और उससे जुड़े कार्यों के बारे में सिखाया जा रहा है। चूंकि वस्त्र क्षेत्र में काम करने वालों में 75 फीसदी महिलाएं हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत भारत की विश्व बाजार में वस्त्र क्षेत्र में हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। भविष्य में वस्त्र उद्योग में बड़ी संख्या में कामगारों की आवश्यकता भी बढ़ेगी।

निष्कर्ष

यदि हम सरकार द्वारा बनाई गई महिला विषयक नीतियों और उसके द्वारा लिए गए फैसलों की मीमांसा करें तो पता चलता है कि सरकारी स्तर पर महिलाओं के विकास के लिए योजनाएँ तो बहुत बनी हैं और गंभीर बनी हैं लेकिन कार्यपालिका की कमजोरी, लुंज–पुंज नौकरशाही, शिक्षा की कमी और अत्यधिक जनसंख्या दबाव के कारण ये योजनाएँ फाइलों में ही दम तोड़ देती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लंबी चौड़ी योजनाएँ बनाने और चलाने के स्थान पर उपलब्ध संसाधनों के अनुरुप ही योजनायें बनाई जाएं और जो योजनाएँ बनाई जाएं उन्हें समुचित

रुप से लागू किया जाए। यदि कोई योजना कारगर ढ़ंग से लागू नहीं हो पाती है अथवा अपेक्षित नतीजे नहीं दे पाती है तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु सरकार द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर कमी और भ्रष्टाचार के चलते विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और परियाजनाओं से अपेक्षित नतीजे नहीं मिल पा रहे हैं। एक और तथ्य यह है कि केवल सरकारी प्रयासों से ही महिला सशक्तिकरण का सपना साकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम सभी को अपने स्तर पर भी प्रयास करने होंगे। इस संदर्भ में गैर–सरकारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जरुरत इस बात की है कि ऐसे गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए एवं उन्हें बढ़ावा दिया जाए।

संदर्भ

1. महिला सशक्तिकरण का सच : लेखिका–मीनाक्षी निशांत सिंह, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण–2009
2. भारतीय संस्कृति एवं महिला सशक्तिकरण : लेखिका–कल्पना पटेल, पैराडाइज पब्लिशर्स, जयपुर संस्करण–2013
3. 21वीं सदी में महिलाओं का बदलता स्वरुप : लेखक– डॉ. नैनेश गढ़वी, डॉ. राम सोंदर्वा, पैराडाइज पब्लिशर्स, जयपुर संस्करण–2013
4. भारत में महिलाओं के अधिकार एवं कानून व्यवस्था : लेखक–डॉ. टी. एच. वघेरा, पैराडाइज पब्लिशर्स, जयपुर संस्करण–2013
5. भारतीय राजनीति और महिलाएँ : लेखक–डॉ. पंजाब आनंदराव चव्हाण, चंद्रलोक प्रकाशन, कानपुर, संस्करण–2017
6. https://www.abplive.com/news/india/international-womens-day-schemes-of-central-government-to-empower-women-1806024

41

महिला सशक्तिकरण हेतु भारत में किये जा रहे प्रयास

डॉ० पिंकी बिष्ट
प्रवक्ता (अर्थशास्त्र विभाग)
अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, रामनगर (नैनीताल)

सारांश

समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को समाप्त करते हुए महिलाओं को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने हेतु और उन्हें स्वयं के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु ताकि वो स्वयं अपनी, अपने परिवार की, अपने समाज की तथा अपने देश की उन्नति में अपनी समुचित भागीदारी का निर्वहन कर सकें; महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाना अति आवश्यक है। भारतीय समाज की प्राचीन रूढ़िवादी शोषणकारी परम्पराओं के कारण महिलाऐं पुरुषों की अपेक्षा बहुत पिछड़ गई जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र के विकास में उनके योगदान से भी हम वंचित हो गये थे। नारीवादी विचारधारा के विकास तथा राष्ट्र के विकास में महिलाओं के योगदान के महत्व को देखते हुए भारत में केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक ऐसी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है जिनका उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण करना है।

मुख्य शब्द

सशक्तिकरण, भागीदारी, शोषणकारी परम्पराएं, नारीवादी विचारधारा, योजनाएं।

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य

सशक्तिकरण शब्द स्वाभाविक रूप से अधिकारों और शक्तियों में वृद्धि का बोध कराता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कमजोर वर्ग की आंतरिक कुशलताओं के विकास और आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक परिस्थितियों में सुधार कर उसे सक्षम, आत्मनिर्भर और भागीदार बनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण अंग्रेजी के Women Empowerment का हिन्दी रूपान्तरण है जिसका तात्पर्य ऐसी विचारधारा से है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार देने और समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का समर्थन करती है।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

प्राचीन समय से ही भारत तथा विश्व के अनेक भागों में समाज तथा परिवार पुरुष प्रधान थे जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लिए जाने वाले निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी लगभग न के बराबर थी यहाँ तक कि वे स्वयं से सम्बन्धित विषयों पर निर्णय लेने के लिए भी परिवार तथा समाज के पुरूषों पर निर्भर थीं। निर्णय प्रकिया में महिलाओं की भागीदारी ना होने के कारण भारतीय समाज में ऐसी अनेक परम्पराऐं तथा रीति–रिवाज विकसित हो गये थे जिनसे महिलाओं का शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास बाधित हुआ और उनका व्यापक शोषण हुआ। जहाँ महिलाओं को घरेलू कार्यों तक ही सीमित कर दिया गया और उनकी शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, वहीं पर्दा प्रथा, सती प्रथा और दहेज प्रथा जैसी अमानवीय प्रथाएं समाज में विकसित हो गई थीं।

प्राचीन भारत में पुरुष प्रधान समाज के कारण महिलाएं शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधियों से दूर थीं जिसका दुष्प्रभाव न केवल उनके व्यक्तिगत विकास पर हुआ बल्कि इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण समाज और देश का विकास भी बाधित हुआ। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है किन्तु नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 2011–12 में महिलाओं की श्रम में सहभागिता दर मात्र 25.51% थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लैगार्ड के अनुसार भारत की अधिकांश महिलाएं अगर श्रम में अपनी भागीदारी करें तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद 27% तक बढ़ सकता है। भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में महिलाएं मात्र 17% का योगदान दे रही हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में आवश्यक हो गया है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए ताकि वे न केवल अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा पाए बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था– *''लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वे अपना कदम उठा लेती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है।''*

भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दो प्रकार की प्रक्रियाओं पर कार्य करना आवश्यक था, एक ऐसी प्राचीन शोषणकारी परम्पराओं

और सामाजिक कुरीतियों जैसे पुरातन रूढ़िवादी सामाजिक मापदंड, कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण, लैंगिक भेदभाव, भुगतान में असमानता, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, घरेलू हिंसा, बलात्कार तथा वैश्यावृत्ति आदि को समाप्त करने के प्रयास करना जो महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधक हैं तथा दूसरा महिलाओं के सशक्तिकरण की गति को तेज करने हेतु परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन करने के प्रयास करना।

महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान

महिला सशक्तिकरण हेतु भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान हैं। भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनुच्छेद 15(1)), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(घ)) की गारंटी देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने (अनुच्छेद 51(ए)(ई)) और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति (अनुच्छेद 42) भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्त्वों के अधीन देता है।

महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। भारतीय राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 द्वारा पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पदों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243(5)(3) के अन्तर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनुच्छेद 243(द)(4) में महिला आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान और केरल ने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण को एक तिहाई से बढ़ाकर 50% कर दिया है।

महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करने हेतु भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में पारित एक अधिनियम के तहत 31 जनवरी, 1992 को एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया था जिसे 'महिला आयोग' नाम दिया गया। यह निकाय महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों या उनके अधिकारों के हनन का शिकायत के आधार पर या स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही करता है।

महिला सशक्तिकरण हेतु कानूनी प्रावाधान

महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा बनने वाली प्रथाओं और कुरीतियों को खत्म करने हेतु अनेक कानूनी प्रावधान किए गये हैं जिनमें से मुख्य अग्रलिखित हैं–

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994

भारतीय समाज में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव का चरम कन्या भ्रूण हत्या की मानसिकता के रूप में देखने को मिलता है जो महिलाओं से जन्म लेने के अधिकार को भी छीन लेना चाहती है। ऐसे समाज में जहाँ कन्याओं को जन्म लेने तक का अधिकार न हो वहाँ महिला सशक्तिकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है तथा किसी भी सभ्य समाज में ऐसी मानसिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है इसी कारण भारतीय संसद ने भी गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन और जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण करने को कानूनी अपराध माना गया है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961

दहेज प्रथा भारतीय समाज में व्याप्त एक ऐसी बुराई थी जिसके कारण भारतीय परिवार अपनी पुत्रियों को एक बोझ के रूप में देखने लगे थे तथा कई मामलों में दहेज की माँग करने के लिए विवाहित महिलाओं को उनके ससुराल में प्रताड़ित भी किया जाता था, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या तक कर दी जाती थी, जिससे महिलाओं की स्थिति परिवार में दोयम दर्जे की हो गई थी। भारतीय संसद ने दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने तथा महिला सशक्तिकरण की ओर सार्थक कदम बढ़ाते हुये 1 मई 1961 को पारित दहेज निषेध अधिनियम 1961 द्वारा भारत में प्रचलित दहेज प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था तथा अब दहेज लेने, देने या इसके लेन–देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़न किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए के अनुसार उन्हें 3 वर्ष की कैद या जुर्माना हो सकती है। यदि किसी लड़की की मौत विवाह के 7 वर्ष के अन्दर हो जाती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304–बी के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005

अपने पारिवारिक ढांचे के अन्तर्गत अपने ही परिवारजनों, रिश्तेदारों तथा नातेदारों के हिंसक व्यवहार और क्रियाओं से उत्पीड़ित हाने वाली महिलाओं का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और ऐसी स्थिति में उनके सशक्तिकरण की उम्मीद करना बेईमानी ही होगा, अतः महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए भारत की संसद ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को स्थापित किया है।

द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2010

अत्यधिक लम्बी अवधि तक अपने घरों की चारदीवारी में बन्द रहने के बाद जब महिलाओं ने समाज में अपनी नई भूमिका तलाशते हुए घर से बाहर निकलकर काम करना आरम्भ किया तो साथी पुरुष कर्मचारियों के यौन दुर्व्यवहार के रूप में एक नई बाधा से उनका सामना हुआ। राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनका सशक्तिकरण करने के लिए इस बाधा को दूर करना आवश्यक था, जिसे देखते हुए भारतीय संसद ने 'द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2010' को स्थापित किया जिसका उद्देश्य कार्यस्थलों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करना था।

मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट 1961 तथा मैटरनिटी बेनेफिट (एमेंडमेंट) एक्ट 2017

महिलाओं के कार्य करने की परिस्थितियों को उनकी जैविक परिस्थितियाँ तथा पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा जटिल बना देती हैं। बच्चों को जन्म देना और उनकी देखभाल करना महिलाओं की ऐसी जैविक जिम्मेदारियाँ हैं जिनका निर्वहन करते समय कोई महिला अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाती है। भारतीय संसद ने मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट 1961 तथा मैटरनिटी बेनेफिट (एमेंडमेंट) एक्ट 2017 स्थापित किया जिसका उद्देश्य प्रत्येक उस महिला कार्मिक को सुविधा देना है जो माँ बनने वाली है। इसके अन्तर्गत गर्भवती महिला कार्मिक को पूर्ण वेतन के साथ 26 सप्ताह का अवकाश दिया जाता है और इसका पालन ना करना कानूनन अपराध माना गया है।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956

यद्यपि भारत में वैश्यावृत्ति को पूर्ण रूप से कानूनन अपराध नहीं माना गया है किन्तु कानून में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि कोई अन्य व्यक्ति किसी महिला को जबरन वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर ना कर सके। महिलाओं को जबरन वैश्यावृत्ति में धकेले जाने से बचाने तथा वैश्यावृत्ति को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से 'अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956' को स्थापित किया गया है।

तीन तलाक अधिनियम 2019

मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक अर्थात् तलाक उल बिद्दत जो मुस्लिम पुरुषों द्वारा मुस्लिम महिलाओं के शोषण का मुख्य हथियार था, को 'तीन तलाक अधिनियम 2019' द्वारा गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है जिसमें पुलिस बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती है और इसमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2001 एवं 2016 में 'राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति' का निर्माण भी किया गया है जिनका उद्देश्य सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सिविल सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्वतंत्रता के साथ भागीदारी व निर्णय लेने की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक तथा महिलाओं और बालिकाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना था।

महिला सशक्तिकरण हेतु केन्द्र सरकार की योजनाएं

महिलाओं के सशक्तिकरण की गति को तेज करने हेतु व परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन करने हेतु भारत की केन्द्र सरकार अनेक योजनाओं का संचालन कर रही हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं–

स्वाधार घर योजना

वैश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदी महिलाओं, विधवाओं, तस्करी से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक रूप से विकलांग और बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने वर्ष 2001–2002 में स्वाधार घर योजना को प्रारम्भ किया जिसके अन्तर्गत उपरोक्त महिलाओं को कानूनी परामर्श, चिकित्सकीय सुविधा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

सुकन्या समृद्धि योजना

केन्द्र सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में मुख्य योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना जिसे बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह एक बचत योजना है जिसमें उच्च ब्याज दर प्रदान कर माता पिता को कन्या की शिक्षा तथा विवाह के लिए धन एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

महिला शक्ति केन्द्र योजना

यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से वर्ष 2017 में आरम्भ की गई थी, जिसके तहत गांव–गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP)

महिलाओं का कौशल विकास कर उन्हें स्वरोजगार योग्य अथवा उद्यमी बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' के माध्यम से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) का संचालन कर रही है।

बालिका समृद्धि योजना

जन्म के समय बालिकाओं के प्रति परिवार और समाज के नकारात्मक भाव को खत्म करने, विद्यालयों में बालिका नामांकन को बढ़ाने, लड़कियों की विवाह की उम्र को बढ़ाने तथा रोजगार के क्षेत्र में महिला भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 15 अगस्त 1997 से बालिका समृद्धि योजना को प्रारम्भ किया है जिसके अनुसार बालिका के जन्म के समय सरकार द्वारा 500 रूपये उपहार के रूप में परिवार को दिए जाते हैं और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक बालिकाओं को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2006–2007 में केन्द्र सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत देशभर में कुल 750 आवासीय विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया। इन विद्यालयों में 75% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए और 25% सीटें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए होती है। अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत लड़कियों की स्नातक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त में प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लड़कियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना

10 अक्टूबर 2019 को आरम्भ की गई इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं।

राजीव गाँधी (सबला) योजना

केन्द्र सरकार के 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' द्वारा 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं की देखभाल के लिए 'समेकित बाल विकास परियोजना' के अन्तर्गत राजीव गाँधी (सबला) योजना आरम्भ की गई जिसका उद्देश्य बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल करना है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

केन्द्र सरकार द्वारा 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दो बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना चलाई गई जिसके द्वारा सरकार नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताओं की देखभाल के लिए दो किस्तों में 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उज्ज्वला योजना

गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आरम्भ की। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गरीब महिलाओं को सरकार मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराती है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरूआत की थी जो सम्पूर्ण भारत में एक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। इस अभियान का उद्देश्य पूरे जीवनकाल में स्त्री पुरूष लिंग अनुपात में कमी को रोकना और महिलाओं के सशक्तिकरण के मार्ग आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

फ्री सिलाई मशीन योजना

इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में 50 हजार से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु निःशुल्क सिलाई मशीन दी जानी है।

समर्थ योजना

केन्द्र सरकार की इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को अलग–अलग प्रकार के वस्त्र उत्पादन के बारे में सिखाया जा रहा है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हों और वस्त्र क्षेत्र के वैश्विक बाजार में भारत की भागीदारी भी बढ़े।

महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकारों की योजनाएं

महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से विभिन्न राज्य सरकारें भी अनेक योजनाओं को संचालित कर रही हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं–

नंदा देवी कन्या धन योजना

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भी लिंगभेद को दूर करने, भ्रूण हत्या रोकने, बाल विवाह को खत्म करने तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'नंदा देवी कन्या धन योजना' के नाम से एक योजना का संचालन किया जा रहा है।

जननी सुरक्षा योजना

उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं के सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव हेतु जननी सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है।

सखी योजना

महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मई 2020 को बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी योजना आरम्भ की थी जिससे लगभग 58 हजार महिलाओं को रोजगार मिलने की सम्भावना है।

महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना

महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 8 मार्च 2021 को महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना आरम्भ की है।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

बलात्कार पीड़ित, देह व्यापार व दुर्व्यवहार से बचाई महिलाओं, ऐसिड विक्टिम आदि महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 से 'मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना' को आरम्भ किया था।

लाडली लक्ष्मी योजना

बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, महिला स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना का आरम्भ किया था।

निष्कर्ष

स्वतंत्र भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों का प्रतिफल ही है कि भारतीय महिलाओं ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी के रूप में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रूप में प्रथम महिला राष्ट्रपति, सरोजनी नायडू के रूप में प्रथम महिला राज्यपाल, सुचेता कृपलानी के रूप में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मीरा कुमार के रूप में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, किरण बेदी के रूप में प्रथम महिला आई0पी0एस0 जैसे दायित्वों का निर्वहन करने की जो परम्परा शुरू की थी, वो आज भी अनवरत् जारी है। वर्तमान में राजनीति के क्षेत्र में जहाँ श्रीमती सोनिया गाँधी, निर्मला सीतारमण, ममता बैनर्जी और मायावती पूरे देश में प्रसिद्धि पा रही हैं वहीं एम. सी. मेरीकॉम, पी. वी. सिंधु, साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, मीराबाई चानू, दीपा कर्माकर जैसे अनेक महिला नाम हैं जो खेलों की दुनिया में प्रसिद्धि पा रहे हैं। सौन्दर्य प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा और उर्वशी रौतेला जैसे नाम हों या टीवी एन्टरटेनमेन्ट के क्षेत्र में एकता कपूर हो या हिन्दी सिनेमा के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाली अनेक नायिकाएं; महिलाओं का डंका हर क्षेत्र में बज रहा है। किन्तु इन सब के बावजूद 2018 के मीटू आंदोलन ने साबित किया कि महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न करने वाली पुरुष मानसिकता अभी भी अस्तित्व में है। भारत में पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर में भी अभी बहुत अंतर है, जहाँ पुरूषों में साक्षरता दर 82.14 है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 65.46 है। 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), 2018–19' के अनुसार कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में भारी गिरावट देखने को मिली है। संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार महिला आरक्षण अधिनियम 2010 जो महिलाओं के लिए संसद में 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, राज्य सभा से पास होने के बाद भी आज तक लोकसभा में पास नहीं हो पाया है जिससे पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अभी भी भारतीय समाज को बहुत लम्बा रास्ता तय करना है।

संदर्भ

1. https://hi.m.wikipedia.org
2. https://wcd.nic.in
3. https://mpwcdmis.gov.in
4. https://www.artofliving.org
5. https://m.jagran.com
6. International Journal of Advanced Academic Studies

42

महिला सशक्तिकरण

डॉ० प्रीति पांडे
असिस्टैंट प्रोफेसर (मनोविज्ञान विभाग)
गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद

सारांश

"अपने जीवन की नायिका बनो, पीड़ित नहीं।"– नोरा एफ्रॉन

'महिला सशक्तिकरण' शब्द का अर्थ है कि महिलाएं पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं – उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है। यह दर्दनाक सच्चाई लंबे समय से अस्तित्व में है। यह हाल के वर्षों में है कि महिलाओं को तुच्छता और शक्तिहीनता के रसातल से बाहर निकालने के लिए ध्यान देने योग्य काम शुरू हुआ। पितृसत्तात्मक समाज ने दुनिया भर में महिलाओं की स्वतंत्रता को दबा दिया। महिलाओं को वोट देने या यहां तक कि किसी भी राय को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं अपने घरों तक ही सीमित थीं। जैसे–जैसे समय आगे बढ़ा, उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन घर में सेवा करने की तुलना में बहुत अधिक है। जैसे–जैसे अधिक से अधिक महिलाओं ने मानव निर्मित बाधाओं को पार करना शुरू किया, दुनिया महिलाओं के उदय का गवाह बनने लगी। पुरुषों के विपरीत, महिलाएं कभी भी अपने विपरीत लिंग की आवाज को रोकने की कोशिश नहीं करती हैं।

मुख्य शब्द

महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता, जागरूकता, साक्षरता, प्रशिक्षण।

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। इसे कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें महिलाओं के दृष्टिकोण को स्वीकार करना या उन्हें तलाशने का प्रयास करना, शिक्षा, जागरूकता, साक्षरता और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को बढ़ाना शामिल है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को समाज में विभिन्न समस्याओं के माध्यम से जीवन–निर्धारण निर्णय लेने की अनुमति देता है। उनके पास लिंग भूमिकाओं या ऐसी अन्य भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करने का अवसर हो सकता है, जो बदले में उन्हें वांछित लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक स्वतंत्रता की अनुमति दे सकता है।

महिला सशक्तिकरण विकास और अर्थशास्त्र में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को संसाधनों, परिसंपत्तियों और आय से नियंत्रण और लाभ की अनुमति देता है। यह जोखिम को प्रबंधित करने और महिलाओं की भलाई में सुधार करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। यह एक विशेष राजनीतिक या सामाजिक संदर्भ में तुच्छ लिंगों का समर्थन करने के लिए दृष्टिकोण का परिणाम हो सकता है। जबकि अक्सर परस्पर उपयोग किया जाता है, लिंग सशक्तिकरण की अधिक व्यापक अवधारणा किसी भी लिंग के लोगों को चिंतित करती है, एक भूमिका के रूप में जैविक और लिंग के बीच अंतर पर जोर देती है। महिला सशक्तिकरण साक्षरता, शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा, महिला सशक्तिकरण महिलाओं की रणनीतिक जीवन पसंद बनाने की क्षमता को संदर्भित करता है जो पहले उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था।

राष्ट्र, व्यवसाय, समुदाय और समूह महिला सशक्तिकरण की धारणा को अपनाने वाले कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन से लाभान्वित हो सकते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण विकास के लिए उपलब्ध गुणवत्ता और मानव संसाधनों की मात्रा को बढ़ाता है। मानव अधिकारों और विकास को संबोधित करते समय सशक्तिकरण मुख्य प्रक्रियात्मक चिंताओं में से एक है।

महिलाओं का सशक्तिकरण और स्वायत्तता और उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह सतत विकास की उपलब्धि के लिए आवश्यक है। उत्पादक और प्रजनन जीवन में महिलाओं और पुरुषों दोनों की पूर्ण भागीदारी और साझेदारी की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चों की देखभाल और पोषण और घर के रखरखाव के लिए साझा जिम्मेदारियां शामिल हैं। दुनिया के सभी हिस्सों में, महिलाओं को अपने जीवन व स्वास्थ्य के प्रति खतरों का सामना करना पड़ रहा है – काम के साथ और उनकी शक्ति और प्रभाव की कमी के कारण। दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है, और साथ ही, महिलाओं के स्वयं के ज्ञान, क्षमताओं और मुकाबला तंत्र अक्सर बिना मान्यता के चलते हैं। महिलाओं के स्वस्थ और पूर्ण जीवन की

प्राप्ति को बाधित करने वाले शक्ति संबंध समाज के कई स्तरों पर संचालित होते हैं, सबसे व्यक्तिगत से लेकर अत्यधिक सार्वजनिक तक। परिवर्तन प्राप्त करने के लिए नीति और कार्यक्रम कार्यों की आवश्यकता होती है जो महिलाओं की आजीविका और आर्थिक संसाधनों तक पहुंच में सुधार करेंगें, गृहकार्य के संबंध में उनकी चरम जिम्मेदारियों को कम करेंगें, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करेंगें, और शिक्षा और जन संचार के प्रभावी कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता बढ़ाएंगें। इसके अलावा, महिलाओं की स्थिति में सुधार भी जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर उनकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, खासकर कामुकता और प्रजनन के क्षेत्र में। यह, बदले में, जनसंख्या कार्यक्रमों की दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। अनुभव से पता चलता है कि जनसंख्या और विकास कार्यक्रम सबसे प्रभावी होते हैं जब महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए एक साथ कदम उठाए जाते हैं।

शिक्षा विकास प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। 40 से अधिक साल पहले, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कहा गया कि ''सभी को शिक्षा का अधिकार है।'' 1990 में, थाईलैंड के जोमिएन में शिक्षा के लिए विश्व सम्मेलन में सरकारों की बैठक ने बुनियादी शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच के लक्ष्य के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। लेकिन दुनिया भर के देशों द्वारा उल्लेखनीय प्रयासों के बावजूद, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा तक पहुंच का विस्तार किया है, दुनिया में लगभग 960 मिलियन निरक्षर वयस्क हैं, जिनमें से दो तिहाई महिलाएं हैं। दुनिया के एक तिहाई से अधिक वयस्कों, उनमें से अधिकांश महिलाओं को मुद्रित ज्ञान, नए कौशल या प्रौद्योगिकियों तक पहुंच नहीं है जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगें और उन्हें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए आकार और अनुकूलन में मदद करेंगें। 130 मिलियन बच्चे हैं जो प्राथमिक विद्यालय में नामांकित नहीं हैं और उनमें से 70 प्रतिशत लड़कियां हैं।

देशों को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य करना चाहिए और पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए निम्न कदम उठाने चाहियें–

(क) प्रत्येक समुदाय और समाज में राजनीतिक प्रक्रिया और सार्वजनिक जीवन के सभी स्तरों पर महिलाओं की समान भागीदारी और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व के लिए तंत्र स्थापित करना और महिलाओं को उनकी चिंताओं और जरूरतों को स्पष्ट करने में सक्षम बनाना।

(ख) शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से महिलाओं की क्षमता की पूर्ति को बढ़ावा देना, महिलाओं के बीच गरीबी, अशिक्षा और बीमार स्वास्थ्य के उन्मूलन को सर्वोपरि महत्व देना।

(ग) महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाली सभी प्रथाओं को खत्म करना, महिलाओं को उनके अधिकारों को स्थापित करने और महसूस करने में सहायता करना, जिनमें प्रजनन और यौन स्वास्थ्य से संबंधित बातें भी हैं।

(घ) पारंपरिक व्यवसायों से परे आय अर्जित करने, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और श्रम बाजार और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों तक महिलाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की क्षमता में सुधार के लिए उचित उपायों को अपनाना।

(ड.) महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करना।

(च) महिलाओं के खिलाफ नियोक्ताओं द्वारा भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करना, जैसे कि गर्भ निरोधक उपयोग या गर्भावस्था की स्थिति के प्रमाण के आधार पर।

(छ) महिलाओं के लिए कानून, नियमों और अन्य उपयुक्त उपायों के माध्यम से यह संभव करना कि कार्यबल में भागीदारी के साथ बच्चे पैदा करने, स्तनपान कराने और बच्चे के पालन–पोषण की भूमिकाओं को संयोजित करना।

सरकारों को प्रत्येक समुदाय और समाज में राजनीतिक प्रक्रिया और सार्वजनिक जीवन के सभी स्तरों पर महिलाओं की समान भागीदारी और समान प्रतिनिधित्व में तेजी लाने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए और महिलाओं को उनकी चिंताओं और जरूरतों को स्पष्ट करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना चाहिए। सरकारों और नागरिक समाज को लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाले व्यवहार और प्रथाओं को खत्म करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए और लैंगिक असमानता को दूर करना चाहिए।

सरकारों को शिक्षा, कौशल विकास और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए अशिक्षा के उन्मूलन के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं की क्षमता को पूरा करने के लिए उपाय करना चाहिए, जिससे गरीबी और बीमार स्वास्थ्य को समाप्त करने को सर्वोपरि महत्व मिले। सरकारों, नागरिक समाज के सहयोग से, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के आधार पर, उनके जीवन चक्र में महिलाओं के लिए उचित, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए।

सरकारों को महिलाओं की आजीविका से संबंधित सभी लिंग अंतराल और असमानताओं को दूर करने के लिए हर संभव कार्यवाही करनी चाहिए और सुरक्षित आय के साथ रोजगार के निर्माण के माध्यम से श्रम बाजार में भागीदारी करनी चाहिए। समान काम के लिए या समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने वाले विधान को स्थापित और लागू किया जाना चाहिए।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कहा गया है कि सभी को अपने देश की सरकार में भाग लेने का अधिकार है। महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वायत्तता और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार; पारदर्शी और जवाबदेह सरकार और प्रशासन और जीवन के सभी क्षेत्रों में सतत विकास दोनों की उपलब्धि के लिए आवश्यक है। शक्ति संबंध जो महिलाओं को अग्रणी जीवन जीने से रोकते हैं, वे समाज के कई स्तरों पर काम करते हैं, सबसे व्यक्तिगत से लेकर अत्यधिक सार्वजनिक तक। निर्णय लेने में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी के लक्ष्य को प्राप्त करने से एक संतुलन मिलेगा जो समाज की संरचना को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है और लोकतंत्र को मजबूत करने और इसके उचित कामकाज को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। राजनीतिक निर्णय लेने में समानता एक उत्तोलन का कार्य करती है जिसके बिना यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि सरकार के नीति–निर्माण में समानता आयाम का वास्तविक एकीकरण संभव है।

महिलाओं को परिवर्तन की एजेंट बनने के लिए शैक्षिक योग्यता तक पहुंच और प्राप्ति की समानता आवश्यक है। महिलाओं की साक्षरता परिवार में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार लाने और महिलाओं को समाज में निर्णय लेने में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है।

महिलाओं की उन्नति के लिए राष्ट्रीय मशीनरी लगभग हर सदस्य राज्य में स्थापित की गई है, जिनके उद्देश्य अन्य बातों के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु नीतियों को डिजाइन करना, कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, निश्पादित करना, निगरानी करना, मूल्यांकन करना, वकालत करना और महिलाओं की उन्नति को बढ़ावा देने वाली नीतियों के लिए समर्थन जुटाना है। राष्ट्रीय मशीनरी रूप में विविध हैं और उनकी प्रभावशीलता में असमान हैं। इन तंत्रों को अक्सर अस्पष्ट जनादेश, पर्याप्त कर्मचारियों की कमी, प्रशिक्षण, डेटा और पर्याप्त संसाधनों और राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व से अपर्याप्त समर्थन से बाधित किया जाता है।

महिलाओं के लिए बाधाएं

महिला सशक्तिकरण और समानता में कई बाधाएं सांस्कृतिक मानदंडों का परिणाम हैं। जबकि कई महिलाएं लैंगिक असमानता से उत्पन्न मुद्दों से अवगत हैं, अन्य इसकी आदी हो गयी हैं। सत्ता में कई पुरुष सामाजिक मानदंडों को बाधित करने में संकोच करते हैं जो महिलाओं के साथ अनुचित हैं।

शोध से पता चलता है कि इंटरनेट तक बढ़ती पहुंच के परिणामस्वरूप महिलाओं का शोशण भी बढ़ सकता है। वेबसाइटों पर व्यक्तिगत जानकारी जारी करने से कुछ महिलाओं की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। 2010 में, हॉल्ट ऑनलाइन एब्यूज में काम करते हुए कहा गया कि 73 प्रतिशत महिलाएं ऐसी साइटों के माध्यम से पीड़ित थीं। पीड़ित के प्रकारों में साइबर पीछा, उत्पीड़न, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, ज्वलंत और विशेष रूप से कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न शामिल हैं। यह व्यवहार व्यापार, बैंकिंग और वित्त, बिक्री और विपणन, आतिथ्य, सिविल सेवा और शिक्षा, व्याख्यान और शिक्षण में सबसे अधिक बार होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, यौन उत्पीड़न लिंग पर आधारित लिंग भेदभाव का एक स्पष्ट रूप है, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ महिलाओं के लिए सुरक्षा के बढ़ते उपायों के लिए आग्रह कर रहा है।

अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कार्यस्थल में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लिंग संबंधी बाधाओं में यौन उत्पीड़न, अनुचित काम पर रखने की प्रथाएं, कैरियर की प्रगति और असमान वेतन शामिल हैं जहां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है जो एक ही काम करते हैं। जबकि वेतन अंतर की सार्वजनिक चर्चा में महिलाओं को अपने पुरुष साथियों के समान काम के लिए समान वेतन पाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कई महिलाएं ''गर्भावस्था दंड'' भोगती हैं। इस घटना को मापना मुश्किल है, लेकिन नियोक्ताओं के लिए महिलाओं के वेतन को बाधित करने के लिए बच्चे के होने की संभावना पर्याप्त हो सकती है। महिलाओं को एक ऐसी स्थिति में कर दिया जाता है, जहां उन्हें यह निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि क्या कार्यबल में बने रहना है या बच्चा पैदा करना है जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के कई अन्य देशों में मातृत्व अवकाश पर बहस हुई है।

महिलाओं के लिए चल रही वैश्विक परियोजनाएं

संयुक्त राष्ट्र दुनिया को बेहतर जगह बनाने में मदद करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) नामक लक्ष्यों के एक सेट के साथ आया था। 17 में से, चौथा लक्ष्य सभी लोगों के लिए शिक्षा तक पहुंच की अनुमति देने का काम करता है। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में महिलाओं को शामिल करने का एक बड़ा प्रयास किया गया है। पांचवां लक्ष्य विभिन्न प्रकार के अवसरों (स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कार्य, आदि) के लिए समान पहुंच के माध्यम से लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

घरेलू तौर पर, अमेरिका ने महिलाओं हेतु विभिन्न कानूनों को पारित करके उन्हें सशक्त बनाया जैसे कि 1920 में महिलाओं को वोट देने की अनुमति, 1964 में लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाना, 1978 में गर्भवती महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पर प्रतिबंध लगाना आदि। राजनीति में महिलाओं को शामिल करने से अधिक लैंगिक समानता की अनुमति मिली। हाउस की पहली महिला स्पीकर, राष्ट्रपति पद हेतु पहली महिला, और सुप्रीम कोर्ट में सेवा करने वाली पहली महिलाएँ स्मारकीय घटनाएँ थीं जो सत्ता में महिलाओं की विकासशील सामाजिक स्वीकृति के बारे में जानकारी प्रदान करती थीं।

अमेरिका विभिन्न रूपों में तीसरी दुनिया के देशों को विदेशी सहायता प्रदान करता है, जिनमें से एक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करके है। कांग्रेस में ऐसे बिल हैं जो लड़कियों को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। एक है प्रोटेक्टिंग गर्ल्स एक्सेस टू एजुकेशन एक्ट। इन बिलों को इस विश्वास के साथ लागू किया जाता है कि उचित शिक्षा लड़कियों को गरीबी से बाहर निकालेगी और उनका शोषण कम करेगी।

यू.एस. द्वारा की गई एक अन्य कार्रवाई PEPFAR कार्यक्रम है, जिसे बुश प्रशासन ने 2003 में शुरू किया था। कार्यक्रम की अवधि के दौरान उप–सहारा अफ्रीका के वित्तपोषण में अमेरिका ने 1.4 बिलियन ड़ालर से अधिक खर्च किया। यह कार्यक्रम वैश्विक एचआईवी एड्स संकट के जवाब में प्रभावी हुआ, और इसने युवा लड़कियों और महिलाओं के बीच संयम को बढ़ावा दिया। DREAMS के साथ एक साझेदारी थी, और PEPFAR के साथ इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं दोनों को सशक्त, एड्स मुक्त, मेंटर और सुरक्षित महिलाओं में विकसित करने की अनुमति देना था। आलोचनाएं हैं कि इस कार्यक्रम ने एचआईवी–जोखिम व्यवहार को कम करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया, और जॉन डिट्रिच जैसे आलोचकों ने चिंता व्यक्त की कि सहायता के संदर्भ ने शादी से पहले संयम चुनने की पश्चिमी मान्यताओं को लागू किया।

निष्कर्ष

सरकारों को प्रत्येक समुदाय और समाज में राजनीतिक प्रक्रिया और सार्वजनिक जीवन के सभी स्तरों पर महिलाओं की समान भागीदारी और समान प्रतिनिधित्व में तेजी लाने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए और महिलाओं को उनकी चिंताओं और जरूरतों को स्पष्ट करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना चाहिए। सरकारों और नागरिक समाज को लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाले व्यवहार और प्रथाओं को खत्म करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए और लैंगिक असमानता को दूर करना चाहिए। सरकारों को महिलाओं की आजीविका से संबंधित सभी लिंग अंतराल और असमानताओं को दूर करने के लिए हर संभव कार्यवाही करनी चाहिए और सुरक्षित आय के साथ रोजगार के निर्माण के माध्यम से श्रम बाजार में भागीदारी करनी चाहिए।

सन्दर्भ

1. कबीर नैला द्वारा लैंगिक समानता और महिला–शक्ति।
2. महिला सशक्तिकरण का आकलन : मोसेडेल, सारा द्वारा एक वैचारिक ढांचे की ओर।
3. महिला सशक्तिकरण को मापना : लिंग–संबंधी विकास सूचकांक का आकलन और चार्मेस, जैक्स और सस्किया विरिंगा द्वारा लिंग सशक्तिकरण के उपाय।
4. मोबाइल फोन और साक्षरताः महिलाओं के हाथों में सशक्तिकरण – यूनेस्को का एक क्रॉस–केस विश्लेषण।
5. कोड क्रैकिंग : पेरिस द्वारा लड़कियों और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं की शिक्षा : यूनेस्को।
6. विकास में महिलाओं की भूमिका पर विश्व सर्वेक्षण – न्यूयॉर्क द्वारा माइक्रोफाइनेंस सहित आर्थिक संसाधनों और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच पर महिलाओं का नियंत्रण : संयुक्त राष्ट्र 2009।

43

महिला सशक्तिकरण हेतु भारत में किये जा रहे प्रयास

रवि कुमार
शोधार्थी (इतिहास)

डॉ० सुरेश चंद
एसोसिऐट प्रोफेसर (इतिहास विभाग)
के.जी.के. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरादाबाद

सारांश

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसंपन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वारा खुले नए विकल्प तैयार हों। महिलाएं समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया गया है क्योंकि महिलाएं और पुरुष विकास रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। महिलाएं राष्ट्र के विकास में उतना ही महत्व रखती है जितना कि पुरुष। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर संभव नहीं है। भारतीय महिलाओं ने देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्र में अपना सम्मानित स्थान बनाया है। आज महिलाएं बेहतर रोजगार के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। राष्ट्र के विकास की अग्रदूत बनी महिलाओं ने देश ही नहीं वरन विदेशों में भी अपने राष्ट्र का परचम लहराया है। यह सब अथक प्रयासों द्वारा धीरे धीरे संभव हो पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं की दशा अत्यन्त दयनीय थी। वे शोषण तथा अनेकों कुप्रथाओं का शिकार थीं। समाज में कई प्रकार की रूढ़ियों एवं परंपरागत सोच के कारण स्त्री को पिता, पति या पुत्र का आश्रित मानते हुए उसे मुख्य धारा से दूर घर की चारदीवारी तक सीमित रखा गया जिसका मुख्य कारण तात्कालिक सामाजिक विचारों का पिछड़ापन तथा स्त्रियों का अज्ञानता के बंधन में जकड़ा होना था। इस शोधपत्र का उद्देश्य उन प्रयासों को जानने और समझने का प्रयास है जिनसे महिला सशक्तीकरण को बल मिला है।

मुख्य शब्द

महिला सशक्तिकरण, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक विचार, कुप्रथायें।

स्वतंत्रता के बाद से ही नारी के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन आया है। समय समय पर भारत सरकार ने अनेक ऐसे कानून पारित किए जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिली। इनके अंतर्गत 1948 का कारखाना अधिनियम तथा 1952 का खान अधिनियम था जिसके अंतर्गत महिलाओं को शाम के 7.00 बजे से सुबह के 6.00 बजे तक काम पर नहीं लगाया जा सकता था। सन् 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ जिसके अन्तर्गत एक समय में एक ही पत्नी रखने का प्रावधान था तथा महिला और पुरुष दोनों को विवाह तथा तलाक संबंधी समान अधिकार प्रदान किए गए। अगले ही वर्ष में 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया जिसमें पिता की संपत्ति में लड़की अपना हक मांग सकती थी।[1]

सन् 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ जिसके अंतर्गत शादी से पहले या शादी के बाद दहेज मांगने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया।[2]

इसी प्रकार सन् 1990 में भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित कर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जिसका कार्य महिलाओं के उत्थान तथा समाज में उनके सम्मान को बनाए रखना था।[3]

वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम तथा वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोकथाम जैसे अधिनियम पारित किए गए।[4]

हमारा समाज मूल रूप से पुरुष प्रधान रहा है। पहले महिलाओं के पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता न होने के कारण उनकी सामाजिक व पारिवारिक स्थिति एक पराश्रित से अधिक नहीं थी जिससे हर कदम पर उसे एक पुरुष के सहारे की आवश्यकता होती थी। वैसे तो आजादी के बाद से ही महिला उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किए जाते रहे लेकिन विगत कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के कार्य में तेजी आई है। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करने लगी हैं। इसमें सहयोग हेतु केंद्र और राज्य दोनों महिला सशक्तिकरण हेतु तमाम योजनाएं बना रही हैं।

इसके अंतर्गत भारत सरकार ने महिलाओं को प्रेरित करने के लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार की शुरुआत की। इसका सीधा उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने एक योजना स्वाधार गृह योजना चलाई। इस योजना में वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक

आपदा अथवा अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। भारत सरकार की एक अन्य योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किया गया जिसको हरियाणा राज्य से शुरू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना तथा बालिका लिंगानुपात की बढ़ती गिरावट को रोकना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। इसी क्रम में भारत सरकार ने एक अन्य योजना वन स्टॉप सेंटर स्कीम शुरू की जिसके अन्तर्गत महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित कई सेवाओं के लिए तत्काल, आपातकालीन सहायता प्रदान की जाती हैं। हाल ही के वर्षों में भारत सरकार द्वारा एक वुमन हेल्पलाइन स्कीम शुरू की गई जिसमे एक वुमन हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जिस पर संपर्क करने पर महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हरियाणा राज्य में महिला पुलिस वॉलंटियर योजना शुरुआत की गई जिसके अन्तर्गत 1000 महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस सेवा में लैंगिक आधार पर समानता लाना है।[5]

भारत सरकार द्वारा इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना शुरू की गई जिसके अन्तर्गत 19 वर्ष या उससे ऊपर की गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं को दो बच्चों तक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया।[6]

तत्पश्चात् राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) शुरू की गई जिसके अंतर्गत किशोरावस्था के दौरान किशोरियों के शरीर में होने वाले बदलाव पर उन्हें जागरूक करना मुख्य उद्देश्य था।[7]

भारत की जनसंख्या 133 करोड़ से अधिक है और इस जनसंख्या का 62 प्रतिशत से अधिक भाग 15–59 वर्ष के उत्पादक आयु वर्ग में आता है। भारत के इस जनसांख्यिकीय अंश में 15–59 वर्ष के आयु वर्ग में 43 करोड़ से अधिक महिलाएं है। इसके बावजूद कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का लाभ भारत की विकास गाथा में शामिल नहीं है। वर्ष 2019 के अनुमानों के अनुसार वर्तमान में भारत श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को शामिल करने में निचले पायदान पर है। कार्यबल में दस करोड पांच लाख आठ हजार छः सौ महिलाओं की कुल संख्या को देखा जाए तो 43 करोड़ कामकाजी उम्र की आबादी में लगभग 32.9 करोड़ महिलाएं कार्यबल में शामिल नहीं हैं। महिलाओं की आर्थिक क्षमता का दोहन करने और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्यमिता महत्वपूर्ण बनी हुई है। वैश्विक प्रतिबद्धता 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने के लिए गरीबी, असमानता और अन्याय से निपटने पर केंद्रित है और इसमें महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं।[8]

मैकिन्से की लैंगिक समानता रिपोर्ट 2018 में कहा गया है कि यदि भारत लैंगिक असमानता को दूर करने में सक्षम हुआ तो हम सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 770 बिलियन डॉलर जोड़ सकते हैं जो सामान्य से 18 प्रतिशत अधिक के बराबर होगा।[9]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1990 के बाद से प्रत्येक पांच वर्षों के अंतराल में महिला श्रमबल भागीदारी का रुझान दिखाता है जिसके अनुसार यह भागीदारी 2005 में 31.79 प्रतिशत से लगातार गिरकर 2019 में 20.7 प्रतिशत हो गई है जबकि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी दर का वैश्विक औसत 2018 में 48.5 प्रतिशत था। 1990 से 2005 के बीच एक स्थिर दर होने का कारण यह है कि जो महिलाएं गरीबी के कारण बेहद कम वेतन वाली निम्न दर्जे की नौकरी करने पर मजबूर थीं, वे उन नौकरियों को छोड़ चुकी हैं क्योंकि पुरुष श्रमबल की भागीदारी के कारण संभवता उनकी कुल घरेलू आय में वृद्धि हो गयी होगी। महिला भागीदारी दर 1999–2000 में 34.1 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 27.2 प्रतिशत हो गई जिसमें ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 2009–10 में 26.5 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 25.3 प्रतिशत हो गई। महिला श्रम बल भागीदारी दर में 131 देशों में भारत 120 वें स्थान पर है और लिंग आधारित हिंसा की दर संतोषजनक रूप से उच्च बनी हुई है। 10'

2014 के OWID (आवर वर्ल्ड इन डाटा) के आंकड़ों के अनुसार भारत का अवैतनिक देखभाल के कार्य में लगाए गए समय का महिला–पुरुष अनुपात 9:3 है जो दुनिया में तीसरा सबसे अधिक है। इन आंकड़ों की तर्ज पर 2017–18 में 15–59 आयु वर्ग की 62.1 प्रतिशत महिलाएं घरेलू कार्यों में संलग्न थीं। उद्यमिता, स्व–रोजगार और लघु और सूक्ष्म व्यवसाय रोजगार की इच्छुक महिलाओं के लिए रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसका प्रमाण है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योगों में अधिक महिलाओं को काम पर रखने की प्रवृत्ति होती है और इसलिए महिला उद्यमिता समुदाय में व्यापक रूप से रोजगार पैदा करने में गुणक प्रभाव पैदा करता है। 11'

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधनों का निवेश किया है। नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में संचालित 58.2 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में से केवल 14 प्रतिशत आठ मिलियन महिलाओं के स्वामित्व में है। 2018 में मास्टर कार्ड इंडेक्स द्वारा अपने स्थानीय परिवेश द्वारा प्रदान किए गए अवसरों को भुनाने की महिला उद्यमियों की क्षमता के मामले में भारत 57 देशों में से 52वें स्थान पर था। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से लैंगिक अंतर को पाटने तथा महिलाओं को सशक्त बनाने में काफी मदद मिल सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार रिपोर्ट 2016–17 का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो आयोग महिला उत्थान हेतु अनेकों कार्य कर रहा है। महिलाओं के मानवाधिकारों पर मुख्य अंतर्राष्ट्रीय करार महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर 1979 परिसंवाद (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू.) किया गया जिसका 185 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा समर्थन किया गया। सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. महिलाओं के मानवाधिकारों को समझने के लिए आवश्यक चुनौतियों पर सहमति प्रदान

करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अन्य पहलुओं की पड़ताल, अपराधियों की दुनिया का अन्वेषणात्मक अध्ययन की शुरुआत, सेंटर फॉर वुमन डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा करवाई गई। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के आरोपी पुरुष अपराधियों की धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके। 12'

नीति आयोग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ संयुक्त रूप से नवंबर 2017 में हैदराबाद में आयोजित आठवें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन में भारत में प्रतिष्ठित और आकांक्षी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए महिला उद्यम मंच की स्थापना के विचार ने आकार लिया। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2018 को औपचारिक रूप से इस मंच का शुभारंभ कर दिया गया। यह अपनी तरह का पहला सुविधा मंच है जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ मिलकर काम करने और महिलाओं तथा WEP वेब साइट पर महिलाओं पर केन्द्रित उद्यमिता योजनाओं, पहलुओं और कार्यक्रम को सूचीबद्ध करके उन्हें एक मंच पर लाने के लिए आदेशित किया गया है। यह महिला उद्यमियों और साझेदार संगठनों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के माध्यम से भी वुमेन ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया अवॉर्ड की शुरुआत की गई जिसके पीछे का विचार ऐसी असाधारण महिला उद्यमियों को सम्मानित करना तथा उनके बारे में बताना है जिन्होंने अभेद्य को भेदा है और व्यवसायों, उद्यमों के माध्यम से रूढ़ियों को चुनौती दी है। 13'

नीति आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 के अनुसार संसद में अपने बजट भाषण के दौरान भारत की वित्त मंत्री ने कहा कि "तत्कालीन शारदा अधिनियम 1929 में संशोधन करके 1978 में महिलाओं के विवाह की आयु 15 साल से बढ़ाकर 18 साल की गई थी। चूंकि भारत ने अब और प्रगति कर ली है, इसलिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं करियर के लिए महिलाओं के लिए अवसरों के दरवाजे खुल गए हैं। ये एमएमआर को कम करने तथा पोषण स्तर में सुधार लाने की अनिवार्यताएं हैं। इस आलोक में लड़कियों के माँ बनने की आयु से संबंधित समूचे मुद्दे को पुनः देखने की आवश्यकता है। मैं एक कार्यबल नियुक्त करने का प्रस्ताव करती हूँ जो छह माह की अवधि में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।" इसके बाद सरकार द्वारा 4 जून को कार्यबल अधिसूचित किया गया तथा नीति आयोग को सचिवालयी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यबल अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। भारत में महिला श्रम बल की घटती भागीदारी से जुड़ी चुनौतियों तथा महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अपेक्षित कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए 2019 में यूएन एजेंसियों एवं प्रासंगिक मंत्रालयों के साथ विभिन्न परामर्श बैठकों का आयोजन किया गया। इन विचार विमर्शों के आधार पर भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाने पर एक रणनीति पेपर तैयार किया गया और सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए जुलाई 2020 में संबंधित मंत्रालयों–विभागों को अग्रेषित किया गया। 14'

निष्कर्ष

उपर्युक्त रिपोर्टों का विश्लेषण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अब तक महिला सशक्तिकरण हेतु हुये प्रयासों से महिलाओं की स्थिति को काफी हद तक सुधारा गया है परन्तु अभी भी महिला सशक्तिकरण हेतु और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत सरकार की योजनाओं का सही से क्रियान्वयन वेहद आवश्यक है। भारत मे महिला सशक्तिकरण को बेहतर करने में समाज की संकीर्ण मानसिकता भी रुकावट बन रही है जिसे बदलना बेहद आवश्यक है। जब तक महिलाएं देश के विकास में अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज नहीं करा देती हैं तब तक महिला सशक्तिकरण को पूर्ण नही कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देंखें तो हमें यदि महिलाओं का उद्यम के क्षेत्र में योगदान लेना है तो इसमें जो चुनौतियां हैं उनका स्पष्ट रूप से पता लगाना पड़ेगा। जैसे– उनकी ऋण संबंधी समस्याएं, लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण निवेशकों का न मिलना, रोल मॉडल की कमी जिन्हें देख कर वे प्रेरित हो सकें, घरेलू जिम्मेदारियों में घिरे होना आदि। इसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं को भी मुख्य धारा में लाना आवश्यक है जिससे उनका भी इस विकास की प्रक्रिया में योगदान लिया जा सके और सभी महिलाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिये तैयार किया जा सके।

संदर्भ

1. डॉ० बी. एन. मणि त्रिपाठी – हिन्दू विधि, संस्करण 2009, सेंट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज, पृष्ठ सं० 385,399
2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 पृष्ठ सं०–8
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट, पृष्ठ सं०– 11
4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2020–21, पृष्ठ सं०– 7,8
5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2020–21, पृष्ठ सं०– 14,15,22,121
6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2020–21, पृष्ठ सं०–11, 209, 210, 211
7. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2010–11, पृष्ठ सं०–21

8. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओएसटीएटी डेटाबेस 2021, कुरुक्षेत्र – ग्रामीण विकास को समर्पित, पत्रिका अक्टूबर 2021, नई दिल्ली पृष्ठ सं०–22
9. मैकिंसे की लैंगिक समानता रिपोर्ट 2018, कुरुक्षेत्र–ग्रामीण विकास को समर्पित, पत्रिका अक्टूबर 2021, नई दिल्ली, पृष्ठ सं० 22
10. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओएसटीएटी डेटाबेस 2019, कुरुक्षेत्र–ग्रामीण विकास को समर्पित, पत्रिका अक्टूबर 2021, नई दिल्ली पृष्ठ सं०– 22
11. आवर वर्ल्ड इन डाटा 2014, कुरुक्षेत्र–ग्रामीण विकास को समर्पित, पत्रिका अक्टूबर 2021, नई दिल्ली, पृष्ठ सं०– 23
12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट 2016–17, पृष्ठ सं०–115, 119
13. नीति आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2018–19, पृष्ठ सं०– 62, 64
14. नीति आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2020–21, पृष्ठ सं०– 185, 197

44

अफगान संकट - समस्या, कारण एवं समाधान

डॉ० धनंजय शरण
एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र विभाग)
हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद, उ०प्र०

सारांश

अफगानिस्तान में मौजूदा गड़बड़ी पैदा करने वाले कारकों में असंगत राजनीतिक और आर्थिक संस्थान, भ्रष्टाचार, जातीय संघर्ष, विदेशी हस्तक्षेप और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश परस्पर जुड़े हुए हैं (विदेशी हस्तक्षेपों के साथ एक भ्रमित करने वाला परिवर्तन), और यह सुझाव देते हैं कि संस्थान अफगानिस्तान में सुशासन की चुनौतियों को कम करने की कुंजी हैं। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान में एक केंद्रीकृत प्रणाली में धन की बाढ़ ला दी, जो कमजोर, भ्रष्ट और अफगान नागरिकों के प्रति जवाबदेह नहीं था।

मुख्य शब्द

राजनीतिक और आर्थिक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अफगान संकट।

अफगानिस्तान, आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात, मध्य और दक्षिण एशिया के चौराहे पर एक भूमि से घिरा देश है। इसकी सीमा पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और उत्तर पूर्व में ताजिकिस्तान और चीन से लगती है। 652864 वर्ग किलोमीटर (252072 वर्ग मील) पर फैला हुआ अफगानिस्तान देश मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण–पश्चिम में मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी है जो हिंदू कुश पहाड़ों से अलग होते हैं। 2020 तक इसकी जनसंख्या 31.4 मिलियन है, जो ज्यादातर जातीय पश्तूनों, ताजिकों, हजारों और उज्बेकों से बनी है। काबुल इसकी राजधानी और सबसे बड़े शहर के रूप में कार्य करता है।

अफगानिस्तान में मानव निवास मध्य पुरापाषाण काल का है, और सिल्क रोड के साथ देश की रणनीतिक स्थिति इसे मध्य पूर्व और एशिया के अन्य हिस्सों की संस्कृतियों से जोड़ती है। यह भूमि ऐतिहासिक रूप से विभिन्न लोगों का घर रही है और इस भूमि ने सिकंदर महान, मौर्य, मुस्लिम अरब, मंगोल, ब्रिटिश, सोवियत और अमेरिकियों (गठबंधन सहयोगियों के साथ) सहित कई सैन्य अभियानों को देखा है। इसे ''साम्राज्यों के कब्रिस्तान'' का उपनाम दिया गया है, हालांकि इसके इतिहास की कई अलग–अलग अवधियों के दौरान इसे कब्जा कर लिया गया है। इस भूमि ने उस स्रोत के रूप में भी कार्य किया, जहां से ग्रीको–बैक्ट्रियन, कुषाण, हेफथलाइट्स, समनिड्स, सफरिड्स, गजनवीड, घोरिड्स, खिलजी, मुगल, हॉटक, दुर्रानी और अन्य प्रमुख साम्राज्य बनाने के लिए उठे हैं।

अफगानिस्तान के आधुनिक राज्य की शुरुआत 18वीं शताब्दी में होतकी और दुर्रानी राजवंशों के साथ हुई थी। 19वीं सदी के अंत में, ब्रिटिश भारत और रूसी साम्राज्य के बीच ''ग्रेट गेम'' में अफगानिस्तान एक बफर स्टेट बन गया। 1919 में तीसरे एंग्लो–अफगान युद्ध के बाद, देश विदेशी प्रभुत्व से मुक्त हो गया, अंततः जून 1926 में राजा अमानुल्लाह के अधीन अफगानिस्तान का राज्य बन गया। यह राज्य लगभग पचास वर्षों तक चला, जब तक कि राजा जहीर को उखाड़ फेंका नहीं गया और जुलाई 1973 में एक गणतंत्र की स्थापना हुई। 1978 में, एक दूसरे तख्तापलट के बाद, अफगानिस्तान एक समाजवादी राज्य बन गया, जिसने 1980 के दशक में मुजाहिदीन विद्रोहियों के खिलाफ सोवियत–अफगान युद्ध को उकसाया। 1996 तक अधिकांश अफगानिस्तान पर इस्लामी कट्टरपंथी समूह, तालिबान द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसने पांच साल तक देश के अधिकांश हिस्से पर एक अधिनायकवादी शासक के रूप में शासन किया था। 2001 में अमेरिकी आक्रमण के बाद तालिबान को सत्ता से हटा दिया गया था लेकिन फिर भी इसने देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित किया। सरकार और तालिबान के बीच बीस साल तक चलने वाला युद्ध 2021 के तालिबान आक्रमण और काबुल के परिणामी पतन के साथ एक निष्कर्ष पर पहुंचा जिसने तालिबान को सत्ता में लौटा दिया।

अफगानिस्तान देश में आतंकवाद, गरीबी और बाल कुपोषण के उच्च स्तर हैं। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की 96वीं सबसे बड़ी है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 72.9 अरब डॉलर है, जो क्रय शक्ति समानता के आधार पर है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में देश की स्थिति बहुत खराब है, अफगानिस्तान 2018 तक 186 देशों में से 169 वें स्थान पर है।

देश सदियों से विभिन्न लोगों का घर रहा है, उनमें से प्राचीन ईरानी लोग जिन्होंने इस क्षेत्र में भारत–ईरानी भाषाओं की प्रमुख भूमिका स्थापित की। कई बिंदुओं पर, भूमि को विशाल क्षेत्रीय साम्राज्यों में शामिल किया गया है, उनमें से अचमेनिद साम्राज्य, मैसेडोनियन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य

और इस्लामी साम्राज्य शामिल हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विदेशी कब्जे का विरोध करने में अपनी सफलता के लिए, अफगानिस्तान को ''साम्राज्यों का कब्रिस्तान'' कहा गया है, हालांकि यह अज्ञात है कि इस वाक्यांश को किसने गढ़ा।

अफगानिस्तान में युद्ध

अफगानिस्तान में युद्ध एक संघर्ष था जो 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में हुआ था। यह तब शुरू हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और तालिबान शासित इस्लामिक अमीरात को गिरा दिया। सहयोगी नाटो और अफगान सशस्त्र बलों के खिलाफ 19 साल और 8 महीने के लंबे विद्रोह के बाद तालिबान के सत्ता में आने के साथ युद्ध समाप्त हो गया। यह संयुक्त राज्य के इतिहास का सबसे लंबा युद्ध था, जिसने वियतनाम युद्ध (1955–1975) को लगभग पांच महीने पीछे छोड़ दिया।

2001 में 11 सितंबर के हमलों के बाद, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मांग की कि तालिबान, तत्कालीन वास्तविक शासक अफगानिस्तान, हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को प्रत्यर्पित करे और जो तब तक देश के भीतर स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था। तालिबान के ऐसा करने से इनकार करने से देश पर आक्रमण हुआ। तालिबान और उनके अल–कायदा सहयोगियों को ज्यादातर अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं और उत्तरी गठबंधन द्वारा प्रमुख जनसंख्या केंद्रों से पराजित और निष्कासित कर दिया गया था। व्हाइट माउंटेन में भागने के बाद लादेन को खोजने में विफल रहने के बावजूद, अमेरिका और 40 से अधिक देशों (नाटो के सभी सदस्यों सहित) का गठबंधन देश में बना रहा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत सुरक्षा मिशन का गठन किया, जिसे समेकित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (आईएसएएफ) कहा गया। आईएसएएफ का लक्ष्य देश में एक नया लोकतांत्रिक अधिकार विकसित करना और तालिबान और अल–कायदा की सत्ता में वापसी को रोकना था। 2001 में बॉन सम्मेलन में, नए अफगान अंतरिम अधिकारियों (ज्यादातर उत्तरी गठबंधन से) ने हामिद करजई को अफगान अंतरिम प्रशासन का प्रमुख चुना। तालिबान के निष्कासन के बाद पूरे देश में पुनर्निर्माण का प्रयास भी किया गया था।

मुल्ला उमर ने तालिबान को पुनर्गठित किया और 2003 में नई अफगान सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। तालिबान और अन्य समूहों के विद्रोहियों ने ग्रामीण इलाकों में छापामार विधि अपनाकर छापे और घात लगाकर, शहरी लक्ष्यों के खिलाफ आत्मघाती हमलों, गठबंधन बलों के खिलाफ टर्नकोट हत्याओं और कथित सहयोगियों के खिलाफ प्रतिशोध के साथ असंयमित युद्ध छेड़ा। हिंसा अंततः एक ऐसे बिंदु तक बढ़ गई जहां 2007 तक अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। आईएसएएफ ने उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए बड़े पैमाने पर सैनिकों द्वारा गांवों को ''साफ और पकड़'' करने के लिए जवाब दिया। 2011 में यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया जब लगभग 140000 विदेशी सैनिकों ने आईएसएएफ और यूएस कमांड के तहत इसका संचालन किया।

2011 में ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद, नाटो गठबंधन के नेताओं ने अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस लेने के लिए बाहर निकलने की रणनीति शुरू की। 28 दिसंबर 2014 को, नाटो ने औपचारिक रूप से अफगानिस्तान में आईएसएएफ के युद्ध संचालन को समाप्त कर दिया और आधिकारिक तौर पर अफगान सरकार को पूर्ण सुरक्षा जिम्मेदारी हस्तांतरित कर दी। सैन्य साधनों के माध्यम से तालिबान को खत्म करने में असमर्थ, गठबंधन सेना और अलग से राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए कूटनीति की ओर रुख किया। ये प्रयास 29 फरवरी 2020 को समाप्त हुए, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान ने दोहा में एक सशर्त शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके लिए अमेरिकी सैनिकों को अप्रैल 2021 तक वापस लेना आवश्यक था। अफगान सरकार सौदे के लिए एक पक्ष नहीं थी और कैदियों की रिहाई के संबंध में अपनी शर्तों को खारिज कर दिया। अमेरिकी वापसी की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई। तालिबान द्वारा, मूल समय सीमा समाप्त होने के बाद, और सेना की वापसी के साथ, गर्मियों में एक व्यापक आक्रमण शुरू किया गया जिसमें उन्होंने अधिकांश अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, अंत में 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा कर लिया। उसी दिन, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश से भाग गए और तालिबान ने जीत और युद्ध खत्म होने की घोषणा की। तालिबान शासन की पुनः स्थापना की संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पुष्टि की गई और 30 अगस्त को अंतिम अमेरिकी सैन्य विमान अफगानिस्तान से चला गया, जिससे देश में लगभग 20 वर्षों की पश्चिमी सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई।

युद्ध में अफगानिस्तान में 176000 लोग मारे गये; 46319 नागरिक, 69095 सैन्य व पुलिस और कम से कम 52893 विपक्षी लड़ाके। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2001 के आक्रमण के बाद, 5.7 मिलियन से अधिक पूर्व शरणार्थी अफगानिस्तान लौट आए। हालाँकि, 2021 के तालिबान के नए सिरे से हमले के बाद से, 2.6 मिलियन अफगान शरणार्थी बने हुए हैं या भाग गए हैं, ज्यादातर पाकिस्तान और ईरान में, और अन्य 4 मिलियन अफगान देश के भीतर आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति बने हुए हैं।

अफगानिस्तान स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग (AIGRC) ने अफगान नागरिक आबादी के खिलाफ तालिबान के आतंकवाद को युद्ध अपराध बताया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, तालिबान नागरिकों को निशाना बनाकर युद्ध अपराध करता है, जिसमें शिक्षकों की हत्या, सहायता कर्मियों का अपहरण और स्कूल की इमारतों को जलाना शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि 2006 में 756 नागरिक बमों से मारे गए, जिनमें से ज्यादातर सड़कों पर या तालिबान से संबंधित आत्मघाती हमलावरों द्वारा किए गए थे।

नाटो ने आरोप लगाया है कि तालिबान ने नागरिकों को मानव ढ़ाल के रूप में इस्तेमाल किया है। एक उदाहरण के रूप में, नाटो ने मई 2009 में फराह प्रांत में नाटो के हवाई हमलों के पीड़ितों की ओर इशारा किया, जिसके दौरान अफगान सरकार का दावा है कि 150 नागरिक

मारे गए थे। नाटो ने कहा कि उसके पास सबूत हैं कि तालिबान ने नागरिकों को युद्ध में शामिल नाटो विमानों द्वारा लक्षित इमारतों में रहने को मजबूर किया। आईएसएएफ कमांडर के एक प्रवक्ता ने कहा– ''यह तालिबान द्वारा एक नागरिक हताहत संकट पैदा करने की एक जानबूझकर योजना थी। ये मानव ढ़ाल नहीं थे, ये मानव बलि थे। हमारे पास खुफिया जानकारी है जो इस ओर इशारा करती है।'' अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है।

7 अगस्त 2010 को, तालिबान बंदूकधारियों ने अफगानिस्तान में चिकित्सा सहायता कर्मियों की हत्या कर दी। चिकित्सा सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए पैदल यात्रा से लौटने के बाद, छह अमेरिकियों के समूह; एक ब्रिटेन, एक जर्मन और चार अफगानों को हिंदू कुश पहाड़ों में पास के जंगल में बंदूकधारियों ने घेर लिया और गोली मार दी। यह हमला अफगानिस्तान में सहायता कर्मियों पर सबसे बड़ा नरसंहार था और तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। तालिबान ने दावा किया कि अफगानिस्तान में सक्रिय ईसाई सहायता समूह जासूसी के लिए जिम्मेदार था, और वे कोई वास्तविक सहायता प्रदान नहीं कर रहे थे। सहायता कर्मियों पर यह हमला तालिबान द्वारा किए गए कई युद्ध अपराधों में से एक है।

2011 में, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अफगानिस्तान में युद्ध में सभी नागरिकों की मौतों के लिए तालिबान जिम्मेदार था। 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि तालिबान पारगमन मार्गों पर बम रख रहा था।

2015 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि तालिबान ने कुंदुज में अफगान नागरिकों की सामूहिक हत्या और सामूहिक बलात्कार किया। तालिबान लड़ाकों ने पुलिस कमांडरों और सैनिकों के साथ–साथ दाइयों की महिला रिश्तेदारों को मार डाला और बलात्कार किया। एक महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता ने इस स्थिति का वर्णन निम्नलिखित तरीके से किया–

''जब तालिबान ने कुंदुज पर अपने नियंत्रण का दावा किया, उन्होंने शहर में कानून और व्यवस्था और शरीयत लाने का दावा किया। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया है उसने दोनों का उल्लंघन किया है। मुझे नहीं पता कि हमें इस स्थिति से कौन बचा सकता है।''

25 जुलाई 2019 को, काबुल की राजधानी में तीन विस्फोट हुए, जिसमें कम से कम पंद्रह लोग मारे गए, जबकि दर्जनों घायल हो गए। यह हमला खान और पेट्रोलियम मंत्रालय के सरकारी अधिकारियों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले में पांच महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई थी। कुछ मिनट बाद, एक आत्मघाती हमलावर ने पास में ही खुद को उड़ा लिया और इसके परिणामस्वरूप सात और लोग मारे गए। तालिबान के एक प्रवक्ता ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है।

12 जुलाई 2021 को, तालिबान लड़ाकों ने 22 निहत्थे अफगान कमांडो को मार डाला, क्योंकि कमांडो ने गोला–बारूद से बाहर निकलने के कारण आत्मसमर्पण कर दिया था। कमांडो में से एक सेवानिवृत्त अफगान जनरल का बेटा था।

अफगानिस्तान को कैसे बचा सकते हैं

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को संकट का सामना कर रहे देश को बचाने के लिये देश विकास हेतु समर्पित सरकार की तरह काम करने की जरूरत है। अफगानिस्तान का निवेश देश के बाहर जा रहा है, क्योंकि धन के प्रत्यावर्तन और अफगानिस्तान में प्रभावी ढंग से निवेश किए जाने की संभावना नहीं है जब तक कि भविष्य में विश्वास नहीं बढ़ता। विश्वास बढ़ाने हेतु सुलह और वार्ता की संभावनाएं सुधारें। हिंसा खत्म हो व कट्टरवादी सोच सुधरे।

विश्वास बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए निकट अवधि के उपायों में निम्न शामिल हैं–

(1) समग्र मांग में वृद्धि (उदाहरण के लिए, कुछ बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करके, अनौपचारिक शहरी बस्तियों को नियमित करके, और चयनित शहरी आय–सृजन और नौकरी कार्यक्रमों को लागू करके)

(2) घरेलू उत्पादन की ओर आयात से मांग को स्थानांतरित करना (शहरी गरीबों पर असमान रूप से खर्च करने वाले कार्यक्रमों को लक्षित करके, स्थानीय खरीद में वृद्धि, और कृषि नकदी फसलों पर मध्यम आयात शुल्क लगाना आदि)

(3) उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों के लिए निर्यात मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा देना और

(4) राजकोषीय उपाय करना (सीमित सरकारी उधारी सहित)।

भ्रष्टाचार से रणनीतिक और चुनिंदा तरीके से निपटने की जरूरत है। बहुत व्यापक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार की समस्याओं से ध्यान हटाएगा और सीमित राजनीतिक पूंजी को बर्बाद कर देगा। आर्थिक सुधार और विकास कार्यक्रम जो बहुत व्यापक हैं, वे भी ध्यान और संसाधनों को प्राथमिकता के एजेंडे से हटा सकते हैं और अल्पावधि में प्रतिकूल हो सकते हैं। उदाहरणों में कई सार्वजनिक उद्यमों का त्वरित निजीकरण शामिल है। अफीम पोस्त की खेती को शीघ्रता से कम करने के प्रयास, महंगा व लंबे समय तक चलने वाला आर्थिक रूप से अव्यवहारिक रेलवे निवेश, निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक कर रियायतें और असंख्य छोटी ग्रामीण परियोजनाओं में सीमित संसाधनों का कम प्रसार; ये सभी अफगानिस्तान विकास में बाधक हैं।

यदि अफगान सरकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करती है जिसमें अधिक राजनीतिक प्रभावशीलता भी शामिल है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आर्थिक प्रबंधन और अभिनव कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञता के वित्तपोषण के द्वारा

सक्रिय और लचीले ढंग से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। प्राथमिकता वाली पहलों का समर्थन करने के लिए फ्रंट लोडिंग सहायता, और तेजी से परिणाम प्राप्त करने वाली गतिविधियों की ओर धन को स्थानांतरित करने के लिए परियोजना पोर्टफोलियो का पुनर्गठन होना चाहिये। तीव्र हिंसक संघर्ष, बाहरी वित्तीय सहायता में गिरावट, और चल रही राजनीतिक अनिश्चितता और शिथिलता के समय में अफगान अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन प्रयास इंतजार नहीं कर सकते। पहले संघर्ष को समाप्त करने का एक ''सामान्य'' अनुक्रमण (या कम से कम लड़ाई के पैमाने को कम करना), और उसके बाद ही आर्थिक पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण; इस पर ध्यान केंद्रित करना काम नहीं करेगा।

अर्थव्यवस्था की उपेक्षा करना गैर–जिम्मेदार होगा। इसी तरह, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना अफगानिस्तान के गहरे बैठे राजनीतिक मुद्दों के हल होने का इंतजार नहीं कर सकता।

निष्कर्ष

अफगानिस्तान को केवल एक मांग–संचालित, आपूर्ति–बाधित, अत्यधिक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो एक विशाल संरचनात्मक राजकोषीय अंतर और निकट भविष्य के लिए कमजोर सरकारी राजस्व का सामना करता है। परंपरागत, ''हमेशा की तरह व्यापार'' आर्थिक दृष्टिकोण जो अन्य स्थितियों में उपयुक्त हो सकते हैं, अफगानिस्तान में काम नहीं करेंगे। संघर्ष के समय में क्या किया जा सकता है, इसके विकल्पों व सीमाओं को पहचानते हुए और मामूली उम्मीदों को बनाए रखते हुए रचनात्मक रूप से सोचने की जरूरत है। तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास जीतना होगा। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर भी ध्यान जरुरी है।

संदर्भ

1. इस्लाम और ईसाई धर्म– ईसाई धर्म का विश्वकोष
2. अफगानिस्तान की जातीय मोजेक– दी टाइम्स ऑफ इंडिया
3. संयुक्त राष्ट्र और अफगानिस्तान– संयुक्त राष्ट्र समाचार केंद्र
4. अफगानियों की समस्याएँ – विकिपीडिया
6. तालिबानियों का कहर– काबुल समाचार
7. बीबीसी समाचार

45

अफगान संकट - समस्या, कारण एवं समाधान

सचिन सिंह
शोध छात्र (इतिहास)

डॉ० सुरेश चन्द
एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास विभाग)
के०जी०के० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरादाबाद

सारांश

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आ जाने से एक विश्वव्यापी समस्या का जन्म हो गया है जो सम्पूर्ण विश्व के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ी है। अत वैश्विक शान्ति के लिए अफगान संकट का हल निकालना जरूरी है। भारत के लिए भी यह जरूरी है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो जिससे मध्य एशिया में भारत की अहमियत बनी रहे। साथ ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत में दोबारा न फैलने पाये एवं भारत द्वारा चीन के प्रभाव को सन्तुलित करने के लिये भी अफगानिस्तान समस्या का समाधान जरूरी है।

मुख्य शब्द

अफगानिस्तान समस्या, तालिबान, प्रायोजित आतंकवाद, वैश्विक शान्ति।

विगत कुछ महीने भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में महत्वपूर्ण रहे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाना रहा है। जैसा कि सवर्विदित है कि अब अफगानिस्तान की सत्ता आतंकवादी एवं चरमपंथी समूह तालिबान के हाथों में आ गयी है जो भारत के लिए चिन्ता का विषय है। वस्तुत अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 30 अगस्त 2021 से पहले अफगानिस्तान से अमेरिका सुरक्षाबलों की वापसी की घोषणा करने से ही यह आशंका जतायी जा रही थी कि तालिबानी अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं तथापि ऐसा होते ही विश्व के प्रमुख देशों जिसमे भारत भी शामिल है; के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो गयी है क्योंकि तालिबान एक आतंकी समूह है जिसका झुकाव हमेशा ही पाकिस्तान की ओर रहा है, जो भारत की चिंता का प्रमुख कारण है। अतः इस समस्या से निपटने के लिए भारत को क्या रणनीति बनानी चाहिए; इसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य उन कारणों को तलाश करना है जिसकी वजह से अफगान समस्या उत्पन्न हुई है, साथ ही अफगान संकट का भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना और इसके समाधान की कोशिश करना एवं इस संदर्भ में भारत की विदेश नीति को समझना है।

पहले इस समस्या के मूल में जो देश है अर्थात् अफगानिस्तान; उसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। अगर अफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास तथा भारत से उसके संबंध की बात की जाये तो यह बताना आवश्यक है कि भारत एवं विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में दाशराज्ञ युद्ध के समय पख्तूओं (अफगानिस्तान की प्राचीन जनजाति) का उल्लेख पुरु कबीले के सहयोगियों के रूप में होता है। साथ ही अफगानिस्तान में बहने वाली कुम्भा या कुहका नदी का उल्लेख भी इसी ग्रन्थ में मिलता है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के अन्य देशो में किये जाने के प्रमाण मिलते हैं। बाद में छठी शताब्दी के ग्रंथ व्रहत संहिता में भी अफगान शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भारत की बहुत सी पुस्तकों में अफगानिस्तान का उल्लेख मिलता है। पश्चिम और मध्य एशिया की घटनायें अक्सर भारत को प्रभावित करती थीं और कभी–कभी उत्तर पश्चिम से घुसपैठ का कारण बन जाती थीं; प्राचीन काल से ऐसा ही होता आया था। एशिया में सातवीं शताब्दी में एक शक्तिशाली, प्रसारवादी अरब साम्राज्य के उदय के बाद नवीं सदी में अब्बासी राजवंश के खंडहर पर अनेक युद्ध–प्रेमी, महत्वाकांक्षी तुर्क राजाओं का उदय हुआ जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर अफगानिस्तान के क्षेत्र को प्रभावित किया।[1]

पूर्व मध्यकाल तक यह भारत का ही एक प्रान्त बना रहा और तब तक बना रहा जब तक कि महमूद गजनी ने हिन्दूशाही राजवंश को हरा कर यहां मुस्लिम सत्ता ना स्थापित कर दी। परंतु अफगानिस्तान का इस्लामीकरण रातों–रात नहीं बल्कि सदियों में घटित हुई घटना है। महमूद गजनी का निधन 1030 में हुआ और उसके अंतिम उत्तराधिकारी बहरामशाह का शासन 1150 में खत्म हुआ। बहरामशाह को उसके एक बागी मुखिया सैफुद्दीन सूरी ने कुछ दिनों के लिए अपदस्थ कर दिया था। बहरामशाह ने बाद में इस मुखिया को गिरफ्तार किया और बहुत भयानक सजा दी। सैफुद्दीन के भाई अलाउद्दीन ने जबरदस्त बदला लिया और उसने बहरामशाह की सेना को हराया ओर गजनी के कण–कण को लूट लिया और फिर जला कर खाक कर दिया। इतिहास में अलाउद्दीन जहांसोज विश्व विध्वंसक के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनवी ने भारत की लूट के दम पर जो साम्राज्य खड़ा किया था उसे इन गौरी सुल्तानों ने धूल में मिला दिया, यह सिलसिला यही नहीं रुका। चंगेज खान

ने तेरहवीं सदी में, तैमूर लंग ने चौहदवीं सदी में, बाबर ने सोलहवीं सदी में और नादिरशाह ने अठारवीं सदी में इसी इतिहास को दोहराया। जितनी बार अफगानिस्तान बार–बार उजड़ा और बसा; दुनिया के और कौन से देश उजड़े और बसे होंगे ।[2]

अब प्रश्न उठता है तालिबान कौन है? दरअसल तालिबान अरबी शब्द तालिब से बना है जिसका अर्थ है छात्र। वस्तुतः 1990 के दशक के मध्य में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में कट्टरता का पाठ पढ़ कर निकलने वाले कुछ तालिबान छात्रों ने अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तथा वहाँ की सत्ता अपने हाथों में ले ली। इनका नेता मुल्ला उमर था। 1996 में इन्होंने बुरहाउद्दीन रब्बानी की सत्ता उखाड़ फैंकी ओर उसकी जगह तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर शासक बन बैठा। तालिबानी मुख्य रूप से पश्तून हैं। देश की 3.8 करोड़ की आबादी में इनका हिस्सा 42 प्रतिशत है। अफगानिस्तान के बाकी के लोगों में ताजिक और उजबेग शामिल है। तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान के साथ–साथ सऊदी अरब की फंडिंग भी महत्वपूर्ण रही है जिसने हमेशा तालिबान का समर्थन किया था जिस कारण तालिबान लगातार एक शक्तिशाली चरमपंथी समूह बनता चला गया जिसने 1998 तक पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। 2001 में अमेरिका के ऊपर हुए आतंकी हमले में तालिबानी आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का हाथ होने के कारण, 11 सितंबर के हमले के बाद से यू.एस. ए. ने अफगानिस्तान में भविष्य के खतरों को रोकने के लिए चरमपंथी समूह अलकायदा जोकि तालिबान समर्थक था; के खिलाफ कार्यवाही की योजना बनाई और इसी क्रम में अमेरिका नाटो की सेना सहित अफगानिस्तान में सैन्य कायर्वाही करता है।[3]

इसी के परिणामस्वरूप तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता छोड़ कर भागना पड़ता है। इसी क्रम में 2002 में अफगानिस्तान में निर्वाचित सरकार की वापसी हुई एवं हामिद करजई पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। तभी से अमेरिकी एवं नाटो सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद थे जिससे तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाने की उम्मीद न के बराबर थी परन्तु जैसे ही नाटो सैनिकों की वापसी तय हुई, तालिबान ने तुरंत अप्रत्याशित रूप से सत्ता पर कब्जा कर लिया। तालिबान के कंधार पर कब्जा करने से पूर्व ही वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ कर भाग गये। अतः अब तालिबान का अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण है। तालिबान की कट्टरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसके अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से ही 15 अगस्त के बाद अफगानिस्तान के कई लोग पहले पोस्ट की गई तस्वीर और ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया से ही दूरी बना ली है। ऐसा इस डर से किया जा रहा है कि कही तालिबान के लड़ाके उन्हें निशाना न बना लें।[4]

20 साल तक अमेरिका सुरक्षा बलों की मौजूदगी के तुरंत बाद तालिबान के द्वारा सत्ता को कब्जाना अमेरिका सहित अन्य देशों के लिये भी चिंता का कारण है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के पुनः निर्माण में 2 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर डाले। इन 20 वर्षों में लगभग डेढ़ लाख लोग मारे गये जिसमें 2 हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं, इसी दौरान अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के सैनिकों को भी प्रशिक्षण दिया गया। परन्तु तालिबान का इस तरह आ जाना अमेरिकी रणनीति में भारी चूक मानी जा रही है। काबुल पर कब्जे के बाद से ही तालिबान का रवैया उनकी कट्टरता की गवाही दे रहा था। नई कार्यवाहक सरकार के गठन के बाद उनके बारे में यह भोली उम्मीद भी खत्म हो गयी है जो उनके वादों से पैदा हुई थी। तालिबान की शक्तिशाली नीति निर्धारक समिति रहबरी शूरा के प्रमुख और कट्टर छवि वाले मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद का प्रधानमंत्री बनना सबसे हैरान कर देने वाला फैसला है जिसने बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तुड़वाई थीं। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को रक्षामंत्री और कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के सिराजुदीन हक्कानी को गृहमंत्री बनाकर भी तालिबान ने अपने इरादे जाहिर कर दिये हैं। '5

उपरोक्त घटनाक्रम पर भारत को गहनता से विचार करने की आवश्यकता है चूंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अतः भारत किसी भी देश मे लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही सम्मान करता है तथा किसी भी ऐसे देश का समर्थन नहीं करता जो गैर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आया हो। अमेरिका, भारत, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जैसे प्रमुख देशों के सामने अफगान संकट एक प्रमुख समस्या के तौर पर उभरा है। भारत इस समस्या से ज्यादा प्रभावित हो सकता है क्योंकि भारत की सामरिक स्थिति अफगानिस्तान के पास है जिससे अशांत अफगानिस्तान भारत के लिये अच्छा संकेत नहीं है। साथ ही भविष्य में कश्मीर में होने वाली संभावित आतंकी गतिविधियों को लेकर भी भारत की चिन्ता बढ़ गयी है क्योंकि पाकिस्तान तालिबान आतंकियों का प्रयोग भारत में आतंकवादी हमलों के लिए कर सकता है क्योंकि तालिबान के सत्ता में आने से पूर्व भारत के अफगानिस्तान से सम्बन्ध सामान्य थे जिसका झुकाव पाकिस्तान की जगह भारत की ओर था परन्तु अब ये स्थिति उलट सकती है। भारत अफगानिस्तान के पुनः निर्माण में भी काफी हद तक सहयोग कर रहा था। इसी क्रम में भारत ने अफगानिस्तान में काफी मात्रा में निवेश भी किया था। भारत 667 करोड की लागत से अफगानिस्तान संसद का निर्माण कर चुका है। साथ ही अफगानिस्तान में कई परियोजनाएं जिसमें सलमा बांध, शहतूत बांध, खरांग डेलराम राजमार्ग, स्टोर पैलेस आदि भारत द्वारा वित्त पोषित हैं एवं भारत ने अफगानिस्तान के 34 प्रान्तों में स्कूल, सरकारी भवनों, सड़कों, खेल परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं सहित 433 परियोजनायें पूरी कर रखीं थीं जो तालिबान के सत्ता में आने से खटाई में पड़ गई हैं। तालिबान के सत्ता में आने से वहां के लोगों के मानवीय जीवन के अधिकारों को लेकर जहाँ पूरे विश्व ने चिंता जाहिर की है, वहीं कुछ साम्राज्यवादी देश जिसमें चीन प्रमुख है इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं। हालांकि खुद तालिबान भी अब अफगानिस्तान को अस्थिर नहीं रहने देना चाहेगा क्योकि तालिबान ने बीस साल बाद अमेरिका से जंग जीती है, पर उनकी असली परीक्षा अब शुरू होगी, उनके सामने एक एक ऐसे मुल्क को सुशासन प्रदान करने की चुनौती है जो बुरी तरह से अशांत है।

वहीं संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी ने कहा है कि अफगानिस्तान में गरीबी दर 97–98 प्रतिशत पहुँचने की आशंका है। यह देश सार्वभौमिक गरीबी की कग़ार पर खड़ा है। यदि स्थानीय समुदाय और उनकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाये गये तो अगले साल के मध्य में यह अनुमान हकीकत में बदल सकता है। एजेंसी ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद 20 सालों में हासिल की गई आर्थिक प्रगति जोखिम में पड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के अनुसार अफगानिस्तान की जीड़ीपी में 3.6 से 13.2 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है। '6

वैसे अफगानिस्तान में वर्तमान में काम कर रहा यूनिसेफ अपनी एक रिपोर्ट कहता है कि हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से प्रभावित बच्चों को रोकथाम और प्रतिक्रिया सेवाओं द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और यौन और लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम, शमन और प्रतिक्रिया को मजबूत किया जाएगा। यूनिसेफ उन लड़कों और लड़कियों को लक्षित करके उनकी शिक्षा को भी प्राथमिकता देगा जो स्कूल में और बाहर हैं। ये सब कार्य अफगानिस्तान के पुनः निर्माण में सहायक हो सकते हैं। '7

अफगान समस्या के समाधान का प्रयास वर्तमान भारत सरकार सहित सम्पूर्ण विश्व के लिए अति आवश्यक है चूंकि तालिबान के पहले कार्यकाल में केवल 3 देशों पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने ही इसे मान्यता दी थी, अतः इस बार तालिबान अधिक से अधिक देशों से मान्यता लेने का प्रयास करेगा। इसी क्रम में वो अपनी पूर्व की कट्टरवादी नीति में थोड़ी नरमी भी दिखा सकता है। अतः विश्व के प्रमुख देशों को चाहिए कि वो तालिबान को मान्यता देने में जल्दबाजी न दिखायें। क्योंकि अफगानिस्तान मध्य एशिया में महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति पर है, अतः विभिन्न देशों द्वारा अपने–अपने हितों को ध्यान में रख कर तालिबान को मान्यता देने में जल्दबाजी दिखाई जा सकती है जिसमें चीन एवं पाक प्रमुख हैं परन्तु विश्व की शांति के लिये ये उचित नहीं है। तालिबान को मान्यता न देने से उस पर दबाव बढ़ेगा जिससे वह अफगानिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बनने से कुछ हद तक लगाम लगा सकता है। परन्तु यहाँ यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि अगर यह फिर से आतंकवाद का गढ़ बन जाता है तो यहां तक कि चीन भी इसके साथ खड़े होने से हिचकेगा। वैसे चीन जिसका व्यवहार तालिबान के प्रति बहुत सकरात्मक रहा है; ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अफगानिस्तान की संप्रुभता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान करेगा। इस प्रकार वह तालिबान को मान्यता दे सकता है। वस्तुतः चीन की महत्वपूर्ण परियोजना सिल्क रूट अफगानिस्तान से हो कर गुजरती है। अतः बिना तालिबान के समर्थन के इस परियोजना का क्रियान्वयन सम्भव नहीं है, ऐसे में चीन अपने आर्थिक हित साधने के लिये तालिबान से नजदीकियां बढ़ा रहा है। परंतु चीन के लिए भी एक आतंकवादी देश के साथ नजदीकियां खुले तौर पर दिखाना ज्यादा सम्भव नहीं है, अतः वह तालिबान पर उदार शासन करने का दबाव बना सकता है। परंतु यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अफगानिस्तान पर चीन के बढ़ते प्रभाव को काम करने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को थामने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए सुरक्षा गठबंधन ऑकस (एयूकेयूएस) की घोषणा की है। इससे ये देश अपने साझा हितों की रक्षा कर सकेंगे। '8 इससे चीन पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है जो उसके ऑकस की आलोचना करने से झलकता है।

इस बीच अमेरिकी खुफ़िया एजेंसी सीआईए, ब्रिटिश खुफ़िया एजेंसी एमआई–6 और रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव ने भारत का दौरा कर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से अफगानिस्तान के मौजूदा हालत और संभावित विकल्पों के बारे में चर्चा की है; ऐसे में सम्भावना है कि नई काबुल सरकार के प्रति भविष्य का दृष्टिकोण संयुक्त रूप से निर्धारित किया जाएगा। नई काबुल सरकार ने अपने पहले आदेश में विरोध प्रदर्शन और महिलाओं के खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे वैश्विक चिंता बढ़ी ही है कि तालिबान की नई सरकार पिछली सरकार जैसी अथवा उससे भी बदतर होगी।[9]

जैसा कि पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत शरत सभरवाल कहते हैं कि ''1990 के दशक में जब तालिबान की हुकूमत थी तब की दुनिया और आज की दुनिया में बदलाव आ चुका है। आज दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक आम सहमति है और वे अगर तबाही मचाते हैं तो दुनियाभर के देश उनके खिलाफ कड़ी करवाई करेंगे।''[10]

निष्कर्ष

इस संदर्भ में भारत को चाहिए कि वह तालिबान के प्रति अभी तटस्थता बनाये रखे और वेट एंड वाच नीति का पालन करे क्योंकि अभी आगामी कई वर्षों तक भी तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता से जाने की कोई सम्भावनायें नजर नहीं आ रही हैं। अतः तालिबान का झुकाव पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा न हो और भारत के उत्तर–पश्चिम में चीन, पाक और तालिबान का त्रिगुट भारत के खिलाफ न बनने पाये, इसके लिए भारत को भविष्य में तालिबान से बातचीत के रास्ते खुले रखने चाहिएं क्योंकि विदेश नीति में मित्र का विकल्प हो सकता है परन्तु पड़ोसी का नहीं। अतः ऐसा करके ही भारत; तालिबान पर चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित कर सकता है।

संदर्भ

1. सतीश चन्द्र, मध्यकालीन भारत, ओरिएंट ब्लैकस्वान प्रा0 लि0, नई दिल्ली–2017, पृष्ठ –54
2. वैदिक, डॉ० वेद प्रताप, अफगानिस्तान कल आज और कल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली–2002, पृष्ठ –15
3. अफगानिस्तान स्टडी ग्रुप रिपोर्ट 2021, पृष्ठ 22

4. नजर, नूरखुदाई, बीबीसी रिपोर्ट, 28 सितम्बर 2021
5. अमर उजाला अखबार, मेरठ संस्करण, 10 सितम्बर 2021, अंक–270, पृष्ठ –12
6. हिन्दुस्तान अखबार, मेरठ संस्करण, 11 सिंतम्बर 2021 पृष्ठ –15
7. गुप्ता, सीमा सेन, यूनीसेफ रिपोर्ट ऑन अफगानिस्तान 2021, पृष्ठ –3
8. हिंदुस्तान अखबार, मेरठ संस्करण, 17 सितम्बर 2021, पृष्ठ –10
9. कक्कड़ हर्ष, तालिबान को ब्रिक्स का संदेश, अमर उजाला, मेरठ संस्करण, 11 सितम्बर 2021
10. पुरी अरुण, इंडिया टुडे, नई दिल्ली, अंक 8, सितम्बर 2021, पृष्ठ –32

46

वैदिक कालीन संगीत

डॉ० शालिनी वर्मा
असिस्टैंट प्रोफेसर (संगीत गायन विभाग)
शहीद मंगल पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेरठ

सारांश

वैदिक काल भारतीय संगीत के लिए उत्कृष्ट काल रहा है। इस काल में चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व सामवेद की रचना की गई। ऋग्वेद में प्रकृति व देवताओं की वन्दना से सम्बन्धित श्लोकों की रचना की गई। इन मंत्रों का गायन सामूहिक रुप से किया जाता था तथा साथ में वाद्य यंत्र भी बजाए जाते थे। यजुर्वेद में यज्ञ व यज्ञ से सम्बन्धित क्रिया कलापों व यज्ञ में प्रयुक्त मंत्रों का विवरण दिया गया है। तीसरे वेद अथर्ववेद में शान्ति व रक्षा, गंधर्वों व अप्सराओं से वैवाहिक जीवन सुखमय की प्रार्थना इत्यादि से सम्बन्धित श्लोकों की रचना की गई है। चतुर्थ वेद सामवेद पूर्णतया संगीतमय है। सामवेद में ईश्वर की प्रशंसा तथा उपासना के यन्त्रों को संकलित कर उनका उच्चारण सुर, लय व ताल में किया जाता था। ये सभी कार्य सामूहिक रूप से किये जाते थे। इस प्रकार वैदिक काल की संस्कृति हमें एकजुटता, शुद्धता व अनुशासित आचरण की ओर अग्रसरित करती है।

मुख्य शब्द

ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वाद्य यंत्र।

वैदिक काल में संगीत का उत्कृष्ट स्थान था। वैदिक युग भारत के सांस्कृतिक इतिहास का प्राचीनतम् युग है। भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों का सर्वप्रथम रूप इसी युग के साहित्य और कला में उपलब्ध होता है। ''वैदिक काल की संज्ञा उस काल को दी गई है – ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद जो विश्व के प्राचीनतम् साहित्य के रूप में विख्यात एवं स्वीकृत है।''[1]

''वेद शब्द 'विदा' धातु से बना है। इसका प्रयोग विद सत्तायाम्, विदज्ञाने तथा विद्विचारणे अर्थों में होता है। ये विविध अर्थ अथर्ववेद की बहुविध उपलब्धियों का संकेत देते हैं। हम जिस अर्थ में 'शास्त्र' और 'विज्ञान' शब्द का प्रयोग करते हैं, लगभग उसी अर्थ में 'वेद' शब्द प्रयुक्त होता था। इससे ज्ञान की किसी एक शाखा का बोध नहीं होता बल्कि ज्ञान की प्रक्रिया पर प्रकाश पड़ता है।''[2] उपासना, ज्ञान, धर्मकर्म की व्यवहारिकता से परिपूर्ण वेद वाणी का ही प्रभाव था कि हमारा देश भारत लाखों वर्ष पूर्व भी ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से उन्नत और विकसित था। वेद दिव्य ज्ञान भण्डार को अपने भीतर संजोए हुए तथा नवीन प्रकाश किरण देने में आज भी उतने ही सक्षम हैं जितना वे वैदिक काल में थे।

गायन, वादन और नृत्य इन तीनों विधाओं का विकास वैदिक काल में हुआ। चारों वेदों के अलावा वेदों की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद और शिक्षा ग्रन्थ इत्यादि में भी संगीत कला का प्रचुर मात्रा में उल्लेख मिलता है।

नर व नारियां मिलकर गायन, वादन व नृत्य में सम्मिलित होकर विशेष आयोजनों में प्रतिभाग करते थे। ''वैदिक युग में सार्वजनिक संगीत–आयोजन और प्रतियोगिताओं का एक मनोरंजक रूप 'समन' के नाम से देखने में आता है। यह समन एक प्रकार से संगीतमय मेला था, जहां आमोद, प्रमोद के लिए युवक–युवतियां जाते थे। कुमार और कुमारियां वहां वर की खोज में जाते थे। इस सांगीतिक उत्सव में कुमारियों की सांगीतिक प्रतिभा की जांच होती थी और सफल एवं प्रतिभा सम्पन्न कुमारियों का चयन विवाह के लिये हो जाता था। यह समन आगे चलकर 'समज्जा' के नाम से प्रफुल्लित हुआ।''[3]

ऋग्वेद में संगीत–

ऋक् शब्द ऋच् से उत्पन्न है प्रार्थना करने तथा स्तुति करने के अर्थ में ऋच् धातु का प्रयोग होता है। ऋक् का अभिप्राय है स्तुति ग्रन्थ। ''ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम् ग्रन्थ है। इसमें 1028 सूत्र तथा दस मण्डल हैं।'' भा. सं. वंदना अग पृ.–21 ''इस काल में गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों दृष्टियों का पर्याप्त प्रचलन दृष्टिगोचर होता है। गीत के लिये गीर, गातु, गाथा, गायन्न, गीति तथा साम शब्दों का प्रयोग होता है। ऋग्वेद की रचनाएं स्वरावलियों में निबद्ध होने के कारण 'स्तोत्र' कहलाती थीं।''[4] ऋग्वेद के स्रोत ''प्रकृति व देवताओं की वंदना से सम्बन्धित हैं।''[5] वेदों की रचना और वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिये ऋषि–मुनियों ने श्रुति तथा स्वरों की ध्वनियों जैसे आ... ई.. ओ... आदि में उतार–चढ़ाव होना आवश्यक समझा। अतः तीनों स्वरों की उत्पत्ति हुई–उदात्र, स्वरित, अनुदात्त।

''1. उदात्र का उच्चारण ऊँची ध्वनि में होता है।

2. स्वरित का उच्चारण मध्यम ध्वनि में होता है।

3. अनुदात्त का उच्चारण मन्द ध्वनि में होता है।''[6]

प्राचीन ऋषियों का विश्वास था कि जिस उद्देश्य से मंत्रों का सस्वर पाठ किया जाता है, उससे ''नाद'' का साक्षात्कार आसानी से किया जा सकता है तथा उचित उच्चारण व स्वर से प्रजा व पशुओं को उचित लाभ मिलता है। इसी कारण मंत्रों का गायन विधि–विधान से करना आवश्यक था।

''ऋग्वेद काल में गायन के साथ ही वाद्य का भी पूर्ण विकास मिलता है। तीनों ही प्रकार के वाद्य अवनद्य, तन्तु और सुशीर वाद्य जिसे 'नाण्ठी' कहा जाता था, उनका आविष्कार हो चुका था। अवनद्य वाद्यों में दुंदुभि, आदंवर, भूमि दुंदुभि, वानस्पति; तंतु वाद्यों में कांड वीणा, कर्करी वीणा, वारण्य वीणा और सुशीर वाद्यों में तूणव आदि का उल्लेख आता है। गत काल के समय मंगल वाद्य के रूप में वीणादि वाद्यों का वादन किया जाता था।''[7]

गायन व वादन के साथ–साथ नृत्य का भी ऋग्वेद में पूर्ण अस्तित्व विद्यमान है। ''समय–समय पर नृत्यकला का प्रदर्शन होता था जिसमें स्त्री और पुरूष दोनों भाग लेते थे। ऋग्वेद में नवोदित ऊषा की स्वर्णिम आभा को नृत्यकला कुशल यौवन सम्पन्न नारी के समान माना है।

''अधि पेशासि वणते नृतूरिवा''

लोक नृत्य का प्रचलन भी उस समय था। विवाह आदि अवसरों पर स्त्रियों द्वारा नृत्य करने का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है।''[8]

यजुर्वेद में संगीत–

यजुः या याजुस शब्द यज् धातु से उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य है यज्ञ करना अथवा पूजन करना। इस वेद में यज्ञ के क्रिया–कलापों व यज्ञ में प्रयुक्त मंत्रों का पूर्ण व उत्कृष्ट विवरण है। ''सामगान के बिना यज्ञों का कोई महत्व नहीं होता था। यजुः संहिता में सभी का सम्बन्ध ऋतुओं से भी स्थापित माना है। जैसे– रथन्तर साय का गान बसन्त ऋतु में निहित है, बृहत्साम का ग्रीष्म ऋतु में।''[9]

यजुर्वेद में उन मंत्रों को संकलित किया गया है जिनका गायन यज्ञादि के अवसर पर कर्मकाण्ड हेतु होता था। क्रमशः चार गायक इसमें होते थे जिन्हें होता, अर्ध्वयु, उद्गाता तथा ब्रह्म कहा जाता था। यज्ञ में होने वाले कार्यों का संचालन अर्ध्वयु नामक ऋत्विज के द्वारा किया जाता था। यजुर्वेद में सायगायन का स्थान सर्वोपरि माना जाता था। ''अनेक वाद्यों का उल्लेख भी इसमें आता है, जैसे–वीणा, वाण, तूणव, दुन्दुभि, भूमि दुन्दुभि, शंख तथा तलब आदि। अश्वमेघ आदि यज्ञों में मनोरंजन के लिए गाथा गान तथा वीरगादि वाद्यों का वादन किया जाता था। वीणा के महत्व का गान यजुर्वेद में मिलता है। वीणा राज्यलक्ष्मी का साक्षात अवतार मानी गई थी तथा यजमान की श्री एवं समृद्धि की द्योतिका मानी गयी थी।''[10] इस प्रकार यजुर्वेद काल यज्ञ सम्बन्धी कार्यों के लिए उत्कृष्ट काल माना गया है। उस काल में उच्च कुल की महिलाओं को भी गान तथा वाद्य की शिक्षा दी जाती थी तथा साथ ही निम्न कुल की महिलाओं को भी लोक नृत्य आदि समारोहों पर आमन्त्रित किया जाता था।

अथर्ववेद में संगीत–

''जो मन्त्र यज्ञ अथवा गान के लिए नही हैं, शान्ति, स्वस्त्ययन और रक्षण के लिये हैं उनके संग्रह का नाम अथर्व संहिता है।''[11] यज्ञकर्मों एवम् पितरों की इष्ट पूर्ति व अन्य क्रिया–कलापों में सामगान का स्थान अपरिहार्य था। छन्दासीत्यथर्ववेदः – छन्दासि यह पद अथर्ववेद का वाचक है, इस वेद में कुल 730 सूक्त हैं जिसमें लगभग दो सौ सूक्तों के ऋषि अथर्वा है। शेष सूक्त 124 ऋषियों के योगदान हैं। अथर्वा ऋषि के सूक्तों की प्रधानता के कारण सम्भवतः इस वेद का नाम अथर्व पडा। अतः अथर्व वेद के मंत्र सुख मूलक एवम् मांगल्यप्रद है। अथर्व वेद में आघात, कर्करी, दुन्दुशी वाद्यों का उल्लेख मिलता है। अथर्व वेद में गन्धर्व तथा अप्सराओं का दैवीकरण का भी उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में विवाह की मंगल कामना के लिये गन्धर्वों की प्रार्थना की जाती थी जिससे वे नवविवाहित युगल को कभी बाधा न पहुंचाये।

''अथर्व में वर्णन है कि दुन्दुभि द्वारा शत्रुओं को परास्त किया जा सकता है। दुन्दुभि की गर्जना वीरों के हृदय में पौरूष तथा शत्रुओं के हृदय में आतंक का संचार एक साथ ही करती है। अथर्वकाल में दुन्दुभि लकड़ी से बनाई जाती थी तथा उसके मुख पर चमड़ा चढ़ाया जाता था।''[12]

सामवेद में संगीत–

''जो मन्त्र गाये जाते हैं, वे साम हैं। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का गेय रूप में परवर्ती संग्रह है।''[13]

सामवेद में भारतीय संगीत के अभादि रूप का स्पष्ट दर्शन होता है। सामदेव पूर्णतया गेय व संगीतमय है। भारतीय संगीत का मूल स्रोत सामवेद ही है। ठाकुर जयदेव सिंह जी के अनुसार ''सारा वैदिक साहित्य 'साम' को ही संगीत मानता है और भारत का सारा 'संगीत शास्त्र' 'साम्य' को संगीत का मूल मानता है। संगीत के जितने भी ग्रन्थ हैं सभी सामवेद को ही इस विद्या का मूल मानते हैं।''[14] किसी छन्दोबद्ध रचना को यदि स्वरबद्ध कर दिया जाये तो उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। साम शब्द का मूल अर्थ गान ही है और गाने में साहित्य की आवश्यकता तो सदैव रहती है। अतः काव्य और संगीत के समन्वय से ईश्वरीय आराधना हेतु निर्मित गीत के लिये सामवेद संज्ञा का प्रयोग किया गया। स्वर ही साम का प्रधान अंग है। गान के माध्यम से देवताओं को वशीभूत किया जा सकता है। वेद साहित्य से बहती स्वरधारा ने मनुष्य की उद्दाम

और उदग्र वृत्तियों को कोमल और सुसंस्कृत बनाने का प्रयास किया। वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार ''संगीत के स्वर में सामान्य शब्द की अपेक्षा भारी शक्ति होती है। मनुष्य पर तो संगीत का प्रभाव स्पष्ट ही है परन्तु मनुष्येत्तर प्राणियों पर भी इसका बहुत प्रभाव होता है। संगीत में दो प्रकार की शक्तियां काम करती हैं एक मनुष्य की अपनी आंतरिक शक्ति और दूसरी स्वर की शक्ति। स्वर आंतरिक शक्ति को बाहर फैंकने का एक साधन है तथा मनुष्य की प्रच्छन्न तथा गुहानिहित दिव्य शक्तियों को बाहर प्रकाश में ला देता है।''[15]

इस प्रकार वेदों में भगवान की प्राप्ति में स्वर को बहुत बड़ा साधन बताया गया है। मंत्रों को अगर यूं ही पढ़ लिया जाये तो उनमें वह शक्ति नहीं हैं जो स्वर द्वारा मंत्रों का गान करने पर। वैदिक काल में धर्म और संगीत एक दूसरे के पूरक हो गये थे। कोई भी धार्मिक संस्कार बिना संगीत के पूर्ण नहीं होता था। ऋग्वेद के समय सामगान के केवल तीन स्वर होते थे परन्तु सामवेद की रचना तक सामगान सात स्वरों में होने लगा था। सामगान में गेप छन्द होते थे।

''साम गायन के दो रूप प्रचलित थे–

1. आर्चिक

2. गान संहिता

आर्चिक में ऋग्वेद की ऋचनाओं के बोल थे तथा गान संहिता में केवल गीत के बोल थे। कुशल गायक इनको गायन का रूप देने के लिये थोड़ा परिवर्तित कर सकते थे।''[16]

सामवेद की रचना उपर्युक्त तीनों वेदों के बहुत बाद में हुई मानी जाती है। इस वेद में ईश्वर प्रशंसा तथा उपासना के मंत्रों को संकलित किया गया है। उपासना के मन्त्र अन्य तीन वेदों से लिये गये हैं और कुछ नए भी जोड़े गये हैं। सामवेद के मन्त्रों का उच्चारण सांगीतिक सुर, लय और ताल में किया जाता था। सामवेद के महत्व को बताते हुए श्रीकृष्ण ने भगवत्गीता में कहा है–

''वेदानां सामवेदोऽस्मि''[17]

इस प्रकार भारतीय संगीत में सामगान की प्राचीन संस्कृति ने भी हमें एकजुटता, शुद्ध व अनुशासित आचरण की शिक्षा दी।

मनुष्य को उन्नत और सभ्य बनाना ही वैदिक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग था। वैदिक काल में केवल पुस्तकीय ज्ञान या जीविकोपार्जन को ही शिक्षा का पर्याय नहीं माना गया था, अपितु उस प्रकाश से था जिससे मनुष्य के विविध अंगों का विकास हो सके और वह उच्च जीवन व्यतीत करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति कर सके। वैदिककालीन शिक्षार्थी उच्च स्वर से आयु, प्राण, धन, तेज को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हुए अपने बल का सदुपयोग करने के लिए सस्वर उपासना करते थे। संगीत को समझने की शक्ति सर्वसाधारण में विद्यमान थी। सामान्य लोग भी संगीत आयोजनों में विशेष रस लिया करते थे। उस काल के समाज में गायकों, वादकों एवं नर्तकियों को उच्च स्थान प्राप्त था। संगीतज्ञों को समाज उच्च दृष्टि से देखता था। उनका सामाजिक मान–सम्मान किया जाता था।

वैदिक युग में अनेक ऐसी धार्मिक मण्डलियां भी बन गईं थीं जिनमें संगीत के आध्यात्मिक रूप का भी विकास किया जाता था। वह व्यक्ति सौभाग्यशाली समझा जाता था जो कि संगीत के क्षेत्र में कार्य करता था। कलाकारों का चरित्र बड़ा ही उज्ज़वल और उच्च कोटि का होता था। वे कला की तपस्या बड़े संयम से किया करते थे। भक्ति और संगीत का अटूट सम्बन्ध था। भक्ति या धर्म का समावेश हो जाने के कारण ही भारतीय संगीत पवित्रतम बन गया। उसी का परिणाम है कि भारतीय संगीत आज भी अपने उच्च गौरव की मर्यादा को अक्षुण्ण रख सका है। वैदिक युग में संगीत का जितना सुन्दर रूप हमें प्राप्त होता है उतना हमें भारत के किसी भी युग में प्राप्त नहीं हुआ। पुरूष और नारियों के जीवन पूर्ण संगीतमय थे, उनका जीवन समृद्धि से परिपूर्ण था।

निष्कर्ष

वैदिककालीन लोगों के जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जिसमें संगीत ने प्रवेश न किया हो। देवी–देवताओं को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका संगीतमय स्तुति एवम् प्रार्थना समझी जाती थी। इस प्रकार वैदिक कालीन संगीत का मूल आधार मानव की बुद्धि का परिष्कार कर सुपथ दर्शन करना था क्योंकि अविद्या ही मानव को पतन के गर्त में ले जाकर दुःखों से पीड़ित करती है। अतः इन दुःखों से मुक्ति पाने का उपाय ज्ञानार्जन ही है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है।

संदर्भ

[1] भारतीय संगीत, वन्दना अग्रवाल, पृ0 20

[2] सांस्कृतिक शिक्षा के उद्विकास में संगीत का योगदान, राजश्री पृ0 20, 21

[3] भारतीय संगीत– एक ऐतिहासिक विश्लेषण, डॉ. स्वतंत्र शर्मा, पृ0 13

[4] भारतीय संगीत– एक ऐतिहासिक विश्लेषण, डॉ. स्वतंत्र शर्मा, पृ0 14

[5] भारतीय सभ्यता, संस्कृति एव संगीत, अंजलि मित्तल, पृ0 63

[6] भारतीय संगीत का इतिहास, राम अवतार वीर, पृ0 60

[7] भारतीय संगीत– एक ऐतिहासिक विश्लेषण, डॉ. स्वतंत्र शर्मा, पृ0 14

[8] भारतीय संगीत, वंदना अग्रवाल, पृ0 22, 23

[9] भारतीय संगीत का इतिहास, शरच्चन्द परांजपे, पृ0 29।

[10] भारतीय संगीत– एक ऐतिहासिक विश्लेषण, डॉ. स्वतंत्र शर्मा, पृ0 15

[11] भारतीय संगीत का इतिहास, जयदेव सिंह, पृ0 14

[12] भारतीय संगीत– एक ऐतिहासिक विश्लेशण, डॉ. स्वतंत्र शर्मा, पृ0 16

[13] सामवेद भाष्य–श्री पाद दामोदर सातवलेकर, पृ0 6

[14] भारतीय संगीत का इतिहास, ठाकुर जयदेव सिंह, पृ0 18

[15] संगीत शिक्षा, राजश्री, पृ0 88

[16] भारतीय संगीत– एक ऐतिहासिक विश्लेषण, डॉ. स्वतंत्र शर्मा, पृ0 17

[17] श्रीमद्भागवद्गीता–दशमोऽध्याय, श्लोक–2

47

जीवन में संगीत का प्रभाव

डॉ० प्रतिभा सक्सेना
असिस्टैंट प्रोफेसर (संगीत गायन विभाग)
एस०एस० (पी०जी०) कॉलेज, शाहजहाँपुर

सारांश

साहित्य संगीत कला विहीनः।
साक्षात् पशुः पुच्छ विषाण हीनः।।

जीवन का तात्पर्य मानव जीवन से है, पशु पक्षी जीवन से नहीं और संगीत का तात्पर्य केवल शास्त्रीय संगीत से ही नहीं बल्कि भाव संगीत, चित्रपट संगीत, लोक संगीत से भी है। भारतीय जीवन में कदम–कदम पर संगीत है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संगीत हमारे साथ रहता है। जब बालक इस संसार में जन्म लेता है तो सबसे पहले (रोने के रूप में) संगीत के रूप में अपना आभार प्रकट करता है। और जब मनुष्य अंतिम यात्रा पर जाता है तो राम नाम सत्य है कि महिमा बताई जाती है। कहा जाता है कि जब भाषा का जन्म नहीं हुआ था तो आपस में बातचीत करने का माध्यम संगीत ही हुआ करता था।

मनुष्य एक कलात्मक प्राणी है। कला ही मानव जीवन का आधार है। कलायें अनेक प्रकार की होती हैं। चित्रकला, काव्यकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीतकला; यह ललित कलायें अनेक रूप से मानव पर अपना प्रभाव डालती हैं। संगीत ही एक ऐसी कला है जो इतनी सजीव और प्रेरणात्मक है जो आत्मविभोर कर सकती है। संगीत कला ईश्वर की देन है जो ईश्वर का एक श्रेष्ठ वरदान, प्रकृति की अनुपम देन है और मनुष्य का एक सुन्दरतम् अविष्कार है।

''कला जीवन के लिये है और जीवन कला के लिये।''

हमारे जीवन में संगीत का महत्व अलौकिक है। मेरा मत है कि भौतिक जीवन में संगीत मनोरंजन का उतना बड़ा साधन है जितना आध्यात्मिक जीवन में प्रेरणा का स्त्रोत। संगीत कला हमारी संस्कृति के एकीकरण का अंग है और मानव जीवन संगीत की अभिव्यक्ति का ब्रह्म् स्वरूप है।

मुख्य शब्द

संगीत, कला, संस्कृति, भाव संगीत, चित्रपट संगीत, लोक संगीत, चित्रकला, काव्यकला, मूर्तिकला, वास्तुकला।

जीवन का अर्थ मानव जीवन से है, पशु पक्षी जीवन से नहीं और संगीत से तात्पर्य केवल शास्त्रीय संगीत से नही बल्कि भाव संगीत, लोक संगीत, चित्रपट संगीत आदि से है। भारतीय जीवन में कण–कण में संगीत बसता है। जन्म से मृत्यु तक संगीत ही संगीत विद्यमान है चाहे बालक का जन्म हो या मनुष्य की मृत्यु हर कदम पर संगीत ही व्याप्त है। जब मानव इतिहास में भाषा का जन्म नहीं हुआ था तब संगीत के माध्यम से भावों का आदान–प्रदान किया जाता था।

मानव मन ही संगीत का सृजनहार है। तभी इनमें अटूट सम्बन्ध है। मनुष्य जन्म और संगीत एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुये हैं, वरन् कह सकते हैं कि एक दूसरे के पोषक हैं। संगीत के बिना मानव जीवन नीरस और अधूरा है। कहा जाता है कि मनुष्य एक कलात्मक प्राणी है। कला मनुष्य जीवन के कण–कण में व्याप्त है। मानव जीवन का आधार कला है। यह कई प्रकार की होती है। चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला, वास्तु कला; इनमें संगीत कला का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। संगीत ईश्वर की एक देन है, यह ईश्वर का श्रेष्ठ वरदान है, प्रकृति की अनुपम देन है, मनुष्य का एक सुन्दर आविष्कार है।

''कला जीवन के लिये है और जीवन कला के लिये।'' प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में सद्गुणों, संस्कारों का विशेष महत्व रहा है। घर में पूजन, भजन, मंत्र, होम, हवन आदि से संगीतमय आहूतियाँ दी जाती रही हैं। शंख, घड़ियाल, घंटी, शहनाई, मृदंग, तालियों से परिभाषित किया जाता रहा है। यह सब मानव जीवन के प्रमुख और अभिन्न अंग बन चुके हैं।

भारतीय जीवन में 16 संस्कार माने गये हैं। जैसे नामकरण, कर्णछेदन, मुण्डन, विद्यारम्भ, जनेऊ, विवाह आदि; सब संस्कारों का प्रारम्भ संगीत से ही होता है। ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं है जिसमें संगीत न हो बल्कि संगीत के बिना त्यौहार अधूरा रह जाता है। कोई भी उत्सव छोटा हो

या बड़ा; संगीत आवश्यक माना जाता है; चाहे संगीत प्रार्थना तक ही सीमित क्यों ना हो। दिन भर किसान मेहनत करके शाम को घर आता है; तो वंशी की एक छोटी सी ही धुन दिन भर की थकान को खत्म कर देती है। कह सकते हैं कि मानव जीवन सदा से ही संगीत से अनुप्राणित होता रहा है। मानव जीवन में नाना प्रकार के उत्थान, पतन, हर्ष–विषाद तथा राग–द्वेष आदि द्वन्द्वात्मक भावों का केन्द्र होता है। जहॉ एक ओर जीवन की कठिन परिस्थितियॉ मानव को परेशान करती हैं वहीं दूसरी और संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जो सारी चिन्ताओं को दूर करने में सहायक होता है। अतः कहा जाता है कि मानव जीवन के संगीत एक उपयोगी तत्व है।

समाज को सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बनाने मे संगीत का विशेष हाथ रहता है। मन के विचारों, और भावों को सजीव और साकार रूप देकर उसे अत्यन्त सुन्दर, आकर्षक और मनोरंजक बनाने का एक मात्र कार्य संगीत के माध्यम से किया जाता है। संगीत हृदय और बुद्धि को सन्तुलित रखने में विशेष योगदान करता है। संगीत मानव को दानव बनाने से रोकता है। कहा भी जाता है कि–

साहित्य संगीत कला विहीनः।

साक्षात् पशुः पुच्छ विषाण हीनः।।

अर्थात् जो मनुष्य साहित्य और संगीत कला से सर्वथा अनिभज्ञ होता है, वह बिना सींग और पूँछ के साक्षात् पशु के तुल्य होता है।

जीवन के पल प्रतिपल हर कार्य–कलाप में संगीत की उपादेयता पारिभाषित होती है। जैस–जैसे बालक बढ़ता है वैसे–वैसे ही सांगीतिक प्रेरणा और अभिरूचि भी बढ़ती जाती है। बच्चों को जहॉ–जहॉ 'चंदा मामा दूर के' सुन के खेलने का मन होता है, वहीं 'मेरे लाल सो जा री निंदिया' ऐसे गाने से मीठी नींद आ जाती है, मानव मन संगीत के द्वारा किन–किन भावों, रसों और विचारों मे तल्लीन हो जाता है। संगीत का मानव जीवन पर प्रभाव ढूंढने के लिये संगीत के क्रमिक विकास पर विचार करना आवश्यक है। जब सृष्टि की सारी सभ्यता और संस्कृति अंधकार के गर्त में छिपी थी, मानव और पशु के जीवन में कोई अन्तर नहीं था; उसी समय आश्चर्यचकित कर देने वाले नाद (ध्वनि) ने सारी दुनिया को गुँजायमान कर दिया था। यही अहनद नाद (ध्वनि) संगीत सृष्टि का जन्म दाता है। हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि ग्रन्थों का अस्तित्व इसी अनहद नाद (ध्वनि) पर आधारित है। यह अहनद नाद ईश्वर की वाणी से माना गया है जिसे हमारे आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुँचे ऋषि–मुनियों ने सुना और ग्रहण किया है। विश्व के कण–कण में संगीत परमात्मा के अंश की तरह व्याप्त है। कही पर अभिव्यक्त मौन और कहीं पर मुखर संगीत से अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष चार पदार्थों की प्राप्ति होती है। मानव जीवन में अर्थ का बहुत महत्व है। अर्थ का सम्बद्ध जीवन से और जीवन का सम्बन्ध संगीत से है, जिस प्रकार अर्थ जीवन को चलाता है उसी प्रकार संगीत भी जीवन को अनुप्राणित करता है। अर्थ और संगीत का गहरा सम्बन्ध है। अर्थ के बिना संगीत की और संगीत के बिना अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। शुभ अवसरों पर संगीत का इतना महत्व है कि संगीत के बिना कार्य ऐसा लगता है जैसे मुकुट विहीन सम्राट। विवाह, मुण्डन आदि घरेलू अवसरों पर ब्राह्मण मंगल गाते हैं, स्त्रियां गीत गाती हैं, घर में ढ़ोल, मजीरा, शहनाई वातावरण को पवित्र कर देते हैं। जीवन यात्रा का प्रत्येक चरण संगीत रथ द्वारा अग्रसर होता है और अनंत को प्राप्त करता है। प्रत्येक धर्म, समुदाय के व्यक्ति के जीवन में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारी आत्मा में बसा हुआ है।

वर्तमान समय में समाज में सभ्य और असभ्य, बिना भेदभाव किये जीवन को रसयुक्त बनाने का संगीत एक सशक्त माध्यम है जो व्यक्ति के तन और मन को शारीरिक तथा मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाता है चाहे वह संगीत का कोई भी माध्यम हो चाहे गायन, चाहे नृत्य या वादन। संगीत स्वर, ताल और लय की एक साधना ही नहीं बल्कि यौगिक क्रिया है जिससे शरीर, मन, प्राण; तीनों में शुद्धता आ जाती है तथा चमक आ जाती है।

जीवन में संगीत एक सहेली–सखा के समान व्यक्ति का साथ देता है। भारतीय जीवन और संस्कृति के प्रतीक स्व0 डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद कहते हैं– ''जीवन में संगीत का क्या स्थान है और क्या होना चाहिए, इस बारे में मेरे लिये कहना जरूरी है क्योंकि कम से कम हमारे देश में संगीत का महत्व अलौकिक है। समाज का प्रत्येक वर्ग चाहे वह कोई धर्म, समुदाय से हो व्यक्ति के जीवन में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है; वह किसी की धरोहर नहीं है। वह देश, सम्प्रदाय, धर्म, जाति, काल आदि सबसे पृथक है, सबसे परे व ऊँचा है। वह पृथकता को नहीं एकता को बल देने वाला है। वह स्वयं ही सम्माननीय, लौकिक, आत्मिक, आनन्द अनुभूति का प्रेरक है। उसे स्त्री, पुरूष, छोटे–बड़े, ऊँचे–नीचे किसी से कोई भेदभाव नहीं है वह तो मानव को प्रेम का सन्देश देता है। यह परम अलौकिक, सर्वकालिक, स्थानीय, सार्वभौमिक सत्य है।''

आधुनिक समाज में सभ्य और असभ्य में कोई भेदभाव किये बिना जीवन को रसयुक्त हमारा संगीत ही बनाता है। चाहे शहर हो या गॉव, प्राकृतिक दिनचर्या या दैनिक कार्यों में भी संगीत ही एक प्रमुख तत्व है। आश्चर्य इस बात का है कि जीवन में कृत्रिमता और संगीत में स्वाभाविकता के बाद भी दोनों में कितना मधुर सम्बन्ध दिखाई पड़ता है। संगीत केवल भौतिक सुख नहीं है बल्कि एक ऐसा चिरस्थाई आनन्द है जिससे हमें आत्म सुख की प्राप्ति होती है। संगीत को भक्ति का भी प्रमुख अंग माना गया है। जितने भी अच्छे भक्त हुये सभी संगीत के ज्ञाता और साधक थे।

मेरा मत है कि भौतिक जीवन में संगीत मनोरंजन का उतना बड़ा साधन है जितना आध्यात्मिक जीवन में प्रेरणा का स्रोत।

निष्कर्ष

जीवन का तात्पर्य मानव जीवन से है, पशु पक्षी जीवन से नहीं और संगीत का तात्पर्य केवल शास्त्रीय संगीत से नहीं बल्कि संगीत की अनेक विधाओं से है। चाहे वो भाव संगीत या लोक संगीत या चित्रपट संगीत हो; भारतीय जीवन में कण–कण में संगीत व्याप्त है। कहा जाता है कि मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक संगीत हमारे साथ चलता है। साहित्य, संगीत और कला के बिना मनुष्य पशु के समान है। मनुष्य एक कलात्मक प्राणी है; कला ही मानव जीवन का मूल आधार है। कला अनेक प्रकार की होती हैं जिनमें संगीत कला एक ईश्वरीय देन है और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। मानव जीवन संगीत के बिना अधूरा है।

अन्त में हम यही कह सकते हैं कि मानव मन संगीत का सृजन हार है। मानव मन और संगीत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। संगीत और मानव एक दूसरे के पूरक ही नहीं वरन् एक दूसरे के पोषक भी हैं।

भारत वर्ष की सभी सभ्यताओं में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती है चाहे धार्मिक परम्परा हो या सामाजिक संगीत; इसका अपना एक अलग स्थान है। जीवन को खुश रखने के लिये संगीत से बढ़कर कुछ भी नहीं। यह एक योग का साधन है। सांसों पर नियन्त्रण संगीत के माध्यम से ही रखा जाता है। संगीत मानव जाति के लिये भगवान के द्वारा एक ईश्वरीय वरदान है। संगीत का प्रारम्भ वेदों के समय के पूर्व रहा है। संगीत को वेदों का मूल स्रोत माना गया है। संगीत के द्वारा काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संगीत साधन का चरम लक्ष्य है। मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन संगीत है। आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से संगीत साधन मुक्त हो जाता है। संगीत भक्ति का भी अभिन्न अंग रहा है। भारत का कौन सा व्यक्ति होगा जिसने सूर, तुलसी, मीरा का नाम ना सुना हो। इनके प्रत्येक पद में ऐसा भाव है कि मानव मन आत्म–विभोर हो जाता है।

संदर्भ

1. राग परिचय भाग–1, हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, पृ.–171
2. संगीत निबन्ध माला, पं0 जगदीश नारायण पाठक, पृ.–19
3. संगीत निबन्ध संग्रह, प्रो0 हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, पृ.–94
4. hindikiduniya.com
5. भारतीय संगीत विकिपीडिया
6. https://www.jagran.com
7. राग परिचय भाग–1, हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, पृ.–172
8. संगीत निबन्ध संग्रह, प्रो0 हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, पृ.–95
9. संगीत निबन्ध माला, पं0 जगदीश नारायण पाठक, पृ.–20,21

48

राष्ट्रभाषा हिन्दी की वैश्विक उपस्थिति

डॉ० परमजीत कौर
एसोसिऐट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग)
बरेली कॉलेज, बरेली

सारांश

हिन्दी हमारी भाषा ही नहीं है, वरन् वह कला, संगीत एवं ज्ञान का भी मूर्तिमान रूप है। वह राष्ट्र की जीवन–शैली तथा संस्कृति की भी संरक्षिका है। हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत राष्ट्र की प्रथम संवैधानिक राजभाषा है। भारत के अतिरिक्त यह विदेशों में भी दूसरी सबसे अधिक बोली तथा समझी जाने वाली भाषा है। यह राष्ट्रभाषा हिन्दी का सौभाग्य रहा है कि उसे भारत के अहिन्दीभाषी विद्वानों के अतिरिक्त अनेक देशों के विद्वानों ने अध्ययन, अनुसंधान, अनुवाद तथा साहित्य सृजन द्वारा समृद्ध किया । विश्व में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में साहित्य के साथ–साथ सिनेमा की भी बड़ी भूमिका रही है। हिन्दी फिल्मों के प्रति रूस से लेकर खाड़ी देशों, अफ्रीका से लेकर दक्षिण–पूर्व एशिया, यूरोप में भी अभूतपूर्व आकर्षण भाव है। विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनियॉ, हिन्दी का महत्व जानकर अपने राष्ट्रों में हिन्दी का ज्ञान करा रही हैं। एक वैज्ञानिक भाषा होने के कारण हिन्दी ने, कम्प्यूटर की श्रेष्ठ भाषा के रूप में अंग्रेजी के वर्चस्व का अन्त कर डाला है। वैश्विक बाजार तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हिन्दी को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप हमारी हिन्दी आज अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकलकर नवीन प्रौद्योगिकी, वैश्विक–विपणन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की अर्थात् विकास की भाषा बन गई है।

मुख्य शब्द

जीवन–शैली, संस्कृति, नवीन प्रौद्योगिकी, वैश्विक–विपणन, संवैधानिक, राजभाषा।

महान कवि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने लिखा है–

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल।।"

हिन्दी उदार चरित भाषा है और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना इसे विरासत में मिली है। देश की वेशभूषा, रहन–सहन, खेती–बाड़ी, रीति–रिवाज, गीत–संगीत, भाईचारा, रिश्ते–नाते, सुख–दुःख और आपसी मेलजोल की भाषा होने के साथ यह देश में ज्ञान–विज्ञान के लिए वातायन खोलने वाली भाषा है। राष्ट्र के कला, संगीत एवं ज्ञान की मूर्तिमान भाषा हिन्दी, सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा है तथा देश की सांस्कृतिक तथा जीवन शैली की संरक्षिका भी है। यह भाषा कच्छ से कोहिमा तक तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी न किसी रूप में पढ़ी, बोली तथा समझी जाने वाली भाषा है। यह स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के स्वप्न तथा आत्मसम्मान की भाषा है। यह गोपाल स्वामी आयंगर, कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी, स्वामी दयानन्द सरस्वती, गॉधीजी, सरदार पटेल, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, रवीन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद सहित उन तमाम मनीषियों की भाषा है, जिन्होनें स्वतन्त्रता के लिए ताने–बाने बुने एवं हॅसते–हॅसते अपने प्राणों की आहुति दे दी।

स्वतन्त्रता के पश्चात् इसे संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा इसके राष्ट्रव्यापी विस्तार एवं इसके सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया। हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा है तथा साथ ही देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली एवं समझी जाने वाली भाषा है। भारत के अतिरिक्त फिजी, मॉरीशस, गुयाना, सूरीनाम एवं नेपाल की जनता भी हिन्दी अच्छी तरह बोलती तथा समझती है। सम्पूर्ण विश्व में लगभग 800 मिलियन लोगों द्वारा हिन्दी बोली जाती है। यह भारत की आधिकारिक भाषा है जो कि जनसंख्या के आधार पर विश्व में द्वितीय स्थान पर है।

10वीं सदी से लेकर आज तक की हिन्दी ने अपनी लम्बी यात्रा में अनेक उतार–चढ़ाव देखा। हमारी हिन्दी का सौभाग्य रहा है कि उसे भारत के अहिंदीभाषी विद्वानों के अतिरिक्त अनेक देशों के विद्वानों ने अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, अनुवाद तथा साहित्य सृजन द्वारा समृद्ध किया। समय–समय पर अनेक विदेशी विद्वान हिन्दी से भावनात्मक रूप से जुड़ते गये। हिन्दी के प्रचार–प्रसार में इन विदेशी लेखकों की भूमिका सराहनीय

रही। इन विदेशी विद्वानों ने हिन्दी के विविध पक्षों पर कार्य किया है। हिन्दी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में जोसेफ, हेलियोडोर, गार्सा द तासी, डॉ0 जार्ज अब्राहम गियर्सन, ग्रीफ्स, हिन्दी व्याकरण के क्षेत्र में जॉन जोशुआ केटलेयर, पीत्रो, फादर हैनरिक, कोश निर्माण के क्षेत्र में फादर फ्रांसिस्क, जे. फर्गुसन, तुलसी साहित्य के समीक्षक एवं अनुवादक के रूप में एच. एस. विल्सन, गॉर्सा द तासी, डॉ. जे. एन. कारपेन्टर, डा. जे. एम. मेकफाइन, प्रोफेसर अ. प. वरान्निकोव, डब्लू डगलस पी. हिल, ए. जी. एटकिन्स आदि विद्वानों की लम्बी श्रृंखला रही है। बैल्जियम के हिन्दी प्रेमी विद्वान फादर कामिल बुल्के ने अपना सम्पूर्ण जीवन हिन्दी की सेवा में व्यतीत कर दिया। भारत की स्वाधीनता के उपरान्त विदेशों के साथ भारत के राजनैतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के सुदृढ़ होने के कारण भी हिन्दी को विश्व धरातल एवं विश्व आयाम प्राप्त हुआ है। हिन्दी साहित्य से पूर्व विदेशों में मात्र संस्कृत साहित्य के प्रति बुद्धिजीवियों एवं विद्वानों में अनुराग था किन्तु अब हिन्दी का प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य भी अपनी भावलोक, रचना लालित्य एवं मानवतावादी मूल्यों के सशक्त आकर्षण से उन्हें अधिकाधिक प्रभावित कर रहा है। अनुवाद उन्हें मूल साहित्य के आनन्द का आभास कराता है।

भिन्न–भिन्न देशों के विद्वानों ने भारत के प्राचीन ज्ञान भण्डार का विधिवत् अध्ययन करने के लिए संस्कृत के साथ–साथ हिन्दी को भी विशेष महत्व दिया। यथा जर्मनी तथा रूस में भाषा विज्ञानी इन्डोलोजी यानी हिन्दी भाषा के माध्यम से भारत के प्राचीन ज्ञान का अध्ययन करते हैं। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी फिन थीसन तो हिन्दी से इतने प्रभावित हुए कि बनारस पहुंचकर उन्होंने अपना उपनाम 'प्रेमचन्द' रख लिया। लन्दन विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉ. रूपर्ट स्नेल बच्चन जी की आत्मकथा के अंग्रेजी अनुवाद के कारण चर्चा में आए। उन्नीसवीं तथा बीसवीं सदी के हिन्दी साहित्य पर महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखने वाले न्यूजीलैण्ड के रोनाल्ड स्टुअर्ट मेकग्रेगर 'विश्व हिन्दी पुरस्कार' से सम्मानित हुए। वरान्निकोव के शिष्य ई. पी. चेलिशेव ने हिन्दी कविता पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक ''परम्परा तथा नवीन शैली'' लिखी तथा इन्होंने ही हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने का समर्थन भी किया। भारतीय संस्कृति के पक्षधर चेक गणराज्य के विद्वान ओदोलन स्मेकल ने हिन्दी में ही श्रेष्ठ काव्य रचना की। उन्हें इसके लिये 'सर जार्ज ग्रियर्सन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। वर्तमान में रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इटली, पोलेण्ड, चेक, जापान, हंगरी, हालैण्ड, उज्बेकिस्तान, नीदरलैण्ड, स्वीडन, रोमानिया, डेनमार्क, श्रीलंका, वर्मा, फिजी, मारीशस, नेपाल आदि देशों में हिन्दी का अध्ययन अध्यापन, शोध, अनुवाद, साहित्य–सृजन एवं पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है।

विश्व में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में साहित्य के साथ–साथ सिनेमा की भी बड़ी भूमिका रही है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विदेशों में बसे भारतवंशी ही हिन्दी फिल्मों को देखने के लिये लालायित नहीं रहते वरन् विदेशी भी हिन्दी फिल्मों के प्रति आकर्षण का अनुभव करते हैं। हिन्दी फिल्मों के प्रति रूस से लेकर खाड़ी के देशों, अफ्रीका से लेकर दक्षिण–पूर्व एशियाई समेत तमाम अन्य देशों में भी अभूतपूर्व आकर्षण का भाव है। एक दौर में राजकपूर की 'आवारा' से लेकर 'श्री 420' तथा 'मेरा नाम जोकर' समेत तमाम फिल्मों को देखने के लिये, समझने के लिए ही रूसवासियों ने हिन्दी ज्ञान के प्रति रूचि दिखाई थी।

जापान में बौद्ध धर्म के विषय में पर्याप्त साहित्यिक–सांस्कृतिक ज्ञान लेने के निमित्त हिन्दी भाषा के ज्ञान पर बल दिया गया था लेकिन अब लोकप्रिय तथा श्रेष्ठ हिन्दी फिल्मों का प्रदर्शन कर, वहां हिन्दी सिखायी जाती हैं। 'एक था टाइगर', 'पी0के0', 'धूम–2', 'थ्री इडियट्स', 'इंग्लिश–विंग्लिश', 'बाहुबली', 'दंगल' जैसी हिन्दी फिल्मों को जापान तथा चीन में अपार लोकप्रियता मिली है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, शाहरूख खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा आज विश्व पटल पर लोकप्रिय हिन्दी सितारे हैं जिनकी फिल्में विदेशों में पर्याप्त सराही गई हैं। हिन्दी फिल्मी गीतों ने अपने भाव सौन्दर्य तथा माधुर्य के कारण समूचे विश्व में सराहना की प्राप्त की है तथा हिन्दी को वैश्विक भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हिन्दी मात्र साहित्य तथा सिनेमा की ही भाषा नहीं है वरन् वैश्वीकरण के इस दौर में यह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भी भाषा बन बैठी है। वित्त तथा कारोबार के क्षेत्र में भी हिन्दी की जड़ें मजबूत हुई हैं। पहले हम विज्ञान–प्रौद्योगिकी तथा वित्त–कारोबार के क्षेत्र में सोचते थे कि अंग्रेजी का कोई विकल्प नहीं है किन्तु आज वह स्थिति नहीं है। इसे राजभाषा हिन्दी का इच्छित विकास कहा जा सकता है। वैश्विक परिदृश्य में भी हिन्दी अधिक सम्प्रेषणीय बनी है। राजभाषा को सुगम बनाने के निमित्त प्रौद्योगिकी औजार बनाये गये हैं। आज हिन्दी के अनुवाद कार्य को सुगम बनाने के लिए इतने ज्यादा साफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिनके जरिये हिन्दी का केवल प्रयोग ही नहीं किया जा रहा वरन् आज कम्प्यूटर की श्रेष्ठ भाषा के रूप में हिन्दी ने अंग्रेजी वर्चस्व का अन्त कर डाला है। आज विश्व परिदृश्य में भी हिन्दी इन्टरनेट के प्रयोग में हिन्दी जानने समझने वालों की संख्या अन्य देशी–विदेशी भाषाओं की तुलना में सर्वाधिक तेजी से बढ़ी है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति यदि सही दिशा में हो तो उस देश की मुख्य भाषा की अनदेखी विश्व पटल पर करना दुष्कर हो जाता है। तात्पर्य यह है कि देश के विकास के साथ उसकी राष्ट्रभाषा भी स्वीकार्य महत्ता प्राप्त करती है। विकास यदि प्रौद्योगिकी क्षेत्र का हो, तो उसमें राष्ट्रभाषा का प्रवेश होता है। विकास यदि व्यवसाय के क्षेत्र का है तो भी ग्लोबल ट्रेंड में भाषा प्रवेश कर जाती है। पूंजी निवेश के अनुपात में भी भाषा के उपयोग का अनुपात बढ़ता है। इस सन्दर्भ में हिन्दी विशेष रूप से भाग्यशाली है क्योंकि आज भारत की अर्थव्यवस्था सर्वाधिक तीव्र गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। वैश्विक बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका के साथ–साथ हिन्दी का दायरा भी बढ़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में हिन्दी अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकलकर नवीन प्रौद्योगिकी, वैश्विक विपणन तन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की भाषा बन गई है। यह विकास की भाषा भी बन रही है। इस प्रक्रिया को यदि हम उम्दा तरीके से रचनात्मक बनाएं, तो विश्वभाषा के रूप में हम इसे विश्व मंच पर और भी अधिक श्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

हिन्दी को विश्व मंच पर और भी अधिक ढंग से प्रस्तुत करने के निमित्त ही विश्व हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इस सम्मेलन में विश्व भर से हिन्दी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ तथा हिन्दी प्रेमी जुटते हैं। यह सम्मेलन प्रति चार वर्ष पर आयोजित होता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजभाषा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, समय–समय पर हिन्दी की विकास यात्रा का आकलन करने, लेखन एवं पठन दोनों ही स्तरों पर हिन्दी साहित्य के प्रति सरोकारों को और भी दृढ़ करने, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने तथा हिन्दी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण रिश्तों को और अधिक गहराई एवं मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 1975 में विश्व हिन्दी सम्मेलनों की श्रृंखला आरम्भ हुई। प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन 10–14 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ था। तत्पश्चात् क्रमवार 28–30 अगस्त 1976 को मॉरीशस, 28–30 अक्टूबर 1983 को नई दिल्ली (भारत), 2–4 दिसम्बर 1993 को पोर्ट लुई (मॉरीशस), 4–8 अप्रैल 1996 (त्रिनिडाड–टोबेगो),14–18 दिसम्बर 1999 को लंदन, 5–9 जून 2003 पारामिबो (सूरीनाम), 13–15 जुलाई 2007 को न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका), 22–24 सितम्बर 2012 को जोहानसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) तथा 10वां विश्व हिन्दी सम्मेलन 10–12 सितम्बर 2015 को भोपाल (भारत) में आयोजित हुआ। 10वें सम्मेलन का मुख्य कथ्य था– 'हिन्दी जगत विस्तार एवं सम्भावनाएं'।

ग्यारहवां विश्व हिन्दी सम्मेलन अगस्त 2018 में मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ''हिन्दी विश्व तथा भारतीय संस्कृति'' था। कोई भाषा छोटी या बड़ी नहीं होती बल्कि समाज, देश या विश्व में उसका प्रयोग ही उसे छोटा या बड़ा बनाता है। डॉ0 जयंती प्रसाद नौटियाल के अनुसार–''हिन्दी जानने वालों की संख्या अब एक अरब, दस करोड़ तीस लाख है।'' आज के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी को सबसे अधिक पढ़ी–बोली जाने वाली भाषा के रूप में दूसरा क्रम दिया गया है। आज जिस तरह से भारत विश्व पटल पर एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसे देखते हुए भविष्य में हमारी हिन्दी भाषा के लिये असीम संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तकनीक, व्यापार, कम्प्यूटर रोजगार, शिक्षा, टूरिज्म, प्रबंधन, एविऐशन आदि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें आने वाले समय के दृष्टिकोण से हिन्दी का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। भारत देश की विभिन्न स्तर की प्रतिभाएं नौकरी, व्यवसाय के कारण भूमंडल के कोने–कोने में अपने नीड़ का निर्माण कर रही हैं। जो भारतीय विदेशों में जा रहे हैं वे हिंदी को भी अपने साथ ले जा रहे हैं तथा जो काफी पहले से विदेशों में बस कर विदेशी हो गए हैं, उन्हें हिन्दी की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस प्रकार पूरे वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी का प्रसार हो रहा है और इसके भविष्य में भी जारी रहने की प्रबल संभावना है। (धरती से 36000 फीट से भी अधिक ऊँचाई पर हिंदी की कमी का अनुभव होने लगा है तथा विदेशी वायुसेवा कंपनियाँ, विशेषकर यूरोप की कम्पनियाँ हिंदी को अपनी आवश्यकता बता रही हैं। आस्ट्रियन एयरलाइन्स, स्विस एयरलाइन्स, एयर फ्रान्स आदि के अनुसार भारतीय यात्रियों की लगातार हो रही वृद्धि को दृष्टिगत करते हुए उन्हें भारत की अपनी प्रत्येक उड़ान में कम से कम ऐसे दो क्रू की आवश्यकता महसूस हो रही है जो हिंदी बोलना जानते हों। भूमंडल में भारत देश की उभरती आर्थिक शक्तियॉ हिंदी भाषा के द्वारा भी मुखरित हो रही हैं। वैश्विकरण के इस दौर में भारत एक अच्छा उपभोक्ता है, तो फिर उस बाजार की भाषा जाने बिना विक्रेता का लाभ कैसे संभव है! प्रमाण यह है कि विश्व के लगभग एक सौ पचास विश्वविद्यालयों में हिन्दी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। आज के संदर्भ में विश्व का सबसे तरूण मानव संसाधन होने के कारण भारतीय पेशेवरों की तमाम देशों में लगातार मांग बढ़ रही है। जाहिर है कि जब भारतीय पेशेवर भारी तादाद में दूसरे देशों में जाकर उत्पादन के स्रोत बनेगें तथा वहाँ की व्यवस्था परिचालन का सशक्त पहिया बनेगें तब उनके साथ हिंदी भी जाएगी। ऐसी स्थिति में जहाँ भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में होगा वहाँ हिंदी स्वतः विश्व मंच पर प्रभावी भूमिका का वहन करेगी। इस तरह यह माना जा सकता है कि हिंदी आज जिस दायित्व बोध को लेकर संकल्पित है वह निकट भविष्य में उसे और भी बड़ी भूमिका का निर्वाह करने का अवसर प्रदान करेगा। हिंदी जिस गति तथा आंतरिक ऊर्जा के साथ अग्रसर है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि वह शीघ्र ही दुनिया की सबसे ज्यादा बोली व समझी जाने वाली भाषा बन जाएगी। यदि निकट भविष्य में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्मित होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिक ढंग से विस्तार करते हुए भारत को स्थायी प्रतिनिधित्व मिलता है तो वह यथाशीघ्र इस शीर्ष विश्व संस्था की भाषा बन जाएगी। मास्को विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के तहत जनता की समस्याओं का अध्ययन करने वाले केन्द्र के एक विशेषज्ञ रूस की विज्ञान अकादमी के भूविज्ञान संस्थान के कर्मी रूस्लान दिमीत्रियेव मानते हैं कि भविष्य में हिन्दी बोलने वालों की संख्या इस हद तक बढ़ सकती है कि हिन्दी दुनिया की एक सबसे लोकप्रिय भाषा हो जायेगी।

निष्कर्ष

हिंदी विश्व भाषा बनने की दिशा में उत्तरोत्तर अग्रसर है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तथा हिन्दी के महान कवि अटल बिहारी वाजपेयी, संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा को हिन्दी भाषा में संबोधित करने की नींव डाल चुके हैं और उस परंपरा को आगे बढाने का काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब भारत के साथ विश्व के अन्य प्रभावशाली देशों के प्रभाव से संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में हिन्दी भाषा जुड़ जाऐगी और भारत के अलावा विश्व के अन्य देश भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में अपने विचार व्यक्त कर सकेगें तथा सदन की कार्यवाही को हिन्दी में सुन सकेगें। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हिन्दी निकट भविष्य में विश्व की सबसे सशक्त भाषा बनकर उभरेगी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं होगी।

संदर्भ

1. 'विश्व में हिंदी,' हरिबाबू कंसल, सुधांशु प्रकाशन, नई दिल्ली
2. 'गंगनाचंल,' भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, नई दिल्ली
3. 'कामकाजी हिन्दी भूमण्डीकरण के दौर में' देशबन्धु राजेश, भावना प्रकाशन, दिल्ली 2006
4. 'राजभाषा हिन्दी का संवर्धन : वृहत्तर परिप्रेक्ष्य,' प्रभात रंजन
5. 'हिंदी की विश्व व्याप्ति', डॉ0 जोगेन्द्र सिंह, अनंग प्रकाशन, दिल्ली, 2006
6. 'विदेशी विद्वानों का हिन्दी प्रेम' जगदीश प्रसाद बरनवाल 'कुन्द', मेधा प्रकाशन, दिल्ली 2005
7. 'हिन्दी के यूरोपियन विद्वान : व्यक्तित्व तथा कृतित्व,', डॉ0 मुरलीधर श्रीवास्तव, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना 2000
8. 'हिन्दी जगत : विस्तार तथा सम्भावनाएं', प्रमोद कु0 कौशिक 2019
9. 'विश्व बाजार में हिन्दी', सम्पादन– महीपाल सिंह, देवेन्द्र मिश्र

49

हिन्दी भाषा एवं साहित्य का उन्नयन : एक विमर्श

डॉ० कंचन सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा (हिन्दी विभाग)

दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद (उ०प्र०)

सारांश

संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो अपरिवर्तनशील हो, सिवाय स्वयं परिवर्तन के। कोई भी भाषा अकस्मात् अस्तित्व में नहीं आती। आम जनमानस की भाषा निरंतर बदलती रहती है। वैसे भी हमारे समाज में एक कहावत प्रसिद्ध है – ''कोस–कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी।'' हम देखते हैं कि संस्कृत व हिंदी के मध्य कई भाषाएं इसी बदलाव के फलस्वरुप अस्तित्व में आईं। संस्कृत (वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत), पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, हिंदी। लगभग इन सभी भाषाओं में साहित्य सृजन हुआ। जो भाषा जितनी परिष्कृत, परिमार्जित, सहज, सरल, बोधगम्य व दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने में सक्षम होगी, वही अपने साहित्य के विकास से भाषा के उन्नयन में समर्थ हो पायेगी। भाषा साहित्य सृजन द्वारा अपने समाज को प्रतिबिंबित कर उनका मार्गदर्शन करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साहित्य भाषा को निरंतर परिवर्तन से संरक्षित कर स्तंभित करता है और परिवर्तन भाषा का स्वाभाविक स्वरुप है। यदि भाषा में अन्य भाषा की भावनाओं को आत्मसात करने की प्रवृत्ति होगी तभी वह भाषा विकसित हो समुन्नत हो पायेगी और उसमें रचे गये साहित्य समाज का निरंतर मार्गदर्शन करते रहेंगें। हिंदी की लिपि देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है। अपनी सहज बोधगम्यता व ग्रहणशीलता के कारण ही हिंदी व उसमें रचा साहित्य निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है, पर यह पूर्ण विकसित तभी हो पायेगी जब हम संकुचित मानदंडों को त्याग कर हिंदी के उन्नयन के लिए सार्थक प्रयास करें व इसके शब्द भंडार पर विशेष कार्य कर इसे विस्तृत व समुन्नत बनाएं।

मुख्य शब्द

भाषा, साहित्य सृजन, बोधगम्यता, ग्रहणशीलता, शब्द भंडार।

भाषा मानव मन के रंगमंच पर उद्भूत भावाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। 'भाश' धातु से व्युत्पन्न 'भाषा' शब्द का सामान्य अर्थ है–कहना या बोलना। ध्वन्यात्मक शब्दों एवं वाक्यों का वह समूह जिनके माध्यम से हम अपने मनोभावों को दूसरों तक संप्रेषित कर सकें; वह भाषा है। वस्तुतः भाषा भाव संप्रेशण के अतिरिक्त अपने समाज के सभ्यता एवं संस्कृति, राष्ट्र की गरिमा व उसकी ऊर्जा को भी अभिव्यक्त करती है और इसे वर्तमान से भविष्य तक ले जाने का कार्य भी करती है। ''अथर्ववेद'' में कहा गया है कि ''सम्पूर्ण ब्रह्मांड वाक्तत्व से परिपूर्ण है, वही विश्व का रूप है सर्वरूप है और ब्रह्मरूप है।''[1] ''मनुष्य के निजी जीवन में खुराक पानी तथा हवा का जो स्थान है वही स्थान मनुष्य के सामाजिक जीवन में भाषा का है।''[2] भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी ग्रहणशीलता है। जिस भाषा में अपने संपर्क में आने वाली अन्य भाषाओं एवं संस्कृतियों को आत्मसात करने की क्षमता होती है, वही अपने राष्ट्र को समुन्नत बनाने में समर्थ होती है। हिंदी भाषा में वे सभी तत्व विद्यमान हैं जो अपने देश व समाज को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने में समर्थ हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितम्बर सन् 1949 को सर्वसम्मति से प्राप्त हुआ और यह प्रावधान किया गया कि जब तक हिन्दी राजभाषा के रूप में पूरी तरह व्यवहरित नहीं होती तब तक अंग्रेजी में भी काम–काज होता रहेगा। सन् 1950 में संविधान लागू होते समय यह समय–सीमा मात्र पंद्रह वर्षों के लिए थी किन्तु आगे चलकर संविधान संशोधन द्वारा ये समय सीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी गई। हिन्दी भारत के विस्तृत भू–भाग पर बोली व समझी जाती है। अपनी सरल सुबोधता व ग्रहणशीलता के कारण ही स्वाधीनता आन्दोलन के समय यह देश की संपर्क एवं राष्ट्रभाषा बनी। हिंदी भाषा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए सुभाष चन्द्र बोस ने कहा था– ''देश की एकता के लिए एक भाषा का होना जितना आश्यक है, उससे अधिक आवश्यक है, देशभर के लोगों में देश के प्रति विशुद्ध प्रेम तथा अपनापन होना। अगर आज हिन्दी मान ली गई है तो वह अपनी सरलता, व्यापकता और क्षमता के कारण वह किसी प्रांत विशेष की भाषा नहीं बल्कि सारे देश की भाषा हो सकती है।'' यहां बालगंगाधर तिलक के विचार भी समयोचित हैं – ''राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से बलवती कोई तत्व नहीं। अपनी भाषा के प्रति प्रेम व गौरव की भावना न हो तो देश की अस्मिता खतरे में पड़ सकती है। भाषायी स्वाभिमान केवल भावना एवं आत्मसंतोष का विषय नहीं है, उसके लिए कर्तव्यबोध व व्यवहार की भी आवश्यकता है।''[3]

''किसी भाषा की उत्पत्ति तिथि निश्चित करना कठिन ही नहीं, प्रायः असंभव है, क्योंकि प्रत्येक नवोदित भाषा अपनी पूर्ववर्ती भाषा की कोख में बहुत दिनों तक पलने के बाद, पर्याप्त विकसित हो जाने पर प्रकाश में आती है। इसलिए उसके उद्‌भव काल का निर्धारण करने में सौ दो सौ वर्षों का हेर–फेर हो जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हिन्दी के उद्‌भव के संबंध में भी यही सत्य है।''[4] हिन्दी भाषा का उद्‌भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से संवत् 1050 से संवत् 1375 तक के समय को आदिकाल नाम दिया। इस काल में संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश अवहटट्, पुरानी हिन्दी, नई हिन्दी क्रमशः साहित्य की भाषाएं थीं। छठी शताब्दी में महर्षि पाणिनी द्वारा ''अष्टाध्यायी'' की रचना कर संस्कृत को व्याकरणबद्ध कर दिया गया, फलस्वरूप संस्कृत भाषा इतनी दुरूह हो गई कि इसका विकास व विस्तार अवरूद्ध हो गया। बारहवीं शताब्दी में आचार्य हेमचन्द्र ने ''शब्दानुशासनम्'' की रचना कर अपभ्रंश के व्याकरण की व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत की। इससे निश्चित हो जाता है कि उस समय तक अपभ्रंश जन भाषा से अलग हो साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पालि, प्राकृत अपभ्रंश धर्म प्रसार की भाषा थी और संस्कृत उच्च राजवर्ग की। इस समय भारत में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं थीं। इसके अतिरिक तुर्की, फारसी, अरबी भाषा का भी प्रवेश हो चुका था। हिन्दी भाषा इन सभी के सम्मिलित रूप से बनी थी, फलस्वरूप इसकी शब्द संपदा अधिक संपन्न हो गई, इसीलिए यह आगे चलकर साहित्य की भाषा बनी।

नाथ पंथी साहित्य में काव्य सौन्दर्य तो नहीं परिलक्षित होता पर इनकी उलटबासियां, व्यंग्योक्तियां, रूपक प्रयुक्त उपमाएं, श्रृंगार रस इत्यादि; साहित्य व भाषा दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। लौकिक साहित्य के अन्तर्गत रासो ग्रन्थ, आमीर खुसरो की पहेलियां व मुकरियां, विद्यापति पदावली इत्यादि का साहित्यिक प्रभाव बाद के कालों की रचनाओं पर पड़ा। भाव, भाषा, छन्द, रस, अलंकार इत्यादि को परवर्ती कवियों ने अपनी रचनाओं में ग्रहण किया। हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने 1500 से 1800 ई0 तक का समय मध्यकाल स्वीकृत किया है एवं 1800 से अब तक के समय को आधुनिक काल माना है। ''भक्ति द्राविणी उपजी लाए रामानन्द''– तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भक्तिभावना की धारा लोगों में तीव्रता से फैलने लगी थी। इस काल में अभूतपूर्व ग्रथों का प्रणयन हुआ। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी जैसे महान रचनाकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तुलसीकृत ''रामचरितमानस'' जैसी कलजयी रचना हमें मिली जो वर्तमान समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तत्कालीन समय में थी।

जैसा कि कहा गया है ''साहित्य समाज का दर्पण है'', समाज में परिवर्तन के साथ–साथ साहित्य में भी परिवर्तन होने लगता है। रीतिकाल में घोर श्रृंगारिक साहित्य लिखे जाने लगे। भक्तिकाल के राधा–कृष्ण सामान्य नायक–नायिका में परिवर्तित हो गए। ''जिस श्रृंगार की मदिरा ने भक्तिकाल में औषधि का काम किया था, वही पीछे से एक घातक व्यसन बन गई, राधा और कृष्ण श्रृंगारिक कविता के आलंबन मात्र हो गए। ये विभिन्न नायक नायिकाओं के रूप में दिखाए जाने लगे।''[5] इसीलिए भिखारीदास जी कहते हैं ''आगे के सुकवि रीझि हैं तु कविता न तु राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है।'' इस काल में जिन कवियों ने लक्षण ग्रन्थों के साथ कविता लिखी; वे रीतिबद्ध कहलाए। जिनकी रचनाओं में रीति पूरी तरह रची बसी है वे रीति सिद्ध व जिसने कविता लिखी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे वे रीति मुक्त कहे गए।

1850 ई0 के आस–पास हिन्दी साहित्य में आधुनिकता का प्रभाव परिलक्षित होने लगता है। अब तक अंग्रेजों के शासन का प्रभुत्व बढ़ता रहा। ''युग बदलता है युग की संवेदना बदलती है, जीवन मूल्य बदलते हैं, जिससे किसी भी भाषा का साहित्य अप्रभावित नहीं रह पाता। हिन्दी का साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। अपने पूर्वकालों की अपेक्षा आधुनिक काल में यह परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ घटित हुआ है, और युग की अवधि चार सौ, तीन सौ या दो सौ वर्षों की न रहकर पच्चीस बीस इससे भी कम वर्षों में सिमटकर रह गई है।''[6] हिन्दी नव जागरण के अग्रदूत व गद्य–विधा के जन्मदाता श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने हिन्दी साहित्य को मज़बूत आधार प्रदान किया। भारतेन्दु जी श्रेष्ठ साहित्यकार ही नहीं बल्कि अपनी कर्मठता, सजगता, राष्ट्र प्रेम व हिन्दी के प्रति समर्पण से अपने समकालीन लेखकों के प्रेरणास्त्रोत भी बने। उन्होंने निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, प्रहसन व अनेक ज्ञानदायनी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। ''हिन्दी भाषा के प्रसार में हिन्दी साहित्य का स्तर ऊँचा करने में और हिन्दी प्रदेश की जनता को जगाने में भारतेन्दु जी की पत्रकारिता और निबंधकला ने अपनी अपूर्व भूमिका पूरी की।''[7] भारतेन्दु जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों का एक मण्डल बनाया, जिसमें सम्मिलित साहित्यकारों ने हिन्दी साहित्य के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ''बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने हिन्दी गद्य के निर्माण में वही योगदान दिया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने दिया है।''[8]

भारतेन्दु जी के पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' (1903) पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा का परिष्करण प्रारम्भ किया, क्योंकि भारतेन्दु युग में अनेक गद्य विधाओं का जन्म व विकास तो हुआ, परंतु भाषा के व्याकरणिक शुद्धिकरण पर ध्यान नहीं दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक कवियों–लेखकों को भाषा को परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा परिमार्जित करने का श्रेय द्विवेदी जी और 'सरस्वती पत्रिका' को है। ''खड़ी बोली को समान रूप से गद्य और पद्य का माध्यम स्वीकार कराकर साहित्य को समाजव्यापी बनाना उनका मुख्य ध्येय था।''[9] द्विवेदी जी व उनकी पत्रिका ''सरस्वती' के सतत् प्रयासों से व्याकरण सम्मत भाषा का प्रचार व खड़ी बोली पद्य का विकास हिन्दी जगत के लिए एक महान देन है। इनके ही प्रभाव व प्रेरणा से अनेक साहित्यिक संस्थाएं हिन्दी के प्रचार–प्रसार में सतत् योगदान देने लगीं, जिनमें ''नागरी प्रचारिणी सभा काशी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा प्रमुख हैं। हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार में पत्र–पत्रिकाओं ने भी अहम भूमिका निभाई।

जागरण सुधार काल से अलग कविताओं को छायावाद के नाम से जाना गया। इस काल के साहित्यकारों में श्री जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व महादेवी वर्मा विशेष प्रसिद्ध हैं। ''हृदय की सूक्ष्य अन्तर्वृत्रियों को उद्घाटित करने के लिए छायावादी कवियों ने अभिव्यक्ति की नूतन भंगिमाओं को प्रश्रय दिया। शब्दों के परंपरागत अर्थ में नवीन अर्थ भरकर उन्हे सूक्ष्य भावाभिव्यंजक बनाने का प्रयास किया। इसके लिए अभिधा से अधिक लक्षणा को और सीधी–सरल अभिव्यक्तियों से अधिक सौंदर्यमय प्रतीक–विधान को प्रमुखता दी गई।''[10] वस्तुतः ''छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर पराधीनता से।''[11] इसके पश्चात् प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सठोत्तरी कविता में साहित्य सृजन हुआ। प्रगतिवादी काव्य की मुख्य विशेशता है–शोषण मुक्त समाज को प्रोत्साहित करना। प्रयोगवादी कविता में कथ्य एवं शिल्प में नूतन प्रयोग हुए। नई कविता, सठोत्तरी या समकालीन कविता तत्कालीन राजनीति की उथल–पुथल से प्रभावित हो लिखी गई। दरअसल ''मध्यकाल में जो स्थान धर्म का था, आधुनिक युग में वहीं स्थान राजनीति ने ले लिया।''[12]

वर्तमान समय में महिला लेखिकाएं व पुरूष रचनाकार गद्य व पद्य दोनों ही विधाओं में प्रचुर लेखन कर हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे हैं। अनुवाद द्वारा भी हिन्दी साहित्य का प्रचार–प्रसार हो रहा है। देश में ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीय अपने साहित्य सृजन से हिन्दी भाषा एवं साहित्य के उन्नयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं, यही नहीं वे अनेक पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करते हैं – जैसे– ''मॉरिशस'' से ''बसंत'', इंग्लैंड से ''पुरवाई'', अमेरिका से ''सौरभ'' व ''विश्व विवेक '' इत्यादि प्रमुख हैं। मीडिया व जनसंचार माध्यम हिन्दी के प्रचार–प्रसार में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। आज तकनीकी क्षेत्र में हिंदी अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। दसवें विश्व हिन्दी सम्मलेन में श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था ''टेक्नालॉजी की दुनिया में भाषा बहुत बड़ा बाज़ार बनने वाली है, हिन्दी भाषा का उसमें एक महात्म रहने वाला है।''[13]

निष्कर्ष

वस्तुतः हिन्दी भाषा एवं हिंदी साहित्य का पूर्ण उन्नयन तभी संभव है, जब वह सर्वप्रथम अपने देश में समादृत हो। प्रत्येक भाषा अपने राष्ट्र की आत्मा होती है। आश्चर्य है कि हमारे देश की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, जिस दिन हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होगी उस दिन से हिन्दी साहित्य अपने शिखर पर होगा। किन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंदी को अपने ही राष्ट्र की अन्य भाषा के शब्दों व भावनाओं को आत्मसात करना होगा। वस्तुतः हिंदी भाषा के उन्नयन में योगदान करने वाले विद्वान् दो गुटों में विभक्त दिखाई देते हैं। एक समूह हिंदी के शुद्धिकरण पर जोर देता है। उसमें किसी अन्य भाषा के शब्दों के प्रयोग पर पूरी तरह असहमत है, उनके अनुसार यदि हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्दों या शैलियों का प्रयोग होता रहेगा तो हिंदी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। दूसरे विद्वान् समूह के अनुसार, यदि हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया तो हिंदी का फैलाव व उसकी सरलता अवरुद्ध हो जाएगी। सच तो यह है कि भाषा को सहज प्रवाहमान बनाये रखने के लिए उसका शब्द कोश निरंतर संपन्न होते रहना चाहिए, जितना भावपूर्ण शब्द भंडार व्यापक होगा, हिंदी व उसका साहित्य उतना ही अधिक विस्तृत व समुन्नत होगा।

संदर्भ

1. हिन्दी हम सभी, शिव सागर मिश्र, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 1982, पृ.–9
2. हिन्दी कहानी का शैली विज्ञान–डॉ0 बैकुंड नाथ ठाकुर, पुनरीक्षित देवेन्द्र नाथ शर्मा।
3. भाषायी स्वाभिमान का प्रश्न, हिन्दी की दशा और दिशा–डॉ0 सुदेश, पृ.–11
4. हिन्दी भाषा का इतिहास–पारस नाथ पाण्डेय–पृ.–24
5. हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास–बाबू गुलाब राय, पृ.–71
6. हिन्दी साहित्य का इतिहास–डॉ0 मान सिंह वर्मा, भारती प्रकाशन एण्ड कंपनी, प्र0सं0– पृ.–171
7. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र–राम विलास शर्मा, पृ.–73
8. खड़ी बोली का आन्दोलन–पृ.–103
9. राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी आन्दोलन का इतिहास–उदय नारायण दुबे–पृ.–165
10. राजभाषा के संबंध में में हिन्दी आन्दोलन का इतिहास– उदय नारायण दुबे–पृ.–169
11. हिन्दी साहित्य का इतिहास–पारसनाथ पाण्डेय–पृ.–199
12. छायावाद–डॉ0 नामवर सिंह
13 दसवें विश्व हिन्दी सम्मलेन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भाषण के अंश–दैनिक जागरण, भोपाल 12 सितम्बर 2015

50

हिन्दी का नवजागरण काल और स्वतंत्रता

डॉ० अंजू बंसल

असिस्टैंट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग)

वर्धमान कॉलेज, बिजनौर

सारांश

नवजागरण अर्थात् नवीन चेतना, नव जागृति, पुनरूत्थान, प्रबोधन व समाजसुधार। जिस प्रकार यूरोप में 15वीं–16वीं शताब्दी में एक नवीन चेतना का उदय हुआ जिसे हम 'रिनेसांस' कहते हैं, उसी प्रकार भारतीय इतिहास में 19वीं शताब्दी में एक नवीन काल का उदय हुआ– मनुष्य की दृष्टि जो सदा परलोक पर टिकी रहती थी अब इस लोक में संचरण करने लगी; धर्म का स्थान दर्शन ने ले लिया। सन्यासियों के स्थान पर ऐसे बुद्धिजीवियों का पदार्पण हुआ जो मन को वश में रखने के बदले उसकी सार्थक परिणीति में आस्था रखते थे।

यह मान्यता रही कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के उदय के साथ हिन्दी में एक नये युग का आरम्भ हुआ। किंतु इस नये युग को नवजागरण देने का श्रेय हिन्दी में डॉ0 रामविलास शर्मा को है। 'महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण' (1977) नामक पुस्तक के द्वारा उन्होंने नव जागरण ही नहीं बल्कि हिन्दी नव जागरण की संकल्पना प्रस्तुत की जो इस प्रकार है– प्रथम चरण– 1857 का विद्रोह; दूसरा चरण– भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, तीसरा चरण– महावीर प्रसाद द्विवेदी, चतुर्थ चरण– निराला युग। प्रत्येक चरण जागरण प्रस्तुत कर रहा है, सर्वप्रथम 1857 की क्रान्ति, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की समाज के प्रति आवाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी की नवीनता तथा निराला का पुनर्जागरण उनकी समस्त कविताओं में झलकता है। जागरण एक अनवरत् प्रक्रिया है, हिन्दी का नवजागरण काल हिन्दी का नहीं अपितु संसार का जागरण है, तभी कवि या लेखक की लेखनी सत्य को उजागर करती है।

मुख्य शब्द

नवजागरण, स्वतंत्रता, रिनेसांस, अनवरत प्रक्रिया, स्वातंत्र्य चेतना, आत्मनिरीक्षण।

नवजागरण अर्थात् नवीन चेतना, नव जागृति, पुनरूत्थान, प्रबोधन व समाजसुधार। जिस प्रकार यूरोप में 15वीं–16वीं शताब्दी में एक नवीन चेतना का उदय हुआ जिसे हम 'रिनेसांस' कहते है उसी प्रकार भारतीय इतिहास में 19वीं शताब्दी में एक नवीन काल का उदय हुआ – मनुष्य की दृष्टि जो सदा परलोक पर टिकी रहती थी, अब इस लोक में संचरण करने लगी। धर्म का स्थान दर्शन ने ले लिया। सन्यासियों के स्थान पर ऐसे बुद्धिजीवियों का पदार्पण हुआ जो मन को वश में रखने के बदले उसके सार्थक परिणीति में आस्था रखते थे।

नवजागरण यह शब्दबंध नया था, धारणा पुरानी थी। पुरानी धारणा से तात्पर्य संभवतः 'रिनेसांस' से है। कहते हैं उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजाराम मोहन राय स्वयं भी उस समय की नई–सांस्कृतिक चेतना को एक रिनेसांस समझते थे। पादरी अलेक्जेंडर डफ से एक बार उन्होंने कहा था– ''मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ भारत में यूरोपीय रिनेसांस से मिलता जुलता कुछ घटित हो रहा है। रिनेसांस का हिन्दी रूपान्तर पुनर्जागरण ही है।''

विज्ञान की उपस्थिति में नवजागरण के बारे में बात करना सूर्य की उपस्थिति में दीया जलाने के बराबर होगा, यह दीया जलाने का कार्य किया हिन्दी में राम विलास शर्मा ने। उन्होंने ही सबसे पहले 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के हिन्दी साहित्य के नये युग को हिन्दी नवजागरण की नई संकल्पना से जोड़ा। नवजागरण राम विलास शर्मा के बिना अधूरा है। राम विलास शर्मा मार्क्सवादी विचार धारा के समर्थक थे।

14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। पुनर्जागरण वह आन्दोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्ययुग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान सम्पूर्ण भारत में एक नयी बौद्धिक चेतना और सांस्कृतिक उथल पुथल दृष्टिगोचर होती है। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और ज्ञान विज्ञान के प्रसार से भारतीयों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे अपना आत्मनिरीक्षण करें। इस चेतना से पूर्व साहित्य राज दरबारों में ही सिर झुका रहा था, किन्तु अब साहित्यकार समाज से जुड़कर समाज में फैले आड़म्बर, रूढ़ि, वर्ण भेद, कुरीति, सती प्रथा, बाल विवाह आदि का विरोध करने लगे। 1826 में जुगल किशोर शुक्ल ने प्रथम हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका 'उदन्त मार्तंड' का संपादन किया। व्यापक स्तर पर जन आन्दोलन शुरू हुए।

यह मान्यता रही कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के उदय के साथ हिन्दी में एक नये युग का आरम्भ हुआ। किंतु इस नये युग को नवजागरण देने का श्रेय हिन्दी में डॉ. रामविलास शर्मा को है। 'महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण' (1977) नामक पुस्तक के द्वारा उन्होंने नव जागरण ही नहीं बल्कि हिन्दी नव जागरण की संकल्पना प्रस्तुत की जो इस प्रकार है–

1. प्रथम चरण– 1857 का विद्रोह
2. दूसरा चरण – भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
3. तीसरा चरण–महावीर प्रसाद द्विवेदी
4. चतुर्थ चरण – निराला युग

हिन्दी नवजागरण का प्रथम चरण

हिन्दी नवजागरण का प्रथम चरण 1857 ई. के स्वतंत्रता आन्दोलन से माना जाता है। राष्ट्रीय एकता, अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त व्यवस्था को उलट देना, साम्प्रदायिक भेदभाव को दर किनार करना, हिन्दी भाषी प्रदेश का मुख्य रणक्षेत्र होना आदि अनेक विशेषतायें इस स्वतन्त्रता आन्दोलन की रही हैं। यही हिन्दी प्रदेश में नव जागरण के कारण भी रहे हैं। हिन्दी नवजागरण से अभिप्राय सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हिन्दी प्रदेशों में आये राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से है। हिन्दी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता हिन्दी प्रदेश की जनता में स्वातंत्र्य–चेतना का जाग्रत होना है।

हिन्दी नवजागरण का द्वितीय चरण

हिन्दी नवजागरण का बीज मंत्र फूंकने वाले प्रथम अग्रदूत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र थे जिनकी मुख्य प्रतिज्ञा यह थी कि **''स्वत्व निज भारत गहै।''** स्वत्व जिसे अंग्रेजी में आइडेन्टिटी कहते हैं।

हिन्दी नवजागरण का द्वितीय चरण; भारतेन्दु युग प्रत्येक दृष्टि से आधुनिक और नया है। राष्ट्रीय जागरण युग नाम से अभिहित भारतेन्दु युग नवीन जीवन दर्शन का परिचायक है। राजनीतिक परिवेश में भारतेन्दु जी के व्यंग्य तलवार की धार के समान तेज हैं, उन्होंने तत्कालीन शासन की विडम्बनाओं, शिक्षा और बेकारी, सरकारी नौकरशाही, पुलिस और अंग्रेजों की प्रत्येक कूटनीति पर अपनी लेखनी चलायी। गौरंग महाप्रभुओं पर उनकी मुकरी–

"भीतर–भीतर सब रस चूसै
हंसि हंसि के तन–मन धन भूसें।
जाहिर बातन में अति तेज
क्यों सखि सज्जन नहिं अंग्रेज।''

राजाराम मोहन राय और स्वामी दयानन्द ने जिन सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफाश किया, भारतेन्दु जी और उनके सहयोगियों ने उसे लिपिबद्ध किया। शिक्षा और बेकारी पर उनकी पंक्तियाँ–

''तीन बुलाए तेरह आवे, निज–निज विपदा रोई सुनावै,
आँखों फूटी भरा न पेट, क्यों सखि सज्जन नहिं ग्रेजुएट।''

इस क्रान्ति का, आन्दोलन का, अंग्रेजी शोषण का प्रभाव; भारतेन्दु व उनके युगीन साहित्य पर सर्वत्र दिखायी देता है। अंग्रेजों की आर्थिक नीति पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने **26 फरवरी 1874** की कवि वचन सुधा में लिखा–

"क्या यह अनीति नहीं है कि अनुमान दो सौ वर्ष हुआ, इनका अधिकार इस देश में है। इन्होंने हमारे धनधान्य की वृद्धि में कोई उपाय नहीं किया और केवल अपनी भाषा सिखाया और सब व्यापार और धन सब अपने हस्तगत किया क्या यह खेद की बात नहीं है कि हमको कला–कौशल से विमुख रखा और आप स्वतः व्यापारी बनकर सब देश भर का धन और धान्य अपने देश में ले गये।''

1857 की क्रान्ति के बाद जो चेतना भारतीय समाज में पैदा हुई, उस चेतना का विस्तार भारतेन्दु के साहित्य में देखने को मिलता है। चेतना के कारण हर क्षेत्र में नवजागरण पैदा हुआ था। सामाजिक रूढ़ियों, समस्याओं, प्रथाओं, अंधविश्वासों का विरोध किया जाने लगा। सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध हुआ तो विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि पर जोर दिया जाने लगा।

नवजागरण और स्वतनत्रता की बात करें तो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के साहित्य में राष्ट्रीय स्वाधीनता की समस्या प्रमुख रूप से उभरकर सामने आयी हालांकि उन पर अंग्रेज राजभक्ति का भी आरोप लगता रहा है, पर उनकी राजभक्ति सीमित थी। उनकी राजभक्ति वहीं खत्म हो जाती है, जब भारतीय मांगों को अंग्रेज दरकिनार कर देते हैं। 'भारत दुर्दशा' नाटक में अंग्रेजों पर व्यंग्य करते हुए भारतेन्दु लिखते हैं–

"मेरी बलाऊँ देश उजाड़ूँ, महँगा करके अन्न।

सबके ऊपर टिकस लगाऊँ, धन है मुसको धन्न,
मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे इक राक्षस मानो जी।"

अंग्रेजों की लालची और लुटेरी प्रवृत्ति पर 30 नवम्बर 1872 की कवि वचन सुधा में वे लिखते हैं– **"चुंगी और पुलिस तुम्हारी दोनों भुजा है, अमले तुम्हारे नख अंधेर तुम्हारा पृष्ठ है और आमदनी तुम्हारा हृदय है.... खजाना तुम्हारा पेट है, लालच तुम्हारी क्षुधा है, सेना तुम्हारा चरण है, खिताब तुम्हारा प्रसाद है, अतएव हे विराट रूप अंगरेज। हम तुमको प्रणाम करते है।"**

नव जागरण के आरम्भ में ही स्त्रियों की दशा सुधारने के प्रयत्न आरम्भ हो गये। भारतेन्दु जी की एक कविता प्रस्तुत है। भारतेन्दु जी अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा पर चिन्तन करते हुए लिखते हैं–

''रोवहु! स्ब मिलि भारत आई।
हा! हा! भारत दुर्दशा देखि न जाई।''

अतः हमने देखा कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एक साहित्यकार, पत्रकार होने के साथ–साथ समाज सुधार के लिए भी प्रयासरत थे, वे वास्तव में हिन्दी नवजागरण को नयी दिशा प्रदान करने वाले दूसरे चरण के अग्रदूत हैं।

हिन्दी नवजागरण का तृतीय चरण

हिन्दी नवजागरण का तृतीय चरण द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग का साहित्य रीति परम्परा का घोर विरोधी था। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने वैज्ञानिक चेतना और सामाजिक चेतना का प्रसार किया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिन्दी नवजागरण की बिखरी हुई शक्ति को एकत्र किया। वास्तव में वे नवजागरण के पुरोधा हैं। परतन्त्रता की बेडियों को तोड़ना और देश के सामाजिक व धार्मिक परिवेश में पुनरूत्थान लाना इनका लक्ष्य था। मैथिलीशरण गुप्त जी 'भारत भारती' में विदेशी–वेश, व्यवहार और वस्तुओं पर व्यंग्य करते हुए उपदेश को भी आत्मविश्लेषण का अवसर देते हैं–

"है वेश तक उनका विदेशी और यह उपदेश है,
त्यागो! विदेशी वस्तुएं, पहला यही–उद्देश्य है।
ले पीट लो सब तालियाँ, उपदेश है कैसा खरा,
उपदेशकों! पर आप अपनी ओर तो देखो जरा।"

एक शिक्षक की तरह द्विवेदी जी ने अपने युग के कवियों की भाषा का संस्कार किया। आधुनिक शिक्षा पर कवि व्यंग्य करते हैं–

"अंग्रेजी शिक्षा क्लर्क से अधिक नहीं बनाती– अफसरों की फटकारे सुनते रहो।"
''वह आधुनिक शिक्षा किस विध प्राप्त भी कुछ कर सको,
तो लाभ क्या, बस क्लर्क बनकर पेट अपना भर सको लिखते रहो,
जो सिर झुका, सुन अफसरों की गालियाँ,
तो दे सकेंगी, रात को दो रोटियाँ घर वालियाँ।''

वास्तविक व्यंग्य मानव पुनर्जागरण की राह को सच्चाई की ओर प्रेरित करता है। द्विवेदी युग का साहित्य पुनर्जागरण की आधारशिला को और अधिक मजबूत करता है।

हिन्दी नवजागरण का चतुर्थ चरण

हिन्दी नवजागरण का चतुर्थ चरण छायावाद एवं निराला के साहित्य को माना गया है। छायावादी साहित्य में व्यक्ति स्वातंत्र्य, राष्ट्रीयता आदि तत्व मुख्य रूप से उभरकर सामने आते हैं। निराला के साहित्य में क्रान्ति का बिगुल था और वे पूँजीवादी व्यवस्था के विरोधी भी थे। निराला ने लखनऊ में पंडाल के बाहर नंगे पाँव, भूखे पेट एक दक्षिण भारतीय युवक में भारत की आत्मा के दर्शन किये थे।

निराला का पुनर्जागरण उनकी समस्त कविताओं में झलकता है। कुकुरमुत्ता जैसी सशक्त रचना लिखकर कवि निरीह अपमानित, शोषित और निम्न वर्ग का सर्वाधिक हितैषी बन गया तथा इसमें अंग्रेज जमींदार, पूँजीपति एवं अन्य शोषक वर्ग को चेतावनी देकर कवि ने सामाजिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त किया।

दिनकर की कविता पर दृष्टि डालिए–

"श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं,
माँ की हड्डी से चिपके, ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं।
युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाये लिये हैं
मलिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा दृव्य बहाते हैं।"

निराला की कुकुरमुत्ता ऐसे ही असहाय, शक्तिहीन शोषित समाज के प्राणी का प्रतीक है–

"पहाड़ी से उठ–सर ऐंठकर बोला कुकुरमुत्ता,
अबे, सुन बे, गुलाब।
भूल मत जो पाई खुशबू, रंगोआब
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट,
डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट।''

निराला का गुलाब अंग्रेज है, गुलाब के समान रंग रूप खिलता है। कैपिटलिस्ट भी, अंग्रेज है जो व्यापारी बनकर भारत में आये और यहाँ का खून चूसकर विश्व में समृद्धतम हो गये। ये निर्धनों की मेहनत से गुलाब के समान पलते हैं। इस समय राजनीतिक क्षेत्र में स्वाधीनता ही कवियों का मुख्य लक्ष्य रही है। निराला का जागरण भारत का ही नहीं; विश्व का जागरण है।

आगे मुक्तिबोध की कविता भी जागरण का प्रयास है–

"रास्ते पर बिखरे हुए चावल के दानों को बीनता है लपककर,
सटर–पटर सामान को धरे हुए शीर्ष पर,
रोते हुए बच्चों को कन्धे पर बिठाये हुए,
जिंदगी को ढोता है बहादुर हिन्दुस्तान।"

लंगोटी धारी हिन्दुस्तान चावल के दानों को लपककर बीन रहा है, हिन्दुस्तान जिसका स्वर्णिम अतीत था। भारत ने अपनी ऐसी दुर्दशा की कल्पना सपनों में भी नहीं की थी। एक स्थान पर वे लिखते हैं–

"बेच रहा है कालिदास सड़कों पर कंघी
लगा चाय दुकान यक्ष सबका है संगी।"

जहाँ जागरण की आवश्यकता है कवि अपनी लेखनी चलाता है– **''जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।''** यह उक्ति प्रारम्भ से आज तक चरितार्थ हो रही है। इसी प्रकार नवजागरण की प्रतीक अन्य कवितायें प्रस्तुत हैं। स्वतंत्रता उपरान्त भी जागरण हो रहा है। अज्ञेय के शब्दों में –

"डरो मत शोषक भैया! पी लो,
मेरा रक्त ताजा है, मीठा है हृद्य है।
पी लो शोषक भैया! डरो मत।"

डरने के पीछे कवि की मानसिकता है कि बुराई का अन्त आवश्यक होता है। शोषकों की घृणित वाणी दृष्टिगत हो रही है। 1968 में उनकी कविता 'जागरण' की मिसाल दी जा सकती है–

"आजादी के बीस बरस से
बीस बरस की आजादी से
तुम्हे कुछ नहीं मिला
मिली सिर्फ आजादी।"

हमें स्वतंत्रता से मात्र आजादी शब्द के अतिरिक्त मिला शोषण, भूख, बेराजगारी।

निष्कर्ष

हिन्दी नवजागरण और उसकी विभिन्न मंजिलों के विशद विश्लेषण के माध्यम से डॉ0 राम विलास शर्मा ने सम्पूर्ण चित्र सप्रमाण उपस्थित कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम विलास शर्मा जी ने हिन्दी नवजागरण के माध्यम से स्वाधीनता एवं जातीय एकता के आधार पर राष्ट्रीयता का बिगुल बजाया एवं समाज में फैली रूढ़िवादिता, संकीर्णतावादी, साम्राज्यवादी, सामंतवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था पर करारी चोट की।

जागरण एक अनवरत् प्रक्रिया है, हिन्दी का नवजागरण काल हिन्दी का नहीं अपितु संसार का जागरण है तभी कवि या लेखक की लेखनी सत्य को उजागर करती है। रामविलास शर्मा द्वारा यह जागरण चतुर्थ चरण निराला युग तक प्रस्तुत किया है परन्तु हमने अज्ञेय, मुक्तिबोध आदि की कवितायें प्रस्तुत कर यह दर्शाने का प्रयास किया है कि यह जागरण वर्तमान तक चल रहा है। स्वतंत्रता, जागरण ही है। आज हम स्वतंत्र है परन्तु हम गुलाम है भ्रष्टाचार के, महंगाई के, गरीबी के और राजनीतिक दावपेंचों के। अतः आज भी कवि निरन्तर जागरण कर रहा है। तब

तक करता रहेगा जब तक सतयुग की स्थापना होगी कल्याण ही कल्याण होगा। सम्पूर्ण विश्व में आनंद होगा। इसी सुखद कल्पना के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ।

संदर्भ

1. हिन्दी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, पत्रकारिता एवं निबन्ध, लेखक डॉ0 रामस्वरूप आर्य।
2. साहित्यिक निबंध– राजनाथ शर्मा।
3. राजपाल हिन्दी शब्दकोष– डॉ0 हरदेव बाहरी।
4. हिन्दी साहित्य : युग और प्रवृत्तियाँ– शिव कुमार शर्मा।
5. हिन्दी साहित्य का इतिहास– डॉ0 नगेन्द्र।
6. एकान्त, कविता संग्रह– नेमिचन्द जैन।
7. कागज के फूल– भारत भूषण अग्रवाल।
8. तारसप्तक के कवि और व्यंग्य– डॉ. अंजू बंसल
9. विभिन्न पत्र–पत्रिकायें।
10. अन्य उपजीव्य व उपस्कारक ग्रन्थ।

51

"ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं"
(जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ।')

डॉ० रंजना अग्रवाल

एसोसिऐट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग)

एन.के.बी.एम.जी. कॉलेज, चन्दौसी

सारांश

भक्त भगवान् के साथ जिस प्रकार का सम्बन्ध मानता है, भगवान् उसके साथ वैसा ही सम्बन्ध मानने को तैयार रहते हैं। इस रहस्य को हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे महाराज दशरथ श्रीराम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं, तो भगवान् उनके स्नेही पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान् होकर भी पिता दशरथ के वचनों को टालने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन का श्रीकृष्ण के प्रति सखाभाव था और अर्जुन उनको सारथि बनाना चाहते थे, अतः भगवान् सखाभाव से उनके सारथि बन गये। विश्वामित्र ऋषि ने श्रीराम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान् उनके शिष्य बन गये। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धाभाव के अनुसार भगवान् का वैसा ही बनने का स्वभाव है।

जो सम्पूर्ण लोक के ईश्वर हैं, वह बिना कारण अर्थात् स्वाभाविक ही प्राणीमात्र का हित करने वाले, प्राणीमात्र की रक्षा करने वाले और प्राणीमात्र से प्रेम करने वाले हैं। भगवान् प्राणिमात्र के सुहृद हैं–

"सुहृदं सर्वभूतानां।" (श्रीमद्भगवद्गीता 5/29) '1

भगवान् को किसी से कुछ पाना है ही नहीं, इसलिए वह स्वाभाविक ही सबके सुहृद हैं–**"नानावाप्तमवाप्तव्यं" (भगवद्गीता 3/22) '2**

भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी सम्पूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है।

"सुहृदः सर्वदेहिनाम्।" (श्रीमद्भागवत 3/25/21) '3

इसलिए भक्त की भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक ही मैत्री और दया का भाव रहता है–

"हेतु रहित जग जुग उपकारी।
तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारि।।" (रामचरितमानस/7/47/3) '4

हे असुरारि! जगत् में बिन कारण प्रेम करने वाले तो दो ही हैं – एक आप और एक आपके सेवक। बाकी सम्पूर्ण जगत् स्वार्थमय है।

भक्त प्राणीमात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है, ऐसी स्थिति में वह विरोध करे, तो किससे करे ?

"निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं विरोध।।" (रामचरितमानस 7/112 ख) '5

"यः मद्भक्तःस मे प्रियः।" (भगवद्गीता 12/14) '6

अर्थात् भगवान् कहते हैं जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है ।

मैं श्रीमद्भगवद्गीता के कतिपय श्लोकों को उद्धृत करूँगी , जिनमें भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताये हैं –

- 1– **"अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी।।**

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः।।" (भगवद्गीता– 12/13–14) '7

अर्थात् जो सब भूतों में द्वेषभाव से रहित, मित्र भाव वाला, दयालु,ममता से रहित, सुख–दुःख में समान भाव वाला और क्षमावान्, योगी, सदा संतुष्ट है, मन–इन्द्रियों सहित शरीर को वश में किये हुए है, दृढ़ निश्चयी है और जिसने मन–बुद्धि मुझे समर्पित किये हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है ।

सज्जन पुरुष की प्रत्येक क्रिया दूसरे के लिए आदर्श होती है। इस कथन की पुष्टि भगवद्गीता का निम्न श्लोक कर रहा है–

- **"यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः।" (भगवद्गीता –3/21) '8**

अर्थात् श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा–वैसा ही आचरण करते हैं।

सन्देहास्पद वस्तुओं में सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है, यह बात महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञानशाकुन्तलम् द्वारा समझेंगे–

• **"सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः।।" (अभिज्ञानशाकुन्तलम् – 1/21) '9**

भगवान् को कौन प्रिय है ? दूसरा उदाहरण द्रष्टव्य है–

• 2– **"यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।**

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः।।" (भगवद्गीता– 12/15) '10

अर्थात् जिस संन्यासी से संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं होता अर्थात् संतप्त–क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी संसार से उद्वेगयुक्त नहीं होता। जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है; वह मुझे प्रिय है।

भक्त की चेष्टाएं कभी भी किसी के उद्वेग का कारण नहीं होती क्योंकि भक्त प्राणीमात्र में भगवान् को देखता है –

• **"वासुदेवः सर्वम्।" (भगवद्गीता–7/19) '11**

मनुष्य को अपने राग–द्वेष युक्त स्वभाव के कारण भक्त की चेष्टाएं उद्वेगजनक प्रतीत होती हैं– महाकवि भतृहरि जी भी अपने 'नीतिशतकं' में निम्न श्लोक में इसी भाव को पुष्ट कर रहे हैं–

"मृगमीनसज्जनानां तृणजलसन्तोषविहितवृत्तीनां द्य

लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति द्य।" (भर्तृहरि– नीतिशतकं/61) '12

भक्त अपने से द्वेष करने वाले और उनकी हानि करने वाले के साथ भी सद्व्यवहार ही करता है। रावण द्वारा विभीषण जी को पैर से ठोकर मारने पर भी विभीषण जी रावण के कल्याण के लिए ही विनती करते रहे चौपाई देखिए –

• **"उमा संत की इहइ बढ़ाई**

मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भलेहि मोहि मारा राम भजें हित नाथ तुम्हारा।।"

(रामचरितमानस–5/41/4)'13

भगवान् को जो प्रिय हैं,उसका तृतीय उदाहरण मैं प्रस्तुत करती हूँ–

• **3–"अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।**

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः।।" (भगवद्गीता– 12/16) '14

अर्थात् जो पुरुष अपेक्षा से रहित, बाहर–भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुःखों से छूटा हुआ है– वह सब आरम्भों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है।

श्रीमद्भागवत में वर्णित है कि निरपेक्ष भक्त के पीछे भगवान् भी घूमा करते हैं–

• **"निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् त्ंदरंदं श्रपव,**

अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्घ्ररेणुभिः।।" (श्रीमद्भागवत 11/14/16) '15

अर्थात् भगवान् कहते हैं कि जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रह जाती, जो सदा मेरे ही मनन–चिंतन में तल्लीन रहता है और राग–द्वेष छोड़कर सब के प्रति समान भाव रखता है, ऐसे अपने भक्त के पीछे–पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि यदि कहीं उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाये और मैं पवित्र हो जाऊं!

भक्त भोग और संग्रह के लिए किये जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। भक्त के त्याग का एक उदाहरण द्रष्टव्य है–

• **"अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अदोष दच्छ विज्ञानी।।" (रामचरितमानस – (7/46/3) '16**

भगवान् को और कौन प्रिय है! देखिए, निम्न श्लोक प्रस्तुत है–

• **4–"यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति। शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः।।"**

(भगवद्गीता –12/17) '17

जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है और जो शुभ–अशुभ कर्मों में राग–द्वेष का त्यागी है, वह भक्तिमान् मनुष्य मुझे प्रिय है।

पांचवां श्लोक द्रष्टव्य है–

5–"समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः।।" (भगवद्गीता–12/18) '18

जो शत्रु मित्र में और मानापमान में अर्थात् सत्कार और तिरस्कार में समान रहता है, एवं शीतोष्ण और सुख दुःख में भी समभाव वाला है तथा सर्वत्र आसक्ति से रहित हो चुका है,वह भक्तिमान्य मनुष्य मुझे प्रिय है।

भगवान् गीता के द्वितीय अध्याय में भी अर्जुन से दुःख–सुख, लाभ–हानि में समभाव रखकर युद्ध करने के लिए उपदेश दे रहे हैं–

"सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।।" (भगवद्गीता –2/31) '19

श्रीमद्भगवद्गीता के बारह अध्याय के 13 से लेकर 19 तक के श्लोकों में भगवान कहते हैं– तत्तत् गुणों से युक्त भक्तिमान् मनुष्य मुझे प्रिय हैं।

लेकिन इसी अध्याय के बीसवें श्लोक में कहा है कि मेरे परायण और मुझमें श्रद्धा रखने वाले भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं।

• "ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः।।" (भगवद्गीता 12/20) "20

भगवान् कहते हैं कि जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं। जिस समर्पित भाव से भक्त भगवान् की शरण में जाता है, भगवान् अपने भक्त के योगक्षेम को उतने ही समर्पित भाव से वहन करते हैं।

• "ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं"। (गीता–4/11) '21

श्रीराम को भक्त उनके प्राणों के समान हैं। श्रीरामचरितमानस के उत्तरकाण्ड के राम भरत संवाद देखिए –

"कोमलचित दीनन्ह पर दाया।
मन बच क्रम मम भगति अमाया।।
सबहि मानप्रद आपु अमानी ।
भरत प्रान सम मम ते प्रानी।।" (रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड 38/2) '22

सज्जनों का चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट (विशुद्ध) भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं मानरहित होते हैं। हे भरत! वे प्राणी (संतजन) मेरे प्राणों के समान हैं।

अपि च –

"निन्दा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज।
ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज।।" (रामचरितमानस–उत्तरकाण्ड/38) '23

अर्थात् जिन्हें निन्दा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरणकमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं।

यों तो सम्पूर्ण जगत् पर ही परमात्मा का प्रेम है, पर जो भक्त मन–वचन– कर्म से छल कपट छोड़कर भगवान को भजते हैं वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। काकभुशुण्डि जी गरुण महाराज को प्रभु के हिय की बात बता रहे हैं–

"अखिल विश्व यह मोर उपाया।
सब पर मोहि बराबरि दाया।।
तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया।
भजै मोहि मन बच अरु काया।।" (रामचरितमानस उत्तरकाण्ड–87/4) '24

यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है,

"पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ।
सर्व भाव में कपट तजि मोहि परम प्रिय सोई।।" (रामचरितमानस – उत्तरकाण्ड/87) '25

अर्थात् वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर–अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है।

भगवद्गीता में भी यही भाव प्रस्तुत है–

"समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्।।" (भगवद्गीता 9/29) '26

भगवान् श्रीकृष्ण भी गीता के अध्याय 9 में यही कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में समान हूँ, न तो कोई मेरा शत्रु है और न कोई मेरा प्रिय है; किन्तु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें हूँ––

अन्यत्र भी –

"अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः।।" (भगवद्गीता 9/30) '27

मेरी भक्ति की महिमा यह है कि यदि कोई सुदुराचारी अर्थात् अतिशय बुरे आचरण वाला मनुष्य भी अनन्य प्रेम से युक्त हुआ मुझ (परमेश्वर) को भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिये क्योंकि वह उत्तम निश्चयवाला हो गया है।

रामचरितमानस में श्रीराम भी भक्ति की इसी महिमा का बखान करते हैं–

"कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू। आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू।।

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं।।" (रामचरितमानस– सुन्दरकाण्ड) '28

अर्थात् जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।

गीता में अध्याय छः के तीसवें श्लोक में भगवान् कहते हैं–

"यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।।" (भगवद्गीता 6/30) '29

अर्थात् जो मुझ वासुदेव को सब जगह अर्थात् सब भूतों में (व्यापक) देखता है और समस्त प्राणियों को मुझ सर्वात्मा (परमेश्वर) में देखता है, इस प्रकार आत्मा की एकता को देखने वाले उस ज्ञानी के लिये मैं ईश्वर कभी अदृश्य नहीं होता अर्थात् कभी अप्रत्यक्ष नहीं होता और वह ज्ञानी भी कभी मुझ वासुदेव से अदृश्य (परोक्ष) नहीं होता क्योंकि उसका और मेरा स्वरूप एक ही है।

भगवान् प्राणीमात्र के सुहृद हैं लेकिन उन्हें निर्मल हृदय वाले, निष्कपट भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। रामचरितमानस में प्रभु श्रीराम कहते हैं–

"निर्मल मन जन सो मोहि पावा।

मोहि कपट छल छिद्र न भावा।।" (रामचरितमानस– सुंदर काण्ड) '30

जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल–छिद्र नहीं सुहाते।

जो मन–वचन–कर्म से परमात्मा को भजते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कष्ट नहीं सताता–

"वचन कायँ मन मम गति जाही।

सपनेहुँ बूझिअ बिपति की ताही।।" (रामचरितमानस –सुंदरकाण्ड) '31

हनुमानजी कहते हैं कि हे प्रभो! विपत्ति तो तभी है,जब आपका भजन–स्मरण न हो–

"कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई।

जब तव सुमिरन भजन न होई।।" (रामचरितमानस – सुंदरकाण्ड) '32

भगवान् को सबसे अधिक प्रिय कौन है?

रामचरितमानस में जगन्नाथ, मायापति प्रभु श्रीराम काकभुशुण्डि जी से कह रहे हैं यह मैं उत्तरकाण्ड की विभिन्न चौपाइयों द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ, देखिए –

समस्त चराचर जगत् में मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं–

"मम माया संभव संसारा। जीव चराचर बिबिधि प्रकारा।।

सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए।।" (उत्तरकाण्ड–86/2) '33

"यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। (इसमें) अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं।"

"तिन्ह महँ द्विज द्विज महँ श्रुतिधारी। तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी।।

तिन्ह महँ प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी। ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी।।" (उत्तरकाण्ड– 86/3) '34

"उन मनुष्यों में द्विज, द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त (वैराग्यवान) मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं।"

भगवद्गीता का निम्न श्लोक यह स्पष्ट कर रहा है कि कितने प्रकार के सज्जन पुरुष भगवान् का स्मरण करते हैं ? देखिए–

"चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।।" (भगवद्गीता 7/16) '35

भगवान् कहते हैं कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, और ज्ञानी अर्थात् प्रेमी; यह चार प्रकार के मनुष्य मेरी शरण में आते हैं। भरतवंशियों में श्रेष्ठ हे अर्जुन! आर्त अर्थात् चोर, व्याघ्र, रोग आदि के वश में होकर किसी आपत्ति से युक्त हुआ, जिज्ञासु अर्थात् भगवान का तत्त्व जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी यानी धन की कामना वाला और ज्ञानी अर्थात् विष्णु के तत्त्व को जानने वाला, ये चार प्रकार के पुण्यकर्मकारी मनुष्य मेरा भजन सेवन करते हैं।

रामचरितमानस में भी देखिए–

"तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा।।

पुनि पुनि सत्य कहउँ तोहि पाहीं। मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं।।" (उत्तरकाण्ड 86/4) '36

विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार–बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है।

गीता में भगवान् ज्ञानी भक्त को अत्यंत प्रिय कह रहे हैं–

"तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः।।" (भगवद्गीता 7/17) '37

उन चार प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी है अर्थात् यथार्थ तत्त्व को जानने वाला है वह तत्त्ववेत्ता होने के कारण सदा मुझमें स्थित है और उसकी दृष्टि में अन्य किसी भजने योग्य वस्तुका अस्तित्व न रहने के कारण वह केवल एक मुझ परमात्मा में ही अनन्य भक्तिवाला होता है। इसलिये वह अनन्य प्रेमी (ज्ञानी भक्त) श्रेष्ठ माना जाता है। (अन्य तीनों की अपेक्षा) अधिक उच्च कोटि का समझा जाता है। क्योंकि मैं ज्ञानी का आत्मा हूँ इसलिये उसको अत्यन्त प्रिय हूँ। संसार में यह प्रसिद्ध ही है कि आत्मा ही प्रिय होता है। इसलिये ज्ञानी का आत्मा होने के कारण भगवान् वासुदेव उसे अत्यन्त प्रिय होता है। यह अभिप्राय है। तथा वह ज्ञानी भी मुझ वासुदेव का आत्मा ही है अतः वह मेरा अत्यन्त प्रिय है।

"भगति हीन बिरंचि किन होई। सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई।।

भगतिवंत अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी।।" (उत्तरकाण्ड– 86/5) '38

"भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है।"

वेद पुराण भी ऐसी ही नीति कहते हैं कि पवित्र, सुशील और अच्छी बुद्धि वाला सेवक सबको प्रिय लगता है –

"सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग।"

प्रभु श्रीराम एक उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं कि एक पिता के बहुत से पुत्र भिन्न–भिन्न स्वभाव वाले होते हैं–

"एक पिता के बिपुल कुमारा। होहिं पृथक् गुन सील अचारा।।

कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता। कोउ धनवंत सूर कोउ दाता।।" (उत्तरकाण्ड–87/1) '39

'एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक–पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी।'

"कोउ सर्बग्य धर्मरत कोई। सब पर पितहि प्रीति सम होई।।

कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा। सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा।।" (उत्तरकाण्ड 87/2) '40

कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता।

"सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना। जद्यपि सो सब भाँति अयाना।" (उत्तरकाण्ड– 87/3) '41

वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो क्यों न हो !

"एहि बिधि जीव चराचर जेते। त्रिजग देव नर असुर समेते।।" (उत्तरकाण्ड–87/4) '42

इस प्रकार पशु–पक्षी, देव, मनुष्य और राक्षस समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं,

"अखिल बिस्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया।।

तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया। भजै मोहि मन बच अरु काया।।" (उत्तरकाण्ड– 87/5) '43

"यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है।"

"पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ।

सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ।।" (रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड–87 क) '44

"वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर–अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है।"

हे पक्षी ! पवित्र (अनन्य और निष्काम) सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है, ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज।

"सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय।

अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब।।" (उत्तरकाण्ड 87 ख) '45

इस प्रकार मानस की उपर्युक्त चौपाइयों द्वारा भगवान् के श्रीमुख से यह कहा गया कि उन्हें अनन्य और निष्काम सेवक सम्पूर्ण चराचर जगत् में सर्वाधिक प्रिय है।

गीता में भी भगवान् अपने श्रीमुख से यही वचन कह रहे हैं –

"अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।।" (भगवद्गीता 9/22) '46

अर्थात् जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करता है, भजन करता है। ऐसे मुझमें निरन्तर अनुरागी पुरुषों के योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ अर्थात् सभी प्रकार से उनका ध्यान रखता हूँ। बासुदेवः सर्वमिति इस भाव वाला जो ज्ञानी मेरी होता है,वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे में ज्ञानी को भगवान "महात्मा" कहकर अलंकृत कर रहे हैं–

"बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।।" (भगवद्गीता –7/19) '4 7

ज्ञान प्राप्ति के लिये जिनमें संस्कारों का संग्रह किया जाय ऐसे बहुत से जन्मों का अन्त समाप्ति होने पर (अन्तिम जन्म में) परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी अन्तरात्मा रूप मुझ वासुदेव को सब कुछ वासुदेव ही है इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। जो इस प्रकार सर्वात्मरूप मुझ परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाता है वह "महात्मा" है उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है, अतः कहा है कि हजारों मनुष्यों में भी ऐसा पुरुष अत्यन्त दुर्लभ है।

इसलिए तू मेरा भक्त हो जा, मुझमें मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर; ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह सब मैं तुझसे सत्य कहता हूँ; क्योंकि तू मुझे अत्यन्त प्रिय है।

"तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयं।।" (भगवद्गीता –8/7) '48

क्योंकि इस प्रकार अन्त काल की भावना ही अन्य शरीर की प्राप्ति का कारण है इसलिये तू हर समय मेरा स्मरण कर और शास्त्राज्ञानुसार स्वधर्मरूप युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ वासुदेव में जिसके मनबुद्धि अर्पित हैं ऐसा तू मुझमें अर्पित किये हुए मन बुद्धिवाला होकर मुझको ही अर्थात् मेरे यथाचिन्तित स्वरूप को ही प्राप्त हो जायगा इसमें संशय नहीं है।

"मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।

मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः।।" (भगवद्गीता – 18/65) '49

प्रभु का ज्ञानी भक्त उनके प्रौढ़ पुत्र के समान है और अपने बल का मान न करने वाला उनका सेवक उनके शिशु पुत्र के समान है। यहां भी यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भगवान् को जो भक्त जिस भाव से, जिस समर्पण से भजता है, उस ही समर्पण और ज़िम्मेदारी से भगवान् उसको थामे रहते हैं –

"सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा।।"

(रामचरितमानस –अरण्य काण्ड– 43/2) '50

प्रभु बोले– हे मुनि! सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा–भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं,

"करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी।।" (अरण्यकाण्ड–43/3) '51

मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ, जैसे माता बालक की रक्षा करती है।

"प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता।।

मोरें प्रौढ़ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी।।" (अरण्यकाण्ड–43/4) '52

सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परन्तु पिछली बात नहीं रहती (मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है)। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ (सयाने) पुत्र के समान है और (तुम्हारे जैसा) अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है।

अपने सेवक भक्तों के परम हितैषी दीनबंधु और कृपासागर भगवान् उनके कष्टों की किसी भी विधि ठीक करने की ज़िम्मेदारी लेते हैं ।

हरि सेवकहि न ब्याप अबिद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहिबिद्या।।" (उत्तरकाण्ड–79/1) '53

श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती। प्रभु की कृपा से उसे विद्या व्यापती है।

इस प्रकार जो भक्त जिस भाव और जिस समर्पण से प्रभु की शरण में जाता है, वह उसी प्रकार अभय हो जाता है।

संदर्भ

1. श्रीमद्भगवद्गीता (गीता प्रेस, गोरखपुर, स्वामी रामसुखदास)
2. श्रीरामचरितमानस
3. श्रीमद्भागवत
4. अभिज्ञानशाकुन्तलम्
5. नीतिशतकम्

52

कविवर शिव कुमार 'चन्दन' का श्री कृष्ण भक्ति प्रेम (घनाक्षरी छंद के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ० कैलाश चन्द्र दिवाकर

एसोसिऐट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग)

राजकीय महाविद्यालय, रजा नगर, स्वार, रामपुर (उ०प्र०)

सारांश

कविवर शिव कुमार 'चंदन' रचित घनाक्षरी संग्रह 'मन ने भरी उड़ान' उत्तम श्रेणी का काव्य संग्रह है। माँ वीणापाणि सरस्वती की वंदना करने के अतिरिक्त 148 कवित्त घनाक्षरी छंदों में कान्हा की मनोहारी छवियों, अठखेलियों, लीलाओं के साथ बाल क्रीड़ाओं एवं प्रेम प्रसंगों को साकार करने में कवि चन्दन सक्षम रहे हैं। चन्दन जी की कृति की भाषा सरल, सहज एवं सम्प्रेषणीयता को समेटे हुए बोधगम्य है। इसमें अलंकार, समास, लोकोक्तियों एवं मुहावरों को भी अनायास ही स्थान मिल गया है। कहीं–कहीं ब्रज भाषा एवं देशज भाषा के भी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ग्रंथ में सम्मिलित छंद, भाषा व साहित्यिक शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से 'मन ने भरी उड़ान' श्रेष्ठ घनाक्षरी युक्त उत्तम कोटि का काव्य है।

कविवर शिव कुमार 'चंदन' रचित घनाक्षरी संग्रह 'मन ने भरी उड़ान' उत्तम श्रेणी का काव्य संग्रह है। यह छंद 14वीं शताब्दी से आज तक प्रचलन में है। इस छंद की खास विशेषता मनोमुग्धकारी लय एवं प्रवाह है और ध्रुपद ताल में इसकी प्रस्तुति उपयुक्त रहती है। कुछ विद्वानों की राय में कवित्त घनाक्षरी तथा सवैया छंद लोकप्रिय गरिमा–मंडित छंदों में स्थान रखते हैं। हालांकि मात्र वर्णना के साथ तुकांत मिलाकर रचना करना कवि की कुशलता नहीं है, कवि वही होता है तो अपने भाव–उद्‌गारों की लय को छंद में सराबोर करने में सिद्धहस्त हो।

घनानंद कहते हैं –

'लोग है लागि कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत।' [1]

काव्य शास्त्रानुसार कवित्त घनाक्षरी रचना के कई स्वरूप हैं जिनका विधिवत् वर्णन करने का औचित्य यहाँ वांछनीय नहीं है ।

कवि 'चंदन' कवित्त घनाक्षरी की रचना में पूर्णतया सफल सिद्ध हुए हैं। माँ वीणापाणि सरस्वती की वंदना करने के अतिरिक्त 148 कवित्त घनाक्षरी छंदों में कान्हा की मनोहारी छवियों, अठखेलियों, लीलाओं के साथ बाल क्रीड़ाओं एवं प्रेम प्रसंगों को साकार करने में कवि 'चंदन' सक्षम रहे हैं।

'चंदन' की भक्तिपरक एवं भावनापूर्ण घनाक्षरियों में से अपनी पसंदीदा घनाक्षरी उद्‌धृत करूँ तो निश्चय ही बीसेक कवित्त भी अपर्याप्त रहेंगे। श्रेष्ठतर तो नहीं किंतु अपनी पसंदगी की दो–एक घनाक्षरी प्रस्तुत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ –

"नेह मेंह बरसावै, नाचै मन को मयूर
भीजै अंग–अंग झरै प्रीत की फुहार है
मंद–मंद मुस्काय आनंद हिलोर भरै
नेह से विवश रह्‌यो छवि कौ निहार है
राधा मन मोद भरै कृष्ण प्यारी बाँसुरी सै
उमगि–उमगि करें ब्रज में विहार है–
'चंदन' मन झंकृत भयो बार–बार हैं।" [2]

कृष्ण भक्ति में पगे 'मन ने भरी उड़ान' कविता में भाव, भाषा के साथ शिल्प मे रस, छन्द और अलंकारों के अनुशासित प्रयोग के कारण ही भक्ति और रीतिकाल को हिन्दी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। आधुनिक काल में भारतेन्दु, द्विवेदी युग तथा छायावाद तक कविता छन्दबद्ध रही। छायावादी कवि कल्पना को विशेष महत्व देने लगे, तभी प्रगतिवाद का उदय छायावाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। प्रगतिवादियों ने झूठी काल्पनिकता एवं पलायन की प्रवृत्ति के विरोध में स्वर दिया तथा कवियों को बार–बार आकाश से पृथ्वी पर उतर आने का आग्रह अर्थात् प्रगतिशील यथार्थ को कविता में ढ़ालने का आग्रह किया –

'इस धरती की बात करो प्रिय,
मत अम्बर की ओर निहारो।'

तथा

'पखेरू भले छत छुओ व्योग की तुम,
धरा पर तुम्हें लौट आना पड़ेगा।'

और

'नवयुग शंख ध्वनि जगा रही,
तू जाग–जाग मेरे विशाल।' [3]

जैसी पंक्तियाँ इसी की प्रतिध्वनि हैं।

प्रगतिवाद के वाद आये प्रयोगवाद में कवि अपनी–अपनी ढ़पली, अपना–अपना राग लेकर लक्ष्यविहीन होकर काव्य क्षेत्र में दौड़ लगाने लगे। कविता में भावना कम और बुद्धि अधिक रहने लगी। बुद्धि की अति जागरूकता ने ही कवि को आलोचक भी बना दिया और वह गद्य में कविता करने को बाध्य हो गया। समकालीन या नई कविता के कवियों को इस प्रकार की कविता में विचारों को प्रकट करने का विस्तृत फलक दिखाई दिया, इससे कविता अकविता या गद्य के रूप में आ गई। यदि कविता कामिनी के मुख को दैदीप्यमान रखना है तो नये मानवतावाद के विकास के साथ–साथ कवियों को उसकी सम्प्रेषणीयता के लिये भाषा की पुरानी व्यंजना शक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा और काव्य सौन्दर्य के लिये उसे छान्दसिक बनाने के साथ–साथ रस और अलंकार युक्त करना पड़ेगा। क्योंकि –

"कविता में अनिवार्य है कथ्य, शिल्प, लय, छन्द।
ज्यों गुलाब में रूप, रस, गंध और मकरंद।।" [4]

आधुनिक काल में जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने कवित्त घनाक्षरी में काव्य रचना कर रीतिकालीन आचार्य कवियों जैसा कला कौशल दिखाया। इनकी भाषा ब्रज थी जो काव्य रचना के लिये उन दिनों उपयुक्त मानी जाती थी। बाद में खड़ी बोली में काव्य रचना तो हुई परन्तु घनाक्षरी, सवैया, दोहा, कुण्डलिया, रोला आदि छन्दों का प्रयोग घट गया। यह हर्ष की बात है कि वर्तमान में कवियों की रूचि इस ओर बढ़ी है।

कविवर श्री शिव कुमार 'चंदन' के घनाक्षरी संग्रह 'मन ने भरी उड़ान' कृति में 159 घनाक्षरी तथा 20 सवैया छन्द समाहित हैं। घनाक्षरी वार्णिक सम छन्द हैं तथा दण्डक वर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 8887 वर्णों पर यति के साथ 31 वर्ण होते हैं। उसे मनहर कवित्त भी कहा जाता है। रूप घनाक्षरी में प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं और 8888 वर्णों पर यति होती है तथा अन्त में लघु–गुरू वर्ण होते हैं। देव घनाक्षरी में 33 वर्ण 8889 वर्णों की यति के साथ होते हैं परन्तु अन्त में तीन लघु होते हैं।

'मन ने भरी उड़ान' के छन्दों की श्रेष्ठता का कारण कवि की काव्य–कुशलता के साथ इनका भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं को समर्पित होना भी है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस के बारे में कहा है – **"एहि महँ रघुपति नाम उदारा।"** [5] इसलिए यह सभी को प्रिय होगा। यही बात श्री शिव कुमार 'चंदन' की कृति 'मन ने भरी उड़ान' पर भी लागू होती है। घनाक्षरी छन्द में एक यति से दूसरी यति पर तुकांत मिलाना आवश्यक नहीं होता है परन्तु यदि ऐसा हो जाय तो कवित्त की मनोहरता द्विगुणित हो जाती है। इसके लिये कृति से एक छन्द दृष्टव्य है –

"वृन्दावन नीको लगै, मगन हैं ग्वाल–बाल, नन्द बाबा के लाला की लीला मनोहारी है।
धारे मोर–पंख भाल, नैना कारें हैं विशाल,
पीत पटवारो कान्हा, ये कुंजबिहारी है।
गले में बैजयन्ती माल, करै जग प्रतिपाल,
गौपिन को प्राण–प्यारो, मदनमुरारी है।
भक्तन सों करै प्रीत, 'चंदन' को सभी मीत,
वंशी को बजैया, बनो पाप–ताप हारी है।" [6]

कवि ने यहाँ कृति में समाहित अधिकांश छन्द कृष्ण की लीलाओं को समर्पित करते हुये कभी दास्य भाव और कभी सखा भाव से विनय की है, वहीं वर्तमान विसंगतियों को भी रेखांकित कर कवि धर्म का निर्वाह किया है यथा –

"दूध, दही, माखन सुलभ होय किस विधि,
लोभ स्वार्थ जीवन में ऐसो घुसि आयो है।

मोह–जाल मे आकंठ मानव फंसो है आज,
जगत–जंजाल में तो मन भरमायो है ·
अतिथि को भोग लागे दूध, दही से नाय,
चाय–नमकीन, विस्कुट कौ घर लायो है।
'चन्दन' को आज कान्हा, अचरण भारी भयो,
पालें न गऊ व्यर्थ जीवन गंवायो है।'' [7]

कविवर श्री शिव कुमार 'चन्दन' कविता के कुशल चितेरे हैं। इनके द्वारा हिन्दी भाषा के लिये किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। [8]

यूँ तो छन्द अपने आप में सुन्दर बन पड़े हैं फिर भी 'मन ने भरी उड़ान' के कुछ छन्दों की कुछ पंक्तियाँ यहाँ दृष्टव्य है। कवि चन्दन जी माँ सरस्वती की स्तुति में अपनी भावना प्रकट करते हुये कहते हैं कि –

''मातु वीणावादिनी! तू पथ को प्रशस्त कर,
छन्द के विधान में यों रस भर जाओ माँ।
स्वर–साधना में नृत्य, मरै मन को मयूर,
हौले–हौले वासंती बयार को बहाओ माँ।''

अपने इष्ट कान्हा को उलाहना स्वरूप कहीं गयीं ये पंक्तियाँ भी सुन्दर बन पड़ी हैं –

''छनन–छनन पैंजनियाँ बाज रहीं,
ग्वाल–बाल संग कान्हा खेलन कू आयो है।'' [9]

कविवर शिव कुमार 'चंदन' के मन मस्तिष्क में श्री कृष्ण की छवि बहुत गहरे तक समायी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण, सूरदास और घनानन्द उनके मन मस्तिष्क में ऊँचे सिंहासन पर विराजमान हैं। निम्नांकित पंक्तियों से यही प्रतीत होता है –

''सूनो–सूनो लागै अब, सिगरौ ही ब्रजधाम
कहाँ गयौ चितचोर, ललित ललाम है
कमल ना परत कलपत, कान्हा तेने बिन
सुध–बुध खोयी नहीं, पायो विसराम है
बावरो सो भटक रह्यो, बन कै अनाथ मैं
जहाँ है कन्हैया वहाँ आनंद को धाम है
कृपा कर दरस दिखाय, जा ओ निष्ठुर
'चंदन' कौ प्रिय एक मात्र घनश्याम है।'' [10]

इतना सब कुछ देखने के बाद कहीं मीरा और रसखान भी उनके काव्य में हिलोरे मारने लगते हैं। यदि कोई अन्जान 'चंदन' जी के साहित्य को पढ़े तो वह धोखा खा जायेगा और निश्चित ही इसे मीरा, रसखान अथवा घनानन्द आदि की वाणी समझेगा।

''मोह रही मन प्यारी, बाँसुरी की धुन मोय
राधा रानी संग आय, बाँसुरी बजाय दे
टेर रहे तोय कान्हा, 'चंदन' के भक्ति गीत
बाँसुरी के स्वर में तू, गीत कौ मिलाय दे
नाचत मयूर मन, अवलोक घनश्याम
बाँकी दिव्य झाकी के दरस तौ कराय दे
गइया बछरा आज, ताक रहे राह तेरी
धरती पर आए गौ–लोक कौ सजाय दे।'' [11]

'मन ने भरी उड़ान' कविवर शिव कुमार 'चंदन' जी की वास्तव में वह कृति है जिसे जितना देखो उतने ही नये रंग विचार मन में आने लगते हैं। वास्तव में यह रचना वृहद् शोध ग्रन्थ लिखने योग्य है। संक्षिप्त शोध पत्र में समेटना बहुत मुश्किल है। कविवर शिव कुमार 'चंदन' जी ने प्रकृति चित्रण में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है –

''बौर लागे बागन मैं, आमन की डाल–डाल
फागुन मैं बसंत को, अनंग बौरायो है
छाय रही मादक सी, मनोहारी मधु गंध
जादू घर आँगन में, फागुन कौ छायो है
मन नै भरी उड़ान, गगन मैं पंख बिन
प्रीत भरो मन मीत, भू–लोक लौ छायो है
मदमाते नयन हैं, नयन कौ देख रहे
'चंदन' नै मधुरिम गीतन कौ गायो है।'' [12]

ऐसा प्रतीत होता है कि ''मन ने भरी उड़ान'' में कवि वास्तव में उड़न खटोले पर ही सवार हो गया है, इसीलिए भाँति–भाँति के चित्रण करने में पूर्ण दक्षता का परिचय दिया है। कवि अपने को अबोध व नादान बालक कहकर प्रस्तुत कर रहा है, निम्न छन्द से ऐसा ही प्रतीत होता है –

''निबल अबोध हौं मैं, मोपै कछु गुण नाय
तऊँ ऐसी लगन लगाई याहि आस मैं
परि जाय मोपै यदि कृपा की एक दृष्टि
दरस मिलैगो मोय पूरण विश्वास है
छवि है बसायी चित्त धुंधली सी लाग रही
पूर्णिमा की चाँदनी से बिखरो उजास है
कान्हा! आयो हौं शरण मैं चन्दन सुदामा सों
मीत को बहाने करौ दासन को दास है
बाँसुरी की धुन पै थिरक रही ब्रज बाला
कान्हा को बसाय हिय, अधर पै नाम है
आनंद मैं बेसुध ह्वै झूम रह्यो ब्रज सब
कृष्ण–कृष्ण–कृष्ण गूंजै कृष्ण सुखधाम है
मोहै मन बांसुरी सै चेतन ओ अचेतन कौ
रूप माधुरी सै चेतन ओ अचेतन कौ
रूप माधुरी सै सोहै प्यारो छवि धाम है
'चंदन' कौ लगन लगी सलोने साँबरे को
राधा संग बाँकी झाँकी ललित ललाम है।'' [13]

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात् हम कह सकते हैं कि चन्दन जी की कृति की भाषा सरल, सहज एवं सम्प्रेषणीयता को समेटे हुए बोधगम्य है। इसमें अलंकार, समास, लोकोक्तियों एवं मुहावरों को भी अनायास ही स्थान मिल गया है। कहीं–कहीं ब्रज भाषा एवं देशज भाषा के भी शब्दों का प्रयोग हुआ है।

'मन ने भरी उड़ान' ग्रंथ में भाव की प्रधानता के साथ सामान्य बोलचाल की भाषा ही प्रयुक्त की गई है। यह भाषा ब्रज भाषा के समक्ष प्रतीत होती है। ग्रंथ में सम्मिलित छंद, भाषा व साहित्यिक शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से 'मन ने भरी उड़ान' श्रेष्ठ घनाक्षरी युक्त उत्तम कोटि का काव्य है।

संदर्भ

1. मन ने भरी उड़ान – शिव कुमार 'चन्दन', पृष्ठ 3
2. मन ने भरी उड़ान – शिव कुमार 'चन्दन', पृष्ठ 4
3. मन ने भरी उड़ान – आमुख (डॉ0 मुरारी लाल सारस्वत), पृष्ठ 6

4. मन ने भरी उड़ान – पृष्ठ 7
5. श्री रामचरित मानस – गोस्वामी तुलसी दास, बाल काण्ड़, पृष्ठ 110
6. मन ने भरी उड़ान – शिव कुमार 'चन्दन', पृष्ठ 5
7. मन ने भरी उड़ान – शिव कुमार 'चन्दन', पृष्ठ 9
8. शिव शंकर यजुर्वेदी– सम्पादक, गीताप्रिया त्रैमासिक
9. मन ने भरी उड़ान – शिव कुमार 'चन्दन', पृष्ठ 8
10. मन ने भरी उड़ान – शिव कुमार 'चन्दन', पृष्ठ 10
11. मन ने भरी उड़ान – शिव कुमार 'चन्दन', पृष्ठ 18
12. मन ने भरी उड़ान – शिव कुमार 'चन्दन', पृष्ठ 25
13. मन ने भरी उड़ान – शिव कुमार 'चन्दन', पृष्ठ 53

विशेष आभार – हंस पत्रिका, वागार्थ पत्रिका एवं अमर उजाला, दैनिक जागरण तथा दैनिक भास्कर के हिन्दी विशेषांक आदि।

53

रणभूमि में अर्जुन की मनःस्थिति और श्रीमद्भगवद्गीता का प्राकट्य

डॉ० रंजना अग्रवाल

एसोसिएट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग)

एन.के.बी.एम.जी. कॉलेज, चंदौसी

सारांश

श्रीमद्भगवद्गीता अर्जुन के कर्णगह्वरों से होकर, उनके अन्तस्थल में विश्राम कर, समस्त संसार के मनुष्यों के मन–मन्दिरों में विचरण कर रही है, उस अर्जुन की मनोभावभूमि को देखना और समझना भी एक अलौकिक अनुभव है। जब भगवद्गीता का अवतरण हुआ, उस समय अर्जुन की मनःस्थिति कैसी थी? किन परिस्थितियों में उस महान् योद्धा की मनःस्थिति में अकस्मात् ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसने सम्मुख युद्ध में भाग लेने से ही इंकार कर दिया? वह परिवर्तन क्या था? वह कैसे और क्यों हुआ था? जब अर्जुन, युद्धभूमि में श्रीकृष्ण द्वारा दोनों सेनाओं के मध्य रथ ले जाने पर, यह देखता है कि उसे जिनके साथ युद्ध करना है, वह सब तो उसके अपनी ही सम्बन्धी हैं, मित्र हैं, भाई–बन्धु हैं। इस प्रकार अर्जुन का कौटुंबिक मोह जाग्रत हो जाता है और वह धनुष–बाण रखकर रथ के मध्य भाग में जाकर बैठ जाता है और अर्जुन की इस मनःस्थिति में भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन के मोह को दूर कर उसको कर्म के प्रति प्रेरित करने वाले उपदेश देते हैं।

मेरे इस शोधपत्र में हम विषादग्रस्त अर्जुन की मनःस्थिति और श्रीकृष्ण द्वारा उसके मोह को दूर करके, उसके सभी सन्देहों का निवारण करने वाले उपदेशों को हृदयंगम करेंगे। यही उपदेश श्रीमद्भगवद्गीता का प्राकट्य भी है।

वेद भगवान् के निःश्वास हैं और 'गीता' भगवान् की वाणी है। निःश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, किंतु 'गीता' भगवान् ने योग में स्थित होकर कही है–

"न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तुमशेषतः।

परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया।।" –१, महाभारत, आश्व. १६/१२–१३

भगवान् बोले– वह सब–का–सब उसी रूप में फिर दोहरा देना मेरे वश की बात नहीं है, उस समय मैंने योगयुक्त होकर परमात्मतत्व का वर्णन किया था।

'गीता' उपनिषदों का सार है, किंतु वास्तव में गीता उपनिषदों से भी विशेष है; क्योंकि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है; जैसे आकाश में केवल एक गुण 'शब्द' है, किंतु आकाश के कार्य वायु में दो गुण 'शब्द' और 'स्पर्श' हैं। गीता को वास्तविक रूप में जानने में कोई समर्थ नहीं। गीता में निहित भावों का वर्णन मनुष्य की अपनी बुद्धि मात्र का परिचय है–

"सब जानत प्रभु प्रभुता सोई।

यद्यपि कहे बिनु रहा न कोई।।" –२, रामचरितमानस, बालकाण्ड, १३–१

यह भगवद्गीता, अर्जुन के कर्णगह्वरों से होकर उसके अन्तस्थल में विश्राम कर, समस्त संसार के मनुष्यों के मनमन्दिरों में विचरण कर रही है, उस अर्जुन की मनोभावभूमि को देखना और समझना भी एक अलौकिक अनुभव है।

जब भगवद्गीता का अवतरण हुआ उस समय अर्जुन की मनःस्थिति कैसी थी? किन परिस्थितियों में उस महान् योद्धा की मनःस्थिति में अकस्मात् ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसने सम्मुख युद्ध में भाग लेने से ही इंकार कर दिया? वह परिवर्तन क्या था? वह कैसे और क्यों हुआ था?

इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए हम भगवद्गीता के प्रथम अध्याय का एक सिंहावलोकन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि रणभूमि में श्रीकृष्णार्जुन का यह संवाद इतना लोकप्रिय क्यों है!

धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपनी सेना के वीर योद्धाओं को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य से कह रहा है– हे आचार्य! हमारी सेना में आप, भीष्म पितामह ,कर्ण और गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महान् पराक्रमी शूरवीर हैं, इसलिए हमारी विजय निश्चित है।

आचार्य द्वारा कुछ उत्तर न दिए जाने पर दुर्योधन को निरुत्साहित देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म पितामह शंख बजाते हैं –

"सत्य सञ्जयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।

सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्।।" –३ भगवद्गीता, १/ १२

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीम ने भी अपने–अपने शंख बजा दिये–

"पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धन्ञ्जयः।

पौण्ड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः।।" –४, भगवद्गीता, १/१५

पाण्डव सेना की वह शंखध्वनि इतनी भयंकर हुई कि उस ध्वनि–प्रतिध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को भी गुँजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भी विदीर्ण कर दिये, देखिए –

"स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्।

नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।।" –५, गीता, १/१६

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कौरवों की ११ अक्षौहिणी सेना थी और पाण्डवों की ७ अक्षौहिणी सेना थी, तथापि पाण्डवों की ७ अक्षौहिणी सेना की शंखध्वनि से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गये; इसका कारण कौरवों के अधर्म, अन्याय और छलयुक्त पक्ष का होने के कारण निर्बल और कमजोर हृदयों वाला होना था।

इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय–अधर्म युक्त आचरण कदापि न करे।

सभी पाण्डव एक दैवी उत्साह से भर उठे थे। कौरव सेना को भली– भाँति व्यवस्थित और अपनी सेना को युद्ध के लिए उत्साहित देखकर युद्ध की इच्छा से अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया, देखिए–

"अथ व्यवस्थितान् दृष्टवा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः।

प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः।।" –६, गीता, १/२०

इस समय तक अर्जुन के मन में पूर्ण आत्मविश्वास था और वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को पराजित कर अपनी विजय प्राप्ति के प्रति चिंतारहित था। इसी समय अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि एक बार देखूँ कि उसे कौन–कौन से योद्धाओं के साथ युद्ध करना है और इसी जिज्ञासावश कपिध्वज अर्जुन ने अपने सारथी बने अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्ण से यह वचन कहे –

'"सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत।" –७, गीता, १/२१

हे अच्युत! (कभी किसी कार्य से च्युत न होने वाले) दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। भगवान् ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा, मानो ऐसा करने का औचित्य पूछ रहे हैं! अर्जुन ने श्रीकृष्ण को दोनों सेनाओं के मध्य रथ खड़ा करने का औचित्य इस प्रकार बताया–

"यावदेतान्निरीक्षेहं योद्धुकामानवस्थितान्।

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे।।" –८, गीता, १/२२

अर्जुन कहते हैं कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का प्रिय करने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आये हुए हैं, युद्ध करने को उतावले इन सबको मैं देख लूँ–

"योत्स्यमानानवेक्षेहं यह एतेत्र समागताः।

धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्शवः ।।" –९, गीता, १/२३

यहां यह ध्यातव्य है कि यहाँ पूर्व श्लोक की भाँति 'निरीक्षे' शब्द नहीं, 'अवेक्षे' शब्द आया है। इसका तात्पर्य यह है कि मैं उन्हें तिरस्कारपूर्वक देखूँगा। तिरस्कार का एक कारण दुर्योधन का साथ देना है और दूसरा यह कि मेरे द्वारा ये तुच्छ लोग अब मारे जाएँगे। यहाँ के श्लोकों तक अर्जुन के मन में युद्ध की और उसमें असंदिग्ध रूप से विजय प्राप्ति की इच्छा स्पष्टता से दिखाई दे रही है।

भगवान् ने वह उत्तम रथ दोनों सेनाओं के मध्य में उस स्थान पर खड़ा किया, जहाँ पर पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण सब राजाओं के साथ खड़े थे। श्रेष्ठ रथ खड़ा करके अर्जुन से कहते हैं –

"'उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति।" –१०, गीता, १/२५

हे पार्थ! इन इकठ्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो।

यहां 'कुरु' शब्द में कौरव और पाण्डव दोनों आ जाते हैं, क्योंकि यह दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को देखो– ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही हैं, एक ही कुटुम्बी हैं और अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जाग्रत हो जाए और मोह जाग्रत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए; जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान् उपदेश दिया जा सके।

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण का यह पहला वक्तव्य है। यद्यपि यहाँ पर श्रीभगवानुवाच नहीं लिखा है, परन्तु उवाच और इति के बीच का पूरा वक्तव्य स्पष्ट रूप से श्रीकृष्ण का ही है।

अर्जुन ने सभी योद्धाओं पर दृष्टि डाली। वे उसे विपक्षी योद्धा नहीं अपितु दादा–परदादा, ताऊ–काका, आचार्य, भाई, पुत्र–पौत्र, मित्र, श्वसुर और अन्य हितैषी दिखे। यह कौटुंबिक स्नेह था कि जिसके कारण कुन्तीनंदन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करने लगा। ('कृपयाविष्टः' पद से सिद्ध होता है कि अर्जुन में यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आती है। अतः यह आगन्तुक दोष है, आगन्तुक होने से यह ठहरेगा नहीं, और शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह रहेगी ही।) उसके मन पर अद्भुत प्रभाव हुआ। वह सोचने लगा कि ये सब मेरे सम्बन्धी, मित्र और भाई हम लोगों के द्वारा मारे जाएँगे। अब भी उसे अपनी क्षमता और विजय के प्रति कोई शंका नहीं थी। वह तो इन लोगों के मारे जाने में अपनी अपार हानि को देखने लगा था।

बस, यहीं से अर्जुन के मन में युद्ध की उपादेयता पर सन्देह होने लगा। युद्ध जीतने पर जिस परिणाम की आशा अर्जुन को थी, वह परिणाम उसे विपरीत लगने लगा। उसके मन में विचारों की एक आँधी सी चलने लगी। अर्जुन के मन–मस्तिष्क में एक विलक्षण द्वन्द चलने लगा। मन में उठ रहे मनोविकारों के कारण उसकी विचारशक्ति ही प्रभावित होने लगी। इतना ही नहीं, मन पर पड़े इस विपरीत प्रभाव के कारण उसके शरीर पर भी भौतिक प्रभाव परिलक्षित होने लगा। इस मनोरोग के कारण अपने शरीर की भौतिक रुग्णावस्था का वर्णन अर्जुन ने स्वयं किया था।

अर्जुन श्रीकृष्ण से बोले –

"सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।।
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।।
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते।
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः।।" –११, गीता, १/२६,३०

शारीरिक रुग्णता

सीदन्ति मम गात्राणि – मेरा शरीर शिथिल पड़ गया है।

मन की दुविधा के कारण शरीर ढीला पड़ गया है।

मुखं च परिशुष्यति – मेरा मुख सूख रहा है।

बहुत अधिक चिन्ता और विषाद होने पर व्यक्ति का कण्ठ सूखने लगता है। ओंठों पर पपड़ी जम जाती है। कण्ठ से बोला ही नहीं जाता।

वेपथुश्च शरीरे मे – मेरा सारा शरीर काँप रहा है।

अनिष्ट की आशंकाओं से शरीर काँपने लगता है। बहुत बड़ी हानि होने की सम्भावना से शरीर स्थिर नहीं रह पाता। एक कँपकँपी सी होने लगती है।

रोमहर्षश्च जायते – मेरे रोंगटे खड़े हो गए है। भयानक परिदृश्य की कल्पना करने पर प्रायः मनुष्यों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह भय के कारण होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अर्जुन का भय, युद्ध में मरने अथवा पराजित होने का भय नहीं है। वह तो युद्ध में उपर्युक्त सगे–सम्बन्धियों के मारे जाने पर उत्पन्न परिस्थिति का भय था।

गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् – मेरा गाण्डीव धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है।

हाथ पाँव काम ही नहीं कर रहे हैं। गाण्डीव धनुष को ही ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है। वह हाथ से सरकता जा रहा है।

त्वक्च परिदह्यते – सारे शरीर की त्वचा, ज्वर के कारण गम्भीर रूप से तप रही है।

अर्जुन को वहाँ रणभूमि में ही ज्वर (बुखार) का प्रकोप हो गया था। भीषण ज्वर से सारी देह में जलन हो रही थी।

न च शक्नोम्यवस्थातुम् – और मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ।

उसकी स्थिति इतनी गम्भीर हो रही थी कि उसे ठीक से खड़ा रहना ही कठिन लगने लगा था।

भ्रमतीव च मे मनः– मुझे मेरा मन भ्रमित होता हुआ सा लग रहा है।

ऐसी विकट परिस्थिति में मनुष्य को प्रायः चक्कर भी आने लगते हैं। अर्जुन को भी वहाँ चक्कर आने लगे थे।

यह सब, अर्जुन की शारीरिक स्थिति का वर्णन है। वीरयोद्धा अर्जुन की ऐसी शारीरिक दशा क्यों हो गई थी?

उसने रणभूमि में युद्ध के लिए आए हुए स्वजनों के मारे जाने का पूर्वावलोकन कर लिया था। उसका अवलोकन इस प्रकार था।

अवलोकन

"निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे।।" –१२, गीता, १/३१

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि

अर्जुन ने युद्ध के परिणामों का आकलन कर श्रीकृष्ण को सूचित किया कि हे केशव! मैं लक्षणों (शकुनों) को विपरीत देख रहा हूँ। युद्ध में प्राप्त विजय, किसी भी प्रकार से सुखदायी नहीं होगी प्रत्युत महान् दुःख का कारण बनेगी।

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे

उसने कहा कि रणभूमि में अपने स्वजनों की हत्या करना, उसे कोई भला अथवा श्रेयस्कर कार्य दिखाई नहीं दे रहा है।

अर्जुन के विचार और कामना

इस परिस्थिति में अर्जुन ने श्रीकृष्ण को बताया कि यहाँ पर वह क्या चाहता है!

"न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च"।

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा।।" –१३, गीता, १/३

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च

इस युद्ध को करके मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुख चाहता हूँ।

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा

वह भगवान कृष्ण से ही पूछ रहा है कि गोविन्द तुम्हीं बताओ! ऐसी विजय के पश्चात् भोग्य पदार्थों का क्या उपयोग? और जीवन का भी क्या लाभ?

"गुरूनहत्वा हि महानुभावाञ्छ्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके।

हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्।।" –१४, भगवद्गीता, २/५

गुरुओं और महानुभावों की हत्या करने से तो संसार में भिक्षा माँगकर खाना अधिक अच्छा है।

इस संग्राम में, अर्थ और काम की पूर्ति के लिए गुरुओं की हत्या करके, जो भोग्य पदार्थ, भोग करने हेतु उपलब्ध होंगे, वे उनके रक्त से सने हुए ही होंगे।

"न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमोच्छोषणमिन्द्रियाणाम्

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्।।" –१५, भगवद्गीता, २/८

इस युद्ध में विजय प्राप्त करके सम्पूर्ण पृथ्वी का निष्कण्टक और धन–धान्य से सम्पन्न राज्य और यहाँ तक कि देवताओं का आधिपत्य मिल जाने पर भी, मुझे नहीं दिखाई देता कि ये सब मेरे उस शोक को दूर कर पाएँगे, जो मेरी इन्द्रियों को सुखाए डाल रहा है।

अर्जुन की इस शारीरिक स्थिति और उसके इस अवलोकन के पक्ष में उसके बौद्धिक तर्क भी थे। उन्हें भी वह श्रीकृष्ण के समक्ष रखता है।

अर्जुन के बौद्धिक तर्क–

"येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च।।" –१६, भगवद्गीता, १/३३

जिन परिजन, प्रियजन और गुरुजनों के लिए हम, राज्य, उत्तम भोग और सुख पाने की इच्छा करते हैं, वे सब तो इस रणभूमि में समुपस्थित हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने धन और प्राणों को भी त्याग दिया है। वे यहाँ मरने के लिए ही खड़े हैं। तब हम राज्य, भोग और सुख लेकर क्या करेंगे?

"निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन।" –१७, भगवद्गीता, १/३६

इन धार्तराष्ट्रों का वध करके हमें क्या प्रसन्नता होगी?

"पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः।" –१७, भगवद्गीता, १/३६

इन आततायियों की हत्या करके तो हमें पाप का ही आश्रय लेना पड़ेगा अर्थात् हमें पाप ही लगेगा।

"यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः।

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्।।" –१८, भगवद्गीता, १/३८

यद्यपि लोभ से इनका चित्त नष्ट हो जाने के कारण, ये लोग कुलक्षय होने का दोष और मित्रद्रोह का पाप नहीं देख रहे हैं।

"कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्।

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन।।" –१६, भगवद्गीता, १/३६

कुलक्षय करने के दोष को देखते और समझते हुए, हम (श्रेष्ठ) लोगों को इस पाप से बचने का उपाय, क्यों नहीं जानना चाहिए?

"कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः।" –१६, भगवद्गीता, १/४०

कुल के क्षय होने से कुल के सनातन धर्म, वेगपूर्वक नष्ट हो जाते हैं।

"धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत।" –२०, भगवद्गीता, १/४०

जिस कुल में धर्म पूर्णतः नष्ट हो जाता है, उसमें अधर्म होने लगता है।

"अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः।" –२०, भगवद्गीता, १/४१

अधर्म के होने से कुल की स्त्रियाँ प्रदूषित होने लगीं हैं। (वे बुरे विचारों से युक्त होने लगतीं हैं।)

"स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः।।" –२१, भगवद्गीता, १/४१

इस प्रकार की दुष्ट स्त्रियों में वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न होने लगती है।

"सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च।

पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः।।" –२२, भगवद्गीता, १/४२

ये वर्णसंकर, कुल और कुल का घात करने वालों को नरक दिलाने के लिए ही होते हैं। तब इनके पितर, पिण्डोदक क्रिया (आजीविका) के नष्ट हो जाने के कारण नरक (महान् कष्ट) में गिर जाते हैं।

"दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः।

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः।।" –२३, भगवद्गीता, १/४३

कुलघातियों के इन वर्णसंकरों के अनेक दोषों के कारण जातिधर्म और शाश्वत कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं।

भारत सहित विश्व के अनेक जातिवादी संगठनों और विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रेरक विचार, अर्जुन का यही तर्क है। अपने–अपने जाति, धर्मों और अपने–अपने सांगठनिक कुलधर्म की रक्षा की चिन्ता में डूबे हुए और इस हेतु किसी भी सीमा तक जाने वाले, विश्व भर में फैले, लोगों का यही विचार रहता है, जो अर्जुन का यह विचार है। इन लोगों को सनातन और शाश्वत धर्म की कोई चिन्ता नहीं रहती।

"कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन।

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन।।" –२४, भगवद्गीता, २/४

मधुसूदन! आप बताइए कि युद्ध में मैं, भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूँगा? हे अरिसूदन! ये दोनों तो पूजनीय हैं।

अपने प्रबल तर्कों के आधार पर अर्जुन सोचता है कि इतना सब जानते हुए भी हम इस युद्ध में मारकाट करने के लिए उद्धत हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है!

अर्जुन का आश्चर्य–

"अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्।

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः।।" –२५, भगवद्गीता, १/४५

अहो! यह बड़े शोक की बात है कि हम बहुत बड़े पाप को करने में जुट गए हैं। हम राज्यसुख के लोभ में आकर अपने ही लोगों की हत्या करने को उद्यत हो गये हैं।

अब अर्जुन अपनी समस्या को सामासिक रूप में बता रहा है। वे समस्याएँ गिनती में तीन हैं।

समस्या

"न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः।

यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः।।" –२६, भगवद्गीता, २/६

हम यह नहीं जानते कि हममें से कौन श्रेष्ठ है? हम श्रेष्ठ हैं अथवा ये कौरव लोग? अभी तो अर्जुन कह रहा था कि हम लोग बहुत समझदार हैं। ये लोग कुलक्षय के दोष और मित्रद्रोह के पाप को देख ही नहीं पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं।

इसलिए यह 'स्मृति दोष' है।

हम यह भी नहीं जानते कि हम उनको जीत लेंगे अथवा वे हमें जीत लेंगे! जो अर्जुन अपने अपार सामर्थ्य पर कभी सन्देह नहीं करता था, जो सभी कौरवों को मार डालने की बात कर रहा था और उससे कोई लाभ नहीं देखता था, वह अकस्मात् यह कैसे कह सकता है कि हम जीतेंगे अथवा वे? यह 'सन्देह' है।

जिनको मारकर तो हम स्वयं ही जीवित नहीं रहना चाहते; वे ही प्रमुख धृतराष्ट्र यहाँ खड़े हैं। तात्पर्य यह कि हम लोग इनको मार भी डालें तो हमारा जीवन भी तो निष्प्रयोजन हो जाएगा।

यह 'मोह' है।

इस प्रकार अर्जुन को स्मृतिदोष, सन्देह और मोह नामक मनोरोगों ने जकड़ रखा था।

इन मानसिक रोगों के प्रभाव में आकर वह उसी रणभूमि में श्रीकृष्ण को अपना निर्णय सुनाता है।

अर्जुन का निर्णय

"एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन।

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते।।" –२७, भगवद्गीता, १/३५

मैं मारा जाता हुआ भी, इन लोगों को मारना नहीं चाहता। यह तो मैं तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं करूँगा, तब धरती के इस राज्य की तो बात ही क्या है।

भारत में गांधी जी जैसी हस्ती, अर्जुन के इसी विचार का अनुगमन करते थे। वे भी खुलकर कहते थे कि हम अंग्रेजों पर कोई आघात नहीं करेंगे, भले ही वे हमें मारते चले जाएँ। इन लोगों पर आघात करके तो उनको भारत की स्वतन्त्रता भी नहीं चाहिए थी; तब असहयोग आन्दोलन की सफलता की तो बात ही क्या थी?

"यदि मामप्रतिकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्।।" –२८, भगवद्गीता, १/४६

वह और भी कहता है कि यदि मुझ अशस्त्र (शस्त्रहीन, हथियार विहीन) को ये धृतराष्ट्र के पुत्र और समर्थक, रणभूमि में मुझे मार भी डालें तो भी वह मर जाना, मुझे अधिक कल्याणकारी होगा।

यह ठीक वही बात है, जो भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में गांधी जी के अहिंसा और असहयोग के अभियानों का प्रमुख आधार थी। गांधी जी भी अर्जुन के समान आततायियों को मारने की तुलना में स्वयं मर जाना श्रेयस्कर समझते रहे। यहां मैं प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री रामप्रसाद बिस्मिल का वह जग–प्रसिद्ध काव्यांश लिखना उचित समझती हूँ, जिसे वीरता का पर्याय माना जाता था। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिये, इसलिए वह हम सबके लिए अत्यंत वंदनीय हैं–

"सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ु ए क़ातिल में है।"

अब हमारे मन में अपना सिर कटा देने की प्रबल अभिलाषा जाग्रत हो उठी है। अब तो हमें केवल यह देखना है कि हमारा सिर काटने वाले की भुजाओं में कितना बल है?

यह विचार उनके हुतात्मविचारों के कारण भले ही श्लाघ्य हो परन्तु वस्तुतः यह अर्जुन का ही विचार है।

यह विचार श्रीकृष्ण का नहीं है। उन्होंने तो इस विचार को तिरस्कार के योग्य समझ कर, इसे कश्मलम्, अनार्यजुष्टम्, अस्वर्ग्यम् और अकीर्तिकरम् कहकर अर्जुन को डाँट लगाई थी।

"न योत्स्ये।" –२९, भगवद्गीता, २/९

अर्जुन ने स्पष्ट शब्दों में अपना निर्णय सुनाया कि "मैं युद्ध नहीं करूँगा"।

अर्जुन का यह निर्णय अभूतपूर्व और अप्रत्याशित था। यह अर्जुन के मूल स्वभाव के विपरीत तो था ही, साथ ही उसके स्वधर्म (एक योद्धा के कर्त्तव्य) के भी विपरीत था। उसका यह युद्ध न करने का निर्णय, विषम समय और परिस्थिति में लिया गया था।

यह तो वैसा ही निर्णय था –

मानों किसी उत्कृष्ट और कृषि कार्य के किसान ने, जिसके ऊपर अनेक परिजनों के भरण–पोषण का दायित्व हो, कई वर्षों की अनावृष्टि के उपरान्त वर्षा होने और खेत के उर्वर होने पर बीज बोने से ही मना कर दिया हो।

अर्जुन की चेष्टा

इस पूरे प्रकरण में अर्जुन ने भौतिक रूप से केवल दो चेष्टाएं की थीं। पहली युद्ध के लिए उत्साहित होकर अपना धनुष उठाना।

"धनुरुद्यम्य पाण्डवः।" –३०, भगवद्गीता, १/२०

दूसरी, युद्ध के प्रांगण में कौटुंबिक जनों को देखकर, मोहग्रस्त होकर, अनुमानित परिणामों को मनोऽनुकूल न पाकर, निराश और विषादग्रस्त होकर उसी रणभूमि में, उसी धनुष का स्वेच्छा से त्याग कर देना।

"एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्।

विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः।।" –३१, भगवद्गीता, १/४७

ऐसा कहकर शोकसंविग्न मन वाला अर्जुन, बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में अपने रथ के मध्य भाग में बैठ गया।

अर्जुन रथ में उस स्थान पर बैठता है, जहाँ उसके युद्धोपयोगी अस्त्र–शस्त्र रखे हुए थे। इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि अस्त्र–शस्त्रों के बीच रहने से वीरता नहीं आती। हृदय में किसी प्रकार का उत्साह नहीं आता। युद्धों में अस्त्र–शस्त्र नहीं लड़ते। योद्धा का अदम्य उत्साह ही विजय दिलाता है। यहां हमें किसी कवि की यह पंक्तियां स्मरण हो आती हैं कि उड़ान के लिए पंखों की नहीं, हौंसले की ज़रूरत होती है।

श्रीकृष्ण से अर्जुन का निवेदन

इस विकट परिस्थिति से घिरे हुए अर्जुन के मन में एक प्रकार की कायरता (दीनता) उत्पन्न हो गई थी। उस कायरता ने उसके योद्धा स्वभाव को नष्ट कर दिया था। वह श्रीकृष्ण के समक्ष एक प्रकार से समर्पण सा करता हुआ अनुरोध करता है।

"कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।।" –३२, भगवद्गीता, २/७

कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला मैं, धर्म के विषय में मेरा चित्त सम्मूढ़ (भ्रमित अथवा मोहित) हो गया है, आपका शिष्य होकर आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ, मेरे लिए कल्याणकारी हो, उसका निश्चय करके मुझे बताइए। आप मुझे शिक्षित कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ।

तब भगवान कृष्ण ने बोलना प्रारम्भ किया। उसकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। बीच–बीच में अर्जुन ने प्रश्न भी किए। भगवान् ने उसके सभी प्रश्नों का धैर्यपूर्वक और विद्वत्तापूर्वक उत्तर दिया।

श्रीकृष्ण और अर्जुन का यह संवाद ही "श्रीमद्भगवद्गीता" के नाम से लोकप्रसिद्ध है।

संदर्भ

1. महाभारत, आश्व.
2. रामचरितमानस, बालकाण्ड
3. भगवद्गीता